

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

**Students can retain library books only for two weeks at the most**

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

# अर्द्धचीन राजनीतिक चिन्तन

(मार्क्स से अब तक)

(Political Theory from Marx to Present Day)

अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत

डॉ. प्रभुदत्त शर्मा  
प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्राप्तिक्रम

प्र० ए० बी० लाल  
पूर्व कुलपति  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर



कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

## प्रावकथन

विचम के राजनीतिक विचारको ने आज की सम्यतता के मूल्यों और राजनीतिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया है। इन महान् चिन्तकों की दार्शनिक उपलब्धियाँ आज के बुद्धि-जगत् को मुश्किल रखनी हैं।

माध्यम की कठिनाई के बारण आज की युवा पीढ़ी इस ज्ञान भण्डार का उपयोग करने में अपने अधिकारों पर रही है। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से यह प्रपेक्षा की जाती है कि वे द्विभाषी हान के बारण महसूल की इस समस्या का प्रच्छो स्तरीय पाठ्य-पुस्तकों द्वारा हात करें।

ग्रन्तुत पुस्तक हिन्दी माध्यम से इसी दिशा में एक अच्छा प्रयास है। सेनाक का परिवर्तन सफल रहा है। उनकी शैली पुस्तकों को व्यापक बनाती है। आज ही डॉ प्रभुदत्त शर्मा का यह प्रयास हिन्दी माध्यम के नए लेखकों का प्रेरणा दे सकेगा।

कृत्यपति

राजस्थान विश्वविद्यालय  
दिसंबर, 1972

ए. घो. लाल

---

© PUBLISHERS

All Rights Reserved with the Publishers

Published by College Book Depot, Tripolia Bazar, Jaipur-2

Printed at Hema Printers, Jaipur

# संशोधित संस्करण की भूमिका

'आवाचीन राजनीतिक चिन्तन' (मास्टर्स से अब तक) अपने संशोधित नए संस्करण में आपके सामने प्रस्तुत है। गत दशक में इस पुस्तक का जो स्वागत हुआ है और इससे लाभान्वित होने वाले जिन विद्यार्थियों और शिक्षकों ने हमें जो भी प्रतिक्रियाएँ और सुभाव दिए हैं, उन्हें सामने रखकर पुस्तक में कितने ही आमूलचूल परिवर्तन एवं संशोधन किए गए हैं। कहना न होगा कि विचारों के इतिहास में मूल विचार तो नहीं बदलते, किन्तु उन पर चलता रहने वाला विचार-मन्थन और व्याख्याएँ युग और काल के साथ-साथ नए रूप प्रदर्शन करती रहती है। इस संस्करण में हमारा यह प्रयास रहा है कि भारतीय विद्यार्थी को आज की समस्याओं पर सोचने और समझने के लिए एक आधुनिक विचारभूमि प्रदान की जाए। गत दशक में जो नई शोध-सामग्री इस क्षेत्र में प्रकाशित हो सकी है उसे भी यत्वत्त्र सर्वत्र छापोपयोगी ढंग से इस नए संस्करण में समाहित कर लिया गया है।

कागज के अभूतपूर्व अभाव और छपाई की आकस्मिक महंगाई की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अपने नए संस्करण को उसी क्लेदर में प्रकाशित कर सके हैं, इसके लिए हमारे प्रकाशक-बन्धु विशेष वधाई के पात्र हैं।

गतिशीलता एवं निरन्तरता विचारों की दुनिया की एक सहज विशेषता है। अत आगामी संस्करण के लिए आपके विचार एवं सुझाव आमन्वित हैं।

प्रभुदत्त शर्मा

## दो शब्द

पाठ्याल्प्र राजनीतिक दर्जन के इतिहास में आधुनिक युग प्रकृता एवं विभिन्न स्थान रखता है। मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, गांधी, लाल्की ग्रादि विचारकों के दर्जन में तत्कालीन युग अपनी परिस्थितियों के माध्यम सम्मुख घा जाता है। समाजवादी, प्रजातन्त्रवादी और प्रधिनायकवादी विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त किए बिना हम मार्क्सिज़्मों और उत्तरवर्णी युग की विशेषताओं एवं उसकी प्रतितियों का नहीं समझ सकते। इसी प्रश्न मेंड्सल, सामर्जन, दुर्योग पेरेटा ग्रादि के विचारों में बुद्धिवाद (Reason) के विहङ्ग त्रिप्ति के बीच बोए गए हैं उस भी समझना आवश्यक है, यद्यपि वर्णमान त्री गहराइया में पहुँचना कठिन है। प्रस्तुत रचना में इन विभिन्न विचारधाराओं के विवेचन के अतिरिक्त आधुनिक राजनीतिक मिद्दान्त के महत्वपूर्ण पक्षों को भी स्पष्ट किया गया है। राजनीति गाम्बर वा परम्परागत स्वरूप बदलता जा रहा है, अर्थात् वे नए प्रायाम, नए इटिकोल विक्षित हान जा रहे हैं। पहुँच अवगारवादी त्रान्ति ग्राई और अब उत्तर-अवगारवाद की मौज सुनाई देनी है। इन सभी के विवेचन द्वारा भी पुस्तक की उपर्याप्ति बढ़ान का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत रचना अर्द्धचीन राजनीतिक चिन्तन को विद्यायियों के इन बी हिट मध्ये में प्रस्तुत करने के लिए तंत्यार की गई है। यहूँ पोडे मध्ये दुग में वे सभी मूल बातें कहने का प्रयास किया गया है किन्तु धार्यार लेहर एक गम्भीर विद्यार्थी अपना प्रश्न परन आए चला महता है। भागा, जैली एवं विवेचना की इटि में भी सरकारा मध्ये दुग में वे सभी मूल बातें को घोर विशेष रूप में मनेट रहा गया है। युक्ति के प्रूफ-मण्डोपन कायं में थी प्रकाग जैन वा गुण गणित मध्याग प्राप्त हुमा है प्रतः उन्ह अवगारवाद देना अनोरताविका नहीं हांगी।

प्रागा है विद्यार्थी-जगत् ऐसे उपर्योगी पाएगा और इसके प्रनुशीलन ग मामानित हा मंदेषा।

## अनुक्रमणिका

<b>1 आधुनिक राजनीतिक चिन्तन</b> (Modern Political Thought)	<b>1</b>
<b>2 मांकस के बाद समाजवाद एडवड बैस्टाइन काल काटस्की</b> लेनिन टाटस्की स्टालिन और मांगो	<b>6</b>
(Socialism after Marx Edward Bernstein Karl Kautsky Lenin Trotsky Stalin and Mao)	
पुनर्विचारवाद	7
एडवड बैस्टाइन	7
जीन जोरेस	13
काल काटस्की	15
लेनिन	20
लेनिन का मानवता संस्करण	20
लेनिन का साम्राज्यवादी पक्षीवाद	24
हिंदू मक्खीतिकवाद के बारे में लेनिन के विचार	29
लेनिन की क्रांति सम्बंधी धरणा	31
लेनिन की दृष्टि सम्बंधी धारणा	34
श्रमजीवी अधिनायकवाद के विषय में लेनिन के विचार	38
मांकस के अन्यायी के रूप में लेनिन का मूल्यांकन	44
ट्राटस्की	46
स्टालिन	51
स्टालिन का एकदेशीय समाजवाद का सिद्धांत	52
स्टालिन की क्रांति सम्बंधी धारणा	59
स्टालिन का महत्व और मूल्यांकन	59
माप्रा संगठन	61
चीनी मांकवाद (मांग्रोवाद) के प्रमुख सिद्धांत	63
मांग्रोवों के कृद्ध ग्रन्थ विचार	67
<b>3 फ्रांसीसी अर्थिक सघवाद थली समाजवाद फवियन समाजवाद</b> समटिवाद अराजकतावाद क्रान्तिकारी और दार्शनिक	<b>75</b>
(French Syndicalism Guild Socialism Fabian Socialism Collectivism Anarchism Revolutionary and Philosophical)	
अर्थिक सघवाद	75
अर्थिक सघवादी दबाने	

## ॥ धनुषमणिका

मध्यवाची समाज का विष	80
थमिह मध्यवाच का मूँ यौरन	82
प्राम म नवीन थम मध्यवाच एवं मध्यवाच का विष्गो म प्रभाव	83
मध्यवाच विचारक फिल्मपर और मारन	86
थगी समाजवाच	89
थगी समाजवाचियों द्वारा बनस्तान समाज की आलाचना	92
थगी समाजवाच दान	94
गिरह समाजवाच के साधन	103
थगी समाजवाच का मूँ यौरन	106
दवियन समाजवाच	108
स्थानों एवं क्षेत्र	109
दवियनवाच और मावस्ताच म प्रान्तर	117
दवियनवाच की ग्रासोचना	118
पवियनवाच की सफलताएं	119
समर्पितवाच परवा राज्य समाजवाच	120
समर्पितवाच क्या ?	121
समर्पितवाची मिढा त	123
समर्पितवाची साधन	126
समर्पितवाच के पत्र म तक	127
पराजयतावाच क्वातिकारी और दाखनिक	132
पराजयतावाची परम्परा	133
पराजयतावाची दान	.. 134
वित्तियम गोडविन	136
हीमविन	137
प्राप्ति	138
मार्दन वक्तव्यनिन	141
प्रिय व्रातार्हित	14
धारावाच धरावतावाच	153
धरावतावाच का मूँ यौरन	155
<b>4 सारतात्रीकर समाजवाच</b>	<b>158</b>
(Democratic Socialism)	
सारतात्रीकर समाजवाच—निर्णयित उत्तरवाच म	159
सोहतात्रीकर समाजवाच घोषित और विशेषताएं	161
सारतात्रीकर समाजवाच के प्रमुख विचारक	167
धारावतावाच घोर मूँ यौरन	170

<b>5 तर्कशीलता के विरुद्ध विद्वोह—विलियम मेकडूगल हैराल्ड लासवैल,</b> <b>एमाइल दुखीम, विलफ्रॉडो परेटो</b>	<b>174</b>
(Revolt against Reason—William McDougal Harold Lasswell Emile Durkheim Vilfredo Pareto)	
विलियम मेकडूगल	174
हैराल्ड लासवैल	181
लासवैल का दर्शन	182
लासवैल का मूल्यांकन	188
एमाइल दुखीम	189
विलफ्रॉडो परेटो	192
<b>6 बहुलवादी और राज्य सम्प्रभुता</b> (Pluralists and State Sovereignty)	<b>194</b>
बहुलवादी विचारधारा	196
बहुलवाद की आलोचना	201
बहुलवादी विचारधारा का प्रौचित्य और महत्त्व	204
<b>फासीवाद</b> (Fascism)	<b>206</b>
<b>8 ग्राहम वैलास</b> (Graham Wallas 1858—1932)	<b>215</b>
वैलास की पढ़ति	215
मानव क्रियाओं के माध्यर	216
प्रजातन्त्र पर वैलास के विचार	219
शासन य त्र और सरकारी अधिकारियों के बार म	
वैलास के विचार	220
वैलास की आलोचना और उसका मूल्यांकन	221
<b>9 हेराल्ड जोसेफ लास्की</b> (Herald Joseph Laski)	<b>223</b>
लास्की के राजनीतिक विचार	228
लास्की की अविकारा विषयक धारणा	240
लास्की के स्वतन्त्रता और समानता सम्बंधी विचार	243
सम्पत्ति के विषय मे लास्की के विचार	245
लास्की मानववादी के रूप मे	248
लास्की के दर्शन का मूल्यांकन	251

<b>10 गांधीजी के राजनीतिक विचार (Gandhi on Political Ideas)</b>	<b>254</b>
जावन परिचय	254
पाठ्यात्मिक शास्त्रवाद	255
ग्रहिमा का दर्शन	261
गांधीजी और उनका धर्म	264
गांधीजी का राजनीतिक दर्शन	266
राज्य और समाज के बार में गांधीजी के विचार	276
प्रतिनिधि प्रणाली का समीक्षण व्यवस्था आदि पर गांधीजी के विचार	279
गांधीजी और प्रातरांत्रीयवाद पर गांधीजी के विचार	280
गांधीजी और विकासीकरण	281
गांधीजी का स्वतंत्रता दर्शन	285
गांधीजी का मामाजिन और धार्यिक विचार	287
मुक्तीकरण	299
<b>11 माइकेल ओकेशोल्ट और परम्परावाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीति शास्त्र की प्रकृति और क्षम—बदलते हुए इटिक्सोल्ट लासेल और ईस्टन के विशेष सदृश में ध्यवहारवादी आन्ति—चाल्स मेरीम, आयर बेट्ले डिविड ईस्टन धार्मण्ड तथा लासेल सम्पर्यण सिद्धांत और निराय प्रतिमान (शान इयच एवं ह्नाइडर) उत्तर ध्यवहारवाद</b>	<b>301</b>
(Michael Oakeshott and Traditionalism: Modern Political Theory: Nature and Scope of Political Science—Changing Perspectives with Special Reference to Lasswell and Easton; the Behavioural Revolution—Charles Merriam, Arthur Bentley, David Easton and Lasswell: The Communication Theory and Decline on Making (Karl Deutsch and Snyder: Post Behaviouralism))	
मार्क्स यादवाद और परम्परावाद	301
राजनीतिशास्त्र की प्रकृति और क्षम	30
ध्यवहारवादी आन्ति	315
ध्यवहारवाद की समाज	329
मम्प्रयाग मिडान (शान इयच)	332
निराय निराय (स्नाइडर)	339
उत्तर ध्यवहारवाद	343

# आधुनिक राजनीतिक चिन्तन

(Modern Political Thought)

राजनीतिक चिन्तन के द्वेष को विश्व की सम्यताएं हर युग में प्रभावित करती रही है। राज्य, समाज और मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्ध राजनीतिक चिन्तन के विशेष अग्र हैं जो सुदूर अतीत से मानव-जीवन और उसके चिन्तन को प्रभावित करते रहे हैं। राज्य और विविध राजनीतिक संस्थानों के विभिन्न पक्षों तथा उनसे सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों की मीमांसा राजनीतिक चिन्तन की अध्ययन-सामग्री है। वेपर (Wayper) के अब्दो में “राजनीतिक चिन्तन वह है जिसका सम्बन्ध राज्य, राज्य के आकार, राज्य के स्वभाव तथा राज्य के लक्ष्य से है। इसका मुख्य कार्य है समाज में मानव का नेतृत्व पर्यवेक्षण करना। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रस्तित्व, स्थिरता तथा दिन-प्रतिदिन का विवरण प्रस्तुत करना ही नहीं है, बरन् राज्य क्या है और किसी को राज्याज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है और कोई राज्याज्ञा का उल्लंघन कब कर सकता है, तथा राज्य के बिना अपूर्ण मानव की शक्ति क्या रह जाती है, मादि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी यह चिरकाल से प्रयत्नशील है।”<sup>1</sup> फिलिस डॉयल के अनुसार, “मनुष्य को प्रकृति और उसके कार्य, शेष विश्व से उसका सम्बन्ध जिसमें सम्पूर्ण जीवन का विवेचन ग्रन्तनिहित है और इन दोनों बातों की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाली मनुष्य की अपनी सहजातियों से सम्बन्ध की समस्या ही राजनीतिक चिन्तन का प्रमुख विषय है और इसके अन्तर्गत राज्य का स्वरूप, प्रयोजन तथा उसके कार्यों का विवेचन, सभी समाविष्ट हैं।”<sup>2</sup> राजनीतिक चिन्तन की विषय-सामग्री बहुत व्यापक है जिसका समय के साथ निरन्तर विस्तार होता जा रहा है। यह निरन्तर सजीव, गतिमान और विकासमान है जिसमें हर युग के विचारकों और दार्शनिकों के विचार मुख्यरित हुए हैं।

पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन को मोटे रूप में तीन युगों में विभाजित किया जा सकता है—प्राचीन युग, मध्ययुग और आधुनिक युग। प्राचीन युग के अन्तर्गत

1 वेपर : राजदर्जन का स्वाध्ययन, पृष्ठ 1

2 Phyllis Doyle : A History of Political Thought, p. 15.

300 ईसा पूर्व तक के काल की गणना होती है। ऐटो और परस्तु इस युग के महान् पूनानी राजनीतिक चिन्तक थे। मध्ययुग के अन्तर्गत 300 ईसा पूर्व से 1500 वा काल सम्मिलित किया जाता है। इस युग की सबसे प्रधान समस्या राजसत्ता और धर्मसत्ता के बीच सम्बन्ध निर्धारण की थी। राजा और पोप का मध्ये चला जिसमें अन्ततः पोप का पराभव हुआ। इस युग के प्रमुख विचारकों में सन्त अम्बोज, सन्त यांगस्टाइन, सन्त टॉमस एक्बीनाप, दीते, मार्सिलियो आँह पेड़ुआ प्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। तत्पश्चात् आधुनिक युग का सूत्रपात माना जाता है जिसका प्रथम विचारक मेकियावली था। उसे 'आधुनिक राजनीति का जनक' (Father of Modern Political Thought) कहा जाता है। मेकियावली ने प्रपनी कृतियों में मध्ययुगीन विचारों पर कीदण प्रदार किए तथा मध्ययुग की जान्यताओं और परम्पराओं का स्पष्टन कर राजनीति को नवीन व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उसकी सबसे महत्वपूर्ण देन यह थी कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक् किया। मेकियावली के बाद बोदी, गोशियस, हॉब्स, लॉक, रसो, मॉटेस्क्यू बर्क, बेन्थम, जे एस मिल टी एच ग्रीन, काण्ट, हीगल, कालं मार्क्स, लेनिन, नॉर्बी, लास्की, कोल, रसेल आदि इस युग के महान् राजनीतिक विचारक माने जाते हैं।

पाश्चात्य राजदर्शन की इस पुस्तक का विषयारम्भ उपयोगितावादी चिन्तन से हुआ है जिसने राज्य के 'व्यवितरण व्यक्तियों का अधिकतम हित' के उद्देश पर वल दिया। उपयोगितावादी विचारकों ने व्यक्ति को समाज का अभिन्न अग स्वीकार करते हुए उपयोगिता को ही राज्य के समस्त कार्यकलापों का आधार माना। जर्मन बेन्थम (1748-1832) उपयोगितावादियों में सर्वाधिक विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् या जिसने उपयोगितावादी सिद्धान्तों की स्पष्ट समीक्षा की और उपयोगितावाद पर आधारित एक कमबूद्ध राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन करने में सफलना प्राप्त की। वंसे इसके प्रवर्तनों में डेविड हूम, प्रीस्टले तथा हुचिसन के नाम लिए जाते हैं। बेन्थम के बाद जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन मॉस्टिन, जॉन ग्रोट एलेक्जेंडर बेन आदि ने उपयोगितावाद में सशोधन किए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेन्थम के उपयोगितावादी विचारों की पुनर्संमीक्षा कर उपयोगितावादी दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की।

उपयोगितावादी राजनीतिक चिन्तन के बाद आदर्शवादी विचारधारा को प्रधानता प्राप्त हुई जिसके प्रमुख स्तम्भ इमेन्युल काण्ट, हीगल, टी एच. ग्रीन, बोसके की आदि थे। टी एच. ग्रीन ने इयलेंड में उदारवादी आदर्शवाद की परम्परा कायम की जबकि काण्ट और हीगल ने जर्मन आदर्शवाद का विकास किया; उपयोगितावाद औद्योगिक कान्ति से उत्पन्न परिस्थितियों का उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा और इसीलिए विचारशील लोगों में यह प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई कि मानव स्वभाव की उपयोगितावादी खोजली घारणा के स्थान पर एक अधिक ठोस घारणा प्रस्थापित करने की आवश्यकता है, और इसी प्रतिक्रिया ने आदर्शवादी चिन्तन का मार्ग प्रशस्त किया। आदर्शवादियों ने तब सामान्य प्रमुख सिद्धान्तों को

प्रस्थापित करते हुए यह स्वीकार किया कि राज्य एक नैतिक अनिवार्य संस्था है, राज्य सर्वशक्तिमान है तथा उसमें और व्यक्ति में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। राज्य का अपना उद्देश्य एवं व्यक्तित्व है तथा वह मनुष्य की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधित्व बरता है। आदर्शवादियों ने राज्याज्ञा-पालन को ही स्वतन्त्रता माना और राज्यों को अधिकारों का अन्मदाता बतलाया।

एक अन्य विचारधारा ने भी 19वीं सदी के चिन्तन को नया मोड़ दिया। राजदर्शन के इतिहास में यह वैज्ञानिक विचारधारा के नाम से विख्यात है। इसके दार्शनिकों ने मानव-जीवन की व्याख्या प्राकृतिक विज्ञान के रूप में करने का प्रयास किया। राज्य और उसकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उन्होंने जीव ज्ञानीय दृष्टिकोण अपनाया। दूसरी ओर कतिपय ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ग्राहिक उपयुक्त समझा। यदि हरबट स्पेसर जीवज्ञानीय व्याख्या के जनक के रूप में सामने आया तो बेजहॉट मनोवैज्ञानिक व्याख्या का आग्रहूत बना। स्पेसर ने माचार-शास्त्र और राजनीति-शास्त्र को जीव विज्ञान के नियमों के समरूप और उनका एक अग्र माना तथा अपने विकासवादी दृष्टिकोण भौतिकशास्त्र एवं जीवज्ञानश्वर जैसे दो भिन्न विषयों को समन्वित करने का प्रदाता किया। बेजहॉट ने सामाजिक और राजनीतिक व्यापार के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक पद्धति का सूत्रपात किया जिसे अनेक ब्रिटिश, फ्रांसीसी एवं अमेरिकी विद्वानों ने विकसित किया। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि बेजहॉट के समय से ही राजनीतिक सिद्धान्तवादी सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने और आज तो मानव-जीवन की समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान का प्रयोग एक फैशन बन गया है। इस प्रसंग में हम मन (Maine) तथा सेविग्न (Savigny) सरीखे विचारकों को भी नहीं भूल सकते जिनकी अध्ययन-पद्धति ऐतिहासिक थी।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कार्ल मार्क्स और एजिल्स के सिद्धान्तों ने राजनीतिक परिवर्तन पर व्यापक प्रभाव डाला और यह प्रभाव 20वीं शताब्दी के चिन्तन पर भी व्यापक रूप में दिखाई देता है। आज का तो मुग्ही समाजवाद का मुग्ह कहा जाता है जो किसी न किसी रूप में सासार के करोड़ो व्यक्तियों वा एक धर्म सा दर्न गया है और उनके विचारों एवं कार्यों की रूपरेखा निर्धारित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से टॉमस मूर ने एक आदर्श समाजवादी व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् इसके सूत्रधारों में कल्पनावादी विचारक सेंट साइमन तथा फेरियर और उनके समकालीन रॉबर्ट औवन एवं कुछ अन्य विचारक हुए। इन सबने 19वीं शताब्दी में सासार के सामने समाजवाद के विकासवादी, अहिंसात्मक अथवा शान्तिवादी तथा आदर्शवादी पथ पर बल दिया लेकिन राजनीति में कार्ल मार्क्स के पदार्पण ने समाजवादी शान्तिपूर्ण धारा को हिस्सक, वेगवती और क्रान्तिकारी धारा में परिवर्तित कर दिया। पूँजीवाद, स्वतन्त्र व्यापार तथा प्रतिस्पर्द्धा और लेसेज फेयर (पर्हस्तक्षेप) जैसे सिद्धान्तों पर, जिन पर विगत मुग्ह का सामाजिक ढाँचा आधारित था, एजिल्स ने कड़ा प्रहार किया। उसने समाजवाद को स्वप्नलोक से निकाल कर

वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया और उसे जनक्रान्ति का रूप दिया। समाजवाद के विकासवादी और क्रान्तिवादी दोनों ही रूप स्पष्ट रूप से बत्तमान राजनीति में पाए जाते हैं। इसी और चीनी साम्यवाद मार्क्सवाद के ही रूपी और चीनी संस्करण हैं।

कालं मार्क्सं और एजिल्स से प्रेरणा प्राप्त करने वाले विचारकों ने सामाजिक पुनरेवना के विभिन्न सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया। कटुर मार्क्सवाद की अपेक्षा प्रजातान्त्रिक एवं विकासवादी समाजवाद इगलैण्ड की धरती के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ। वहाँ अनेक समाजवादी आन्दोलनों ने जन्म लिया जिनमें सर्वाधिक महत्व-पूर्ण 'फेडियनवाद' था। सन् 1887 में फेडियनवादियों ने अपने समाज का उद्देश्य प्रकट करने हुए कहा कि फेडियन समाज समाजवादियों का समाज है जिसका उद्देश्य समाज न। नवगठन करना है। यह नया संगठन भूमि तथा उद्योग-घरों को व्यक्तिगत तथा बग विशेष के स्वामित्व से निकाल कर समाज को उसका स्वाम बनाकर किया जाएगा, जिससे सब सामान्य लाभ के लिए काय करे और केवल इस तिसे सम्पूर्ण लाभ का समस्त जनता में समानता के आधार पर वितरण हो। बास्तव में फेडियनवाद ने क्रान्ति और हिंसा से दूर रहते हुए वैधानिक उपायों द्वारा समाजवाद की स्थापना करने पर बल दिया और विनाश की अपेक्षा सुधार को अधिक महत्व दिया। विकासवादी समाजवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू समष्टिवाद के रूप में सामने आया जिसे राज्य-साम्यवाद, समूहवाद आदि नामों की भी सज्जा दी जाती है। समजवाद का यह एक परिष्कृत रूप है जो समाजवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शान्तिपूर्ण उपायों पर बल देता है। परिवर्तन की क्रमिकता में विश्वासरस्त हुए समष्टिवादी चाहते हैं कि राज्य में समाजवादी क्रान्ति विना किसी रक्तपात तथा हिंसा के धोरे-धीरे लाई जाए। विकासवादी समाजवाद की एक प्रमुख शाखा सशोधनवाद (Revisionism) के रूप में विकसित हुई जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्याख्याता बन्स्टाइन था। सशोधनवादियों ने मार्क्स के सिद्धान्त की कटु आलोचना करते हुए आश्वासन किया कि मार्क्सवाद के क्रान्तिकारी पहलू की अपेक्षा विकासवादी पहलू को महत्व दिया जाना चाहिए और परिवर्तित परिस्थितियों में मार्क्सवादी सिद्धान्तों में आवश्यकतानुसार सशोधन किए जाने चाहिए।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में फ्रांस के अमिक आन्दोलन द्वारा अमरीकी वर्ग के लिए अम संघवाद नामक एक नए सामाजिक सिद्धान्त का जन्म हुआ। यह एक क्रान्तिकारी विचारधारा है जो शान्ति और विकासवाद दोनों सिद्धान्तों को अस्वीकार कर मजदूरों को तुरन्त सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त करना चाहती है। इस विचारधारा में मजदूरों का स्वाधीनता प्रेम इस सीमा तक पहुँच गया है कि वह श्रोतों के द्वारा उद्योगपतियों के अधिकार के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध भी विद्रोह करती है। अम-संघवाद उद्योगों का सचालन एवं स्वामित्व राज्य के हाथों में न देकर मजदूरों के हाथ में रखना चाहता है। समाजवाद की एक अन्य प्रशाखा, जिसे हम समाजवाद का अप्रेजी संस्करण 'कह सकते हैं, 'श्रेणी समाजवाद' है। यह मध्यमार्या विचारधारा अप्रेजी फेडियनवाद और

फाँसीसी सघवाद का 'बुद्धिजीवी शिशु' है जिसका प्रतिपादन 20वीं शताब्दी के प्रथम एवं द्वितीय दशकों में किया गया। सामान्य रूप में श्रेणी-समाजवाद का उद्देश्य उद्योगों में सलमन लोगों के स्वराज्य की स्थापना कर वर्तमान वेतन-प्रधान का अन्त करना है। इसके अनुसार एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जिसमें श्रमिकों की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित हो सकें। यह चाहता है कि पूँजीवादी व्यवस्था और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर औद्योगिक समाज में उत्पादकों के सघ हों और ये सब सभ्या में इतने हों जितने कि समाज में होने वाले कार्य अर्थात् प्रत्येक उद्योग के लिए पृथक्-पृथक् सघ हों। क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करने वाली इस विचारधारा का अब सक्रिय राजनीति में कोई स्थान नहीं है।

आधुनिक राजनीतिक चिन्तन की दो अन्य महत्वपूर्ण विचारधाराएँ हैं—  
‘अराजकतावाद’ एवं गांधीवाद। ‘अराजकतावाद’ किसी निश्चित सिद्धान्त का नाम नहीं है, अपितु एक आधारमूल विचारधारा का सूचक है जिसे कठिपप्य विचारकों ने अपने-अपने ढंग से व्यक्त किया है। इसका आधारमूल सिद्धान्त यह है कि राजनीतिक शक्ति हर रूप में एक बुराई है, अत अर्वाछनीय एवं अनावश्यक है। मानवीय सम्बन्धों में न्याय की स्थापना करने के लिए राज्य को समूल नष्ट कर उसके स्थान पर स्वतन्त्र समाज का सगठन किया जाना चाहिए जिसमें सामजिक की स्वाप्नों, उत्पादन, उपभोग तथा एक सभ्य प्राणी की नाना आवश्यकताओं को तुष्टि के लिए “वतन्त्रतापूर्वक स्थापित विभिन्न सगठनों में स्वतन्त्र समझौते हों। ऐसा इसलिए

भव है क्योंकि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है। गांधीवाद, जो आज के युग की एक धर्मन्त सजीव, सुधारवादी और प्राणदायिनी विचारधारा है, इस रूप में अराजकतावादी है कि यह आधुनिक केन्द्रीभूत राज्य को व्यक्ति की स्वतन्त्रता का शत्रु समझती है। यह दर्शन वैदिकीक सम्पत्ति और निर्बाध प्रतिस्पर्द्धा पर आधारित वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर सत्य और अहिंसा पर आधारित ऐसे नवीन समाज की रचना करना चाहता है जिसमें व्यक्ति को अधिकतम स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके। इस तरह यह मार्क्सवाद या साम्यवाद, अराजकतावाद या अन्य किसी वाद की अपेक्षा अधिक जीवन्त और अधिक कानूनिकारी विचारधारा है। साम्राज्यवाद, फासीवाद, नाजीवाद आदि विचारधाराओं का भी आधुनिक राजनीतिक चिन्तन में स्थान है।

# मार्क्स के बाद समाजवादः एडबर्ड बर्नस्टाइन, कार्ल काटस्की, लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन और माओ

( Socialism After Marx      Edward Bernstein,  
 Karl Kautsky, Lenin, Trotsky,  
 Stalin and Mao )

काल मार्क्स की मृत्यु के बाद उसके दर्शन के समर्थक कई गुटों में विभाजित हो गए। जिन देशों में लोकतान्त्रिक विचार मजबूती से जम चुके थे वहाँ शाक्ति के अनुयायी उसके कठिपथ सिद्धान्तों से जैसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग-संघर्ष, कान्ति की अपरिहायेता आदि से आश्वस्त नहीं हुए और उन्होंने मार्क्सवाद को लोकतान्त्रिक ढंगे में ढालना चाहा। मार्क्स के बहुन से समर्थक ऐसे थे जो अपने-अपने देशों की भौगोलिक, आर्थिक, सौस्थितिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुरूप मार्क्सवाद को ढालने के इच्छुक थे। उपर्याही मार्क्सवाद के कान्तिकारी पहलू को अधिक महत्व देना चाहते थे। दूसरी ओर ऐसे भी लोग थे जो मार्क्सवाद पर शान्तिपूर्वक पुनर्विचार कर उसके विकासवादी पहलू पर बल देने का समर्थन करते थे। इन विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों के फलस्वरूप मार्क्स के बाद समाजवाद की विवेचना शाखाएँ प्रस्फुटित हुई और इसके विभिन्न प्रवक्ता हुए।

(अ) सर्वप्रथम इस अध्याय में एडबर्ड बर्नस्टाइन (Edward Bernstein), कार्ल काटस्की (Karl Kautsky), लेनिन (Lenin), ट्रॉट्स्की (Trotsky), स्टालिन (Stalin) और माओ (Mao) तथा कुछ प्रम्य विद्वानों के विचारों की विवेचना की जाएगी।

(ब) अगले कुछ अध्यायों में फौसीसी अमिक सघवाद (French Syndicalism), फेबियन समाजवाद (Fabian Socialism), थेरी समाजवाद (Guild Socialism) अराजकतावाद अन्तिकारी और दार्शनिक (Anarchism Revolutionary and Philosophical) आदि का वर्णन किया जाएगा।

(ग) अन्त में लोकतान्त्रिक समाजवाद (Democratic Socialism) पर विचार किया जाएगा।

## पुनर्विचारवाद : ईडवर्ड बर्संटाइन

(Revisionism : Edward Bernstein, 1850-1932)

### पुनर्विचारवाद (Revisionism)

पुनर्विचारवादियों द्वारा मार्क्स के सिद्धान्त की कटु आलोचना की गई और इस बात पर बल दिया गया कि मार्क्सवाद के त्रान्तिकारी पहलू की अपेक्षा विकासवादी पहलू पर बल दिया जाना चाहिए तथा परिवर्तित परिस्थितियों में मार्क्सवादी सिद्धान्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाने चाहिए। यूरोप में पुनर्विचारवादियों भव्यवाद संशोधनवादियों और सुधारवादियों के इस उदार तथा व्यावहारिक समाजवाद के सिद्धान्त प्रथम विश्व युद्ध से 25 वर्ष पूर्व विविध विद्वानों जैसे, जर्मनी में एडवर्ड बर्संटाइन (Edward Bernstein), फ्रांस में जैन जोरेस (Jean Jaurès), बेल्जियम में असीले (Edward Aeselle), इटली में विस्सोलाटी (Leonido Bissolati), रूस में टुगन बेरोनोस्की (Tugan Baronowsky) तथा स्वीडन में कार्ल ब्रूटिंग (Karl Branting) के दक्षत्यों तथा कार्पो में और बेल्जियम के मजबूर दल, दक्षिणी जर्मन राज्यों की समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टियों, फ्रांस की स्वतंत्र समाजवादी पार्टियों तथा ब्रूसिस्टो (Broussist) और इटली की समाजवादी पार्टियों के सिद्धान्तों तथा युक्तियों में प्रकट हुए। इस सुधारवादी समाजवाद (Reformist Socialism) के सिद्धान्त बर्संटाइन जौरेस तथा टुगन बेरोनोस्की के लेखों एवं रचनाओं में विशद् रूप से उपलब्ध हैं दिन्तु इनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बर्संटाइन ही है जिसे संशोधनवादी अध्यवा पुनर्विचारवादी (Revisionist) आनंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। बर्संटाइन ने मार्क्सवाद के विकासवादी पहलू पर बल दिया, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को तथ्यों की दृष्टि से दोषी पाया और कहा कि मार्क्स के दुष्टिमान शिख्यों को अपने गुह वी प्रत्येक बात को प्राप्ति बन्द करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें जो सत्य है उसे प्रहरण करना चाहिए और जो असत्य है उसका परित्याग बर देना चाहिए।

### एडवर्ड बर्संटाइन (Edward Bernstein)

एडवर्ड बर्संटाइन का जन्म दर्ज 1850 में बर्लिन में एक लोकोमोटिव इंजीनियर के परिवार में हुआ था। उसका सामाजिक जीवन सन् 1872 में समाजवादी प्रजातान्त्रिक दल (Social Democratic Party) की सदस्यता से शुरू हुआ। सन् 1878 में जब समाजवाद विरोधी बालून पारित हुआ तो बर्संटाइन को जर्मनी से बाहर लगभग 20 वर्ष एक निर्वासित दे रख में व्यतीत करने पड़े। सन् 1900 में जर्मनी लौटने पर उसने पुनर्विचारवादी आनंदोलन की बागडोर सम्माल ली और साश्ल डेमोक्रेटिक पार्टी के कटु विरोध के बावजूद युवकों को बड़ी सीमा तक प्रभावित किया। पुनर्विचारवाद के प्रति विरोध का नेता कॉट्स्की था। बर्संटाइन का सन् 1914 तक उससे संदान्तिक संघर्ष चलता रहा। सन् 1932 में इस महान् संशोधनवादी नेता की मृत्यु हो गई।

बर्संटाइन ने मार्क्सवाद पर 'Problems of Socialism' नामक लेखमाला में घपने धाकमणकारी विचार प्रकाशित किए। एक बटिल जीर्यंक वाले प्रस्तुति में उसके विचारों की अभिव्यक्ति हूई जिसका सक्षिप्त अपेजी अनुयाद 'Evolutionary Socialism' के नाम से प्रकाशित हुआ। बर्संटाइन ने एक लम्बे पत्र में मार्क्सवाद की आलोचना का सार प्रस्तुत किया है जो उसने सन् 1898 में जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को लिखा था। बर्संटाइन की शकाभ्यो, अविश्वासो और मार्क्सवादी आलोचनाओं का मुख्य तर्क यह था कि मार्क्स ने समाज का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया था वह गलत प्रमाणित हो चुका था और घटनाक्रम के अनुसार मार्क्स की अविष्यवाणियाँ भी यसत सिद्ध नहीं हुई थीं, अत यह सर्वथा उचित था कि मार्क्स के सिद्धान्तों में सम्झौतन किया जाए और उन बातों को हटा दिया जाए जो गलत सिद्ध हो चुकी थीं।<sup>1</sup>

### बर्संटाइन द्वारा मार्क्स की आलोचना

बर्संटाइन ने समाजवाद की समस्याएँ (Problems of Socialism) नामक लेखमाला में मार्क्स पर स्वप्नलोकीय (Utopian) होने का आरोप लगाया। मार्क्स ने अविष्य के सामाजिक समृद्धि कोई कल्पना नहीं की थी, पर यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा था कि आकस्मिक तथा तीव्र परिवर्तन के फलस्वरूप समाज पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद का रूप घारणा कर लेगा। बर्संटाइन ने मार्क्स के इस विचार को स्वनिल बताया और कहा कि मार्क्स की घारणा यथार्थ से दूर थी। उसका यह विश्वास गलत था कि पूँजीवादी समाज का अन्त निकट आ रहा था और यह उस अन्तिम सकट के चरम बिन्दु पर था जिसके परिणामस्वरूप अमिक वर्ग को शक्ति प्राप्त हो जानी थी। मार्क्स द्वारा ऐसे विचारों को प्रकट करना अनितरूप तथा स्वप्नलोकीय था।

बर्संटाइन ने आरोप लगाया कि मार्क्स के स्वप्नलोकीय विचारों का ही यह दृष्टिरिणाम था कि जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में निष्क्रियता व्याप्त हो गई थी। इस पार्टी ने क्रान्ति से पूर्व कोई भी रचनात्मक कार्य करना आवश्यक नहीं समझा। चूंकि बर्संटाइन को मार्क्स द्वारा कथित त्रान्ति के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे, अत उसने यह तर्कसंगत शका प्रस्तुत की कि वया अमिको के लिए यह उचित है कि उन सुधारों के लिए कोई प्रयत्न करें जो पूँजीवादी राज्य में पूँजीवादी दोष के अन्तर्गत भी प्राप्त हो सकते हैं, और वया उनके लिए यह उचित है कि वे इन सुधारों का पाने के लिए प्रयत्नशील होने की अपेक्षा प्रत्याशित क्रान्ति की प्रतीक्षा करते रहे। बर्संटाइन ने कहा कि त्रान्ति की अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करना अमिको के हितों के दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं है और उचित मार्ग यही है कि पूँजीवाद के दिनांक की प्रतीक्षा में बैठन रहकर अमिक पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकतम सुविधाएँ प्राप्त करने को संचेष्ट हो। बर्संटाइन के ये विचार डेमोक्रेटिक पार्टी के सिद्धान्तों से मेल नहीं लाते थे।

1. Laidler A History of Social Thought, p. 295.

बर्संटाइन ने अनुभव किया कि माक्स की भविष्यवाणी के विपरीत वर्ग-संघर्ष में कमी होने के कारण कान्ति की सम्भावना निरन्तर धट्टी जा रही थी। समाज दो उत्कट परस्पर विदेशी वर्गों में विभक्त नहीं हो रहा था। अमिक स्वयं किसी एक गठित वर्ग में आवद्ध नहीं थे, उनका विभाजन कुशल, अकुशल आदि अनेक वर्गों में हो रहा था। बर्संटाइन ने कहा कि सामाजिक धन की भारी वृद्धि ने बड़े पूँजीपतियों की सूखा में वृद्धि हुई थी। पूँजी का केन्द्रीकरण कुछ ही हाथों में होने से मध्यमवर्गीय और छोटे व्यवसायों का लोप नहीं हो रहा था और अमिकों की दशा गिरने के बजाय सुधर रही थी। ज्यो-ज्यो राज्य का लोकतान्त्रिक स्वरूप उन्नत हो रहा था, अमिक वर्ग की राजनीतिक कान्ति द्वारा समाजवाद के ग्राने की सम्भावना कम होती जा रही थी।<sup>1</sup> बर्संटाइन के शब्दों में, “कारखानों के बारे में अधिनियम, स्वानीय शासन का जनतन्त्रीकरण, उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार, वैधानिक प्रतिवन्धों से टैक यूनियनों और सहयोगी व्यापारी-सम्पाद्यों की मुक्ति, सावंजनिक सेवाप्रो द्वारा कार्य के एक निश्चित स्तर का विचार—ऐ समस्त विचारधाराएँ विकास की विशेषताएँ हैं। वर्तमान राष्ट्रों का राजनीतिक सम्बन्ध जितना अधिक जनतंत्रीय हाता है उतनी ही अधिक राजनीतिक सकट की आवश्यकताएँ तथा अवसर कम होते हैं।” बर्संटाइन इम परिणाम पर पहुँचा कि एक “समाजवादी का कार्य अमिक वर्ग को राजनीतिक रूप से समर्थित करना और उन्हें एक लोकतन्त्र में विकसित करना तथा राज्य से उन समस्त सुधारों के लिए लड़ना है जिनसे अमिक वर्ग ऊँचा उठ सकता है और राज्य को लोकतन्त्र की दिशा में मोड़ा जा सकता है।” स्पष्ट बर्संटाइन के मतानुसार पूँजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन भाने-भाने ही हो सकता है। स्थायी सफलता के लिए आवश्यकता यह है कि कान्तिकारी परिवर्तन के बजाय धीरे-धीरे किन्तु निश्चित विकास की ओर अप्रसर हुआ जाए। समाजवाद की स्थापना वर्ग-संघर्ष के परिणामस्वरूप नहीं होगी, बल्कि क्रमिक सुधारों द्वारा होगी। अमिकों को चाहिए कि वे अपने राजनीतिक ग्राफिकारों के लिए जोर दें। अमिक को ग्रामों और नगरों में अपने वर्गीय हितों के लिए राजनीतिक संघर्ष करना चाहिए और अपने औद्योगिक सम्बन्ध के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

बर्संटाइन के इन विचारों से स्पष्ट है कि वह समाजवाद और प्रजातन्त्र को परस्पर-विरोधी नहीं मानता था। उसके लिए दोनों एक दूसरे के पूरक थे। बर्संटाइन के ही शब्दों में, “जिना कुछ प्रजातान्त्रिक परम्पराओं और सम्पाद्यों के बास्तव में आज का समाजवादी सिद्धान्त सम्बद्ध नहीं होगा। अमिक आनंदोलन अवश्य होगा, पर सामाजिक प्रजातन्त्र नहो। आधुनिक समाजवादी आनंदोलन तथा उनकी संद्वान्तिक व्याख्याएँ वस्तुत महान् फौसीसी कान्ति एवं औचित्य की इन भावनाओं वा प्रतिफल हैं जिसे अमिक आनंदोलन सामान्यतया स्वीकार कर लिया गया है। प्रजातन्त्र और

## II आधीनीति राजनीतिक चिन्तन

समाजवाद में परस्पर अन्तविरोध मानना आमक है। इतान्त्र तो समाजवाद की गति है, वह समाजवाद का केवल साधन ही नहीं उसका सार भी है।<sup>12</sup>

बर्संटाइन को मार्क्स के इतिहास की एक युग से दूसरे युग पर शाक्तिमक छलांग की घारणा में कौई विश्वास न था। फैवियरों के विचार भी ऐसे ही थे।

बर्संटाइन ने मार्क्स की इतिहास की आधिक व्याख्या को भी अपने आकर्षण का निशाना बनाया। उसने कहा कि इतिहास के निष्ठारण में केवल आधिक तत्त्व ही सद कुछ नहीं है। उसने मार्क्स के इस सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या की और उसमें भविष्य के परिवर्तनों के निष्ठारण में विचारधारा-सम्बन्धी और नैनिक जैसे, अर्थोंतर कारकों को भी ध्यान में रखा। यद्यपि मार्क्स और ऐंजिल्स दोनों ने इनकी सत्ता स्वीकार की थी, तथापि उन्होंने इनको गोल रूप दिया था, जबकि बर्संटाइन के अनुसार स्वतन्त्र किया के लिए इनका प्रमुख रूप है। अपने ग्रन्थ 'विवासवादी समाजवाद' (Evolutionary Socialism) में उसने लिखा कि—“आधुनिक समाज प्रारम्भिक समाजों के आदर्शों से कहीं अधिक उन्नत है। ये आदर्श केवल आधिक तत्त्वों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इन आदर्शों के द्योत में विज्ञान, कला तथा ग्रन्थ सामाजिक सम्बन्धों का समावेश है। ये विभिन्न तत्त्व आज आधिक तत्त्वों पर इतने आधारित नहीं हैं जितने प्राचीन काल में थे। आधुनिक आदर्शों का, विशेषकर नैनिक आदर्शों का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, वे केवल आधिक तत्त्वों पर आधारित नहीं हैं।”

बर्संटाइन ने इस बात पर बल दिया कि सम्यता के विकास के साथ-साथ मानव की आधिक शक्तियों के निर्देशन की शक्ति बढ़नी जाती है तथा प्राकृतिक आधिक शक्ति मनुष्य की सेविका बन जाती है। आधिक परिवर्तन की दृष्टि से भमाज को पूर्वपिका अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है। स्पष्ट है कि बर्संटाइन का यह विचार मार्क्सवाद के मूल पर प्रहार करता है वयोंकि यह ऐतिहासिक विकास में आवश्यकता के नियम से इकार करता है। बर्संटाइन की मान्यता है कि व्यक्तिगत हित के विशद्ध सामान्य हित अधिक प्रबल होता जा रहा है, जिसके पलस्वरूप 'आधिक शक्तियों का प्रारम्भिक नियम' खण्डित होता जा रहा है। उसके स्वयं के शब्दों में, “व्यावसायिक व आधिक विकास तथा ग्रन्थ सामाजिक प्रवृत्तियों के विकास में कारण और कार्यों की ग्रन्थान्याधितना निरन्तर रूप से बढ़ती जा रही है जिसके कारण आधिक शक्तियों के प्रारम्भिक नियम के उण्युक्त रूप को निर्धारित करने की शक्ति बहुत कम होती जा रही है।”

बर्संटाइन ने मार्क्स के मूल्य-सिद्धान्त का भी खण्डन किया। इस सम्बन्ध में बर्संटाइन के विचारों को स्पष्ट करते हुए प्रो कोकर ने लिखा है कि—

“मार्क्स के मूल्य-सिद्धान्त का खण्डन करते समय बर्संटाइन ने उस भान्ति की ओर संकेत किया जो 'कैपिटल' ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में मार्क्स के मत परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। 'कैपिटल' के इस खण्ड में बाजार-मूल्य '(Market

Value) को उत्पादन की सागत के बराबर माना गया है जिसमें औसत मुनाफा भी सम्मिलित है, किन्तु पहले के खण्डों में विनिमय-मूल्य (Exchange Value) केवल उसी को माना गया है जो उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। तीसरे खण्ड में यह विचार केवल इस रूप में मिलता है कि समस्त पक्षों का सामाजिक मूल्य उस समस्त श्रम-काल के बराबर है जो उसके उत्पादन में लगा है और पूर्ण उत्पादन पूर्ण मजदूरी से जितना अधिक है वह पूर्ण सामाजिक बढ़ोतरी (Surplus) है जो अभिको द्वारा उत्पन्न की गई है परन्तु जो उनसे अन्यायपूर्वक छीन ली गई है। बर्टाइन का यह विचार या कि श्रम निर्मित मूल्य के किसी भी सिद्धान्त के आधार पर हम वितरण के लिए कोई उपयुक्त प्रणाली स्थापित नहीं कर सकते। मूल्य-सिद्धान्त श्रम के उत्पादन के विभाजन में व्याय या अन्याय का निर्णय के लिए कोई आदर्श स्थापित करने में उतना ही असफल है जितना किसी मूर्ति की सुन्दरता या कृष्णता का निर्णय करने के लिए अणु-सिद्धान्त (Atomic Theory)। आज जिन उद्योगों में अतिरिक्त मूल्य (Surplus Value) की दर बहुत अधिक ऊँची है उनमें हमें घेठनम अवस्था बाले मजदूर दिखाइ देते हैं और जिन उद्योगों में अतिरिक्त मूल्य की दर बहुत निम्न है उनमें मजदूर अल्पत हीन अवस्था में है। साम्यवाद या समाजवाद के लिए वैज्ञानिक आधार केवल इस बात से प्राप्त नहीं किया जा सकता कि मजदूर को उसके श्रम का पूर्ण मूल्य प्राप्त नहीं होता। सशोधनवादी सामान्यतया माक्स के मूल्य-सिद्धान्त को अस्वीकार करने में बर्टाइन का अनुसरण कर सकते थे। जहाँ तक कि उस सिद्धान्त में यह माना जाता है कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य केवल मजदूरी के प्रथमों से निर्धारित होता है और जिस अतिरिक्त मूल्य का पूँजीपति शोधण करते हैं उनका निर्धारण केवल उस अतिरिक्त भाग से होता है जो उत्पादन में से मजदूरी देने के बाद बचा रहता है। परन्तु वे इस बात का खण्डन नहीं करते कि अतिरिक्त मूल्य होता है या अतिरिक्त भाग उस बढ़ोतरी से बनता है जो पूँजीपतियों को वस्तुओं की विक्री से प्राप्त धन में से जो धन वे वस्तुओं को मूल्य देने में खर्च करते हैं उसे घटाकर शेयरहीती है। वे इस बात में विश्वास करते थे कि पूँजीपतियों की बढ़ोतरी को बढ़ाने के प्रथमों से पूँजीवाद के स्वाभाविक विकास को जक्ति मिलती है और उससे मजदूरों का शोषण भी होता है!"

बर्टाइन ने माक्स के इस प्रश्न का भी परीक्षण किया कि पूँजी केवल थोड़े से हाथों में केन्द्रित होती चली जाती है। माक्स ने कहा था कि शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब सारी पूँजी बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हाथ में आ जाएगी, थोटे-छोटे पूँजीपति लो बड़े पूँजीपति थपने में समेट लेंगे और इस प्रकार धन्त में पूँजीपति मरण्य मात्रा में शेयर रह जाएंगे। इस तरह पूँजीवाद का थपने ही विकास एवं विधटन के नियमों के अनुसार पतन होकर अनिवार्य रूप से समाजवाद का उदय होगा। बर्टाइन ने माक्स को इस भविष्यद्वारा का खण्डन किया। उसने बहा कि यद्यपि यह सही है कि अपार-सगठन उत्तरोत्तर बहुतर होते जा रहे हैं, पर साथ ही यह

भी तथ्य है कि पूँजीपतियों की सह्या घट नहीं रही है, प्रत्युत् भिन्नित कम्पनियों के उदय होने के कारण उनकी सह्या में दृढ़ि हो रही है। उसने आँकड़े देकर यह सिद्ध कर दिया कि छोटे-छोटे उद्योग-बन्धे विलीन नहीं हो रहे थे, बल्कि “सगड़न द्वारा छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों में केन्द्रीकरण होने के कारण सम्पत्ति का स्वामित्व केन्द्रीभूत होने के स्थान पर विस्तृत हो रहा था और इस तरह पूँजी के स्वामियों की सह्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी।” बसंटाइन ने आँकड़ों के आधार पर यह भी बताया कि मध्यम-वर्ग और मजदूर वर्ग द्वारा वस्तुप्रो का उपयोग बढ़ रहा था। पूर्ण उत्पादन में दृढ़ि होने से प्रति व्यक्ति की सम्पत्ति में दृढ़ि हो रही थी और इस तरह “मजदूरों के सकटों तथा दुखों में भी निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों दृष्टियों से कमी होती जा रही थी। साथ ही बाजार के विस्तार और ऋण प्रणाली में सुधार के कारण व्यापारिक सकट कम और कम गम्भीर होते जा रहे थे तथा सावंभीम और धातक सकटों की सन्भावना घटती जा रही थी।” मार्क्स के इस विचार पर कि जनता में उपभोक्ता की कमी के कारण सकट उत्पन्न होते हैं क्योंकि दरिद्रता के कारण जनता की उपभोग-शक्ति कम हो जाती है तथा मार्क्स के इस विचार पर कि धार्थिक सकट भविक भयकर होने चले जाएंगे और अन्त में पूँजीवादी प्रथा का अन्त हो जाएगा, बसंटाइन ने सत्य का केवल नगर्ण्य आभास स्वीकार किया। उसने कहा कि—

“सत्य केवल दृतना ही है कि वर्तमान समाज में उत्पादन क्षमता जो शक्ति से उत्पन्न होती है, वास्तविक मीरों की अपेक्षा कम है। करोड़ों मनुष्यों को पर्याप्त मात्रा में मकान, कपड़ा तथा भोजन प्राप्त नहीं होता, यद्यपि इन समस्त वस्तुओं के लिए बहुत से साधन उपलब्ध हैं। इन कारणों से विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा हुआ मालूम होता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ वस्तुएं उपभाग की आवश्यकता से अधिक मात्रा में नहीं होती परन्तु क्य की मात्रा से अधिक अवश्य होती है। इसके कारण अधिकों के रोजगार में बहुत अनिश्चितता रहती है और उनकी स्थिति बहुत अधिक असुरक्षित हो जाती है। अधिकों को कारखानों के मालिकों की दया पर निपत्र रहना पड़ता है।” बसंटाइन ने कहा कि “इन सकटों को केवल नारो (Slogans) से नहीं टाला जा सकता बरन् हमें उन अधिक स्थितियों पर विचार कर उसको समाज में लाना चाहिए जिससे ऐसे सकट कम हो जाएं।”

मार्क्स ने अधिकों के अधिनायकवाद की स्थापना की बात कही थी, किन्तु बसंटाइन ने अपने प्रथ्य ‘Evolutionary Socialism’ में समाजवाद और लोकतंत्र वे पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा करते हुए मार्क्स का विस्तार से खण्डन किया क्योंकि यह जनतान्विक सिद्धान्तों के विपर्द है। बसंटाइन के घनुसार जनतन्त्र का अर्थ है सब के लिए समान व्याय और वर्ग शासन का अभाव। हिसात्मक त्रान्ति के बजाय वयस्क यताधिकार के द्वारा भी समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। जनतन्त्रीय पद्धन से हमाज में परिवर्तन घोटेन्हीरे तो होता है, परन्तु वह सफलता का निश्चित साधन है। बसंटाइन ने स्पष्टत बताया कि किसी भी बहुसंख्यक वर्ग को जाह वह पूँजीपतियों

का हो प्रथवा मजदूरों का, अल्पसंख्यकों को कुचलने का अधिकार नहीं है। मजदूर-वर्ग का पूँजीपति-वर्ग को नष्ट कर देना भी उतना ही गलत होगा जितना पूँजीपति-वर्ग द्वारा मजदूर-वर्ग का शोषण होना। जनतन्त्र का अर्थ वर्ग-शासन को समाप्त करना है, एक वर्ग के स्थान पर दूसरे वर्ग का शासन स्थापित करना नहीं।

बर्संटाइन ने माक्स की इस धारणा को निरर्थक बताया कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। उसने कहा कि यह धारणा सन् 1840 के लगभग कुछ हद तक सही ही सकती थी क्योंकि उस समय अमिक वर्ग मत देने के अधिकार से बचित था और वह राजनीति में सक्रिय भाग नहीं ले सकता था, लेकिन अब जबकि अमिक वर्ग का मताधिकार प्राप्त हो गया है, यह धारणा ग्रांडिक रूप में असत्य सिद्ध हो गई है और भविष्य में जबकि अमिक राजनीति में पूर्णत भाग लेने लगेंगे, तब यह धारणा पूर्णत असत्य सिद्ध हो जाएगी।

बर्संटाइन ने मजदूरों और पूँजीपतियों दोनों को राष्ट्र की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहने का आह्वान किया क्योंकि राष्ट्र को क्षति पहुँचाने वाली परिस्थितियों से दोनों को हानि होगी। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मजदूरों का भी उतना ही है जितना पूँजीपतियों का।

### जीन जोरेस (Jean Jaurès)

जीन जोरेस बिनाय मेलन (Benoit Malon) फौस में संशोधनवादी आन्दोलन के सर्वोत्तम प्रवक्ता थे। बर्संटाइन की भौति ही जोरेस ने भी माक्सवादी भविष्यवाणी को स्वीकार किया। उसने माक्स की इस कठूर धारणा का खण्डन किया कि पूँजीवाद का अन्त तिकट आ रहा है और बर्संटाइन से सहमति प्रकट करते हुए कहा कि जिस समय माक्स ने भविष्यवाणी की थी तभी से मजदूर-वर्ग की दशा ग्रांडिक दूषित से गिरने के बजाय उन्नत होती जा रही थी और वे माक्स के कथनानुसार अधिकाधिक सकटग्रस्त नहीं हो रहे थे। जोरेस ने कहा कि आर्थिक सकट यद्यपि पूँजीवादी व्यवस्था की अव्यवस्था के प्रमाण हैं, तथापि वे इस व्यवस्था का अन्त करके किसी अन्य प्रणाली को जन्म नहीं दे सकते तथा मजदूरों के बिलकुल निर्धन हो जाने से पूँजीपतियों को हटाकर उनका स्थान ग्रहण करने की उनकी क्षमता में दृढ़ि होने के स्थान पर हास ही होगा। जोरेस मजदूर-वर्ग की राजनीतिक क्रान्ति सम्बन्धी विश्वास का खण्डन करता था। उसकी धारणा थी कि समाजवादी व्यवस्था का जन्म मजदूर-वर्ग को सचेत और जागरूक बनाने से होगा, पूँजीवाद के पतन से नहीं। बर्संटाइन की भौति उसका भी यह कहना था कि समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति बत्तमान दायरा का एक साक्षन के रूप में प्रयोग करके की जानी चाहिए तथा समाजवादी आन्दोलन को लोकतंत्रीय आन्दोलन का एक अग समझा जाना चाहिए।

पुनर्विचारवादी अथवा संशोधनवादी माक्सवाद के सिद्धान्तों का खण्डन करते थे, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि माक्सवाद में उनकी कोई आस्था नहीं थी। वस्तुत वे सच्चाई के साथ माक्स के कुछ माधारमूल आर्थिक एवं विकासात्मक सिद्धान्तों को मानते थे। उनका कहना था कि पूँजीवादी समाज अस्थान्ति निर्देशता

से मजदूरों के एक विशाल बहुमत का शोषण करता है और मूल्यों के उत्पादन में मजदूरों का चितना धोग होता है उससे वह उन्हे सदा कम देता है। अत्य वेतनभोगी बहुसंख्यक जनता की क्रय-शक्ति से भविक उत्पन्न कर पूँजीवादी समाज स्वयं आपनी जड़े सोड रहा है। इन अवस्थाओं में वर्ग संघर्ष से बचने के लिए यह सम्भव है कि कुछ अवस्थाओं में दलित वर्ग द्वारा हिसात्मक विद्रोह ही एकमात्र उपाय रह जाए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि "यद्यपि प्रवृत्ति पूँजीपतियों की सत्त्वा तथा मजदूरों के वास्तविक वेतन में वृद्धि की ओर रही है, तथापि अस्तित्व स्वामित्व की प्रणाली में अधिकांश मजदूरों के लिए उन मुदिधाओं और सुखों को प्राप्त करना सम्भव नहीं जो अत्यस्त्वक पूँजीपतियों को प्राप्त हैं। मजदूर-वर्ग की आर्थिक दशा में सुधार से मजदूरों को आपने पूँजी अधिकार प्राप्त करने की इच्छा एवं इसके लिए कान्तिकारी उपायों द्वारा अद्यवा शान्तिमय साधनों द्वारा सफलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता में कमी के स्थान पर वृद्धि होती है।"

स्पष्ट है कि सशोधनवादियों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि आर्थिक विवर्भताओं से समाजवाद का भीचित्य सिद्ध होता है। उन्होंने इस घर्ष में समाजवाद की वर्गीय विशेषता को भी स्वीकार किया कि समाजवाद वह आन्दोलन है जो न केवल मजदूरों के आवश्यक अधिकारों को प्राप्त करने और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक दशा के मुधार के प्रयत्नशील है, बल्कि जो मजदूरों को उनका स्वाभाविक स्थान भी प्रदान करता है। बसंटाइन ने यह स्पष्ट बहा कि इस बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार एवं मजदूरों का अधिकार होना ही चाहिए। सबैहारा वर्ग के समाजवादी दल का निर्माण लोकतन्त्र की ओर पहला प्रनिवार्य कदम है। बसंटाइन ने यह स्वीकार किया कि जहाँ राजनीतिक प्रजातन्त्र का अस्तित्व न हो और पूँजीपतियों के हाथ में भूरुण नियन्त्रण हो, वहाँ कान्ति ही एकमात्र ऐसा उपाय हो सकता है जिसके द्वारा पूँजीविहीन विशाल जनता राजनीतिक सत्ता पर अधिकार स्थापित कर सके। जोरेस ने साधारण समाजवादी आन्दोलन में सामान्य हड्डताल (General Strike) को एक साधन के रूप में स्वीकार किया और यह माना कि जब निर्दयी पूँजीवादी सत्ता सुधारों को बाहर-बाहर टालती रहे तो अमिको के हाथों में हिसात्मक सामान्य हड्डताल ही एकमात्र आक्षिशाली हृषियार होगा। वास्तव में सच्चाई यह है कि अधिकांश सशोधनवादी कान्तिवादी और सुधारवादी दोनों होने का दावा करते थे। यदि जोरेस ने हिसात्मक सामान्य हड्डताल को अन्तिम अपरिहाय उपाय माना था तो बसंटाइन ने कान्ति करने के अधिकार को ऐसे अधिकार के सामान्य घर्ष के रूप में स्वीकार किया था जो कानून द्वारा थीना नहीं जा सकता और सुधार के मार्ग पर अपसर होने पर जिसकी उत्ती ही आवश्यकता रह जाएगी जितनी आत्म रक्षा के अधिकार की उस समय रह जाती है जब स्वयं आपने साम्बूद्धिक तथा व्यक्तिगत विवादों का नियमन करने के लिए नियम बनाते हैं।

## कार्ल कॉट्स्की

(Karl Kautsky, 1854-1938)

सन् 1895 में ऐंजित्स की मृत्यु के बाद कार्ल कॉट्स्की प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप उन्म्यन परिवर्तनों टक मार्क्सवादी समाज का अग्रणी बिचारक था। वह जर्मन समाजवादी-प्रब्रातांत्रिक दल (German Social-Democratic Party) के कान्तिवादी पक्ष का संदानिक नेता था जिसने अनेक शैतानी और निवन्धों की रचना की। सन् 1885 में उसने प्रमुख जर्मन समाजवादी माहिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया और सन् 1916 तक वह उसका सम्पादक रहा।<sup>1</sup>

कॉट्स्की की उख्द ही जर्मनी के फौज मेहरिंग, विनियम लाइब्रेरी, रूडाल्फ हिल्फर्डिंग और रोजा लक्जेरमबुर्ग, कॉस का जुल्स ग्वेस्टे, इम्परियल का हाइडमैन, रूस का जार्ज एलेख्नोव तथा सुयुक्तराज्य अमेरिका का देनियल दि लियो आदि महानुभाव भी मार्क्सवाद के प्रामाणिक व्याख्याकार हुए। “इन कान्तिवादी समाजवादियों में से कुछ को मार्क्स के मूल्य सिद्धान्त के ग्रौचित्य में सन्देह था और उनका विचार था कि यह सिद्धान्त समाजवादी सिद्धान्त का मुख्य अग नहीं था, किन्तु वे सामाजिक यात्यान्तर की भौतिकतावादी व्याख्या को पूर्णतया स्वीकार करते थे और एडवर्ड बर्चेटाइन को ग्रालोचना के विपरीत पूँजीवादी विकास के भविष्य के सध्वन्ध में मार्क्स की भविष्यवाणियों का समर्दन करते थे। यह सत्य है कि कॉट्स्की (Kautsky) ने उन प्रमाणों का स्वीकार किया जो बसंटाइन ने यह पिछ करन के लिए प्रस्तुत किए थे कि जिस समय कार्ल मार्क्स न भाविष्यवाणी की थी उस समय से प्रमुख श्रीदोषिक देशों के मजदूरों की आधिक अवस्था में विगोड़ वी प्रपेक्षा उत्तरोत्तर सुधार हुआ है और वे पूर्वप्रेक्षा अच्छी दशा म हैं, किन्तु इसके साथ ही उसने (Kautsky) यह भी कहा कि मार्क्स की भविष्यवाणी रूस तथा इटली जैसे श्रीदोषिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रदेशों और बहुकान प्रदेश के मजदूरों की शोकनीय स्थिति, सम्य देशों में हितयों तथा बालकों की नौकरी की अवस्था तथा सर्वव भशीना की कायकुशलता के कारण अमिको के शम की बढ़ती हुई बंचित्यहीनता की दृष्टि से सत्य सिद्ध हुई है। कॉट्स्की का कथन या कि यदि मजदूरों की अवस्था पर व्यापक रूप से तथा दापेश दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रवृट होगा कि उनकी स्थिति पहले से अधिक दयनीय होती जा रही है।” इस प्रकार कॉट्स्की जैसे कान्तिवादी समाजवादी यह मानते थे कि ग्राधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता अब भी वही है जो वर्गों में सामज्ज्वल्य स्थापित करने के बावजूद उन्हें पृथक् करती है। देनियल दि लियो का कथन था कि वर्गों की सापेक्ष स्थिति में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन, सुधार द्वारा या बाह्य परिवर्तन द्वारा न होकर आन्तरिक परिवर्तन या कान्ति द्वारा होना चाहिए, नाहे वह कान्ति शान्तिपूर्ण हो या रक्तपातपूर्ण। जहाँ तक इस समस्या के तार से नम्बन्ध है शान्तिपूर्णता या रक्तपातपूर्णता का विचार

निर्वर्षक है। कॉट्स्की ने स्पष्ट किया कि पूर्जीवादियों तथा मजदूरों के हितों में सामृज्यस्थ नहीं हो सकता और प्रवृत्ति वर्ग-मेड के तीव्रतर होने की ओर है। सधर्य के आधिक धेन से राजनीतिक धेन में पहुँच जाने के कारण वह समस्त आशा बिनष्ट हो गई है कि वर्तमान समाज पूर्जीवादी समाज से शनै-शनै प्रजातान्त्रिक या सर्वहरा समाज में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार एक समाजवादी दल को सदा अपूर्जीवी वर्ग का कान्तिकारी संगठन होना चाहिए।

समाजवादी प्रजातान्त्रिक दल का स्थान जर्मनी के राजनीतिक जीवन में विलियम द्वितीय के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस दल ने जर्मन संसद 'राइश्टाग' (Reichstag) में प्रमुख विरोधी दल का स्थान प्राप्त किया और सामाजिक सुधार की निरन्तर माँग करता रहा। इस दल के कान्तिवादी पक्ष के संदानिक नेता कॉट्स्की ने कान्तिकारी नीति द्वारा शासन-परिवर्तन की माँग की। भेहरिंग, कॉट्स्की, रोजा लक्जेमवर्ग आदि नेता जर्मनी में गणतन्त्र को स्थापना करना चाहते थे तथा जर्मनी की तत्कालीन सधारणी और साम्राज्यवादी नीति के विरोधी थे। विलियम के सर ने समाजवाद के प्रभाव को रोकने की चेष्टा की, किन्तु उसके अन्ती समाजवादियों के विरुद्ध दमनकारी कानून पारित कराने में सफल नहीं हो सके और सन् 1914 में प्रथम महायुद्ध का विस्फोट हो जाने से समाजवाद तथा शासन के बीच संघर्ष टल गया।

कॉट्स्की ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्जीवादियों और अमिको के हितों में सामृज्यस्थ नहीं हो सकता—“वर्युद की भूमि पर हम भ्रजेय हैं और यदि हम उस भूमि को त्याग देंगे तो हम कहीं के न रहेंगे, क्योंकि हम फिर समाजवादी नहीं कहला सकते। हमें भ्रपने जानुप्री पर समझौता करने के बाय विजय प्राप्त कर सकता पर अधिकार करना चाहिए।” पर यह उल्लेखनीय है कि कान्तिकारी मार्क्सवादियों के इस प्रकार के कथनों का आशय यह नहीं था कि समाजवादी संघर्ष विद्रोह करते रहेंगे। साधारणतया वे यह भी नहीं भानते थे कि कान्ति का प्रयोग वर्तमान या निकट भविष्य में सफलता की आशा से किया जा सकता है। इसी कारण सन् 1880 के बाद के दशक में जर्मन समाजवादी जनता में बढ़ती जा रही हिसात्मक भावना का दबन करने के लिए कान्तिवादी ऐंजिल्स ने सुधारवादी-समाजवादी वर्स्टाइन के साथ सहयोग किया।

कान्तिकारी और सुधारवादी समाजवादियों में विवाद मुरुगत संसद में काम करने के ढंग पर रहा। समाजवादी संसद में गैर-समाजवादियों द्वारा मजदूरों के हित में प्रस्तुत किए गए विधेयकों का समर्थन करें या न करें, पूर्जीवादी व्यवस्था के समर्थकों द्वारा नियन्त्रित शासन के अधीन सार्वजनिक स्वामित्व के विस्तार के कार्यक्रम में सहयोग दें या न दें, समाजवादी लोग असमाजवादी मन्त्रिशण्डल में पद-प्रहरण करें या न करें, मुद्द धारणम होने पर जिसमें पूर्जीवादियों द्वारा नियन्त्रित राज्य का राष्ट्रीय ग्रस्तित्व सकट में हो समाजवादी लोग सर्वहरा संगठन के सर्वेच्छ दायित्वों को स्वीकार कर मुद्द में भाग लेने से इंकार करदें या राज्य की रक्षा का कर्तव्य स्वीकार कर सेना में भर्ती हो जाएं, आदि व्यावहारिक प्रश्नों पर दोनों पक्षों में तीव्र

नमेद थे। इन मतभेदों पर कोकर ने सुध्यवस्ति रूप में प्रकाश ढाला है और उनके इस वर्णन से कार्ल कॉट्स्की के विचारों का स्पष्टीकरण होता है।

कान्तिवादी समाजवादी प्रदृति तात्कालिक सूधारों की निन्दा करने और वह भास्मलों में उन्हे समाजवाद के लिए धातक समझने की थी तथा वह उनका महत्व योग्य समझती थी। उसने साम्यवादी घोषणा-पत्र में उल्लिखित नीति को और निर्देश किया कि मजदूरों में सुधार तथा पूँजीपतियों के दमन के लिए उसी समय कार्य करना चाहिए जब सर्वहारावर्ग ने राजनीतिक सत्ता हस्तगत बरती हो। कॉट्स्की का विचार या पूँजीपतियों द्वारा मजदूरों को दिए गए किसी भी सुधार की ओर द्वारा हस्त होना चाहिए, इसका निर्णय यह देखकर होना चाहिए कि समाजवाद के मौलिक कार्यक्रम पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए समाजवादियों को मजदूर-सम्बन्धी कानूनों का समर्थन वहीं तक करना चाहिए जहाँ तक कि उससे मजदूरों को न केवल "भौतिक या शारीरिक" सुख सुविधा ही मिलती हो बरन् पूँजीपतियों के मुकाबले में उसकी अवस्था में भी सुधार होना हो और वह सुधार समाजवादी जोरेस की ओर निन्दा की जिसने सरखार की वृद्धावस्था-पेशन की योजना का समर्थन किया था क्योंकि पेशन 6 फॅट का निर्माण मजदूरों से अनिवार्य रूप में लिए जाने वाले चन्दे से होता था। कान्तिवादी समाजवादी सामान्यतया इस बात पर जोर देते थे कि असमाजवादी समाज में जो सुधार हों उन्हें समाजवाद की किश्तें कभी नहीं समझना चाहिए। असमाजवादी समाज में उच्चोगों पर बढ़ते हुए राजकीय नियन्त्रण के साथ-साथ शासन पर पूँजीपतियों के नियन्त्रण की वृद्धि भी होती है। ऐसी अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं उनसे मजदूरों के लाभ के भनुशत में वृद्धि नहीं होती। इसके अतिरिक्त वर्तमान व्यवस्था में सुधार हो जाने से वर्त-संघर्ष शिथिल पड़ जाता है और मजदूरों का कान्ति की बाह्यतीयना और सफलता से विश्वास भी क्षीण हो जाता है।

यह सहयोग की भाँवना राज्य-समाजवाद के प्रसरण में कई बार स्पष्ट हो रही थी। कान्तिवादी समाजवादियों का विचार तो यह था कि शासन पर अधिकार स्वयं समाजवाद नहीं है और वह उस दिशा में सम्भवत एक कदम भी नहीं हो सकता। मजदूरों का मन्त्रों तथा कच्चे मान के साथ जो सम्बन्ध है, समाजवाद उसमें आधारमूल परिवर्तन कर देता है। अक्तिगत स्वामित्व से राज्य-स्वामित्व की दिला में परिवर्तन से वह परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि स्वयं राज्य में ही मौलिक परिवर्तन न हो जाए। कॉट्स्की का कथन था कि "आधुनिक राज्य के आधिक कार्यों से ही स्वाभाविक रूप से उस विकास का आरम्भ होता है जो सहकारी सार्वजनिक कल्याणकारी समाज को और अप्रसर करता है। किन्तु इसका यह तात्पर्य कहापि नहीं है कि किसी उच्चोग या आधिक कार्य का राष्ट्रीयकरण इस प्रकार के सहकारी सार्वजनिक कल्याणकारी समाज की ओर एक कदम है और राज्य के सामान्य शास्त्रीयकरण द्वारा ही ऐसे समाज की स्थापना हो सकती है।"

सहानुभूतपूरण समाजवादियों के साथ समाजवादियों के सामान्य राजनीतिक सहयोग के सम्बन्ध में कान्तिवादी समाजवादियों का विवार या कि किसी विशेष सुधार या कानून के पक्ष में मत देना समाजवादियों के लिए कितना ही उपयुक्त या आवश्यक क्यों न हो, उन्हें प्रसमाजवादी मन्त्रिमण्डल में पद पहुंच करापि नहीं करना चाहिए तथा किसी विशेष सकटकाल को छोड़कर उन्हें कार्यिक बजट भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब सन् 1899 में फ्रैंस में जोरेस ने यह प्रस्ताव किया कि समाजवादियों को बाल्डेक-स्सो के प्रगतिशील मन्त्रिमण्डल में एलेक्जेंडर मिलरी के, जो भी जवादी या, समिलित होने पर ग्रपनी स्वीकृति दे देनी चाहए तो खेस्टे ने कहा कि इस प्रकार के कार्य का अर्थ होगा वर्गमुद्द का बिल तूल परित्याग कर देना। खेस्टे ने इस प्रश्न को द्वितीय भग्नतराष्ट्रीय कांग्रेस के समझ प्रस्तुत किया और अन् 1900 की कांग्रेस ने कॉट्स्की द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसका सारांश यह था कि "समाजवादियों का पूँजीवादी मन्त्रिमण्डल में पद-प्राप्ति करना एक 'खतरनाक प्रयोग' है। यह प्रयोग उसी समय किया जाना चाहिए जब सम्मूर्ण समाजवादी दल इससे सहमत हो और यह स्वीकार किया जाए कि समाजवादी मन्त्री ग्रपने दल का प्रतिनिधि है और दल रहेगा।"

समाजवादियों के लिए एक नीति के रूप में सशोधनवाद (Revisionalism)

- की निन्दा के बावजूद कान्तिवादी समाजवादियों ने उदारपर्यामन्त्रिमण्डलों द्वारा मजदूरों के सुधारों और सार्वजनिक स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रस्तुत विधेयों पर अत देने वाले समाजवादियों के कार्य का समर्थन किया। उनका कहना था कि इस प्रकार के कानूनों से समाजवादी व्यवस्था की नीव की इंटे विवर जाती हैं और उस व्यवस्था का समर्थन करने वाले प्रतिक्रियादादी समुदाय निवल होते हैं। ऐसे मामलों में, उनके विचारानुसार, समाजवादी सहयोग कान्तिवादी सिद्धान्त के अनुकूल था। अनुदार जमन सरकार ने जो सुधार कानून पारित किए, उनमें से बहुत के समर्थन को कॉट्स्की (Kautsky) ने प्रसन्न किया। उसने कहा कि, "दूसरे राजनीतिक दलों से समाजवादी मेल की भिन्नता उसकी समस्त व्यावहारिक मौगि में तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों में है।" उदाहरणार्थ मजदूरों के लिए आठ घण्टे के दिन की मौगि तथा कोई कान्तिकारी मौगि नहीं है, किन्तु समाजवादी कार्यक्रम के अन्तर्गत यह वही तक कान्तिकारी मौगि है जहाँ तक वह मजदूर बर्ग को ऊंचा उठाने का, उसकी राजनीतिक एवं प्रार्थिक परिपक्वता की प्राप्ति में सहायता देने का तथा मुक्ति एवं पुनर्निर्माण के कार्य को ग्रपने हाथों में लेने की शक्ति का एक साधन है। यही आठ घण्टे की मौगि सामाजिक सुधारावादी दल के कार्यक्रम में अनुदार मौगि हो सकती है जो संदेव इस भ्रान्ति से रहता है कि इस प्रकार की सुविधाएँ देकर वह मजदूर बर्ग तथा बर्तमान व्यवस्था में सामर्ज्जस्य स्थापित कर सकता है। जब राजनीतिक दलों को महान् ऐतिहासिक कार्य करने पड़ते हैं, तब उन्हें जो तत्त्व समर्थित रखते हैं, वे उनके अन्तिम लक्ष्य ही हैं, उनकी सामरिक मौगि नहीं।

“कान्तिवादी (सिद्धान्त) समाजवादी, सच्चे समाजवादी और प्रजातन्त्रवादियों व उदारवादियों के तीव्र मनभेदों पर जोर देते रहे। उनका मत था कि समाजवाद की प्रगति, अपनी समस्त नियतियों में, प्रजातन्त्र के अधीन एक पूँजीवादी राज्य से समाजवादी राज्य की ओर शनै-शनै क्रमिक रूप में नहीं हो सकती। इस परिवर्तन-प्रक्रिया में किसी न किसी अवस्था में उथल-पुथल किसी न किसी प्रकार का कान्तिकारी कार्य होना चाहिए। प्रजातन्त्र ही पर्याप्त नहीं है और इसके द्वारा ‘शान्तिपूर्ण तथा कान्तिहीन विकास’ सम्भव नहीं है और न यह वर्तमान समाज के विनाश को ही रोक सकता है। किन्तु इन कान्तिवादी विचारों के होते हुए भी, प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व, व्यावहारिक समाजवादी नीति के विकास में प्रचलित प्रबृन्दियां सुधारवादी और जनतन्त्रात्मक थीं। समाजवादी राजनीतिज्ञ वर्तमान राज्य के प्रति अधिक सहिष्णु बनते जा रहे थे और वर्गाधि हितों एवं विभाजनों से भिन्न राष्ट्रीय हितों एवं विभाजनों के प्रति भी अधिक सचेत होते जा रहे थे। समाजवादी दल दूसरे दलों से पृथक् रहते थे जिससे कही उन्हें भी सुधारवादी दलों की कोटि में न समझ लिया जाए। किन्तु वे पूँजीवादी अवस्था के अन्तर्गत परम्परागत उपायों द्वारा प्राप्त तत्कालीन सुधारों में इतने अस्त हो गए थे कि उन्हें कान्तिवादी समाजवादी नहीं कहा जा सकता था। वस्तुत समाजवादी दलों की व्यावहारिक नीतियों के आधारभूत सामान्य सिद्धान्त मार्क्स दर्शन के प्रन्थों में नहीं, दूसरे समाजवादी लेखकों की छतियों में प्राप्त होते हैं जो अपने सामाजिक दर्शन के लिए अधिक व्यापक और विशद् होने का दावा करते थे तथा प्रजातन्त्रवादी, शान्तिप्रिय तथा आंशिक कान्तिकारी उपायों के प्रति अपनी निरन्तर अभिहेचि को नि सकोद स्वीकार करते थे।”

### साम्यवाद (Communism)

लेनिन, स्टालिन, 'स्टालिन के बाद' तथा माओ

(Lenin, Stalin 'After Stalin' and Mao)

फेवियनवादी, समर्पितवादी, अमिक सधवादी, श्रेणी समाजवादी विचारधाराएँ निश्चित रूप से अपने स्वरूप में समाजवादी तो हैं, पर उन्हें भावसंवादी परम्परा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। मार्क्स के प्रलापा इनके और भी प्रेरणा-स्रोत हैं तथा मार्क्स के अनेक मौलिक सिद्धान्तों से इनमें पूर्ण असहमति भी व्यक्त की गई है। एक ऐसे सम्पर्जनात्मी झाझड़ोलन और विकारचारी जैसे निश्चित रूप से मार्क्सवादी कहा जा सके, हमें सोवियत रूस की ओर देखना होगा जहाँ मार्क्स के अनुयायी लेनिन के नेतृत्व में मार्क्सवाद के अनुसरण से उस समाजवादी आन्दोलन का विकास हुया जिसे हम 'साम्यवाद' कहते हैं। कार्त मानसं ने अपने समाजवादी दर्शन और सामाजिक कान्ति के कार्यक्रम को 'साम्यवाद' नाम दिया था और रूस में नए राज्य का उगठन करते समय लेनिन ने इस नाम को स्वीकार कर लिया था। इसी साम्यवाद का संदर्भित कांगोर लेनिन के प्रन्थों तथा साम्यवादी दल के दूसरे

नेताओं वी पुस्तकों में उपलब्ध है जो मार्क्स को अपना आचार्य और 'Communist Manifesto' तथा 'Das Capital' को पवित्र ग्रन्थ मानते हैं। यह श्रेय लेनिन को प्राप्त है कि उसने मार्क्सवाद की कान्तिकारी व्याख्या को अपनी गिक्षाघोष में चरम सीधा तक पहुँचा दिया और उसे पक्के कान्तिकारियों के युद्धप्रिय समठन के लिए सनुकरणीय सिद्धान्त बनाया। इसलिए ग्रे ने लेनिन को मार्क्सवादी धर्म का सरकार कहा है। मार्क्स के लेनिनवादी कान्तिकारी प्रबचन में ट्रॉट्स्की ने भी बहुत सहायता की। लेनिन की मृत्यु और ट्रॉट्स्की के निर्वासन के बाद इस दिशा में स्टालिन ने अपना योग दिया। स्टालिन के जीवन के अन्तिम भाग में आधुनिक साम्यवादी चीन का उदय हुआ जो मार्क्स के नेतृत्व में मार्क्सवाद का चौनी संस्करण स्थापित करने की दिशा में प्रयत्नशील रहा। इस में स्टालिन के बाद श्रावचेष्वादी परम्परा ने एक भोड़ लिया और साम्यवादी दल की कुछ नवीन मान्यदाएँ प्रस्फुटित हुईं। प्रस्फुत अव्याय में इन सभी की समीक्षा की जाएगी।

### लेनिन (Lenin)

आधुनिक इतिहास के महान् और व्यावहारिक कान्तिकारी लेनिन का जन्म 9 अप्रैल, 1870 को रूस के आधुनिक उलियानुवासक नगर म हुआ। लेनिन के पाँच भीर भाई थे तथा सभी ने रूसी कान्ति में भाग लिया। सन् 1891 में पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लेनिन ने बकालत शुरू की। यह धन्धा छोड़ कर सन् 1895 में वह इस से बाहर चला गया और इस में चोरी-द्विये कान्तिकारी साहित्य भेजते वी व्यवस्था करता रहा। उसने इस अपराध के चिए कारावास दण्ड भी भोगा। 3 वर्ष के लिए उसे साइबेरिया में भी निष्कासित किया गया जहाँ उसे अपने समाजवादी विचारों को स्पष्ट तथा अमर्द करने, अनेक विदेशी भाषायों का ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक तैयार करने का सुधार मिला। सन् 1898 में रूस के समाजवादी प्रजातान्त्रिक दल की स्थापना के बाद से दो दशाब्दियों तक वह यूरोपीय देशों में निर्वासित अवस्था में रहा। उसने बोल्शेविकों में सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त किया तथा उनके सिद्धान्तों का निर्माण और रणनीति का निर्देशन किया। अन्त में सन् 1917 में बोल्शेविकों को राजसत्ता प्राप्त करने में भी वही सबसे आगे रहा। सन् 1924 में अपनी मृत्यु तक वह सोवियत शासन की प्रधान निदेशक शक्ति बना रहा। अपने जीवनकाल में उसने विश्व-इतिहास की धारा को मोड़ने में नेपोलियन के बाद किसी भी राजनीतिज्ञ से अधिक कार्य किया।

### लेनिनवाद का मार्क्सवाद से सम्बन्ध (The Relation of Leninism to Marxism)

लेनिन अपनी युवावस्था से ही मार्क्स का अनुपायी बन गया था। सन् 1917 में उसने 'State and Revolution' नामक पुस्तक लिखा। "इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य मार्क्स एवं एंग्लिस की रचनाओं के विस्तृत अवतरणों के माध्यम से यह

प्रकट करता था कि ग्रामोजित कान्ति और उसके उपरान्त स्थापित होने वाला साम्यवादी शासन विलकूल मावर्सं की कल्पना के अनुकूल होगा, यद्यपि वह पवित्रमी समजवादियों की कल्पना से भिन्न होगा। रूस में नई व्यवस्था की स्थापना के बाद कुछ वर्षों तक एक और लेनिन तथा ट्रॉट्स्की और दूसरी और मावर्सं के बाद कट्टर समाजवादियों के मुख्य संदीचित्क कॉट्स्की (Kautsky) के बीच जो लम्हा बाद-विवाद चला, उसमें मुख्य प्रश्न साम्यवादी कार्यक्रम के ग्रामित्य अध्यवा समयानुकूलता का नहीं था, बरन् इस बात का था कि कार्यक्रम मावर्सं के विचारों को कार्यान्वित करने के लिए उचित था या नहीं।<sup>1</sup> यद्यपि मावर्सं के अनुसार रूस एक ऐसा देश था जो समाजवादी कान्ति के लिए सदसे कम उपयुक्त था और यह भी ठीक है कि रूस में नवम्बर, 1917 में होने वाली कान्ति ने न तो उन सामान्य शर्तों को ज़िनका मावर्सं ने उल्लेख किया है और न उन विशेष शर्तों को ही पूरा किया जिनकी सम्भावना उसने रूस के सम्बन्ध में व्यक्त की थी। रूस में कान्ति सामाजिक-ग्रामित्य विकास की दीर्घ प्रक्रिया के फलस्वरूप नहीं हुई थी, तथापि लेनिन की मान्यता थी कि "हमी कान्ति मावर्सं के सिद्धान्त के अनुसार ही हुई है, क्योंकि सन् 1917 से पूर्व ग्रीष्मोगिक क्षेत्र में जो ग्रामित्य एवं राजनीतिक विकास हुए उन्होंने किनी एक विशेष देश में, जहाँ पूँजीवादी शासन अत्यन्त अस्थिर दशा में था सफल समाजवादी कान्ति के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था।"<sup>2</sup> इस प्रकार लेनिन का सिद्धान्त इस सामान्य ग्रंथ में मावर्सं के 'समाजवाद के विकासवादी' रूप के अनुकूल है कि समाजवादी कान्ति उसी समय हो सकती है जब राजनीतिक एवं ग्रामित्य विकास ने उसके लिए मार्ग तैयार कर दिया हो। लेकिन इस बात में मावर्सं से सहमत था कि यद्यपि पूँजीवाद के स्वाभाविक विकास से उसके विनाश को अवश्यक उत्पन्न होती है तथापि उसका वास्तविक पतन भजूरी के निश्चयपूर्वक किए गए कार्यों द्वारा होना चाहिए और उनका कार्य राजनीतिक साधनों द्वारा होना चाहिए। लेनिन का कहना था कि यह कार्य बल-प्रयोग द्वारा ही हो सकता है।

सेवाइन के अनुसार "घोषणा की दृष्टि से लेनिन का मावर्संवाद पूर्णत फृडिवादी तथा कट्टर था। वह मावर्सं के सभी वचनों को वेद-वावर मानता था और व्यास्था तदनुसार उनकी ही करता था। अपने विरोधियों पर उसका सबसे बड़ा आक्षेप यह रहता था कि वे मावर्सं के ग्रंथ को कम-बढ़ करते हैं, लेकिन इसके साथ ही लेनिन सिद्धान्त को सदैव ही कार्य का पथ-प्रदर्शक मानता था। उसके अनुसार वह (सिद्धान्त) कुछ गतिहीन नियमों का सकलन न होकर प्रेरणात्मक विचारों का सकलन है। वह यथार्थ परिस्थितियों के मूल्यांकन में प्रयुक्त होता है तथा व्यवहार में ग्रामित्यकानुसार उसे संशोधित किया जा सकता है। मावर्संवाद के मूल सिद्धान्त के सम्बन्ध में लेनिन का अपने अनुग्रामियों से अनेक बार तीव्र मतभेद हुए और हृदय उन्हें ऐसे गार्ग पर ले गया जो मावर्संवादी सिद्धान्तों की झूट्टी में गम्भीर भूमि थी। लेनिन का फृडिवाद करने की स्पेष्श ऋणी में ग्रामित्य था ॥"

ने लेनिन के चिन्तन में दो मूर्मिकाएँ ग्रादा कीं और साम्यवाद के क्षेत्र में उसकी में भूमिकाएँ अब भी विद्यमान हैं। एक और तो यह एक रुढ़ि, एक निरपेक्ष और प्रकाट्य सिद्धान्त अद्यवा अद्य-भार्मिक प्रतीक था, दूसरी ओर वह व्याख्याप्रो तथा उपकल्पनाओं का सकलन या और उसका उद्देश्य राजनीति को दिशा देना था। अनुभवों के आधार पर उसमें आवश्यकतानुसार अवश्य सशोधन हो सकता था। इन दो घटियों के बीच लेनिन यह व्याख्या प्रस्तुत करता था कि कोई भी नीति, वहें वह वितनी ही अप्रत्याशित क्यों न हो, बास्तव में मानसंबद्ध सृष्टि नहीं होती। वह सदैव ही मावर्सवाद के वास्तविक अभिभाव को ज्ञाना अच्छी तरह प्रकट करती है।<sup>1</sup>

सेवाइन के विचार से प्रकट है कि यद्यपि लेनिन मार्क्स के कथनों को 'ईश्वरीय' मानकर सम्मान देता था,<sup>2</sup> तथापि उसने मार्क्स की विचारधारा में परिवर्तन किए। लेनिन को केवल मार्क्स की पुनरावृत्ति अद्यवा उसका पुनर्कथन (Re-statement of Marx) मान कहना अनुचित होगा। मार्क्स के प्रति अपनी भक्ति के बावजूद लेनिन ने मावर्सवाद में सशोधन किया और वह इसलिए किया कि वह उसे एक स्थिर एवं अखण्ड सिद्धान्त न मानकर एक जीवित और विकासशील दर्शन मानता था। मावर्सवाद के लेनिन द्वारा सशोधित रूप को 'लेनिनवाद' के नाम से सम्बोधित किया जाता है और इसे साम्यवाद भी कहा जाता है।

मावर्सवाद को सर्वाधिम व्यावहारिक रूप देने का शेष लेनिन को ही है। लेनिनवाद को मावर्सवाद का रूपी सम्पर्कण कहा जाता है। लेनिनवाद का मावर्सवाद से कहीं तक सम्बन्ध है इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए यह उपयुक्त होगा कि लेनिनवाद की उन तीन परिभाषाओं पर एक-एक करके विचार किया जाए जिनमें प्रत्येक में सत्य का कुछ न कुछ अंश विद्यमान है। ये तीन परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

- (1) लेनिनवाद मावर्सवाद के उन 'सिद्धान्तों का नाम है जिन्हें रूप की तत्कालीन विशेष परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया गया है।
- (2) लेनिनवाद मावर्सवाद के 'क्रान्तिकारी पथ का' पुनर्व्यवाहार है जिसका भवेज व जर्मन विचारकों ने नामकरण किया था।
- (3) लेनिनवाद साम्यवाद एवं अमजीदी क्रान्ति के युग का मावर्सवाद है।

लेनिनवाद के बारे में यह कहना कि रूप की तत्कालीन विशेष परिस्थितियाँ अनुकूल छोड़ हुए मावर्सवाद का एक रूप है, इस सौभाग्य तक सही है कि अपने समय की रूप की परिस्थितियों के अनुरूप लेनिन ने मावर्सवादी सिद्धान्तों को मूलत स्थीकार कर उहें परिस्थितियों के अनुकूल ढालने और सशोधित करने का प्रयास किया। किन्तु लेनिन एक व्यावहारिक क्रान्तिकारी या और रूप में भूमिक वर्गों की क्रान्ति लाना चाहता था। उसका उद्देश्य क्रान्ति के किसी दर्शन को पुष्ट करना नहीं पा। थत् क्रान्तिकारों मावर्सवाद की अपनी व्याख्या में उसने किसी क्रमबद्ध

1 ऐसाइन राजनीतिक दर्शन का इतिहास, पृष्ठ 749

2 Alexander Gray The Socialist Tradition, p. 460

सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं वल्कि परिस्थितियों, वी आवश्यकता के अनुच्छ संशोधन किए। साथ ही उसके लिए बोलशेविक क्रान्ति के बल रूपी क्रान्ति ही नहीं, बल्कि "पूँजीवादी साम्राज्यवाद" के विहङ्ग अन्तर्राष्ट्रीय अमजौवी संघर्ष का आरम्भ था।" उसका विश्वास था कि पूँजीवाद से साम्राज्यवाद की ओर परिवर्तन शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा नहीं लाया जा सकता। वह क्रान्ति में विश्वास करता था, न कि इस बात में कि घटनाएँ अपने रूप का स्वयं निर्माण कर लेंगी। लेनिन ने विकासवादी पक्ष पर बल न देकर साम्यवाद के क्रान्तिकारी पक्ष पर बल दिया। प्रथम महायुद्ध के आरम्भ से ही लेनिन यूरोप व्यापी क्रान्ति के विषय में सोचने लगा था। उसका विचार था कि मुद्द छिड़ने से पूँजीवाद के अन्तर्रिम उस बिन्दु पर आ पहुँचे हैं जो सर्वअंत समाजवाद की माँग बरते हैं। लेनिन और उसके मित्र को विश्व-क्रान्ति की अपेक्षा भी और इस में उनकी नीति के निर्धारण में अखिल यूरोपीय क्रान्ति की सम्मावना निहित थी। लेनिन ने स्वयं इस विचार की पुष्टि की कि "मार्क्स के अनुहार समाजवादी प्रयत्नि के उपर्युक्त घबराह का निर्धारण विश्व पूँजीवाद के विकास की सामान्य अवस्था द्वारा होना था, किसी विशेष देश की किसी विशेष घटस्था द्वारा नहीं।" लेनिन और उसके साथियों ने एक देश में ही एक समय में क्रान्ति लाने के लक्ष्य को तभी अपनाया जब उनकी विश्व-क्रान्ति की आशा धूमिल हो गई। अत लेनिनवाद को केवल मात्र इस की परिस्थितियों पर आरोपित मार्क्सवाद की सज्जा देना केवल धौशिक सत्य का उद्घाटन करना है। साथ ही इसका अधिप्राप्त सेनिनवाद को पूर्णत एक राष्ट्रीय सिद्धान्त की परिवर्ति में बांध देना है जो अनुचित है। यदि केवल यही मान लिया जाए कि सेनिनवाद विशुद्ध रूप से एक राष्ट्रीय सिद्धान्त था तो फिर 'दुनिया के मजदूरों एक हो' के नारे का कोई मूल्य नहीं रहता, अन्य साम्यवादियों से लगाव की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

सेनिनवाद की दूसरी परिभाषा में कहा जा सकता है कि यह मार्क्सवाद के क्रान्तिकारी पक्ष का पुनर्जन्म है जिसे पश्चिमी यूरोप के देशों के विकासवादी समाज ने दबा दिया था। यह सही है कि लेनिन ने मार्क्सवाद के क्रान्तिकारी पक्ष पर ध्यान केन्द्रित कर उसके विकासवादी पहलू की पूर्ण उपेक्षा की। सेकिन लेनिनवाद का यह मूल तत्त्व नहीं है। लेनिनवाद एकाविकारी पूँजीवाद अध्यवा साम्राज्यवाद द्वारा उत्पन्न नवीन परिस्थितियों के अन्तर्गत मार्क्सवाद के विकास की दिशा में एक प्रप्राप्ती कदम भी है। सन् 1848 में साम्यवादी घोषणा-पत्र (Communist Manifesto) के प्रकाशित होने की तिथि तथा सन् 1917 में बोलशेविक क्रान्ति द्वारा लेनिन के हाथों में सत्ता आ जाने के बीच के बीच में वर्षों में सतार में अनेक ऐसी घटनाएँ घटित हुईं जिन्होंने मार्क्सवाद में सशाधन आवश्यक बना दिया। इस अवधि में पूँजीवाद का तीव्रता से विकास हुआ और उसमें अन्तर्निहित विराष अपनी चरम सीमा पर पहुँच कर यूरोपीय राष्ट्रों में मतभेद उत्पन्न करने लगे। सन् 1914 का प्रथम महायुद्ध पूँजीवादी साम्राज्यवाद के विकास का ही भीषण परिणाम था। ऐसे समय में अधिक वर्ष की क्रान्ति, जिसका मार्क्स ने उल्लेख किया था, एक जबलत प्रश्न बन गया।

मार्क्स की विज्ञानों का प्रतिपादन एकाधिकारी प्रवृत्ति के पूँजीवादी साम्राज्यवाद तथा अमिक-वर्गीय कान्ति के युग से पूर्व हुआ था, अत. उसे समय के प्रनुसार ढालना था। इसके अतिरिक्त मार्क्स ने प्रबद्ध-वर्ग को कान्ति का उस्तेल मात्र किया था, उसके कियान्देयन की कान्तिकारी रणनीति के विषय में वह मौन था। लेनिन ने इन दोनों धाराशक्ताओं की पूर्ति की। उसने मार्क्सवाद में उपलब्ध कान्तिकारी तत्त्वों का पुनरुत्थान किया जिन्हें द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय (International) के प्रदर्शनादियों एवं सशोषनवादियों ने घूमित कर दिया था और साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों के प्रनुक्त उसे अमज्जीवी वर्ग की तानांगाही को मार्क्स के राष्ट्र-सिद्धान्त में केन्द्रीय स्थान देना पड़ा। चूंकि “मार्क्स को समय के प्रनुसार ढालना और साम्राज्यवाद तथा अमज्जीवी कान्ति की स्थितियों के अन्तर्गत उसकी पुनर्व्याख्या करने का कार्य लेनिन का ही था,” अत लेनिन द्वारा अपने अन्य ‘Foundations of Leninism’ (1924) में लेनिन के दर्शन की यह अधिकृत परिभाषा सर्वथा उपयुक्त थी कि “लेनिनवाद साम्राज्यवाद तथा सर्वहारा अवन्ति के युग का मार्क्सवाद है।”<sup>1</sup> सेवाइन के शब्दों में, “इस परिभाषा का अभिशाप यह है कि सेविन ने मार्क्सवाद को आधुनिक रूप दिया, उसने मार्क्स के बाद के पूँजीवादी समाज के विकास पर व्याप्त द्वारा इस अधिकृतियों को ध्यान में रख कर जितका मार्क्स ने केवल भारम ही देखा था, उसकी नीति तथा सिद्धान्तों की पुनर्व्याख्या की।”<sup>2</sup> सेवाइन ने ही आगे लिखा है कि “लेनिन का मार्क्सवाद व्यवहार में बहुत अत्योला रहता था और वह दही धारानी से ऐसी दिक्षा छहण कर लेता था जिसे रूसी अमर्स्वादी मार्क्सवाद के दिलकुल विपरीत समझते थे।”

### लेनिन का साम्राज्यवादी पूँजीवाद

(Lenin's Imperialist Capitalism)

लेनिन ने मार्क्सवाद का संदर्भितक पृष्ठ-पोषण और आत्मोचनाओं से बचाव की चेष्टा की। मार्क्स ने जो अविष्यवाणियों की थीं, समय ने उनमें से अनेक को गतिशील करण और व्यापार वृद्धिकार होने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी, अध्यम वर्ग वा लोप नहीं हुआ था और न ही वर्ग-संघर्ष तीव्र हुआ था। इतना ही नहीं, मजदूर पूँजीपतियों की बढ़ती हुई समृद्धि में भागीदार बन रहे थे। समाजवादी स्थापना के आधार पर प्रवृत्ति साम्राज्यवाद की थी। प्रथम महायुद्ध के समय हुनिया भर के अमिक और समाजवादी दल यह खूब गए थे कि “अमिको का कोई देश नहीं होता।” उन्होंने अमिको की ‘अन्तर्राष्ट्रीय एकता’ को फिर्मूट कर राष्ट्रीय मावनाओं का परिवर्त्य दिया था। केवल लेनिन और इन्हीं भूटीभर समाजवादी ही इस बात पर इड थे कि यह युद्ध साम्राज्यवादी है जिसमें अमिको को योग नहीं देना चाहिए।

1 ‘Leninism is Marxism of the epoch of Imperialism and Proletarian Revolution’

2 सेवाइन राजनीतिक दर्शन का इतिहास, पृष्ठ 750

उपर्युक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक था कि मार्क्स की भविष्यवाणियों के अपवाहो का स्पष्टीकरण देने के लिए भास्त्रवादी संविधान में संशोधन किया जाता लेनिन ने यही किया। मार्क्स का ग्रौवित्य तिढ़ करने के लिए उसने उन सब घटनाओं की पुनर्व्याख्या की जो उसको भविष्यवादी के विपरीत प्रतीत हुई। यह कार्य लेनिन ने जिन सिद्धान्त द्वारा किया, उसे पूँजीवाद की उच्चतम घवस्या अर्थात् 'साम्राज्यवादी पूँजीवाद' कहा जाता है। वेपर (Wayper) के अनुमार—

'अपनी पुस्तक 'साम्राज्यवाद—पूँजीवाद की सर्वोच्च घवस्या' (Imperialism-The Highest Stage of Capitalism) में लेनिन ने कहा है कि निम्न-स्तर-वर्ग तथा विकासपूर्ण ग्रौवित्य के प्रशिक्षित अभिकों की सुरक्षा मार्क्स ने ही की थी। धर्मयुद्ध से रक्षा के बल ग्रौपनिवेशिक प्रदेशों के कारण हो सकी थी क्योंकि ये उन पर शासन बरते थे। ग्रौपनिवेशिक जनता के सम्बन्ध पूँजीवादियों और अभिकों के सम्बन्ध थे। जो साम्राज्यवाद के अभाव में अभिक थे, वे साम्राज्य की उपलब्धि होते ही पूँजीपति बन गए। वास्तविक अभिक दुखों और शोषण की साई में परे हुए वहाँ के निष्कृत निवासी बने रहे। लेनिन के मतानुसार यह स्थिति मार्क्स विरोधी नहीं, बरन् उसकी पूरक थी, यद्यपि मार्क्स ने इसका अवलोकन पूरी तरह नहीं किया था। मार्क्स कहता है कि जैसे-जैसे पूँजीवाद व्यापक होगा वैसे-वैसे उत्पादन में वृद्धि होनी और अन्त में एकाधिकारपूर्ण पूँजीवाद स्थापित हो जाएगा। यही प्रक्रिया आर्थिक जगत् में भी होगी। बंक उस पूँजी के मालिक हो जाएगे जिसे उद्योगपति प्रयोग में लाते हैं, अतः एकाधिकारपूर्ण पूँजीवाद (Monopoly Capitalism) आर्थिक पूँजीवाद (Finance Capitalism) का रूप ले लेगा। इस प्रकार एकाधिकारी आर्थिक पूँजीवाद विस्तृत होता जाएगा। इसके तीन परिणाम होते—  
(i) यह ग्रौपनिवेशिक जनता का शोषण करेगा, (ii) यह उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर उसके दुखों में वृद्धि करेगा, और (iii) यह राष्ट्रों के बीच पारस्परिक मुठ की स्थिति उत्पन्न करेगा क्योंकि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उत्पन्न होगी और राष्ट्र अपने लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार सेजेगा, तो मुठ आवश्यक हो जाएगा। अन्त में एकाधिकारपूर्ण आर्थिक पूँजीवाद का अन्त सन्त्रिक्ष आएगा और एक नवीन व्यवस्या की स्पायना होगी।'"

वेपर ने लेनिन के उपर्युक्त विचार व्यक्त करने के बाद लिखा है कि "अत मार्क्स लेनिन के मतानुसार गलत नहीं था। उसने केवल इस दिशा की ओर कुछ कम ध्यान दिया था।" पर वेपर ने ही पुन आगे अपने विवेचन में स्वीकार किया है कि यथापि "लेनिन का साम्राज्यवादी सिद्धान्त मार्क्स की मालोचना के विष्ट एक रक्षा-इच्छा था, बरन्तु वह कही-कही सत्यता का अतिकरण भी कर गया है।"

लेनिन ने अपने स्पष्टीकरण का कार्य असदिग्द ऐतिहासिक तथ्यों से प्रारम्भ किया। उसने हवंप्रथम सन् 1871 के बाद के युग की पूँजीवादी विजेताओं के साथ

वर्ग संघर्ष को सम्बद्ध किया और तत्पश्चात् यह बनलाने का प्रयास किया कि इस युग में पूँजीवाद पूँजीवादी व्यवस्था के सम्बूर्ण विकास से किस तरह भेल खाता था। लेनिन ने पूँजीवाद के साम्राज्यवादी चरण का जो विवरण दिया, वह बास्तव में मार्क्स के पूँजीवादी सचयन के सिद्धान्त का विकास था। लेनिन ने यह प्रदर्शित करने की चेष्टा की कि मार्क्स को पूँजीवाद से जिन परिणामों की प्राप्ति की आशा थी वे बास्तव में कुछ घटनाओं के कारण प्राप्त हुए जिनकी वह कल्पना नहीं कर सका था। ये घटनाएँ थी—एकाधिकार, वित्त-पूँजीवाद और साम्राज्यवाद का जन्म। लेनिन ने यह स्वीकार किया कि “सन् 1914 का साम्राज्यवादी युद्ध जर्मन पूँजीपतियों के सिण्डीकेटों और फौस तथा इगलेंड के सिण्डीकेटों के बीच अफ्रीका के नियन्त्रण के लिए संघर्ष था। एकाधिकार और वित्त-पूँजीवाद स्वतन्त्र प्रतियोगितापूर्ण पूँजीवाद का स्वाभाविक परिणाम था। राजनीतिक साम्राज्यवाद एकाधिकारपूर्ण पूँजीवाद का स्वाभाविक फल था और युद्ध पूँजीवाद का स्वाभाविक प्रतिफल था। साम्राज्यवाद पूँजीवादी विकास की उच्चतम व्यवस्था है। वह उस प्रक्रिया का एक भाग है जिसके हारा एक अधिक उच्च पूँजीवाद विहीन अद्यता सौभाग्यवादी समाज तथा अर्थ-व्यवस्था वा निर्माण हो रहा है।”<sup>2</sup> लेनिन का निष्कर्ष था कि साम्राज्यवाद पूँजीवाद का ही एक रूप और उसकी अन्तिम घटिल है जिसका भन्त होते ही समाजवाद का युग आएगा। पूँजी के कुछ ही हाथों में केन्द्रीयता होने तथा साम्राज्यवादी समाज के अन्य विरोधी के कारण युद्ध होंगे और उनके परिणामस्वरूप पूँजीवाद और साम्राज्यवादी शक्तियाँ तथा दूसरी और क्रान्तिकारी सर्वहारा-वर्ग। इस समय साथनों की दृष्टि से पूँजीवादी और साम्राज्यवादी आगे हैं, किन्तु इनमें एकता नहीं रह सकती। इसके विपरीत सर्वहारा-वर्ग शीर्ष है किन्तु उसमें एकता स्थापित हो जाएगी। सर्वहारा-वर्ग के पास मार्क्सवादी सिद्धान्तों की प्रेरणा तथा साम्यवादी दब का नेतृत्व है। इत भन्त में साम्राज्यवाद का विनाश और समाजवाद की प्रस्थापना अवश्यम्भवी है।

अपने विश्लेषण में लेनिन ने साम्राज्यवाद के पौर्व प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया था—

प्रथम, इसमें उत्पादन का केन्द्रीकरण और पूँजी का विस्तार इस व्यवस्था तक पहुँच जाता है कि एकाधिकार का विकास होता है और आधिक जीवन में इसका निश्चयात्मक महत्व हो जाता है।

द्वितीय, प्रोद्योगिक पूँजी के साथ बैंक की पूँजी वा मिश्रण होने से वित्तीय पूँजीवाद और पूँजीपतियों का विस्तार होता है।

तृतीय, पहले से सिर्फ उत्पादित बस्तुओं का निर्यात होता है, बाद में पूँजी निर्यात प्रारम्भ हो जाता है।

1. लेनिन राजनीतिक दर्शन वा इतिहास, पृ. 770-71.

चतुर्थ, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवादी एकाधिकार-सम्प्रदान पूँजीपति अपनी मुनाफा-खोरी के लिए विश्व को विभाजित कर लेते हैं और अनन्त शक्तिशाली पूँजीवादी राज्य सम्मणं विश्व का क्षेत्रीय विभाजन कर डालते हैं।

पचम, पूँजीवाद का असमान विस्तार होता है जिससे प्रतिस्पर्द्धाएँ बढ़ती हैं और उस आशा पर तुपारापात होता है कि पूँजीवादी देश शान्तिपूर्वक परस्पर मिलकर समार के पदार्थों का आर्थिक उपभोग करेंगे। इसमें एक दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि सर्वहारा क्रान्ति का आरम्भ उन्हीं देशों से हा सकता है जहाँ पूँजीवाद ठीक से विकसित नहीं हो सका हो। अन्त में लेनिन का विश्वास था कि साम्राज्यवादी पारस्परिक फूट के कारण कमज़ोर हो जाएँगे जबकि सर्वहारा वर्ग एक होकर साम्राज्यवाद का उन्मूलन और साम्यवाद की स्थापना कर देंगे।

लेनिन के साम्राज्यवादी विश्लेषण से इसके तीन प्रमुख अन्तरिरोधों की घटिष्ठिति होती है। पहला अन्तर्विरोध श्रम और पूँजी का है। साम्राज्यवाद न एकाधिकारपूर्ण दृस्टी, सिर्फीकेटो, जैको आदि का प्रमुख रहता है, अत मजदूरों न पास दो ही उपाय शेष रह जाने हैं कि या तो वे अपनी दाहण स्थिति में सन्तोष + या विद्रोह को द्वारा अप्रसर हो। दूसरा विद्रोह की मांग करता है। दूसरा अन्तर्विरोध यह है कि साम्राज्यवाद के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक देशों के अध्यने हितों के लिए सघर्ष पाया जाता है जो युद्धों को जन्म देता है। श्रमिक का द्वारा पूँजीवाद का विनाश करके ही इन युद्धों से बचा जा सकता है। युद्धों से निवृत हो जाते हैं तथा श्रमिक क्रान्ति की सम्भावना बढ़ जाती है। तीसरा अन्तर्विरोध है कि शोषक और शोषित राष्ट्रों के बीच सघर्ष पैदा हो जाता है। पराधान देशों की जनता शासक देशों द्वारा अपना नियम शोषण सहन नहीं कर पाती अधीनस्थ देशों का शोषण करने के लिए साम्राज्यवादी वर्ग यातायात के साथ और व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना करते हैं जिससे एक बुद्धिजीवी वर्ग का उत्तरोत्तर होता है, सुधुपृथक राष्ट्रीय चेतना जाग्रत हो जाती है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जोर पकड़ने लगती है। साम्यवादी साम्राज्यवाद के इस अन्तर्विरोध का पराधीन होने में श्रमजीवी क्रान्ति लाने के लिए मुच्चाह प्रयोग करते हैं।

सारोंश यह है कि लेनिन ने यह बतलाना चाहा कि साम्राज्यवाद स्थितियों का जनक है जो पूँजीवादी दुर्ग पर हमला बोनने के लिए सर्वाधिक यन्त्र होती है। साम्राज्यवाद अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों को जन्म देता है और वर्ग-सघर्ष + जैको कर श्रमिकों को यह उद्बोधन देता है कि वे अपना कल्याण एक अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक क्रान्ति द्वारा ही कर सकते हैं।

### आलोचना

1. मार्क्सवादी विश्लेषण वी पुनर्व्याख्या के अनुसार श्रमिक वर्ग की क्रान्ति द्विटेन जैसे औद्योगिक देश में होती चाहिए वी न कि रूस में जो औद्योगिक दुष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश था। इस अपत्ति का उत्तर देते हुए स्टालिन ने 'Foundations of Leninism' में लिखा है कि "रूस पूँजीवादी, साम्राज्यवादी और संतिक सभी

विरोद्धों का बेन्द्रविन्दु या तथा इसी साम्राज्यवाद पश्चिमी साम्राज्यवाद से घटिष्ठ स्प से सम्बन्धित था। साथ ही साम्राज्यवादी शूखला मे सबसे कमज़ोर थड़ी भी यह रूप ही था, भले यह स्वाभाविक था कि रूप ही सर्वप्रथम कान्ति की बन्मसूमि बनता।"

2 लेनिन ने अपने साम्राज्यवादी सिद्धान्त मे ऐतिहासिक तत्वों दी भवहृलना की है। लेनिन के अनुसार जब पूँजी एकाधिकारपूर्ण हो जाती है और पूल, कार्टेल आदि श्रीदोषिक समृद्धि बन जाते हैं तब साम्राज्यवाद का विस्तार हो जाता है। लेकिन यह कथन ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है क्योंकि इश्लैण्ड, फौस आदि में पूल कार्टेल, ट्रस्ट जैसे श्रीदोषिक और वित्तीय साठनों की स्थापना तो बीसवीं शताब्दी मे भारत मे हुई जबकि साम्राज्य विस्तार उभीसवीं शताब्दी मे ही कर लिया गया था। ग्रिटेन, फौस हॉलैण्ड जैसे राष्ट्रों मे अफीका का विभाजन सन् 1880 के बाद शुरू हुआ और बीसवीं सदी के उस समय से पहले ही पूर्ण हो गया जबकि श्रीदोषिक समृद्धि का मुग (बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक से) शुरू हुआ। इसी प्रकार भारत मे वित्तीय पूँजी का उदय तो बाद मे हुआ, लेकिन ग्रिटेन बहुत पहले ही यही अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था।

3 लेनिन का कथन था कि "व्यावहारिक रूप मे सासार के बाजारों में साम्राज्यवादी राज्यों का भाग सेनिक शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। सबल निर्बन्धा को समान सामीदार नहीं बनाना चाहते। लेनिन के इस कथन में ग्राफिक सत्य घबराय है, लेकिन यह धारणा उस मास्कवादी मानवता के विपरीत है जिसके अनुसार आधिक शक्ति राजनीतिक दशाओं को निर्धारित करती है।

4 लेनिन के अनुसार पूँजीपति अपनी सरकार को मुढ़ और विस्तारवाद के लिए उकसाते हैं ताकि उनके माल की स्थपत बढ़े। राजनीतिज्ञ सरकार का खतरनाक परिस्थितिया मे नहीं ढकेलते लेकिन व्यवहार मे हम देखते हैं कि घटनाएँ बहुधा विपरीत होती हैं। पूँजीपति नहीं, बल्कि राजनीतिज्ञ मानवता को सकट मे डासते हैं।

5 दुर्द भाष्य रूप म भी लेनिन के तथ्य मिथ्या हैं। उसने कहा था कि पूँजी के निर्यात भी विषि 20वीं शताब्दी के भारत म तक विरुद्धित नहीं होगी, परन्तु यह बात भी गलत सिद्ध हुई। उमने कहा था कि पूँजी के निर्यात तथा साम्राज्य क बीच सम्बन्ध हाना। बहुत प्रायशक है परन्तु स्विस साम्राज्य पर यह नियम लागू नहीं होता। लेनिन का विचार या कि उपनिवेशो की प्राप्ति से अमिक कुलीनतत्र का उदय होता है और फिर साम्राज्यवादी राज्य औपनिवेशिक समिक्षा का होयण कर ग्रामना जीवन स्तर ऊँचा बाजा लेते हैं परन्तु स्वीडन तथा डमाक उपनिवेशो के स्वामी न जोन पर भी जोवन स्तर की दृष्टि से उपनिवेश रखन वाले फ्रीत तथा बेत्तियम से ऊँचे हैं। लेनिन ने यह भी बड़ा या कि जब पैज़ा बाहर जाती है तो देश म दामना नया नियन्ता उत्पन्न हो जाता है। यह तथा रुद्ध देशों दे विवरण म तो सत्य है परन्तु प्रत्यक्ष देश के विषय म नहीं। अमरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया

तथा न्यूज़ीलैण्ड एक लम्बे अर्थों तक पूँजी का नियंता तो करते रहे, पर दासता अथवा निर्धनता से दूर रहे। निर्धनता वही देखने को मिलेगी जहाँ पूँजी का आपात कम होगा, जैसे ड्रिटिश, पश्चिमी अफ्रीका, भारत तथा चीन में। अत लेनिन का साम्राज्यवाद यदि मार्क्सवाद का सरक्षक है तो यह अमरत्य एवं बेईमानी है और यदि यह सत्य है तो साम्राज्यवाद मार्क्सवाद का सरक्षक नहीं है।<sup>1</sup>

6 लेनिन का यह कथन भी पूर्ण सत्य नहीं है कि जिन देशों से पूँजी का नियंता होता है, वहाँ गरीबी फैलती है। अमेरिका में काफी समय से पूँजी का नियंता ही रहा है, पर वहाँ गरीबी नहीं आई है।

वेपर का निष्पत्ति है कि मार्क्सवाद की दुष्टि के रूप में लेनिन का सिद्धान्त अमरत्य और ईमानदारी से दूर है तथा जहाँ तक वह सत्य है वह मार्क्सवाद का खण्डन करता है।

### द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के बारे में लेनिन के विचार (Lenin on Dialectical Materialism)

लेनिन ने सन् 1909 में प्रकाशित अपने पृष्ठ 'Materialism and Empiric Criticism' में ऊपरी तीर से सामाज्य दार्शनिक समस्याओं पर विचार किया है जैसे द्वन्द्वात्मक पद्धति का स्वरूप क्या है? उसका प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान से क्या सम्बन्ध है? भौतिकवाद, आदर्शवाद तथा वैज्ञानिक भावनावाद दार्शनिक पद्धतियों के रूप में कहाँ तक ठीक हैं? आदि। इस पुस्तक में लेनिन ने मार्क्सवाद के शुद्ध सिद्धान्त को अत्यन्त रूढ़िवादी ढंग से प्रतिपादित किया है। लेनिन के अनुसार, "मार्क्सवाद वा दर्शन फौलाद के एक ठोस पिण्ड की भौति है जिसमें से एक भी मूलभूत धारणा एवं एक भी मार्गभूत अश गृथक् नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा करने का प्रयत्न किया जाना है तो इसका अर्थ वस्तुनिष्ठ सत्य को त्याग देना तथा पूँजीवादी प्रतिक्रियावादी असत्य के चग्नु म पड़ जाना होगा।"

ऐजिल्स के इस मत से लेनिन सहमत था कि प्रत्येक दर्शन या तो आदर्शवादी होता है या भौतिकवादी। आदर्शवादिता घर्मप्रधान लोगों की खोज है। यह आम जनता को घोखे में डालने वाली हीन सामाजिक व्यवस्था की हीन उपज है। दूसरी ओर वैज्ञानिक भावनावाद 'आदर्शवाद और भौतिकवाद से परे जाने का एक विद्वत्ता-पूर्ण बहाना', 'गुप्त पर्मदाद और 'रुढ़ियों की पूँजीवादी अशिष्ट तथा कायरतापूर्ण सहिष्णुता' है। लेनिन 'भावनावाद को बर्कते के आदर्शवाद का सशोधित रूप या आत्मवाद का ममानार्थक' मानता था जिसके अनुसार वस्तुपरक सत्य अथवा वास्तविकता का अस्तित्व केवल चेतना की परतों में ही होता है, अन्यत्र नहीं।

लेनिन ने द्वन्द्वात्मक पद्धति की व्याख्या भी ऐजिल्स की भाँति ही की थी। उसने बताया कि सत्य सापेक्ष भी है और निरपेक्ष भी अवश्य जा ग्रांशिक रूप में सत्य है वह पूर्ण सत्य नहीं है, बल्कि केवल सत्य के निकट है। हीगल के मतानुसार

\* \* \*

मार्क्स की धारणा थी कि दृग्द्वातंक सामाजिक विषयों के अध्ययन के लिए उपयुक्त तरीका है क्योंकि इन विषयों का सम्बन्ध ऐसी बातों से होता है जिनमें विकास मुख्य होता है। वे विज्ञान, जिनका सम्बन्ध निर्जीव पदार्थों से है जैसे रसायनशास्त्र और भौतिकशास्त्र, दृग्द्वातंक भौतिक तरीके से ग्रन्थी प्रकार समझे जाते हैं। किन्तु लेनिन ने भ्रासहमति प्रकट करते हुए बतलाया कि यूक्लिडियन ज्यामिति एवं भौतिकी इसलिए बर्टिन होती है क्योंकि भौतिकशास्त्रियों तथा गणितज्ञों ने दृग्द्वातंक भौतिक-बाद को समझने की चेष्टा नहीं की। लेनिन का विचार या कि दृग्द्वातंक पद्धति का प्रयोग एक ऐसा सार्वभौमिक साधन है जिसका प्रयोग प्रत्येक विज्ञान के अध्ययन में किया जा सकता है। सेवाइन के मतानुसार, लेनिन के इस दृष्टिकोण ने दृग्द्वातंक भौतिकबाद को एक उच्चतर विज्ञान का रूप दे दिया जो समस्त विज्ञानों के गहनतम प्रश्नों का निर्णय कर सकता था।

लेनिन का कहता था कि दृग्द्वातंक भौतिकबाद का सामाजिक विज्ञानों को अपेक्षा प्राकृतिक विज्ञानों से अधिक विकृष्ट सम्बन्ध है। दर्शन और सामाजिक शास्त्र एक-पक्षीय होते हैं। अर्थशास्त्र के अध्यापक वेवल पूँजीवादी वर्ग के वैज्ञानिक विक्रेता हैं तो दर्शन के अध्यापक अर्थशास्त्र के। अधिक से अधिक जो समाज का कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त निरूपित कर सकता है वह है आधिक एवं ऐतिहासिक विकास की सोज। यह दृग्द्वातंक भौतिकबाद द्वारा किया जा सकता है। दर्शन, अर्थशास्त्र एवं राजनीति में निष्पाता अध्यवा वैज्ञानिक पदार्थता के बल एक बहाना है जिसके द्वारा सुरक्षित हितों की पूरी होती है। दृग्द्वातंक भौतिकबाद के अन्तर्गत सामाजिक विज्ञान की दो प्रणालियाँ हैं—एक तो मध्यम वर्ग के हित के लिए और दूसरी अमज्जीवियों के हित के लिए। अमज्जीवियों की धेष्ठता इस बात में है कि दृग्द्वातंक यह सिद्ध करता है कि अमज्जीवी वर्ग एक उच्चवासी या जाग्रत वर्ग है और सामाजिक प्रगति में प्रशारणी है। मार्क्सवादी दृग्द्वातंक भौतिकबादी पद्धति उसे एक उद्दीयमान वर्ग घोषित करती है। इसके विपरीत मध्यम वर्ग ऐसे कार्यों में लगा रहता है जिनके द्वारा वह पूँजीवादी समाजबाद में परिखुत होने से रोकता है, अतः उमका विज्ञान गतिहीन, पतनोन्मुख एवं प्रतिक्रियावादी है।

लेनिन के समान ही टॉड्स्की का भी विचार या कि दृग्द्वातंक पद्धति अनिवार्यत वर्ग संघर्ष के शास्त्रवृत्त तत्व का सूजन करती है और यह पद्धति समाज एवं प्रकृति में अनिवार्य रूप से निहित है। अभिप्राय यह है कि प्रगति अन्तविग्रेशों के शास्त्र से होती है। सन् 1938 में स्टालिन ने भी दृग्द्वातंक तथा ऐतिहासिक भौतिकबाद का अधिकृत विवरण प्रस्तुत किया था जिसमें ऐजिस और लेनिन के पदचिह्नों पर छलते हुए उसने दृग्द्वातंक पद्धति एवं नैतिक सम्बन्धों पर बल दिया था। स्टालिन का विवरण इस प्रकार था—

“दृग्द्वातंक पद्धति का अभिप्राय यह है कि निम्न स्तर से उच्च स्तर का विकास सगड़नों के एक समरसतापूर्ण प्रस्फुटन के रूप में नहीं होता, वह वस्तुओं तथा सच्चानों में निहित अन्तविग्रेशों के उद्भाटन, स्वरूप विरोधी प्रवृत्तियों के संघर्ष के

रूप में होता है। अत. नीति-विषयक गलती से बचने के लिए व्यक्ति को श्रमिक-वर्ग तथा पूँजीपति-वर्ग के हितों के समन्वय की सुधारवादी नीति एवं पूँजीवाद तथा समाजवाद के विकास की समझौतावादी नीति का अनुसरण न कर समझौता न करने की सबंहारा-वर्ग की नीति का ही सदैव अनुसरण करना चाहिए।"

### लेनिन की कान्ति सम्बन्धी घारणा

(Lenin on Revolution)

लेनिन द्वारा मार्क्सवाद की कान्तिकारी बनाना—लेनिन ने मार्क्सवाद को मूलतः और तत्त्वतः एक कान्तिकारी सिद्धान्त प्रमाणित किया। उसने 'State and Revolution' में स्पष्ट लिखा है कि "आजकल पूँजीपति अथवा श्रमिक आन्दोलन के अन्तर्गत अवसरवादी लोग मार्क्सवाद में मिलावट करने में सहयोग कर रहे हैं। वे मार्क्सवादी सिद्धान्तों के कान्तिकारी पक्ष को, उसको कान्तिकारी आत्मा को या तो मुला देते हैं या घूमिल कर देते हैं अथवा उसे नष्ट कर देते हैं।" ऐसी परिस्थितियों में जबकि मार्क्सवाद को इसने व्यापक रूप में भ्रष्ट किया जा रहा है, राज्य के सम्बन्ध में मार्क्स की वास्तविक शिक्षाश्रो को पुन श्रतिष्ठित करना हमारा प्रथम कर्तव्य है।" लेनिन ने मार्क्स और ऐजिल्स की कृतियों के उद्धरणों से यह सिद्ध किया कि आयोजित कान्ति और उसके उपरान्त स्थापित होने वाला साम्यवादी शासन विलकूल मार्क्स की कल्पना के अनुकूल किन्तु पश्चिमी समाजवादियों की कल्पना से भिन्न होगा।

कुछ लोगों ने राज्य के शर्न-शर्न समाप्त हो जाने (Wuthering Away) के सिद्धान्त का यह अर्थ निकाला कि मार्क्स के अनुसार वर्तमान पूँजीवादी राज्य धीरे-धीरे शान्तिपूर्ण ढंग से भविष्य में समाजवादी राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। पर लेनिन मार्क्सवाद की मौलिक रूप से कान्तिकारी सिद्धान्त सिद्ध करना चाहता था, अत विकासवादी समाजवादियों के विपरीत उसने यह घोषित किया कि मार्क्स का विश्वास पूँजीवादी राज्य के शर्न-शर्न व्रमिक इन्हें वरन् अपजीवी तानाशाही के समाप्त होने में था। ऐजिल्स ने यह कहा कि पूँजीवादी राज्य को धीरे-धीरे नहीं वरन् कान्ति द्वारा बलपूर्वक नष्ट किया जाना था। लेनिन ने कहा कि मार्क्स की शिक्षाश्रो की सही व्याख्या यही है कि राज्य कान्ति द्वारा समाप्त होगा। समाजवादोन्मुख प्रगति का एकमात्र उपाय कान्तिकारी मार्ग ही है।

लेनिन का उपर्युक्त विचार इस दृष्टि से आपत्तिजनक है कि मार्क्स सभी देशों में कान्ति को अ रिहायें नहीं मानता था। उसकी घारणा थी कि लोकतन्त्रात्मक पद्धति वाले देशों में कान्ति आवश्यक नहीं थी। ब्रिटेन, समुक्तराज्य अमेरिका आदि देश मुदूढ़ लोकतान्त्रिक परम्परावादी थे, जहाँ कान्ति के बिना भी काम चल सकता था। किन्तु लेनिन ने कहा कि एकाधिकारपूर्ण पूँजी, साम्राज्यवाद एवं महायुद्ध ने परिस्थितियों को बदल दिया है तथा ब्रिटेन और अमेरिका लोकतान्त्रिक देश न रहकर साम्राज्यवादी एवं संनिकावादी राज्य बन गए हैं, अत इन देशों के श्रमिकों के समक्ष केवल यही उपाय है कि वे कान्ति की ओर उग्मुख हो। सोभाग्यवश इतिहास ने

लेनिन की घारणा यतत निष्ठ कर दी ग्रोर यह दिखा दिया कि उसने इगलेंग्ड की स्थिति का यतत अध्ययन किया था। प्रथम महायुद्ध के बाद के निर्वाचितों के फलस्वरूप वहाँ श्रमदलीय सरकार स्थापित हुई और द्वितीय महायुद्ध के बाद उसके हाथ में वास्तविक शक्ति भी आई। यह सब कुछ किसी कानित द्वारा न होकर वैधानिक तरीके से हुआ।

यह स्मरणीय है कि मार्क्सवाद के ऋणिकारी स्वरूप के बारे में कोई सन्देह नहीं दिया जा सकता, लेकिन लेनिन की अपेक्षा मार्क्स अधिक सतर्क था। मार्क्स ने कानितिकारी सिद्धान्त का आरोपण मानव द्वारा प्रस्थय दिया पर इस सिद्धान्त को सीमित और स्थितिवद्ध रखा। लेनिन ने मार्क्स द्वारा प्रस्थापित सीमाओं के बोध को तोड़ फेंका तथा कानितिकारी सिद्धान्त को सावंभीमिक रूप देने की चेष्टा की। इस प्रयास में उसे मार्क्स की गिक्काओं में 'निरांयवादी तत्त्व' के महत्व को कम करना पड़ा तथा 'ऐच्छिक तत्त्व' पर विशेष बल देना पड़ा। लेनिन ने विष्वास प्रकट किया कि जो कोई समाज-यादी कानित के परिपक्व होने की प्रतीक्षा करता है, वह अवसर स्तो बैठता है। उसे यह प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि दृढ़ात्मक प्रक्रिया स्वत कानित लाएगी। लेनिन का यह दृढ़ निश्चय था कि आवश्यक संगठन होने पर वह रूप में जारशाही का तत्त्वादलट कर अमजीबी तानाशाही स्थापित कर सकता था। इसलिए उसने मार्क्सवाद की ऐसी व्याख्या की जिसमें कानितिकारी पक्ष पर आदोपान्त बल था। मार्क्स और ऐक्सिल्स ने अपनी रचनाओं में अमजीबी तानाशाही को वह वेन्द्रीय स्थान प्रदान नहीं किया था जो लेनिन ने दिया। उसने यही धोयित किया कि सच्चा मार्क्सवादी वही है जो वर्ग-संघर्ष को अभिको की तानाशाही तक ले आता है।

लेनिन की कानित की दैक्षिणीक—लेनिन ने सप्तार की कानितियों का गृहन अध्ययन कर इनकी सफलता के सम्बन्ध में कुछ लियम निर्धारित किए। प्रथम, कानित को सेत-तभागा समझकर भ्रष्टवा कोरे जोश में आकर नहीं करना चाहिए बरन् सूब सोब विचार कर शुरू करना चाहिए तथा सफल न होने पर शान्त नहीं बैठना चाहिए। द्वितीय, निश्चित समय पर और निश्चित स्थल पर अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए ताकि शत्रु समछिल होकर विद्रोह को कुचलने की शक्ति न जुटा सके। तृतीय, शत्रु पर उस समय अप्रत्याशित आक्रमण करना चाहिए जब उसकी शक्ति विभिन्न स्थानों पर दिखारी हुई हो। लेनिन न व्यावसायिक कानितियों के संगठन पर बल दिया। व्यापकायिक कानितिकारियों से उसका आशय उन व्यक्तियों से था जिन्होंने कानित करना और उसे सफल बनाना ही अपने जीवन का अध्यवसाय दना लिया हो तथा जो कानितशास्त्र में पारगत हो। लेनिन का स्पष्ट मत था कि हिस्तात्मक कानित द्वारा ही अपिको जो राजनीतिक शक्ति निष्ठ सकती है।

तत्कालीन जारशाही के रूप में जो परिस्थितियाँ विद्याशील थीं, उनसे लेनिन वो घारणा को बल मिला था। सन् 1917 में अपने निर्वाचन से जब लेनिन स्वदेश लौटा तो उसका विचार था कि रूप आधिक दूष्ट से पूर्ण समाजवाद के लिए प्रस्तुत नहीं है तथापि राजनीतिक दूष्ट से वह अभिको को सत्ता हस्तातरण करने के योग्य

ऐ दौर इस प्रकार की कान्ति के लिए सोवियत (Soviets) उपयुक्त साजन है। रूस लौटने के कुछ महीनों बाद तक लेनिन इस बात पर और देता रहा कि भल्पसस्वद कई को सत्ता नहीं हवियानी चाहिए और शासन में तब तक परिवर्तन नहीं होना चाहिए जब तक उसके पक्ष में प्रबल बहुमत न हो। यह कान्ति द्वारा सत्ता हवियानी है तो केवल सोवियत ही इस कार्य को कर सकती है। अतः कान्तिकारी दल का एकमात्र नाम यही होना चाहिए कि 'सोवियते पूर्ण शक्ति-सम्पद हों।' पर लेनिन की दृष्टि में यह भी एक कठिन समस्या थी। उनके सदस्यों में माक्सिंवादी भल्पसस्वदी में ये और माक्सिंवादियों में भी बोल्शेविक भल्पसस्वदक थे। इसके अतिरिक्त मेनशेविकों के विद्वारकों को अधिक समर्थन प्राप्त था। अतः लेनिन ने संदान्तिक कठिनाइयों का उभावात माक्सिंवादी सिद्धान्त को त्याग कर अथवा उसकी पुनर्व्याख्या द्वारा किया। माक्सिंवादियों के अनुसार अमवर्गीय कान्ति के लिए मध्यमवर्गीय कान्ति आवश्यक है। सन् 1905 और मार्च, 1917 की कान्तियाँ इसी प्रकार की थीं। माक्से ने कहा था कि किसी देश में अमिक कान्ति तभी आ सकती है जब समुचित राजनीतिक और आर्थिक विकास द्वारा उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाए। मेनशेविक, जिन्होंने मार्च, 1917 की कान्ति में भाग लिया था, मार्क्स के सिद्धान्त को मानते थे और यह कहर्यांश समझते थे कि जारशाही के स्थान पर पहले एक उदार जनतंत्रीय सरकार स्थापित की जाए जो द्रुतगति से देश का घोड़ीगोकरण करे। उनका विश्वास था कि मध्यवर्गीय और अमिकवर्गीय कान्तियों के बीच में समय का काफी अन्तर होगा। लेकिन निर्वासन से लौटने के बाद प्रप्रेल, 1917 में लेनिन ने धोषणा कर दी कि अन्तरिम सरकार के साथ नोई सहयोग न किया जाए और जब उसने अपने साधियों और अमिक अधिनायकबद्ध स्थापित करने को भी नहीं कहा तो मेनशेविकों को बड़ा आवश्यं हुआ। लेनिन ने स्पष्ट किया कि सांविधानिक अथवा लोकतात्त्वमक सूत्रों से कान्ति की किसी भी स्थिति का समाधान नहीं होता। कान्ति अनिवार्य रूप से विविधात्र है, अतः अधिनायकबद्ध अवस्था से ही समाप्त होती है। रूस के तत्कालीन आवनात्मक ज्ञान ने लेनिन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि माक्सिंवादी सिद्धान्तवेत्ता केवल भी सूचें, समझें या कहें, लेकिन कान्ति के लिए एक छोटा रास्ता सम्भव नहीं और रूस को उस समय कान्ति के पथ पर भोड़ा जा सकता था। लेनिन ने इसी दिशा में पहल की ओर कान्ति का बिगुल फूंक दिया। मेनशेविकों तथा सामाजिक कान्तिकारियों को करारी मात देते हुए उसने अक्तूबर में कान्ति का शीरण लिया और प्राय एक रक्तहीन कान्ति के फलस्वरूप तत्कालीन करेस्की सरकार का अन्त कर दिया। माक्से ने जिस देश को समाजबुद्धी कान्ति के लिए सरकार का अन्त कर दिया। माक्से ने जिस देश में सबसे पहले साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इस पर भी लेनिन का कहना यही था कि रूसी कान्ति माक्से के सिद्धान्त हुई। इस पर भी लेनिन का कहना यही था कि रूसी कान्ति माक्से के सिद्धान्त के अनुसार ही हुई है क्योंकि सन् 1917 से पूर्व घोड़ीगिक ससार में जो आर्थिक और राजनीतिक विकास हुए उन्होंने किसी एक विशेष देश में, जहाँ पूँजी-बादी शासन बहुत भ्रष्टिर दशा में था, सफल समाजवादी कान्ति के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया था।

रूसी कान्ति स्वयं मार्क्स तथा बोल्शेविकों की प्रयोक्तिरुप समस्याओं से शिख अवस्थाओं में हुई तथापि बोल्शेविकों ने यही घोषित किया कि कान्ति ने मार्क्स की अविष्ववादी को सत्य सिद्ध कर दिया है। सन् 1919 में तृतीय इन्टर्नेशनल परिषद (The Congress of the Third International, 1919) के घोषणाभूषण में कहा गया कि हम एक ऐसे लक्ष्य को मानने वाले और उसके लिए कार्य करने वाले हैं जिसके लिए प्राज्ञ से 72 वर्ष पूर्व कार्यक्रम तैयार किया गया था। लेनिन ने स्पष्ट घोषित किया कि पूजीवादी राज्य के स्थान पर सर्वहारा राज्य की स्थापना हित्तात्मक कान्ति — बिना असम्भव है। यदि आज साम्बद्धता को हिता वे समरूप समझ जाता है तो इसका सम्पूर्ण यश या अपवाह लेनिन को मिलना चाहिए।

### लेनिन की दल सम्बन्धी धारणा

(Lenin on Party)

लेनिन ने मार्क्सवाद में सशोधन कर रूसी कान्ति में जिस मार्ग का अनुसरण किया उसका आधार दलीय हितान्त था। दल के विषय में लेनिन के विचार बड़े मौन्यवादी और कठोर थे। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि कान्ति की सफलता के लिए साम्यवादी दल का सौहागित्र ग्राहित है जिसका प्रचान कार्य मजदूरों में राजनीतिक नेतृत्व भरना और उन्हे सघर्ष के लिए तैयार करना होगा। दल के दृढ़ और साहसपूर्ण मगठन के बिना कान्ति लाना सम्भव नहीं और सत्ता के सघर्ष के लिए मजदूर बर्ग के पास संगठन के प्रतिरक्ति कोई अस्त्र नहीं होता। लगातार पूर्ण नियंत्रण से बहुत मजदूर आर्थिक भर्तों की पूति के लिए सघर्ष हेतु शीघ्र तैयार हो जाते हैं, विन्तु उनमें यह भावना भी भरती है कि वे राजनीतिक सत्ता को छीनने के लिए प्रस्तुत हो। यह राजनीतिक भावना उनमें स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकती, प्रत्युत इस तो उनमें पूष्ट चरना होता है। यह उन अपनामी लोगों का कार्य है जो इतिहास वा दृष्टिवादी अध्ययन कर इए उन्धें पर पहुंचे हैं कि पूजीवादी समाज की ओर असमर्पियां और निरन्तर चरने वाली विवरां साम्यवादी दल के नेतृत्व में ग्रामीण सर्वहारा कान्ति से ही सुनक सकती हैं और उसी से समृद्ध एवं उन्नत स्वनन्त्र समाज की रचना हो सकती है। लेनिन ने देखा कि महान् सघर्ष करना है तथा इस सघर्ष के जनना अपन ही बाज पर नहीं चला सकती। युद्ध में विजय प्राप्त बर्तने के लिए सत्ता के अधिक दस्तों (हरावलो) की अधिक आवश्यकता है। साम्यवादी दल को लेनिन न हरावर्ड (Vanguard) की सज्जा दी। उसने इह कि आवश्यकता इस बात की है कि प्रचार और प्रगतिशाली द्वारा बहुमत्यक जनता को इन अद्वितीय दस्ती के निवट सम्पर्क में लाया जाए।

लेनिन ने दल की अपनी विशिष्ट परिभाषा की। सबाइन के शब्दों में लेनिन के अनुमान "दल कुछ विशिष्ट बुद्धिजीविया और नीतिज्ञ पूर्णों का एक सुसमित्र गुट होता है। यह चुने हुए बुद्धिजीवियों का गुट इस भर्व में है कि उसका मार्क्सवाद विषयवाचीय ज्ञान मार्क्स के मिदान की शुद्धता की कायम रखता है तथा इसके द्वारा दल की नीति वा पर्याप्तता है। जब दल भर्ति प्राप्त बर्तने हैं तब

राज्य की नीति का पथ-प्रदर्शन करता है। वह चुने हुए नीति-निपुण पुरुषों का समठन इस पर्यां में है कि चुनाव और कठोर दलगत प्रशिक्षण के कारण ये तोग दल तथा क्रान्ति के प्रति पूरी तरह निष्ठावान हो जाते हैं।"

लेनिन का यह भत्ता कि दल सदैव ही मजदूर आन्दोलनों से सलग रहता है तथा इन आन्दोलनों को नेतृत्व व पथ-प्रदर्शन प्रदान करता है। दल क्रान्ति के विचारों का प्रसारण करता है, क्रान्ति की तकनीक का शिक्षण देता है और मजदूरों को अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल बनाता है। शक्तिशाली दलीय समठन के कारण मजदूर वर्ग एक अङ्गेय शक्ति बन जाता है। दल की अनिवार्यता न केवल क्रान्ति से पूर्व ही होती है, बल्कि यह पूर्जीवादी राज्य का विनाश करने एवं अमजूदीवी अधिनायकत्व की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक है। लेनिन ने कहा था कि मद्दि दल को वास्तव में हरावल या अधिग्रहण दस्ते के रूप में कार्य करना है तो यह सबंधा अपेक्षित है कि उसे क्रान्तिकारी सिद्धान्त और जुनिट के नियमों का भी पूरण जान हो। दल का प्रयोजन सर्वहारा वर्ग एवं सम्पूण जनता की भलाई करना है, किन्तु उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, इसका एकमात्र निरांय करना भी दल के ही हाथ में है। अभिप्राय यह है कि "सर्वहारा वर्ग की शक्ति प्राप्त करने और प्राप्त शक्ति को सजोये रखने के सघर्ष में दल की स्थिति एक सैनिक समठन जैसी है। दल सर्वहारा वर्ग की एक वह अधिग्रहण सैनिक पक्षि है जो न केवल वर्ग-चेतना में सर्वोपरि होती है बरन् मजदूर वर्ग के लिए त्यग करने में भी सबसे थागे रहती है। मार्क्सवाद का सिद्धान्त उसे एकता के सूत्र में बांधे रखता है और समठन उसे शक्तिशाली बनाता है।"

लेनिन ने क्रान्ति की बागडोर अपने हाथ में सम्हालने के समय से ही क्रान्तिकारी आन्दोलन को दो सुदृढ़ आधारशिलाओं पर प्रस्थापित करने की चेष्टा की। पहली आधारशिला दल के लोगों में मार्क्स के क्रान्तिकारी विचारों में अटूट विश्वास एवं भक्ति की थी ताकि आदर्श एकता कायम रहे। दूसरी आधारशिला दल में कठोर अनुशासन एवं समठन की थी—ऐसा अनुशासन कि दलीय नीति में विश्वास न रखन वाला कोई भी व्यक्ति दल में प्रवेश न पा सके और न कोई व्यक्ति दल के विश्वद कोई कार्य कर सके। सेवाइन ने इन दो आधारशिलाओं को मार्क्सवादी सिद्धान्त के आधार पर आदर्श एकता तथा कठोर समठन एवं अनुशासन के आधार पर भौतिक एकता कहा है। सन् 1920 में तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के एक प्रस्ताव में कहा गया था—"साम्यवादी दल मजदूर-वर्ग का एक झग है। वह उसका सर्वाधिक प्रगतिशील, सर्वाधिक वर्ग-चेतनापूर्ण और इसीलिए सर्वाधिक क्रान्तिकारी अग है। साम्यवादी दल का जन्म ऐसे कार्यकर्ताओं के चुनाव द्वारा होता है जो सबसे अच्छे सबसे बुद्धिमान, सबसे अधिक आत्मव्यापी, सबसे अधिक वर्ग-चेतनापुक्त और दूरदर्शी होते हैं। साम्यवादी दल वह समठित राजनीतिक व्यवस्था है जिसके द्वारा श्रमिक वर्ग का अधिक उन्नत भाग समस्त मजदूरों और मर्द-मजदूरों को सही दिशा प्रदान करता है।" तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (1920) में स्वीकृत प्रस्ताव का यह उद्दरण ही

सन् 1934 के चार्टर में और फिर सन् 1936 के संविधान में दल के विवरण का प्राप्ति बना था। सन् 1936 के संविधान ने दल को पहली बार वैधानिक स्थिति प्रदान की।

लेनिन दल को एक गिर्जा धर्मवा धर्मज्ञा के समान समझता था। वह नहीं बहुता दा कि सदस्यों को दल की आलोचना करने का प्रविकार प्राप्त हो। उसका विवास शाय करने में था, व्यवहार के बाद-विवाद में नहीं। उसका कहना था कि दल के सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे के साथी बनते हैं और उनका विशेष उद्देश्य हाँ ऐसे संघर्ष करना है अत लड़य की पूनि के लिए प्रयत्न होना चाहिए, बहत के लिए नहीं। यका देने वाली बौद्धिक चर्चाग्री से उसे घृणा थी। वस्तुत लेनिन की दबावें चारणा उसकी मार्क्सवाद सम्बन्धी दार्शनिक विचारधारा का ही अंश थी। मार्क्सवाद अविकलनम भक्ति और गहन निष्ठा की मौज़ करता है तथा लेनिन ने भी कहा है कि दल की मौज़ केवल धर्मदिव्य भक्ति है। दल में सौह-भनुशास्त्र धर्मिताय है। निम्न अंगों का एकमात्र कर्तव्य दल के उच्च अंगों द्वारा निर्धारित नीति का विना ठक्करिताएँ के अनुसरण करना है। लेनिन ने सन् 1904 में दल की जिस विचारधारा का निर्णय किया था, वही अब तक विद्यमान है। कानूनी सफलता के साथ-साथ दल शासन का मुख्य प्रेरणा खोत भी बन गया है। लेनिन दलीय संगठन में सोकृतन्ववाद को एक व्यवहार की विशेष भ्रम में ढाल दिया है। सेवाइन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है—“पश्चिमी आलोचकों द्वारा इसी राजनीति का यह तत्व (स्वतन्त्र चिन्तन और गुणी निरांय का) बड़ा रहस्य प्रतीत होता है। जब कभी कोई विचारधारा निर्णय की प्रक्रिया में होती है उस समय कुछ प्रश्नों पर विचार हो सकता है, और उनके दारे में आलोचना की गुणादाश रहती है। अन्य प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके दारे में निरांय हो चुकता है और फिर उन पर आलोचना की गुणजात, नहीं रहती।” पश्चिमी यूरोप के चिन्तन में निश्चिन सीमाएँ के अन्तर्गत स्थिर सिद्धान्तों तथा मुक्त शाद-विवाद के सम्बन्ध का कोई सादृश्य नहीं मिलता। वही यदि हमें इसके नजदीक की कोई चीज दिखाई देती है, तो मध्य युग की स्वानुभूति तथा विदेक का अन्तर है। इस दृष्टि से साम्प्रवाद एक प्रकार का राजनीतिक धर्मवाद (Political Clericalism) है और उसका दार्शन एक श्रकार का लौकिक पाण्डित्यवाद (Secular Scholaricism) है। मार्क्सवाद कितना ही बदल सकता है, लेकिन इन परिवर्तनों द्वारा आधार मार्क्सवाद के अपरिवर्तनशील सिद्धान्तों की जटिल पुनर्व्यवस्था होनी

पाहिए। इस की वार्षी देवताणी के समान पादन होती है और वह कभी गलत नहीं होती।”<sup>1</sup> इस तरह एक कार से मुद्र वैज्ञानिक भविष्यवालियाँ करने ली जाता रखता है, वह राजनीति को एक तरह की इन्जीनियरी बना देता है। सोवियत साम्यवादी दल के इतिहास (History of the Communist Party of the Soviet Union) में उल्लिखित है—

“मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त की शक्ति यह है कि वह दल को हर स्थिति में सही दिशा प्रदान करता है, वर्तमान घटनाओं के ग्रान्तिक पर्याय का बीच करता है, उनके प्रवाह को समझ सेता है और केवल यह नहीं जान लेता कि ऐसे वर्तमान में किस प्रकार तथा किस दिशा में अप्रसर हो रहे हैं बल्कि यह भी जान लेता है कि वे भविष्य में किस प्रकार और किस दशा में अप्रसर होंगे।”

इसमें कोई सन्देह नहीं कि लेनिन के दल ने कान्ति को और लेनिन के दलीय सिद्धान्त ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवादी राजनीतिक दर्जन को निपिच्छित किया।

लेनिन के दल सम्बन्धी विचार कहाँ तक मार्क्स के विचारों से टकराते हैं, और उनमें बहु गुणियाँ हैं, इसे देख ने निष्ठानुसार स्पष्ट किया है—

“लेनिन का क्रान्तिकारी दल-सम्बन्धी विचार मार्क्स के व्यावसायिक समूहों से सम्बन्धित विचार का सूखम रूप है। वह मार्क्स के इस विचार को उचित नहीं घोषणा कि कम्युनिस्ट पार्टी को मजदूरों का मालिक नहीं परिपुरु उनकी सरकिका शक्ति होना चाहिए। लेनिन बुद्धिमानों के कल्पनाओं के विषय में एक भ्रामक समाजवादी सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। स्वतन्त्रता-प्रजन उसके लिए बुद्धिमानों का कार्य है जबकि मार्क्स के लिए अभिकों का। उसका कथन है कि अमिक स्वयं समाजवादी नहीं हो सकते, व्यापारिक समवाद तथा क्रान्तिकारी सिद्धान्त उनके बीच मध्यम वर्ग के विदेशील लोगों द्वारा ही लाए जा सकते हैं।”

लेनिन के दल सम्बन्धी विचार में अनेक गुणियाँ हैं। पहली तो यह कि क्रान्ति का कारण विचार है, उत्पादन की भौतिक स्थितियाँ नहीं। यह विचार मार्क्स के विचारों के बिलकुल विपरीत है। दूसरे यह कि शक्ति उसमें भी अधिक प्रभावशाली हो सकती है जितनी कि मार्क्स तथा ऐजिल्स ने कल्पना की है। तीसरे, क्रान्ति तदेव समूर्ण होगी, जबकि मार्क्स के मतानुसार उसे हिस्पूर्ण नहीं होना चाहिए। जहाँ कभी-कभी यह प्रतीत होना है कि लेनिन अमार्क्सवादी है, वहाँ प्राय यह भी दृष्टिगोचर होता है कि वह सूर्धिवादी मार्क्सवादी है। उसका विचार ऐसे दल को तैयार करने का नहीं या जो क्रान्ति कर सके, वरन् वह ऐसे दल की स्थापना करना चाहता या जो समाजवादी क्रान्ति पैदा कर सके। उसने ट्रॉट्स्की के इस विचार का विरोध किया कि पूँजीवादी क्रान्ति से ही एकदम समाजवादी क्रान्ति का विकास होगा। यह प्रेरित अवसरवाद ही पा, संदर्भितक दोष-हिति नहीं जिसने सन् 1917 की द्वितीय क्रान्ति में उसे

अपनी स्थिति परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर दिया था। भले यह विचार कि पूँजीपतियों तथा अमिकों को आन्ति के लिए समय दिया जाना चाहिए एवं ऐसी गुणी है जो उसके सिद्धान्त तथा उसके दल से सम्बन्धित विचार से सम्बद्ध है।<sup>1</sup>

### अमर्जीवी अधिनायकवाद के विषय में लेनिन के विचार

(Lenin on Dictatorship of the Proletariat)

माझे वी कृतियों में सर्वहारा के 'अधिनायकत्व' शब्दों का दो या तीन बार उल्लेख है, किन्तु लेनिन के अपने आन्ति सम्बन्धी विचारों ने इसे मूल तत्व बना दिया। इस वी जारवादी और शक्तिवादी परम्पराओं से पले हुए लेनिन की मान्यता थी कि एक ऐसा सुसमित्र साम्यवादी दल (सर्वहारा वर्ग) तंयार होना चाहिए जो पूँजीवाद का अन्त कर विजय प्राप्त करे और उसके बाद आन्ति के परिणाम को ठोस रूप दे। वास्तव में लेनिन के दल ने आन्ति को और लेनिन के दलीय सिद्धान्त ने सर्वहारा वर्गीय अधिनायकवाद के राजनीतिक दर्शन को निश्चित किया।

लेनिन की अमर्जीवी तानाशाही का अध्ययन निम्नलिखित दो शीर्षकों में दिया जा सकता है—

(1) अमर्जीवी आन्ति के यन्त्र के रूप में, एवं

(2) सक्रमण-कालीन राज्य के रूप में।

अमर्जीवी आन्ति के यन्त्र के रूप में—अमर्जीवी तानाशाही आन्ति की प्रगति एवं सफलताओं को साकार बनाती है। "यह अमर्जीवी आन्ति का यन्त्र है जिसकी स्थापना का प्रथम उद्देश्य तो परास्न शोषणकर्त्ताओं के प्रतिरोध का दमन करना और अमर्जीवी आन्ति की सफलताओं को सुदृढ़ बनाना है तथा दूसरा उद्देश्य अमर्जीवी आन्ति को पूर्ण बनाना है।"

कि ही परिस्थितियों में यह सम्भव है कि अमिक वर्ग तानाशाही के बिना ही पूँजीपति वर्ग को पराजित कर दे, किन्तु यह निश्चित है कि तानाशाही के प्रभाव में अपनी विजय को बनाए रखना अमिक वर्ग के लिए सम्भव न होगा। आन्ति का पूरा प्रतिफल तभी प्राप्त हो सकेगा जबकि विजय सांणिक सिद्ध न हो। आन्ति के तुरन्त बाद शान्ति की प्रस्थापना नहीं होती। पूँजीपतियों, जमीदारों और भू-स्वामियों की अवशिष्ट शक्तियाँ, जो पर्याप्त बलशाली होती हैं, अपना प्रतिरोध जारी रखती हैं। वे सदैव ऐसे अवसर की ताक में रहती हैं जिससे उनके पक्ष में पास पलद जाए। भले आन्ति के परिणामों द्वारा सुदृढ़ बनाने एवं प्रतिक्रियावादी शक्तियों को कुचलने के लिए सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होना आवश्यक है। कर्ऱेस्की सरकार द्वी सुमारे बर्ले के बाद यदि लेनिन् तानाशाही की स्थापना न करता तो यह सम्भव था कि विदेशी पूँजीपतियों द्वारा प्रच्छदन सहायता प्राप्त आन्ति के शवु लेनिन शासन को उत्थाप कर पुन तुराने पूँजीवादी शासन की स्थापना कर देते। अमर्जीवी तानाशाही न केवल अमर्जीवी आन्ति के साधन के रूप में कार्य करती है बल्कि उसका (अमर्जीवी

तानाशाही का} कायं यह भी है कि अधिक वर्ग अपने 'बलबान् शत्रु पूँजीपति वर्ग' के विरुद्ध एक अत्यन्त भीषण एव सकल्पबद्ध युद्ध के लिए प्रेरित हो। लेनिन के शब्दों में श्रमजीवी तानाशाही पुराने समाज की ज़क्कियों और परम्पराओं के विरुद्ध एक अद्वितीय संघर्ष है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो रक्तपूर्ण भी है और रक्तहीन भी, हिसापूर्ण भी है और प्रहितक भी, आधिक भी है और सैनिक भी तथा शिक्षात्मक भी है और प्रशासकीय भी।

श्रमजीवी तानाशाही का कोई अल्पकालीन युग नहीं होगा। यह कान्तिकारी अधिनियमों और अध्यादेशों का अल्पकालीन जीवन नहीं होगा। यह तो एक सम्पूर्ण ऐतिहासिक युग होगा जिसमें पूँजीवाद के समूल विनाश और साम्यवाद की स्थापना की प्रक्रियाओं की पूर्ति होगी। यह भी सम्भव है कि श्रमजीवी तानाशाही का यह ऐतिहासिक युग संघर्ष का युग बना रहे। इस युद्ध में गृह-युद्ध और बाह्य संघर्ष होंगे तथा संगठनात्मक एव आधिक पुनर्निर्माण का बायं होगा। यह युग ऐसा भी नहीं होगा जिसमें निरन्तर प्रगति होती रहे। इसमें यदि प्राप्त बढ़ा जाएगा तो ऐसे भी अवसर प्राप्त होंगे जब पीछे हटना पड़े। उत्कर्ष-प्रपञ्च के युग में विजय और पराजय दोनों ही न्यूनाधिक प्रपत्ता छेल खेलती रहेगी। श्रमजीवी तानाशाही के युग की प्रकृति अधिकांश में इसी ढंग की होगी। ग्राज रूस सन् 1917 की कान्ति के उपरान्त 65 वर्ग पूरे कर चुका है। इस अवधि में अनेक परिवर्तन हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। कान्ति के सुपरिणामों का उपभोग करने के लिए मजदूर वर्ग जिस नवीन समाज की स्थापना करना चाहता है, उसके लिए एक लम्बे समय का होना आवश्यक है।

संक्षमणकालीन राज्य के रूप में— श्रमजीवी तानाशाही का दूसरा पक्ष वह है जिसमें मजदूर वर्ग पूँजीवादी वर्ग पर शासन करता है। श्रमजीवी तानाशाही श्रमजीवी कान्ति के परिणामों की सुदृढता का साधन ही नहीं होगी, वरन् यह एक प्रकार की संक्षमणकालीन राज्य-व्यवस्था होगी जिसमें श्रमजीवी वर्ग पूँजीपति वर्ग के नियन्त्रण में न होकर उसके नियन्ता के रूप में होगा और अपनी विशाल शक्ति से भन्त में उसका समूल नाश करके ही दम लेगा। श्रमजीवी तानाशाही एक ऐसे संगठन के रूप में होती है जिसमें एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा नियन्त्रण और शोषण किया जाता है। इस प्रकार यह पूँजीवादी व्यवस्था के ही समान है। दोनों में अन्तर यह है कि जहाँ पुरानी अर्थात् पूँजीवादी व्यवस्था में बहुमत्यक वर्ग का (पूँजीपतियों के अन्तिरिक्त अन्य लोग) अल्पसंखक वर्ग (पूँजीपति) के द्वारा शोषण होता था वहाँ इस नवीन व्यवस्था में अर्थात् श्रमजीवी तानाशाही के अन्तर्गत अल्पसंखक वर्ग का (पूँजीपति) बहुसंखक वर्ग (अधिक) द्वारा शोषण होता है। इस नीति में राज्य संदर्भ पद्दलित वर्ग को ऊचा उठाता है और विनोद अधिकारपूक्त वर्ग दो नीचे गिराता है। अब पूँजीवादी नीति के विपरीत साम्यवादी नीति दोनों वर्गों के भेदभाव को बढ़ाने के स्वातं पर क्रमग वस्तु करती है और इस प्रकार उन दोनों को समिक्षित कर एक समाज का रूप दे दी है। वास्तव म साम्यवादी

हायंकम धन्त मे उन सब समुदायों का पन्त कर देना चाहता है जो एक पृष्ठ हूँ वर्ग के स्पष्ट मे कायम रहना चाहते हैं। जब वर्गों का धन्त हो जाएगा, तब दमनकारी सामाजिक शासन भी समाप्त हो जाएगा। स्पष्ट है कि जहाँ तक राज्य-सिद्धान्त का सम्बन्ध है, राज्य का चाहे कंसा भी स्पष्ट हो, वह सर्वर्ग को प्रकट करता है। उसकी समाप्ति वर्ग-विहीन समाज मे ही हो सकती है। ऐंबिल्स ने कहा था कि समाजवाद के धन्तांतर राज्य का लोप हो जाएगा। लेनिन ने ऐंबिल्स के सूत्र वा विकास किया और बताया कि इसे गलती से ही विकास धर्या धीमी नीति के पश्च मे प्रस्तुत किया गया था। इस सूत्र का वास्तविक पर्य पह है कि अमिक वर्ग ज्ञानित द्वारा पूँजीवादी राज्य को उखाड़ फेंकेगा। इसके बाद वह सक्रमणकालीन राज्य की स्थापना करेगा जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवादी राज्य होगा। धीरे-धीरे उद्यो-उद्यो अमिक वर्ग सच्चे साम्यवाद की परिस्थितियों उत्पन्न करता जाएगा, त्यों त्यों वह राज्य धर्या घट्दं राज्य शने-शने सुन्त होता जाएगा।<sup>1</sup>

सक्रमणकालीन राज्य के स्पष्ट मे अमज्जीवी तानाशाही धर्यनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रतिरोधी शक्तियों को बलपूर्वक कुचल देने के लिए दिवण हो जाती है। पराजित पूँजीप्रति की मनोदशा धायल सर्व-ज्ञानी हो जाती है। वह विदेशी सहायता से धर्यनी कोई ही शक्ति पुन व्राप्त करने के लिए प्रयत्नसिद्ध रहता है अतः अमिक वर्ग शासन-सत्ता प्राप्ति और विशुद्ध साम्यवाद की स्थापना के बीच की सक्रमणकालीन धर्यता में पूँजीप्रतियों की अवशिष्ट किन्तु पर्याप्त शक्ति का दमन और नवीन समाज की रक्षा करने में लग जाता है। लेनिन एव उसके अन्य साखियों की यह भाव्यता थी कि सक्रमणकालीन अवस्था में यह सर्वर्ग बहुत सम्भा और झट्ट हीगा। चौंकि अमिक-वर्ग धर्यने शत्रुघ्नों के दमन के लिए और समस्त प्रतिरोधों के उन्मूलन के लिए शक्ति का निरकुण प्रयोग करेगा, इसलिए इस नवीन राज्य को तानाशाही धर्या अधिनायकवाद कहा गया है। लेनिन के कथनानुसार “तानाशाही एक ऐसी सत्ता है जो प्रत्यक्ष स्पष्ट से शक्ति पर ध्यायारित है और कानून की सीमा से परे है।” अमज्जीवी तानाशाही एक ऐसी सत्ता है जिसे हिसा द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा पूँजीवादी वर्ग के विनाश हेतु कायम रखा जाता है।

शक्ति पर आधारित एव कानूनों के प्रकृता से परे अमज्जीवी तानाशाही का स्वत्व लोकतन्त्र नहीं हो सकता। इसके धन्तांतर पूँजीवादी एव लभु पूँजीवादी वर्ग स्वतन्त्रता से विचित रहते हैं। प्रशासनिक कायों में भी इनका कोई नाग नहीं होता। स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के लिए तो उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी जब तानाशाही समाप्त हो जाने पर विशुद्ध साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। विशुद्ध साम्यवाद की स्थापना कड़ तक धर्या कितनी अवधि में हो सकेगी, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी स्थापना तभी सम्भव होगी जब वर्ग-सर्वर्ग की सभी परिस्थितियों का धन्त हो जाएगा और सच्चे साम्यवाद की परिस्थितियों निविदाद

<sup>1</sup> चेतावन धर्यनीतिक दर्शन का इतिहास, पृष्ठ 784.

रूप से स्थापित हो जाएंगी। ऐसा होने पर ही राज्य का सौष हो सकेगा, किन्तु यदि तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस सङ्कलणकालीन श्रमजीवी अधिनायकवादी काल में राज्य वर्ग-शोषण का एक यत्न बना रहेगा और पूँजीपतियों तथा अन्य प्रतिरोधी शक्तियों के समूल विनाश के लिए अपना दमन चक्र चलाता रहेगा। ट्रॉट्टर्स्टी ने कहा या कि लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता का अस्तित्व तो पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत भी नहीं होता। इनकी बात करना पूँजीवादियों का कोरा मुलाबा है।

सङ्कलणकालीन राज्य के रूप में श्रमवार्षीय तानाशाही की एक मन्त्र विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य शासकों का परिवर्तन ही नहीं, अरितु नवीन व्यवहार्य के स्थान पर नवीन व्यवस्था की स्थापना करना है। श्रमजीवी तानाशाही का उदय तभी सम्भव है जब पुराने पूँजीवादी राज्य के सम्पूर्ण तन्त्र को छस्त कर दिया जाए, धर्षाद् पुरानी पूँजीवादी सेवा नोकरशाही, पुलिस आदि को एकदम निष्ठारण कर दिया जाए। साम्यवादियों का कहना है कि अमिक पुराने भवन की एक भी ईट नहीं लगी रहने देना चाहते। लेनिन और उनके साथी सदैव पुराने पूँजीवादी यन्त्र दो व्यस्त हरने की बात करते थे।

बैंसा कि कहा जा चुका है कि मजदूर अधिनायकवाद लोकतन्त्रारम्भ की नहीं हो सकता। यह एक नवीन प्रकार वा वर्ग-संघर्ष है। इसमें सुसदीय प्रणाली को कोई स्थान नहीं है। लेनिन की दृष्टि में सुसदीय व्यवस्था पूँजीवादी शासन का एक यत्न है जिसका अमिक वर्ग के लिए कोई मूल्य नहीं है। चूँकि मार्क्स के ग्रनुसार अमिक वर्ग के अधिनायकत्व का उद्देश्य राजनीतिक लोकतन्त्र की प्राप्ति है अत लेनिन ने भी यह कहा कि अमिक लोग सोवियत नामक संगठन के नवीन रूप द्वारा लोकतन्त्र का उपभोग करें। साम्यवादियों का दावा है कि उनका राज्य एक उच्चतर लोकतन्त्रात्मक श्रमजीवी राज्य है। स्टालिन ने भी कहा या कि सोवियतें (Soviets) मजदूर-वर्ग की सर्वाधिक व्यापक जन-सुगठन हैं और राज्य की सम्पूर्ण शक्ति का स्थायी आधार हैं।

श्रमजीवी तानाशाही का व्यावहारिक रूप—निष्ठान रूप से विचार करने पर विदित होगा कि श्रमजीवी तानाशाही जैसी सिद्धान्त में है वैसी व्यवहार में नहीं। लेनिन दावा करता था कि मजदूर लोग एक नए रूप में जनतन्त्र का उपभोग करेंगे। साम्यवादी अपने राज्य को श्रमजीवी लोकतन्त्र का नाम देते हैं किन्तु यह सब केवल संदान्तिक है। व्यवहारत तानाशाही मजदूरी वर्ग की नहीं, बल्कि मजदूर वा पर है। सिद्धान्त अनुदूर वर्ग स्वतन्त्र है और उसमें सम्पूर्ण शक्ति निहित है विन्तु व्यवहार में मजदूर वर्ग दल के अधीन थोर सम्पूर्ण शक्ति दल में ही निहित है। मजदूर वर्ग के अधिनायकत्व का व्यावहारिक रूप है विचार स्वातन्त्र्य का अपहरण मठभेद रखने वालों का दमन और सामाजिक जीवन पर पूर्ण नियन्त्रण। मजदूर वर्ग द्वारा, सचालित साम्यवादी सरकार के स्थान पर मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व मजदूरों में इनेपिने समाजवादियों दा शासन द्वन गया है। श्रमजीवी तानाशाही मुट्ठी भर समाजवादियों का निरकुश शासन मात्र है। सेवाइन ने श्रमजीवी तानाशाही

भ्रष्टवा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के प्रयोजनों और इसके व्यावहारिक स्वरूप को निम्नलिखित शब्दों में विवित रिया है—

“सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के दो प्रयोजन होते हैं। प्रथम, जब पूँजीपति वर्ग को सत्तान्वयुत कर दिया जाता है तब उसकी प्रतिराप शक्ति दस गुना बढ़ जाती है अत इस वर्ग को नियन्त्रण में रखकर इसकी त्रान्ति-विरोधी चेष्टाओं को रोकना। दूसरे, नई भार्यिक और सामाजिक व्यवस्था का सगठन करना। दूसरा काम विशेष रूप से दल का है। दल उन समस्त शोषित वर्गों का, जिनमें भी तद्वर्ग भावना का विकास नहीं हुआ है शिक्षक, पथ प्रदर्शक और नेता होना है। यद्यपि लेनिन का यह व्यवन नहीं था, लेनिन इटलिन के अनुसार लेनिन का मन्तव्य यही था कि यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद है। दल समस्त मजदूर-सगठनों के लिए एक आधार बन जाता है। लेनिन ने इस बात को स्पष्टता से सिद्ध किया कि मजदूर वर्ग का अधिनायकवाद एक राज्य है, वह एक वर्ग का उपचारण है और दमन का साधन है। वह शोषकों का ही दमन नहीं करता, प्रत्युत मजदूरों और सम्पूर्ण जनता पर भी कठोर अनुशासन लगाय करता है। सक्षिप्त में लेनिन का मन्तव्य यह था कि कोई भी राज्य चाहे पूँजीविलों का राज्य हो, चाहे मजदूरों का, वर्ग-प्रमुख का साधन होना है। जहाँ-रही प्रमुख होता है वहाँ न स्वतन्त्रता होती है और न लोकन्त्र। इसलिए राजनीतिक स्वतन्त्रता को उस समय तक के लिए स्थापित किया जा सकता है जब तक साम्यवाद की स्थापना न हो जाए और वर्ग सघर्ष लुप्त न हो जाए। बर्नमान काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद एक राज्य होने वे कारण न स्वतन्त्र होता है और न लोकतन्त्रात्मक हो। इस सम्बन्ध में ट्रॉट्स्की वा मत या कि ‘लोकतन्त्र पूँजीवादी समाजव्यवस्था वा आडम्बर मात्र है।’ शिखर पर गिने चुने मुट्ठी भर व्यक्तियों का निरकुण शासन साम्यवादी दल वे प्रदल के निर्दित और अनुशासित स्वरूप एव लोकतन्त्रीय बेन्द्रवाद (Democratic Centralism) के सिद्धान्त का स्वाभाविक परिणाम है। लेनिन वा विचार या कि दल का सगठन अधिक केन्द्रीकृत प्रथम सोपानबद्ध होना चाहिए जिसमें सत्ता वा प्रसार ऊपर से नीचे की ओर हो। लेनिन ने ऐसे विकेन्द्रीकरण अथवा सघवाद का सर्व ही विरोध किया था जो स्थानीय समुदायों को स्वतन्त्रता प्रदान करता हो अथवा दल के अवयवीय तत्त्वों को स्वायत्ता देता था। इस विषय में होने वाले वाद विवाद में अपनी स्थिति के विवेचन के लिए लेनिन ने ‘लोकतन्त्रात्मक बेन्द्रवाद’ शब्द का प्रयोग किया था और इस ‘लोकतन्त्रात्मक बेन्द्रवाद’ के लोकतन्त्र को बही समझ सकता था। सन् 1904 में ‘एक कदम आगे, दो कदम पीछे’ (One Step Forward, Two Steps Back) में उसने इस प्रश्न को इस भाँति प्रस्तुत किया था—

“नौकरणाही बनाम लोकतन्त्र वही भीज है जो बेन्द्रवाद बनाम स्वायत्ता (Automatism) है। वह सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy) के अवसरवादियों के मगठनात्मक सिद्धान्त के विरोध में त्रान्तिकारी राजनीतिक लोकतन्त्र का सगठनात्मक सिद्धान्त है। सामाजिक लोकतन्त्र के अवसरवादी नीचे से ऊपर की

प्रोर जाना चाहते हैं और इसलिए जहाँ-कहीं सम्भव होता है तथा जिस सीमा तक सम्भव होता है, वे स्वायत्तता तथा लोकतन्त्र का समर्थन करते हैं। आन्तिकारी राजनीतिक लोकतन्त्र के समर्थक ऊपर से चलते हैं और अगो की तुलना में केन्द्र के अधिकारों और शक्तियों को समर्थित करते हैं।<sup>1</sup>

ट्रॉट्स्की ने बताया था कि लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद का परिणाम यह होता है कि दल का समाज दल के स्थान में, दल की बेन्द्रीय समिति दल के समाज के स्थान में और अन्त में तानाज़ाह या अधिनायक केन्द्रीय समिति के स्थान में प्रस्थापित हो जाता है। इस तरह अभिक वर्ग का अधिनायकत्व नेताओं के अधिनायकत्व का रूप धारण कर रहा है। वह एक ऐसा विकास है जिसकी कूरता को बीमल शब्दों के आवरण में दिखाने का प्रयास किया जाता है और जो भारत के उद्देश्य से बहुत दूर है। रोजा लक्जेन्डर्ग (Luxemburg) जैसी उप्र समाजवादी महिला लेखिका ने भी सन् 1918 में लिखित अपने एक निबन्ध में अधिनायकतन्त्र की साम्यवादी सकुचित बल्पना की आलोचना करते हुए यह मत प्रकट किया था कि अधिनायकतन्त्र सर्वहारा वर्ग का होता चाहिए, उसके किसी एक समुदाय या दल का नहीं और उसका सचासन प्रकट हृष में होना चाहिए, युप्त इध से नहीं, तथा जनता को उसमे भाग लेने, अपने विकार व्यक्त करने एवं आलोचना करने के लिए निमन्त्रित किया जाना चाहिए एवं इसके लिए उसे पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए। लेटिन ने भी पहले अनेक बार अपने भाषणों में भावी साम्यवादी समाज-की ऐसी ही कल्पना प्रचुर की थी, किन्तु भई, 1917 में उसने घोषणा की कि यदि सोवियत शासन को हस्तगत करने में सफल हुई तो वे साधारण अर्थ में राज्य की स्थापना नहीं करेंगी बरन् एक अधिनायकतन्त्र की स्थापना करेंगी जो न तो कानून पर आधारित होगा और न बहुमत की इच्छा पर, बल्कि खुल्लम-खुल्ला बल प्रयोग पर स्थापित होगा। वह एक ऐसा राज्य होगा जिसका रूप के विशाल बहुमत मजबूरी और हृषकों के हित में होगा, किन्तु जिस पर उनकी इच्छा का नियन्त्रण बेवल अतिम रूप म ही होगा, तात्कालिक रूप में नहीं। उसने बाद मे यह भी ट्यूट किया कि व्यावहारिक अवस्थाओं के कारण साम्यवादी शासकों को बाध्य होकर एक दल के अल्पमत के शासन को अपनाना पड़ा जो सर्वहारा वर्ग की ओर से शासन करता है, उनकी प्रेरणा अपवाद उसके ऐच्छिक सहयोग पर नहीं। वह स्वयं अपने (उप-प्रलयमत के) ही उत्साहपूर्ण निर्देशन पर निभर रहता है।

मार्क्स, ऐन्जिल्स और लेटिन तीनों ही अभिक वर्ग के अधिनायकत्व को पूर्जीवाद और साम्यवाद के दीच की सत्रमणकालीन अवस्था मानते थे। उनका बहना था कि पूर्ण समाजवाद में वर्ग एवं राज्य का पूरी तरह अभाव होगा और प्रत्येक को उसकी योग्यतानुसार तथा आवश्यकतानुसार वस्तुएँ प्राप्त होगी। लेटिन पूर्ण समाजवाद की स्थापना से पूर्व की अमर्जीवी तानाज़ाही के सत्रमणकाल म इन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। साम्यवादी स्वीकार करते हैं कि स्त्री म

भी तक के बल समाजबाद ही स्थापित हो पाया है, पूर्ण समाजबाद नहीं। इस में प्राचीन समानता और स्वतन्त्रता माझ भी स्वप्नतोकीय घवस्याएँ हैं। यहाँ 'शत्येक से उसकी योग्यतानुसार, प्रत्येक को उसके कार्यानुषार' का निदान प्रचलित है। शत विषमताओं का होना सर्वथा स्वाभाविक है। इस दी परिस्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता वि धर्मिह वर्ग के घविनायवत्व की यह सत्रमणालीन घवस्या कभी समाज भी होगी या नहीं। एक राज्यहीन और वर्गहीन समाज का सुदृढ़ स्वल्प पूरा होने वे बारे में बोई भी मानान्वित दिशाई नहीं देता।<sup>1</sup> प्लेटो के आदर्श राज्य की भाँति साम्यवादी समाज भी स्वप्नतोकीय ही प्रतीत होता है। लेनिन प्लेटो वा आदर्श राज्य फिर भी अच्छा है क्योंकि उसके दायेनिह शासक भपनी शक्ति का दुष्प्रयोग नहीं दर्जे जबकि इस पर रोक नहीं है यह बहुत सम्भव है कि शासक पूर्णरूप में भ्रष्ट हो जाएँ। लेनिन की घमजोबी तानाशाही शक्ति को मर्यादित करने वाला वह तत्त्व भी नहीं है जो सोक्रतन्त्र में होता है पर्यावृजनता की भपने शासकों को खुनने की शक्ति।

### मार्क्स के अनुयायी के रूप में लेनिन वा मूल्यांकन (Lenin's Estimate as a Follower of Marx)

लेनिन प्रारम्भ से अन्त तक स्वय को मार्क्स का अनुयायी बहता था। उसने भारत-वार कहा था कि मार्क्स के विवार-दर्तन की एक भी मूल धारणा का, उसके एक भी मूल धरण का परिप्रय नहीं किया जा सकता। तब प्रति उठना स्वाभाविक है कि भावित भास्त के इस अनुयायी ने मार्क्सिंबाद को क्या दिया? इसके उत्तर में ऐवाइन वा कथन है—

“कास्तविकता यह है कि उसने मार्क्सिंबाद को विहृत कर दिया। मार्क्स का दावा था कि उसने हीगल की द्वन्द्वात्मक पद्धति को पर्यो के बल सदा किया था। लेनिन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उसने मार्क्सिंबाद को सर के बल सदा कर दिया। प्रथम, मार्क्स का विचार था कि धार्विक-घ्यवस्या मनुष्य की इच्छा ऐ स्वतन्त्र उत्तरादन शक्तियों के भान्तरिक विचार द्वारा विकसित होगी। लेनिन ने कहा इसे मजदूरों की इच्छा और कमबद्ध घासोबन द्वारा यूरोप के सबसे बड़म भौद्योगिक देश में स्थापित किया जा सकता है। दूसरे, मार्क्स वा विश्वास था वि भजदूर वर्ग की विचारधारा भौद्योगिक समाज में उसकी सामाजिक और प्राचीन स्थिति से निर्धारित होती है और मजदूर-वर्ग भपने प्रयत्नों से ही मुक्ति प्राप्त करता है। लेनिन का मत था कि मजदूर-वर्ग भपनी विचारधारा बाहर के भव्यमवर्गीय बृद्धिजीवियों की शिक्षा से प्राप्त करता है। तीसरे, मार्क्स के मत से समाजवादी दल में सासार भर के मजदूरों वे शामिल होने का ग्रावदान था। लेनिन ने साम्यवादी दल को पेशेवर क्रान्तिकारियों का गुप्त समठन बना दिया जिसमें नेतृत्व कुनूने स्वय भूमेताथों वे हाथ में आ यदा। चौथे, मार्क्स का विचार था वि पहले पूँजीवादी कान्ति होती है जो राजनीतिक सोक्रतन्त्र की सत्याओं का निर्माण करती है और इसके बाद सर्वहारा क्रान्ति होती है, लेकिन इस में सर्वहारा क्रान्ति पूँजीवादी कान्ति

के साथ ही हो गई और यह महीने में ही उसने पूँजीवादी क्रान्ति को आत्मसात् कर लिया। इन्हे मेरा मार्क्स का विचार था कि सफल क्रान्ति लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की नागरिक और राजनीतिक स्वतन्त्रताओं को कायम रखेगी और उनका विकास करेगी। लेकिन लेनिन् के नेतृत्व में इस में एक दल का अधिनायकवाद इष्टापित हुआ और उसने किसी दूसरे दल का अस्तित्व तक सहन करना अस्वीकार कर दिया। स्पष्ट है और इसके लिए किसी दृढ़तमक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है कि लेनिन मार्क्सवाद को शैदीओं को स्वीकार करता था, लेकिन इनको व्यावहारिक रूप देने में दाष्ठा उत्पन्न हुई तो लेनिन ने उन्हें द्याय दिया। लेनिन के सूत्र मार्क्स के सूत्र रहे, लेकिन लेनिनवाद का प्रयत्न मार्क्सवाद के प्रयत्न से बहुत दूर हट गया।<sup>1</sup>

यद्यपि लेनिन मार्क्सवाद की अपनी पुनर्व्याख्या में मार्क्सवाद के प्रयत्न से दूर चला गया, तथापि यह भी सत्य है कि बिना मार्क्सवादी सिद्धान्तों में परिवर्तन किए लेनिन इनको इसी क्रान्ति का दर्शन नहीं बना सकता था और इसीलिए उसने मार्क्सवाद में क्रान्ति के अनुकूल समयानुसार, सशोधन किए। उसने मार्क्सवाद को एक जीवित एवं विकासशील दर्शन के रूप में पहुँचा किया और इसीलिए वह इसे समय के अनुसार ढाल सका। प्रो. वेपर (Wayper) के अनुसार, “लेनिन मार्क्सवाद का चाहे न्यायोचित व्याख्याकार न हो, तथापि रूप को उसने जो देन दी है, उसके लिए उसका अनुलभ महत्व है।” मार्क्सवादी सशोधन का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने कहा जा सकता है कि—

1. लेनिन ने कभी-कभी मार्क्स के उद्देश्यों से भिन्न रास्ता अपनाया, किरभी वह मार्क्स के दृढ़तमक और ऐतिहासिक भौतिकवाद सम्बन्धी सिद्धान्त पर दृढ़ रहा।

2. मार्क्स की भौति ही उसे वर्ग-युद्ध और सर्वहारा वर्ग की अन्तिम विजय पर विश्वास था तथापि उसने मार्क्सवाद की स्वतन्त्र व्याख्या भी की। लेनिन ने पार्टी को और पार्टी में मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों और उनके कार्यों को बहुत धृष्टिक महत्व दिया।

3. लेनिन ने सम्भवतः इस की परिस्थितियों में मेल बैठाने के लिए ‘एक देश में समाजवाद’ अर्थात् राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

4. लेनिन की प्रधान देन सिद्धान्त की बारीक व्याख्या में उतनी नहीं है जितनी उस सक्रिय एवं गतिशील नेतृत्व में है जो उसने अपने देश को उसके सकट-काल में प्रदान किया। एक लेखक के अनुसार, “लेनिनवाद एक वैज्ञानिक विश्वास की भरेक्षा एक भाषात्मक आङ्गूष्ठा है।”

लेनिन कोई मौलिक विचारक नहीं था। वह एक महान् नेता था जिसने मार्क्स ऐजिलस की कृतियों को अपनी व्याख्यानुसार निभ्रान्त मानकर एक समर्थित

दस की सहायता से रूसी क्रान्ति को सफलता प्रदान की। जिस प्रकार धार्मिक व्यक्ति देव या बाइबिल या कुरान के प्रति आस्थावान रहता है उसी प्रकार का जोशीला अध्यविश्वास लेनिन ने मार्क्सवाद के प्रति प्रचारित किया।

### ट्रॉट्स्की

(Trotsky, 1879-1940)

लिप्रान ट्रॉट्स्की एक यहूदी सफल कृषक का पुत्र था। वह रूस के मार्क्सवादी समाजवादियों के सक्रिय सम्पर्क में रहा। उसने सन् 1905 की क्रान्ति में प्रमुख भाग लिया और अन्य क्रान्तिकारियों की भाँति ही उसके जोवन का अधिकांश भाग निवासिन में ही थी। सन् 1917 से पूर्व उसका बोल्शेविकों से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था। मार्च, 1917 की क्रान्ति के ममय वह अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में था जहाँ उसने एक-हथी क्रान्तिकारी पत्र का सम्पादन आरम्भ किया। वह शीघ्र ही स्वदेश वापस आया और जुलाई में बोल्शेविक दल में सम्मिलित हो गया। सितम्बर में वह पेट्रोग्राड सोवियत का अध्यक्ष बन गया और उसी समय से क्रान्ति के संगठन और सोवियत-ज्ञासन के सचालन में लेनिन की मृत्यु के बाद उत्पन्न होने वाली फूट तक उसने लेनिन के असाधा और सबसे अधिक कार्य किया। सन् 1917-18 में वह सोवियत सरकार का परराष्ट्र मन्त्री और सन् 1918 से 1925 तक नीसेना और सेना-विभाग का मन्त्री रहा। जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क की सन्धि-वार्ता भी उसी ने की थी। उसने नवीन सोवियत सेना का संगठन किया, रेल-विभाग का पुनर्गठन किया और सन् 1918-21 तक के उड़ साम्यवाद (Militant Communism) का निर्देशन किया। वह सामान्यतया बोल्शेविकों में सबसे प्रभावीशाली वक्ता माना जाता था तथा उसने साम्यवादी सिद्धान्त की व्याख्या के सम्बन्ध में कई विद्वता-पूर्ण ग्रन्थ लिखे।<sup>1</sup>

लेनिन और ट्रॉट्स्की में आरम्भ से ही सेंदान्तिक मतभेद रहे थे, किन्तु रूस में क्रान्ति के सचालन और क्रान्ति को स्थापित प्रदान करने में दोनों ने एक दूसरे को सहयोग दिया। क्रान्ति के समर्थन में जनता को धारपित करने में दोनों का नारा था—‘क्रान्ति, मूर्म और रोटी (Peace, Land and Bread)। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन और ट्रॉट्स्की में व्यापक मतभेद उत्पन्न हो गया। यद्यपि ट्रॉट्स्की को लेनिन का उत्तराधिकारी समझा जाता था, तथापिता सत्ता-सत्यर्थ में स्टालिन का प्रमुख हाथ रहा क्योंकि साम्यवादी दल का महामन्त्री होने के नाते उसका दल पर प्रभाव और नियन्त्रण था। सन् 1924 में लेनिन की मृत्यु के उपरान्त दश के जिस वर्ग के हाथ में नियन्त्रण आया उसने ट्रॉट्स्की को सेना तथा नीसेना विभाग के मन्त्रिपद तथा दल के अन्तर्गत मण्डल से निकाल दिया, कटोकि उसने किसानों और पूँजीपतियों को दी गई सुविधाओं एवं रियायतों की तीव्र धालोचना की थी और बार-बार यह माशह किया था कि विदेशों में बड़े पैमाने पर क्रान्तिकारी प्रचार किया जाए। जॉर्ज बनादिस्की

के अनुसार उस समय कोमेनेव, जिनोविएव और स्टालिन—यह 'वि-मूर्ति' बहुत प्रभावशाली थी। ये तीनों ही सुदीर्घं अनुभव प्राप्त बोलशेविक थे जिन्होंने ट्रॉट्स्की को सत्ता में सहभागिता से बचित कर दिया।<sup>1</sup> इसके फलस्वरूप ट्रॉट्स्की ने शीघ्र ही एक विरोधी आंदोलन आरम्भ कर दिया। उसकी नीति व्यक्तिगत उद्देश्यों और राजनीतिक सिद्धान्तों का जटिल सम्मिश्रण थी। शीघ्र ही गुटबन्दी का जोर बढ़ गया और ट्रॉट्स्की एक ऐसे समूह का नेता बन गया जिसके सदस्यों को 'ट्रॉट्स्की पर्दी' कहा जाने लगा। इन्होंने दल को बुर्जुआ प्रवृत्तियों से सलग्न बतलाया और स्वयं को लेनिन का सज्जा अनुयायी तथा विशुद्ध साम्यवाद का सरकार घोषित किया। कोमेनेव और जिनोविएव भी स्टालिन के साथ न रह सके। स्टालिन ने, जो लेनिन के बाद व्यवहार में सत्ताधीश बन चुका था, यह चेतावनी दी कि 'दल को एकता की आवश्यकता है।'<sup>2</sup> सन् 1926 के अक्टूबर और नवम्बर में दल के 15वें सम्मेलन में स्टालिन ने विरोधियों की तीव्र आलोचना की और आरोप लगाया कि 'यद्यपि विरोधी नेता अमेरिका को विशुद्ध साम्यवादी सिद्धान्तों की प्रोट म छिपा रहे थे, तथापि यथार्थ में उनकी नीति अवसरवादी है और मध्यम वर्गीय शासन की पुनर प्रतिष्ठा की समर्थक है।'<sup>3</sup> सन् 1927 की प्रीष्म ऋतु में दलीय बहुमत और विरोधियों की स्थिति नाजुक हो गई और स्टालिन ने विरोधी नेताओं को दण्डित करने का निराय किया। "उसने यह घोषणा करते हुए कि वे दल में फूट ढाल रहे थे और सोवियत पद्धति के भविष्य को खतरा पहुंचा रहे थे, यह मांग की कि दो सर्वाधिक सक्रिय नेताओं—ट्रॉट्स्की और जिनोविएव को औपचारिक रूप से दल की सदस्यता से बचित कर दिया जाए।"<sup>4</sup> यह निष्कासन नवम्बर, 1927 में दल की केन्द्रीय समिति (जिस पर स्टालिन द्वाया हुआ था) के निराय द्वारा कायान्वित किया गया। इसके बाद ही सन् 1928 में ट्रॉट्स्की को इस से निष्कासित कर दिया गया। जबकि उसने धनी किसानों को सामूहिक कृषि में सम्मिलित करन के सम्बन्ध में कठोर नीति प्रहरण करन का आशह कर दलीय अनुयासन को मग किया। कठोर अनुयासन के कारण अनेक विद्रोही नेताओं को भी अपनी जिद छाड़कर समझौता करना पड़ा। जिनमें कोमनव तथा जिनोविएव (जो कुछ समय तक ट्रॉट्स्की के अनुयायी रहे थे) और बुखारिन (जो दलीय नीति को नरम बनाना चाहता था) मुख्य थे। निष्कासन काल में भी ट्रॉट्स्की स्टालिन और उसके विचारों का उप्र प्रतिरोध करता रहा। सन् 1940 में सम्मवत स्टालिन के एजेण्टो ने मैंविस्को में उसकी हत्या कर दी। ट्रॉट्स्की न साम्यवादी सिद्धान्तों की व्याप्ति के सम्बन्ध में अनेक महसूबूर्ण प्रन्य लिखे जिनमें मुख्य हैं—

<sup>1</sup> Our Revolution, 1918

<sup>2</sup> Terrorism & Communism A Reply to Karl Kautsky, 1920

<sup>3</sup> Towards Socialism or Capitalism, 1925

<sup>4</sup> In Defence of Marxism, 1939–40

ट्रॉट्स्की ने साम्यवाद के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार प्रकट किए हैं, जिन्हें

उसका 'स्थायी कान्ति का सिद्धान्त' (Theory of Permanent Revolution) विशेष महत्वपूर्ण है और यह कहने में कोई अविशद्योक्ति नहीं होगी कि ट्रॉट्स्की के दिचार स्थायी कान्ति के सिद्धान्त से सम्बद्ध है। सारे रूप में, ट्रॉट्स्की के स्थायी कान्ति के सिद्धान्त का भाष्य उस कान्ति से है जिसके प्रन्तर्यंत वर्गशासन के किसी भी स्वस्य को स्वीकार नहीं किया जाता और कान्ति के बल लोकतान्त्रिक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहती बरन् उसका उद्देश्य समाजवादी कान्ति की उत्तरविधि होता है। इसके अतिरिक्त भोक्ता देश के बाहर प्रतिक्रियावादियों के विद्वद् भी गतिशील रहता है। दूसरे शब्दों में ट्रॉट्स्की का विश्वास या कि जब तक वर्गभेद का उन्मूलन नहीं हो जाता, रूस में समाजवाद की पूर्ण स्थापना नहीं हो जाती, रूस की साम्यवादी कान्ति के विरोधियों को समाप्त कर उन्हें समाजवादी व्यवस्था के प्रन्तर्यंत नहीं लाया जाता, तब तक इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरन्तर सघर्ष करना होगा। ट्रॉट्स्की के चिए कान्ति का अस्य महत्वपूर्ण पक्ष उसका दूसरे देशों में प्रसार या। ट्रॉट्स्की अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद का पोषक या जिसका कहना या कि साम्यवादी कान्ति को रूस तक ही सीमित नहीं रहना है। बरन् उसका प्रसार कर विश्व के अन्य भागों में भी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करनी है। कान्ति के इस दूसरे पक्ष की पूर्ति के लिए अर्थात् विश्व कान्ति को साकार बनाने के लिए ट्रॉट्स्की 'तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय' (Third International) का उपयोग करना चाहता था। उग्रका विश्वास या कि विश्वव्यापी, निरन्तर और स्थायी कान्ति से ही रूसी कान्ति को सुरक्षा तथा स्थायित्व की प्राप्ति होगी। अन्तर्राष्ट्रीय कान्ति से रूस की सर्वहारा वर्ग की कान्ति को इसलिए सुरक्षा प्राप्त होगी क्योंकि रूस का सर्वहारा वर्ग विभाजित रहकर कान्ति को स्थायी नहीं बना सकता।<sup>1</sup>

जौंजे एवं सेवादान के अनुसार रूस में मार्च, 1905 की कान्ति की सफलता के बाद ही रूसी भावसंवादियों में सिद्धान्त तथा हृथकण्डों के प्रश्नों पर वाद-विवाद प्रारंभ हो गया। इसके फलस्वरूप दो विरोधी सिद्धान्तों का निर्माण हुआ जिन्होंने रूसी भावसंवादियों को सन् 1905 से 1917 तक दो शिविरों में विभाजित रखा। मेनजेविक गुट में इस विचार पर आश्रित था कि अधिक दल जति प्राप्त करने की आसा से उस समय तक नहीं कर सकता जब तक उचित समय न था, जाए। वह यहसे बहुमत का निर्माण करता है। पूँजीवादी कान्ति द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित होने और अधिकों की सह्या में वृद्धि होने पर ही वे सत्ता हस्तांतर कर सकते हैं। अधिक-सघर्ष पूँजीपतियों की सामान्य सहायता कर सकते हैं, लेकिन जहाँ एक बार पूँजीवादी सासन की स्थापना हो जाती है तब अधिक दल वामपक्षी विरोधी दल के रूप में ही कार्य कर सकते हैं। मेनजेविकों का यह सिद्धान्त यद्यपि निश्चित रूप से मार्क्सवादी था, तथापि वह कान्तिकारी दल के उत्साह को भग कर सकता था।

<sup>1</sup> See Anderson, Thornton : Masters of Russian Marxism pp. 135-160 and "Communism and Revolution" by Black and Thornton, pp. 27-42.

मेनशेविकों के इस 'दृष्टिकोण' के विरोध में ट्रॉट्स्की ने अपना सिद्धान्त विकसित किया जिसे 'स्थायी क्रान्ति के सिद्धान्त' की सज्जा दी गई। भाग्य की यह विचित्र विडम्बना यही कि 20 वर्ष बाद यही सिद्धान्त उस पर लगाए गए प्रारोप का मुख्य आधार बना। उस पर यह प्रारोप लगाया गया कि ट्रॉट्स्की लेनिनवाद की कटूरता को अस्वीकार करता है।

सन् 1904 और 1906 के बीच के अपने अनेक निवन्धों में ट्रॉट्स्की ने इस सिद्धान्त का विकास किया कि "यह सोचना कि श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व और देश के तकनीकी तथा उत्पादन-साधनों के बीच पाररपरिक निर्भरता होती है, शायद नियतिवाद को बहुत आदिम रूप से समझता है। इस प्रकार की सकल्पना का मार्क्सवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है।" ट्रॉट्स्की के विचरों को स्पष्ट करते हुए सेवाइन ने लिखा है कि—

### ५३८५२

"ट्रॉट्स्की का मत या कि रूस में जो भी क्रान्ति होगी वह भूतकाल की समस्त क्रान्तियों से भिन्न होगी। इसके दो कारण हैं—पूँजीवाद का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास और रूसी बुद्धिजीवियों के बीच एक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद का अस्तित्व। रूसी पूँजीपति दरपोक हैं और वे भूमि-स्वामित्व की पद्धति पर साहस-पूर्वक आक्षेप नहीं कर सकेंगे। इसलिए, विसानों की सहायता से श्रमिक वर्ग को नेतृत्व प्रहरण करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह निश्चित रूप से राजनीतिक उदारवाद की सीमाओं से आगे बढ़ जाएगी। ट्रॉट्स्की ने इसको 'समुक्त विकास का नियम' (The Law of Combined Development) नाम दिया था। इस प्रकार दो क्रान्तियाँ एक साथ होगी। श्रमिक वर्ग की शक्ति उसकी सख्त्या पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत् राष्ट्रीय भर्यव्यवस्था में उसकी स्थिति पर निर्भर है। रूस में क्रान्ति का परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवाद की दिशा पर निर्भर है। इसलिए पूँजीवादी प्रतिक्रिया से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि रूस वे बाहर बड़े पूँजीवादी देशों में श्रमिक क्रान्तियों की जाएं। सन् 1905 में इस सिद्धान्त का विवादास्पद भाग देशों में श्रमिक क्रान्तियों का एक साथ होना था। उस समय इस बात को कोई अस्वीकार नहीं करता था कि रूस की क्रान्ति अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर निभर रहेगी। ट्रॉट्स्की ने हप्पणों के प्रश्न को भी साहस के साथ सुलझाया। उसने कहा कि सैनिक दिल्लोह ग्राम्या धारा हृदातल की तुरन्त आवश्यकता है। क्रान्ति की सफलता के पश्चात् राजनीतिक शक्ति श्रमिक-वर्ग के हाथ में आ जाएगी क्योंकि वही ऐसा वर्ग है जो सध्य में सबसे बड़कर भाग लेता है। दूसरे शब्दों में शासन श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद का रूप धारण कर लेता है। इसमें किसानों पर भी सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो जाती है। व्यवहार में इसका अर्थ क्रान्ति में नेतृत्व करने वाले दल का अदिनायिकवाद होता है।"

सन् 1917 तक लेनिन ने इन विरोधी सिद्धान्तों में से किसी को स्वीकार नहीं किया बल्कि बीच का मार्ग, अपनादा, किन्तु सन् 1917 की क्रान्ति में दोनों व्यक्तियों ने सहयोग किया। अप्रैल, 1917 में रूस से लौटने पर लेनिन ने अपने इस पुराने सिद्धान्त को त्याग दिया कि पूँजीवादी क्रान्ति और श्रमिक क्रान्ति के बीच ही यारी का कुछ समय बीतना चाहिए। उसने समझ लिया कि जो समाजवादी क्रान्ति के परिपक्ष होने की प्रतीक्षा करता है, वह अबसर को हाथ से निकाल देता है। लेनिन इस समय 'समुक्त विकास के नियम' से काफी साम्य रखता था जिसे सन् 1905 में ट्रॉट्स्की ने अपने स्थायी क्रान्ति का सिद्धान्त का आधार बनाया था। सेवाइन का व्यन्ति है कि "जब लेनिन ने सन् 1917 में इस सिद्धान्त को स्वीकर किया, उस समय उन्होंने भी यही विचार था कि शीघ्र ही सारांख्यानी श्रमिक वर्ग होगी और रूस की क्रान्तिकारी सरकार केवल कुछ समय के लिए ही एकाग्र रहेगी। यही कारण था कि इस सिद्धान्त को मार्क्सवाद का नियेष्ट नहीं, प्रत्युत उसका सशोधन माना जा सकता था। लेनिन और ट्रॉट्स्की में से कोई भी यह नहीं चाहता था कि उन्होंने दल 'पूँजीवादी क्रान्ति के ऊपर से कूद जाने के लिए' बचनबढ़ हो जाए। उन्होंने केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की ओर तथा इस तथ्य की ओर ही ध्यान दिया कि रूस में मार्क्स की क्रान्तिकारी विचारधारा से अनुग्राणित एक अल्पसंख्यक वर्ग है। सन् 1917 में महत्वपूर्ण स्थिति यह थी कि लेनिन और ट्रॉट्स्की दोनों उस नीति के बारे में सहमत हो गए थे जो सन् 1905 में ट्रॉट्स्की की नीति थी।" सन् 1917 की क्रान्ति के बाद रूस में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हुआ और यह साम्यता प्रस्तापित हुई कि "मधिक समठित, मधिक वर्ग-चेतन, मधिक सशस्त्र अल्पसंख्यक वर्ग बहुमत पर अपनी इच्छा आरोपित कर देता है।" ट्रॉट्स्की ने इसी मत का प्रतिपादन सन् 1905 में किया था। इस व्यवस्था में श्रमिक वर्ग किसानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। सविधान सभा के विषट्टन पर ट्रॉट्स्की ने टिप्पणी थी कि इन कदम ने "द्वीपसारिक लोकतन्त्र पर ऐसा प्राघात किया कि वह फिर कभी अपना सर नहीं उठा सका।" ट्रॉट्स्की के अनुसार, "लोकतन्त्र पूँजीवादी समाज-व्यवस्था का आडम्बर मात्र है।"

ट्रॉट्स्की का मत था कि "सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिवादी सर्वोच्चता स्वयं सर्वहारा वर्ग में एकदलीय राजनीतिक सर्वोच्चता की पूर्व-व्यवस्था है, जिसका एक स्पष्ट कार्यक्रम और दोषमुक्त मान्तरिक अनुशासन है। दल के सदर्शक केवल वही होते हैं जो सबसे मधिक वर्ग चेतनापूर्ण एवं पूर्ण निष्ठावान होते हैं और दल बहुत सावधानी से सदस्यों का चुनाव करके अपना विस्तार करता है।" इस प्रकार जैसा कि कोकर की टिप्पणी है—“सर्वहारा वर्ग की सामान्य इच्छा (General Will) का प्रतिनिधित्व तथा उसका कार्यान्वयन ही गल के ढग से होना चाहिए अर्थात् निर्णय तथा सत्ता ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए जो समस्त सर्वहारा की 'वास्तविक

१५ उसे कार्यान्वित करने के लिए श्रोद्धिक और नेतृत्व के दृष्टि से सर्वथा योग्य है। ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सत्ता होनी चाहिए जो उन अव्यवस्थाओं के बारणों वो जिनसे जनता मुक्ति चाहती है, निदान करने में और उनका समुचित उपचार करने में सबसे अधिक निपुण हैं।”

ट्रॉट्स्की सभ संघीकरण का पोषक था। जब क्रान्ति के बाद योद्धिक साम्यवाद (War Communism) कार्यन्तम की स्थिति से निकाल कर रूस को सामान्य साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत लाने की बात की जाने लगी तो ट्रॉट्स्की का सुझाव था कि योद्धिक साम्यवाद का विकल्प भी उग्र होना चाहिए। उत्पादन, आयिक नियोजन, अभिक सगठन आदि चाहे सेना के अधिकार में न रखे जाएं तथापि इन्हे युद्ध स्तर पर अवश्य लाया जाए। ट्रॉट्स्की ने ट्रैड यूनियनों के संघीकरण का सुझाव दिया जिसके अनुसार ‘प्रत्येक अभिक एक श्रम-सैनिक है’ (Every worker is a soldier of labour)। ट्रॉट्स्की का कहना था कि प्रत्येक अभिक से अनिवार्य रूप से श्रम लिया जाना चाहिए। ‘मनुष्य को श्रम बरना चाहिए ताकि वह जीवित रह सके’ यह ट्रॉट्स्की का नारा था। उसने ट्रैड यूनियनों की स्वायत्तता का विरोध किया और दल के अन्तर्गत लोकतन्त्र का कभी समर्थन नहीं किया।

लेनिन के बाद ट्रॉट्स्की साम्यवादी सिद्धान्तों का अप्रणीतीकार माना जाता था और लेनिन के उत्तराधिकारी के रूप में उसका नाम लिखा जाता था, पर स्टालिन के साथ संदर्भान्वित और सत्ता सम्बन्धी संघर्ष में असफल रहा। दोनों के बीच मतभेद इस बात पर था कि स्टालिन राज्य के अन्तर्गत समाजवाद स्थापित करने की बात कहना या जबकि ट्रॉट्स्की इसे मार्क्सवाद-लेनिनवाद के प्रति धोखा मानता था और विश्वव्यापी क्रान्ति और उसके फलस्वरूप समाजवाद की स्थापना का प्रतिपादन बरता था।

### स्टालिन

(Stalin, 1879–1953)

जोसेफ विस्त्रियविच स्टालिन (Joseph Vissariowitch Stalin) का जन्म नवं 1879 में रूस के जारिया नामक प्रान्त में हुआ था। एक मोर्ची का पुत्र होते हुए भी वह अपनी असाधारण योग्यताओं के बल पर एक दिन रूस जैसे महान् राष्ट्र का सर्वेसर्वा बन गया। स्टालिन अपनी युवावस्था से ही क्रान्तिवादी था और सन् 1917 के वर्द्ध वर्ष पूर्व से वह बोल्शेविकों का नेता था। जनवरी, 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद दल और शासन के नेतृत्व के प्रश्न पर स्टालिन द्वारा ट्रॉट्स्की को रूस से निष्कासित कर दिया गया। इस समय तक स्टालिन ने दल में अपनी मर्दान्वता स्थापित करली थी।

अपने जीवन काल में स्टालिन एक ऐसी शक्ति बन गया जिसे रिंग के राष्ट्र भयभीत रहते थे और जिसकी प्रत्येक चाल को विश्व के राजीनीति दर्ढी वारीकी से देखते थे। स्टालिन ने शासन और दल दोनों पर अपना कठोर नियन्त्रण स्थापित कर लिया। सोवियत रूस की सम्पूर्ण सत्ता एक प्रकार से उम्मेरे हाथों में

केन्द्रित हो गई। उसने एह तरह का स्टालिन सम्प्रदाय (The Stalin Cult) रच लिया और उसकी पूजा देवता की भाँति होने लगी। यसार के किसी सार्वजनिक नेता ने शायद ही कभी इतनी शक्ति अंजित की हो जितनी स्टालिन ने सन् 1953 से मृत्युपर्यन्त की।

### स्टालिनवाद (Stalinism)

#### भूषण

### मार्क्सवाद-लेनिनवाद को स्टालिन की देन (Stalin's Contribution to Marxism-Leninism)

लेनिनवाद ने मार्क्सवाद को विकृत करके भी स्वयं को मार्क्स का सच्चा अनुयायी और मार्क्सवाद का सच्चा प्रवक्ता सिद्ध करने की नेट्रा की। स्टालिन ने भी युद्ध ऐसा ही किया। मार्क्सवाद-लेनिनवाद से बहुत कुछ भिन्न रूप घटनाने हुए भी उसने स्वयं को उनका अनुयायी बतलाया और अपनी इससे भिन्न नीतियों की रक्षा यह कहकर की कि परिस्थितियाँ इन नीतियों की माँग करती हैं।

मार्क्सवाद-लेनिनवाद को स्टालिन ने जो नवीन दिशा दी अथवा उसका जो विकास किया, उसे इन मुख्य शीर्षकों में व्यक्त किया जा सकता है—

(1) एकदेशीय समाजवाद का सिद्धान्त, एवं

(2) स्टालिन का क्रान्ति-सिद्धान्त।

### स्टालिन का एकदेशीय समाजवाद का सिद्धान्त

#### (Stalin's Theory of Socialism in One Country)

मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विकास में स्टालिन का प्रमुख योग यह है कि सन् 1924 में उसने भ्रान्तक ही घोषणा की कि समाजवाद एक देश में ही सम्भव है। मार्क्स ने साम्यवादी संघ के समक्ष अपने एक भाषण में कहा था कि “पूँजीपति वर्ग सदैव ही शीघ्रातिशोध क्रान्ति का अन्त करना चाहेया, अत. अमिक वर्ग का हित क्रान्ति को स्थायी बनाने में है अर्थात् क्रान्ति तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक सारे संसार के प्रमुख देशों में शासन-तन्त्र अमज्जीवी वर्ग के हाथ में न आ जाए। अप्रैल, 1924 तक स्टालिन ने भी स्वीकार किया था कि समाजवाद की अन्तिम विजय हेतु समाजवादी आन्दोलन के सगठन हेतु लिए एक देश के, विशेषकर रूस यें निर्धन देश के प्रयत्न अपराधित हैं।” लेकिन ट्रॉट्स्की के साथ शक्ति-परीक्षण में स्टालिन ने अकस्मात् ही रग बदल दिया। ट्रॉट्स्की ने स्थायी क्रान्ति के सिद्धान्त की बालत की जबकि स्टालिन ने अपना पक्ष मुदृद करने के लिए इस सिद्धान्त पर सामर्थिक प्रहार करना उचित समझा।

स्टालिन ने तर्क दिया कि परिस्थितियों में, जबकि रूस के चारों ओर पूँजीवादी घेरा (Capitalist Encirclement) विद्यमान है, विश्व-क्रान्ति के कार्यक्रम को प्रस्थायी रूप से छोड़ देना चाहिए और रूस में समाजवाद को सुदृढ़ करने पर ही सारी शक्ति केन्द्रित की जानी चाहिए। अब वह प्रत्येक देश में स्वतन्त्र रूप से समाजवाद की स्थापना होने के पक्ष में या बश्ते कि सम्बन्धित देश का

प्राकार बड़ा हो, उसकी जनसंख्या भी बड़ी हो और उसके प्राकृतिक साधन विशाल हों। ट्रॉट्स्की पर स्टालिन की विजय के फलस्वरूप साम्यवादी दल ने भी 'एकदेशीय समाजवाद' (Socialism in One Country) के सिद्धान्त को स्वीकार कर दिया जिसके अनुसार वहने सोवियत सध में समाजवाद को सुदृढ़ किया जाना था।

सन् 1924 में 'Problems of Leninism' नामक पुस्तक प्रकाशित कर स्टालिन ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि शेष सारांश ने पूँजीवाद के रहते हुए भी एक देश में समाजवाद की स्थापना हो सकती है। रूस अपनी क्षमता के बल पर पूँजीवादी विश्व में भी अपना समाजवादी रूप कायम रख सकता है और अपनी दृढ़मुखी उन्नति भी कर सकता है। रूस को विश्व के समाजवादी बनने की प्रतीक्षा करने की धावशयकता नहीं है लेनिन ने यह नहीं कहा था कि एक देश में भी समाजवाद की स्थापना हो सकती है जबकि शेष विश्व पूँजीवादी हो। ट्रॉट्स्की का आरोप था कि स्टालिन का नीति-परिवर्तन अर्थात् यह कहना कि एकदेशीय समाजवाद सम्भव है, लेनिन की नीति का परिस्थाग है और यह कान्ति-विरोधी प्रतिक्रिया का आरम्भ है, लेकिन स्टालिन ने स्थायी कान्ति के सिद्धान्त को लेनिनवाद के विद्वद धोखित करते हुए अपने विचार को लेनिनवादी बतलाया और स्वयं को लेनिनवाद का सच्चा प्रबन्धक सिद्ध करने को चेष्टा की। इस सम्बन्ध में सेवाइन का मत है कि "यह निश्चित नहीं है कि यदि लेनिन जीवित रहता तो क्या वह भी स्टालिन के समान ही अपनी नीति में परिवर्तन कर लेता। लेनिन ने अपने जीवन के आखिरी काल में जो लिखा था उससे यह प्रतीत होता है कि उसका भी बहुत कुछ यही दृष्टिकोण था। लेनिन यह समझे लगा था कि रूस में समाजवाद का विकास देश की धारान्तरिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर है, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं। यदि लेनिन यह परिवर्तन करता तो सम्भवत वह अधिक चारीकी से होता। स्टालिन ने यह नीति-विषयक परिवर्तन बड़े स्वूल ढग से किया और यहाँ तक कहा कि कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है।" आगे चलकर सेवाइन ने लिखा है कि "अधिक कान्ति अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकास पर कहाँ तक निर्भर है, स्टालिन ने इस गम्भीर समस्या को पीछे छोड़ दिया। लेनिन ने अपने साम्राज्यवाद के सिद्धान्त का ब्रिस ढग से विकास किया था, उसे देखते हुए यह निश्चित मानूम पड़ता था कि वह इस विचार को कभी पस्त नहीं करता कि साम्यवाद स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से पृथक् कर दे। लेकिन पूँजीवादी पेरे की स्थिति में स्टालिन के एकदेशीय समाजवादी सिद्धान्तों ने आधिक सम्बन्धों की व्यवेक्षण राजनीतिक सम्बन्धों पर अधिक जोर दिया। इस सिद्धान्त वा अभिप्राय यह था कि रूप की समाजवादी अर्थव्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार ही कभी सहयोग और कभी हस्तक्षेप का मार्ग एहए कर सकती थी और साथ ही इस बात की प्रतीक्षा कर सकती थी कि पूँजीवाद का विनाश हो। इस तरह की नीति रूसी राष्ट्रवाद या साम्राज्यवाद से बिल्कुल भिन्न थी और उसका मार्क्सवाद से कोई मुक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं था।"

विचार को निपिचन रूप से प्रावाह पहुँचा। स्टालिन के कारण ही सन् 1929 के बाद से कामिटने की नीति का निर्धारण भी रूप वे हितों को ध्यान में रखकर ही किया जाने लगा। यह नीति अपनाई गई कि घन्य देशों के कान्तिकारी आनंदालनों को रूप के हितों की तराजू में तोला जाए और उभी दृष्टि से उनके प्रति व्यवहार किया जाए। दूसरे शब्दों में, रूप के हितों वो ध्यान में रखकर ही घन्य देशों के कान्तिकारी आनंदालनों को प्रोत्साहित अथवा हनोत्साहित किया जाए।

(ii) एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित—स्टालिन की नीति का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि रूप में सर्वहारा राज्य का विकास हुआ जिसमें एक व्यक्ति के अधिनायकत्व को बल मिला। एक व्यक्ति की अर्थात् स्टालिन की ऐसी तानाशाही स्थापित हुई जो एक विद्याल नौकरशाही द्वारा सचानित होती थी और जिसका प्रमुख आधार पाश्विक बल था। साम्यवादी दल के 20वें अधिवेशन के अवसर पर स्टालिन के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए गए वे स्टालिन को नूशम सत्ता का भूखा और शक्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति सिद्ध करते हैं। इतिहास साक्षी है कि स्टालिन ने लेनिन के अधिकांश पुराने साधियों को अपने स्वार्द्ध की बलिवेशी पर चढ़ा दिया।

(क) आर्थिक नियोजन और नौकरशाही तन्त्र का विकास—एकदेशीय समाजवाद के मिद्दान्त का यह अन्तर्निहित परिणाम था कि समाजवादी देश आर्थिक रूप से पूर्ण आत्मनिर्भर होने की दिशा में अप्रसर हो। वह अपने साधनों को इनना विकसित अथवा उन्नन करते कि आर्थिक दृष्टि से दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता समर्पत कर विश्व-कालि का निर्देशन करने के लिए सक्षम हो जाए। इसके लिए प्रभावशाली योग्योगीकरण की नीति अपनाकर दीर्घकालीन योजनाओं द्वारा अपने साधनों को समृद्ध बनाना आवश्यक था। स्टालिन के नेतृत्व में सुविधत रूप से एहसानित में आर्थिक विकास के पथ, पर अप्रसर हुआ और विशेष रूप से कारा घ्यान पचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाकर देश में आर्थिक समृद्धि लाने की भीर केन्द्रित किया गया।

(ख) केन्द्रीकृत नौकरशाही का विकास—स्टालिन ने अधिकाधिक शक्ति हस्तगत करने के लिए ऐसी नीति अपनाई कि दल कम श्रमजीवी और कम लोकदलन्त्रीय होना चला गया तथा उसने एक केन्द्रीकृत नौकरशाही का रूप घारण कर लिया। लेनिन के जीवनकाल में बाद विवाद की पर्याप्त स्वतन्त्रता थी, किन्तु स्टालिन न सहयोगवादी पा और न समझौतवादी। सन् 1925 में उपने 'शिवरोम्युद्धी अनुग्रासन' का हिद्दान्त अपनाया जिसके अन्तर्गत एवं स्तर के दल का यह अपन से नीचे के देशों को सादेश दे सकता था। इस नीति के फलस्वरूप दल के सदस्यों का भहत्व इम होने लगा और दल केन्द्रीकृत सरकार के हाथों का खिलौना बन गया। स्टालिन ने दल से परामर्ज लेने की आवश्यकता की भी उपेक्षा की। सन् 1925 के बाद तो दल के आर्थिक अधिवेशन भी अनियमित तथा अधिक कालान्तर में होने लगे। अधिवेशन की सदस्यता के स्वरूप में भी धीरे धीरे परिवर्तन होना गया।

स्टालिन की नीति का कानूनिकारी परिणाम यह हुआ कि शक्ति दल के हाथों से निकलकर केंद्रीय समिति (Central Committee) के विभिन्न घरों में केन्द्रित हो गई जिनमें पॉलिट ब्यूरो (Polit Bureau) सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कालान्तर में इस नीति के कारण दल कम अमज़ोबी और कम लोकतन्त्रीय होता चला गया। स्टालिन ने दल को सकुचित बनाए रखने का यथात्तिक प्रयत्न किया और दल को खुला रखने के हर प्रयास को सफलतापूर्वक दबाया।

दल के नामकरण में भी परिवर्तन कर दिया गया। सन् 1925 में जो 19वीं अधिवेशन हुआ उसमें दल का नाम 'मस्तिल सभीय साम्यवादी दल' (बोल्शेविक) से बदलकर 'सोवियत संघ का साम्यवादी दल' कर दिया गया। इसके अतिरिक्त दल को 'मजदूर-वग का संगठित भ्रप्रवाहक तथा उनके वर्ग-समिति का अछतम रूप' के बजाय 'सह विचार साम्यवादियों का ऐच्छिक समुदाय' कहा जाने जाय। इस ऐच्छिक समुदाय में अधिक, कृपक और बुद्धिजीवी वर्ग सम्मिलित थे। इस में कुछ अन्य बातों ने भी सर्वहारावाद की दृष्टि में सहायता पढ़नाई, जैसे अधिक सधों की कार्य-स्वतन्त्रता का अपहरण एवं स्टालिन का दंबीकरण। स्टालिन ने, जो आत्म प्रशंसा और सत्ता का भूखा था, अपने चारों ओर एक तरह का स्टालिन-सम्प्रदाय कायम कर लिया था। उसने पाश्विक शक्ति का इनना अधिक प्रयोग किया कि वह लेनिन को लायकर मार्क्स की इस धारणा से और भी अधिक दूर हो गया कि समाजवाद की स्थापना में अथवा पूँजीवाद से समाजवाद के आवत्तन में शक्ति का प्रयोग सामृक्षिक एवं आर्थिक प्रशियामों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होगा।

(iii) स्टालिन द्वारा राज्य-सिद्धान्त में परिवर्तन—स्टालिन का 'एकदेशीय समाजवाद' का सिद्धान्त मार्क्सवादी लेनिनवादी मिडान्त से स्पष्टतः इस रूप में भिन्न था कि वह राज्य के सम्बन्ध में एक सशाधित विचारधारा थी। 'एकदेशीय समाजवाद' के सिद्धान्त को अपनाने के कारण स्टालिन को मार्क्स वे राज्य-सिद्धान्त का व्यवहारत परिवर्तन करना पड़ा। कठोर मार्क्सवादियों के दृष्टिकोण से राज्य वर्ग संघ की उपन्य है और राज्य का भ्रस्तित्व तभी तक रहता है जब तक समाज म वर्ग विद्यमान है। ज्योही उत्तापन के साथसो पर से व्यक्तिगत स्वामित्व हट जाता है, त्योही वग-भेद समाप्त हा जाते हैं और वग भेद के समाप्त होते ही राज्य भी समाप्त होने लगता है। लेविन स्टालिन ने इस मार्क्स-लेनिनवादी धारणा में सशोधन किया। वह राज्य के विलोप के सिद्धान्त को शब्दों में तो स्वीकार करता रहा, पर साथ ही राज्य का भ्रस्तित्व कायम रखने के कारणों पर और देखा रहा।

दन के सन् 1939 के 18वें अधिवेशन में स्टालिन ने कुछ संदर्भिक प्रश्नों पर विचार विनिमय किया। स्टालिन ने कहा कि कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि 'हमारे देश में शेषक वर्ग समाप्त हो गए हैं समाजवाद की वाकी हृद तक स्थापना हो चुकी है हम साम्यवाद की ओर बढ़ रहे हैं, दिर हम अपने समाजवादी राज्य को ममाप्त क्यों नहीं होने देते?' स्टालिन ने कहा कि यह प्रश्न करने वाले तो आ मार्क्स और ऐत्रिंस के सिद्धान्तों को लोटे ही ठरह रठने वाले लोग हैं और ये वास्तविक

पर्यं को नहीं समझ सके हैं। उन्होंने यह नहीं समझा है कि इस सिद्धान्त की विभिन्न स्थापनायों को बिन विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में स्पष्ट किया गया था। इससे भी ग्रधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वर्तनान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को नहीं समझते। वे यह नहीं समझते कि हमारा समाजवादी देश चारों ओर से पूँजीवादी देशों से घिरा हुआ है और इस कारण उसे ग्रनेक लतरों का सामना करना पड़ रहा है।

स्टालिन ने स्पष्ट किया कि “मावर्स और लेनिन के साम्यवादी राष्ट्र-मण्डल के विवारों और वर्तमान सोवियत राज्य के ढाँचे में जो अन्तर दिखाई देता है उसका कारण यह है कि पूँजीवादी देशों ने रूस के चारों ओर गुलचरों का जाल बिछा रखा है। वे भेदियों और विष्वसकों को अनवरत भेज रहे हैं और रूस का विनाश करना चाहते हैं, अतः इन विदेशी गुप्त आकामक कार्यवाहियों से देश को बचाने के लिए राज्य को सशर्त बनाए रखना आवश्यक है। ऐंजिल्स ने ऐसे किसी एक राज्य के बारे में बही कुछ नहीं कहा जो चासे और से पूँजीवादी शत्रु-राज्यों से घिरा हो। ऐंजिल्स का छिक्कान्त उसी समय सही हो सकता है जब अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की ओर से आखिं बन्द कर ली जाए और देश के केवल आन्तरिक विकास की ओर ही ध्यान दिया जाए अथवा यह मान लिया जाए कि सासार के सभी देशों में समाजवाद विजय हो गया है।” स्टालिन की इस व्याख्या का अभिप्राय यह था कि ऐंजिल्स की भविष्यवाणी का कोई ठोस आधार नहीं था। ऐंजिल्स ने या तो भविष्य के ऐसे समाजवादी राज्य के विकास को रूपरेखा प्रस्तुत की थी जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था या या उसने यह मान लिया था कि सभी या ग्रधिकारी राज्यों में समाजवादी विजय होगी। सेवाइन ने इस सम्बन्ध में लेनिन के बारे में समीक्षात्मक टिप्पणी देते हुए बहा कि जहाँ तक लेनिन का सम्बन्ध है, यदि वह अपने राज्य और कान्ति (State and Revolution) प्रन्थ को पूरा करता तो वह इस प्रश्न का अवश्य विवेचन करता। वह नहीं मालूम कि लेनिन अपनी पुस्तक के दूसरे भाग में वया विचार व्यक्त करता। किन्तु वह ग्रवश्य ही सन् 1905 और 1917 की कान्तियों का विवेचन करता, अतः स्टालिन ने अपने बक्तव्य ग लेनिन के प्रमाण का तो उपयोग किया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यदि लेनिन इस तरह तक करता तो उसका वया आधार होता। इस स्थिति में स्टालिन का राष्ट्रीयकरण काफी हृद तक काल्पनिक है। स्टालिन के अनुसार साम्यवादी राज्य के दो कार्य हैं—विदेशी हस्तक्षेप से रक्षा और देश का ग्रांथिक उगठन तथा सांस्कृतिक उत्थान। ये दोनों कार्य शाश्वत हैं। जब तक सारे सासार में बर्गहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक इन लायों की आवश्यकता रहेगी अतः जब तक पूँजीवादी घेरा (Capitalist Encirclement) समाप्त नहीं हो जाता, तब तक साम्यवाद की प्रवस्था में भी राज्य का ग्रस्तित्व रहेगा।

इस प्रकार स्टालिन ने माक्सिंवादी-लेनिनवादी धारणा के विपरीत इस विचार का प्रतिपादन किया कि राज्य के विनाश के निए राज्य की शक्ति को कमज़ोर करना उचित नहीं है। राज्य को अत्यधिक सशक्त बनाकर भी राज्य का विनाश हो सकता है, लेकिन राज्य का विनाश सम्भव तभी है जब पूँजीवादी धेरे का सम्पूण विनाश हो जाए। इस धारणा का स्वाभाविक परिप्रय यह था कि चूँकि इस पूँजीवादी धेरे के समाप्त होने की सम्भावना दिखाई नहीं देती, अतः रूस में अमज़ोड़ी अधिनायकवाद चलता रहेगा। दृढ़वाद की सही व्याख्या के अनुसार यह अमज़ोड़ी अधिनायकवाद तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक पहले उसकी शक्ति का इतना विकास न हो जाए कि विश्व-क्रान्ति को उभाड़ कर समाजवाद की अन्तिम विजय प्राप्ति की जा सके। स्टालिन ने यह बलपूर्वक कहा कि “गृहनीति और विदेशी-नीति में ज्यो-ज्यो सुधार होता जाएगा त्यो-त्यो राज्य के स्वरूप में परिवर्तन मात्रा जाएगा। हम राज्य को हटा भी देंगे बशरों कि रूस के पास-पड़ोस के दुर्जुंझा राज्यों का पूँजीवादी ढाँचा समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर इन देशों में समाजवादी शासन की स्थापना हो जाए।” जब तक ऐसा नहीं होता तब तक रूस राज्य को इतना शक्तिशाली रखेगा कि वह समाजवादी शासन-व्यवस्था का पोषण करता रहे और धनराष्ट्रीय राजनीति अनेनिक्ता का मुकाबला करता रहे।

(२) रूस में राष्ट्रवाद का उदय—स्टालिन के ‘एकदेशीय समाजवाद’ के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय साम्यवाद का उदय हुआ। स्टालिन ने जिस राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन दिया था और जिस नवीन कृष्ण-नीति को प्रयनाया वह लेनिन की शिक्षाधर्मों के विपरीत थी। ‘एकदेशीय समाजवाद’ के विचार ने रूस की क्रान्ति को विश्व-क्रान्ति के लिए साधन न बनाकर स्वयं में एक साध्य (End) बना दिया। राष्ट्रवाद और साम्यवाद के स्थोर से रूस एक राष्ट्रवादी देश बन गया। रूस की यह राष्ट्र-भावना माझसं, ऐजिन्स और लेनिन की अवहेलना थी, क्योंकि उनका समाजवाद सम्बन्धी दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय था। सन् १९३४ तक स्टालिन ने राष्ट्रवाद का स्पष्ट पक्षपोषण नहीं किया, लेकिन जब सन् १९३५ के बाद उसे विश्वास हो गया कि हिटलर रूस पर आक्रमण करेगा तो उसने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया था और वह राष्ट्रवाद बी भी भूक गया। अब रूस के बाहर के देशों में स्थानीय साम्यवादी दलों को भी राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलनों से राष्ट्रीय तर्तों से मिलने के लिए प्रोत्साहन किया गया।

(३) आय की समानता के विचार का द्याग—स्टालिन ने आय के सम्बन्ध में भी माझसं और लेनिन के सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं किया। लेनिन ने वहा यह कि याज्य कम्बन्चारियों के बुगल एड्डूरों से अधिक कैठन नहीं केना कहिए, किन्तु स्टालिन ने पोषित किया कि समानता के माझसंवादी सिद्धान्त का उद्देश्य आय की समानता न होकर वर्ग विशेष के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। समाजवादी व्यवस्था में मनुष्यों को कार्यानुसार बेन भिलेगा। वेवल साम्यवाद में ही व्यक्ति दी आवश्यकतानुसार वस्तुओं का वितरण होगा। स्टालिन ने ‘कहा कि व्यक्ति को

सुप्त होने के विचार का परित्याग कर दिया पौर लोकतन्त्र तथा समानता के सिद्धान्त को तिलाजिति दे दी लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से उसने रूस को, जिसका सुसार के प्रथम साम्यवादी देश के रूप में उदय हुआ था, भौद्योगिक पौर संनिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा शक्तिशाली बनाया। स्टालिन ने अपने उद्देश्य की पूर्ति में किसी भी विरोध को सहन नहीं किया। सम्भवत सुसार के किसी मन्त्र शासन ने स्टालिन से अधिक अपनी प्रजा का खून नहीं बहाया होगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्टालिन ने निर्मम निरकृशता, कठोरता और दमन का परिचय दिया, तेकिन यदि वह ऐसा न करता हो सम्भवत शक्तिशाली रूस का निर्माण न हो पाता। अब यद्यपि समाजवाद के संस्थापकों में मंदान्तिक दृष्टि से स्टालिन का स्थान गौण है, तथापि व्यावहारिक दृष्टि से उसका स्थान मुख्य है। बास्तव में लेनिन द्वारा स्टालिन दोनों ने ही रूस में समाजवादी राज्य को स्थापित करने और सशक्त बनाने हेतु मालस के सिद्धान्तों में आवश्यकतानुसार सशोधन किए। शक्तिशाली साम्यवादी देश के निर्माण के लिए और रूस में हुई बोल्शेविक क्रान्ति को सफल बनाने के लिए लेनिन द्वारा मालसंवाद में परिवर्तन किए गए। स्टालिन ने भी लेनिन के पद चिह्नों का ग्रनुसरण किया। उसने भी लेनिन द्वारा स्थापित राज्य को सुदृढ़ द्वारा शक्तिशाली बनाने वे लिए मालस और लेनिन वे सिद्धान्तों में परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन किए। स्टालिन रूस को और रूस में साम्यवादी क्रान्ति को अत्यंत दबावित में ही अत्यन्त प्रबल तथा अजेय बना देना चाहता था। उसके मार्ग में दो बड़ी बाधाएँ थीं—पूर्वीपति राज्यों के विरोध में अपनी सत्ता सुदृढ़ करना तथा किसानों को साम्यवादी क्रान्ति के ग्रनुकूल बनाना। इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए उसे कुछ रियायतें देनी पड़ी लेकिन उसने साम्यवादी दल के अधिनेत्रजयकर्तव वे स्थान पर अपना व्यक्तिगत अधिनायकत्व स्थापित किया। उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कूर दमन और भीषण अत्याचार का आश्रय लिया। उसे निरचित रूप से सफारा शास्त्र हुई, किन्तु यह सफलता साम्यवादी सिद्धान्तों में महत्वपूर्ण सशोधन तथा रूसी प्रजाजन में भय, पातक, हिंसा और कष्ट के द्वारा ही प्राप्त हुई।

### स्टालिन के दाव

(After Stalin)

स्टालिन दुग एक व्यक्ति के नेतृत्व का युग था। उसकी मृत्यु के दाव 'सामूहिक नेतृत्व' का विकास हुआ जा रहा श्वेत के समय से ठोकरे खाता हुआ भारी तक किसी न किसी रूप में विद्यमान है। श्वेत के साथ ही रूस में उदारवादी साम्यवाद शनैं शनैं घनपने लगा। श्वेत ने स्टालिन की नीतियों का बहिष्कार किया। उसकी कहाँ को पूरी तरह खोद डाला गया और व्यक्तिगत का दृढ़ता से विरोप किया, गम्भीर श्वेत के राष्ट्र, 'दिस्टरलिनीकरण' (Disturbing India), और शान्तिपूर्ण सहस्रिति व (Peaceful Co-existence) ये दोनों मुख्य नीति सम्बन्धी तत्त्व उभरे। 20वीं शताब्दी में साम्यवादियों ने सम्पूर्ण विश्व में साम्यवादी राष्ट्र-मण्डल की स्थापना के मम्बन्ध में अपने विचारों में सशोधन लिया। यह स्वीकार

किया गया, कि पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच युद्ध भनिवाय नहीं है। यह भी इहा गया कि साम्यवादी पूँजीवादी व्यवस्था को सशस्त्र क्रान्ति द्वारा उलटना नहीं चाहते। लेनिन और स्टालिन के समय विपरीत ह्युश्चेव ने विरोधी गुटों में शान्तिपूर्ण सहभास्तित्व का समर्थन किया। उसने कहा कि माक्सर्स और लेनिन की सधर्वंवादी धारणा उस समय बनी थी जब साम्भाज्यवाद एक विश्वव्यापी व्यवस्था थी उस अन्य शक्तियाँ निर्वते थीं। उस समय साम्भाज्यवाद को युद्ध का परित्याग करने वे लिए आध्य करना दुष्कर कार्य था परन्तु आज इसको रोकने योग्य शक्ति सम्भव है। आज विरोधी शक्तियाँ इतनी प्रबल हैं कि साम्भाज्यवादी युद्धों पर सरनता से अकृत लगा सकती हैं। ह्युश्चेव ने अणुशक्ति के युग में यह विवेकपूर्ण तर्क दिया कि युद्ध की भनिवार्यता का अभाव किसी भी प्रकार की क्रान्ति की प्रक्रिया को छीया नहीं करता। ह्युश्चेव के वर्तमान उत्तराधिकारी भी इसी नीति में बहुत कुछ विश्वास बरते हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तृतीय महायुद्ध की विभीषिका को ध्यान में रखते हुए रूसी नेता युद्ध की भनिवार्यता के स्थान पर शान्तिपूर्ण सहभास्तित्व के लिए उत्सुक हैं। स्टालिन के बाद रूसी नीतियाँ परिवर्ती राष्ट्रों और पड़ोसी राज्यों वे प्रति अपेक्षाकृत शक्ति का व्यवहार करने लगी हैं। कहा जाता है कि शान्तिपूर्ण सहभास्तित्व में विश्वास सोवियत नीति की एक बालतथा भवसरवादिता है। लेकिन रूसी नेताओं का दावा है कि सोवियत रूस शक्ति-सम्पन्नता के कारण ही शान्तिपूर्ण सहभास्तित्व के लिए दृढ़ता से कायम है। यह आज रूसी विदेशी नीति का आधारभूत सिद्धान्त है। यहाँ हमारा उद्देश्य रूसी राजनीति की विवेचना करना नहीं है, अत इतना ही लिखना पर्याप्त है कि माक्सर्स के उत्तराधिकारियों के हाथों में माक्सर्स अपने विशुद्ध रूप में नहीं रह सका है और उसी प्रकार बदल गया है जिस प्रकार कोई नई वस्तु अनेक हाथों में आकर अपना प्रारम्भिक स्वरूप खो बैठनी है।

### माओ-त्से-त्सु ग

(Mao-tse-Tung)

#### माओ-त्से-त्सु ग का जीवन परिचय

अपने जीवनकाल में ही पुराण-मुख्य बन जाने वालों की सूचा अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। निश्चय ही माओ-त्से-त्सु ग इन्हीं में से एक थे। मध्य चीन के दक्षिण में स्थित हूनान प्रान्त के शांघाइन गांव में चीन और जापान के बीच 50 करों क्षेत्र में घिरते के एक बांध पहुँचे 26 दिसम्बर, 1893 को माओ का एक किसान परिवार में जन्म हुआ। उनके पिता माओ शुन चेङ्, लम्बे, तगड़े किसान थे जो कर्जदारों से मुक्ति पाने के लिए सेना में भरती हो गए किन्तु एक साल बी नीकरी के बाद वह घर लौट आए और सूप्रबो और चावल के व्यापार से उन्होंने जीवन प्रारम्भ किया। कुछ ही वर्षों में वह एक सम्पन्न किसान बन गए। माओ के पिता का स्वभाव कठोर था जबकि उनकी माता बेन ची मेई ममता और दया की दूरी थी। माओ त्से-त्सु ग पिता की अपेक्षा अपनी माता के धृष्टिक नज़दीक थे।

लिए ऐतिहासिक अभियान सचालित किया। माओरो की दूसरी पर्ले को कॉमिटीग ने मृत्यु-दण्ड दिया। च्यांग की सेना का दबाव हटाना अधिक बढ़ गया कि कम्युनिस्टों को लम्बे कूच का निर्णय करना पड़ा। अक्टूबर, १९३४, में कोई ७०,००० स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने शस्त्रास्त्री और रसद सहित माओरो के नेतृत्व में ६,००० मील लम्बी मात्रा आरम्भ की। इनमें से केवल ८,००० ही सन् १९३५ में येनान स्थित माओरो की अपेक्षा सुरक्षित छाड़े तक पहुँच पाए। अनेकों की मृत्यु हो गई और अन्य साथ छोड़ गए। स्वयं माओरो को किसानों के सरकार में अपने बच्चे छोड़ने पड़े जिनसे वह किर कभी नहीं मिल सका किन्तु इस अभियान से माओरो को ठोस अनुभव प्राप्त हुआ। उसे किसानों की कठिनाइयों का विषय हो गया और वह महीनों जान गया कि उनके असन्तोष से किस प्रकार साम उठाया जा सकता है। सन् १९४६ में चीन में व्यापक शूहयुद्ध छिड़ गया।

च्यांग के पास यद्यपि विशाल सेना थी, किन्तु वह माओरो के सैनिकों के छापामार युद्ध का भुकाबला नहीं कर सका। जनवरी, १९४९ में कम्युनिस्टों का पीकिंग पर अधिकार हो गया। उसके बाद नानकिंग का पतन हुआ और अक्टूबर, १९४९ में माओरो ने चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। उसी वर्ष वह अपनी प्रथम विदेश-यात्रा पर मास्को गया। उसने दूसरी और अंतिम विदेश-यात्रा सन् १९५७ में की। यह यात्रा भी मास्को की ही थी। गणराज्य की स्थापना के बाद माओरो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष बना। सन् १९५८ में उसने राष्ट्राध्यक्ष का पद लूँ जाओ ची के पक्ष में छोड़ दिया। सन् १९५९ के बाद शेष विश्व के प्रति चीन का रूख उत्तरोत्तर धारकामक होता गया जो इस बात का प्रतीक था कि माओरो को नीति आन्तरिक मामलों की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की ओर भुक रही थी। सन् १९६३ से अध्यक्ष माओरो अपनी क्रान्ति की धारणा का एशियाई, अफ्रीकी और लेटिन अमेरिकी देशों के मुक्ति-प्राप्तीदाताओं के लिए निर्यात करने लगा। सोवियत सघ से चीन के सम्बन्ध उत्तरोत्तर बिगड़ते गए और इस बिगड़ का प्रभाव चीनी नेतृत्व पर भी पड़ा। यद्यपि सन् १९६१ में माओरो ने लॉडं मौटोगोमरी से कहा था कि वह ७३ वर्ष से अधिक जीना नहीं चाहता किन्तु वह यह सहन नहीं कर सका कि उसके नेतृत्व को कोई चुनौती दे और ७३ वर्ष पूरा करने के ठीक पहले उसने एक और क्रान्ति का नेतृत्व किया। यह थी सन् १९६६ की महान् सांस्कृतिक क्रान्ति जिसमें माओरो के लाल रक्षकों ने माओरो विरोधियों को खुन-खुनकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मृत्युपर्वत (रात्रि ८-९ सितम्बर, १९७६) वह अपनी लग गार बीमारी के बावजूद चीन का नेतृत्व करता रहा।<sup>1</sup>

चीनी भावसंवाद (माओरोवाद) के प्रमुख भिन्नान्त

सन् १९४९ में अपने जन्म के कुछ समय बाद से ही लाल चीन साम्यवादी जनते में सोवियत सघ के नेतृत्व को चुनौती देन वाली महान् शक्ति बना हुआ है।

चीन की साम्यवादी विचारधारा के सूक्ष्मधार और चीनी साम्यवादी दल के कण्ठधार माप्रोत्सेन्टूग ने माक्सैं और लेनिन के इदान्तों को चीन की परिस्थितियों के अनुसार समोचित किया। यिस प्रकार लेनिनवाद माक्सैंवाद का रूपी स्तररण या उसी प्रकार माप्रोवाद (Marxism) भी माक्सैंवाद का प्रकारान्तर है। माप्रो ने इस परिवर्तन को माक्सैं के सिद्धान्त के अनुकूल ही माना और कहा नि यदि हम चीन की परिस्थितियों, धावध्यक्ताओं तथा प्रकृति के अनुरूप सिद्धान्तों का निष्ठर नहीं करें तो हम भरने आपको माक्सैंवादी विचारक कहसाने के उत्तरदायित्व से दिमुख होंगे।

आषुनिक चीनी साम्यवाद का निर्माण मुख्यत चार प्रकार की विचारधारों के योग से हुआ है। पहली विचारधारा माक्सैं की है जिसमें ऐतिहासिक दृष्टिभूमि भौतिकवाद, विश्वव्यापी वर्ग-युद्ध, सर्वहारा वर्ग हारा पूँजीवाद के सुनिश्चित विनाश यादि पर बत दिया गया है। दूसरी विचारधारा लेनिन की है जिसमें यह माना दया है कि साम्राज्यवाद पतलोग्युक पूँजीवाद की अन्तिम घटस्था है, पूँजीवादी देशों के विश्व सघर्ष में उपनिवेशवादी देशों के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती तथा विश्व-क्रान्ति में साम्राज्यवाद का विरोध महत्वपूर्ण है। सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति का नेतृत्व एक अनुशासित तथा सोक्रतन्त्रात्मक बेन्द्रवाद में निष्ठा रखने वाले दल हारा किया जाना है, कृपक वर्ग के क्रान्तिकारी महत्व को स्वीकार करना होगा तथा यह स्वीकार करना होगा कि कम विकसित देश में समाजवादी घटस्था में प्रदेश करने से पूर्व क्रान्ति बुर्जुआ लोकननीय घटस्था से गुजरती है। तीसरी विचारधारा स्टालिनवाद ही है जिसमें राज्य के मर्दाविकारवादी सगठन, राज्य हारा योजनाबद्ध रूप में आर्थिक विकास के सुवालन, राष्ट्र के अल्पसंख्यकों के साथ उदार व्यवहार की नीति के पालन प्राप्ति पर विशेष वल दिया गया था। चौथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारधारा माप्रोवाद ही है और व्यवहारत चीन में माप्रोत्सेन्टूग के विचारों का ही बोसधारा है।

माप्रोवाद चीन की परिस्थितियों के अनुकूल माक्सैंवाद-लेनिनवाद का माप्रोवादी चीनी सरलण है। माप्रो ने भरने भनवाहै दग से माक्सैंवाद-लेनिनवाद को प्रतिपादित किया और उसे चीन में ऐसी व्यावहारिक दशा प्रदान की जिससे न केवल पूँजीवादी विश्व को बल्कि स्वयं साम्यवादी जगत् को भी खतरा पैदा हो गया है। चीन में माप्रो को देवता तुल्य माना जाता है। उसे बर्तमान धाराव्यी का सर्वाधिक प्रतिमाशाती व्यक्ति और माक्सैंवाद-लेनिनवाद का सर्वोत्तम प्रतक्ता माना जाता है। माप्रो के विचारों का रखमात्र विरोध भी याप और प्रपराप है। माप्रो के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

! सशस्त्र क्रान्ति धारा भी उतनी ही धावध्यक है जितनी माक्सैं या लेनिन के उभय में थी। माप्रो का भाग है—क्रान्ति हारा गृह-युद्ध भड़काना और चोट पर

चोट करते हुए प्रन्तिगत्वा साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर अधिकार जमा लेना। माझो की दृष्टि में सर्वहारा वर्ग क्रान्ति की सचालक शक्ति है और इस वर्ग को शक्ति-प्रयोग के लिए छापामार युद्धों का प्राथम्य लेना चाहिए। चीन के गृह-न्युद्ध अर्थात् चीनियों के लिए छापामार युद्धों का प्रभावशीलता को सिद्ध कर भेक के विरुद्ध सघर्ष में माझो ने छापामार युद्धों की प्रभावशीलता को सिद्ध कर दिखाया और आज यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध-प्रणाली के रूप में सुप्रतिष्ठित है। माझो ने स्टालिनोत्तर रूसी शासकों पर सशोधनवादी होने का आरोप लगाया है। माझो की एक बड़ी देन यह और कहा कि वे क्रान्ति के पथ से विचलित हो गए हैं। माझो की एक बड़ी देन यह मानी जा सकती है कि उसने क्रान्ति के नेतृत्व में किसानों को भी सम्मिलित किया। यद्यपि रूसी क्रान्ति में भी किसान सम्मिलित थे, लेकिन नेतृत्व केवल श्रमिकों के हाथ में था। माझोवाद की दृष्टि में निर्वन्दित किसानों का नेतृत्व में योग अनिवार्य है क्योंकि उनके बिना कोई वास्तविक क्रान्ति नहीं हो सकती। किसानों के अपमान का ग्रहण है क्रान्ति का अपमान; किसानों पर प्रहार का मतलब है क्रान्ति पर प्रहार। विशालकाय चीन एक कृषि-प्रधान देश है, यत् किसानों की भूमिका को स्वीकार करके माझो ने चीन की परिस्थितियों का सही मूल्यांकन किया।

2. माझोवाद, सामन्तवाद पूँजीवाद और साम्राज्यवाद का घोर विरोधी है। वह पूँजीवाद के शब्द पर साम्यवाद का महल खड़ा करना चाहता है। माझो की मान्यता के अनुसार दो महायुद्ध पाइवात्य पूँजीवाद को जर्जरित कर चुके हैं, अब उसे एक और प्रबल घटका देना है और फिर यह लड़खड़ाती हुई दीवार अपने आप गिर जाएगी। साम्यवादियों को चाहिए कि वे पूँजीवादी देशों में क्रान्तियों, युद्धों और सघर्षों को भड़काएं। माझो के अनुसार यद्यपि पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में अन्तविरोध हैं, लेकिन इनमें एक आधारभूत अन्तर यह है कि जहाँ पूँजीवाद के अन्तविरोधों का अन्त केवल युद्ध और शान्ति द्वारा ही हो सकता है, वहाँ समाजवादी व्यवस्था के अन्तविरोध शान्तिपूर्वक दूर किए जा सकते हैं।

3. माझोवाद शक्ति का दर्शन (Philosophy of Power) है। राजनीतिक शक्ति के सम्पूर्ण प्रयोग से मनुष्यों के हृदय परिवर्तन कर सभी सामाजिक शक्तियों को नियन्त्रित किया जा सकता है। माझो का शक्तिवादी विचार माक्से की इस मौलिक धारणा के प्रतिकूल था कि प्रार्थिक परिस्थितियाँ मानव-विचारों और सम्भालों का निर्माण करती हैं। माझो का कहना था कि विचारों से समाज का निर्माण होता है और विचारों के बाद सेनिक शक्ति का महत्व है। सेनिक शक्ति तथा राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजनीतिक शक्ति बग्दूक की नली से उत्पन्न होती है और बग्दूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है।

4. माझोवाद युद्ध की अनिवार्यता और शक्ति के प्रयोग का सन्देश देता है। माझो के लिए शान्ति तथा सहभस्तित्व की धारणा का कोई महत्व नहीं है। माझो के अनुसार अगला महायुद्ध सम्पूर्ण साम्राज्यवादी पूँजीवाद का पूर्ण रूप से विघ्वंस करने वाला होगा। प्रथम महायुद्ध ने सोवियत क्रान्ति की भूमिका को निर्माण किया,

द्वितीय महायुद्ध के बाद चीन की क्रान्ति सम्पन्न हुई और अब तृतीय महायुद्ध समूणे विश्व में समाजवाद के प्रादुर्भाव के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण कर देगा।

5 इस समय विश्व विरोधी शिविरों में विभाजित है। एक और साम्राज्यवादियों का शिविर है जिसमें अमेरिका और उसके साथी तथा अन्य प्रतिक्रियावादी देश हैं। दूसरा शिविर साम्राज्य-विरोधियों का है जिसमें साम्यवादी जगत् और चीन हैं। इन दोनों शिविरों से पृथक् तटस्थ राष्ट्रों का कोई स्थान नहीं है। तटस्थता केवल घोड़े की टट्टी है। काश! भारत ने माओ के इस विचार का सही मूल्यांकन किया होता तो वह चीन के निलंज आक्रमण के प्रति प्रारम्भ से ही घोसे में न रहता।

6 माओवाद लोकतन्त्रात्मक अधिनायकवाद (Democratic Dictatorship) का पक्षपोषण करता है। उसकी रचनाओं 'New Democracy', 'On Coalition Government', 'The Present Position and Task Ahead', 'The Peoples Democratic Dictatorship' आदि के प्रध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि माओवाद साम्यवादियों के लिए लोकतन्त्र और गैर-साम्यवादियों के लिए अधिनायकतन्त्र है और इस प्रकार यह मिलकर लोकतन्त्रात्मक अधिनायकवाद हो जाता है। दूसरे शब्दों में, माओवाद लोकतन्त्रात्मक तो इसलिए है कि यह 'जनता' के हितों की पूर्ति के लिए शासन करता है और अधिनायकवादी इसलिए है कि यह क्रान्ति विरोधी शक्तियों का दमन करने के लिए निरकुश शक्ति का प्रयोग करता है। माओ को उदारवाद, सहस्रस्तित्व जैसे शब्दों से घृणा है। माओ के दर्शन में प्रतिक्रियावादियों और गैर-साम्यवादियों के प्रति उदारता के लिए कोई स्थान नहीं है। उहे विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती।

माओ की दृष्टि में राज्य एक विशेष वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शासन करने का साधन है अतः राज्य का कर्त्तव्य है कि वह श्रमिक वर्ग के हितों के विरोधी तत्त्वों को निर्ममतापूर्वक कुचल दे। माओ का कहना है कि साम्यवादी दल शक्ति प्राप्त करने के बाद राज्य की शक्ति का प्रयोग पूजीयतियों का नाश करने के लिए करेगा। साम्यवादियों को ही अधिकार प्राप्त होगे, गैर साम्यवादियों को नहीं।

7 माओ व्यक्ति-पूजा का प्रतिष्ठापन है। लेनिन ने यह स्वीकार किया था वि दल के उच्च सिद्धान्तों का प्रतिपादन बेवल उच्च स्तर के व्यक्ति ही कर सकते हैं, किन्तु उसने व्यक्ति-पूजा की बात कभी नहीं की पर माओ की 'कथनी और करनी' में बड़ा प्रस्तार था। माओ ने एक प्रोटो तो 'संकड़ो फूलों के एक साथ खिलने' की बात कही, पर दूसरी ओर प्रपने कठोर प्रधिनायकवाद की इस प्रकार स्थापना की कि चीन में माओ सबसे बड़ा देवता अर्थात् भगवान् बन गया। बेवल एक व्यक्ति माओ की तानाशाही रही जिसका एक-एक शब्द अन्तिम सत्य का उद्बोधक था। माओ ने अपने विरोधियों को सौस्कृतिक क्रान्ति के नाम पर खत्म कर देने में बोई कसर नहीं रखी। साधारण जनता की बात ही बया है, चीनी गणराज्य के अध्यक्ष लिया जाओ ची और चीन के सुरक्षा मन्त्री लिनपियाओ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इस सौस्कृतिक क्रान्ति के शिकार हुए। माओ ने चीन का 'माओकरण' करने का

पूरा प्रयत्न किया और 'माझो-गीता' का पाठ धर-धर में किया जाना अनिवार्य-सा बना दिया। माझो-गीता या माझो-दैनन्दिनी के कुछ नियम संक्षेप में इस प्रकार हैं—  
 (1) मुद्दे में मनुष्य और प्राणी की तुलना में मनुष्य का महत्त्व प्रधिक है क्योंकि निर्णायक वस्तु मनुष्य है न कि शस्त्र, (2) सेना में राजनीति को अन्य संनिक कार्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, (3) माझोबाद ही सच्ची राजनीति तथा सच्चा धर्मशास्त्र है अत इसे ही सर्वोपरि महत्त्व दिया जाना चाहिए, (4) माझोबाद ही सच्चा आदर्शबाद है, (5) जीवन्त विचारों और रखनात्मक व्यावहारिकता को कोरे किताबी, काल्पनिक तथा सिद्धान्तबादी विचारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

माझो के अनुसार अत्येक चीनी साम्यवादी को इन चार इच्छाओं को स्वीकार करना चाहिए।

(1) सबसे घन्घा साथी वह है जो राजनीतक तथा वैचारिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। (2) उसी साथी को श्रेष्ठ मानना चाहिए जो तीन-आठ (त्रि-प्रष्टक्) की कार्य प्रणाली के लिए उत्तम हो। इस त्रि-प्रष्टक् का अभिप्राय तीन प्रवृत्तियों और आठ चारित्रिक गुणों से है—(म) अपनी सही राजनीतिक प्रवृत्ति को पकड़े रखना, (आ) अपने कर्तव्य-पालन में श्रम और सादगी का परिचय देना, एव (इ) अपनी युक्तियों में लचीलापन कर्तव्यम रखना। आठ चारित्रिक गुणों में एकता, सत्कंता, निश्चयात्मकता और सक्रियता सम्मिलित है, (ई) वह साथी श्रेष्ठ है जो संनिक प्रशिक्षण की दृष्टि से उत्तम हो, एव (उ) जो संनिको के लिए जीवन्त व्यवस्था करने में निपुण हो।

8 माझो ने समाजबादी शान्ति के लिए जिस पद्धति को विकसित किया उसे 'टुन, टुन (Fight, Fight), टा, टा, टा, (Talk, Talk, Talk)' सिद्धान्त कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि सर्वप्रथम विरोधी पर आक्रमण कर उसे इतना निर्बंल बना देना चाहिए कि वह नहने की बात छोड़कर मेज पर बातचीत के लिए तैयार हो जाए। कुछ दिनों तक समझौता बार्ता चलानी चाहिए, लेकिन समझौते की शर्तें ऐसी रखी जानी चाहिए कि शत्रु उन्हे स्वीकार करने को तप्तपर न हो। उसके ऐसा करने पर उस पर शान्ति भग का आराप लगाना चाहिए और फिर इस प्रारोप का जबर्दस्त प्रचार करना चाहिए। लगभग इसी समय शत्रु पर पुन भयकर आक्रमण कर उसके प्रदेशों पर अधिकार कर लेना चाहिए। संक्षेप में, पहले सदो, फिर निर्बंल बनाकर बात-चीत करो, और तब बार्ता भग करके पुन लड़ो और अधिकार जमा लो।

माझो के कुछ अन्य विचार

ज्ञान—प्रपने सामाजिक व्यवहार में मनुष्य विभिन्न प्रकार के सघर्षों ने लालन रहता है और अपनी सकलतामो और असकलतामो से प्रचुर मनुष्व 'मनुष्य की पाँच ज्ञानेन्द्रियो—ग्राह्य, कान, नाक, जोभ और त्वचा—'

मस्तिष्क पर वस्तुगत बाह्य जगत् की घर्षणस्थ घटनाओं का प्रतिविम्ब पड़ता है। ज्ञान मुख में इन्द्रिय-ग्राहण होता है। धारणात्मक ज्ञान अर्थात् विचारों की स्थिति में तब पहुंच जा सकता है जब इन्द्रिय-ग्राहण ज्ञान का कोई मात्रा में प्राप्त कर लिया जाता है। यह ज्ञान-प्राप्ति की एक प्रक्रिया है तथा ज्ञान-प्राप्ति की समूची प्रक्रिया की पहली मजिल है—एक ऐसी मजिल जो हमें वस्तुगत पदार्थ से मनोवृत चेतना की ओर से आती है, अर्थात् अस्तित्व से विचारों की ओर ले जाती है। किसी व्यक्ति की चेतना यों विचार (जिनमें सिद्धान्त, नीतियाँ, योजनाएँ अथवा उपाय सामिल हैं) वस्तुगत बाह्य जगत् के नियमों को सही ढंग से प्रतिविम्बित करते हैं अथवा नहीं यह इस स्तर पर सिद्ध नहीं हो सकता तथा इस स्तर पर यह निश्चित करना भी सम्भव नहीं है कि वे सही हैं अथवा नहीं। इसके बाद ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया का दूसरा स्तर आता है, एक ऐसा स्तर जो हमें चेतना से पदार्थ की तरफ वापस से जाता है अर्थात् हम विचारों से अस्तित्व की ओर वापस आते हैं तथा जिसमें पहली मजिल के दोरान प्राप्त ज्ञान को सामाजिक व्यवहार में उतारा जाता है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि ये सिद्धान्त, नीतियाँ, योजनाएँ अथवा उपाय प्रत्याहित सफलता प्राप्त कर सकें अथवा नहीं। आम तौर पर इनमें से जो सफल हो जाते हैं, वे सही माने जाते हैं और जो ग्रसकल हो जाते हैं वे गलत। यह बात प्रकृति के विशद मनुष्य के स्वरूप के बारे में विशेष रूप से सत्य सिद्ध होती है। सामाजिक स्वरूप में कभी-कभी आगे बढ़े हुए वर्ग का प्रतिनिष्ठित करने वाली जक्तियों को पराजय का मुँह देखना पड़ता है, इसलिए नहीं कि उनके विचार बलत हैं बल्कि इसलिए कि सध्वरंत जक्तियों के तुलनात्मक बल की दृष्टि से उस समय वे जक्तियाँ उतनी अधिक बलशाली नहीं होती हैं जिनी प्रतिक्रियावादी जक्तियाँ। इसलिए उन्हें अस्थायी तौर पर पराजय का मुँह देखना पड़ता है, लेकिन दैर-संबैर विजय अवश्य उन्हीं को प्राप्त होती है। मनुष्य का ज्ञान व्यवहार की कस्तूरी के बरिए छलांग भर कर एक नई मजिल पर पहुंच जाता है। यह छलांग पूर्ववर्ती छलांग से अधिक महसूपूर्ण होती है व्योंकि केवल यही छलांग ज्ञान-प्राप्ति की पहली छलांग अर्थात् वस्तुगत बाह्य जगत् को प्रतिविवित करने के बीच बनने वाले विचारों, सिद्धान्तों, नीतियों, योजनाओं अथवा उपायों का सही अपवाह बलत होना साधित करती है। सभ्वाई को परखने का दूसरा कोई तरीका नहीं है।

प्रक्षसर 'सही' ज्ञान की प्राप्ति के इस पदार्थ से चेतना की तरफ आने और फिर चेतना से पदार्थ की तरफ सौटने की प्रक्रिया को, अर्थात् व्यवहार से ज्ञान की ओर, पीछे फिर ज्ञान से व्यवहार की ओर आने की प्रक्रिया को बार-बार दोहराने से ही होती है। यही भावसंवाद का ज्ञान-सिद्धान्त अथवा द्वन्द्वात्मक भौतिकबाद का ज्ञान-सिद्धान्त है।

**आप्यायम्—** आदर्शबाद और आध्यात्मबाद दुनिया में सबसे सुखम चीजें हैं व्योंकि इन्हें मानने वाले सोग वस्तुगत यथार्थ को भावार बनाए दिना अथवा वस्तुगत यथार्थ की कस्तूरी पर रखे दिना चाहे जिनी अनर्गत बातें कर सकते हैं। दूसरी

तरफ भौतिकवाद और द्वन्द्ववाद वास्तव में प्रयत्न साध्य चीजें हैं। इनमें वस्तुगत यथार्थ को प्राप्ताना बनाना और उसे कसौटी पर परखना ज़हरी है। यदि कोई प्रयत्न नहीं करेगा तो उसके लिए आदर्शवाद और आध्यात्मवाद के गड्ढे में गिरने की सम्भावना बनी रहेगी।

**विश्लेषण—**जब भी हम किसी चीज का अध्ययन करें, तो हमें उसकी अन्तर्वस्तु की परीक्षा करनी चाहिए, उसके बाह्य रूप की अन्तर्वस्तु की देहरी तक पहुँचने देने के लिए मार्गदर्शक भर मानना चाहिए तथा एक बार देहरी पार कर लेने पर हमें उस चीज की अन्तर्वस्तु को दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए। विश्लेषण की यही पद्धति एक विश्वसनीय और वैज्ञानिक पद्धति है।

**अन्तर्विरोध—**किसी वस्तु के विकास का मूल कारण उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर होता है, उसके आन्तरिक अन्तर्विरोधों में निहित होता है। ये आन्तरिक अन्तर्विरोध हर वस्तु में निहित होते हैं तथा इसलिए हर वस्तु गतिमान और विकासशील होती है। किसी वस्तु के भीतर विद्यमान अन्तर्विरोध ही उसके विकास का मूल कारण होता है जबकि उसके भीतर अन्य वस्तुओं के बीच के पारस्परिक सम्बन्ध और पारस्परिक प्रभाव उसके विकास के गोष्ठी कारण होते हैं।

**अनुशासन—**जनता की बातों के अन्दर जनवाद के केन्द्रीयता से जुड़ा रहता है और आजादी अनुशासन से। ये दोनों एक ही वस्तु के दो विपरीत पहलू हैं जो परस्पर विरोधी भी हैं और एकताबद्ध भी, तथा हमें इनमें से एक को ढूकरा कर दूसरे पर एकपक्षीय जोर नहीं देना चाहिए। जनता की बातों के अन्दर न तो आजादी के बिना हमारा काम चल सकता है और न अनुशासन के बिना; न जनवाद के बिना हमारा काम चल सकता है और न केन्द्रीयता के बिना। हमारी जनवादी केन्द्रीयता जनवाद और केन्द्रीयता की एकता तथा आजादी और अनुशासन की एकता से ही बनती है। इस व्यवस्था में जनता व्यापक जनवाद और आजादी का उपभोग करती है, लेकिन उसे समाजवादी अनुशासन की सीमाओं के अन्तर्गत रहना पड़ता है।

**नौजवान—**यह दुनिया तुम्हारी है, यह हमारी है, लेकिन अन्ततोगत्वा यह तुम्हारी ही होगी। तुम नौजवान लोग घोजत्विता और त्रीवन शक्ति से भरपूर सुबह या नो बजे के शुरूज की तरह अपनी जिन्दगी की पुरबाहर मजिल में हो। हमारी प्राणाएं तुम पर लगी हुई हैं।

हमें इस बात को समझने में अपने तमाम नौजवानों की मदद करनी चाहिए कि हमारा देश प्रब भी बहुत गरीब है। हम घोड़े से सहाय में ही इस स्थिति को बूनियादी रूप में नहीं बदल सकते तथा केवल मात्र अपनी युवा वीड़ी और समस्त जनता के समुक्त प्रयत्नों द्वारा और स्वयं अपने भूजवल के भरोसे काम करके ही कुछ दण्डियों में हम अपने देश को भज्बूत और समृद्ध बना सकते हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने से भविष्य के एक आदर्श समाज तक पहुँचने का मार्ग प्रकाशित हो गया है, किन्तु इस आदर्श को वास्तविक रूप देने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा।

**हित्र्या**—काम करने लायक हर स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त के मन्तर्गत धर्म के भोव्ये पर रूपानात होने का भौका दो। वह कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो जाना चाहिए।

**साहित्य**—कला व साहित्य की समालोचना के दो मापदण्ड होते हैं—एक राजनीतिक मापदण्ड और एक कलात्मक। इन दोनों के बीच क्या सम्बन्ध है? कला को राजनीति के समकल नहीं रखा जा सकता और न कलात्मक सूजन व समालोचना की किसी एक पद्धति को ही विषयव्यापी दृष्टिकोण के समकक्ष रखा जा सकता है। हम न सिफ़े एक अमूर्त और बिलकुल अपरिवर्तनीय राजनीतिक मापदण्ड के अस्तित्व को मानने से इकार करते हैं, बल्कि एक अमूर्त और अपरिवर्तनीय कलात्मक मापदण्ड के अस्तित्व को मानने से भी इकार करते हैं। सभी वर्ग-समाजों में हर वर्ग के अपने स्वयं के राजनीतिक और कलात्मक मापदण्ड होते हैं, लेकिन सभी समाजों में सभी वर्ग हमेशा राजनीतिक मापदण्ड को प्रमुख स्थान देते हैं और कलात्मक मापदण्ड को गौण। हम जिस चीज़ की मांग करते हैं वह है राजनीति और कला की एकता, विषयवस्तु और रूप की एकता। वे कलाकृतियाँ जिनमें कलात्मक प्रतिभा का अभाव होता है, बिलकुल शक्तिहीन होती हैं चाहे राजनीतिक दृष्टि से वे कितनी ही प्रशंसनीय रूपों न हो। इसीलिए हम ऐसी कलाकृतियों के सूजन का जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण गलत होता है, तथा पोस्टरबाज़ी व नारेबाज़ी जैसी शैली की उन कलाकृतियों का, जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण तो सही होता है, किन्तु जिनमें कलात्मकता का अभाव होता है, विरोध करते हैं। साहित्य और कला के प्रश्न पर हमें इन दोनों भोव्यों पर सधर्व करना चाहिए।

'सौ फूल छिलने दो और सौ विचार-शास्त्रों में होड होने दो' की नीति कला व विज्ञान की प्रगति को प्रोत्साहन देने तथा हमारे देश में समाजबादी सकृदार्थ की समृद्धि को बढ़ाने की नीति है। कला के क्षेत्र में विभिन्न रूपों और शैलियों का स्वतन्त्रता से विकास होना चाहिए और विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न विचार-शास्त्रों में स्वतन्त्रतापूर्वक होड होनी चाहिए। हमारे विचार से अगर किसी शैली विशेष या विचार-शास्त्र विशेष को सादने और दूसरी शैली विशेष या विचार-शास्त्र विशेष पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रकासकीय कार्यालयी की जाती है तो वह कला और विज्ञान के विकास के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। कला और विज्ञान जगत में सही और गपत के प्रश्न को कला और विज्ञान के क्षेत्र में स्वतन्त्र बाद-विवाद तथा व्यावहारिक कार्य द्वारा हल करना चाहिए। उनका जल्दबाजी से समाप्त नहीं होना चाहिए।

**प्रध्ययन**—ज्ञान एक वैज्ञानिक वस्तु है और इस मामले में जरा भी देइमानी या धर्मण की प्रनुभति नहीं दी जा सकती। इससे बिलकुल उल्टा ईमानदारी और नभ्रता का दृष्टिकोण निश्चित रूप से आवश्यक है।

प्रात्मतुष्टि प्रध्ययन की शक्ति है। जब तक हम प्रात्मतुष्टि से नाता नहीं होड सकें, तब तक हम सबमुच कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। हमें स्वयं सीखने के लिए सालाहित रहने का रवैया और दूसरों को सिखाने की प्रयत् कोशिश करने का रवैया प्रभाना चाहिए।

**संस्कृति और समन्वय**—मूलभूत सिद्धान्तों की दृष्टि से सासार के सभी राष्ट्रों की कला एक है, लेकिन हर देश की कला का एक विशेष राष्ट्रीय रूप और उम्मीदी राष्ट्रीय शैली होती किन्तु कुछ लोग इस बान को नहीं समझते। वे अपनी कला के राष्ट्रीय गुणों को अस्वीकार करते हैं और पश्चिम की अन्यभूक्ति यह सोबत करते हैं कि पश्चिम हर प्रकार से उत्तम है। इतना ही नहीं वे पूर्ण परिवर्मीकरण की बालत करते हैं ‘चीनी कला, चीनी सगीत, चीनी विश्वकला, नाटक, गान और नृत्य और साहित्य सबका अपना ऐतिहासिक महत्व है। चीनी चीजों को अस्वीकार करके जो लोग पूर्ण परिवर्मीकरण का आग्रह करते हैं उनका कहना है कि चीनी चीजों के अपने नियम नहीं हैं और इसलिए वे उनका अध्ययन करने या उनका विकास करने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। यह चीनी कला के प्रति राष्ट्रीय नकारात्मकता की प्रवृत्ति है……हमें प्राय देशों की बहुत-सी चीजें सोखनी चाहिए और उनमें दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। हमारे लिए विशेष रूप से यह आवश्यक है कि मूलभूत सिद्धान्त में गिरुणता प्राप्त करें मार्क्सवाद एक मूलभूत सिद्धान्त है जिसका जन्म पश्चिम में हुआ है। इस सम्बन्ध में हम पह भन्तर कंसे करेंगे कि क्या चीनी है क्या पश्चिम? हमें पह स्वीकार करना चाहिए। मार्क्सवाद एक सामान्य सत्य है जो सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, लेकिन इस सामान्य सत्य को हर राष्ट्र की क्रान्ति के ठोस कार्य से सम्बद्ध करना चाहिए। हमें सभी आधुनिक विज्ञानों का अध्ययन करना चाहिए लेकिन जिन कुछ लोगों ने पश्चिमी धौषधियों के बारे में अध्ययन किया है उन्हे चीनी धौषधियों का भी अध्ययन करना चाहिए और अपने आधुनिक विज्ञानिक ज्ञान तथा पढ़ति को व्यवस्थित कर अपनी प्राचीन चीनी विकित्सा-पद्धति और उपकरणों का अध्ययन करना चाहिए। चीन के नव-संगठित विकित्सा और धौषधि विज्ञान के निर्माण के लिए उन्हें चीनी और पश्चिमी धौषधि और धौषधि विज्ञान को समन्वित करना चाहिए।

हमें पह स्वीकार करना चाहिए कि जहाँ तक आधुनिक संस्कृति का प्रश्न है, पश्चिम का मानदण्ड हमसे ऊंचा है। हम वीचे छूट गए हैं।

क्या कला के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है? कला में हमारी अपनी शक्ति और हमारी अपनी कमियाँ हैं। अपनी कमियों को गुणों में परिवर्तित करने के लिए हमें प्राय देशों की अन्धी बातों को अपने में सजो लेना चाहिए। यदि हम अपनों प्रारम्भिक पद्धति से चिपके रहे और हमने विदेशी साहित्य का अध्ययन नहीं किया और इसे चीन में शुरू नहीं किया, यदि हम पह नहीं जान पाए कि विदेशी संगीत कंसे सुना और सराहा जाता है तथा उसे कंसे गाया और बजाया जाता है, तो पह अन्धी बात नहीं है विदेशी बातों का अन्या होकर अस्वीकार करना अन्यों द्वी तरह उसकी पूजा करना जैसा ही है दोनों ही बातें गलत और हातिकारक हैं। हम नू सूं से सीखना चाहिए अपनी रचना में उम्में गुणों का अद्दान करना चाहिए। चीनी और विदेशी कला के अन्धे तत्त्वों को एक दूसरे में प्राप्तमातृ कर नई कला वो जन देना चाहिए जिसका चरित्र इस और जीली में राष्ट्रीय है। उदाहरण

के लिए उपन्यास लिखते समय भाषा, चरित्र, पृष्ठभूमि निश्चय ही चीनी हों, लेकिन यह भावशक नहीं है कि वे चीनी किस्तबादी रूप में लिखे गए हो। आप कुछ ऐसा रच सकते हैं जो न चीनी हो और न पश्चिमी। यदि परिणाम यह भी निकले कि वह न तो गदहा हो न धोड़ा बल्कि खच्चर हो, तब भी वह बुरी बात नहीं होगी…… हमें विदेशी चीजों की विवेकात्मक स्वीकृति की ओर ध्यान देना चाहिए और दिलों तौर पर तब जब हम समाजबादी संसार तथा पूर्जीवादी संसार की प्रगतिशील जनता से कुछ ग्रहण कर रहे हो……” इसे अधित्ते करने के लिए हमें प्रयोगों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए।<sup>1</sup>

### मूल्यांकन

माझो ने माक्सैंवाद-लेनिनवाद का चीनी संस्करण प्रस्तुत किया और सोते हुए चीन को जाप्त एक विश्व-शक्ति के रूप में परिणत कर दिखाया, इसलिए उसे भाषुनिक चीन का निर्माता कहा जाए तो इसमें कोई भ्रतिशायोक्ति न होगी। 8-9 सितम्बर, 1976 की रात्रि को भूत्यु के उपरान्त चीन ने 18 सितम्बर को अपने महान् नेता की अत्येष्टि को सावंजनिक रूप पूरी की। उस दिन 80 करोड़ चीनियों ने अपने पुटनों के दल बैठकर स्मृतिशेष माझो को अपनी अनिम् अद्वाचिति अपित की। चीन की जनता माझो को कभी नहीं भुला सकती। भाषुनिक युग के समस्त कान्तिकारियों, स्वप्नद्रष्टाओं, प्रशासकों और राजनविकों की जमात में माझो ही सम्भवतः एकमात्र ऐसा व्यक्ति तिदं हूमा है जो एक विशाल परम्पराबादी समाज में जीते-जी अपने सपनों को तथा सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप दे सका। इसके लिए उन्हें सन् 1949 के बाद भी बराबर संघर्ष करते रहना पड़ा, क्योंकि उन्हें यह सहन नहीं था कि समतावादी समाज की धारणा किसी एक तत्त्व, व्यवस्था या प्रणाली में बंध कर रह जाए क्योंकि तब वह स्वभावत धीरे-धीरे रुड़ होकर जड़ हो जाएगी। इसलिए वह सम्बी कूद, सौस्कृतिक कान्ति आदि भान्दोलनों द्वारा सरकार, दल और संनिक तन्त्र को ऐसी विकट स्थितियों में ढालते रहे जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर उठ भाई, नया नेतृत्व उभरा—भले ही इसके कारण भ्रस्थायी रूप से उत्पादन में कमी थाई हो अभवा स्कूल-कॉलेज यूद्ध समय के लिए बन्द हो गए हो। माझो की बरोबर उपल-पुपल बाली यह रणनीति ताल्कालिक लाभ की अपेक्षा गन्तव्य को बुनियादी बातों को अधिक महत्व देती थी जिससे अनेक विरोधाभासों और संदानिक बहुसौं का जन्म होता है, जो चीन के राजनीतिक जीवन का भी सत्ता की होड़ का भी प्रमुख घग बन चुका है। माझो एक और तरह से भी सौभाग्यशाली रहे कि मर्टे के पहले सौत्कृतिक कान्तिकाल में भी उसके बाद हुई टूट-फूट और विकृतियों को ठीक कर सन् 1975 में एक नया संविधान और सरकार, दल व सेना का एक ऐसा सन्तुलन काल्पन कर गए कि मध्यमार्गी भी उपवादी पारस्परिक सालमेल बैठाकर आगे बढ़ सकें।

1 दिनांक : सितम्बर, 1976.

मान्मो-स्से-तुंग क्रान्तिदृष्टा और क्रान्तिकारी किसान थे। यह कहना कुछ विलक्षण भले ही लगे पर यह सही है कि यदि मान्मो न होते तो चीनी क्रान्ति भी न होती। चीनी भाषा में 'क्रान्ति' शब्द का विचित्र अर्थ है। अग्रेजी या हिन्दी में रिवोल्यूशन या क्रान्ति का जो अर्थ है, चीनी में ग-मिंग शब्द का उससे भिन्न अर्थ है—शासक वश को शासन करने के दंबी अधिकार से बचित कर देना। यह शुद्ध शासक वश को शासन करने के दंबी अधिकार से बचित कर देना। यह शुद्ध राजनीतिक अर्थ है। शताब्दियों से चीनी विसान दबा हुआ था। उसे समाज में कोई समय-समय पर उपने राजवशो को गढ़ी से उतार भी दिया था, परन्तु इससे कोई परिवर्तन नहीं आया था, कम से कम चीनी किसान के लिए तो कुछ भी नहीं। सभी चतुर सिद्धान्तवादियों की भाँति चीनी सिद्धान्तवादियों ने भी राजवशो के पतन को लेकर एक सिद्धान्त गढ़ रखा था। यह या 'ईश्वरेच्छा' सिद्धान्त, अर्थात् यह ईश्वर की इच्छा थी कि अमुक राजवश का पतन हो, सो वह हुआ। इम सिद्धान्त से अपने को सन्तुष्ट कर चीन का द्वाहुण वर्ग निश्चन्त हो जाता था, परन्तु किसान पिसता रहता था और बार-बार ऐसा होता था। मान्मो और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह स्थिति बदल दी। सन् 1926 में उसने सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि किसान ही आगमी क्रान्ति का वाहक होगा। उन्होंने किसान को बताया कि साम्राज्यवादी, मूपति और बुजुँग्रा वर्ग चीन को बेच खाने पर उतार हैं। चीन में किसान को मजदूर मूपति और बुजुँग्रा वर्ग चीन को बेच खाने पर उतार हैं। चीन में किसान को मजदूर के साथ मिलकर (जो उस समय केवल बीस लाख थे) क्रान्ति करनी होगी। बाकी सब लोग साम्राज्यवादियों की पूजा करते रहेंगे। राजवशो को नष्ट करने से कुछ काम नहीं बनेगा। आवश्यक यह है कि राज्य की पुरानी व्यवस्था को तोड़ दिया जाए। चीनी किसान ने मान्मो के सन्देह को समझा और उसका अनुसरण किया। मान्मो का विलक्षण योगदान यही है कि उसने विशाल चीनी किसान-समाज में जनवादी चेतना उत्पन्न की। 28 वर्ष के भीतर साठ करोड़ चीनी किसानों ने जनशक्ति का रूप ग्रहण कर लिया और समाज की इस तरह काया पलट दी, जैसा चीनी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।

मान्मो ने क्रान्ति को दो अर्थ दिए—प्रथम, क्रान्ति शासकवश को शासनाधिकार से बचित करती है, द्वितीय क्रान्ति शासक के विचारों और मूल्यों को भी प्रभाग्य करती है। मान्मो इस बात के लिए बहुत उत्सुक था कि चीनी क्रान्ति का दूसरा विच्छेद पुराने विचारों, पुरानी मादतों, पुरानी रीतियों और पुरानी सस्तति से सम्बन्ध करे। मान्मो का प्रमुख योगदान अधिरचना के मानवादी सिद्धान्त को पहली बार ठीक-ठीक समझ कर व्यवहार में परिणत करना था। वह पहला कम्युनिस्ट था जिसने ऐसा किया। उसके जीवन के प्रन्तिम वर्ष पुराने ढाँचे के खिलाफ क्रान्तिकारी सघर्ष का सुगठन करने में बीते। उसके निरन्तर क्रान्ति के प्रयोग, उसके जन-प्रभियान अधिरचना पर आक्रमण जारी रखने के लिए उसके पार्टी के पारे जाने के प्रयत्न इसी 'दूसरे विच्छेद' के उद्देश्य थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा था कि दूसरा विच्छेद कायम रह सकता है।<sup>1</sup>

1 गोविन्द पुरुषोत्तम देवपांडे—दिनभास १९७६

दुर्भाग्यवश मामो के भूतिशय ऋतिकारी और विस्तारवादी विचार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एव व्यवस्था के लिए धातक सिद्ध हुए हैं। भाज के प्राणविक युग में मामोवाद जैसी शक्ति, हिंसा और वर्ग-संघर्ष को अत्यधिक प्रोत्साहन देने वाली विचारधारा मानवता को कभी भी महाविनाश के कगार पर ला सकती है। हिटलर और मुसोलिनी की तरह 'युद्ध और शक्ति के गीत गाना' निश्चय ही भयोत्पादक है। मामो ने सम्भवत् इस तथ्य की उपेक्षा कर दी कि माक्सेंवादी-साम्यवाद की जन्म भूमि सोवियत रूस तक समय की गति को पहचान कर सहप्रस्तित्व की बात करने लगा है और 'युद्ध की भनिवायंता' में उसका विश्वास शिथिल पड़ने लगा है। मामो भूल गए कि प्राणविक युद्ध में विजेता और विजित दोनों का महाविनाश होगा—ऐसा महाविनाश जिसमें यह कहना मुश्किल होगा कि कौन हारा और कौन जीता। शक्ति प्रदर्शन, चाहे वह मामोवादी हो या कोई भन्य वादी, निश्चित रूप से समूर्ण मानवता के लिए धातक है और माक्से की इस मौलिक धारणा के विहङ्ग है कि प्राणिक शक्तियाँ मानव-विचारों और स्थानों का निर्माण करती हैं।

---

# 3

## फाँसीसी श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवाद, फेबियन समाजवाद, समष्टिवाद, अराजकतावाद : कान्तिकारी और दार्शनिक

(French Syndicalism, Guild Socialism, Fabian Socialism, Collectivism, Anarchism : Revolutionary and Philosophical)

---

### श्रमिक संघवाद

(Syndicalism)

19वीं शताब्दी के प्रन्तिम दर्थों में फौस के श्रमिक भान्डोलन से श्रमजीवी दर्तों के लिए एक नवीन सामाजिक सिद्धान्त का सूत्रपात्र हुआ जो श्रमिक संघवाद ('Syndicalism') के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक कान्तिकारी विचारधारा है जो शान्ति और विकासवाद दोनों सिद्धान्तों को अस्वीकार कर मजदूरों को तुरन्त सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त करना चाहती है। यह भान्डोलन शैयोगिक सेत्र में उद्योगपतियों के अधिकार के विषद ही नहीं, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के विषद भी है। घण्टे सारे सिद्धान्तों में यह समूहवादी व्यवस्था तथा समूहवादी राज्य दोनों का बिलकुल उल्टा है। समाजवाद और संघवाद में मुख्य भेद यह है कि जहाँ समाजवाद व्यवसायों का सचालन एवं स्वतंत्र राज्य को सौंप देना चाहता है वहाँ संघवाद इसे मजदूर के हाथ में रखना चाहता है।

'सिण्डीकलिज्म' शब्द की उत्पत्ति फौसीसी शब्द 'सिण्डीकेट' से हुई जिसका अर्थ है थमसंघ (Labour Union)। "जब 19वीं शताब्दी की प्रन्तिम दशाब्दी में फौस के थम-संघों के प्रमुख राष्ट्रीय संगठन में व्यापवियों तथा नरमपवियों के दो भाग हो गए तब उन दोनों की विरोधी नीतियों के लिए 'कान्तिकारी सिण्डीकलिज्म' (Revolutionary Syndicalism) तथा 'सुधारवादी सिण्डीकलिज्म' (Reformist Syndicalism) शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। जब उस संगठन पर कान्तिवादी विष्फ़क्निस्टों का प्रविकार हो गया, तो मजदूर-संघ की नीति केवल 'सिण्डीकलिज्म'

के नाम से प्रसिद्ध हुई।” आगे जहाँ कहीं भी सिण्डीकलिजम या सबवाद शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहाँ उसका ‘भारतीय क्रान्तिकारी सिण्डीकलिजम’ से ही लिया जाना चाहिए। यद्यपि फौस में आज भी ‘सिण्डीकलिजम’ शब्द साधारण ट्रेड यूनियन भान्डोलन वे लिए प्रयोग में आता है, किन्तु क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन भान्डोलन को ही ‘सधवाद’ (Syndicalism) कहना अधिक उपयुक्त होगा। सिद्धान्त रूप में इसे प्रेरणा देने वाले प्रोश्वी तथा काले मार्क्स थे और अराजकतावादी दर्शन के कुछ-कुछ निकट होने के कारण इसे अराजकतावादी सधवाद (Anarchy Syndicalism) भी कहते हैं। वस्तुतः इस विचारधारा का जन्म कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुआ जो पौस के इतिहास में भ्रष्टाचार, भन्याय, शोषण तथा उत्पीड़न का मुग कहा जाता है। भ्रष्ट प्रजातन्त्र के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के कारण इसे ‘परित अप्रजातन्त्र का प्रतिशोधपूर्ण न्याय’ (Anemisis of Corrupt Democracy) भी कहते हैं। सधवाद आदि से अन्त तक उप्र एवं क्रान्तिकारी है और भारतीय से ही एक अराजनीतिक अन्दोलन होने के कारण यह राजनीति के सब रूपों तथा सब प्रकारों का खुले शब्दों में विरोध करता है।

शमिक सधवाद की विचारधारा बर्तमान काल में निष्प्राण है, परन्तु विभिन्न देशों के शमिक तथा भन्य क्रान्तिकारी दर्शन इसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके हैं। सधवादी भान्डोलन फौस में सर्वप्रथम सन् 1887 में शुरू हुआ और प्रथम महायुद्ध के पूर्व ही पौस की लगभग भाषे से अधिक ट्रेड यूनियनें, इस भान्डोलन वे अधिकार खेत्र में आ गई। सन् 1887 तक बहुत से अराजकतावादी उत्त्व इन सघों में प्रवेश कर गए। लगभग 6 वर्ष बाद नगर मजदूर सघ (Federation de Bourses du Travail de France) नामक सम्प्रत्यक्ष की स्थापना भी गई जो बहुत शोध ही फौस में मजदूर भान्डोलन का केंद्र बन गई। दो वर्ष बाद सन् 1895 में सब सिण्डीकेटों ने अपना एक सघ बनाया जो केंद्रीय अम सघ (Confédération Générale du Travail) अथवा C.G.T के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने शमिकों की मुक्ति के लिए उन्हें समर्पित करने और सधवादी विचारधारा को सारे देश में उत्साहपूर्वक फैलाने का दीढ़ा उठाया। इसने एक सधवादी नीति निर्माणित ही जिसका अनुसरण कर सधवादी व्यवस्था का निर्माण करना सधवादियों का ध्येय था। यह सघ दो प्रकार की स्थापनों का एक समिक्षित रूप था जो सन् 1902 में मिलकर एक हो गई थीं। प्रथम प्रकार की स्थापना में मजदूरों के भलग-भलग मजदूर सघों (Labour Syndicates) का समावेश था जिनकी स्थापना पौस में 100 के लगभग थी तथा दूसरी म्याय ‘Bourse du Travail’ थी जिसे सन् 1893 में मजदूरों के सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिए घनेकों प्रकार के मजदूरों ने मिलकर स्थापित किया था। इस प्रकार सधवादी सिद्धान्त की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सबको छोटी से छोटी घोषणिक इकाइयों में विभाजित करना था ताकि सत्ता विकेन्द्रित हो सके। इस वेन्द्रीय मजदूर-सघ ने फौस के मजदूरों का नेतृत्व किया और उन्हें वह ठोस कार्यक्रम दिया कि वे प्राम हृदाल (General Strike) द्वारा समझवादी दंधानिक

उपायों (Collectivist Constitutional Methods) को त्यागकर राज्य को उद्धाड़ फँकने के लिए भीषण क्रान्ति करें। वस्तुत यह सब सारे कैंस की एक राष्ट्रीय संस्था (National Organisation) यी जिसके नेतृत्व में फौसीसी मजदूर संघों ने शान्तिपूर्ण साधनों के स्थान पर वर्ग-संघर्ष का क्रान्तिकारी मार्ग घटना कर ब्रिटिश मजदूरों के विपरीत मार्ग पकड़ा।

### श्रमिक सघवादी दर्शन

प्रथम, श्रमिक सघवाद एक मजदूर भान्डोलन है जिसे राजनीति में सक्रिय बनाने वाले भी मजदूर हैं। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ग्रीष्मोचिक सभी क्षेत्रों में मजदूरों को समूर्ख सत्ता सौधारने का समर्थक है। यह एक ऐसा जन-भान्डोलन है जिसका मध्यमवर्गीय नेतृत्व और मध्यमवर्गीय समाजवाद दोनों से विरोध है। इसका प्रारोप है कि मध्यम वर्ग के लोगों का पूँजीपतियों से धनिष्ठ सम्बन्ध होता है और वे स्वयं पूँजीपति बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। समाजवाद के सभी रूप चालाक मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों की देन है। इनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग को पर्याप्त कर सकता है।

दूसरे, राज्य अमीरों की संस्था (A Bourgeois Institution) है जो वर्ग-संघोग का भूठा नारा लगा कर मजदूरों के हितों के प्रति उदासीन रहता है। राज्य पूँजीपतियों और सत्ताधारियों के हाथों का खिलौना बनकर अन्याय और शोषण को स्थायी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह किसी भी रूप में बहुलवादी समाज के विभिन्न हितों में समन्वय स्थापित नहीं कर सकता। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राज्य संदर्भ एकवर्गीय रहा है जिसने धनियों और शक्ति समझों का विभिन्न लिया है। राज्य इसलिए भी विरोध का पात्र है कि वह उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिवित्व करता है, उत्पादकों के हितों की चिन्ता नहीं करता। राज्य-कर्मचारी उन अक्तियों से छूणा करने लगते हैं जो उत्पादन-कार्यों में लगे हैं। नौकरशाही (Bureaucracy) जन-साधारण की आवश्यकताओं को नहीं समझती और जनता तथा श्रमिकों की मीरों के प्रति उसमें कोई सहानुभूति नहीं होती। पुनर्बव, राज्य मध्यमवर्गीय संस्था है जिसमें मुट्ठीभर नौसिहिए राजनीतिक मकानतापूर्ण डग से शासन चलाते हैं। सघवादियों का राज्य के प्रति घोर विरोध का एक मौलिक कारण यह था कि राज्य का व्यवहार फौसीसी मजदूरों के प्रति अत्यन्त शत्रुतापूर्ण और उद्योगतियों के साथ प्रविक मैत्रीपूर्ण रहता था।

तीसरे, सघवाद उद्देश्य में अराजकतावादी होते हुए भी अराजकतावाद की स्थापना करना नहीं चाहता। वह लश्य की ओर बढ़ने के लिए श्रमिकों को राजनीतिक दलों तथा लोकन्यातम् संस्थाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। इस प्रकार यह प्रधिक उदार तथा सत्तावाद का विरोधी है। जहाँ अराजकतावाद के बल ऐच्छिक संघों की स्थापना चाहता है वहीं सघवादी समाज राज्य के स्थान पर श्रमिक संघों द्वारा श्रमिकों का जासन स्थापित करने के पदा में है।

चौथे, जैसा कि पूँछ बर्णन से स्पष्ट है, सघवाद वर्ग-संघर्ष में विश्वास करता

है। इसके अनुसार पूँजीपतियों और राज्य के विश्व साध्य सदैव जाए रखना चाहिए ताकि श्रमिक जागरूक, चुस्त और सावधान रहें।

पांचवें, साधवाद उद्देश्य की सिद्धि के लिए हिस्क क्रान्ति का समर्थक है। शान्तिपूर्ण और अहिस्क उपाय श्रमिक-चेतना को नष्ट करने वाले हैं। क्रान्ति और आम हड्डाल की पुष्टि करते हुए भी यह युद्ध का उपदेश नहीं देता। युद्ध के जन्मदाता तो केवल पूँजीपति ही हैं। उनके पारस्परिक स्वायों की टकराहट से युद्ध का जन्म होता है। विश्व के श्रमिकों के उद्देश्य समान होते हैं अत यह अनुचित है कि वे परस्पर रक्तपात करें। इसीलिए साधवादियों का दृष्टिकोण सेना-विरोधी है। प्रारम्भ से ही सेना का मुख्य कार्य राष्ट्र की रक्षा करना न होकर राष्ट्र के पूँजीपति वर्ग को शरक्षण देना रहा है। युद्ध में सेना अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी हितों की पूति करती है।

छठे, साधवाद के अनुमार शासदीय प्रणाली एक धोखा है, भ्रमीरो के दिमाग की उपज है जिससे श्रमिकों का हित नहीं होता। यही एक ऐसी वंचानिक प्रणाली है जो श्रमिकों की वर्ग-चेतना को मन्द कर उनमें पूँजीवादी मनोवृत्ति पंदा करती है। अनेक समाजवादी मन्त्री बनने पर समाजवादी नहीं रहते।

सातवें, राजनीतिक दत्तब्जी गलत है क्योंकि उससे श्रमिकों के हितों का हनन होता है। राजनीतिक दसों में वर्ग-विशेष के ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के लोग सम्मिलित होते हैं, अत दल का साचालन कुछ गिने-जुने चालाक लोगों के हाथों में आ जाता है जिन्हे श्रमिकों से कोई सहानुभूति नहीं होती। श्रमिकों को दल के भाग्यार पर कार्य न कर, वर्ग के भाग्यार पर कार्य करना चाहिए। साधवाद रूसी व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसमें श्रमिकों का अधिनायकत्व बास्तव में एक दल का ही अधिनायकत्व है और इसीलिए जनता को सच्ची राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है।

आठवें, राष्ट्रीयता की भावना राज्य है क्योंकि यह तो पूँजीपतियों तथा राज्य द्वारा अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए उत्पन्न की जाती है। सासार के मजदूरों की लगभग समान समस्याएँ हैं। उनमें आपस में कोई विरोध नहीं है। 'मजदूरों की कोई भातृभूमि नहीं होती।' राष्ट्र-प्रेम की भावना एक मायाजाल है जो केवल एक ही वर्ग के हितों की रक्षा करता है।

नवें, प्रजातंत्र हेय है क्योंकि यह वर्ग-साध्य के प्रतिकूल है, अक्षमतापूर्ण, शासन को प्रोत्साहित करता है तथा बहुमत के नाम पर इसमें छत-कपट का बोलबाला होता है। पूँजीपति धन के भल पर मत खरीदते हैं, अपने पिट्ठुओं को सासद में निर्वाचित करा लेते हैं और बहुमत के नाम पर सार्वजनिक जनता का गता घोटते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि साधवादियों के अनुसार जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक अवसर भाने पर उसकी सेवायों से लाभ उठाने में कोई मापत्ति नहीं होती चाहिए। विशेष भवस्थायों में श्रमिक अपने लिए हितकारी कानून बनाने के प्रयत्नों में भागीदार बन कर कामों के निर्माण के लिए कार्य कर सकते हैं ताकि उनकी

सभाग्रों को कानूनी स्वीकृति मिल जाए और उन्हें ऐसे कार्य सौंप दिए जाएं जैसे सावंजनिक रोजगार कार्यालयों का सचालन तथा कारखानों सम्बन्धी कानून के क्रियान्वयन का निरीक्षण।

अन्त में, श्रमिक सघवाद को सार रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा आन्दोलन है जो मजदूर-सगठनों द्वारा चलाया जाता है और जिसका उद्देश्य एक ऐसे नवीन समाज की रचना करना है जिसमें उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली को कोई स्थान नहीं होगा, श्रमिक सघों का उत्पादन के साथों पर अधिकार होगा और कुछ उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था उनके द्वारा ही होगी। पर अधिकार होगा और कुछ उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था उनके द्वारा ही होगी। सघवाद की वितरण और उपभोग का वित्तिमय भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। सघवाद की यह एक सकारात्मक व्यवस्था कही जा सकती है। नकारात्मक दूषित से सघवाद राज्य का, राष्ट्रीयता और राष्ट्रप्रेम का, सौन्यवाद का, सासदीय प्रणाली का, राजनीतिक दलों का, मध्यम वर्ग का और यहाँ तक कि सीवियत संघ के समाजवाद का भी विरोधी है। लेकिन राज्य का विरोध करते हुए भी अवसर आने पर यह उद्देश्य-सिद्धि के लिए राज्य से लाभ उठाता है।

### सघवाद के साधन (Methods)

श्रमिक सघवादी राजनीतिक और सांविधानिक तरीकों में विश्वास नहीं रखते। श्रमिकों और पूँजीपतियों के हितों में समन्वय के कोई भी प्रयास उनकी दृष्टि में सफल नहीं हो सकते। राजनीतिक 'और सांविधानिक साधन श्रमिकों की वर्ग-वेतनों का नाश करते हैं। क्रान्तिकारी उपाय ही उन्हें स्फूर्ति और जागृति प्रदान करते हैं तथा भीषण सकटों में छठे रहने के लिए प्रेरित करते हैं। हिस्क क्रान्ति में साथी होने के कारण मजदूरों में एकता बनी रहती है।

श्रमिक सघवादियों का विश्वास प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action) में है। केवल श्रमिक सघ ही श्रमिक क्रान्ति के साधन बनने योग्य है। श्रमिक राजनीतिक दलों, सासदों भादि की सहायता के बिना ही स्वमेव हड्डताल द्वारा ही यदि मिल-मालिकों को मजदूरी बढ़ाने के लिए विवश करवें तो यह प्रत्यक्ष कार्यवाही होगी। श्रमिक सघवादियों के अनुसार श्रमिक सघ क्रान्ति के यन्त्र हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में वे स्वतन्त्र समृद्धायों के ढाँचे का कार्य करेंगे जिसकी रचना पूँजीवादी समाज के नष्ट हो जाने के बाद होगी।

श्रमिक सघवादी प्रत्यक्ष कार्यवाही की नीति में हड्डताल (Strike), मन्दगति से काम करना (Cocauny), शान्तिपूरण तथा गुप्त डग से काम बिगाड़ना, गुप्त टोड-फोड (Sabotage), बहिष्कार (Boycott), ल्याप (Label) भादि उपाय सम्मिलित हैं। हड्डताल पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। इसका अर्थ मजदूरों का सागठित रूप से काम बन्द कर देना है। हड्डतालें दो प्रकार की होती हैं—विशिष्ट (Particular) अथवा छोटी हड्डतालें तथा आम या वेश-व्यापी हड्डताल (General Strikes)। विशेष उद्योगों में तथा विशेष मीडियों की प्रति के लिए प्राप्त छोटी हड्डतालें की जाती हैं। इनका खेत्र और उद्देश्य सीमित होता है। इन हड्डतालों

का चरम उत्कर्ष देशव्यापी आम हड्डताल मे होता है। अमिकों को भ्रपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्त मे आम हड्डताल ही करनी पड़ेगी जिससे वर्तमान आर्थिक धौखोगिक ढाँचा चकनाचूर हो जाएगा तथा पूँजीपति अमिकों के पछ मे सत्ता छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। विशिष्ट धरवा घोटी हड्डताले ग्रन्ति और व्यापक हड्डताल के लिए एक प्रकार की तयारी पौर प्रशिक्षण है। अमिक सधबाद के अनुसार हड्डताल का मूल्य उसकी ऊपरी सफलता से नहीं आकर्ता चाहिए बर्योकि विफल हड्डताल भी अमिकों की वर्ष-वेतना को सुदृढ़ बनाती है पौर पूँजीपतियों तथा राज्य के विछद तीव्र धूणा के भाव जाप्रत करती है।

अमिक सधबादियों ने मद गति से काम करने तथा गुप्त रूप से काम बिगड़ने पौर गुप्त तोड़-फोड़ को भी अमिकों का प्रभावशाली हमियार माना है। जब तक आम हड्डताल द्वारा पूँजीबाद पौर राज्य का विनाश न हो जाए। तब तक अमिकों को घबस एवं तोड़-फोड़ की नीति भ्रपनानी चाहिए। मिलें पौर कारखानों मे तथा अन्यत तोड़-फोड़ पौर घबस का वही उद्देश्य है जो सेनिक युद्ध मे छापामार युद्ध (Gourilla Warfare) का होता है। लेबल तथा बहिष्कार (Label and Boycott) का महत्व हड्डताल पौर तोड़ फोड से कम है। लेबल यह सकेत करता है कि वस्तु एक ऐसे कारखाने मे बनाई गई है जिसमे अमिक सध से काम तिया जाता है। जनता से यह अपील की जानी चाहिए कि केवल अमिकों द्वारा सचालित धरवा नियन्त्रित कारखानों मे निर्मित सामान ही खरीदा जाए जिस पर तत्सम्बन्धी छाप धर्यात् लेबल लगा हो। इससे पूँजीपतियों को हानि पहुँचेगी पौर अमिकों का कल्पाण होगा। बहिष्कार का उद्देश्य वस्तुओं का परिस्थाग कर धरवा उन्हें न खरीद कर मिल मालिकों को नुकसान पहुँचाना है।

### सधबादी समाज का चित्र

अमिक सधबादियों ने राज्य के उन्मूलन पौर आन्ति के बाद स्थापित होने वाले समाज को चित्रित करने मे प्रथिक दिलचस्पी नहीं ली है। किर भी पातुद (Patuad) तथा पूगे (Pouget) द्वारा लिखित पुस्तक 'How We Shall Bring About The Revolution' मे भावी सधबादी समाज का कुप्रिय चित्रण उपलब्ध है। इसके अनुसार सधबादी आन्ति के उपरान्त सधबाद का स्थायी पौर रचनात्मक कार्य आरम्भ होगा। इस महान् काय को अमिक सगठन (Syndicates) ही पूर्ण कर सकेंगे। प्रबन्ध के साधारण काय धौखोगिक सधों के हार्यों मे रहेंगे, उन्हीं के अधिकार मे कारखानों के भवन, मशीनें पौर अन्य सामग्री रहेंगी, पौर वे ही उत्पादन का निर्देशन कार्य भी करेंगे। इस प्रकार उद्योगों के प्रबन्ध के लिए स्थानीय मजदूर सध होंगे। नूतन समाज की सबसे छोटी इकाई (Cell) सिण्डीकेट होनी पौर एक ही अध्यापार मे बाम बरने वाले सभी कर्मचारी उसके सदस्य होंगे। छोटी भी सिण्डीकेट धर्यात् अमिक सध किसी भी सामूहिक सम्पत्ति का अन्य स्वामी (Exclusive Owner) नहीं होगा। बास्तव मे यह समाज की सहमति से सम्पत्ति का प्रयोग होए। सिण्डीकेट वा गोप समाज से सम्बन्ध वृत्त पौर केन्द्रीय सध (C.G.T.)

द्वारा रहेगा। सिडीकेटो के ऊपर नगर मजदूर सघ (City Trade Union Council Bureau du Travail) होगा जो स्थानीय हितों एवं देश के बीच सम्बन्धों की स्थापना करेगा। यह अपने क्षेत्र के आर्थिक जीवन से सम्बन्धित सभी प्रकार के आवश्यक आँकड़े एकत्रित करेगा, स्वयं को स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं और साधनों से भवगत रखेगा, उत्पादित वस्तुओं का वितरण करेगा, विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं के विनियम तथा बाहर से कच्चे माल के आदात एवं प्रबन्ध करेगा। इस प्रकार केन्द्रीय राजनीतिक पद्धति का नाश होगा और उद्योग के केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों के दोष दूर होगे।<sup>1</sup>

इसके अतिरिक्त डाकघरों, रेलों, राजमार्गों आदि जैसी राष्ट्रीय सेवाओं का काय अमिको के राष्ट्रीय तथा केन्द्रीय सधों को सौंपा जाएगा। स्थानीय सुस्थानों को प्राविधिक सूचना (Technical Information) और कृशल परामर्श देने के लिए अन्य राष्ट्रीय या केन्द्रीय सघ होंगे। अन्ततः एक ऐसी राष्ट्रीय या केन्द्रीय सम्पादनों (जिसका स्वरूप विद्यमान 'C G T' के समान होगा) जिसे सवमान्य व्यवहार के कार्यों का नियन्त्रण करने का कार्य सौंपा जाएगा, जैसे देनना तथा काय के घटों की स्वत्या का निर्धारण, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों की देखभाल, आदि।

' पूर्वोक्त पुस्तक के लेखको ने अमसघवादी समाज के सदस्यों के मानव विराधी और समाज विरोधी कार्यों के विरुद्ध कतिपय भनुशासन एवं व्यवहार दण्डों की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इन्तु य दण्ड राज्य का प्रतिरोधक अधिवार शक्ति दी तुलना में सर्वथा भिन्न होगे।' मुनाफाक्षोरों का वहिकार दिया जाएगा और अल्सी अक्लिये अथवा समाज की नयी व्यवस्था का विराष करने वाला। निवासित कर दिया जाएगा। अपने किसी सदस्य के 'मानव विरोधी-कार्यों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष स्थानीय सघ वो अपना नियन्त्रण देने का अधिकार होगा। वह 'नेतृत्व दण्ड' की आज्ञा दे सकेगा जो वहिकार के रूप में हो सकेगा। कुछ विद्यमानों में अपराधी मनदूर सधों की सामान्य सभा (General Meeting) के सम्मुख प्रस्तुति इन जा सकते हैं। इन्तु अभियुक्त का राष्ट्रीय मजदूर सघ के समझ और अन्त में जनरल ट्रूड दूनिनन कॉमिटी का केन्द्रीय समिति के समस्त अपील करने का अधिकार होगा। कुछ भाग अपराधा का नियन्त्रण प्रत्यक्ष साक्षियों के आधार पर त्रांत्कालिक न्याय द्वारा दिया जाएगा। बन्दाश्वह तथा न्यायालय समाप्त कर दिए जाएंगे—क्योंकि यहां इस कारण बहुत कम ही जाएंगे कि दरिद्रता, असमानता तथा पूजीवाद के दुष्प्रभों से उत्पन्न समाज विरोधी कार्यों के लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा। सामाजिक बातावरण के अध्य बन जान से ऐसे अपराध भी बहुत कम हो जाएंगे जो प्राय मनोवैज्ञानिक विवृतिया अथवा मानसिक रोगों के कारण होते हैं।'<sup>2</sup>

1 Landler Social and Economic Movements, p. 293.

2 कोकर आधुनिक इतिहासिक विन्तन, पृष्ठ 256-57.

ज्ञान सधारादी सेसक किसी प्रकार के विदेशी भाकमण के विष्ट समुचित प्रतिरक्षा की आवश्यकता भी स्वीकार करते हैं। उनका स्पष्ट कथन है कि अप सधारादी नीति 'टॉलस्टाय द्वारा प्रचारित पद-स्थाग और प्रतिरोधहीनता'<sup>3</sup> की नहीं है, किन्तु प्रतिरक्षा प्रबन्ध आधुनिक राज्यों के बर्तमान प्रबन्धों से मूलत भिन्न होते। न दो कोई वैतनिक सेना होगी और न ही भाकमणकारी सत्रस्त संघ इस और न ५०० बड़े परिणाम में गोला-बाहुद या बन्दूक भादि। अप सधारादी समाज के विविध तिण्डीकेटों के पास भयनी स्वयंसेवक सेनाएँ रहेगी जो आवश्यकतानुसार स्थानीय लेन्डों में शान्ति एव व्यवस्था कायम रखने का कार्य करेगी और कभी भावश्यकतावश अधिक व्यापक रूप से भी उनका प्रयोग किया जा सकेगा। कार्यात्मक स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनता में इतना विवेक हो जाएगा कि वे अपनी अंजित स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए यह भार स्वयं बारण करें।

अप सधारादी समाज के इस बर्तमान के प्रसव में यह नहीं भूलना चाहिए कि अधिकारी सधारादी लेलक समाज के भावी सगठन का वित्रण करना व्यर्थ और असामयिक मानते हैं। कुछ लेलकों ने स्थानीय मजदूर-सर्वों, दोजगार कार्यसिंहों और राष्ट्रीय मजदूर सध के बीच विविध प्रकार के कार्यों का वितरण किया है। वह कार्य-विभाजन पातोद तथा पूर्णे के घनुसार ही है। अन्तर के बीच इतना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अन्य उपयोगी सेवाओं के सम्बन्ध से मजदूर सधों के कार्य का अधिक स्पष्टता से उल्लेख किया गया है। बाहु भाकमणों, भपराओं तथा विद्रोह के दमन के सम्बन्ध में साधारणतया कुछ भी नहीं कहा गया है।

### अधिक सधवाद का भालोचनात्मक मूल्यांकन

यह भर्ति सकीर्ण दर्शन है जो उत्पादकों के हितों की ही चिन्ता हाता है, उपभोक्ताओं की नहीं। हिसक और भाकस्मिक आन्ति का पोषक होने के कारण यह एक विनाशकारी विवाद है। यह इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि बर्तमान परिस्थितियों में अधिक वैधानिक उपायों द्वारा भी सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। 'आप चुनाव' के अधिक दूर न रहने पर भी आप हड़ताल की बात सोचना एकदम अनावश्यक है किंतु यह भी निश्चित नहीं है कि हड़ताल सफल ही होगी। हड़ताल द्वारा अधिक पूँजीवादी व्यवस्था 'को झकझोर सकते हैं, पर यह भी सम्भव है कि अधिकों में ही आपस में फूट पड़ जाए और आयिक सकट से बाध्य होकर वे हड़ताल तोड़ दें। राज्य भी अपनी ज़किं के बल पर बड़े से बड़ा धान्दोलन दुख सकता है। सधवादी यह भी मूल जाते हैं कि असफल हड़ताल अधिकों में इतनी निराकार व्याप्त कर सकती है कि वे पूँजीपतियों के साथने आरम-समर्पण करने में ही अपना असर लायें।

अधिक सधवाद अपने समाज का कोई स्पष्ट वित्रण नहीं करता। जब उद्देश्य ही अस्पष्ट है तो अधिकों की आवश्यकी से लितवाद कर उन्हें एक उद्देश्यहीन पथ पर ले जाना उचित नहीं कहा जा सकता। पूँजीवाद को समाप्त करने में लिए

हड्डताल के घलावा जो दूसरे उपाय सुझाए गए हैं वे भी राष्ट्र के लिए घातक हैं। तोड़ फोड़ अधिकारी काम करने की नीति में राष्ट्र की आधिक हानि होगी। साथ ही पूँजीपतियों से अधिक उन मजदूरों का अहित होगा जिन्हें वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने पर अपनी ही निर्मित वस्तुओं के अधिक दाम चुकाने पड़ेंगे।

श्रमिक सघवाद का ढूँढ़ेश समाज को छोटे छोटे संघों में संगठित कर उत्पादक वर्ग को शासन सत्ता सौंपना है। यह कार्य केवल राज्य की सहायता से ही सरलता और कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है जबकि सघवादी दशन में राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्य के अभाव में जब वग पर संघों में पारस्परिक सघर्ष होगा तो सब अपराजकता का बोलबाला हो जाएगा।

प्रजातान्त्रिक प्रणाली के विरोधी और अत्यधिक उप्र एव कातिकारी होने के कारण ही श्रमिक सघवाद अल्पकाल में ही मृत हो गया। सघवाद का शीघ्र अन्त इसलिए हुआ क्योंकि उसका 'दाशनिक आधार स्पष्ट था उसके प्रतिपादकों का बौद्धिक स्तर साधारण था और उसका कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं था।'

श्रमिक सघवाद बाह्य न होने पर भी महत्व की दृष्टि से सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है। इसने श्रमिक आन्दोलन को पुनर्जीवित करने और उन सिद्धान्तों की याद दिलाने के लिए बहुत कुछ किया जिनके भूल जाने का सतरा था। इसने स्वतन्त्रता की खोज को पुनर्जीवित किया जो संसदीय समाजवाद के शासन में घूमिल पड़ती जा रही थी और बतलाया कि समाज के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, इमन के कारणी को मिटाना है मानव की रचना शक्ति को स्वतन्त्र करना है तथा उत्पादन और आधिक सम्बंधों को विनियमित करने का नवीन उपाय खोजना है। लेडलर का मत है कि सघवादी आन्दोलन का समाजवादी विचारधारा पर महान् स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा और इसके द्वारा संसदीय पद्धति की दुर्बलताओं पर प्रकाश डाला गया। सघवाद से एक नई समाजवादी विचारधारा के विकास को प्रेरणा मिली जिसे थेणी समाजवाद का नाम दिया जाता है।

### फ्रैंस में नवीन श्रम सघवाद एव सघवाद का विदेशों में प्रभाव

(New Syndicalism in France and Influence of  
Syndicalism in other Countries)

फ्रैंस में सकलित सघवाद के स्वरूप और उसकी नीति को प्रथम विश्वयुद्ध एव मुद्दोंतार स्थिति से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया और उसमें द्वन्द्वों का आन्तिकारी परिवर्तन हुए। राष्ट्रीय श्रम सघ के अधिकारी सदस्यों ने अपनी संनिक मनोवृत्ति को त्याग कर समाजवाद के साथ समझौता कर लिया और विभिन्न आधिक कार्यों में सरकार को सहयोग दिया। मुद्द समाप्त होने पर सामाजिक एव आधिक संगठनों के कारण सघवाद के दो समूहों—नम दस्तीय राष्ट्रवादी बहुमत और उपर्याप्ती अल्पमत में ढैंप उत्पन्न हो जाने के कारण सम्बंध विच्छेद हो गया। दोनों में भारभेद राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में था। यद्यपि दोनों ही इस

बात पर एकमत थे कि राजबन्दियों की मुक्ति ही, यूरोप की भनुदार प्रतिक्रिया का आलोचना हो और इसी प्रतिक्रियान्वितवादियों की सहायता के लिए फ्रांसीसी हस्तक्षेप की निन्दा हो, किन्तु इस प्रश्न पर दोनों में तीव्र मतभेद था कि इसी साम्यवादियों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाए। राष्ट्रीय मामलों में मतभेद वैधानिक स्वतन्त्रता की पुनर्स्थापना एवं जोवन-स्तर को उच्च बनाने की दृष्टि से उचित व्यवस्था करने के लिए सरकार पर दबाव डालने के उपायों के सम्बन्ध में थे। इनवरी, 1822 में फेडरेशन के दोनों पक्ष पृथक् हो गए। उप्रवादी दल ने यस्तवत में होने के कारण एक नए संगठन की रचना की जो 'समुक्त मजदूरों का सामाजिक संघ (General Federation of United Labour—C G T U )' के नाम से विस्तार हुआ। इस नवीन संघ ने साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय (Communist International) के कान्तिवादी सिद्धान्त को स्वीकार किया। दब उसका सम्बन्ध नियमित रूप से साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय में है। पुरानी संस्थाएँ ने हर प्रकार के अन्तिकारी तरीकों का परित्यान कर दिया है। पुराने राष्ट्रीय मजदूर संघ (CGT) की नवीन नीतियों पर जूहो (Jouhaux), पेरो (Perrot) एवं ग्रन्डोरों ने अपने व्यास्ताने तथा भलबारी लेखों में प्रकाश डाला है। इस नवीन ग्रान्दोत्तम के दर्शन का विस्तृत विवरण मैक्सिम लेरोय (Maxime Leroy) ने अपनी पुस्तक 'Techniques Nouvelles du Syndicalism' में दिया है। इन लेखों और विचारों ने इस नवीन सिद्धान्त को प्राचीन सधवादी विचारों से धर्मिक व्यापक तथा रचनात्मक बतलाया है। नवीन सधवादी पुराने संघवादियों की नियेषात्मक और व्यवसायक नीतियों के स्थान पर रचनात्मक तथा सर्वाङ्गपूर्ण नीतियों की स्थापना करना चाहते हैं। ये हिसां भीर अधिनायकतन्त्र की निन्दा करते हुए ही कहते हैं कि हिसां में कुछ भी सबंहारापन नहीं है। हिसां तो हर मुग में उपद्रवकारियों के कायों का साधन रही है। हिसां को विवेक संसीमित करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह ग्रावश्यक रूप में विवेकहीन और भनुदार होती है।

"नवीन सधवादियों ने उद्योगों के सहकारी नियन्त्रण के लिए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। फेडरेशन की समितियों ने उपभोक्ताओं, सहयोग के प्रतिनिधियों तथा सरकारी कर्मचारियों के भगठनों के सहयोग से सार्वजनिक और व्यक्तिगत उद्योगों के प्रबन्ध के लिए योजनाएँ तैयार की हैं। प्रत्येक सावजनिक स्वामित्व के अर्थान्तर्य उद्योग के प्रबन्ध के लिए योजना में तीन पक्षों का समान रूप से प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया है—(1) उत्पादनकर्ता घर्ता, समस्त हाथ से काम करने वाले तथा टेक्निकल व्यक्तिक, (2) उपभोक्ता एवं (3) जनता। व्यक्तिगत उद्योगों के लिए उन्होंने उद्योगपतियों और मजदूरों के समुक्त प्रबन्ध की व्यवस्था की है। इन योजनाओं में सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के उद्योगों में मजदूरों के हड्डताम के व्यक्तिकार को यथावत् रखा गया है। लेरॉन स्वीकार करता है कि प्रस्तावित योजना में हड्डताम का स्थान सेंट्रालिस्ट रूप से उचित नहीं है क्योंकि इसका धर्य है एक दल को उस निर्णय के विरोध का अधिकार देना जो किसी एक

स्वार्थी गुट ने नहीं बल्कि समस्त वर्गों के प्रतिनिधियों ने किया है। उसका कथन है कि इस योजना में हड्डताल उचित शक्ति के प्रयोग की रक्षा करने के बजाय इसलिए रखी गई है कि मजदूर वर्ग के, जो घपने को उस समय तक स्वतन्त्र नहीं भानता जब तक कि वह इस साधन के प्रयोग में स्वतन्त्र न हो, एक मौलिक विचार को सन्तोष प्राप्त हो।<sup>1</sup>

“यह नवीन संघवाद 4 शताब्दी पूर्व के बाल्डेक हसो के विचार से मिलता-जुलता है। जूहो और लेरॉय की योजना में राज्य से मजदूर-संगठनों के निरीकण और उनके साथ सहयोग की प्रयोग की जाती है। इस योजना में एक और तो शान्ति-व्यवस्था तथा न्यायिक शास्त्र-संगठन और दूसरी ओर राज्य की निरीकणात्मक पर्याप्त तथा साँझतिक एजेन्सियों के बीच कार्य-विभाजन किया गया है, यद्यपि विभाजन की विधि प्रकाशित योजनाओं में स्पष्ट नहीं की गई है।……इस प्रकार युद्धोत्तर संघवादी साधारण सामाजिक हितों और राजनीतिक सत्ता को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जिनसे इन हितों की रक्षा और उनका प्रतिनिधित्व होता है।”

नवीन संघवादियों की योजना क्या है और भावी संघवादी राज्य कैसा होगा, इसको भी कोकर ने संक्षेप में किन्तु अत्यन्त स्पष्टता से विवित किया है—

“संघर्षप्रथम वे समस्त उद्योगों के ऊपर एक राष्ट्रीय तथा व्यापक स्पष्ट से प्रतिनिधि आर्थिक परिषद (National Economic Council) की स्थापना करेंगे जिसका कार्य उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था के लिए सामान्य योजनाएँ तैयार करना और विविध उद्योगों की संचालन करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित प्रबन्ध सम्बन्धी नीतियों को स्वीकार या ग्रास्तोकार करना होगा। दूसरे, वे राज्य का पुनर्गठन कर उसके कामों में सुधार करेंगे और आर्थिक सम्बन्धों में परिवर्तन द्वारा बल-प्रयोग के घबराहो को भी कम से कम कर देंगे। वे महसूकार करते हैं कि नागरिकों के हितों में सध्य होगा और इसलिए उनके विवादों के निर्णय के लिए न्याय-व्यवायते (Tribunals) तथा उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए दूसरी संस्थाएँ हींगी जो धावशक्ता पड़ने पर बल-प्रयोग कर सकेंगी। संनिक सुरक्षा तथा वैदेशिक सम्बन्धों की व्यवस्था के लिए राज्य की भी धावशक्ता हींगी, किन्तु भावी संघवादी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक और तो सामूहिक हितों के प्रतिनिधियों को चुनकर उत्पादन की व्यवस्था में योगदान देना होगा और दूसरी ओर जनता को कल्याण, कलात्मक अभिव्यक्ति एवं जिला के साधन प्रदान कर नाना प्रकार के प्रनवेशण, धनुसंन्धान प्रादि की प्रोत्साहन देना होगा। इस प्रकार राज्य घपने समस्त कानूनों एवं सेवाओं द्वारा नवीन कार्य प्रारम्भ करने, धन्वेषण करने तथा आर्थिक सेवों में नवीन परम्परा स्थापित करने में प्रोत्साहन देता और इसमें वह उसी उत्पादन से कार्य करेगा जिस उत्पादन से परम्परागत राज्य स्वतन्त्रता तथा नवीनता के दमन के लिए कार्य करता है। वह प्रतिबन्ध लगाने के स्थान पर मार्गदर्शन करेगा

1 कोकर : आधिकारिक उत्तरोत्तिक विस्तर, १९५२ 268-69.

और उसका व्यवस्थापन (Legislation) आदेशात्मक होने के स्थान पर प्रबोधन का रूप लेगा।"

### संघवादी विचारक (Syndicalist Thinkers)

वैसे तो संघवादी सिद्धान्तों तथा योजनाओं के प्रतिपादक अनेक विचारक हुए हैं और अनेक लोगों ने व्यावहारिक क्षेत्र (Practical Field) में इस आन्दोलन का नेतृत्व किया है, किन्तु इनमें वे लोग जिन्हें इसकी सफलता का पूरा श्रेय है, सोरल (Sorel) और पिलोटेर (Pelloutier) हैं। फौस के बाहर भी संघवाद का प्रचार हुआ था और प्रसिद्ध विचारक लैंगार्डी (Lagarddie) तथा बर्थ (Berth) के प्रतिरिक्त इटली में मालत्सता (Malatasta), अमेरिका में डेलियोन (Deleon), स्पेन में दुरुत्ति (Durutti) तथा ग्रायरलैण्ड में कोनोल्टी (Conolly) आदि कुछ ऐसे विदेशी विचारक भी थे जिन्होंने संघवादी सिद्धान्त तथा आन्दोलन दोनों में सक्रिय योग दिया था।

**पिलोटेर (Pelloutier)**—यह संघवादी आन्दोलन के जन्मदाताओं में से या और संघवादी सिद्धान्त के विषय में अधिक लिखने की अपेक्षा इसने संघवादी आन्दोलन को फौस तथा यूरोप में सबल बनाने के लिए जी-तोड प्रयत्न किया था। केन्द्रीय थमसंघ (C G T) की स्थापना के बहुत इसी के प्रयासों से हुई थी। पिलोटेर किसी भी संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं करता था। उसकी दृढ़ धारणा थी कि मजदूर लोग अपना भाग्य अपने सुयुक्त अम तथा प्रयत्नों द्वारा ही उभरत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें राष्ट्र के धन्य लोगों से मिलकर काम करने की आवश्यकता नहीं वर्तमान के देश की राजनीति में भाग लेना उनके अपने ही हित में अच्छा नहीं होगा। अत उन्हें चाहिए कि वे मिलकर मजदूर-संघ स्थापित करें और अपनी स्थिति को उभरत बनाने के लिए पारस्परिक सहयोग करें।

**सोरेल (Sorel, 1847–1922)**—सोरल अमिक-वर्ग का लेखक होते हुए भी स्वयं अमिक नहीं था। उसका शिशाण एक पॉलिटैक्निक स्कूल में हुआ और उसने 25 वर्ष तक एक सरकारी इन्जीनियर के रूप में काय किया। वह इन्जीनियर से अधिक विचारक था और 25 वर्ष के नम्बे इन्जीनियरिंग जीवन में तथा कायित उच्च वर्ग (So-called Bourgeoisie) के लोगों के सम्पर्क में आने से उसमें उनके प्रति तीव्र भाकोश और घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। उसे काल मावसं की विचारधारा के वैज्ञानिक स्वरूप के कारण मांसवाद में हचि उत्पन्न हुई। किन्तु सन् 1899 में उसने यमाजवाद को याग दिया और वह एकदम संघवादी (Syndicalist) बन गया। यद्यपि सोरेल ने संघवादी आन्दोलन में कभी भाग नहीं लिया तथा पिछे उसने लेगार्डले (Lagardelle) के समान रूप से यह घोषणा की कि उन्हें अमिक वर्ग वो कुछ सिखाना नहीं है बल्कि उनसे कुछ सीखना है, किर भी सोरेल और संघवाद को एक रूप मानने की एक प्रवृत्ति उन गई। सोम्बार्ट का यह कहना सही है कि यदि पीर कहीं नहीं तो संघवाद में हमें 'सोरेलवाद' के सक्षण उपलब्ध होते हैं। सोरेल की प्रसिद्ध रचना 'Reflections of Violence' एक ऐसी पुस्तक है

जिसमें वह प्रजातन्त्र तथा मध्यम वर्ग के लोगों के प्रति अपनी उदासीनता प्रकट करता है। एक विचारक के रूप में वह बुद्धिवाद तथा विचारवाद दोनों का विरोधी पा और इसी कारण मुसोलिनी ने उसे 'फासिज्म का उत्प्रेरक' कहा है।

सोरल का भत था कि मानस के सिद्धान्त को संघवादी सिद्धान्त के द्वारा और संघवादी सिद्धान्त को मानस के द्वारा नहीं समझा जा सकता। सोरल ने राज्य की पूरी रूप से घबड़ेलना की। वह राजनीतिक कार्यों से कोई लाभ नहीं समझता था चाहे उनके द्वारा अभिको का राज्य पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो जाए। उसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों में स्वशासन स्थापित करने के लिए अभिक वर्ग का संगठन करना था। इस संगठन को वह राज्य से पृथक् रखना चाहता था जिसको राजनीतिक भागलों में कोई भाग नहीं लेना था। वह राज्य को नष्ट कर एक नया सामाजिक ढाँचा स्थापित करना चाहता था जिसमें स्वतन्त्र आर्थिक वर्गों का अस्तित्व होना था। कोकर के अनुसार, "सोरल के समस्त लेखों एवं प्रन्थों में राजनीतिक कार्य की व्यर्थता तथा इस प्रजातान्त्रिक विश्वास की प्रस्तुत्यता प्रकट की गई है कि मानव हितों में ऐसी मौलिक एकता है जो पूँजीवादी समाज के विविध आर्थिक वर्गों के परस्पर विरोधी हितों में सामजिस्य स्थापित कर सकती है।"

सोरल का विश्वास था कि सामाजिक वर्गों में सौंकृतिक और आर्थिक भेद होते हैं। प्रत्येक वर्ग अपने स्वयं की सामाजिक विशिष्टताओं, स्वयं के नेतृत्व शास्त्रों तथा साधनों का विकास करता है। उनीं वर्ग इस कार्य के लिए राज्य का प्रयोग करता है और संैकिन शक्ति तथा निर्वाचन के हथकण्डों द्वारा राज्य पर अपना नियन्त्रण कर राज्य के माध्यम से अभिक वर्ग पर अपना नियन्त्रण स्थापित करता है। राज्याधिकार मध्यम वर्ग के हाथों से निकल कर मजदूर वर्ग के हाथ में आ जाने से मजदूर वर्ग को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि राज्य मजदूर-वर्गीय शासन के तनिक भी उपयुक्त नहीं है। राज्य के स्थान पर एक ऐसा नया सामाजिक ढाँचा प्रस्थापित करना उचित है जो मजदूर वर्ग के विशेष गुणों के अनुकूल हो। यह नवीन सामाजिक ढाँचा आर्थिक कार्यों के अनुसार होना चाहिए। शासकीय मजदूर-सर्वों अधिकार मूल्यन्यों को प्रत्येक व्यवसाय के मजदूरों को मान्यता प्राप्त करनी चाहिए। मजदूरों को केवल आर्थिक मजदूरी, काम करने का कम समय और अधिकार परिस्थितियों के लिए ही प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए प्रत्युत उद्योगों को अपना समझकर उनके प्रशासन और उनकी व्यवस्था में भाग लेना चाहिए। इस तरह के द्वारा राजनीतिक ढाँचा समाप्त हो जाएगा तथा समस्त उद्योगों के मालिक मजदूर स्वयं ही जाएंगे जिससे मजदूरों को अपनी रक्षात्मक प्रवृत्तियाँ उजागर करने और उनका विकास करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा।

उद्देश्य प्राप्ति के लिए हिसा का रहस्यमय सिद्धान्त'(A Mystical Theory of Violence) तथा पूँजीवाद का उन्मूलन करने के लिए आम हड्डाताल (General Strike) सोरल की शिशाश्वों का महत्वपूर्ण तत्त्व है। सोरल ने संघवादी हड्डाताल के प्रत्याक्षर पक्ष की विशिष्ट व्याख्या की थी। उसने अपनी पुस्तक 'Reflection on

और उसका वृद्धस्थापन (Legislation) आदेशात्मक होने के स्थान पर प्रबोधन का रूप लेगा ।"

### संघवादी विचारक (Syndicalist Thinkers)

वैसे तो संघवादी सिद्धान्तों तथा योजनाओं के प्रतिपादक अनेक विचारक हुए हैं और अनेक लोगों ने व्यावहारिक क्षेत्र (Practical Field) में इस आन्दोलन का नेतृत्व किया है, किन्तु इनमें वे लोग जिन्हें इसकी सफलता का पूरा श्रेय है, सोरल (Sorel) और पिलोटेर (Pelloutier) हैं। फैस के बाहर भी संघवाद का प्रचार हुआ था और प्रसिद्ध विचारक लंगर्डी (Lagardde) तथा बर्थ (Berth) के ग्रन्तिरिक इटली में मालत्साता (Malatasta), अमेरिका में डेलियोन (Deleon), स्पेन में डुहति (Durutti) तथा आयरलैण्ड में कोनोल्ली (Connelly) आदि कुछ ऐसे विदेशी विचारक भी थे जिन्होंने संघवादी सिद्धान्त तथा आन्दोलन दोनों में सक्रिय योग दिया था ।

**पिलोटेर (Pelloutier)**—यह संघवादी आन्दोलन के जन्मदाताओं में से या और संघवादी सिद्धान्त के विषय में अधिक लिखने की अपेक्षा इसने संघवादी आन्दोलन को फैस तथा यूरोप में सबल बनाने के लिए जी-तोड़ प्रयत्न किया था । केन्द्रीय अमसच (C.G.T.) की स्थापना बेवल इ११ के प्रयासों से हुई थी । पिलोटेर किसी भी सुसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं करता था । उसकी दृढ़ धारणा थी कि मजदूर लोग अपना भाग अपने संयुक्त अम तथा प्रयत्नों द्वारा ही उभरत कर सकते हैं । इसके लिए उन्हें राष्ट्र के अन्य लोगों से मिलकर काम करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि देश की राजनीति में भाग लेना उनके अपने ही हित में अच्छा नहीं होगा । यह उन्हें चाहिए कि वे मिलकर मजदूर-संघ स्थापित करें और अपनी स्थिति को उभरत बनाने के लिए पारस्परिक सहयोग करें ।

**सोरल (Sorel, 1847–1922)**—सोरल अभिक-वर्ग का लेखक होते हुए भी स्वयं अभिक नहीं था । उसका शिखण एक पॉलिटेक्निक स्कूल में हुआ और उसने 25 वर्ष तक एक सरकारी इन्जीनियर के रूप में कार्य किया । वह इन्जीनियर से अधिक विचारक था और 25 वर्ष के लम्बे इन्जीनियरिंग जीवन में तथा कपित उच्च वर्ग (So-called Bourgeoisie) के लोगों के सम्पर्क में आने से उसमें उनके प्रति तीव्र आकोश और धूणा की भावना उत्पन्न हो, गई । उसे कार्ल मार्क्स की विचारधारा के वैज्ञानिक स्वरूप के कारण मार्क्सवाद में रुचि उत्पन्न हुई । किन्तु सन् 1899 में उसने समाजवाद को त्याग दिया और वह एकदम संघवादी (Syndicalist) बन गया । यद्यपि सोरल ने संघवादी आन्दोलन में कभी भाग नहीं लिया तथा पर उसने लेगार्डेले (Lagardelle) के समाज रूप से यह धोषणा की कि उन्हें अभिक वर्ग को कुछ सिखाना नहीं है बल्कि उनसे कुछ सीखना है, फिर भी सोरल और संघवाद को एक रूप मानने की एक प्रवृत्ति बन गई । सोम्बाट का यह कहना सही है कि यदि और कही नहीं तो संघवाद में हमें 'सोरलवाद' के सक्षण उपलब्ध होते हैं । सोरल की प्रसिद्ध रचना 'Reflection of Violence' एक ऐसी पुस्तक है

जिसमें वह प्रजातन्त्र तथा मध्यम वर्ग के लोगों के प्रति अपनी उदाहरिता प्रकट करता है। एक विचारक के रूप में वह दुष्टिवाद तथा विचारवाद दोनों का विरोधी या और इसी कारण मुहोलिनी ने उसे 'कासिम का उत्प्रेरक' कहा है।

सोरल का मत या कि मार्क्स के उदाहान्त को सधावादी उदाहान्त के बिना और सधावादी उदाहान्त को मार्क्स के बिना नहीं भग्ना जा सकता। सोरल ने राज्य की पूर्ण रूप से अवहेलना की। वह राजनीतिक कार्यों से कोई लाभ नहीं समझता था या आहे उनके द्वारा अमिकों का राज्य पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो जाए। उचका मुख्य उद्देश्य उदयोगों में स्वशासन स्थापित करने के लिए अधिक वर्ग का संगठन करना था। इस संगठन को वह राज्य से पृथक् रखना चाहता था जिसको राजनीतिक मामलों में कोई भाग नहीं लेना था। वह राज्य को नष्ट कर एक नया सामाजिक ढाँचा स्थापित करना चाहता था जिसमें स्वतन्त्र आर्थिक वर्गों का अस्तित्व होना था। कोकर के घनुसार, "सोरल के समस्त लेखों एवं ग्रन्थों में राजनीतिक कार्य की व्यर्थता तथा इस प्रजातान्त्रिक विश्वास की असत्यता प्रकट की गई है कि मानव हितों में ऐसी मीलिक एकता है जो पूँजीवादी समाज के विविध आर्थिक वर्गों के परस्पर विरोधी हितों में सामरज्य स्थापित कर सकती है।"

सोरल का विश्वास था कि सामाजिक वर्गों में सांस्कृतिक और आर्थिक भेद होते हैं। प्रत्येक वर्ग अपने स्वयं की सामाजिक विशिष्टताओं, स्वयं के नैतिक ज्ञानों तथा साधनों का विकास करता है। धनी वर्ग इस कार्य के लिए राज्य का प्रयोग करता है और सेनिक शक्ति तथा निर्बाचन के हथकण्डों द्वारा राज्य पर अपना नियन्त्रण कर राज्य के माध्यम से अमिक वर्ग पर अपना नियन्त्रण स्थापित करता है। राज्यविकार मध्यम वर्ग के हाथों से निकल कर मजदूर वर्ग के हाथ में आ जाने से मजदूर वर्ग को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि राज्य मजदूर-वर्गीय शासन के तनिक भी उपयुक्त नहीं है। राज्य के स्थान पर एक ऐसा नया सामाजिक ढाँचा प्रस्थापित करना उचित है जो मजदूर-वर्ग के विभेद गुणों के घनुकूल हो। यह नवीन सामाजिक ढाँचा आर्थिक कार्यों के घनुसार होना चाहिए। शासकीय मजदूर-संघों भवदा यूनियनों को प्रत्येक व्यवसाय के मजदूरों को मान्यता प्राप्त करनी चाहिए। मजदूरों को केवल अधिक मजदूरी, काम करने का कम समय और श्रेष्ठतर परिस्थितियों के लिए ही प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए प्रत्युन् उदयोगों की अपना समझकर उनके प्रशासन और उनकी व्यवस्था में भाग लेना चाहिए। इस तरह केंद्रीय राजनीतिक ढाँचा समाप्त हो जाएगा तथा समस्त उदयोगों के मालिक मजदूर स्वयं हो जाएंगे जिससे मजदूरों को अपनी रक्तात्मक प्रदूतियां उजागर करने और उनका विकास करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा।

उद्देश्य प्राप्ति के लिए 'हिंसा का रहस्यमय उदाहान्त' (A Mystical Theory of Violence) तथा पूँजीवाद का उन्मूलन करने के लिए ग्राम हड्डाल (General Strike) सोरल की शिखायों का महत्वपूर्ण तत्त्व है। सोरल ने सधावादी हड्डाल के प्रेरणात्मक पक्ष की विशिष्ट व्याख्या की थी। उसने अपनी पुस्तक 'Reflection on

समझता, बल्कि उनकी अनुदृष्टि (Intuition) पर अधिक वल देता है। सोरल का यह मन्त्रदृष्टि विद्वान्त (Theo-ry of Intuition) बर्गेसन (Bergson) से प्रभावित है और इस प्रकार 'माक्सिंवाद', 'कासिज़म' तथा 'बर्ग सोनियज़म' आदि के प्रत्येक विचार जो 'उत्पादकों के साम्भाल्यवाद' (Imperialism of the Producers) के समर्थक हैं, सोरल सधवादी सिद्धान्त ने सम्मिलित हो गए हैं। डिवाइन (Devine) के प्रतुसार सोरल ने माक्सिं से आग्रह लिए करके बर्गसन पर झंगल किया है। अपने समस्त प्रत्यक्ष घघो ने सोरल ने अपने विचारों को बर्गसन के दर्जन से समन्वित करने का प्रयत्न किया है किन्तु अपने समस्त जीवन में उसने माक्सिं की भावना को सही माना है। यह सन्देहास्पद है कि माक्सिं की भावना तथा बर्गसन की भावना में कोई सम्बन्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि सोरल ने माक्सिं की भावना का अर्थ मनमाने द्वारा से लगाहर दोनों में सम्बन्ध स्थापित कर दिया है।

### श्रेणी समाजवाद (Guild Socialism)

श्रेणी समाजवाद, समाजवाद का अर्थेजी स्तरण है। लन्दन की परम्पराओं के प्रतुकूल यह एक मध्यवर्गीय विचारधारा (Middleway current) है जो न अप्रेज़ी फेब्रियनवाद की तरह ग्राम्यकृता से अधिक उदार है और न कॉमीटी सधवाद की भौति ग्राम्यकृता से अधिक कान्तिकारी एवं उण्ह है। श्रेणी समाजवाद को अप्रेज़ी फेब्रियनवाद और कॉमीटी सधवाद का 'बुद्धिजीवी शिशु' कहा जाता है।<sup>1</sup> फेब्रियनवाद (Fabianism), जिसमें समाजिवाद (Collectivism) के सिद्धान्तों का भी समावेश है, अप्रेज़ी अप्रेज़ी को ग्राम्यित करने में असफल रहा और श्रेणी सधवाद अप्रेज़ी के स्वंभाव के प्रतुकूल नहीं था। अत अप्रेज़ी राजनीतिक मनोवृत्ति ने पारस्परिक समाजिवाद या समूहवाद और मजदूर-सधवाद के बीच का मार्ग अपनाया। समाजिवाद और श्रेणी-सधवाद के मेल से एक नए सिद्धान्त की रचना की गई जो श्रेणी समाजवाद (Guild Socialism) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रेणी समाजवादियों ने मजदूर सधों के प्रधारार पर भविष्य में उद्योगों का नगठन करना निश्चित किया। उनका क्रूयन था कि 'मजदूर सम उसी प्रकार ग्राम्यिक उद्योगों को प्रनुप्रेरित करेगा जिस प्रकार मध्यकालीन गुण कलाओं और दस्तकारियों की रक्षा करते थे। इस प्रकार श्रेणी समाजवाद का उद्देश्य उपभोक्तामों और उत्पादकों की लोकतन्त्रात्मक प्रधिकार-शक्ति को राजव-नियन्त्रण में संरक्षित करना है।'<sup>2</sup> इस विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य वस्तुतः मध्ययुगीन श्रेणी-सधों की व्यवस्था (Mediaeval Guild System) को बर्तमान समाज में पुनर्जीवित करना है।

श्रेणी समाजवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन अप्रेज़ी विद्वानों ने 20वीं शताब्दी की प्रथम तथा द्वितीय दशान्दी में किया। इसके प्राप्तारन्तर सिद्धान्तों का विवेचन

<sup>1</sup> Rockow : Contemporary Political Thought in Old England, p. 150.

<sup>2</sup> Joad : op cit., p. 74.

'Violence' में प्राप्त हड्डताल के 'कल्पना (Myth) सम्बन्धी' मूल्य पर ग्रंथिक बत दिया था। उसका मत या कि प्रत्येक प्रभावकारी सामाजिक प्रान्दोलन की घटनी 'कल्पना' होती है। दृढ़ बने रहने तथा वीरोचित कायों को करने के लिए जनता को किसी वौधारीय लक्ष्य के व्यावहारिक ग्रथवा देखानिक प्रदर्शन से प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता, यह केवल उसकी कल्पना को उत्तेजित करने होता है। सोरल ने इतिहास से उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि किस प्रकार सामाजिक कल्पनाओं (Myths) में भादर घबस्थाप्तों को, जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती, सुन्दर चित्र प्रस्तुत कर और लोगों की भावना पर प्रभाव ढालकर घनेक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं और मानव आचार-विचार को एक नूतन दिशा दी गई है। सोरल ने सामान्य हड्डताल पर इस दृष्टि से विचार करने के प्रयत्न की निम्ना की कि वह भावी इतिहास का रूप कहीं तक ले सकेंगे और वह कहीं तक सम्भव हो सकेंगे। उसका कथन या कि उसके विरोधी जो कुछ भी सिद्ध करना चाहते हैं उसे हम मान सकते हैं, परन्तु इससे इस सिद्धान्त के महत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं पा सकती, हालांकि विरोधी समझते हैं कि उन्होंने उसका स्वरूपन कर दिया है।<sup>1</sup> "ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रंथिकाश सधवादियों ने एक प्रभावकारी सामाजिक कल्पना (Myth) रूप में सोरल के हड्डताल के विचार में कोई मूल्यवान रूप नहीं रखा, किन्तु वे इस बात से सहमत थे कि हड्डताल का प्रभाव उसके तात्कालिक व्यावहारिक परिणामों से नहीं जाना जा सकता।"

सक्रिय सधवादियों के विचार में तोड़-फोड़ ग्रथवा छ्वस (Sabotage), बहिष्कार और हिंसा ग्रोपरिक सघर्ष के उचित प्रत्यय है। सोरल एवं ग्रन्थ व्यावहारिक नेताओं ने साधारणतया सर्वहारा-वर्ग के हिंसात्मक कायों का समर्थन किया जिनमें सम्पत्ति-विनाश भी शामिल है। उन्होंने बल प्रयोग के ऐसे समस्त रूपों को प्रोत्साहित किया जो अन्तिकारी ग्राम-हड्डताल के प्रति पूजीपतियों ग्रथवा सरकार के द्विरोध को नष्ट करने के लिए ग्रावश्यक प्रतीत हो। उनकी मान्यता यी कि चूंकि मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच सघर्ष चालू है, अतः उन्हें मुद्द के नेतृत्व मानदण्डों का प्रयोग करना चाहिए। सोरल को प्रतीत होता था कि शारीरिक बल-प्रयोग मनुष्य को ऊँचा उठाता है और उनमें वीरता, साहस तथा ग्रातम-सम्मान उत्पन्न करता है।

सोरल का इहना या कि सधवादी समाज की व्यवस्था तथा स्वरूप की कल्पना किन्हीं तकों ग्रथवा सिद्धान्तों के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि वह एक ऐसा समाज होगा जिसकी स्थापना मजदूर लोग बिना सोचे-विचारे ग्रप्ते ग्राप कर लेंगे। जब मजदूर लोग ग्रप्ती हड्डताल द्वारा राज्य का विनाश करेंगे, तब समाज की ग्रन्तिम रूपरेखा निश्चित करने का ग्रंथिकार भी उन्हीं को होना चाहिए। इस कायं के लिए वह मजदूरों में ग्रंथिक बृद्धि तथा विवेक का होना ग्रावश्यक नहीं

1. 'ोहर' जावनिक राजनीतिक विद्यन, पृष्ठ 25।

संवर्पयम् ए जो पेटी (A G Penty) जो एक शिल्पी था, ए आर ओरेज (A R Orage) जो अध्यापक, पत्रकार तथा दार्शनिक निबन्धकार था और एस जी हॉब्सन (S G Hobson) जो पत्रकार तथा वक्ता था, के लेखों में मिलता है। ये तीनों संवर्पयम् फ़िलियन सोसायटी और स्वतन्त्र मजदूर पार्टी के सदस्य थे। ये सहस्राएँ निरन्तर केन्द्रीभूत राजनीतिक समाजवाद पर बल देती रहीं, अतः इन विचारकों ने उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। श्रेणी समाजवाद का बुनियादी विकास पेटी की पुस्तक 'The Restoration of the Guild System' की प्रेरणा से हुआ। जिसका प्रकाशन सन् 1906 में हुआ था। पेटी का दृष्टिकोण मध्यकालीन था और वह आधुनिक औद्योगिक प्रणाली से बहुत धूणा करता था। उसका यह विश्वास था कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली ने हर प्रकार के कलात्मक और रचनात्मक कार्य को असम्भव कर दिया है। वह शीघ्र ही इस परिणाम पर पहुँच गया कि समाजवादियों के पास इसका कोई समाधान नहीं है क्योंकि वे मजदूरों को आधिक लाभ पहुँचाने पर ही अधिक जोर दे रहे थे एवं उस स्वाभाविक तथा रचनात्मक प्रवृत्ति को पुनर्जीवित करने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं थी जिसे आधुनिक तरीकों के अति सूक्ष्म श्रम विभाजन ने नष्ट कर दिया है। पेटी ने अपनी पुस्तक में यह स्वष्टि किया कि समाज में सौन्दर्यात्मकता (Aesthetism) और भावुकता (Sentimentality) का भी विकास हो सकता है यदि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था न रहे, अर्थात् वर्तमान शोपण की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए और मजदूरों को उद्योगों में स्वायत्तता प्राप्त हो जाए। उसने यह प्रतिपादित किया कि मध्यकालीन शिल्पकला को पुनर्जीवित किया जाए। यद्यपि आधुनिक उद्योगवाद के दोषों से इनकार नहीं किया जा सकता था तथापि पेटी द्वारा प्रस्तावित दस्तकारी की योजना को न तो सम्भव समझा गया और न बाढ़ीनीय ही। वह आधुनिक स्थितियों के अनुकूल नहीं थी। पेटी के विचारों को और ब्रिटेन की जनता आकर्षित अवश्य हुई, किन्तु अपनी अधिक आदर्शात्मकता के कारण उसके विचार लोकप्रियता अर्जित न कर सके। पेटी के विचार जोड (Joad) के अनुसार श्रेणी-समाजवाद के प्रचार की कोरी आदर्शवादी अव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में यह स्वाभाविक था कि गिल्ड की धारणा को जब तक व्यावहारिक रूप नहीं दिया जाता तब तक उसे कार्यान्वित बनने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जा सकते थे।

पेटी के विचारों को आधुनिक राजनीतिक एवं आधिक स्थितियों के अनुकूल बनाने का श्रेय ओरेज के साथ साथ हॉब्सन ने प्राप्त किया। ओरेज व हॉब्सन ने 'न्यू एज नामक पत्रिका द्वारा सन् 1912 में प्रवार्गित लेखों में आधुनिक पूँजीवाद राज्य आज्ञे, समाज के राज्यकीय समाजवद्द के केन्द्रीकरण, का विशेष किया और राष्ट्रीय गिल्डों की विस्तृत योजना प्रस्तुत की जो आधुनिक काल की राजनीतिक और आधिक दशाओं के अनुसार बनाई गई। 'न्यू एज' में जो लेख माला प्रकाशित हुई वह कानूनात्मक 'National Guilds An Enquiry into the Wage System and Way Out' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई। गिल्ड सिद्धान्त का

कमबद्ध प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी पुस्तक में किया गया और यह पेटो की पुस्तक के मध्यकालीन विचारों से मुक्त थी ।<sup>1</sup>

इस आन्दोलन का समर्थन करने के लिए शीघ्र ही अनेक सुयोग्य व्यक्ति मामने ग्राए जिनमें सबसे अधिक कर्मठ अॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का नवीन स्नातक और अॉक्सफोर्ड के 'मेगडेलन' कॉलेज का फैलो जी डी एच कोल था। कोल ने अपनी एक दर्जन पुस्तक-पुस्तिकाओं में श्रेणी समाजवाद के आलोचनात्मक और रचनात्मक विचारों का विस्तृत विवेचन किया और उसने श्रेणी समाजवादी आन्दोलन में सबसे प्रमुख तथा प्रभावशाली स्थान प्राप्त कर लिया। प्रो आर एच टॉनी (R H Tawney), बट्रॉण्ड रसेल (Bertrand Russel) और आर डी मेजतु (R D Mæztu) ने सम्पत्ति के व्यावसायात्मक आधार (Functional Basis) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सम्पत्ति का नैतिक भीचित्य तभी है और उसे सामाजिक सुरक्षा का उसी सीमा तक उचित भविकार है जहाँ तक वह किसी सामाजिक सेवा से सम्बन्धित है। यह सिद्धान्त हॉब्सन तथा कोल के बाद एक मुहूर्य सिद्धान्त बन गया।

सन् 1915 तक श्रेणी (गिल्ड) आन्दोलन ने कोई संगठित रूप धारणा नहीं किया। इस समय तक प्रचार करने एवं गिल्डों को संगठित करने के लिए कोई स्थायी संस्था नहीं थी। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि अोरेज किसी भी प्रकार की स्थाया स्थापित करने का विरोधी था। वह चाहता था कि गिल्डों की धारणा का प्रसार शनै शनैः उसके साधाहिक पत्र के माध्यम से ही हो, किन्तु उसके विरोध को अन्तत परास्त किया गया और अॉक्सफोर्ड के दो विद्वानों—विलियम मेलोर (W Mellor) तथा मोरिस रेकिट (M B Reckitt) ने, जिन्होंने कोल के साथ सन् 1915 में श्रेणी समाजवादी विचारशारा को अपनाया था तथा अन्य व्यक्तियों ने एक राष्ट्रीय गिल्ड संघ (National Guilds League) की स्थापना दी जो श्रेणी समाजवादी प्रचार का मुरद केन्द्र बन गया। इस राष्ट्रीय गिल्ड संघ के लक्ष्य थे—(1) अम पद्धति का उन्मूलन, (2) राज्य के साथ काम करते हुए उद्योगों में गिल्ड द्वारा स्वशासन की स्थापना। आरम्भ में इनका प्रजातन्त्रात्मक राज्य में विश्वास था, किन्तु सन् 1920 से उन्होंने 'राज्य' को हटाकर उसके स्थान पर देश में नए प्रजातन्त्रात्मक व्यावसायिक संगठन की स्थापना का ध्येय अपनाया। इस संघ में सदस्य तो अल्पसंख्या में (अपनी चरमोत्कर्ष स्थिति में भी इस संघ की संख्या 500 से अधिक नहीं थी) थे लेकिन अपने 6 वर्षों के अल्प जीवनकाल में ही यह अत्यन्त वार्यशील एवं प्रभावशाली बन गया। इसके सदस्यों में एक बड़ी संख्या प्रतिभाशाली लेखकों और व्यक्तियों की थी जिनमें प्रमुख थे—टोनी रसेल, ब्रेलस फोर्ड, जॉन लेसवरी और बोल तथा उसके दो मित्र मेलोर एवं रेकिट। इस संघ ने अनेक उच्चकोटि की पुस्तिकाएँ प्रकाशित की और तत्पत्त्वात् 'Guild Man' नामक एक मासिक पत्र निकाला जिसका नाम बाद में 'Guild Socialist' हो गया।

युद्धकाल और उसके बाद का कुछ समय गिल्ड समाजवादी विचारों के प्रसार के लिए बहुत उत्त्युक्त सिद्ध हुआ।

सन् 1919 में व्याप्त भौद्योगिक प्रवस्थाओं को देखकर कुछ गिल्ड समाजवादियों ने ऐसा घनुभव किया कि यह समय इस सिद्धान्त को एक महत्वपूर्ण उद्योग में ही प्रयोग करने के लिए घनुकूल था। उस समय भौद्योगिक केन्द्रों में दही सह्या म नवोन आवास-शूहों को आवश्यकता थी और व्यक्तिगत उद्योग इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। इस दिशा में राष्ट्रीय सरकार द्वारा भवन निर्माण करने वाले उद्योगपतियों और स्थानीय संस्थाओं को ग्राहिक सहायता देने तथा भाड़े में कमी करने से उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में भवन-निर्माण करने वाले मजदूरों ने कहा कि यदि उन्हें स्थायी राजगार और नियमित वेतन का आवश्यकता दे दिया जाए तो वे बहुत कम वेतन पर सस्ते और मजबूत मकान बना सकते हैं। इसलिए सन् 1920 के आरम्भ में मैनचेस्टर जिले के अनेक भवन-निर्माण सम्बन्धी मजदूर-संघों ने एक भवन निर्माणकारी सघ (A Builder's Guild) स्थापित किया। हाँसन इस सघ का मन्त्री बना। इस सघ ने लगभग 22 नगरों में अधिकारियों से ठेके लिए और 10 हजार मकानों का निर्माण किया।<sup>1</sup> ये मकान लागत में उन मकानों से सस्ते थे जो व्यक्तिगत ठेकेदारों से बनवाए जाते थे और सभी लोग उन्हें प्रचल्या समझते थे, लेकिन शीघ्र ही किसी कारण सरकार ने ग्राहिक सहायता देना बन्द कर दिया और स्थानीय अधिकारियों का यह निर्देश दिया कि इस प्रकार के भवन निर्माण कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की ग्राहिक सहायता न दी जाए। इससे इस मान्दोलन को बहुत आषात पहुँचा। मजदूरी की कमी और देवारी में वृद्धि से 6 घण्टे में ही भवन निर्माण सघ समाप्त हो गया तथा गिल्ड-समाजवाद के सम्मूल समठित मान्दोलन का घन्त हो गया। राष्ट्रीय गिल्ड सघ (National Guilds League) सन् 1925 में भग कर दिया गया और कोल (Cole) भी गिल्ड समाजवाद की अपेक्षा अन्य बातों की और ग्राहिक ध्यान देने लगा। दूसरे लोग भी अन्य कार्यों में लग जाए। इसी क्रान्ति के मतभेद तथा अन्य बातों ने भी गिल्ड समाजवादी मान्दोलन के विषयन में पर्याप्त योग दिया। सन् 1925 के बाद से लन्दन में कोई गिल्ड समाजवादी मान्दोलन नहीं हुआ है। यद्यपि इसकी कुछ धारणाओं को (जैसे कि समाजवाद की बहुलवादी धारणा और व्यावसायिक जनतन्त्र का सिद्धान्त) आज भी ब्रिटिश सामाजिक चिन्तन में समर्पन प्राप्त है।

**श्रेणी समाजवादियों द्वारा वर्तमान समाज को आलोचना**

श्रेणी समाजवादियों ने ग्राहिक नेतृत्व के तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्तमान भौद्योगिक समाज की कटु आलोचना की है—

1. वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण उन पर लगे थम से होता है जबकि आज के पूँजीवादी समाज में उन्हें अपने थम का पूरा मूल्य नहीं मिलता। उनके परिवर्तन का

अधिकांश भाग अतिरिक्त मूल्य के रूप में भूमिपतियों, उद्योगपतियों और पूँजीपतियों की जेबो में जाता है। अत उचित है कि वेतन-प्रणाली को तोड़ दिया जाए अथवा वेतन, लाभ, व्याज और कार्य का विभाजन किसी भिन्न सिद्धान्त के आवार पर किया जाए।

2 मजदूर शिक्षा और अनुभव द्वारा अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर चुके हैं, अत उनमें उत्पादन के लिए अभिहित और हड्डतालों की ओर भुकाव है जिसके कलस्वरूप वर्तमान समाज में उत्पादन की स्थिति निरन्तर सदिगद बनी हुई है।

3 वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन मुनाफे की भावना से किया जाता है जहाँ समाज को उससे हानि पहुँचे, अत इस व्यवस्था को बदलना आवश्यक है।

4 वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में अधिकों के व्यक्तित्व, उनकी भावना और कलात्मकता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। प्राधुनिक औद्योगिक प्रणाली ने उनके मानवीय मुण्डों को नष्ट कर उनका जीवन नीरस बना दिया है। वर्तमान समाज के प्रार्थिक जीवन का सम्पूर्ण संगठन कार्य-सम्पादन (Performance) के मिदान पर आधारित न होकर सम्पत्ति की प्राप्ति (Acquisition) के सिद्धान्त पर आधारित है। अत ऐसी व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है जिसमें अधिकों में न केवल कार्य-कुशलता का विकास हो बल्कि उन्हें काम के गीरव का भी ध्यान हो और वे उपाजित घनराशि और उत्पादन के रूप व गुण में पूरी हवि लें।

5 प्राधुनिक अर्थव्यवस्था इस प्रकार की है जिसमें पूँजीपति कोई उपयोगी कार्य नहीं करते। वे सट्टेदाजी में लगे हुए केवल अधिकाधिक मुनाफा कमाने की प्रयत्नशील रहते हैं। अत पूँजीपतियों को ही सब अधिकार और शक्तियाँ देने वाली व्यवस्था को बदलना होगा।

6 आर्थिक समानता के अभाव में वर्तमान राजनीतिक लोकतन्त्र एक धोख है। सरकारों कर्मचारियों के अधीन भी मजदूरों की दशा उससे अल्पतर नहीं है सकती जैसी व्यक्तिगत पूँजीपतियों की अधीनता में होती है, अत उद्योगों पर राजकीय प्रबन्ध और नियन्त्रण भी कोई अर्थ नहीं रखता।

7 प्राधुनिक राजनीतिक लोकतन्त्र व्यवस्था भर्यन्त दोषपूर्ण है। इसमें समाज के विभिन्न हितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता क्योंकि प्रतिनिधियों का चुनाव प्रादेशिक और भौगोलिक आधार पर होता है। प्रादेशिक आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं—मजदूरों, किसानों, वकीलों, अध्यापकों, हाँडरों आदि के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। फिर यह भी गलत है कि प्रादेशिक आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के नियम का अधिकार दे दिया जाता है जिनका प्रादेशिक प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। सच्चा प्रतिनिधित्व तो सदैव विशिष्ट और व्यावसायिक ही हो सकता है। प्राधुनिक राजनीतिक लोकतन्त्र इस दृष्टि से भी हेतु है कि वह मजदूरों को उनके काम की अवस्थाओं को नियंत्रित कर कार्य में भाग दिलवाने की पारणी का दावा नहीं करता।

सारींशत श्रेणी समाजवादियों के अनुसार वर्तमान समाज लोकतन्त्रात्मक नहीं है। इसमें लोकतन्त्रीय सिद्धान्त राज्य के छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है। प्राचीन का लोकतन्त्र के बल ढोग है।

### श्रेणी समाजवादी दर्शन

श्रेणी समाजवाद का उद्देश्य उद्योग में सलग लोगों की स्वायत्तता की स्थापना करना, वर्तमान वेतन प्रधान का अन्त करना तथा ऐसी अवस्था का निर्माण करना है जिसमें अधिकों की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ उजगार हो सकें। इस उद्देश्य के लिए श्रेणी समाजवादी व्यक्तिगत पूँजी का विनाश और समाज के राजनीतिक समठन में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। वे समष्टिवादियों के इस मत से सहमत हैं कि राज्य अधिकार समाज का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन इस बारे में उनका मतभेद है कि उद्योगों का वास्तविक सचालन सरकार के हाथ में हो। श्रेणी समाजवाद इस वास्तविक सचालन को प्रत्येक उद्योग में गिल्डों (Guilds) के रूप में संगठित अधिकों के हाथ में रखना चाहता है। गिल्ड अधिकार श्रेणी या सघ ऐसे व्यक्तियों की एक स्वशासित समूह है जिसके सदस्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, जो समाज के किसी विशिष्ट काय को करने के लिए संगठित होते हैं तथा इसके लिए समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं।”

गिल्ड अधिकार श्रेणीयों के स्वरूप समठन आदि के सम्बन्ध में श्रेणी-समाजवादियों में मतभेद है। यह निरचित है कि इनका समठन कायमूलक व्यवसायिक आधार (Functional Basis) पर होगा। कोल के अनुसार समाज में वित्ती व्यवसाय एवं काय हैं उनके लिए उतनी ही सहजा में पृथक् रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के गिल्ड होने चाहिए। गिल्ड अपना कार्य निर्धारित नीति के व्यापक नियमण में रह कर करेगा जिसका निर्माण और क्रियावर्थन अधिकारितम सम्भव प्रजातन्त्रीय ढंग से होगा। गिल्ड अपने घरने उद्योगों का प्रबन्ध करने में स्वशासी होंगे, लेकिन उन पर उच्चतर राष्ट्रीय गिल्डों का नियमण होगा। श्रेणी समाजवाद के अनुसार सारे देश में फले विभिन्न गिल्डों को एक सूच में बांधे रखने के लिए बीज्ञानीय है कि उनका एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय सघ हो। श्रेणी समाजवादी इस बारे में एक मत नहीं थे कि प्रमुख गिल्ड इकाइयाँ स्थानीय होगी अधिकार राष्ट्रीय। बहुसंस्कृत वर्ग यही चाहता था कि शक्तिशाली राष्ट्रीय समठन भी होने चाहिए क्योंकि तभी वर्तमान मजदूर सघ आनंदोलन से लाभ उठाया जा सकता है और गिल्डों के दौरे को विशाल पैमाने पर होने वाले उत्पादन की व्यवस्थाओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। श्रेणी समाजवाद में स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय गिल्डों का बर्गीकरण संत्रोष आधार पर किया जाता है, किन्तु एक दूसरे दृष्टिकोण से भौद्योगिक, नागरिक और वितरणात्मक गिल्ड भी स्थापित किए जाते हैं। भौद्योगिक गिल्डों में वे व्यवसाय सम्मिलित होंगे जो बड़े-बड़े कारखानों के रूप में चलाए जाते हैं, जैसे लोहा तथा इस्पात, कपड़ा, धीनी भवन निर्माण आदि से सम्बन्धित व्यवसाय। नागरिक गिल्ड व्यक्तिगत सेवाओं का काय करेंगे जैसे डॉक्टरी, अध्यापन, कानून

ग्रादि। वितरणात्मक गिल्डों के हाथ में छोटे व्यापार होंगे। उनमें उपभोक्ताओं, क्षेत्र की स्थानीय शासन-संस्थाओं तथा उन उत्पादक संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे जिनके द्वारा नियमित सामान का बे वितरण करते हैं। राष्ट्रीय और स्थानीय गिल्डों के सम्बन्ध में अधिकांश विचारकों की मान्यता यही कि राष्ट्रीय स्वायत्तता (National Autonomy) स्थानीय स्वायत्तता (Local Autonomy) की विरोधी नहीं है।

गिल्डों के निर्माण के सम्बन्ध में श्रेणी समाजवादियों की मोटी रुखरेखा यही कि एक गिल्ड में एक उद्योग में काम करने वाले सभी व्यक्ति सम्मिलित होंगे। प्रत्येक कारखाना अपने प्रबन्धक का चुनाव करने में स्वतन्त्र होगा और राष्ट्रीय गिल्ड द्वारा किसी उद्योग के लिए निर्धारित नीति के अनुसार उत्पादन की पद्धतियों पर नियन्त्रण करने में भी स्वतन्त्र होगा। प्रत्येक स्थानीय गिल्ड के प्रतिनिधि प्रादेशिक गिल्ड में भेजे जाएंगे और प्रत्येक प्रादेशिक गिल्ड अपने प्रतिनिधि राष्ट्रीय गिल्ड के लिए चुनाव भेज सकेंगे। विविध व्यवसायों के केन्द्रीय गिल्ड (श्रेणियाँ) परस्पर मिलकर राष्ट्रीय गिल्ड का निर्माण करेंगे। स्थानीय प्रादेशिक और राष्ट्रीय सभी गिल्डों का समान प्रजातान्त्रिक आधार पर होगा।

श्रेणी समाजवाद के कुछ आधारभूत सिद्धान्त हैं। इसका प्रथम मौलिक सिद्धान्त यह है कि वर्तमान मजदूरी प्रणा (Wage System) को समाप्त कर मजदूरों को वेतन (Payment) दिया जाए। उद्योग-घन्घों में स्वशासन की जो व्यवस्था स्थापित की जाए वह इस आधार पर हो कि प्रत्येक श्रमिक को मानव होने के नाते वेतन मिले (श्रम वेने की मजदूरी के नाते नहीं), वेकारी और बीमारी की स्थिति में भी व्यक्ति को वेतन दिया जाए, उत्पादन-व्यवस्था के प्रबन्ध और नियन्त्रण में श्रमिकों को अधिकार मिले तथा उत्पादक वस्तुओं पर भी उनका अधिकार हो।

दूसरा मौलिक सिद्धान्त श्रोतोगिक लोकतन्त्र (Industrial Democracy) का है जिसके माध्यम से उपर्युक्त बातों की व्यवस्था हो सकेगी। श्रेणी समाजवादियों के अनुसार लोकतन्त्र की वर्तमान पद्धति राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित होने के कारण बहुत दोषपूर्ण है। इसका उद्योग-घन्घों के क्षेत्र में विस्तार करके श्रमिकों को उद्योगों के सचालन का उत्तरदायित्व और अधिकार मौजूदा चाहिए ताकि उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके और वे अपनी वस्तुओं के निर्माण का आनन्द ले सकें।

तीसरी मूल बात यह है कि सच्चा लोकतन्त्र तभी स्थापित हो सकता है जब प्रतिनिधित्व प्रादेशिक न होकर व्यवसायमूलक आधार कार्यात्मक हो। बोल के अनुसार एक नामांकित को मानने क्षेत्र से ससद के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे स्वयं से सम्बन्धित और विभिन्न कार्यकारी समठनों वे सिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी होना चाहिए।

बीयी बात यह है कि जहाँ सधाराद राष्ट्र के आधिक जीवन में केवल उत्पादकों को ही प्रधानता देना है वहाँ श्रेणी समाजवाद उपभोक्ताओं को भी महत्व

प्रदान करता है। आर्थिक जीवन के सचालन और नियन्त्रण में उपभोक्ताओं के हितों के सरकार की व्यवस्था न होने से उत्पादक अपने उत्पादनों का मनमाना मूल्य बहुत करते हैं जो सावंजनिक दृष्टि से हानिकारक होता है। श्रेणी समाजवाद समस्त उपभोक्ताओं और उत्पादकों की समान प्रतिनिधित्वपूर्ण एक सर्वोच्च संघर्ष समिति (Supreme Joint Committee) की स्थापना का समर्थन करता है, जिसका काम होगा प्रत्येक गिल्ड के लिए कर निर्धारित करना (जो उसे राष्ट्र को भ्राता करना चाहेगा), वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना तथा यह निर्णय करना कि किसी गिल्ड ने स्वयं के हितों को अधिक महत्व देकर समाज के हितों की उपेक्षा तो नहीं की।

श्रेणी समाजवाद में व्यवस्था की दृष्टि से कोल तथा हॉब्सन का कथन है कि गिल्डों का सगठन आन्तरिक क्षेत्र में प्रजातन्त्रात्मक होगा तथा बाह्य क्षेत्र में स्वाधीनता मूलक। प्रत्येक गिल्ड-सभा का सगठन इस तरह होगा कि एक और तो राष्ट्रीय-स्तर पर उत्पादन का आवश्यक एकीकरण तथा समन्वय हो सके और दूसरी और विविध स्थानों तथा व्यवसायों में उचित भेद कर उनकी रक्षा की जा सके तथा व्यक्तिगत पहल और आत्माभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहन मिल सके। अधिकारियों का चयन करेगा और विभिन्न पदों के अधिकारियों का निर्णय करेगा। कोई भी सदस्य अकारण सेवाच्युत नहीं किया जाएगा और इसका निर्णय बहुमत से होगा। स्थानीय गिल्डों के निर्णयों के विरुद्ध गिल्ड के समक्ष अपीलें की जा सकेंगी। कोल का तो यह भी कहना है कि जहाँ कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी नेता या अधिकारी की देख-रेख के अधीन कार्य करना पड़ता है, उस व्यक्ति-समूह को उस अधिकारी या नेता के चुनाव का अधिकार हो और प्रत्येक समिति की नियुक्ति उन कर्मचारियों द्वारा हो जो इसके अधीन कार्य करें। अपनी 'Self Government in Industry' नामक पुस्तक में उसने लिखा है कि प्रत्येक कारखाने के लिए एक समिति होगी जिसका चुनाव कारखाने के सभी कर्मचारी करेंगे। समिति का काम नियम निर्माण और उनके कार्यान्वयन के निरीक्षण द्वारा कारखाने की दस्ता और उमके हितों वी देखरेख करना होगा। एक ही प्रकार के कारखानों के लिए प्रत्येक स्थान में एक कारखाना समिति (Works Committee) होगी जिसमें सभी कारखानों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। यह समिति उनके हितों और कार्यों में समन्वय स्थापित करेगी। प्रत्येक जिले में एक समिति होगी जिसमें कुछ तो प्रत्येक कारखाने के प्रतिनिधि होंगे जिनका निर्वाचन कारखाना समितियाँ करेंगी और कुछ प्रत्येक दस्तकारी (Craft) के प्रतिनिधि होंगे जिनका निर्वाचन उस जिले के विविध शिल्पी करेंगे। इसका कार्य उस जिले में उस उद्योग से सम्बन्धित सम्पूर्ण उत्पादन में समन्वय लाना, जिले के अन्य गिल्डों से उसके सम्बन्धों को निश्चिन करना और स्थानीय सावंजनिक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना होगा। प्रत्येक उद्योग में दो राष्ट्रीय गिल्ड संस्थाएँ होंगी, एक सभी प्रतिनिधियों की साधारण सभा जो गिल्ड की सामान्य नीति का निर्धारण करेगी, इसका काम मार्ग तथा पूति में उचित

सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आवश्यक आँकड़े संग्रह करना होगा। अन्त में, कारखाना समिति द्वारा नियुक्त कारखाना-विशेषज्ञ होगा, जिला कमेटी द्वारा नियुक्त जिला विशेषज्ञ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त 'राष्ट्रीय' और पर्यटक विशेषज्ञ होंगे।

समाज में प्रत्येक आवश्यक सेवा को एक राष्ट्रीय गिल्ड के रूप में समर्ठित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय गिल्ड के विधान में उस सेवा से सम्बन्धित मजदूरों के आवश्यक हित निर्धारित होंगे। लेकिन विविध राष्ट्रीय गिल्डों के लिए निमित्त यह योजना विभिन्न आर्थिक समुदायों की परस्पर निमंत्र समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं करती। ऐसे तथा यन्त्र निर्माण करने वाले उद्योग प्रत्यक्षत लोहा, इस्पात और कोयला साधनों पर आधिन होते हैं। इसी प्रकार माल उत्पादन करने वाले उद्योग विनरण के साधनों पर निमंत्र होते हैं। इस पारस्परिक निमंत्रता के कारण सामज्जस्य की भीजण समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इनको गिल्ड-दूतों के आदान-प्रदान, विशेष समिलित समितियों की स्थापना और अन्त में राष्ट्रीय गिल्डों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय औद्योगिक गिल्ड द्वारा सुलभाया जाएगा कोल के मनुमार, "यह सस्या उसके औद्योगिक पक्ष में गिल्ड-प्रणाली की अन्तिम प्रतिनिधि होगी और उसका प्रमुख कार्य गिल्ड-संगठन तथा व्यवहार के आवश्यक सिद्धान्तों का निश्चय करना और उनकी व्याख्या करना होगा। जिन मामलों में केन्द्रीय समस्याय (Co-ordination) की आवश्यकता होगी, उनमें वह वास्तव में गिल्ड व्यवस्थापिका का काम करेगी और वह स्वयं अपनी किसी सस्या द्वारा गिल्ड सम्बन्धी विशुद्ध प्रश्नों के निर्णय के लिए अन्तिम अपील का न्यायालय होगी।" अपने बाहरी सम्बन्धों में वह समस्त गिल्ड के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। उसका एक कार्य (जो किसी भी तरह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है) गिल्डों की पारस्परिक कठिनाइयों एवं विवादों का निर्णय करना होगा। स्थानीय गिल्ड कौसिलों ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रथम न्यायालय होगी। उसका सबसे महत्वपूर्ण आन्तरिक कार्य सामान्य नियमों के रूप में गिल्ड को कार्य करना होगा। वह गिल्डों के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में होने वाले सर्व के लिए विविध गिल्डों पर टेक्स लगाएगी और समस्त समाज के लिए महत्वपूर्ण मामलों में वह उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से बद्दर्ता करते समय उत्पादनकर्ताओं के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेगी।"

गिल्ड समाजबादी भावी समाज में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सहकारी समितियाँ भी होगी और इनका सूजन भी गिल्डों की भाँति ही स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय आधार पर होगा। स्थानीय उपभोक्ता समितियाँ साधा-सामग्री, कागज, जूता, तेल इत्यादि का नियन्त्रण करेंगी। प्रादेशिक उपभोक्ता समितियों का निर्माण स्थानीय उपभोक्ता समितियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होगा और इनका प्रकाश, शिक्षा तथा यातायात आदि पर नियन्त्रण होगा। उत्पादक राष्ट्रीय गिल्ड के समान राष्ट्रीय उपभोक्ता समिति का निर्माण प्रादेशिक उपभोक्ता समितियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा। राष्ट्रीय समिति का नियन्त्रण-कार्य शिक्षा, यातायात आदि से सम्बन्धित होगा।

गिल्ड समाजवादियों का राजनीतिक सिद्धान्त—यपने उद्देश्यो में गिल्ड समाजवाद मुख्यतः एक ऐसी विचारधारा है जो भ्रौदोगिक व्यवस्था से अधिक सम्बद्ध है पौर उद्योगों को राज्य के नियन्त्रण से मुक्त करना चाहती है किन्तु वह राज्य की विरोधी नहीं है। यद्यपि उसकी मान्यता है कि राजकीय हस्तक्षेप शरारतपूर्ण (Mischievious) है और इस कारण गिल्डों को समाज में अधिक महत्व मिलना चाहिए, तथापि सबवादी (Syndicalism) की भाँति वह न तो राज्य पर भीषण आक्रमण ही करती है और न उसका अस्तित्व ही मिटाना चाहती है। गिल्ड समाजवाद के अन्तर्गत राज्य एक प्रादेशिक संस्था (Regional Association) के रूप में जीवित रहेगा और उत्पादक गिल्डों द्वारा न किए जाने वाले राजनीतिक कार्य करेंगे। गिल्ड समाजवाद उत्पादकों के विशिष्ट हितों के साथादी विचार और सांघर्षनिक हितों के राजनीतिक विचार में सामर्ज्जस्य स्थापित रहने का प्रयास है। वह न तो प्रादेशिक समुदायों को पूर्ण मानता है और न व्यापक अधिक समुदायों को ही। “कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति पहसु से, और कुछ की दूसरी से होती है। इस प्रकार राज्य समाज की एक अनिवार्य संस्था बना रहता है यद्यपि सांघर्षनिक कार्य के ऐसे अनेक रूप भी हैं जिनमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।”<sup>1</sup>

गिल्ड समाजवादी समाज में राज्य का वया स्वरूप होगा और इसके बया कार्य होगे, इस विषय में विचारक एकमत नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि गिल्ड समाजवाद की आर्थिक व्यवस्था के साथ ही राज्य राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करेगा और इसके कार्य केवल अप्रतिलिपि लेत्रों तक ही सीमित होगे—

1. राज्य के बल उन्हीं विषयों पर आना नियन्त्रण रखेगा जो आर्थिक नहीं हैं जैसे आन्तरिक नीति, विदेश-नीति आदि।

2. राज्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा।

3. राज्य कहीं-कहीं “योड़” बहुत उत्पादक संघों (Producer's Guilds) के अनियन्त्रित कार्यों को भी शांतित करेगा।

इस सम्बन्ध में हॉब्सन तथा कोल के विचारों में भी अन्तर है। गिल्ड समाजवादी व्यवस्था में राज्य का सही स्थान वया रहेगा, इस पर गिल्ड समाजवाद के ये दो महारथी दो विभिन्न मतों का प्रतिनिवित्व करते हैं।

(1) हॉब्सन का मत (Hobson's View)—हॉब्सन का मत है कि येरी समाजवाद में राज्य को सन्तुचे समाज के प्रतिनिधि के रूप में (A Representative of the Community as a Whole) जीवित रहना चाहिए। इसकी सत्ता गिल्डों को बीटकर कुछ कम अवश्य करदी जाए, किन्तु अन्तिम सत्ता (Final Power) इसी के पास रहे। कम कार्यों का सम्पादन करने पर भी राज्य सत्ता में किसी प्रकार कमी नहीं आनी चाहिए। “वह सत्ता के आदि खोत, अन्तिम न्यायकर्ता और उत्पादनकर्ता व उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि बना रहे। उत्पादन के सारे यन्त्र तथा उपकरण राज्य के ही रहें और वह उन्हें येरी समाजवादी गिल्डों को उपर दे।

1. कोहर, वाणिज अजनीतिक विन्तन, पृष्ठ 289-90

यदि गिल्डो मे आपस मे भगडा हो जाए तो इसका निर्णय भी राज्य द्वारा ही होना चाहिए। आर्थिक नीति मे न्याय के प्रश्नो—जैसे विदेशो से सस्त मजदूरो के प्रायात के विश्व छिकायत अथवा गिल्ड द्वारा बेतन-शोषण आदि पर राज्य ही विचार करे। राज्य गिल्ड-कार्प्रेसो की अपील पर सार्वजनिक नीति सम्बन्धी अन्य मामलो पर भी भ्रपना निर्णय दे। गिल्डो के पारस्परिक विवादो के निर्णय के लिए राज्य अन्तिम अपील का न्यायालय हो, लेकिन तभी जबकि गिल्ड कार्प्रेस इस काय मे सफल न हो। राज्य चाहे तो गिल्डो पर भी कर लगाए तथा उचित समझे तो गिल्डो को अपनी अन्धी सेवाओ के बदले मे आर्थिक सहायता प्रदान करे। राज्य को इस तरह कर-निर्धारण का अधिकार होना चाहिए कि वह गिल्डो की आर्थिक नीति मे परिवर्तन कर सके। कर की मात्रा आर्थिक भाडे (Economic Rent) अर्थात् गिल्ड की ऐसी अवृत्त रकम के बराबर होगी जिसके अवमूल्यन (Depreciation) की व्यवस्था अथवा बीमे के लिए आवश्यकता न हो।" राज्य ऐसे गिल्डो को आर्थिक सहायता देगा जो शिक्षा और स्वास्थ्य की नि शुल्क सेवा करते हो। इतना ही नहीं, व्यक्तियो की आन्तरिक तथा बाह्य दोनो प्रकार की सुरक्षा के लिए राज्य सेवा और पुलिस का प्रबन्ध और न्यायालयो की भी व्यवस्था करेगा। हॉब्सन के अनुसार इन कार्यो के अतिरिक्त राज्य को अन्य कार्य भी प्रत्यक्ष रूप से करने होये जैसे दोवानी तथा फौजदारी कानूनो का निर्माण और उन्हे कियान्विन करना। बास्तव मे हॉब्सन इतना काल्पनिक नहीं था कि वह यह सोचने सकता कि थ्रेणी समाजवादी समाज मे समस्त अपराधजनक प्रवृत्तियो का विनाश हो जाएगा अथवा गिल्ड के सदस्यो के व्यक्तिगत अधिकारो की रक्षा के लिए किसी कानूनी दण्ड-व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धो वा भी नियन्त्रण करना होगा। हॉब्सन एक उदारवादी विचारक था जिसका थ्रेणी समाजवाद का विन बहुत कुछ बहुलवाद (Pluralism) से मिलता है। राज्य को प्रभुसत्ता प्रदान करने मे हॉब्सन के विचार राज्य-साम्बद्धादियो के समान है। दोनो मे अन्तर केवल इतना है कि राज्य-समाजवादियो की अपेक्षा हॉब्सन ने राज्य को बहुत कम बाये सीधे हैं।

(ii) कोल का मत (Cole's View)—कोल कुछ अधिक उप्र विचारक है और कम से कम प्रकट रूप मे अधिक बहुलवादी (Pluralistic) है। वह राज्य को इतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान देना नहीं चाहता जितना हॉब्सन देता है। उसने राज्य को गिल्ड के स्तर पर रखने का और इस प्रकार सर्वशक्तिसम्पन्न राज्य से पूर्णतया मुक्ति पाने का स्पष्ट प्रयत्न किया है। उसकी दृष्टि मे राज्य एक आवश्यक स्थान है, जो उपभोक्ताओ का प्रतिनिधि है, परन्तु किसी प्रकार भी उसका उन सम्पादो पर प्रभुत्व नहीं है जो उत्पादनवर्त्तीयो के समान धर्म वालो अथवा अन्य प्रकार के समान लोगो की प्रतिनिधि हैं। उसे अन्य सम्पादो के समकक्ष ही स्थान मिलना चाहिए। अन्य सम्पादो के समान उसके पास भी उतनी ही सत्ता होनी चाहिए जिससे वह समाज मे भ्रपने विशिष्ट कार्यो को सुचारू रूप से सम्पन्न कर सके। कोल

चाहता है कि ऐसी समाजवादी व्यवस्था में राज्य का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक न होकर उसके अधिकार और कर्तव्य समान अनुपात में हों।

कोकर के अनुसार, 'कोल की आरम्भिक कल्पना में राज्य के ऐसी स्थान के रूप में जिसमें मनुष्य अभिजनता के आधार पर एक होते हैं, राजनीतिक कर्तव्य भी होगे, जैसे, समाज की रक्षा, विवाह-विच्छेद वा नियन्त्रण, बासकों की रक्षा व उनकी शिक्षा, विकलांग तथा प्राथित व्यक्तियों की देख-रेख, अपराधों का प्रतिरोध और दण्ड, किन्तु इन कार्यों के सम्पादन में भी वह (राज्य) एक प्रमुखता के रूप में कार्य नहीं करेगा। राज्य और गिल्डों के विविध कार्यों से सुस्पष्ट निर्धारण में जो कठिनाई होती है उसके कारण हित एवं समता के संघर्ष तथा प्रतियोगिता के अवसर उत्पन्न होते हैं। राज्य और गिल्ड के बीच विवादों के निर्णय के लिए दोनों के ऊपर एक सर्वोच्च सत्ता आवश्यक होगी और यह सत्ता समस्त सम्भाषणों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सयुक्त-स्थान ही हो सकती है। सामान्यतया यह सम्भा श्रावणिका या व्यवस्थादिका स्थान के रूप में अधिकार अदील के न्यायालय के रूप में कार्य आरम्भ करने वाली न होकर निर्णय करने वाली स्थान के रूप में दार्य करेगी। यह व्यावसायिक न्याय की प्रजातान्त्रिक 'सर्वोच्च न्याय-स्थान' (Democratic Supreme Court of Functional Equity) समस्त सम्भाषणों के सर्वोच्च मामलों पर विचार करेगी। उसे बल-प्रयोग के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होगे और उसका पुनिस तथा कानून से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था पर अनिम्न नियन्त्रण रहेगा। सामाजिक संगठन की ऐसी योजना में प्रमुख सम्पन्न राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, किर भी इसमें राज्य तथा प्रभुत्व दोनों का अस्तित्व रहेगा यद्यपि सम्मुक्त राज्य से भी ऊँची स्थान में निहित होगा।'

कोल का कोकर के शब्दों में उद्धृत उपर्युक्त विचार उसी आरम्भिक कल्पना थी। ऐसी समाजवाद पर जो उसने अपना नवीननम प्रन्थ लिया उसमें उसने हाँसन के इस दावे का ही पूरा लण्डन नहीं किया कि राज्य का सर्वोच्च कार्य समाज की आत्मा की अभिव्यक्ति और समाज के विभिन्न प्रकार के समुदायों के कार्यों के निर्देशन द्वारा उनमें सामजिक स्थापित करना है, वल्कि उसने इस धारणा को भी अस्वीकार किया कि राज्य उपभास्ताओं तक प्रतिनिधित्व करता है। कोल ने प्रादिक एवं नागरिक सेवाओं के नियन्त्रण में भी राज्य को बोई स्थान नहीं दिया। बाद के इस विचार के अनुसार कोल राज्य का क्षेत्र अत्यधिक सकुचित कर देता है और एक सम्पूर्ण राज्य की धारणा को पूर्णरूपेण ठुकरा देता है। मार्क्सवादी भावना के अनुसार राज्य को बग-शोपण और बग दमन का एक यन्त्र समझते हुए इह कहता है कि एक गिरजाघरी संसद में, जो कि लत्जलः सामाजिक महायोग का एक मण्डन है, राज्य का कोई स्थान नहीं हो सकता। वह राज्य को अन्य समुदायों की भाँति ही एक समुदाय मानता है। जब राज्य अनेक समुदायों में वेवल एक समुदाय है और अन्य सब समुदायों के समान है, तो उसे गिरिज व्यावसायिक समुदायों की किसानों म सामन्तर्य रखापिन करने का अधिकार नहीं

दिया दा सकूना, प्रत. वह सम्प्रभु भी नहीं हो सकता। कोल को यह आशा थी कि राज्य के कार्यप्रधान को एकदम सकुवित कर देने और उसे प्रभुत्वहीन बना देने से एक बड़ी सीमा तक राज्य क्षीण हो जाएगा और अन्त में या तो सीधे आत्मरण के कारण या क्षीण हो जाने के कारण वह बिलकुल बुज्ज हो जाएगा।

कोल यदि सामजस्य का कार्य राज्य को नहीं देना चाहता तो यह इसे किसी अन्य समुदाय को भी नहीं सौंपता। वह यह कार्य कम्यून-प्रणाली (Commune System) को सौंपता है जिसका ढाँचा वर्तमान राज्य से तरवत भिन्न होगा जिसके स्थान पर यह (कम्यून) स्थापित किया जाएगा। कोल का यह निश्चित मत है कि सदूचे समाज की भात्ता को प्रभित्यक करने वाली और समस्त सत्याधी को आवश्यक एकीकरण करने वाली 'कम्यून' मस्ता समाज की वर्तमान राजनीतिक संगठन से मर्दया पृथक् होनी चाहिए और उसे किसी भी अर्द्ध में वर्तमान राज्य की उत्तराधिकारिणी नहीं समझना चाहिए।

कोल के अनुसार 'कम्यून' का संगठन स्थानीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर होया, प्रत्येक ऐसा संगठन अपने समानान्तर गिल्ड-संगठन से निकट सम्बद्ध रहेगा। कोल के अनुसार 'कम्यून' राज्य का विस्तार नहीं हाया। उम्मी यह मान्यता है कि वर्तमान राज्य का आधार प्रतिनिधि-शासन का गलत पिछान्त है, जिसके अनुसार वास्तव में ऐसा है नहीं। कोई व्यक्ति दिनी एक हिन तथा हिनो का प्रतिनिधित्व कर सकता है। वास्तव में ऐसा है नहीं। कोई व्यक्ति दिनी एक हिन तथा हिनो का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसीलिए कोल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व (Functional Representation) का समर्थक है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार ही स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय 'कम्यूनों' की रचना होगी।

'कम्यून' प्रत्येक स्तर पर उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करेगे। एक समाज विशेष के सदस्यों को उत्पादकों के नाते विभिन्न औद्योगिक गिल्डों में संगठित किया जाएगा जो स्थानीय गिल्ड-सभा में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। विभिन्न नागरिक कार्यों को करने के लिए लोगों द्वारा 'बहुत से नागरिक गिल्डों में संगठित किया जाएगा। वे उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक सहकारी परिषद्, जैसिक उद्योगों के लिए एक सांस्कृतिक परिषद्, एक स्वास्थ्य परिषद्, एक सामूहिक उद्योगिना-परिषद् तथा सम्बन्ध ऐसी ही कुछ और परिषदों का निर्माण करेंगे। इन विभिन्न औद्योगिक एवं नागरिक गिल्डों द्वारा परिषदों के प्रतिनिधियों के योग से स्थानीय कम्यून की रचना होगी जो एक सामजस्यकारी सत्या और एक भ्रष्टाचारी न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। प्रादेशिक औद्योगिक एवं नागरिक गिल्डों के प्रतिनिधियों वे योग से प्रादेशिक कम्यून स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार एक राष्ट्रीय गिल्ड की स्थ पना होगी जिसमें औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी तथा नागरिक राष्ट्रीय गिल्डों, आयिक और नागरिक राष्ट्रीय परिषद् एवं प्रादेशिक कम्यूनों के प्रतिनिधि मिशनित होंगे। स्पष्ट है कि कम्यूनों का संदेश व्यावसायिक आधार हाना चाहिए, यद्यपि कुछ हद तक इसमें दोनीय प्रतिनिधित्व का भी समावेश हो सकता है।

अब प्रश्न उठता है कि स्थानीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय समूहों के सम्बन्ध में कम्यून के क्या कार्य होने चाहिए। इन कार्यों को कोकर के अनुसार मोटे रूप में पाँच श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—

1. “कम्यून दो राजस्व सम्बन्धी (Financial) मामलों में व्यापक अधिकार होगे जिनमें मूल्यों का अन्तिम नियन्त्रण भी शामिल है। कोल ने दुष्प्रवितरण सम्बन्धी उदाहरण देकर इस नियन्त्रण-व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। दुष्प्रवितरण करने वाली गिल्ड-उपभोक्ता सहकारी-समिति दुष्प्र की कीमत तय करेगी। यह कीमत इन बातों को ध्यान में रखकर निश्चित की जाएगी कि दुष्प्र-वितरण गिल्ड कृषि गिल्ड को दूष्प का क्या मूल्य देता है और वितरण में क्या व्यय होता है? यदि दोनों सहमत हो जाते हैं तो कीमत घयवा मूल्य का निर्धारण हो जाता है। मतभेद की स्थिति में यह प्रश्न कम्यून के पास निरांय के लिए जाएगा। कम्यून को यह निर्धारण अधिकार होगा कि वह ‘सामाजिक कारणों’ से मूल्य को कम या अधिक कर दे और इसके परिणामस्वरूप होने वाला हानि या लाभ का उचित रूप से विभक्त कर दे। कम्यून को राजस्व-सम्बन्धी एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकार यह होगा कि वह विविध उद्योगों और सेवाओं में राजस्व के साधनों अर्थात् स्रोतों का वितरण करेगा। इस अधिकार का प्रयोग प्रमुखत विभिन्न गिल्डों के बजटों में संशोधन करने की शक्ति के माध्यम से होगा। सम्बन्धित गिल्डों एवं हितों दो बजट सम्बन्धी बहुत भ भाग लेने और अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवतर प्राप्त होगा। इन अधिकारों में ये दो राजस्व अधिकार भी सम्मिलित होंगे (क) कर-निर्धारण—प्रत्येक गिल्ड पर कुछ कर लगाया जाएगा। गिल्ड को अपने सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से कर लगाने या नियत धन-राशि को अर्थ प्रवार से एकत्र करने का अधिकार होगा, (ख) छह एवं अन्तिम नियन्त्रण—धारे बैंकों का सचालन विविध गिल्ड करे या गिल्ड कांग्रेस करे।”<sup>1</sup>

2. ‘यदि व्यावसायिक संघों घयवा समुदायों के मध्य ऐसे नीति सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित हो जिनका समाधान गिल्ड कांग्रेस या गिल्ड कौसिले न कर सके तो उनका निराकरण घयवा निरांय कम्यून करेगा।’

3. “विभिन्न व्यावसायिक संघों के द्वीच सत्ता विभाजन का अधिकार कम्यून का होगा। यह काय वह वैधानिक कानूनों के निर्माण हारा करेगा जो इन सम्यायों के क्षेत्र का निर्धारण करेंगे और अपनी न्याय-व्यवस्था हारा ऐसे कानूनों दी व्याप्ति और उनके कार्यान्वयन सम्बन्धी विवादों का निराय करेगा।’

4. ‘कम्यून ऐसे सामाजिक मामलों की भी व्यवस्था करेगा जो दिसी भी व्यावसायिक सत्ता के अन्तर्गत नहीं आते, जैसे, युद्ध एवं शान्ति की घोषणा, सशस्त्र सेवाओं का नियन्त्रण, वैदेशिक सम्बन्धों का नियन्त्रण, नगरों, कस्बों तथा प्रदेशों की सीमायों का निर्धारण एवं व्यक्तिगत सम्बन्धों य निजी सम्पत्ति के सम्बन्धों का नियन्त्रण।’

1. शोबर अर्थ क ८३१ वित्त वित्तन, पृष्ठ 295.

5 कम्यून के पास व्यक्तियों तथा व्यवसायिक सम्बंधों को अपने कानूनों द्वारा नियंत्रण का पालन करने के लिए बाध्य करने की सत्ता भी होगी। व्यक्तियों के विरुद्ध दमन का प्रयोग फोजदारी विधि के अनुसार किया जाएगा। समुदायों के विरुद्ध दमन का प्रयोग आधिक बहिलकार का रूप प्रहरण करेगा। कोल का कथन है कि 'दमन का प्रयोग अन्तिम अस्त्र के रूप में किया जाएगा।' उसे यह आशा थी कि गिल्ड समाज में जहाँ मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होगा, समृद्धि के साथ-साथ दमनकारी गरीबी नहीं होगी और जहाँ अधिकारों तथा कर्तव्यों की न्यायपूर्ण प्रवस्था और आत्माभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर मुकदमबाजी तथा अपराध की प्रवृत्ति को बहुत कम कर देंगे और बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी।

स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय कम्यूनों के योग से एक एकल ढाँचा खड़ा कर जिसमें समाज की सामाजिक भावना अभिव्यक्त होती है कोल की व्यवस्था हॉब्सन के समान से बहुत भिन्न नहीं रह जाती। यद्यपि वह उसे राज्य की सज्जा नहीं देता तथा इस घारणा का खण्डन दरता है कि राज्य समस्त अधिकारों का अन्तिम स्रोत है।

उत्पादन और वितरण के विभिन्न साधनों पर हॉब्सन और कोल दोनों सार्वजनिक अर्थात् राज्य का या समाज का स्वामित्व स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनके प्रबन्ध की काम, व्यक्तिगत उद्योगों की भाँति ही, विविध गिल्डों के कार्यालयों के हाथों में ही रखने के समर्थक थे। राज्य (अथवा कम्यून) की व्यक्तिगत आधिक व्यवसायों पर कर-निधारण तथा मूल्य, वेतन और काम की शर्तों के विभिन्न प्रकार के नियमन द्वारा नियन्त्रण रखना होगा। कर-निधारण में (हॉब्सन के अनुसार) राज्य या (कोल के अनुसार) कम्यून विभिन्न गिल्डों पर एकमुश्त रकम के रूप में कर लगाएगा। वस्तुओं के मूल्य स्वयं गिल्डों द्वारा अलग-अलग प्रथवा विविध गिल्डों के प्राप्ती समझीते द्वारा निश्चित होंगे, लेकिन जहाँ कोल आमाजिक हित में मूल्य पर पुनर्विचार करने और मूल्य-निधारण का कार्य कम्यून राज्यकारी हित में सौंपता है, वहाँ हॉब्सन का विचार है कि मूल्य नियन्त्रण पर राज्य की सत्ता कर के रूप में अतिरिक्त आय को प्राप्त करने की नीति के कलस्वरूप अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होगी।" काम के लिए पारिश्रमिक देने के बारे में हॉब्सन और कोल दोनों ने जहाँ प्रारम्भिक नियंत्रण का अधिकार गिल्ड को दिया, वहाँ पुनर्विचार का अधिकार राज्य और कम्यून को दिया।

अन्त में, यह कहा जा सकता है कि कोल वा कम्यून हॉब्सन के परम्परागत राज्य से कुछ कम प्रमुख सम्पत्ति प्रतीत नहीं होता। लेकिन दोना विचारकों की आशा थी कि श्रेष्ठी समाजवादी समाज में स्वेच्छावारी अर्थात् वार एवं दमनपूर्ण राजनीतिक सत्ता के प्रयोग की प्रवृत्ति अत्यन्त लीण होगी।

गिल्ड समाजवाद के साधन

(Methods of Guild Socialism)

श्रेष्ठी समाजवादियों में जिस न रह भावी सामाजिक व्यवस्था के विनाश पर

मतभेद हैं उसी तरह अपने उद्देश्य-सिद्धि के साथनों के विषय में भी ऐ एकमत नहीं हो सकती, क्योंकि (1) पूँजीवाद में यह धर्मसम्बद्ध नहीं होगा कि सभी श्रमिक दर्द एक साथ मतदान करे और वहाँ उनमें द्वेषीय वेतनापूर्ण छहमत कभी शासन पर नियन्त्रण प्राप्त करले, (2) यदि कभी ऐसे शासन को स्वापना हो भी जाए तो भी वांछित परिवर्तन संसदीय तरीकों द्वारा एक शताब्दी से पहले लाना शायद सम्भव नहीं होगा, (3) राज्य का वर्तमान संगठन किसी भी ऐसे कार्य को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है जिससे समाज की रचना में आधारभूत परिवर्तन लाया जा सके, राजनीतिक उपायों द्वारा वांछित परिवर्तन के लिए यदि प्रवास भी किए जाएं तो उसके प्रत्युत्तर में शासक-दर्द शान्ति-विरोधी कार्यवाही करेगा, एवं (5) वह मूलभूत कारण, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक उपायों द्वारा समाज में वांछित परिवर्तन या सकेंगे, यह है कि वांछित परिवर्तन राजनीतिक न होकर भाष्यिक है। परन्तु श्रेणी समाजवादी राजनीतिक साधन का पूर्णत बहिष्कार नहीं बरते। श्रमिक दर्द को शिक्षित करने और पूँजीवाद की गति को रोकने के लिए उसे एक उपयोगी साधन के रूप में अपनाते हैं।

इसलेख में उत्पन्न होने के कारण श्रेणी समाजवाद विकासवादी समाज भी एक शाखा है जो कभी शान्तिकारी नहीं हो सकता। समूहवाद (Collectivism) की तरह वह शान्तिपूर्ण और प्रहित्सक उपायों द्वारा समाजिक व्यवस्था के परिवर्तन में विश्वास करता है और सधवादियों की रक्तरबित शान्ति तथा हड्डतालों की प्रणाली को राष्ट्र के लिए हानिकारक समझता है। श्रेणी समाजवाद वंशानिक उपायों (Constitutional Methods) में विश्वास करता है और चाहता है कि श्रेणी समाजवादी सोकप्रिय बनकर सरकार में पहुँचे और अपनी योजना को कार्य हृष में परिणत करें। वह यह मानता है कि पूँजीपतिया संशने-शने सत्ता पूँजी तरह छीनी जा सकती है। यह विकासवादी समाजवाद श्रमिकों का कल्याण चाहता है और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जो उनके लिए धनत में हानिकारक सिद्ध हो। श्रेणी-समाजवादी तरीके के विषय में प्रो कोल का कथन है कि “शीघ्रता से शान्ति लाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि विकासवाद के मार्ग द्वारा उन सब शक्तियों को दूढ़ करना जिससे भावी शान्ति एक की दर्द न होकर समाज की क्रियाशील वृत्तियों का एक शान्तिम परिणाम व प्राप्त तथ्य-सी मालूम हो।”

गिल्ड समाजवादियों द्वारा अनुमोदित भाष्यिक साधन उस प्रत्यक्ष वार्यवाही (Direct Action) से भिन्न हैं जो समाजवादी योग्योगिक क्षेत्र में अपनाते हैं। इसमें तोड़-पोड़, हड्डताल आदि को स्थान नहीं है। यह मूलत विकासवादी है शान्तिकारी नहीं, यद्यपि कमिक हास का दिरोध करने पर कोन पूँजीवादियों से वनपूर्दक समर्पति व हड्डपने की सम्भावनाओं में इकार नहीं बरता। यह उन्नेलेखनीय है कि कुछ गिल्ड समाजवादियों ने वर्तमान व्यवस्था को शान्तिकारी ढंग से समाप्त करने के प्रयत्न का भी अनुमोदन किया है, लेकिन कोन का तर्क है कि वर्तमान विभिन्न शक्ति क बल पर पूँजीवाद का विनाश करने से बहुत लम्बा समय लग

जाएगा, भल यही उचित है कि अधिक सब आर्थिक शक्ति का प्रयोग करते हुए विभिन्न क्रमिक अधिकार प्राप्त करने की नीति का अनुसरण करें।

जिन उपायों से गिल्ड समाजवादी शनै शनै पूँजीवादी व्यवस्था को बदल कर गिल्ड समाजवादी-समाज की स्थापना करना चाहते हैं, वे इस प्रकार हैं—

**1. क्रमशः अधिकार स्थापित करने की नीति (The Policy of Encroaching Control)**—सामाजिक दौने में ट्रेड यूनियनों वो उपयोगी बनाने के लिए उनके समाजन में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने चाहिए। उनका समाजन शिल्पकला की अपेक्षा उद्योग के आधार पर होना चाहिए और उनकी सदस्यता का पर्याप्त विस्तार होना चाहिए ताकि उनमें अधिकारी असंगठित और अकुशल अधिक, लिपिक, प्राविधिक कर्मचारी और प्रबन्धकण्ण सभी सम्मिलित हो सकें। समस्त ट्रेड यूनियनों को एक निकाय में समिति किया जाना चाहिए जिसमें विविध उद्योगों और सेवाओं के लिए आन्तरिक रूप से स्वतन्त्र स्थानें हों। साथ ही ट्रेड यूनियनों का विस्तार इस सीमा तक किया जाना चाहिए कि अम-वाजार पर उनका एकाधिकार स्थापित हो जाए। अपने समाजन को शक्तिशाली बनाकर मजदूरों में अधिक नियन्त्रण हो जाए। अपने समाजन को अधिकारी वाजार पर होना चाहिए। श्रेणी व्यवस्था (Encroaching Control) की नीति का अनुसरण करना चाहिए। श्रेणी व्यवस्था के अन्तर्मत प्रत्येक उद्योग के सब कर्मचारियों को, चाहे वे अमजीबी हों या बुद्धिजीवी, एक गिल्ड होंगी जिसमें चपरासी से लेकर मैनेजर तक सभी सम्मिलित होंगे। इस तरह इन समितियों का समाजन बर्तमान ट्रेड यूनियनों से अधिक व्यापक होगा, भल उन पूँजीपति सरलता से इनकी मांगों को ठुकरा नहीं सकेंगे। पूरे समाजन की शक्ति के पूँजीपति एवं सेवालन सम्बन्धी सभी अधिकार अपने हाथ में लेंगे और उद्योगों पर मजदूरों की स्वायत्ता स्थापित हो जाएगी। प्रो कोकर के अनुसार, 'शनै-शनै प्रबन्ध एवं सेवालन सम्बन्धी सभी अधिकार अपने हाथ में लेंगे और उद्योगों पर मजदूरों की स्वायत्ता स्थापित हो जाएगी।' प्रो कोकर के अनुसार, 'शनै-शनै प्रबन्ध एवं सेवालन सम्बन्धी सभी अधिकारों को हस्तांतर कर मजदूरों के हाथ में सौंप देने से है।'

**2. सामूहिक ठेका (Collective Contract)**—उपर्युक्त पद्धति में मिलती-जुलती पद्धति ठेके की है। इसका उद्देश्य पहले मिल-मालिकों से सामूहिक ठेके के रूप में काम लेकर शोधता से अल्प समय में काम समाप्त कर मिल मालिकों से अपने पूरे पैसे ले लेना है। सामूहिक ठेके व्यावसायिक श्रेणियों या गिल्डों द्वारा लिए जाएंगे। इस पद्धति का उत्तम लाभ यह है कि मजदूर स्वयं अपना प्रबन्ध करेंगे और इस तरह उद्योगपतियों के अनुचित हस्तक्षेप से दूर रह सकें। बस्तुओं के उत्पादन में समय की बचत भी होगी तथा पूँजीपतियों से व्यर्द का संघर्ष भी नहीं हो पाएगा।

**3. औद्योगिक प्रतियोगिता (Industrial Competition)**—मजदूर सब सामूहिक सहयोग के आधार पर पूँजीपतियों की प्रतियोगिता में स्वयं उद्योगों की स्थापना करेंगे तथा स्वयं गिल्ड समाजन जैसे उद्योगों का प्रबन्ध और सेवालन बरेंगे।

इन गिरडों के संगठन द्वारा मजदूर उद्योगपतियों को भ्रपने समक्ष झुकाने में समर्थ हो सकेंगे। गिर्ड समाजवादी प्रचार और विज्ञान में भी विश्वास करते हैं क्योंकि इससे समाजवादी विचारधारा जननिय बनती है और मजदूरों में संगठन तथा स्वावलम्बन की भावना जाग्रत होती है।

### श्रेणी-समाजवाद : आलोचनात्मक मूल्यांकन

श्रेणी-समाजवादी आनंदोलन लगभग 20 वर्ष तक अस्तित्व में रहा। यह सन् 1906 में पेटी के ग्रन्थ 'Restoration of Guild System' के प्रकाशन से प्रारम्भ हुआ और सन् 1925 में 'National Guild League' के विघटन के साथ ही समाप्त हो गया। 'National Guild League' की असफलता इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सेंदान्तिक दृष्टि से बहुत कुछ उपयोगी और स्वस्थ होते हुए भी श्रेणी-समाजवाद अव्यावहारिक विचारधारा है जिसकी दुर्बलता इतिहास द्वारा चिढ़ हो चुकी है। फिर ऐसे आलोचकों की भी कमी नहीं है जो इस मध्यममार्गी समाजवाद की नेंदान्तिक दृष्टि से भी आलोचना करते हैं।

1 लैट्टर (Laidler) के अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आद्युनिक जटिल समाज में मध्यकालीन श्रेणी-व्यवस्था को लागू करना असम्भव सा है। मध्य युग में ही जब गुटवन्दियों के कारण श्रेणी-व्यवस्था का पतन हो गया तो आज के युग में गडे भुवें उखाड़ने से कोई लाभ नहीं।

2 उत्पादन पर प्रत्यधिक व्यापार देने का अर्थ अन्य महत्वपूर्ण मामलों में अभिवृचि कम बरना है।

3 उद्योगों के नियन्त्रण-मण्डलों में उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व न देना अलोकता-श्रक भावना और असमानता को प्रोत्साहन देना है।

4 समाज में राजनीतिक प्रश्नों तथा आधिक प्रश्नों जैसा स्पष्ट और निश्चित विभाजन नहीं हो सकता। व्यवहारत दोनों में चोली-दामन का साथ है।

5 सुसदीय व्यवस्था सर्वथा अव्यावहारिक है। श्रेणी समाजवाद के अनुसार राजनीतिक ससद का संगठन प्रादेशिक आधार पर और अनाधिक ससद का व्यावसायिक आधार पर होगा। पहली ससद राज्य का अग होगी, दूसरी श्रेणी-व्यवस्था की। यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों के बीच मध्यर्य और विवाद किस प्रकार हल हो सकेंगे। अन्तिम सत्ता राज्य को ही सौंपनी होगी जिसका अभिप्राय होगा श्रेणियों व्यवस्था संघों की स्वाधीनता तथा स्वायत्तता पर अकुश। बस्तुतः श्रेणी-समाजवादी व्यवस्था एक परस्पर विरोधी व्यवस्था है जो एक और तो आधिक स्वायत्तता चाहती है और दूसरी और राजनीय हस्तक्षेप।

6 उत्पादन पर अधिक संघों का पूर्ण अधिकार होने से उनमें अनुशासन-हीनता, अप्टाचार आदि दुर्गुण पर्याप्त और अन्त में वीदोगिक धोके में गतिहीनता द्या जाएगी। कार्यात्मक प्रेरणा के अभाव के कारण अधिक कठोर परिश्रम से जी भुराएंगे और उत्पादक स्पष्ट स्वार्थ-भावना के वशीभूत होकर जनता का शोषण करने लगेंगे।

7. समाज में सुख-शान्ति के लिए आवश्यक है कि संस्थाओं का अनावश्यक विस्तार न हो। संस्थाओं की बहुतता समाज में व्यर्थ की प्रतियोगिता को जन्म देगी तथा राष्ट्रीय हिंसा अनेक संघों के अधीन हो जाएगी।

8. कम्यूनी के लिए गतिरोध और सन्तुलन का जो सिद्धान्त प्रस्तावित किया गया है उससे कारण दे बहुत से निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। गिर्ल कम्यून्स जनता को विभिन्न हितों के शाधार पर सायठिन करेंगे, एक कम्यून को दूसरे कम्यून पर हावी होने का अधिकार प्राप्त होगा और किसी भी व्यक्ति को अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सामान्य हिनों को भी उचित महत्व नहीं मिल सकेगा।

9. शेषीय प्रतिनिधित्व वा स्पष्टन करके व्यावसायिक सिद्धान्त की पुष्टि की बात भी उचित प्रतीत नहीं होती। ससद सदस्यों का कार्य अपने निर्दृचकों के विशिष्ट हिनों की रक्षा करने के बजाय सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है। उन्हे व्यावसायिक आवार पर चुनने से ससद का राष्ट्रीय स्वरूप नष्ट हो जाएगा। वह विरोधी हितों के प्रतिनिधियों की एक विजातीय (*Heterogeneous*) सभा मात्र बन जाएगी।

10. जब समाज के वास्तविक स्वरूप अर्थात् मूल उद्देश्य के बारे में ही थे एसी समाजवादी एकमत नहीं हैं तो अस्पष्ट और अनिश्चित माग पर समाज को ढंगेलने का प्रयत्न करना सर्वथा अनुचित है।

अपनी अव्यावहारिकता के कारण थे एसी समाजवादी व्यवस्था मर चुकी है। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इसने निटेन और सयुक्तराज्य अमेरिका के सामाजिक तथा ग्रीष्मांगिक जीवन में भारी कान्ति की। इसके प्रभाव से दोनों देशों के राष्ट्रीय उद्घोग के प्रशासन में काफी परिवर्तन हुए। मालिकों और मजदूरों के समुक्त प्रतिनिधियों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हुए। राजनीतिक दृष्टि से समाज में अनेक संघों की आवश्यकता पर बल देकर थे एसी समाजवाद ने आस्टीनियन विचार को आधात पहुँचाया और बहुलवादी सिद्धान्त को विकसित किया। थे एसी समाजवादियों ने समविचाद में बढ़ने वाली नौकरशाही के खतरों की ओर भी स्पष्ट सकेत दिया। विशेष महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने आयिक और राजनीतिक प्रश्नों पर विद्वानों को एक माग दोचने के लिए विवश कर दिया। मजदूर पढ़ति के दोषों को प्रकट कर तथा लाभ के स्वान पर सामाजिक उपयोगिता के उत्पादन घेया पर बल देकर थे एसी समाजवाद ने अस्थन्त उपयोगी काम किया। पुनर्शब्द यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि थे एसी समाजवादियों ने अमिक और मन्धर परिवर्तन का पद लिया समाज को खतरे में डालने वाले आकृत्मिक परिवर्तनों का नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट भवेत दिया कि राजनीतिक विचारधाराओं को कभी भी एकीगी आवश्यक समाजवादी नज़ी होना चाहिए। अव्यावहारिक दृष्टि से सफल होने के लिए प्रत्येक राजनीतिक सिद्धान्त का समन्वयपूर्ण होना आवश्यक है।

## फेबियन समाजवाद (Fabian Socialism)

कालं मावर्स ने अपन जीवन के अन्तिम 30 वर्ष सन्दर्भ में बिताए और उसकी अधिकांश रचनाओं का प्रकाशन भी वही से हुआ, किन्तु उसके सिद्धान्त इंग्लैण्ड की भूमि में अपनी जड़े नहीं जमा सके। ग्रे के शब्दों में हस्त म सन् 1917 की दोषेविक क्रान्ति और सोवियत पद्धति की स्थापना के बाद ही मावर्स रेनिन के कन्धों पर सवार होकर, इंग्लैण्ड वापस आ सका।

इंग्लैण्ड में मावर्सवादी सिद्धान्त अपनी जड़ें वयों नहीं जमा सके और अप्रेज जाति अपनगामी समाजवाद से वयों प्रभावित नहीं हो पाई, इसके अनेक कारण हैं। एक कारण तो यह है कि राष्ट्रीय विशेषताओं और ऐतिहासिक मनुभव के संयोग से अपेक्षों का प्रधानत व्यक्तिवादी दृष्टिकोण तथा ध्यावहारिक एवं समझौतावादी स्वभाव बन गया है, किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सन् 1865 से 1885 तक इंग्लैण्ड में महान् परिवर्तन हो चुके थे। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैण्ड में अधिकों को अधिक वेतन मिलने लगा था। अमिकों की न केवल राष्ट्र की बढ़ती ही सम्पन्नता में सहभागिता थी बल्कि पूर्वप्रिक्षा अधिक संगठित थे। उनके द्वे यूनियन संघठन को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई थी। सन् 1867 के अधिनियम द्वारा अमिकों को मताविकार भी प्राप्त हो गया था। उन्हें भाषण तथा सभा प्रादि की स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई थी। इस तरह कूल मिलाकर अमिक अपनी वर्तमान दशा से अत्यधिक असन्तुष्ट नहीं थे। ओवन (Owen) के समय का वह इंग्लैण्ड, जो एक पीड़क वर्गतंत्र था प्रब जनतन्त्रवादी रूप घटहट करने लगा था। इन परिवर्तित परिस्थितियों में मावर्सवाद का साझोधित स्वरूप ही अपेक्षी जाति की कुछ प्रभावित कर सकता था। यह कहना उपयुक्त होगा कि कट्टर मावर्सवाद की अपेक्षा प्रजातान्त्रिक एवं विकासवादी समाजवाद इंग्लैण्ड की भूमि के लिए प्रधिक उपयुक्त था।

सन् 1800 के बाद के दशों में इंग्लैण्ड में अनेक घटनाओं और परिस्थितियों से प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्राप्त कर नाना समाजवादी धाराओंनो का उदय हुआ। विभिन्न समाजवादी विचारधाराओं के प्रचार एवं प्रसार के लिए अनेक सारथाएं स्थापित हुईं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण सास्थाएं थी—समाजवादी प्रजातान्त्रिक नाय (Social Democratic Federation) समाजवादी परिषद् (Socialist League) स्वतन्त्र मजदूर साप (Independent Labour Party) तथा फेबियन सोसाइटी (Fabian Society)। समाजवादी प्रजातान्त्रिक साप इंग्लैण्ड की प्रथम मावर्सवादी मास्या थी जिसकी स्थापना सन् 1881 म हुई। इसी स्थापना करने वालों में प्रमुख थे—एच एन हिटमैन, कवि और कलाकार त्रिसियम मॉरिस, हेलेन टेटर (जॉन स्टुपर्ट मिल की पुत्री), कवि दार्शनिक और इतिहासकर बेलफोर्ट नक्न, मावर्स की सबसे छोटी पुत्री इवियानोर मावर्स एवेलिंग तथा उसक। पति एडवर्ड एवेलिंग। “यह साप आरम्भ से ही समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति के एवं मात्र

प्रभावकारी साधन के रूप में उत्साहयुक्त 'वर्ग-गुद' में अपना विश्वास प्रकट करता था, किन्तु उसकी ओर से यह कभी स्पष्ट नहीं किया गया कि उस वर्ग-गुद का स्वरूप क्या होगा। अपने उद्देश्यों की परिवर्ती धोयणाम्रो में यह सध समस्त समाज के हित में सामूहिक अधिकारवादी प्रजातान्त्रिक समाजवादी आदर्श के निकट पहुँच गया। यह सध अपने सिद्धान्त तथा व्यावहारिक कार्यक्रम में इनना सामजस्य स्थापित नहीं कर सका कि विनुद्ध मार्क्सवादी तथा सुधारवादी अथवा राज्य-समाजवादी दोनों में से कोई भी सन्तुष्ट हो सकता। इस कारण इसके दक्षिणाधी (Right) तथा बामपक्षी (Left) मदस्य पृष्ठक हो गए। इम सध ने समाजवाद के सम्बन्ध में सूचनात्मक साहित्य का प्रसार अवश्य किया और समाजवादियों के राजनीतिक सांगठन के ग्रान्डेतनों में सहायता दी किन्तु इन सब के सदस्य सदा घोड़े ही रह और आज इसका प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम है।<sup>1</sup>

समाजवादी परिपद (Socialist League) की स्थापना सन् 1884 में मॉरिस, एवरिंग वेंड्स आदि न की थी। ये व्यक्ति पहले समाजवादी प्रजातान्त्रिक सध के सदस्य थे, परन्तु बाद में कुछ व्यक्तिगत विवादों एवं सौदान्त्रिक मतभेदों के कारण उनसे पृष्ठक हो गए थे। इस छोटी और अल्पबीमी सम्प्रयोग के विचारों में एकता कभी नहीं रही। कुछ सदस्य मासदीय पद्धति के समर्थक थे तो कुछ इसके विरोधी, कुछ के विचार अराजकतावादी थे तो कुछ अराजकतावाद और सुधारवाद दोनों के विरोधी थे। इस सम्प्रयोग के सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य मॉरिस ने सन् 1889 में अपनी मदन्मत्ता में त्रायगपत्र देदिया और कुछ वर्षों बाद यह सम्प्रयोग ही समाप्त हो गई। स्वतन्त्र मजदूर दल (Independent Labour Party) की स्थापना उत्तरी इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड की स्थानीय मजदूर-पार्टियों के प्रतिनिधियों तथा समाजवादी प्रजातान्त्रिक सध और केवियन सोसायटी के कुछ प्रतिनिधियों के सहयोग से सन् 1893 में हुई। यह दल अन्य पूर्ववर्ती समाजवादी नस्याम्रों की प्रपक्षा मिदान्तो पर अड़ा रहने वाला कम और समझौतावादी अधिक है, किन्तु केवियन सोसायटी की अपेक्षा यह अधिक प्रगतिशील नमाजवादी रहा है। इस दल ने सन् 1900 में क्रिटिश मजदूर दल की स्थापना में प्रमुख भाग लिया और उस दल के अधिकांश नेता इसी दल के रहे हैं।

इन्हें में जिन उपर्युक्त सम्प्रयोगों की स्थापना हुई, उन सबमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण सम्प्रयोग 'केवियन सोसायटी' है जिसका समाजवाद के पक्ष में अवस्थापन और जनमन पर भारी प्रभाव पड़ा है। इसके प्रभाव की तुलना सन् 1830 के बाद बैन्यमवाद के प्रभाव से को ज्ञात नहीं है।

### स्थापना एवं कार्यक्रम

केवियन सोसायटी, जो कि केवियनवाद की प्रवर्तन है, जनवरी सन् 1884 में कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्थापित जी गई जो वर्षों से सामाजिक नीतिशास्त्र की

मौजूदा समस्याओं पर विचार करने तथा बाद-विवाद करने के लिए एकत्र होते थे। यह सोसायटी एक कलब या गोष्ठी के रूप में स्थापित हुई जिसके सदस्य धरकारा के समय राष्ट्रीय और सार्वजनिक, बातों पर विचार-विनिमय किया करते थे। इसके सदस्य उच्चकोटि के प्रतिभाशाली विद्वान् स्त्री-भूख ये जिन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र भूमिकर-निर्धारण तथा समाजवाद आदि विषयों का अम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया था। उन पर मुख्य रूप से हेनरी जॉर्ज के लिदान्त, मार्क्स के सिदान्तों की विविध विद्याव्याख्यायों और जॉन स्टुपटे मिल के व्यक्तिवाद के सिदान्त के घट-हांगत विकसित, समविकाद (Collectivism) का प्रभाव पड़ा था। सितम्बर, 1884 में जॉर्ज बर्नार्ड्सन ने इस सोसायटी की सदस्यता स्वीकार की और कुछ समय प्रश्नवात् सिडनी वेब (Sydney Webb) इसका सदस्य बन गया। ये दोनों ही सोसायटी के सबसे प्रभावशाली और सत्रिय सदस्य सिद्ध हुए। इस सोसायटी के अन्य प्रमुख सदस्य सिडनी ओलिवर (Sydney Oliver), ग्राहम वॉलास (Graham Wallas), श्रीमती एनीबेसेंट (Mrs Annie Besant), श्रीमती सिडनी वेब (Mrs Sydney Webb), जे. कैम्पबेल (J. Campbell), हेडलाम (Headlam), जे. मार. मेक्कोनाल्ड (J. R. Mac Donald), पीस (Pease), एच. जी. वेल्स (H. G. Wells), हेरोल्ड लास्की (Herold Laski) आदि थे।

आरम्भ में फेबियन सोसायटी की प्रार्थीय नगरों में अपने को शास्त्राएँ थी जिनके अधिकतर सदस्य मजदूर थे, परन्तु बाद में जब समाजवादी मजदूर स्वतन्त्र मजदूर दल में सम्मिलित हो गए तो वे भग हो गई। कुछ वर्ष बाद उसकी शास्त्राएँ विद्यविद्यालयों में छुलीं। इस सोसायटी में सम्मिलित सुधारकों का उद्देश्य यह था कि इंगलैण्ड में समाजवाद का प्रचार किया जाए और ब्रिटेन की राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरेकारों पर समाजवादी कायंक्रम अपनाने के लिए दबाव ढाला जाए। सोसायटी ने अपने लिए जो फेबियन नाम चुना, वह रोम के उस फेबियस कवटेटर (Fabius Conciliator) नामक जनरल के नाम पर रखा गया जिसकी रणनीति देरी करके या परेशान करके शत्रु को हराने की थी। इस नीति का सर्वोत्तम बर्णन सोसायटी द्वारा प्रकाशित कुछ प्रारम्भिक रचनाओं में पाया जाता है—

“आपको उसी प्रकार उपर्युक्त भवतर की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार हेनीबाल से युद्ध करते समय फेबियस ने को थी यद्यपि कुछ लोगों ने देर करने के लिए उसकी निन्दा की थी। परन्तु जब भवतर आ जाए तो आपको फेबियस के रामान जोरदार प्रहार करना चाहिए अन्यथा आपका प्रतीक्षा करना व्यर्थ एवं निष्पन्न होगा।”

स्पष्ट है कि फेबियन सोसायटी इस तरह ‘भवसरवादी विचारधारा समझी जाती है। फेबियनवाद का प्रमुख तत्त्व ‘ग्रामिक विकास’ (Gradualism) है, अर्थात् समाजवाद की प्राप्ति अनेक-अनेक और ग्रामिक रूप से होती है। प्रो. कोकर के शब्दों में, “इस सोसायटी का उद्देश्य समस्त शिलित मध्यवर्गीय जनता में अपनी समझ के अनुसार समाजवादी सिदान्त का प्रसार करना और ब्रिटेन में समाजवादी

सिद्धान्त को शनै-शनै व्यावहारिक रूप देने के लिए राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारों से अनुनय करना है।” फेदियनवादी वर्ग सधर्वं के आन्तिकारी सिद्धान्त के स्थान पर तर्कसम्मत मुक्ति में विश्वास रखते थे और यह सर्वथा स्वाभाविक है कि मुक्ति और तर्क द्वारा काम करने में अवश्य ही समय लगता है। व्याख्यानों और प्रकाशनों द्वारा प्रचार की पद्धति इसलिए अपनाई गई थी ताकि समाजवाद के बारे में मध्यम वर्ग की शकाएँ दूर हो जाएँ और एक साधारण व सभान्न अप्रेज के लिए समाजवादी बनना उतना ही सरल एवं स्वाभाविक हो जाए जितना एक उदारवादी धर्मवा बनना उतना ही सरल एवं स्वाभाविक हो जाए जितना एक उदारवादी धर्मवा रुदिवादी होना। फेदियनवादी एक अन्य प्रमुख कार्यं यह करना चाहते थे कि समाजवाद में दीक्षित हुए प्रधान मन्त्री द्वारा सम्बोध कार्यक्रम रखा जाए। अपने इन उद्देश्यों में उन्हें महान् सफलता मिली। यदि आज इगलेंड में कोई भी व्यक्ति समाजवाद को एक ध्वसात्मक विद्रोह नहीं समझता तो इसका श्रेय निश्चित रूप से फेदियन सोसायटी को ही है।

शुहू के फेदियन समाजवादी यह मानते थे कि “प्रतियोगिता की प्रणाली से सुख-सुविधाएँ कम व्यक्तियों को मिलनी हैं और अधिकांश जनता को कष्ट मिलता है, इसलिए समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे समाज के समस्त व्यक्तियों का सुख एवं कल्याण सुनिश्चित हो सके।” सितम्बर 1884 में जॉर्ज बर्नार्ड्झा ने फेदियन समाज का घोषणा-पत्र तैयार किया जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम घोषित किया गया था—

“फेदियन समाज च्छहता है कि समाज का यथाशीघ्र पुनर्गठन हो। हम यथाशीघ्र मूमि और श्रोदोगिक पूँजी पर से व्यक्तियों या वर्ग-विशेष का स्वामित्व हटाना चाहते हैं। तदुपरान्त हम मूमि और पूँजी को समाज के अधिकार में देने के पक्ष में हैं। केवल इस प्रकार ही देश के प्राकृतिक साधनों से समाज को लाभ हो सकता है।”

“समाज की माँग है कि पूँजी और मूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त हो।” किसी व्यक्ति विशेष को मूमि का लगान या किराया लेने का अधिकार नहीं।

पुा, “समाज की माँग है कि श्रोदोगिक पूँजी समाज को हस्तान्तरित कर दी जाए। चूंकि भूतकाल में उत्पादन के समस्त साधनों पर एक वर्ग का अधिकार रहा था, इसलिए समस्त श्रोदोगिक अन्वेषणों और समस्त अधिक मूल्य (Surplus Value) का पूर्ण लाभ पूँजीपति वर्ग को ही प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप श्रमिक वर्ग मन्त्री स्थिति के लिए पूँजीपति वर्ग पर पूर्णतः प्राप्तित बन गया।”

“यदि उपर्युक्त सुधार क्रियान्वित हो जाएँ अर्थात् श्रोदोगिक पूँजी और उत्पादन के समस्त साधनों पर सम्पूर्ण समाज का अधिकार हो जाए तो श्रमिकों की आय में किराएँ और व्याज की आय और बढ़ जाएंगी। इस प्रकार शनै-शनै सुस्त और निकम्मा पूँजीपति वर्ग स्वयं समाप्त हो जाएगा। उम दाँ के स्थान पर सर्वहारा वर्ग का जन्म होगा। ऐसे स्वतन्त्र समाज में कोई व्यक्ति किसी की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं कर सकेगा। किन्तु फेदियन समाज पूँजीपति वर्ग के साथ भी न्याय

करना चाहता है। समाज जो कुछ मुमालजा निश्चित करेगा, जमीदारों और पूँजीपतियों को उससे दूर नहीं गए विशेषाधिकारों के उपलक्ष में दिया जाएगा।”

“इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए फेब्रियन समाज चाहता है कि समस्त समाज में समाजवादी विचारों का प्रचार हो जिसके फलस्वरूप सारे विश्व में तदनुरूप राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हो। सभी जगह सभी स्त्री-पुरुषों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकार व्यक्ति और समाज के बीच आर्थिक समानता, नीतिक समानता और राजनीतिक समानता के आधार पर सम्बन्ध स्थापित हो।”

सन् 1887 में फेब्रियनवादियों ने अपने समाज का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया—

“फेब्रियन समाज समाजवादियों का समाज है, अत इसका उद्देश्य समाज का नय-गठन करना है। यह नव-गठन भूमि तथा उद्योग धन्धों को व्यक्तिगत तथा वर्ग-स्वामित्व से पृथक् कर समाज को उसका स्वामी बनाकर किया जाएगा जिससे सामान्य लाभ के लिए कायं हो। केवल इस रीति से ही प्राकृतिक तथा मानव अर्जित लाभों का समस्त जनता में समानता के आधार पर वितरण किया जा सकेगा।”

फेब्रियनों के अनुसार समाजवाद का ऐतिहासिक आधार (Historical Basis of Socialism)—अपने संद्वान्तिक सेक्षों में फेब्रियनों ने अपने समाजवादी सिद्धान्त के लिए ऐतिहासिक एव आर्थिक आधार स्थापित करने में मात्रसंवादी परम्परा का अनुसरण किया, लेकिन उन्होंने जो सामर्थी इतिहास तथा अर्थशास्त्र से ली वह मात्रसंहारा प्रयुक्त सामग्री से भिन्न थी। उनका विचार था कि इतिहास आज के समाजवाद की व्याख्या द्वारा यह सिद्ध नहीं करता कि प्रत्येक दस्तु पर आर्थिक अवस्थाओं का प्राधिपत्य रहता है, बरन् लोकतन्त्र और मानवजाद की ओर एक निरन्तर प्रगति को प्रकट करता है। समूचा इतिहास यह इग्नित करता है कि समाज स्थिर न होकर गतिशील है।

सिडनी वेब (Sydney Webb) ने कुछ विस्तार के साथ इस फेब्रियन विचार पर प्रकाश ढाला है कि इतिहास ‘लोकतन्त्र की अदम्य प्रगति’ और ‘समाजवाद की प्राय निरन्तर प्रगति’ को अवाधि प्रकट करता है। लोकतन्त्र की प्रगति के विषय में उसने बतलाया कि 19वीं सदी के आरम्भ में इंग्लैण्ड में मध्यादीनीय मताधिकार ने कुनीनवर्णीय मताधिकार पर विजय प्राप्त की और बाद के कानून द्वारा अन्य वर्गों को भी मताधिकार प्रदान किया। जहाँ मात्रसंहारी को इतिहास में केवल शोषित वर्ग का शोषक वर्ग के विरुद्ध सघर्ष और उसके परिणामस्वरूप अर्थिक वर्ग द्वी तानाशाही की स्थापना दिखाई दी, वहाँ सिडनी वेब इस परिणाम पर पहुँचा कि विभिन्न 100 वर्षों से यूरोप में समाजवाद की जो धारा प्रवाहित हो रही है उससे सोशलिज़मेंट की अवधारणा प्रगति हो रही है। इनिहास से वेब ने यह भी सिद्ध किया कि न केवल लोकतन्त्रवादी अवधारणा प्रगति हो रही है बल्कि समाज वा पुनर्गठन शर्म शर्म मानव-मन्त्रिदार द्वारा नवीन सिद्धान्तों को प्रहण कर सेने से ही हो रहता है। वेब जो अनुगाम इ-हान से यह सिद्ध हो जाता है—

1. महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लोकतन्त्रात्मक पद्धति द्वारा ही किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे परिवर्तन तभी सम्भव हैं जब सभी मनुष्य हृदय में उन्हें स्वीकार कर लें।

2. सामाजिक परिवर्तन सर्वे शर्ने-शर्ने: किए जाने चाहिए ताकि उनसे कोई प्रवृत्तस्था उत्पन्न न हो सके। प्रगति की गति की तीव्रता सामाजिक परिवर्तन की गति का भाषणण नहीं होनी चाहिए।

3. परिवर्तन जन-साधारण की दृष्टि से नेतृत्व होने चाहिए।

4. परिवर्तन साविधानिक एवं शान्तिपूर्ण ढंग से होने चाहिए।

सारीश यह है कि वेब के अनुसार इतिहास ने हमे यह सिखाया है कि समाजवाद का आवर्तन शर्ने-शर्ने: एवं शान्तिपूर्ण रीति से हुआ है और यह समाजवाद के सोकतन्त्रीय धारणे का धार्यक पहलू मात्र है। यह भावना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि लोकतन्त्र के अनिवार्य परिणामस्वरूप केवल जनता का उनके राजनीतिक संगठन पर नियन्त्रण ही नहीं होगा वरन् राजनीतिक संगठन के द्वारा धन के उत्पादन के साधन भी जनता के द्वयीन हो जाएंगे। खुले प्रतिस्पर्द्धी की घराजकता के हथान पर धीरे-धीरे संगठित सहयोग की भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी जिससे उत्पादन द्वारा समाज के अधिकाधिक फलाभ्य लाभान्वित होने।

वेब ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की। काल्पनिक जवाद समाज के विकास में केवल एक अग्रसा कदम है जिसे अठारहवीं जनाबदी की अद्याविक कान्ति द्वारा हुए परिवर्तनों ने अपरिहार्य बना दिया है। अद्याविक कान्ति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि उलादन के अधिकांश राधन व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयुक्त होने लगे थे जिसके कारण समाज का अधिकांश धन केवल थोड़े से व्यक्तियों के पास केन्द्रित हो गया था। इस उद्य व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का जन्म होना स्वाभाविक था। दार्शनिकी और मुख्यारको के प्रयत्नों के फलस्वरूप यह स्थिति आई कि कारखानों, सार्वजनिक स्वाल्प्य, लानों आदि के विषय में फ्रेनेक नियम पारित किए गए जिनसे पूँजीपत्रियों के शोयण में कमी आई। वेब (Webb) के ही शब्दों में—“एक समय या जबकि प्रत्येक जायं यहाँ तक कि सेना, जहाजीबेडा, पुलिस तथा न्यायालयों से सम्बन्धित कार्य भी व्यक्तिगत उद्योग-घर्षों के क्षेत्र में थे और व्यक्तिगत पूँजी लगाने के लिए वेब लेन समझे जाते थे, शर्ने-शर्ने: समाज ने अधिकांश रूप से अथवा पूर्ण रूप से इनको प्रपने अधीन कर लिया है और व्यक्तिगत शोयण का क्षेत्र कम हो गया है।” अर्थात् व्यक्तियों के दृष्टिकोण में भी शर्ने-शर्ने: अन्तर आया है और उन्हें यह प्रतीत होने लगा है कि स्वस्य समाज के अभाव में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। वेब के ही कथनानुसार—“तीस वर्ष पहले हब्बंट स्पेसर ने यह स्पष्ट किया था कि बतंमान लोकतन्त्रीय राज्य के साथ पूर्णरूप से व्यक्तिगत सम्पत्ति का मेल नहीं खाता। व्यक्तिगत उद्योगों में राज्य के इनशेप की त्रुटि से अनुतिसिप्ल प्रशासन के विकास से तथा समाज भाड़ (Rent) 15% को कंचोम की वृद्धि से राजनीतिज्ञ अनुकूल ही अन्तिवाई मिल्डन और ग्राउन्ड समाजवाद की

मोर घ्रावसर होते जाते हैं। जब तक राजनीतिक प्रशासन में लोकतन्त्रीय व्यवस्था का विकास होता रहेगा तब तक उसका प्रार्थिक लक्ष्य अनिवार्य रूप से समाजवादी होगा।”

चिह्नी वंड के कथन का सारांश यह था कि इलेंड में समाजवाद किसी कान्ति के परिणामस्वरूप उप्रति नहीं कर रहा है, प्रत्युत राजनीतिक लोकतन्त्र के विकास, धर्मसामित्रियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन और मुनिसिपलिटीज में उद्योग-घन्थों तथा सामाजिक कर्त्तव्यों के केन्द्रीकरण के कारण प्रगतिशील है। इलेंड का समाजवाद की ओर यह विकास लोकतान्त्रिक, क्रमिक, नैतिक, मन्त्रर गति एवं शान्तिपूर्ण प्रकृति का था।

फेडियनों के घनुसार समाजवाद का घोषणागिक धारा (Industrial Basis of Socialism) —फेडियनों ने समाजवाद का घोषणा घाघार भी प्रस्तुत किया। विलियम क्लार्क नामक एक फेडियन ने घपने निबन्ध, इस बात पर बल दिया कि यदि पूँजीपतियों के ज्ञायण से अमिक्षों की रक्षा करनी है तो कारखानों के लिए अधिक नियम बनाना अत्यावश्यक है। वंड (Webb) का कहना था कि घोषणागिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कारखाना प्रणाली के विकास के कारण घोषणागिक सम्पत्ति के प्रबन्ध में जो विशुद्ध अक्तिगत तत्व या उसका लोप होता जा रहा है और अक्तिगत घोषणागिक प्रबन्ध का स्थान सयुक्त पूँजी वाली कम्पनियां लेती जा रही हैं। भाज सम्पत्ति के स्वामी उत्पादन की वरेलू प्रणाली जैसे घपने उस उद्योग के प्रबन्धक नहीं रहे हैं जिसमें वे घपनी पूँजी लगाते हैं। भाज पूँजीपति प्रमुख रूप से न तो उद्योग का व्यवस्थापक है और न निरीक्षणकर्ता। वह केवल उद्योग में पूँजी लगाने वाला तथा भाज या लाभ प्राप्त करने वाला है। व्यवसाय-प्रबन्ध और व्यवसाय-स्वामित्व दोनों पृथक् पृथक् हो गए हैं। विशाल पंचाने पर होने वाले अवधारणा ने अक्तिगत उत्तरदायित्व को समाप्त कर दिया है। इस तरह अनियन्त्रित पूँजीवाद के विकास ने प्रार्थिक अक्तिवाद का घन्त कर दिया है। यह आधुनिक समाज यदि प्रार्थिक जगत् में प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता को कायम रखना चाहता है तो उसे या तो बड़े उद्योगों को समाप्त कर देना चाहिए और इस प्रकार इन लाभों को नष्ट कर देना चाहिए जो भाज पूँजीपति प्राप्त करता है, भयवा इन उद्योगों को राजकीय स्वामित्व और नियन्त्रण में ले लेना चाहिए। विलियम क्लार्क (William Clark) के घनुसार—“व्यापार की स्वतन्त्रता, घपने सामान को दूसरे अक्तियों की दरों पर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने की स्वतन्त्रता, किसी के धर्मीन न रहने की स्थिति, वास्तव में लोकतन्त्रीय सिद्धान्त हैं, परन्तु विशेष भविकारों के कारण ये सब भविकार या तो सीमित हो जाते हैं भयवा समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार पूँजीवाद का लोकतन्त्र से जैसा कि उसका धर्म भाजकल समझा जाता है, ऐसा नहीं खाता। पूँजीवाद तथा लोकतन्त्र का विकास साध-साध निविरोध नहीं चल सकता और ये दोनों ऐसी दो रेतगढ़ियों के समान हैं जो विपरीत दिशायों से एक दूसरे की ओर बढ़ती है और जिनमें सबसे होना अनिवार्य दिखाई देता है।”

प्रत कलाक की मान्यता थी कि समस्त कारखानों, समिलित पूँजी वाली कमरनियों, दृस्टो भावित को सार्वजनिक नियन्त्रण में ले लेना चाहिए।

**फेवियनों के अनुसार समाजवाद का आर्थिक आधार (Economic Basis of Socialism)**—फेवियनवादी लेखकों ने समाजवाद की अपरिहायना का न केवल ऐतिहासिक आधार पर घोषित किया, बल्कि उसे आर्थिक दिक्षास के सिद्धान्त पर भी आधारित किया। उन्होंने मानवसंघादियों और प्रतिलिपि गवाहामियों के अमूल्य सिद्धान्त को अस्वीकार कर समिट्वादियों की भाँति यह स्वीकार किया कि वस्तु का मूल्य समाज द्वारा निश्चित होता है। अभिक स्वयं अपन अमात्र सही किसी वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं करता। ऐसी दशा में जो मूल्य समाज उत्पन्न करता है उस पर समाज का ही अधिकार होता है। पूँजीगतियों द्वारा उस मूल्य को हटाय लेना चोरी है। फेवियनवादी मानवसंघ के इस मत से सहमत हैं कि किंवद्ध उद्योग में पूँजी लगाने वाले उसके द्वारा प्राप्त शाय का उचित अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। जहाँ तक वर्तमान उत्पादन एवं वितरण प्रणाली में हित संरक्षण उत्पन्न करती है, वह मध्यर्वप फेवियनों के अनुसार वेतनभोगियां न वा उनको काम पर लगाने वालों के बीच नहीं, बरन् एक और समाज तथा दूसरी वृंजी लगाकर धनी बन जाने वालों के बीच है। उस वर्ग या उन व्यक्तियों न जिनको में सामाजिक गता होती है, सदा जाने भ्रनजाने उस सत्ता का इस प्रकार प्रयाप्ति है जिससे बहुमूल्यक व्यक्तियों के पास प्रबलित जीवन स्तर के अनुसार अपनी जीवित मात्र से अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता है। यह उत्पादन, जो स्थान भूमि पूँजी निपुणता भावित की उत्पादक योग्यता के अन्तर के कारण सामाजिक उत्पादन से अधिक होता है उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका इन मूल्यवान परन्तु दुष्प्राप्य साधनों पर नियन्त्रण है।

प्रत फेवियनों के मनानुसार 'समाजवाद का उद्देश्य समाज वे समस्त मदस्यों के लिए उन मूल्यों को प्राप्त कराना है जिनका वह निर्माण करता है और इस उद्देश्य की तिद्दि क्रमशः भूमि तथा भ्रोगोगिक पूँजी को समाज के अधिकार में लाने और साथ ही राज्य को समाज का पूरा प्रतिनिधि बनाने से होती। फेवियनों ने पहले सही कार्यरत प्रवृत्तियों से परिलक्षित वार्तों की व्याख्या करने का द्वारा यह व्यक्त वर्णन का प्रयत्न किया कि विस रूप में इन प्रवृत्तियों का हिन्दूरो दण से दिल्लार का उनकी गति तीव्र हो जा सकती है। उन्होंने दूसरे बारे पर इधिप्रत्यक्ष करने के लिए वेतनभोगी मजदूरों का एक पृथक् वर्ग बनाने का प्रयत्न नहीं किया। फेवियनों सदृश यह कहा कि हमने यह दावा नहीं किया है कि इस इस ने मजदूर गण का प्रतिनिधि है। 'दस्तुत फेवियन समाज उन समस्त योजनाओं का दृढ़नापूर्व अस्वीकार करता है जो समाज में समस्त उत्पादन का इसी पक्ष व्यक्ति या वर्ग द्वा सौंपती है। उसका उद्देश्य उत्पादन के नाधनों को मजदूरों का नहीं समाज का सौंपना है। यह हस्तान्तरण शर्त-शर्त होता चाहिए और उन्होंने उन्होंका हस्तान्तरण एक समय में होना चाहिए जिनका समाज सञ्चालन के माध्यम प्रवर्त्त दर-

सके। ऐसे उद्योगों को हस्तान्तरित करते समय यद्यपि उन लोगों को जिनकी सम्पत्ति छिन जाएगी पूर्ण क्षतिपूति नहीं दी जाएगी, तथापि ऐसी सहायता दी जाएगी जो राजनीतिक संसद् उचित समझे।

प्रो. लास्की (Laski) ने उद्योगों के नियन्त्रण वे तिए फेबियन विचारों के पूर्णतः अनुरूप एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने समस्त उद्योगों को लीन भागों में विभक्त किया। प्रथम वे उद्योग हैं जो समाज के जीवन के लिए आवश्यक हैं अर्थात् जो समाज की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे उद्योगों का पूर्णतः समाजीकरण होना चाहिए यद्यपि उनका निजी स्वामित्व में रहना हानिश्वर है। दूसरे वे उद्योग हैं जो समाज के लिए उपयोगी तो हैं, किन्तु जिनके आभाव में समाज को अधिक हानि नहीं होती, फिर भी सामाजिक जीवन के लिए इनकी आवश्यकता इसीलिए है कि वे व्यक्ति के जीवन को मुख्यपूर्ण बनाते हैं। यद्यपि इन उद्योगों को निजी स्वामित्व में रखा जा सकता है, किन्तु उन पर समाज का स्पष्ट नियमन आवश्यक है। मन्त्र में, वे उद्योग हैं जो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं, जैसे क्रीम, पाउडर आदि बनाने वाले उद्योग। ऐसे उद्योग पूर्णतः निजी स्वामित्व में ही रहेंगे और राज्य का उन पर विशेष नियन्त्रण नहीं रहेगा। लास्की इस पक्ष में ये कि जिन लोगों के उद्योगों का समाजीकरण होता है उन्हें समाज की ओर से क्षतिपूति के रूप में कुछ सहायता प्राप्त होनी चाहिए ताकि उनका जीवन भी अच्छे नागरिकों की भाँति व्यतीत हो सके और उन्हे भी आवश्यक वस्तुएँ और सुविधाएँ उपलब्ध हो रहें।

फेबियनवादी उद्योगों की भाँति ही भूमि का भी किसी न किसी रूप में समाजीकरण चाहते हैं। बड़े-बड़े जमीदारों से, जो कि भाड़े पर मजदूरों से लेती कराते हैं, जमीन लेकर उसे भूमिहीन किसानों को दे दी जानी चाहिए। इस प्रकार भूमिहीन किसानों को भूमि देकर उनका जीविकोपार्जन करने का अधिकार दिया जाएगा। जिन जमीदारों की जमीन अधिप्रहण की जाएगी उन्हें उद्योगपतियों की भाँति ही समाज की ओर से क्षतिपूति दी जाएगी।

फेबियनवादियों का राज्य के प्रति विश्वास (Fabian's Faith in the State)—फेबियनवादियों को राज्य के कार्यों के ग्रीचित्य और प्रभावकारिता में पूर्ण विश्वास था। वे चाहते थे कि राज्य में समाज का विश्वास होना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि राज्य जनता का प्रतिनिधि, सरकार, अभिभावक, व्यवसायी प्रबन्धकर्ता, सचिव, यहीं तक कि उसका साहूकार भी है। इन दशाघों में बर्तमान अङ्ग को फेबियनों के अनुसार बिना किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन के यदि निर्दोष नहीं तो विश्वासपात्र अवश्य बनाया जा सकता है। फेबियनों ने जिन परिवर्तनों का समर्थन किया, वे ये मताभिकार का विस्तार, अधिक प्रशिक्षित सिविल सर्विस और सदके लिए शिक्षा के समान अवसर। इन 'सुधारों' के प्रतिरिक्त वे राजनीतिक अवस्था में भी कोई मौतिक परिवर्तन करने के समर्थक नहीं थे। उनका कहना था कि "यदि प्रजातन्त्र के नागरिक प्रशासन अधिकारों का पर्याप्त रूप से उपभोग करे

'तो वे अपनी राष्ट्रीय, प्रान्तीय एवं स्थीरीय सरकारों द्वारा शन शनै भूमि तथा आद्योगिक पूँजी दोनों से प्राप्त होने वाले आधिक समाज के समस्त रूपों को समाज के हाथों में सौंप सकेंगे।' स्पष्ट है कि फेब्रियनवादी शान्तिपूर्ण साधनों से घोरे-घीरे अपने सिद्धान्तों को राज्य द्वारा क्रियान्वित करना चाहते हैं।

फेब्रियन-विचारधारा की व्यवहारिक शास्त्र ब्रिटिश मजदूर दल ने सन् 1920 में प्रकाशित 'Labour and the New Social Order' में यह प्रतिपादित किया कि प्रजातान्त्रिक तरीके से चुनी हुई स्थानीय शासकीय संस्थाओं को काम करने का अधिकात्म क्षेत्र प्रदान किया जाए। केन्द्रीय सरकार के विभाग स्थानीय संस्थाओं के अधिकारियों को अपेक्षित सूचनाएँ तथा भनुदान द्वारा उनकी सहायता करें। मजदूर दल ने उपर्युक्त प्रकाशन में यह विचार व्यक्त किया कि स्थानीय संस्थाओं को एक न्यूनतम स्तर के प्रतिरक्त, अपनी सेवाओं को विकसित करने और अपनी इच्छानुसार संचालित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इनमें गैस, जल, बिजली, मकानों वीं व्यवस्था और स्थानीय यातायात के व्यतिरिक्त शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, सफाई, पुलिस, पुस्तकालयों और पाकों की योजना, मनोरजन की व्यवस्था तथा दूष वितरण आदि की व्यवस्था भी शामिल है। वास्तव में सब मामले जो न केवल मनुष्यों के शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि उनके आध्यात्मिक और मानसिक कल्याण के लिए भी मात्रात्मक हैं स्थानीय कर्मचारियों द्वारा सम्यादित होने चाहिए। फेब्रियन विचारों की व्यवहारवादी शास्त्र ब्रिटिश मजदूर दल द्वारा प्रस्तावित इन विचारों से फेब्रियनवादियों पर यह आरोप सही प्रतीत नहीं होता कि वे केन्द्रीकरण के समर्थक हैं।

उपर्युक्त पुस्तिका 'Labour and the New Social Order' में अभिक दल ने यह विश्वास प्रकट किया कि नवीन सामाजिक व्यवस्था का आविर्भाव सधर्ये पर आधारित न होकर सहकारिता पर आधारित होगा। उसका आधार जीवन मात्र के साधनों के लिए होने वाले प्रतियोगात्मक सधर्य पर स्थित न होकर समझ बूझकर निमित उत्पादन व वितरण और उस आयोजित सहयोग पर निर्भर होगा जिससे शारीरिक और मानसिक श्रम करने वाले सभी व्यक्तियों को लाभ हो।

उल्लेखनीय है कि इलेंड में प्रथम विश्वयुद्ध के समय से ही फेब्रियन सोसायटी और अभिक दल में गहरी आत्मीयता रही है। सन् 1925 में इस सोसायटी के 5 सदस्य ब्रिटिश अभिक सरकार के सदस्य थे। इनमें दो 'Fabian Essays' के रचयिता सिडनी वेब प्रौर सिडनी योलिवर थे। सिडनी वेब सन् 1931 की मजदूर सरकार के उपनिवेश सचिव भी थे। कोकर के कथनानुसार, "मत्य मह है कि इलेंड का अभिक दल फेब्रियन कार्यक्रम को पूर्णरूप से अपनाने को तैयार है, भले भद्र फेब्रियन समाज केवल संदान्तिक बाद-विवाद के सिवाय और कुछ नहीं करता क्यों कि उसके कार्यक्रम को स्वयं मजदूर दल पूर्ण करने के लिए कठिन है।"

फेब्रियनवाद और मार्क्सवाद में अन्तर

दोनों ही वर्तमान आधिक विषमता को मिटा कर समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, तथापि दोनों में कई मौतिक अन्तर हैं—

1 फेदियनवाद सामित्रिक भावादी है जो विकासवादी प्रक्रिया से लोकतान्त्रिक और अहिंसात्मक मार्ग द्वारा जने-शने समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। इसके विपरीत मार्क्स वर्ग-संघर्ष, क्रान्ति, हिंसा आदि साधनों द्वारा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को लोप कर समाजवाद लाना चाहता है।

2 फेदियनवाद के अनुसार राज्य समाजवाद की स्थापना का मुख्य साधन है जबकि मार्क्सवाद की दृष्टि में यह पूँजीपतियों का शोषण-यन्त्र है जिसका विनाश किया जाना आवश्यक है।

3 मार्क्सवाद ऐतिहासिक आधार पर वर्ग-संघर्ष, क्रान्ति और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को आवश्यक मानता है जबकि फेदियनवादियों के अनुसार इतिहास की प्रगति लोकतन्त्र और समाजवाद की दशा में है। लोकतन्त्र का विकास समाजवाद की प्रगति में बहायक सिद्ध होगा।

4 मार्क्स के अप सम्बन्धी और भूतिरिक्त मूल्य के निदानों के स्थान पर फेदियनवाद समाज को वस्तुयों का मूल्य उत्पन्न करने का प्रधान आधार मानता है। वस्तुयों का मूल्य सामाजिक उपयोगिता के आधार पर निश्चित होता है। मूल्य सामाजिक परिस्थितियों सी उपज है, अत उसमें होने वाली वृद्धि का लाभ समाज को प्राप्त होता चाहिए।

5 फेदियनवाद वर्ग संघर्ष, भविष्य में मध्यम वर्ग के लोप, पूँजीपति वर्ग के विनाश आदि में आस्था नहीं रखता। वह तो समाज के सभी वर्गों का सामाजिक परिस्थितियों से प्राप्त मूल्य-वृद्धि का लाभ पहुँचाना चाहता है। फेदियनों के मत में संघर्ष पूँजीपति और अमिक वर्ग में नहीं बल्कि समाज तथा सामाजिक परिस्थितियों से अनुचित लाभ उठाने वाले व्यक्तियों में है।

6 फेदियनों के लिए समाजवाद की प्रगति का आधार वेदन शक्ति नहीं, बल्कि विवेकसम्मत विश्वास और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने की नेतृत्व भावना द्वारा उत्प्रेरित शक्ति है। समाजवाद की यात्रा पूरी करने के लिए वे मताधिकार के विस्तार और मतदान-पत्रों पर घट्याधिक विश्वास करते हैं।

### फेदियनवाद की ग्रालोचना

मेलोक (Mallock) के अनुसार फेदियनों के विचार तथा उनकी भाषा स्पष्ट नहीं है। समाजवाद की परिभाषा करते समय वे उसका कुछ अर्थ बताते हैं (जैसे पूँजीवाद तथा जमीदारी प्रथा, व्यक्तिगत उद्योग-क्षम्य तथा मुक्ती प्रविधियोगिता वी समाप्ति) परन्तु उसके उदाहरण खोजते समय वे अपने परिभाषित अर्थ को ददम ढेते हैं (जैसे राज्य का अधिक नियन्त्रण, म्युनिसिपल उद्योग-क्षम्य वी वृद्धि)। बाकर वे मत में “फेदियन समाज समाजवादी लोगों का सबसे बड़ा स्पष्ट व अनिवार्य सिद्धान्त है। व्यावहारिक तथा निदान स्पष्ट से यह एक भूँठे भण्डे के नीचे है जो अपने उद्देश्यों के विषय में कोई सन्देह प्रकट नहीं करना चाहता। फेदियन अपनी सफलता के लिए बेवल हथकण्डों पर निर्भर करते हैं।” स्केल्टन (Skelton) ने फेदियनों को ‘भ्रवसरखादी-समाजवादी’ की सज्जा दी है। डॉ. एंजिल्स के अनुसार

फेबियनों द्वीयों योजना उदारवादियों के साथ सबर्ये करने की है किन्तु ऐसा बहुतापूर्ण दग से न करके उनको समाजवादी परिणामों की प्रीति प्राप्ति कर तथा उनके मानसिक विचारों को समाजवादी विचारों से प्रभावित करके करते हैं। इसके साथ ही उनका उद्देश्य उदारवादी सदस्यों के दक्ष में समाजवादी सदस्यों का विरोध करना नहीं, बल्कि उन पर कृष्ण दबाव डालकर भ्रमणा उन्हें कृष्ण पूँस देकर उनके विचारों को प्रभावित करना है। वस्तुतः उनके समस्त मिदान्त सहेजते हैं। चूंकि फेबियन समाज के समस्त वर्गों को प्रभावित करके यह सिद्ध करना चाहते थे कि ईसाई धर्म वे मिदान्तों का व्यावहारिक रूप ही समाजवाद है, अतः उनके समाजवाद को ईसामसीही समाजवाद (Jesuits Socialism) भी कहा जाता है।

फेबियन पूँजीवाद के व्यव्यायों को दूर करना चाहते थे, किन्तु उनके पास व्यावहारिक दृष्टि से पूँजीवाद की वृद्धियों को दूर करने का कोई प्रभावकारी प्रौढ़ भान्तिकारी सुझाव नहीं था। यदि राज्य राष्ट्रीयकरण की नीति के घन्तयान मूल्य प्रौढ़ कारबानों पर निपटाएँ करता है तो इसमें पूँजीवाद को केवल कृष्ण लक्षि ही कम होनी है। राज्य पूँजीवाद को समाप्त नहीं करता बल्कि पूँजीपतियों से जो सम्पत्ति लेना है उससे लिए भी उचित मुझावजा देता है।

### फेबियनवाद की सफलताएँ

फेबियन विचारधारा चाहे कितनी भी शास्त्रात्मक एवं व्याप्तिरूपीय क्षेत्रों में न हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने श्रम भान्दोलन इसके इतिहास तथा साधारण धर्म को बहुत प्रभावित किया है। फेबियनों के महत्व प्रौढ़ प्रभाव को स्पष्ट करते हुए प्री कोकर ने लिखा है कि—

‘फेबियन लोग विशिष्ट नीतियों के गुण-दौषिण्य देखते समय इस बान पर दिनार करते हैं कि भौतिक कल्याण तथा वास्तुतिक सुयोगों के व्यापक वितरण की दिशा में क्या प्रभाव होग। फेबियनों का व्यावहारिक प्रभाव मुख्यतः इग्नेंश्ड की गृह-नीति के सेव में हुआ है। उन्होंने मजदूरों की ग्राम्यिक तथा सामाजिक स्थिति का ऊंचा उठाया तथा सम्पत्ति के स्वामिशों की सम्पत्ति को कम करके आधुनिक धौरोगित सम्भता के लाभों का न्यायपूर्वक विस्तार करने के लिए व्यावहारिक योजनाएँ बनाई और तक तथा तथ्यों द्वारा उनको शक्ति प्रदान की। उनकी शक्ति का मुख्य तत्व उनका वह चतुरता रही है जो उन्होंने तात्कालिक प्रयाग के लिए व्यावहारिक योजनाएँ बनाने में दिखलाई और जो कई प्रकार से काम में लाई जा सकती है जैसे—(1) साम विक कानून-नियन्त्रण द्वारा काम के पट्टों में कमी, बेकारी से सरपरा स्वास्थ्य सुरक्षा तथा वतन के लिए न्यूनतम स्तर, शिक्षा के उन्नत संग्रह (2) राष्ट्रीय तथा म्युनिमिपल सरकारों द्वारा सावजनिक उपयोगिता की सेवाओं (Public Utilities) प्रौढ़ स्वाभाविक एकाधिकारों पर सावजनिक स्वतंत्र तथा (3) उत्तराधिकार पर कर मूमिन्द्र (Ground Rent) तथा पूँजी की आय पर कर। शायद पिछले दो सेवों को फेबियन समाजवादियों ने धर्मिक स्पष्ट रूप से प्रभावित किया है। इग्नेंश्ड तथा स्टॉनेंश्ड में म्युनिसिपल

समाजीकरण के विस्तार को शोधता से बढ़ाने में इनके प्रचार-भाष्यक तथा व्याख्यानों से बहुत सहायता मिली है। उनके ऐसा नोकमत तैयार करने में भी काफी सहायता मिली है जिसने सम्पत्ति पर वर लगाने के नए तरीकों के कार्डिनल्यन में राष्ट्रीय सरकार का समर्थन किया, जैसे पूँजी से होने वाली आय पर घरेभाग्न ऊँचा कर लगाना। उत्तराधिकार में प्राप्त जायदादों पर भारी छुल्क सेता और 1910 के राजस्व कानून में काम में नहीं ली हुई भूमियों तथा काम में ली हुई भूमियों के मूल्यों में अनजित दृष्टि पर विशेष कर लगाना।<sup>1</sup>

“यह कहा जा सकता है कि फेब्रियन सोसायटी ने संदानिक क्षेत्र में उतना योगदान नहीं दिया जिनना व्यावहारिक क्षेत्र में। जिस प्रतिभा और दुष्टिमत्ता के साथ उन्होंने पेट ब्रिटेन की आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थाओं से सम्बन्धित तथ्य एकत्र कर उनकी व्याख्या की है उसी के कारण ब्रिटेन की राष्ट्रीय तथा स्थानीय सरकारें शर्ने-शर्ने और सावधानी के साथ समाजवाद के उदारवादी रूप को व्यवहार में ला सकी है।”<sup>1</sup>

प्राय यह कहा जाता है कि फेब्रियनवाद की यह विशेष कग्जोरी यी कि उसने पूँजीपतियों से लड़ने के लिए काले मार्वर्स की भाँति श्रमिकों का आह्वान नहीं किया, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से और साय ही संदानिक दृष्टि से भी यह फेब्रियनवाद की कमज़ोरी न होकर उसका एक प्रधान गुण है क्योंकि उसने इस बात पर बल दिया जि राष्ट्रीय घन का वितरण सम्पूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रख दर होना चाहिए न कि श्रमिक वर्ग मरीजे किसी एक वर्ग विशेष के हितों के लिए।

### समष्टिवाद अथवा राज्य-समाजवाद

(Collectivism or State Socialism)

समष्टिवाद विकासवादी समाजवाद का ही एक रूप है जिसे राज्य-समाजवाद, सघर्षवाद, समूहवाद आदि भ्रनेद नामों से पुकारा जाता है। यह समाजवाद का वह परिष्कृत सम्प्रदाय है जो समाजवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शान्तिपूर्ण उपायों पर बल देता है। इस प्रकार के समाजवादियों का उद्देश्य राज्य में समाजवादी कानून को बिना रक्तपात तथा हिसा के धीरे-धीरे लाना है और इसीलिए यूरोप के कुछ देशों में इसे एक वैधानिक आनंदोलन (Constitutional Movement) भी कहा जाता है। समष्टिवाद परिवर्तन की क्रियकार्ता में विश्वास करता है। यह कोई उपक्रान्ति (Radical Revolution) या भ्राकस्तिक परिवर्तन नहीं चाहता, बल्कि मपने दृष्टिकोण में यह पूर्णत विकासवादी (Evolutionary or Progressive) है। इस विचारधारा के भौतिक प्राधार जर्मन समाजवाद तथा प्रवेजी फेब्रियनवाद में निहित हैं। इनसे काफी प्रभावित होने के कारण यह मार्वर्स के समाजवादी दर्गन से उद्देश्यों में समान होते हुए भी प्रणाली की दृष्टि से उसका उलटा है। यह राजकीय सम्बद्धारा उत्तरादन के स्रोतों को पूँजीवादी अधिनायकों से मुक्त कराकर सांवर्जनिक सत्ता पर सर्वव्यापी भताधिकार द्वारा अधिकार स्थापित कर एक ऐसे वर्गहीन समाज

1. कोकर : भाष्ट्रिक राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 113-14.

की रखना करना चाहता है जिसमें प्रार्थिक संकटों से मुक्त होकर प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक तथा राजनीतिवाद समता के स्वस्थ बातावरण में इवास ले सकेगा।

समष्टिवाद अथवा राज्य-समाजवाद पर कुछ प्रकाश एसाईक्लोपीडिया ब्रिटेनिका (Encyclopaedia Britannica) के 11वें संस्करण में दी हुई समाजवाद की परिभाषा से पड़ता है। उसके अनुसार, "समाजवाद वह नीति या सिद्धान्त हैं जिसका लक्ष्य किसी केन्द्रीय प्रजातान्त्रिक शक्ति को कार्यवाही द्वारा अच्छे वितरण की व्यवस्था करना है और उसी शक्ति की अधीनता में जन की उत्पत्ति की बर्तमान से अच्छी व्यवस्था करना है।"

एक फ्रांसीसी लेखक मिलरैंड (Millerand) की समाजवाद की यह परिभाषा समष्टिवाद पर अच्छी तरह लागू होती है—पूँजीवादी सम्पत्ति के स्थान पर सामाजिक सम्पत्ति को आवश्यक एवं प्रगतिशील रूप से स्थापित करना समाजवाद है।" उसके अनुसार समाजवादी कार्यक्रम के ये आवश्यक अग हैं—(अ) विभिन्न प्रकार के उत्पादन-सांचों नो और विनियम को, ज्योही वे सामाजिक स्वामित्व के लिए उपयुक्त हो जाएं, पूँजीवादी अधिकार क्षेत्र से निकाल कर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में ले आना, (आ) सर्वव्यापी भाताविकार द्वारा सार्वजनिक शक्ति पर अधिकार करना, और (इ) कर्मचारियों की अन्तर्राष्ट्रीय समझदारी।

समष्टिवाद की मान्यता है कि समाज के अधिकांश व्यक्तियों के हितों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि समाज के सदस्यों को निर्बाध रूप से स्वतन्त्रता न देकर समाज की ओर से उन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए। समष्टिवाद में समाजवादी विचारधारा के साथ अधिनायकवादी तत्व का भी समावेश है जिसकि वह व्यक्ति की तुलना में राज्य को विशेष महत्व प्रदान करता है।

### समष्टिवाद व्यो? (Why Collectivism?)

समष्टिवाद प्रमुख रूप से 20वीं शताब्दी का वर्णन है यद्यपि इसकी परम्परा सन् 1889 से पाई जाती है।

भाषुनिक युग में समष्टिवाद के गूरोप में विकास के कई कारण हैं। जोड (Joad) के मतानुसार समष्टिवाद के पूर्वगामी विचार (Antecedents), जिनके परिणामस्वरूप इस विचारधारा का उदय हुआ, दो हैं—प्रथम, मानसेवाद और दूसरा, व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया।<sup>1</sup> एक तीसरा कारण पूँजीवादी व्यवस्था के दोषों से मुक्ति का है।

1 समष्टिवाद का जन्म प्रधानत व्यक्तिवाद की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। 19वीं शताब्दी के मन्त्र तक व्यक्तिवादी व्यवस्था के दोष चरम सीमा तक पहुँच गए थे। व्यक्तिवाद द्वारा दी गई असीम स्वतन्त्रता सभी क्षेत्रों में सामाजिक जीवन के लिए एक समस्या बन गई थी। पूँजीवाद तथा साम्भाल्यवाद का त्वरित विस्तार हो रहा था और चारों ओर घोषणा, पतन अपन्यय व्यापार्य का बोलबाला था।

1 C. E. M. Joad 'Introduction to Modern Political Theory' p. 40-50

अत अन्याय तथा अनाचारों से पूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। अत पूँजीवाद के बोझ से दवा हुआ पाश्चात्य समाज राज्य की सहायता तथा हस्तक्षेप की माँग करने लगा जिसके फलस्वरूप राजनीतिशास्त्र में राजकीय समाजवाद अथवा समर्पितवाद की कल्पना हुई।

2 समर्पितवाद को जन्म देने वाला दूसरा कारण या साम्यवाद अथवा मावसंवाद की आधुनिक समाज में अनुपयुक्तता। यद्यपि मावसंवाद भी समाजवाद का एक भ्रग है और उद्देश्यों की दृष्टि से अत्यन्त सबल विचारधारा है, तथापि अपने पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसके द्वारा चुना गया मार्ग अत्यन्त आपत्तिजनक है। हिंसा और रक्तपात सद्व विनाश के मार्ग हुआ करते हैं, सृजन के नहीं। इसी मावसंवाद का दर्शन उसके अन्य गत्तों के अनुसार आचारात्मक दृष्टि से दृढ़ तथा वैज्ञानिक दृष्टि से अन्यथपूरण होते हुए भी बौद्धिक दृष्टि से विलकूल खोखला और मात्र मावात्मक माना गया। मावसंवाद का आकस्मिक परिवर्तनों का सिद्धान्त अव्यावहारिक माना जाने लगा और लोग यह अनुभव करने लगे कि 'वर्तमान समय में मावसंवाद समाज में तुरन्त नहीं लाया जा सकता व्योकि विकास और पतन दो धीमी क्रियाएँ हैं, उन्हें न तो उल्टा ही जा सकता है और न रोका ही जा सकता है। यह भी स्वाभाविक नहीं है कि आकस्मिक तथा भीकण परिवर्तनों द्वारा उनकी गति को तेज़ किया जाए।' अत साम्यवाद में सशोधन की आवश्यकता महसूस हुई। साम्यवादी भविष्यवाणियों को भूठी होते देखकर उसके स्थान पर विकासवादी तथा वैज्ञानिक उपायों द्वारा समाजवाद लाने वाली विचारधारा की आवश्यकता अनुभव की गई और फलत साम्यवाद के सशोधनवाद या पुनर्विचारधारा (Revisionism) के रूप में समर्पितवाद का जन्म हुआ। बर्नस्टीन (Bernstien) उन प्रमुख समाजवादी विचारकों में था जिसने मावसंवाद के कान्तिकारी पहलू की अपेक्षा विकासवादी पहलू पर बल दिया। बर्नस्टीन ने मावसंवाद प्रतिपादित सिद्धान्त को तथ्य की दृष्टि से दोषी पाया। उसने देखा कि पूँजी का केन्द्रीकरण कुछ हायों म होने के साथ-साथ मध्यमवर्गीय तथा लघु उच्चोगों का लोप नहीं हो रहा या और श्रमिकों की दशा गिरने की बजाय सुधर रही थी। इससे बड़ इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वर्तमान समय में तथा बहुत समय तक भविष्य में समाजवाद का कार्य मजदूर वर्गों का राजनीतिक समर्थन करना, उनका प्रजातन्त्र के लिए विकास करना तथा ऐसे सभी सुधारों के लिए जिनसे उनका उत्थान हो राज्य द्वारा प्रयत्न करना होना चाहिए। इससंष्ठ की फेवियन सोसायटी के विचारों और लेखों का भी इस दिशा में पर्याप्त प्रभाव पड़ा।

3 समर्पितवाद की उत्पत्ति का तीसरा कारण पूँजीवादी व्यवस्था के दोषों को सुधारना था। 20वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद के कीटाणुओं ने समाज के शरीर में पूँजीवाद रूपी रोग का रूप धारण कर निया था जिसके कारण वह शोषण और अन्याय से क्षीण होता जा रहा था। महरेंगे भीषणता की इस सीमा तक पहुँच गया था कि गरीब मजदूर के पास अपनी दरिद्रता के लिए रोने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था। उत्थान तथा वितरण पर कुछ गिने चुने पूँजीपतियों का

अधिकार था और इसलिए सब तरफ यह अनुभव किया जाने लगा था कि उत्पादन तथा वितरण के साधन पूँजीवादियों के हाथों से छीने जाकर किसी अन्य सार्वजनिक संस्था वो सौंपे जाएँ। इसके लिए समष्टिवाद राज्य का समर्थन किया तथा उसके द्वारा वर्तमान पूँजीवाद के हाथों का अन्त करने के लिए आप्रह हुआ।

### समष्टिवादी सिद्धान्त (Collectivism's Philosophy)

समष्टिवाद अपने व्यापक उद्देश्यों में समाजवाद के इन तीनों सिद्धान्तों को स्वीकार करता है जिसमें समाज में पूँजीवाद, निजी उद्योग तथा प्रतियोगिता (Capitalism, Private Enterprise and Competition) का जड़ से उन्मूलन कर दिया जाए। वह समाजवाद के साथ इस बात पर भी सहमत है कि समाज व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है तथा राज्य का कायमेत्र विस्तृत होना चाहिए। किन्तु इससे प्रागे वह नहीं जाता और समाजवाद के सारे आधिक सिद्धान्तों को अक्षरश मानने के लिए प्रस्तुत नहीं है। समष्टिवाद एक नई प्रणाली का जन्मदाता है जो इस सत्य को उजागर करता है कि 'आधुनिक उपयोगितापूर्ण व्यवस्था अनेकों वे दुख वो कीमत पर कुछ लोगों को सुख-सुविधा प्रदान करती है, मत. समाज का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक कल्याण तथा सुख की प्राप्ति हो सके।' समष्टिवादियों के अनुसार कान्ति द्वारा समाजवाद लाने की तथा अन्तर राज्य का विलाप जो जाने की घारएँ से असहमति प्रकट करते हुए समष्टिवादियों का यह विचार है कि यदि जनता का विशाल समूह मज़बूरों के स्तर से ऊँचा उठना चाहता है तो समाज वी प्रतिनिधि सरकार को अधिकारिक हस्तक्षेप और उद्योगों के पर्याप्त नियमन द्वारा स्वनन्द और निर्बाध प्रतियोगिता की बुराइयों से उनकी रक्षा करनी होगी। इस प्रकार समष्टिवाद की सेंद्रान्तिक और नीतिक ध्यारणा के रूप में कहा जा सकता है कि इसका उद्देश्य केन्द्रीय प्रजातात्त्विक अधिकार शक्ति द्वारा अधिक अच्छे वितरण और वर्तमान की प्रेक्षा श्रेष्ठतर उत्पादन अर्जित करना है। 'श्री एली (Prof Ely) वे अनुसार समाजवादी वह है जो राज्य में संगठित समाज को आधिक वस्तुओं दे अधिक उपयुक्त वितरण और मानव उत्काय म सहयोग की दृष्टि से देखता है।' यह समष्टिवाद जो कुछ भी समाजवादी काय करना चाहते हैं राज्य के द्वारा ही करना चाहते हैं।

वालतव में समष्टिवाद राज्य को आवश्यक तथा एक घनात्मक अच्छाई (Essential and a Positive Good) मानता है। समष्टिवादियों को सन्ताप है कि राज्य के दायीं का दूर विस्तार हाने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। ऐसे इस प्रवार की नीति से ही समाज में न्याय सुविधा निष्पत्ता निष्करण आदि माध्यमों का विकास हो सकता है। इससे ही जनता वे सामाय आधिक एव नीतिक हितों को बरत तथा प्रोत्साहन मिल सकता है। राज्य-समाजवादी पुलिस राज्य की विचारधारा से भृणा करते हैं और राज्य के अन्य की वृद्धि का स्वागत करते हैं। राज्य-समाजवादियों द्वारा समष्टिवादियों की मान्यता है कि 'राज्य का अस्तित्व वेवल अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही नहीं होना चाहोकि इसका अर्द वो कुछ

गिने-नुने राज्याधिकारियों का जीवित रहना ही जाता है वरन् राज्य का अस्तित्व इसलिए होता है कि उसके सदस्य करणीय कार्यों को कर सकें।"

समष्टिवादियों के मनुसार आधुनिक पूँजीवाद के दुर्गुणों से समाज का अधिकांश भाग दुखी है। केवल कुछ ही थोनी लोग सुख के साधनों का उपयोग कर पाते हैं। इसी प्रकार आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्थाएँ राजनीतिक स्वतन्त्रता तो देती हैं, परन्तु आर्थिक स्वतन्त्रता की ओर कोई व्यापार नहीं देती। आर्थिक स्वतन्त्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता केवल खोसा है। मूर्ख व्यक्ति को पहले रोटी की आवश्यकता होती है, बाद में हठतन्त्रता की। परिणाम यह होता है कि गरीब व्यक्ति सदैव आर्थिक दासता की जड़ीरों में जकड़े रहते हैं। मैक्सी (Maxey) के शब्दों में, 'आर्थिक दासता की अवस्था में मनुष्य राजनीतिक स्वतन्त्रता को उसी प्रकार प्रहरण कर लेता है जिस प्रकार पानी में ढूबता हड्डा व्यक्ति तिनके को सहारा समझ लेता है। बास्तव में राजनीतिक स्वतन्त्रता आर्थिक शोषण सहन करने की स्वतन्त्रता है।'

इसलिए समष्टिवादी उत्पादन तथा वितरण के सभी सम्बन्धों का राष्ट्रीय-करण चाहते हैं। इसके मनुसार उत्पादन तथा वितरण का सारा प्रबन्ध राज्य के अधिकार में होना चाहिए वयोंकि इसके बिना सामाजिक समानता का उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। उनका विश्वास है कि किसी वस्तु के मूल्य का निश्चय न तो उसके लिए किए गए श्रम से होता है और न मांग तथा पूर्ति के तत्त्वों से ही जो एक-दूसरे के विश्व कायशील अथवा प्रतिक्रियाशील रहते हैं। उनके कथनानुसार समाज मूल्यों की सुष्टि करता है, अत केवल समाज को ही इस बात का अधिकार है कि वह उसका उचित विनियोग करे।

समष्टिवाद उत्पादन और वितरण के राष्ट्रीयकरण मात्र से ही सन्तुष्ट नहीं होता क्योंकि तब भी पूँजीवादी व्यवस्था जहाँ की तहाँ रह सकती है। मानतो कच्चे सोहे तथा कोपले की सारी लाने राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं तथा उन्हें एक जगह से दूसरी जगह वितरित करने के सारे साथन भी राज्य के अधिकार में हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं कि लोहे के सारे कल कारखाने सरकारी कल-कारखाने ही हो। समष्टिवाद चाहता है कि साधनों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ बड़े-बड़े उद्योग धन्धों तथा मिलों को भी राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में परिवर्तित किया जाए और उनका प्रबन्ध भी सरकार व्यक्तिगत मिलमालिकों से छीन कर अपने हाथ में ले से। ऐसा होने से उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सामाजिक उपयोग के लिए होगा और मुनाफ़ा कमाने की भावना समाज-सेवा की भावना में बदल जाएगी। कोई भी मिल-मालिक मजदूर की मेहनत से अपनी जेब नहीं भरेगा बल्कि सारी और एक राष्ट्रीय सरकार को मिलेगी जो उसे जन-कल्याण के लिए व्यय करगी। समष्टिवादियों का तर्क है कि मूर्म और स्वनिज पदार्थ जैसी प्राकृतिक देन पर सम्पूर्ण समाज का अधिकार है, प्रत कुछ थोड़ से लोगों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका प्रयोग नहीं करने देना चाहिए। इसके प्रतिरिक्त किसी देश के प्राकृतिक साधनों का व्यक्तिगत स्वानित्व

राष्ट्रीय हितों का ध्यान नहीं रखता। वह किसी साधन विशेष की रक्षा करने की बजाय उसे अधिक द्रुत-गति से समाप्त कर देता है। प्राकृतिक साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो। जाने से इनके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। पुनर्ज्ञ, यह भी न्याय-संगत नहीं है कि धोड़े से लोग ही प्राकृतिक साधनों से लाभ उठाएं और अधिकांश व्यक्ति उस लाभ से बंचित रह जाएं।

समिटिवादी विचारकों की यह भी मान्यता है कि उद्योग-बन्धों पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित हो जाने से समाज को अपनी आवश्यकता की वह वस्तुएँ भली प्रकार उपलब्ध हो सकती हैं जिन्हे उद्योगपति के बल इसलिए उत्पन्न नहीं करते कि उनसे उन्हें लाभ की सम्भावना नहीं होती। समाज को शिक्षा, स्वच्छता, अस्पतालों, वाटिकाओं, अजायबघरों, पुस्तकालयों आदि की आवश्यकता होती है, पर ये कार्य अर्थात् लाभ के नहीं हैं। अत यह आशा करना व्यर्थ है कि पूँजीपति इन्हें सामाजिक हित में करें। इन्हें तो केवल राज्य ही कर सकता है। समिटिवादी चाहते हैं कि उद्योगों में उत्पादन इसी दृष्टि से होना चाहिए कि उससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। वे व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सामाजिक हित की भावना को विकसित करना चाहते हैं।

इसी प्रसंग में समिटिवादी उस महान् नैतिक सुधार का उल्लेख करते हैं जो उद्योगों के समाजीकरण से हो सकता है। पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था में हर व्यक्ति सहयोगी न होकर प्रतियोगी होता है। उसे केवल अपने ही स्वार्थ का ध्यान रहता है। ऐसे मनोवैज्ञानिक वातावरण में समाज के सामान्य हित की दृष्टि से घोटाल हो जाते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रन्तिक तथा हेतु साधन अपनाने का एक ऐसा प्रत्योभन पैदा हो जाता है जिसे दबाना बहुत कठिन होता है। यदि उत्पादन-व्यवस्था पर सम्पूर्ण समाज का आधिपत्य है और उसका प्रयोग समाज के सामान्य हितों के लिए किया जाता है तो स्थिति बदल सकती है।

समिटिवादी वर्ग-संघर्ष को तीव्र करने एवं उत्पादन साधनों को अधिक वर्ग के अधिकार में लाने की अपेक्षा समाज के सभी गदस्यों की परस्पर निर्भरता पर चल देते हैं और यह प्रयास करते हैं कि उनमें परस्पर सामंजस्य बना रहे। समिटिवाद का उद्देश्य समाज के किसी वर्ग-विशेष का हित करना नहीं है, बल्कि उन सबका कल्याण करना है जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में अन्याय के शिकार हैं। समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जो सुख-सुविधाएँ प्राप्त हैं उनका भी सामाजिक भागीदार है—इस बात पर आपह से समाजवाद का समिटिवादी स्वरूप स्पष्ट होता है। समिटिवाद वर्ग-संघर्ष के स्थान पर वर्ग-हितों में सामंजस्य का प्रतिपादन करता है, मनुष्य की परमाण-भावना, दया-भावना और सहयोगी भावना को उभारने की चेष्टा करता है।

समिटिवाद एक उदार और प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा है, भरोः जिस प्रकार यह राज्य-व्यवस्था को छुने हुए लोकप्रिय व्यक्तियों को सौंपना चाहता है, उसी प्रकार इसका मत है कि उद्योगों में भी एक पूँजीपति का शासन न होकर अधिक द्वारा मिल

की व्यवस्था हो और सभी श्रमिक समान रूप से उपलब्धि के भवसर, सुसंसुविधाएँ और आय प्राप्त करते रहें। राज्य का कार्य केवल निरीक्षण करना रहे। समष्टिवादियों का उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति को उन्नत करना है, भरत: वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय सरकार श्रमिकों पर लगने वाले कर (Tax) कम कर दे और आदकर की व्यवस्था को अधिक प्रयत्नील बनाए ताकि आर्थिक भेदभाव की लेई कुछ पट जाए और वर्तमान आर्थिक विषमताएँ नष्ट हो जाएँ। समष्टिवादियों की इच्छा है कि अतिरिक्त पूँजी सार्वजनिक हित पर ज्ञावें हो। भाज के पूँजीवादी समाज में भी श्रमिक आवश्यकता से पर्याप्त उत्पादन करके अतिरिक्त पूँजी (Surplus Capital) पैदा करते हैं, परन्तु इस अतिरिक्त श्रम द्वारा उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त पूँजी का साभ उनको नहीं मिलता, पूँजीपति इसे बीच में हड्डप जाते हैं। समष्टिवादी चाहते हैं कि यह अतिरिक्त पूँजी जिसे श्रमिक अपने पसीने से पैदा करते हैं, सरकार के राष्ट्रीय कोष में जमा हो और उसको जन-साधारण का जीवन स्तर ऊँचा करने के लिए व्यय किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सुधी और स्वतन्त्र जीवन दिनाने का अधिकार है जो पारस्परिक सहयोग की व्यवस्थाओं में ही सम्भव है।

### समष्टिवादी साधन या तरीके

समष्टिवादी विकासवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक हैं। उनका विश्वास है कि प्रजातन्त्रात्मक राज्य द्वारा समाजवाद की स्थापना हो सकेगी। समष्टिवाद मार्क्सवाद के इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता कि समाजवाद की स्थापना क्रान्ति द्वारा एकदम की जा सकती है। उनके अनुसार यह एक शान्तिपूरण आन्दोलन है जिसका विश्वास है कि समाज में परिवर्तन सदैव शनैं शनैं हुआ करते हैं और इस प्रकार शनैं-शनैं एव शान्तिपूरण वैधानिक तरीकों से होने वाले परिवर्तन ही स्थायी हो सकते हैं। भरत: समष्टिवृद्ध यह मानकर चलता है कि पूँजीवादी समाज को समाजवादी व्यवस्था में बदलना है, तथापि उनके विचार से यह परिवर्तन अहिंसात्मक होने पर ही अधिक उपयोगी तथा सफल हो सकता है। समष्टिवादियों ने आरम्भ से राजनीतिक साधनों अथवा सांविधानिक तरीकों का पालन एव समर्थन किया है। प्रथम ब्रिटिश लोकसभा में मजदूर दल के प्रथम नेता रेम्जे मेंडोनाल्ड ने यह विश्वास व्यक्त किया था कि संविधान की सीमाओं में रहते हुए राजनीतिक कार्यों द्वारा राज्य-शक्ति पर अधिकार किया जा सकता है। ऐसा ही हुआ और वह ब्रिटेन का प्रथम मजदूर दलीय प्रयान मन्त्री बना। समष्टिवादी पूँजीवाद से समाजवाद में आवर्तन के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें पहले प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली द्वारा जनता में लोकप्रिय बनकर जुनावों में विजयी होना चाहिए और सदैव में पहुँच कर अपनी सरकार बनानी चाहिए, किर अपनी नीति के अनुसार सामाजिक तथा धौधोगिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने चाहिए। अपने उद्देश्य वो सफलता के लिए जै जन-साधारण द्वारा समाजवाद के सिद्धान्तों की शिक्षा देना भी परम आवश्यक मानते हैं।

वैधानिक तथा शान्तिपूरण उपायों में विश्वास करने के कारण ही समष्टिवादी यह मान्य करते हैं कि भरत देने का अधिकार देश के प्रत्येक वयस्क स्त्री-नुस्ख को

मिलना चाहिए। वैधानिक उपायों द्वारा सरकार पर प्रत्यना धार्यित रखने के बाद समष्टिवाद भवने भनुतरणकर्तामों के समझ एवं निश्चित कल्पणा राज्य का आहशी स्वरूप प्रस्तुत करता है। समष्टिवाद भवने समूहवादी शासकों से चाहता है कि वे राष्ट्रीय वेतन-व्यवस्था को सब पर समान रूप से सारे देश में लागू करें। जो मजदूरी न्यूनतम स्तर पर निश्चित की जाए वह ऐसी हो जिससे मनव्यों के नन, शरीर तथा चारित्रिक विकास का भवसर सुलभ हो सके। जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक को समान मजदूरी प्राप्त हो और दुखी तथा दीन मजदूरों को राहत मिले। समष्टिवादी भवनी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तिगत धार्यिक क्षेत्र और सार्वजनिक धार्यिक क्षेत्र में विरोध को भावशक्ति नहीं मानते। दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे के पूरक की दिशा में काम करना चाहिए। समष्टिवाद चाहता है कि राष्ट्रीय सम्भार यह देखे कि कोई देरोजगार तो नहीं है और जो काम करता है उसे भावशक्ति से धर्षिक तथा भवने स्वास्थ्य की कीमत पर तो काम नहीं दरना पड़ता। राज्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह घ्यान रखे कि दृढ़, पुरुषों और धन्य किसी की धार्यिक हानि न होने पाए। 6 से 18 वर्ष के बच्चों का सूल जाना भावशक्ति होगा तथा उनके लिए राज्य नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस आगू के बच्चों से अम का कार्य नहीं लिया जाएगा। राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि नव-युवकों को शिक्षा सम्बन्धी उचित सहायता प्राप्त हो और उन्हें भवने विकास का उचित भवसर प्राप्त हो। प्रश्न यह उठता है कि राज्य जब इन सब कार्यों को करेगा तो उसे जिस घन की भावशक्ति होगी वह कहीं से प्राप्त है? समष्टिवादी दोजना यह है कि इस घन का कुछ भाग राष्ट्रीय उच्चोगी और व्यवसायों की आय से तथा शेष बारों से प्राप्त किया जाएगा। कर आय के हिसाब से लगाया जाएगा और उसकी व्यवस्था इस प्रकार होगी कि जितनी धर्षिक धाय होगी, उसे उतना ही धर्षिक कर देना पड़ेगा। कर-व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य धर्षिक भेदभाव की खाई को कम करना होगा।

### समष्टिवाद के पक्ष में तर्क

समष्टिवाद का विभिन्न विचारकों द्वारा भवेक प्रकार से भनुमोदन किया गया है। समष्टिवादी नियोजित समाज और जनोपयोगी दबोगो पर राज्य के नियन्त्रण और स्वामित्व के प्रबल समर्थक हैं। नियोजित समाज (Planned Society) के पक्ष में लास्की का कहना है कि “प्रतिसद्दी पर भावारित व्यक्तिवादी व्यवस्था की परंपरा नियोजित समाज कहीं धर्षिक स्वनन्त्र ही सकेगा, इसमें काम करने वालों को भवनी क्षमता के प्रदर्शन का निरन्तर भवसर मिलेगा और साथ ही उन्हें बाम करने की दशायों से सम्बन्धित नियम बनाने वाली व्यवस्था में भाग लेने का भवसर भी प्राप्त होगा” इस प्रकार उनके पाइ (धार्यिक) न्याय होगा और न्याय ही स्वतन्त्रता का लक्षण है।<sup>1</sup>

समष्टिवादी विचारधारा के पक्ष में यह कहा जाता है कि यदि जनता के हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित करना है तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अत्यन्त आवश्यक है। यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा ऐसे क्षेत्र में शान्ति स्थापित की जा सकती है जहाँ पूर्ण रूप से भराजकता हो। राज्य द्वारा उद्योगों पर नियन्त्रण और स्वामित्व के पक्ष में जो तर्क प्राय दिए जाते हैं वे मुख्यतः ये हैं—(i) जिन उद्योगों में एकाधिकार की प्रवृत्ति है, उन पर सार्वजनिक हितों को रक्षा के लिए और उनसे होने वाले लाभ को राजकीय कोष वा भाग बनाने के लिए राज्य का नियन्त्रण स्थापित होना चर्चा उचित है। (ii) एकाधिकार की प्रवृत्ति से मुक्त अन्य घनेक उद्योगों पर भी इस दृष्टि से राज्य का नियन्त्रण उपयोगी है कि उससे प्रतिस्पर्द्धा पर होने वाले व्यर्थ के व्यय में बचत हो सकेगी। (iii) उद्योगों पर राज्य के नियन्त्रण से समाज को वे पस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी जिनकी उसे अत्यधिक आवश्यकता होती है, किन्तु जिनके उत्पादन में पूँजीपति लाभ की आशा न देखकर कोई रुचि नहीं लेते। (iv) समष्टिवाद के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों एवं सेवाओं के प्रबन्ध के लिए स्थापित प्रशासन पूँजीवादी व्यवस्था की अपेक्षा अधिक एकरूप, नियमित एवं विश्वसनीय होगा।<sup>1</sup> (v) समष्टिवाद के परिणामस्वरूप वे दोष नहीं पनप सकेंगे जो व्यक्तिवादी व्यवस्था के अन्तर्गत पूँजीवाद के कारण उत्पन्न होते हैं।<sup>2</sup> (vi) समष्टिवादी समाजवाद की स्थापना वैधानिक एवं शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा हो सकती है, इसके लिए हिस्क कान्ति की आवश्यकता नहीं है। समाजवाद के धारणों के व्यापक प्रचार से जनमत को अपने पक्ष में साकर राज्य शक्ति को हस्तगत किया जा सकता है। (vii) समष्टिवाद द्वारा सामान्य जनता के जीवन की दशाघोर्में महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सकता है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर चरक्तरा से कदम बढ़ाए जा सकते हैं। (viii) राजकीय समाजवाद अथवा समष्टिवाद में समाजवादी व्यवस्था और प्रजातन्त्र दोनों का सम्बोध होता है।<sup>3</sup> (ix) इन सभी कारणों से जन-साधारण की नीतिकृता और आध्यात्मिकता में एक कान्तिकारी भवित्वा महान् परिवर्तन भा सकता है तथा उनका चारित्रिक उत्पान हो सकता है। समष्टिवाद का यह विशेष गुण है कि इसके अन्तर्गत राज्य के सदस्य स्वयं को भलग अलग व्यक्तियों के रूप में न समझकर समाज के सदस्य के रूप में समझते हैं।

**समष्टिवाद की आलोचना—साम्यवादियों, व्यक्तिवादियों एवं अन्य आलोचकों ने समष्टिवाद पर तीव्र प्रहार किए हैं—**

1 साम्यवादियों का कहना है कि वैधानिक एवं शान्तिभव उपायों से छोटे-छोटे परिवर्तन अवश्य लाए जा सकते हैं, पर समाज के संगठन में मौलिक परिवर्तन के लिए कान्ति अनिवार्य है। लोकमत को अपने अनुकूल करके विधान सभाघोर में

1 W Morris Challenge of Socialism, p 268.

2 C E M Joad Modern Political Theory, p 48

3 W Morris Challenge of Socialism, p 269-70

मौलिक सूजन की प्रेरणा नहीं मिल पाती। व्यक्ति स्वभाव से आत्मकेन्द्रित होता है और कोई भी कार्य तभी जी लगा कर मेहनत से करता है जब कोई प्रतियोगिता हो या उसे उसकी मौलिकता अथवा साधना के लिए पुरस्कार मिले। चूँकि ये बातें समष्टिवाद में नहीं होगी, अतः मजदूर भी नित्यप्रति के काम को बेगार समझ कर किया करेगे। इस आलोचना के बचाव में यह कहा जाता है कि भारतीक पुरस्कार भी मानव-कार्यों के प्रोत्साहन के लिए उसी प्रकार प्रभावपूर्ण होते हैं जैसे मौलिक पुरस्कार।

5. प्रायः यह आधेप लगाया जाता है कि समष्टिवाद व्यक्तिगत स्वाधीनता का शब्द है। राज्य द्वारा पग-पग पर किए जाने वाले हस्तक्षेप के कारण व्यक्ति के जीवन में जड़ता आ जाएगी और सदैव एक-सा नीरस जीवन बिताने के कारण वह अपने गुब्क जीवन से छूट जाएगा। राज्य का कठोर नियन्त्रण सारी व्यक्तिगत स्वाधीनता को उससे छीन लेगा और हिलारे बेस्कोक (Hillare Base) के शब्दों में, “व्यक्ति राज्य का दास बन जाएगा और समष्टिवाद से गुल न राज्य की नींव पड़ेगी।” इस प्रकार की आलोचना के उत्तर में कहा जाता है कि प्रथम तो राजकीय हस्तक्षेप मानव-स्वाधीनता को नष्ट नहीं करता और यह भी एक गलत परिभाषा है कि स्वाधीनता ही सर्वोपरि (Absolute Thing) है। द्वितीय, समष्टिवाद प्रजातात्त्विक पढ़ति का समर्थक है और यदि राज्य कोई अन्याय करता है तो जनमत किन्हीं सम्मानों में सगठित होकर राज्य को ऐसा करने से रोक सकता है। यथार्थ में समष्टिवादी स्वाधीनता की एक घनात्मक व्याख्या (Positive Interpretation) करते हैं और उसे अधिक व्यक्तियों के लिए मुलभ बनाना चाहते हैं। समष्टिवादियों का कार्य-मत सदृश है। वे बिना बहुमत की स्वीकृति के अपने कार्यक्रम और विचारों को जनता पर नहीं थोपना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वीकृति के बिना किया गया कार्य स्थायी नहीं होता।

6. आलोचकों का एक आधेप यह है कि जब उत्पादन की बुद्धि के लिए स्वस्य प्रतियोगिता और व्यक्तिगत साभ की प्रेरणा दोनों का ही समष्टिवाद में अभाव होगा और इस कारण कोई भी व्यक्ति इच्छा और लगन से कार्य नहीं करेगा तो उत्पादन में हानि होगी। व्यक्तिगत उद्योगों के न रहने से उद्योगों के प्रबन्ध में शियलता आएगी और उद्योगों में नवीन समस्याएँ पैदा हो जाएंगी। इस आपत्ति का उत्तर समष्टिवाद के समर्थक यह कह कर देते हैं कि आज के युग का अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पादन नहीं, बल्कि वितरण है। इसके प्रतिरिक्त रूप एवं चीन आदि देशों का अनुभव तथा इतिहास यह सिद्ध करता है कि समष्टिवाद या राजकीय समाजवाद में उत्पादन धैठता नहीं है, बल्कि सावेजनिक हित के लिए लोग अधिक रुचि तथा मन लगाकर कार्य करते हैं।

7. समष्टिवादी व्यवस्था में राजनीतिक दलों में एकाधिकारी भावना तीव्र होने की भी धारणा का है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत हित के लिए परिस्थितियों का शोषण करेगा। प्रत्येक राजनीतिक दल सत्तारूप रहने के लिए

भ्रनेतिक से भ्रनेतिक कार्य करने में भी सकोच नहीं करेगा। अधिकसित राजनीतिक दलों की प्रगति को जिथिल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाएंगे और प्रत्येक नवीन राजनीतिक दल शक्ति हथियाने के उपरान्त राजनीतिक परिस्थितियों को इस प्रकार मोड़ेगा कि इससे समाज के मूल रूप के ही विकृत हो जाने का भय उत्पन्न हो जाएगा। वस्तुतः समष्टिवादी समाज में शक्ति उपार्जित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में निरन्तर रस्साकसी चलती रहेगी। पर यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो राजनीतिक दलों का इस भाँति का ग्राचरण लगभग प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान है। अत केवल समष्टिवाद पर ही इस प्रालोचना को लादना व्यायसगत नहीं कहा जा सकता।

४ एक प्रमुख भ्राष्टेप यह भी है कि समष्टिवाद धूमकर वहीं आ जाता है जहाँ से आरम्भ होता है और अपने अन्तिम रूप में वह उन्हीं दुर्गुणों का जिकार हो जाता है जिनको मिटाने के लिए उसका जन्म हुआ था। वस्तुतः समष्टिवाद प्रचलन रूप से राजकीय पूँजीवाद का ही दूसरा नाम है। समष्टिवादी प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था में सारे पूँजीपति राज्य-सत्ता हथिया लेंगे। उद्घोरों पर अपना अधिकार कायम रखेंगे जबकि गरीब मजदूर मजदूर ही रहेंगे। अन्तर केवल इतना होगा कि पूँजीवाद का नाम पूँजीवाद न रहकर राजकीय समाजवाद हो जाएगा। अक्तिगत पूँजीवाद सामूहिक पूँजीवाद में परिणत हो जाएगा। बेचारा श्रमिक जहाँ भ्र अपने एक मालिक का भूंह देता है, वहाँ तब अर्थात् समष्टिवादी व्यवस्था में उसे अनेक मालिकों का मूँह ताकना पड़ेगा।

समष्टिवाद का मूल्यांकन—अपने कन्त्रिय महत्वपूर्ण विचारों के कारण समष्टिवाद ग्राज के युग में चारों प्रोट बड़ी शीघ्रता से प्रसारित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि इसकी प्राप्ति क्रमिक विकास द्वारा शान्तिपूर्ण और प्रजातन्त्रात्मक साधनों द्वारा की जा सकती है। साम्यवाद के सिवाय समाजवाद की अन्य विचारधाराओं में यही सबसे अधिक व्यावहारिक सिद्ध हुई है। इम समय सोवियत संघ, चीन तथा यूरोप के कुछ देशों को छोड़कर, जहाँ साम्यवाद को अपनाया गया है, अन्य देशों में समाजवाद की स्थापना की दिशा में समष्टिवाद द्वारा ही न्यूनाधिक प्रगति हो रही है। श्रमिक सघवाद प्रांत श्रेणी समाजवाद (Syndicalism and Guild Socialism) दोनों ही बहुत ग्रामे नहीं बड़ सके हैं प्रोट उन्हें किसी भी देश में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। अत भ्र समष्टिवाद प्रोट साम्यवाद इन दो विचारधाराओं के मध्य ही स्पर्दा है।

प्राज ग्रीष्मोगिक व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण होते हुए भी ग्रदं ग्राजकतावादी (Semi-Anarchic) सी समाजी है। अत उसे एक सुनिश्चित एवं नियमित रूप देने का यही प्रभावकारी उपाय हो सकता है जिसे अक्तिगत अधिकार क्षेत्र से निकाल कर राजकीय अधिकार में ले लिया जाए वयोंकि सरकार ही ग्रावर्क शक्ति प्रोट नियन्त्रण द्वारा हानिकारक प्रतियोगिता तथा अपव्यय को रोक सकती है। सरकारी नियन्त्रण में यह भ्राष्टा की जा सकती है कि वस्तुएँ ग्रावर्कना से अधिक

उत्पन्न होगी और उनकी द्विरावृति (Duplication) भी एक जाएगी। समझा तो मही है कि धारा की दोषपूरण भौतीयिक व्यवस्था के लिए समस्तिवाद एक रामबाण प्रोत्साहित सिद्ध हो सकती है बशर्ते कि उसे सही और प्रभायशाली ढंग से उपयोग में लाया जाए।

समस्तिवाद इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि इसमें ग्राफुतिक साधनों का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए होता है। यह स्वार्य के स्थान पर सेवा का भावदण प्रस्तुत करता है तथा समाज में नेतृत्व गुणों का विकास करता है। भन्त में यह एक ऐसा भ्रहिसात्मक प्रान्दोलन है जो प्रजातन्त्र का ही एक व्यापक रूप है। वास्तव में समस्तिवाद समाजवाद का वह सम्प्रदाय है जो उसके भ्रन्त्य सम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक सदृश और परिष्कृत है। समाजवाद के अधिकांश सम्प्रदाय वर्ग-संघर्ष को भनिवार्य मानकर पूँजीवादी वर्ग की लाश पर अधिकों और जन-साधारण के कल्याण का महल खड़ा करना चाहते हैं। वे समाज में एक वर्ण को दूसरे वर्ण के विरुद्ध खड़ा कर एक का उन्मूलन कर दूसरे की भलाई की बात सोचते हैं, किन्तु समस्तिवाद इस दोष से अपने को बचाते हुए पूँजीवादी व्यवस्था के भ्रन्तगंग अधिकों और सामान्य जन के प्रति होने वाले अस्पृश्य को दूर करना अपना ध्येय समझता है।

### भ्रान्तिकारी और वार्सनिक (Anarchism : Revolutionary and Philosophical)

अक्तिवाद और साम्यवाद दोनों से कहीं अधिक उप्र एव अधिक राज्य विरोधी विचारधारा भ्रान्तिकारावाद है। जहाँ अक्तिवादी राज्य के कार्यों को केवल सुरक्षा एव सुव्यवस्था तक सीमित रखना चाहते हैं, वहाँ भ्रान्तिकारादियों की समस्या इसके कार्यों को सीमित करने की न होकर उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देने की है। जिस प्रकार साम्यवादियों का मुह्य शब्द पूँजीवाद है, उसी प्रकार भ्रान्तिकारादियों का प्रमुख शब्द राज्य है। राज्यवादी जहाँ क्रान्ति के पश्चात् राज्य को संक्रमणकाल के लिए सर्वदौरा वर्ग के अधिनायकवाद के रूप में सुरक्षित रखना चाहते हैं, वहाँ भ्रान्तिकारादियों की क्रान्ति का प्रमुख उद्देश्य राज्य का भ्रन्त कर देना है। कोकर के कथनानुसार, “भ्रान्तिकारावाद राजनीतिक-सत्ता को किसी भी रूप में भ्रनावश्यक एव भ्रवाङ्कनीय मानता है। आधुनिक भ्रान्तिकारावाद में राज्य के संदान्तिक विरोध के साथ वंयक्तिक सम्पत्ति-सम्प्रदाय का विरोध और समस्त वार्सिक सम्प्रदाय के प्रति शब्दुता भी निहित है।”<sup>1</sup> वस्तुत भ्रान्तिकारादी दर्शन सत्ता-विरोधी (Anti Authoritarian) विचारधाराओं में से है जो सब प्रकार के राज्य, राजसत्ता तथा राजनीतिक नियन्त्रणों का उपरास कर एक राज्यविहीन समाज को कल्पना करता है। ‘भ्रान्ती’ (भ्रान्तिकारा) शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ‘भ्रनारकिया’ (Anarchia) से हुई है जिसका शान्तिक अर्थ है ‘कासन का भ्राव’ (Absence of Rule)। भ्रत भ्रान्तिकारावाद एक ऐसी क्रान्तिकारी विचारधारा है जो राज्य तथा

1 कोकर अधुनिक राजनीतिक विभूत, १४२ 202.

सरकार का उन्मूलन कर उसके स्थान पर राज्यहीन और वर्गहीन (Stateless and Classless) समाज का पुनर्गठन करना चाहतो है। अराजकतावादी दर्शन के मत में सब प्रकार के राजनीतिक बल का प्रयोग समान रूप से हानिकारक है, चाहे वह राजतन्त्र द्वारा प्रभुत्त किया जाए घटवा गणराज्य द्वारा, अतः राज्य एक दुरुण्ण है जो समाज में सर्वथा आवश्यक, आवश्यकनीय तथा अत्याचारयुक्त है। अराजकतावादी राज्यविहीन समाज में राज्य के रिक्त स्थान की पूर्ति स्वतन्त्र एवं ऐच्छिक सम्पादो (Voluntary Associations) द्वारा करना चाहत है जिससे राज्य के खासन विभाग जैसे सेना, न्यायालय, कारागार आदि सब निर्व्यक हो जाएंगे। प्रमुख अराजकतावादी प्रिंस क्रोपोट्किन (Prince Kropotkin) के शब्दों में, "अराजकतावाद जीवन तथा चरित्र सम्बन्धी वह सिद्धान्त घटवा दर्शन है जिसके पन्तर्गत एक यरकारविहीन समाज की व्यवस्था की जाती है और उस समाज में सामूज्जस्य स्थापित करने के लिए किसी कानून घटवा सत्ता की आवश्यकता नहीं होती बल्कि उसमें सभ्य जीवन की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति नाना प्रकार के प्रादेशिक तथा आवासाधिक संघों के पारस्परिक समन्वय द्वारा सम्भव होती है।" अराजकतावादियों में भी यस्य विभिन्न विचारधाराएँ हैं, परन्तु सभी अराजकतावादी एक बात पर सहमत हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। इसी कारण वे सभी प्रकार की सरकारों को भ्रष्टीकार करते हैं। उनका विश्वास है कि स्वभाव से सभी मनुष्य नेक और अच्छे होते हैं, किन्तु राज्य और उसकी सूखा उन्हें विकृत बना देती है।

### अराजकतावादी परम्परा (Anarchist Tradition)

अराजकतावाद भ्रमने धारा में कोई नवीन विचारधारा नहीं है। यह एक प्रति-

- १. शब्दोन विचारधारा है जिसके उत्काल में पौराणिक विचारात्मक विचारात्मक और गाथाप्रयोग का पर्याप्त योग रहा है। मन्य भ्रमने के राजनीतिक विचारधाराओं की भाँति इसका प्रादुर्भाव भी प्रोक्त दर्शन से माना जाता है। स्टोइक प्रणाली के जन्मदाता जीनो (Zeno) ने एक
- २. राज्यविहीन समाज का प्रतिपादन किया था जिसमें पूर्ण समानता और स्वतन्त्रता-मानव-स्वभाव की मूल सद्प्रवृत्तियों को पुनर्जागित करेगी और सावंभाषिक सामूज्जस्य स्थापित कर देयी। हमारे देश के भ्रमने के प्रतिपादन सन्त तथा विचारक मानवीय पूर्णता तथा भ्रमोक्ति आनन्द की प्राप्ति के लिए राज्य को आवश्यक न मानकर बाष्पक मानते थे। इससे लगभग 300 वर्ष पूर्व चीनी दार्शनिक चूंगजू (Chuang Tzu) ने कहा था कि एक व्यक्ति का भ्रम्य व्यक्तियों को भ्रमने अधीन रखना मानव स्वभाव के प्रतिकूल है। मध्ययुग के भ्रमने के सम्बद्ध यह मानते थे कि वह उपयुक्त और सुव्यवस्थित जीवन के लिए पर्याप्त गारण्डो है और जो व्यक्ति इसाई धर्म की पताका के नीचे मर्यादित है उन्हें उसी धर्म के नियन्त्रण के अन्तर्गत रहने देना चाहिए, उन वर राज्य का कोई नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। मध्ययुग में स्पीनल तथा तंली के विचारों में भी अराजकतावादी वृक्षों का परिचय प्राप्त होता है। सोलहवीं शताब्दी में भी निरकृत और स्वेच्छाचारी राजतन्त्र के विरुद्ध दिए गए भाषणों में भी अराजकतावादी विचार मिल जाते हैं। 18वीं शताब्दी के धन्त तक तेज़ आनिक

कभी नहीं रही जिसमें स्पष्ट रूप से व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उसके प्राचुर्णिक प्रविकारों का समर्थन किया गया था। इन साहित्यकारों में दिदरो (Diderot) ना नाम उल्लेखनीय है। इसके उपरान्त प्रराजकतावादी विचारों को विशेष प्रोग्राम एहम स्मित्य, हबंटैं स्पेसर एवं अन्य भौतिकवादी लेखकों के राज्य-विचारी विचाराद्वारा मिला। प्राचुर्णिक युग में प्रराजकतावादी विचारों को बहुत कुछ प्रोत्साहन साम्यवादी विचारों से प्राप्त हुआ है। प्रराजकतावादी विचारों को कमबढ़ रूप प्रदान करने का श्रेय विलियम गॉडविन (W Godwin, 1756–1836), थापस हॉगस्टिक्सन (Thomas Hodgskin, 1787–1869), प्रौचरी (Proudhon, 1809–1865), माइकल बैकनिन (Michael Bakunin, 1814–1870), टॉल्स्टाय (Tolstoy, 1828–1910), रिस त्रोपोटकिन (Prince Kropotkin, 1842–1921) आदि को है। उन्होंने प्रराजकतावादी सिद्धान्त को एक प्राचुर्णिक राजनीतिक विचारधारा का रूप दिया है। बट्टेंड रसल, महात्मा गांधी तथा प्राचार्य विनोदा भावे में भी प्रराजकतावादी विभिन्नताएँ पाया जाता है।

### प्रराजकतावादी दर्शन (Anarchist Philosophy)

प्राचुर्णिक प्रराजकतावाद में दो मुख्य विचारधाराएँ हैं—व्यक्तिवादी (Individualistic) और साम्यवादी (Communistic)। दोनों ही के समर्थक राज्य के उन्मूलन में विश्वास करते हैं, पर सम्पत्ति के प्रविकार और वितरण के बारे में उनमें मतभेद है। व्यक्तिवादी प्रराजकतावादियों के प्रनुसार सम्पत्ति पर व्यक्तिया वा भविकार होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को परिषद के प्रनुसार फल मिलना चाहिए। साम्यवादी प्रराजकतावादियों के प्रनुसार सम्पत्ति पर ऐच्छिक सभों का भविकार होना चाहिए और सदस्यों के जीवन की सभी धावशक्ताओं की पूर्ति के सिए घारपटी मिलनी चाहिए। व्यक्तिवादियों में जोकियावारन, मैक्सटनर तथा बैजामिन टकर प्रमुख हैं। साम्यवादी प्रराजकतावादियों में देकुनिन तथा त्रोपोटकिन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

प्रराजकतावादी दर्शन का अत्यन्त वस्तुतः वही से होता है जहाँ साम्यवादी दर्शन समाप्त होता है। प्रराजकतावादियों का उद्देश्य समाज में ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करना है जिसमें राजकीय हस्तधोप का ही नहीं बहिक सामाजिक, प्रार्थिक और प्रार्थिक सभी प्रकार के जोपरा वा प्रन्त हो तथा व्यक्ति को जीवन में सफलता के लिए भविकारिक घबराह निर्भय मिलें। प्रराजकतावादी एक राज्यविहीन समाज बाहने हैं जो वर्षविहीन, धर्मविहीन तथा सत्ताविहीन होने के साथ ही सब प्रकार के पूँजीवादी बन्धनों से मुक्त होय।

प्रराजकतावादियों के प्रनुसार राज्य एक बुराई है, व्यवें का पाठ्म्बर है जिसे भ्रादर्श समाज में कोई स्थान नहीं मिल सकता। गवर्नर द्वारा स्वापित सम्पत्ति लोगों को चरित्रविहीन बनाती हैं। समाज समाज में जो शोषण, प्रब्लेम, विषमता और अत्याचार दिखाई देते हैं उन्हें चिरस्थायी बनाकर समाज में शोक और उत्पीड़न को जीवित रखने का उत्तरदायित्व राज्य पर ही है। "प्रथम तो राज्य निरपराध

व्यक्तियों को अपराधी बनाता है और फिर उन्हें अपराधी होने के अभियोग में दण्डित करता है।" राज्य सब नैतिक मूल्यों को नष्ट करता है।

एक राज्यविहीन समाज में प्रराजकतावादी सामज्जस्य की आशा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं है। जन्म से वह एक सामाजिक और सहयोगी प्राणी है लेकिन राज्य द्वारा उत्पन्न बातावरण ने उसे बिगड़ दिया है। राज्य अथवा उसके विभिन्न प्रभिकरणों द्वारा किए जाने वाले कार्य स्वतन्त्र सधों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सरलता और कुशलता से किए जा सकेंगे।

प्रराजकतावादियों के अनुसार आक्रमणकारियों के विहृद देश-रक्षा का कार्य भी राज्य सत्ता के प्रस्तित्वहीन हो जाने पर अधिक प्रभावी रूप से किया जा सकता है। सुरक्षा के लिए राज्य के धन से संगठित सेनिकों की अपेक्षा एक नागरिक सेना अधिक प्रभावशाली शक्ति सिद्ध हो सकती है। प्रान्तरिक शान्ति-व्यवस्था की दृष्टि से प्रराजकतावादियों का कहना है कि परिस्थितियाँ मनुष्य को अपराधी बनाती हैं। इन परिस्थितियों को हर देश की सरकार उत्पन्न करती है, यह जब सरकार ही नहीं होगी तो ऐसे अवसर भी नहीं आएंगे कि व्यक्तियों के हित परस्पर टकराएं और समाज की शान्ति भग हो। सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भाज भी ऐच्छिक समूहों द्वारा किए गए कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

राज्य के सम्बन्ध में प्रराजकतावादियों की आलोचना देवल प्रनियन्त्रित राजसत्ताओं तथा अत्यन्त नो से शायित राज्यों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि प्रतिनिधि-प्रजातन्त्रों पर लागू होती है। प्रराजकतावादियों की दृष्टि में प्रतिनिधित्वपूर्ण सरकारें नागरिकों का वास्तविक हित नहीं कर सकतीं। चुनाव और प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त केवल दिखावा हैं।

प्रराजकतावादी दर्शन प्राचुनिक जीवन की विषमता और दयनीयता के लिए पूँजीवाद को उत्तरदायी मानता है। राज्य आधिक दृष्टि से हानिकारक स्थिता है जिसने व्यक्तिगत सम्पत्ति के धर्म से जन्म लेकर व्यक्तिगत सम्पत्ति को हर प्रकार से बढ़ावा दिया है और पूँजीवाद तथा शोषण का पक्ष लिया है। पूँजीवाद और शोषण एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। साम्यवादी प्रराजकतावादी जहाँ राज्य और पूँजीवाद का अन्त कर सम्पत्ति का समाजीकरण करना चाहते हैं वहाँ व्यक्तिवादी प्रराजकतावादी राज्य का तो अन्त चाहत है, पर किसी हृद तक व्यक्तिगत सम्पत्ति का समर्पण करते हैं।

साम्यवादियों की ही तरह प्रराजकतावादी मानते हैं कि धर्म सदैव धनवानों का सबल रहा है और धनिक धार्मिक पालण्डों के नाम पर सामान्य जनता का शोषण करते हैं। बेकुनिन के शब्दों में, "सब निरकुश शासन-प्रणालियों में लोहले सिद्धान्त-वादी और धर्मान्धों का निरकुश शासन सबसे अधिक बुरा होता है। धर्म के नाम पर धासको ने शासितों को सन्तोष और भाग्यवाद का उपदेश देकर अस्त्याचारों को शान्तिपूर्वक सहन करने का पाठ पढ़ाया। धर्म सदैव प्रतिक्रियावादी रहा है।"

प्रराजकतावाद मधों में संगठित एक विकेन्द्रीकृत समाज स्थापित करना

चाहता है। वह चाहता है कि राज्य के प्रन्तरगत बतंमान केन्द्रीकृत समाज के सर्वथा विपरीत अराजकतावादी समाज का निर्माण स्थानीय सम्पदों अथवा सधों के भ्राष्टार पर हो जो पुन विशालतर सम्पदों में संयुक्त होकर देशव्यापी रूप धारण करें। इन सधों की व्यवस्था आरम्भ होकर नीचे से हो, और यदि कभी कोई झगड़ा या मतभेद हो जाए तो नीचे के छोटे सघ ही उसका मिलजुलकर निपटारा कर लें। स्पष्ट है कि “अराजकतावादी व्यवस्था में राज्य प्रथवा बल-प्रयोग का अभाव होते हुए भी व्यवस्था का अभाव नहीं है।” राज्य का स्थान स्वतन्त्र ऐच्छिक सघ ते लेंगे जिनका गठन प्रादेशिक आधार व्यावसायिक आधार पर होगा। ये सघ और सम्पादे भिन्न-भिन्न प्रकार तथा आकार के होंगे जिनका निर्माण भी भिन्न उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाएगा। ये सब सम्पादे मिलकर समाज में सन्तुलन रखेंगी और अपने प्रभावों द्वारा समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन करेंगी। इस प्रकार सन्तुलन होते हुए भी अराजकतावादी समाज स्थायी पूर्णता (Static Perfection) न होकर एक प्रगतिशील विकास (Dynamic Evolution) होगा। समाज में, सघ किसी विशेषाधिकारपूर्ण वर्ग (Privileged Class) का पक्ष न लेकर आधुनिक राज्य द्वारा सुचालित एवं नियन्त्रित सब कायों को आपस में बाँट लेंगे। इन सधों का विकास सरलता से जटिलता की ओर होगा और “छोटे से छोटा सघ ही वह आधार होगा जिस पर सम्पूर्ण व्यवस्था आश्रित होगी।” जहाँ तक इन सधों में दारस्तरिक विवादों को निवारण का प्रश्न है, अराजकतावादी यह मानते हैं कि— (1) व्यक्ति के उचित विकास प्राप्त करने पर, (2) प्रतियोगिता के विरुद्ध हो जाने पर, तथा (3) ऐच्छिक सम्पदों द्वारा जन-कल्याण कार्य किए जाने पर भ्रापसी विवादों की सम्भावना नहीं रहेगी। अराजकतावादी समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छानुकूल कार्य करने में स्वतन्त्र होगा और ऐच्छिक सघ इन कायों को करने के लिए उपयुक्त तथा मनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे। सक्षेप में अराजकतावाद समाज को स्वतन्त्र सधों में समर्थित कर उसे सधारनक रूप देना चाहता है। प्रो. जोड (Joad) के शब्दों में यदि हम निष्पक्षता से देखें तो “अराजकतावाद प्रादेशिक तथा व्यावसायिक विकेन्द्रीकरण का सबसे प्रबल समर्यक तथा पोषक है।”

### अराजकतावादी विचारक (Anarchist Thinkers)

विलियम गॉडविन (William Godwin, 1756–1836)

एक काल्पनिक पादरी का पुत्र विलियम गॉडविन सर्वप्रथम आधुनिक अराजकतावादी माना जाता है। अराजकतावाद का सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर प्रतिपादन उसने ही किया। उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक ग्रन्थ ‘राजनीतिक व्याय सम्बन्धी सर्वेक्षण’ (An Enquiry Concerning Political Justice) सन् 1793 में प्रकाशित हुआ था। मुख्यत दो विचार गॉडविन के दर्शन के आधार हैं—

1. जन्म से मनुष्य न भ्रष्टे होते हैं न बुरे, न सदाचारी और न दुराचारी।

परिस्थितियाँ ही उन्हे अच्छे या बुरे होने में ढालती हैं। अपने दोषों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नहीं विलिक समाज है। समाज-सुधार द्वारा व्यक्ति का सुधार और उद्धार हो सकता है तथा वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकता है। सरकार और सम्पत्ति ने मनुष्य के लिए सकट पैदा किए हैं, अतः इनका उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए।

2. मनुष्य विवेकशील प्राणी है और वह अथवा वर्तमान परित समाज क्रान्ति और शक्ति के बजाय सर्वभौमिक ज्ञान से अपना उद्धार कर सकते हैं। यदि लोगों को पूर्ण विश्वास हो जाए कि सरकार और सम्पत्ति अभिशाप हैं, तो वह हिंसात्मक साधनों के बिना ही उनको नष्ट कर देंगे। सरकार शक्ति और हिंसा से उत्पन्न बुराई है जबकि समाज उपयोगी है। शासन-मानवन्याति के व्यक्तिगत निर्णय तथा व्यक्तिगत अन्त-करण पर धावा है। शासक का मूल हमारी बुराईयों में है जबकि समाज का मूल हमारी भावशक्तियों में। कानून, न्यायालय और शासन का अन्त ही धैर्यस्कर है।

गॉडविन वह सर्वप्रथम अराजकतावादी विचारक था जिसने सबसे पहले राज-सत्ता के विरोध के साथ साथ वैयक्तिक सम्पत्ति का भी विरोध किया। उसका विचार या कि साधारण मनुष्य न्यायपूर्वक तथा समुचित ढंग से उसी समय कार्य करते हैं जबकि ग्रातम-अभिव्यक्ति के लिए उनकी स्वाभाविक आकृक्षाएँ उन अनुचित आर्थिक अवस्थाओं द्वारा विकृत नहीं हो जाती जो राज्य के हिंसात्मक हस्तक्षेप से कायम रखी जाती हैं। किन्तु उसने यह भी स्वीकार किया कि यदि अभी सर्वाधिक स्वाभाविक एवं न्यायपूर्ण सामाजिक सम्बन्ध स्थापित कर दिए जाएँ तो भी दीर्घकाल तक कुछ व्यक्ति ऐसे अवश्य रहेंगे जिन पर नियन्त्रण शावश्यक होगा। इस कारण दमनकारी शक्तिशाली राज्य के अवशेष उस समय तक कायम रहेंगे जब तक न्यायशील तथा प्रबुद्ध शासन के प्रयत्नों से इन 'अभागे ग्रल्पसूख्यकों की विकृत प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति सामान्य ढंग से नहीं होने लगती। इस प्रकार गॉडविन का सिद्धान्त पूर्णसूख्य से अराजकतावादी नहीं या और न उसने उसे यह नाम ही दिया। इस पर भी उसके अधिकांश संदान्तिक प्रन्थों में उन सामाजिक तथा नैतिक दोषों का विस्तैरण किया गया है जो शासन तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति से उत्पन्न होते हैं और जिन्हे वह एक दूसरे का पोषक मानता था। गॉडविन की यह मान्यता थी कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा से दरिद्रों में हीनता तथा अर्नेतिकता और घनवानों में मिथ्याभिमान उत्पन्न होता है जिससे उनका पतन होता है, अतः इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। सारीशतः गॉडविन राज्य तथा सरकार, कानून तथा न्यायालय और सम्पत्ति तथा परिवार का उन्मूलन चाहता था।

हॉगस्टिकन (Hodgskin, 1787-1869)

गॉडविन से मिलते-जुलते आदर्श अराजकतावादी विचार (Utopian Anarchism) टॉमस हॉगस्टिकन के हैं। मूलतः यह व्यक्तिगती विचारक था, फिर भी इसके विचार इतने उत्तम थे कि उनमें राज्य को अनावश्यक भूताया गया है।

उसकी मान्यता थी कि यह विश्व स्थायी एवं अपरिवर्तनशील प्राकृतिक नियमों द्वारा सुव्यवस्थित है और मनुष्य भी इसी सुव्यवस्था का भाग होने के कारण इन्हीं नियमों द्वारा नियन्त्रित है। ‘प्रतिपल प्रतिक्षण उसका आचरण स्थायी तथा अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा उसी प्रकार प्रभावित, नियन्त्रित तथा नियमित होता है जिस प्रकार नन्स्पति की वृद्धि अथवा नक्षत्र-मण्डल की गति नियमित और नियन्त्रित होती है।’ अत मनुष्य के लिए राज्य तथा उसकी कानूनी व्यवस्था अनावश्यक है। यदि मनुष्य को बन्धनमुक्त छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं ही पूर्व निश्चित मार्ग पर चलेगा और अपना अधिकाधिक विकास करेगा। हॉगस्टिन ने राज्य की अनावश्यकता का समयन किया, किन्तु यह नहीं बताया कि राज्य का अन्त कैसे होगा और उसके स्थान पर समाज में किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित होगी। वह कोरा काल्पनिक सिद्धान्तवादी था। यद्यपि हॉगस्टिन ने राज्य की अनावश्यकता की बात कही थी, तथापि उसकी विचारधारा को अराजकतावादी न कहकर केवल उप्र व्यक्तिवादी ही कहा जा सकता है क्योंकि उसकी यह मान्यता थी कि यदि राज्य का कायम केवल शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित रखने तक ही सीमित रहे तो राज्य का प्रसिद्धि कायम रखना चाहिए। कोकर के कथानुसार, “अपने अनेक वक्तव्यों में वह राजसत्ता को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत मालूम होता था, किन्तु इस शर्त पर कि वह व्यक्तियत भौतिकीय सम्पत्ति की अनुचित प्रणाली का अनुमोदन करना छोड़ दे और केवल शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने का ही काम करे।”

### प्रोधो (Proudhon, 1809–1865)

पियरे जोफेप्रोधो का जन्म फॉस के बेसनकोन (Besancon) नामक गाँव में हुआ था। अपनी पुस्तक ‘सम्पत्ति क्या है?’ (What is Property?) में व्यक्त क्रान्तिकारी विचारों के फलस्वरूप उसे न्यायालय के सामने उपस्थित होना पड़ा, किन्तु बड़े ताकिक दण से अपना वचाव प्रस्तुत करने के फलस्वरूप वह मुक्त हो गया। करबरी क्रान्ति के बाद सन् 1848 में जब द्वितीय गणतन्त्र की स्थापना हुई तो वह विद्वान-निर्मात्री-परिषद् का सदस्य निर्वाचित हुआ। बाद में नेपोलियन द्वितीय का विरोध करने के अपराध में उसे कारावास का दण भोगना पड़ा। सन् 1858 में ‘क्रान्ति और गिर्जा में न्याय’ (Of Justice in the Revolution and the Church) नामक क्रान्तिकारी पुस्तक लिखने के अपराध में उसे पुनः जेलखाने की हवा खानी पड़ी, लेकिन वह वहाँ से भागने में सफर हो गया। प्रोधो ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण रचनाओं द्वारा स्थापित प्राप्त को—

- 1 What is Property?
- 2 Philosophy of Poverty (1846)
- 3 The Solution of the Social Problem (1848)
- 4 Of Justice in the Revolution and the Church (1858)
- 5 Political Capacity of the Working Classes

प्रोधो स्वभाव से क्रान्तिकारी और ग्रामीणप्रिय था। उसका प्रथम प्रकाशित

प्रत्यय था—‘सम्पत्ति क्या है?’ उसका उत्तर या कि वह ‘चोरी’ (Theft) है। इसी प्रत्यय में उसने यह भी घोषणा की कि ‘मैं हर प्रकार से भराजकतावादी हूँ।’ प्रोधां ने सम्पत्ति को ‘शक्तिशाली द्वारा निर्बंत का शोषण’ की सज्जा दी। साम्यवाद पर प्रहार करते हुए उसने कहा कि जब इसे क्रियान्वित करने का प्रथल किया जाता है तो उसका परिणाम होता है सम्पत्ति का ढाँचा। ‘साम्यवाद एक काल्पनिक दर्शन है जिसमें भेरी कोई आस्था नहीं है।’

प्रोधां यद्यपि स्वयं को समाजवादी कहता था, लेकिन कार्ल मार्क्स से उसका तीव्र मतभेद था। उसके प्रनुसार साम्यवाद एक विज्ञान न होकर विज्ञान का अन्त है। साम्यवाद ऐसा सिद्धान्त है जिससे वितरण और सगठन का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। यह एक दुर्विधिपूर्ण दुखवादी दर्शन है जिसका ग्रन्थ है “रोटियो का अभाव सदैव तथा सबंत्र।”

प्रोधां ने राज्य के प्रति भराजकतावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन बड़े मुव्यवस्थित ढंग से किया। उसका निश्चित मत या कि राज्य शक्ति पर आधारित है और स्वतन्त्रता का हनन करने वाला है। राज्य का ग्रन्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर शासन जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विरोधी है। भराजकतावादी भादर्ण समाज में मनुष्य पर मनुष्य द्वारा शासन ग्रन्था एक मनुष्य का दूसरे के द्वारा शोषण के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इस समाज में हर व्यक्ति को अधिकारितम् स्वतन्त्रता प्राप्त होगी। इस ग्रापति का कि शासन-सत्ता के अभाव में स्वतन्त्रता उच्छृंखलता का रूप धारण कर सकती है, प्रोधां ने उत्तर दिया कि भादर्ण समाज में स्वतन्त्रता और व्यवस्था दोनों साथ-साथ चलती हैं। नूँकि सच्ची व्यवस्था का आधार है भावना पर दुर्दि का प्रमुख और मानव सम्बन्धों में न्याय का पालन, अत स्वतन्त्रता के उच्छृंखला में परिणाम होने का कोई भय नहीं रहता। वास्तुविकाता तो यह है कि शासन और कानूनों की शक्ति के कारण ही व्यवस्था नहीं आ पाती। मनुष्य दुष्ट और बुरे तभी बनते हैं जब उन्हे शासन का मत्याचार सहना पड़ता है। मत्याचार और दमन से मुक्त होकर अपने पंरों पर खड़े होने से तो मनुष्य अपने सर्वोत्कृष्ट हितों की सिद्धि करते हैं और पारस्परिक व्यवहार में उनका आचरण सर्वथा न्यायपूर्ण होता है। प्रोधां ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि—“किसी भी रूप में मनुष्य पर मनुष्य द्वारा शासन मत्याचार है। समाज का सबसे अधिक सुव्यवस्थित निर्दोष रूप भराजकतावाद में ही हो सकता है।”

प्रोधां व्यक्तिगत सम्पत्ति का धोर विरोधी था। यह व्यक्तिगत सम्पत्ति को खोरी का माल कहता था। राज्य के विषद् उसका सबसे विशिष्ट दोषारोपण यह था कि उसका विकास व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रणाली से हुआ है और उसने इस प्रणाली के अन्यायों का पोषण किया है। परन्तु कुछ पूस्तकों में प्रोधां ने लिखा है कि सम्पत्ति की निन्दा करने में उसका मुख्य अभिग्राय सम्पत्ति के उस रूप से या जो मुनाफे, भाड़ और व्याज के द्वारा संभवीत हुई है तथा उसके विशिष्ट आर्थिक प्रस्तावों का उद्देश्य व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश नहीं, बरन् उसके एकाधिकारात्मक एवं

शोपणात्मक रूप का विनाश करना था। प्रोधाँ ने व्यक्तिगत सम्पत्ति पर जो प्रत्यक्ष प्रहार किया और सब प्रकार के राजनीतिक अधिकार की जो भृत्योंना की उसके कारण अराजकतावादियों की श्रेणी में उसे उच्च स्थान प्राप्त है। उसने एक ऐसे 'जनता के बैंक' (Bank of People) की योजना तैयार की जिसका नाम 'थम नोट' (Labour Notes) जारी करना था जिनसे काम के समय से निर्धारित समय की इकाई प्रकट होगी और जो बिना व्याज के उन लोगों को छह से छह से दो तिथियों तक उसके लिए जो जमानत के रूप में अभ्यर्थी करने का वचन देने। प्रोधाँ ने एक परस्पर निर्भरता अथवा अन्योन्याश्रयता (Mutualism) की पद्धति का प्रतिपादन किया जिसके अन्तर्गत व्यक्ति तथा ऐच्छिक समुदाय सहकारी बैंकों द्वारा प्राप्त छह से उत्पादन कार्य कर सकते हैं। प्रोधाँ की ये योजनाएँ उस आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए निर्मित की गई जिनमें व्यक्तिगत सम्पत्ति, राज्य तथा धर्म-संगठन के लिए कोई स्वान नहीं था।

प्रोधाँ वास्तव में व्यक्तिगत सम्पत्ति का उतना विरोधी नहीं था जितना वह उसके असमान वितरण का। इसीलिए वह व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त करने की प्रवेशा उसके न्यायसंगत और समान वितरण पर बल देता था। उसके विचारानुसार वास्तव में समाजवादी समाज वही है जिसमें सबको तीन-तीन एकड़ भूमि तथा एक-एक गाय प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में उसकी कल्पना का सर्वाधिक महसूपूर्ण तत्व यह था कि प्रत्येक समाजवादी व्यक्ति को सम्पत्ति का अधिकार समान रूप से प्राप्त हो तथा समाज में अधिक विधमता न हो। प्रोधाँ सम्पत्ति को चोरी मानते हुए भी वशानुगत सम्पत्ति के पक्ष में था किन्तु व्यवस्था में सुधार करना चाहता था।

एक महान् व्यक्तिवादी होने के नाते प्रोधाँ ने व्यक्ति को चर्चे के प्रविकारों से भी मुक्त रखने का प्रयास किया। धर्म को वह प्रयत्नि तथा विज्ञान के मार्ग का रोड़ा समझता था और इसाई धर्म के इस विचार को कि मनुष्य मूलत पापी है, वह मनुष्य के गोरख के विहृद समझता था।

प्रोधाँ रचनात्मक न होकर विष्वसकारी दार्शनिक था। यद्यपि वह दावा करता था कि 'मैं पुनर्निर्माण के लिए ही विनाश कर रहा हूँ', किन्तु उसने समाज की कोई स्पष्ट एवं विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की और न ही इस विषय में विशेष रूप से कहा कि अराजकतावादी उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी? प्रोधाँ का महत्व इस बात में था कि उसने परवर्ती अराजकतावादियों को अनेक विचारों से प्रभावित किया तथा फैच सिण्डीकलवादियों ने न केवल माक्से से बहिक प्रोधाँ से भी प्रेरणा प्राप्त की और वे राज्य-विरोधी बन गए। प्रोधाँ के सिद्धान्त का राजस्व सम्बन्धी भाग जो विस्तृत रूप में 'अन्योन्याश्रयता' के रूप में था, सबसे अधिक प्रतिद्वंद्वा और उसका प्रभाव भी अधिक रहा। सन् 1860 से 1880 तक फौस के अनिक धान्दोलन पर प्रोधाँ के इस सिद्धान्त के अनुयायियों का प्राधान्य था। ये विचार यूरोपीय प्रवासियों द्वारा सयुक्त राज्य अमेरिका में भी पहुँचे और उसके शिष्यों ने उनको कायरूप में परिणत किया। उसके अनेक शिष्यों ने राज्य, समाजवाद तथा प्रशासकीय हस्तक्षेप के प्रति अपना दिरोध व्यक्त किया। "परन्तु प्रोधाँ के शरण, ता-

दाद के समान उनका प्राज्ञकतावाद इस सुभाव मात्र से आगे न बढ़ सका कि यदि 'झन्योन्याशयता' (Mutualism) की प्रणाली स्थापित हो जाए तो मानव-जीवन में भाग और वहाण इतनी मात्रा में व्याप्त हो जाएगा कि व्यक्तियों के पारस्परिक सम्झौते में राज्य के हस्तक्षेप के अवसर नहीं आ पाएंगे।" प्रोफ़ेसर के अमेरिकी सिद्धांश में 'विलियम बो ग्रीन' प्रमुख था।

### माइकल बैंकुनिन (1814-1876)

विलियम गांडिविन और प्रोफ़ेसर में राज्य के विरोध के साथ व्यक्तिवाद का सम्मिश्रण था जबकि बैंकुनिन और शेपोटिन साम्यवादी प्राज्ञकतावादी थे। प्राचुर्यिक समय में प्राज्ञकतावाद का सर्वाधिक बैंकानिक विवेचन इन दोनों की रचनाओं में ही मिलता है।

रुसी प्राज्ञकतावादी माइकल बैंकुनिन सन् 1841 में वर्खित गया। ए रीउग (A Reug) के प्रभाव से वह साम्यवादी बन गया। सन् 1843 में वह प्रोफ़ेसर के सम्बन्ध में गिरा। उसने अनेक कान्तिकारी कायवाहियों में भाग लिया जिसके तिए उसे प्राज्ञवेदन कारबास का दण्ड घोषना पड़ा। सन् 1861 में वह साइबेरिया के बन्दीपृष्ठ से नाम निकला। प्रश्ना छोप जीवन उसने पश्चिमी पूरोप में व्यतीत किया। वह मार्क्स और ऐजिल्स के प्रभाव से अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संघठन में सम्मिलित हुया, लेकिन शोध ही मार्क्स से उसके तीव्र नतमेद हो गए। प्रथम 'इंटरनशनल म बैंकुनिन का मार्क्स के साथ तीव्र मतभेद हो गया। मुख्य मतभेद इस बात पर था कि जहाँ मार्क्स के प्रनुसार पूर्त यामाजवाद पर पहुँचने के तिए सत्रमणकालीन प्रबल्ला में एक स्थायी श्रमजीवी तानाशाही की स्थापना यावर्यक थी, वहाँ बैंकुनिन सक्रमणकालीन प्रबल्ला में किसी भी प्रकार की तानाशाही का विरोधी था। मार्क्स के विरोध में ही बैंकुनिन ने सन् 1869 में प्रपते विवारो के प्रकार के तिए सामाजिक प्रजातान्त्रिक संघठन' (Social Democratic Alliance) की स्थापना की। दुर्भाग्यवर्त बैंकुनिन का स्वास्थ बिगड़ता रहा। सन् 1873 में वह कान्तिकारी कायवाहियों से विरत हो गया और सन् 1876 में उसकी मृत्यु हो गई। बैंकुनिन को 19वीं सदी के प्रतिभाव वर्णन में पूरोप के सबंहारा वर्य में प्राज्ञकतावाद के व्यापक धार्दोत्तन का अन्मदाता होन का अधै प्राप्त हुआ।

बैंकुनिन ने प्राज्ञकतावाद में दो नवीन प्रवृत्तियों का समावेश किया—प्रथम उसने राज्य के प्रति धूणा को सम्प्रित्वादी दर्गन से समुक्त किया और इस प्रकार साम्यवादी प्राज्ञकतावाद की ग्रामारक्षिता रखी, द्वितीय, उसने यह विश्वास व्यक्त किया कि हिसात्मक कान्ति के बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, और इससे वह प्रातःक्वादी प्राज्ञकतावाद का जनक कहलाया। बैंकुनिन के इन दोनों विवारों को विस्तार से आगे यथास्थान प्रकट किया जाएगा।

बैंकुनिन के विवार का केन्द्रित यह था कि व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में हर प्रकार की सत्ता में मुक्त कर दिया जाए। वह व्यक्ति जो ग्रामिक क्षेत्र में पूँजीवाद

की दासता से, राजनीतिक क्षेत्र में राज्य की दासता से और धर्म के क्षेत्र में पुरोहित वर्ग की दासता से मुक्त कराने का प्राकौशी था। उसकी यह धारणा थी कि राजसत्ता, व्यक्तिगत सम्पत्ति और धर्म मानव विकास की निम्न अवस्था की स्वाभाविक स्थिताएँ हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध किसी न किसी रूप में शारीरिक इच्छाओं तथा भय से है। व्यक्तिगत सम्पत्ति मनुष्य की भौतिक वस्तुओं में रचि पैदा करती है, राज्य निजी सम्पत्ति का रक्षक है और धर्म राज्य एवं सम्पत्ति दोनों का पोषक है तथा मनुष्य के हृदय में मिथ्या भय उत्पन्न करता है। वस्तुत ये तीनों ही स्थिताएँ मनुष्य की पाश्चात्यिक प्रवृत्ति को प्रतीक हैं और इनका समाप्त हो जाना ही हर दृष्टि से अभ्यस्कर है।

बैंकुनिन के अनुसार सब प्रकार की अधीनता मानव उन्नति में बाधक है। अधीनता वह दुर्गुण है जो शासक तथा शासित दोनों को अनैतिकता की ओर ले जाती है। अधिक से अधिक जनतान्विक होते हुए भी सरकार शासितों का कल्याण नहीं कर सकती बल्कि शासक जनता के प्रतिनिधि होते हुए भी अत्याचारी तथा मदान्ध हो जाते हैं। दोष किसी विशिष्ट प्रकार की सरकार में नहीं है, बल्कि स्वयं राजसत्ता में है जोहे वह लोकतान्त्रिक प्राधार पर ही संगठित क्षेत्र न हो। राजसत्ता नैतिक दृष्टि से पतनकारी है। राजसत्ता का प्रयोग एक दोहरा अभिशाप है जो प्रयोगकर्ता और जिन पर इसका प्रयोग किया जाता है उन दोनों का ही पतन करता है। यदि शासक अर्थात् राजसत्ता के प्रयोगकर्ता दम्भी, अत्याचारी और स्वार्थी हो जाते हैं एव शासितों के हितों की अवहेलना करने लगते हैं तो शासित अर्थात् वे जिन पर राजसत्ता का प्रयोग किया जाता है शक्ति और विवशता के अधीन रहते हैं एव ग्रामने विवेक के अनुसार आचरण नहीं कर पाते। “राज्य प्रबोधन और प्रोत्साहन की अपेक्षा सर्वेव दबाव से काम लेता है। राज्य के प्रत्येक काय में व्यक्तिगत नागरिक की इच्छा तथा निर्णय के स्थान पर किसी सावजनिक अधिकारी का आदेश काम करता है। मानव-व्यवहार में नैतिकता एवं बुद्धिमत्ता केवल ऐसे थेष्ठ तथा बुद्धिमत्त कायों का सम्पादन करने में है जिन्हे कर्त्ता थेष्ठ या बुद्धिमत्त समझता है। जो कायं किसी ग्रादेश या निर्देश द्वारा किया जाता है उसमें नैतिकता या बोद्धिकता का सर्वंया अभाव होता है। अत राज्य के काय की अनिवार्य प्रवृत्ति अधीनस्थ व्यक्तियों के नैतिक तथा बोद्धिक स्तर को निराने वाली होती है।” राज्य कुछ लोगों को अत्याचारी और भ्रहकारी तथा बहुसूखक जनता को सेवक या पराधीन बना देता है। राज्य द्वारा व्यक्ति का कोई हित साधन नहीं ही सकता क्योंकि वह उसके लिए पूरणतः बाहर की वस्तु है जिसके द्वारा व्यक्तित्व का विकास न होकर उसमें बाधा उत्पन्न होती है।

बैंकुनिन ने राजनीतिक नियन्वण की सभी स्थितियों, यहीं तक कि प्रौढ मताधिकार के आधार पर स्वी-सम्पत्ति को भी बड़ी दृढ़ता के साथ अस्वीकार किया। उसका विचार था कि स्वेच्छाचारिता राज्य के स्वरूप में न होकर उसके सार में विद्मान है। राज्य का यह आवश्यक लक्षण है जिसके शोधन के लिए

प्रत्यन्न मारुनिक प्रजातान्त्रिक विधियाँ भी व्यर्थ हैं। जनता अधिकांशत अज्ञानी और अनुभवहीन होती है यत वह मार्थिक दृष्टि से सबल वर्गों के पड्यन्त्रों तथा प्रपञ्चों से अपनी रक्षा नहीं कर पाती। ये सबल मार्थिक वर्ग अपने धन-बल और कुचकों से सम्पूर्ण राजनीतिक यन्त्र को इस तरह अपने पक्ष में कर लेते हैं कि वह सदैव उन्हीं का स्वार्थ-साधन करने की दिशा में अग्रसर रहता है। राज्य भूमि तथा पूँजी के स्वामियों द्वारा मजदूरों के शोषण में योग देता है, यत इसका विनष्ट हो जाना ही उत्तम है। हर राजनीतिक प्रणाली बुरी है क्योंकि उसका उद्देश्य पूँजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण का समठन एव समर्थन करना है। व्यक्तिगत सम्पत्ति और पूँजीवाद ये दोनों ही समाज में व्याप्त निषंकता के कारण हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति यदि राज्य के प्रस्तित्व का आधार है तो उसका परिणाम भी। यह एक बुराई है जो हर प्रकार के भौतिक एव नैतिक दुरुण्णों को जन्म देती है। यह वह शक्ति है जो करोड़ों श्रमिकों पर मार्थिक परतन्त्रता लादती है और उन पर प्रत्यधिक श्रम धोपती है। व्यक्तिगत सम्पत्ति ऐसा दानव है जो साधारण जनता और श्रमिकों को निरन्तर अज्ञान एव अन्धकार में भटकाए रखता है।

धर्म के विषय में भी बैंकुनिन के विचार बड़े कान्तिकारी हैं। उसके मत में, "सब प्रकार की निरकृशताओं में धर्म की निरकृशता सर्वाधिक दुखदायी है क्योंकि अपने ईश्वर की महानता तथा अपने विचार की विजय के बारे में वे इतने कटूर हैं कि बास्तविक जीवित एव दुखी मानव की महत्ता एव स्वतन्त्रता के प्रति वे सर्वथा हृदयहीन रहते हैं।" वह ईश्वर को अत्याचारी जार (Czar) कहा करता था और जार को निरकृश अत्याचारी ईश्वर। बैंकुनिन की मान्यता थी कि "धर्म मानवता के इस दृश्य-जगत् के महत्वपूर्ण कार्यों से मनुष्य को विमुक्त कर देता है और उसमें कल्पना, अन्धविश्वास तथा अद्वालुता उत्पन्न करता है। राज्य धर्म का द्योटा भाई है और इन दोनों को जन्म देने वाले कारण एक ही हैं, इसलिए दोनों का साथ साथ विनाश कर देना चाहिए। धार्मिक विश्वासों के स्वान पर विज्ञान तथा ज्ञान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और भावी देवी न्याय के मिथ्यावाद के स्थान पर वर्तमान भानवीय न्याय के यथार्थवाद की प्रतिष्ठा होनी चाहिए।"

बैंकुनिन शक्ति एव विद्रोह का पुजारी था और गुप्त कान्तिकारी सस्याओं द्वारा राज्य का अन्त करना चाहता था। अराजकतावादी समाज की प्राप्ति के लिए वह विकासवादी (Evolutionary) तथा कान्तिकारी (Revolutionary) दोनों प्रकार के साधनों में विश्वास करता था। विकासशील साधन के सम्बन्ध में उसका कहना था कि घटनाओं तथा तथ्यों की लहर स्वयं अराजकतावाद को और प्रवाहित होती है। प्रावृक्ति इस बात की है कि उन घटनाओं के मार्ग में आने वाली वाधाओं को हटा दिया जाए। इसके लिए प्रतिक्रियावादी सस्याओं का नाश तथा जन-शिळण प्रावश्यक है, यद्यपि अराजकतावादी कान्ति से सावंजनिक शान्ति अवश्य ही मग होगी। व्यक्तिगत सम्पत्ति और राज्य का अन्त केवल प्रचार, मतदान अथवा समझाने-बुझाने से नहीं किया जा सकता, यत उनकी समाप्ति के जिए प्रनिम प्रवस्था

## १४ भवचीन राजनीतिक चिन्तन

मेरे कुछ हिसा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसमें भावशक्ति स्वप्न से कुछ रक्तपात होगा यद्योंकि कुछ लोग क्रान्ति का दृढ़ता से विरोध करेंगे और साथ ही जनता में अपने पुराने शोषकों के प्रतिरोध की स्वाभाविक भावना भी प्रबल होगी। यद्यपि बंकुनिन ने इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रतिरोध का समर्थन नहीं किया, तथापि उसने भराजकतावादी क्रान्ति की परिपूर्णता और भीषणता को भी कम नहीं किया। इस क्रान्ति में गिजो, न्यायालयों, पुलिस, सेना, विधानसभाओं, प्रशासनिक कार्यालयों तंबा सम्पत्ति के अधिकारों का बलपूर्वक विनाश निहित पा।

बंकुनिन ने केवल भराजकतावादी क्रान्ति का ही उत्तेजन नहीं किया बल्कि यह भी बतलाया कि इस क्रान्ति का समर्थन किस प्रकार किया जाएगा। कोकर के शब्दों मे—

“राजधानी या किसी बड़े महत्वपूर्ण नगर मे सच्चे भराजकतावादियों के ऐच्छिक सम होगे जो प्रत्येक मुहूल्ये पा राजपत्र के नाम से मोर्चों के रूप मे संगठित किए जाएंगे। मोर्चे समस्त नगर की कौसिल के लिए अपने प्रतिनिधि भेजेंगे जिन्हें उनकी ओर से आदेश प्राप्त होगे और जो वापस बुलाए जा सकेंगे। यह कौसिल क्रान्तिकारी शासन के विविध कार्यों के लिए अपने सदस्यों मे से समितियों का निर्माण करेगी। इस क्रान्तिकारी सम्पत्ति का कार्य एक ओर तो विनाश के कार्यक्रम को पूरी तरह कार्यान्वित करना, समस्त राजनीतिक सम्बन्धों का तत्काल दमन करना तथा समस्त घोषणागिक एव कुपि-सम्भिति का मजदूर-समितियों मे वितरण करना एव ऐसी व्यवस्था करना होगा कि किसी प्रकार का कोई दूसरा संवंशतात्मक समर्थन, चाहे वह संवंहारा-वर्ग का या समाजवादी अधिनायकतन्त्र ही क्यों न हो, स्थापित न हो सके। दूसरी ओर यह कौसिल के प्रचारको व आनंदोलनकारियों के रूप में अपने प्रतिनिधियों को प्राप्ति तथा प्राप्ति मे जनता को क्रान्ति के कार्यों तथा उसके क्रमानुसार उद्देश्यों का ज्ञान करा कर क्रान्ति में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजेंगे।”<sup>1</sup>

बंकुनिन का चिन्तन क्रान्ति तक ही सीमित नहीं था। उसने इस विषय में भी विचार किया कि जब क्रान्ति के फलस्वरूप राज्य का अन्त हो जाएगा तो समाज की व्यवस्था किस प्रकार होगी। इस बारे मे उसने अधिक विचारपूर्वक तो नहीं सोचा, किन्तु जगह जगह सकेत रूप से कुछ लिखा है। उसका मत था कि राज्य के स्थान पर ऐसे स्वतन्त्र समाज की प्रतिष्ठा की जाएगी जिसमें न कोई वर्ग होगे न जिसका सत्ता से कोई सम्बन्ध होगा और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को विनाश किसी पक्षपात के समानता के आधार पर धर्म करने और अपने धर्म के लाभ का उपयोग करने का अधिकार होगा। भराजकतावादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी शोष्यतानुसार कार्य करेगा और उसे आवश्यकतानुसार धन मिलेगा। इस स्वतन्त्र समाज का आधार कानून और अनिवार्य भक्ति के स्थान पर समझौता भौत् ऐच्छिक

सहयोग होगा। क्योंकि सहकारिता मनुष्यों की स्वाभाविक प्रावश्यकताएँ और प्रकृतियों पर निर्भर होगी, प्रति जिस किसी भी समठन की प्रावश्यकता होगी, वह नीचे से ऊपर की ओर विकसित होगा। बेंकुनिन, के ग्रनुसार “इस प्रकार के समाज में व्यक्तियों के स्वतन्त्र समुदाय होगे, समुदायों के प्रान्त, प्रान्तों के राष्ट्र, राष्ट्रों का एक समुक्त धरोप तथा तत्पत्त्वात् एक विश्व की स्थापना होगी।” प्राचिक, सामाजिक व्यवस्था ऐच्छिक समुदायों के हाथ में होगी जिनका उत्पादन के साधनों पर प्रधिकार होगा जो अक्तिगत रूप से या स्वतन्त्रतापूर्वक निर्मित संस्थाओं द्वारा काम करके उत्पादन के लिए उपयोग करने को तैयार होंगे। स्थानीय संस्थाएँ मिलकर बड़ी प्रादेशिक संस्थाओं का निर्भाण करेंगी, किन्तु उनमें किसी भी व्यवस्था में, किसी भी प्रकार के दबाव के लिए कोई स्थान नहीं होगा। संस्थाओं और समुदाय के नियमों के लिए, दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि ये नियम ऐसे होंगे जिनका प्रभुपालन मनुष्य समाज के स्थापित्व के लिए प्रावश्यक समझ कर स्वेच्छा से करेंगे।

बेंकुनिन ने जिस सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी वह सुदूर भविध्य के लिए एक भाद्रशं के रूप में नहीं थी, वरन् वह उसे एक ऐसा लक्ष्य मानता था जिसकी प्राप्ति शीघ्र ही सम्भवतः 19वीं शताब्दी से पूर्व ही करनी थी।

### प्रिस क्रोपोटकिन (Kropotkin, 1842-1921)

प्रराजकतावाद का सर्वाधिक व्यवस्थित और स्पष्ट रूप क्रोपोटकिन की गजीव वैज्ञानिक हृतियों में उपलब्ध है। क्रोपोटकिन ने कुछ दर्शनों तक संनिक सेवा की ओर इस बीच यह प्रभुभव किया, कि जीवन-संपर्क में राज्य का भाग महत्वहीन तथा प्रभावशून्य है। उसके हृदय में राज्य के प्रति धनाद्यस्या जाग्रत हो गई। सन् 1872 में बेंकुनिन से उसकी भेंट हुई और वह पूर्ण प्रराजकतावादी बन गया। उस में उसने ‘निषेद्वाद’ (Nihilism) का प्रचार किया जो प्रराजकतावाद से भी कहीं धर्मिक विस्तृत सिद्धान्त है क्योंकि वह न केवल राज्य का सम्बन्ध करता है बल्कि समस्त स्पायित सामाजिक और नैतिक संस्थाओं तथा भूत्यों का भी विरस्कार करता है। राज्य-विरोधी प्रचार के कारण सन् 1874 में उसे कारागार में डाल दिया गया, पर सन् 1876 में वह किसी प्रकार भाय निकला। सन् 1917 में उस में अन्तिम होने पर वह पुनः स्वदेश लौटा भाया। अमरीकी शताब्दीही का विरोधी होने के कारण उसने कान्तिकारी कार्यों में कोई भाय नहीं लिया। वह लेखन-कार्य में समर्थ रहा।

क्रोपोटकिन घपने अन्तिम समय तक प्रराजकतावादी विचारों का धनी रहा। उसने निम्नलिखित महत्वपूर्ण पुस्तकों लिखी—

- (1) The Conquest of Bread (1888)
- (2) Anarchism - Its Philosophy and Ideals (1896)
- (3) The State, Its Part in History (1898)
- (4) Fields, Factories and Workshops (1899)
- (5) Mutual Aid - A Factor of Evolution (1902)
- (6) Modern Science and Anarchism (1903)

भपराधी और मुस्य प्रेरक मानते हुए राज्य की परिभाषा में वह कहता है कि “यह (राज्य) भूमिपतियों, सेनापतियों, न्यायाधीशों, घर्मं पुरोहितों और आगे चलकर पूँजीपतियों के बीच पारस्परिक सहायता हेतु बनाया गया एक ऐसा संगठन है जो उन्होंने जनता पर एक दूसरे के प्रभुत्व को कायम रखने के लिए और उसका शोषण कर स्वयं धनाद्य बनने के लिए स्थापित किया है।” कोपोटकिन के मतानुसार राज्य वंगीकृत स्वतन्त्रता का सदैव शब्द रहा है और यदि भाषण, प्रेस तथा समुदाय गठित करने की स्वतन्त्रता जनता को कभी दी भी गई है तो वह उसी सीमा तक जहाँ तक कि जनता उसका प्रयोग शोषक-वर्ग के विहद नहीं करती। राज्य व्यक्ति के सहज अधिकारों का सरकार कभी नहीं रहा है।

कोपोटकिन की दृष्टि में राज्य की सभी सेवाएँ अनावश्यक हैं चाहे वे रक्षात्मक हो या अन्य किसी प्रकार की। जनता स्वयं सक्रिय होकर आन्तरिक सुटेरों तथा विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा कर सकती है। इतिहास से यह सिद्ध होता है कि राज्य की स्थायी सेवाएँ नागरिक सेनाओं द्वारा पराजित हुई हैं और आक्रमण लोक-विद्रोह द्वारा व्यर्थ कर दिए गए हैं। शासन सामाजिक भपराधियों से भी हमें सुरक्षित नहीं रखता। न्यायालयों तथा बन्दीगुहों ने, जो राज्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं, अपराधों में कमी करने की अपेक्षा वृद्धि ही की है। राज्य के सांस्कृतिक और परोपकारी काम भी अनावश्यक हैं। जब मनुष्य धार्यिक एवं राजनीतिक दासता से मुक्त हो जाएँगे तो अपनी शिक्षा और दानशीलता की आवश्यक व्यवस्था स्वयं कर लेंगे।

बैकुनिन की भाँति ही कोपोटकिन ने नैतिक दृष्टिकोण से भी राज्य की निष्ठा की है। उसके कथनानुसार राजसत्ता निश्चित रूप से अपने प्रयोगकर्ताओं को घट्ट करती है, चाहे वे प्रयोगकर्ता सामु-प्रकृति के ही व्यक्ति क्यों न हों।

स्पष्ट है कि कोपोटकिन राज्य को मूलत एक अभिशाप समझता था। उसके प्रनुसार उपर्युक्त सब बातें सभी प्रकार के राज्यों के सम्बन्ध में सत्य हैं। एकतन्त्रीय राज्यों के वंचानिक राज्यों में परिवर्तित हो जाने पर राज्य के विशिष्ट स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं पाता है। लोकतन्त्रात्मक राज्य को एकतन्त्रीय राज्यों से कुछ अंतर नहीं बताया जा सकता। मताधिकार के ग्राधार पर प्रतिनिधित्व इन बातों में कोई अन्तर पेंदा नहीं करता। साधारण जनता में से व्यक्तियों को निर्वाचित करके उन्हें सावंजनिक मामलों की व्यवस्था का कार्य नहीं सौंपा जा सकता। वे इस कार्य के सर्वेषां प्रयोग्य होते हैं। दोष किसी विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली में नहीं है, बल्कि स्वयं राजसत्ता में है। लोकतन्त्रात्मक शासन कुछ बातों में चाहे भय प्रकार के शासन में अच्छा हो, लेकिन अराजकतावादियों के भावी समाजबादी समाज में उसे किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं समझा जा सकता। मनुष्य के नैतिक विकास के लिए लोकतन्त्र भी उतना ही यात्रा है जितना कि वर्गतन्त्र या निरकुशतन्त्र।

ओपोटकिन ने व्यक्तिगत सम्पत्ति की भी आलोचना की है। उसका मत यह कि अपने स्वरूप में ही व्यक्तिगत सम्पत्ति, न्याय के प्रति प्रपराध है क्योंकि उसके अधीन एक घट्पसङ्खयक वर्ग वर्तमन तथा भूतकाल की फीडियो के प्रशंसित मनुष्यों के सामूहिक प्रयत्नों से उत्पन्न लाभों के अधिकांश का उपभोग करता है। वास्तविक सामाजिक अवस्थाओं से व्यक्तिगत सम्पत्ति के दुष्परिणाम प्रकट होते हैं जैसे, जनता में दुख व निर्बन्धता का विकास, करोड़ों लोगों का बेरोजगार होना, अस्वस्थ बालकों को दृष्टि, किसानों का सदैव कर्जदार होना, प्रादि। व्यक्तिगत सम्पत्ति अनिकों को आलसी और विलासी बनाती है। यह युद्ध को प्रोत्साहित करती है और समाज के सदस्यों की अधोगति के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई है। ओपोटकिन ने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य तथा सम्पत्ति की शोषणकारी स्थाये साथ-साथ शुल्क हुईं और साज राजसत्ता के अस्तित्व का मूल कारण भी व्यक्तिगत सम्पत्ति है। ओपोटकिन के मतानुसार उत्पादन के साधन मानव-समुदाय के सामूहिक कार्य हैं, उनके द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुएँ सबकी सामूहिक सम्पत्ति होती हैं। सभी वस्तुओं पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। वह मेरे और तेरे का विरोधी है तथा वह मजदूरी पद्धति (Wages System) का भी उन्मूलन चाहता है। वस्तुओं वा वितरण आवश्यकतानुसार होना चाहिए। ओपोटकिन एक संदान्तिक सम्पत्तिवादी या जो 'प्रत्येक का उसकी आवश्यकता के मनुसार' के सिद्धान्त को स्वीकार करता था। उसका विश्वास था कि व्यक्तिगत सम्पत्ति के विनष्ट हो जाने पर गरीबों के दुख, दरिद्रता, अण्यस्तता, प्रभाव प्रादि मिट जाएंगे और अपव्यय, विलासिता, प्रदर्शन आदि धर्मीरों के दोष भी दूर हो जाएंगे। तब समाज के सभी सदस्यों का जीवन आनन्द में बीतेगा और किसी को भी कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा।

ओपोटकिन गिरजों का भी विरोधी था। उसका कहना था कि निर्धनों दे लिए धर्म का परिणाम अन्याय के रूप में होता है और इससे अनिकों को अपना सामाजिक स्तर कायम रखने में सहायता प्राप्त होती है। 'धार्मिक सत्ता राजनीतिक उत्पीड़न तथा प्रादिक विशेषाधिकार की सेविका और उसे पवित्र बनान वाली है। ओपोटकिन का विश्वास था कि धर्म या तो "जगत् की मृष्टि की मीमांसा करने वाला एक प्रादिम सिद्धान्त है प्रकृति को समझने का एक भद्र प्रयास है", या "वह एक ऐसी नंतिक प्रसाली है जो जनता के प्रज्ञान तथा अन्यविश्वास से लाभ उठाकर उसे वर्तमान राजनीतिक तथा प्रादिक अवस्था के अन्यायों को महन करने का उपदेश देती है।" वह अवश्य ही सामाजिक नैतिकता के व्यवने विचार को, जो जनता में स्वत विकसित होती है धर्म का नाम देने को प्रस्तुत था।

ओपोटकिन ने समाज के विषय में भी विचार किया जिसकी स्थापना और व्यक्तिगत सम्पत्ति के विनाश के बाद होगी। उसने भी भावी समाजके बातों में वैसा ही अकिन किया है जैसा बैकुनिन ने। मनुष्य संदर्भ मिलकर रहेंगे और वे ऐसा किसी लासन के दबा करेंगे। समाज में तेजिद्वार सहयोग होगा। जो व्यक्ति

होंगे, वे परस्पर मिलकर सघ या समुदाय बना लेंगे। ये छोटे सघ परस्पर समुक्त होकर बृहत् सघों का निर्माण करेंगे। सगठन का कम वास्तविक आवश्यकताग्रे और आकॉलाइओ के अनुसार सखलता से जटिलता की ओर रहेगा। जबो ज्यों प्रावश्यकताएँ सामने आती जाएंगी त्यो-त्यो विभिन्न समुदाय स्थापित होते जाएंगे। ऐसे ही त्रिहर संगठित होकर समाज के लिए अन्न, दाल, गन्ना, रई आदि उत्पन्न करेंगे। इसी प्रकार मकान बनाने, जूते बनाने, कपडे बनाने, शिक्षा प्रदान करने आदि विभिन्न कार्यों को करने के लिए अपने प्रपने समुदाय होंगे। यह निश्चित है कि समस्त छोटे-बड़े सघ या समुदाय व्यक्तियों द्वारा स्वतन्त्र इच्छा से किए गए समझौतों के फलस्वरूप बनेंगे। इन समझौतों का पालन सामान्यतः अपने पड़ोसियों से मैंत्रीपूण सहयोग की उस आवश्यकता के कारण होंगा जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति करेगा। कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन न करने वाले व्यक्तियों को सघ से पृथक् कर दिया जाएगा, विन्तु सहयोग और स्वेच्छा पर आधारित इस समाज में ऐसे व्यक्तियों की स्था न गण्य होगी। 20 से 45 वर्ष की आयु के प्रत्येक ऐसे मनुष्य को, जो कुछ न कुछ कार्य कर सकता है, अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार किसी न किसी सघ मा समुदाय में शामिल होकर 4 या 5 घण्टे प्रतिदिन कार्य करना होगा। अभिन्न यह है कि प्राराजकनावादी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा बहुत उत्पादक कार्य अवश्य करना पड़ेगा। विभिन्न समुदायों द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुएँ सबकी सामान्य सम्पत्ति होंगी और उन्हें नागरिकों में उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जाएगा। समझौते के आधार पर सघ व्यक्तियों को सभी सुविधाएँ प्रदान करेंगे मानो वे व्यक्तियों से, ओपोटकिन के शब्दों में यह कहेंगे कि—

“हम आपको इस प्रकार जा आज्ञासन देते हैं कि आप हमारे मकानों, भण्डारों, राजपथों, यातायात एवं परिवहन के साथनों, विद्यालयों तथा अद्भुतालयों का इस शर्त पर प्रयोग कर सकेंगे कि आप चौबीस वर्ष की आयु से पैतालीस पचास वर्ष की आयु तक प्रतिदिन चार-पाँच घण्टे जीवनोपयोगी काम करने में लगाएँ। आप स्वयं यह निर्णय करेंगे कि आप कौन से समुदाय में प्रविष्ट होना चाहते हैं अथवा आप कोई नया समुदाय संगठित करना चाहते हैं किन्तु उसे किसी आवश्यक सेवा-कार्य को स्वीकार करना होगा। शेष समय में आप भनोरजन, विज्ञान या कला के उद्देश्य से अपनी रुचि के अनुसार चाहे जिसके साथ अपना समर्क रखें। हम आपसे केवल यह चाहते हैं कि आप एक वर्ष में 1200 से 1500 घण्टे किसी भी ऐसे समुदाय में काम करें जो खाद्यान्न उत्पादन अथवा वस्त्र, प्रावास-गृह, आदि निर्मित करने या सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन आदि कार्यों में सलग्न हैं। इसके बदले में हम आपके लिए उन सभी वस्तुओं को उपलब्ध कराने की गारंटी देते हैं जो हमारे सघ उत्पन्न करते हैं।”

यद्यपि उत्पादन में उन्हीं का भाग होता है जो काम करते हैं या काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, तथापि उत्पादन का वितरण सेवा के आधार पर नहीं आवश्यकता के आधार पर होया। “काम से पहले आवश्यकता को रखो और सबसे

पहले सब व्यक्तियों का जीने का अधिकार स्वीकृत करो और तब उन सब लोगों की सुख-मुविधा का विचार करो जो उत्पादन में भाग लेते हैं।" क्रोपोटकिन का विश्वास था कि उत्पन्न दत्त और वितरण की व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुओं की मात्रा सुख से रहने के लिए पर्याप्त होगी और वस्तु गुण तक दृष्टि से भी उन वस्तुओं से श्रेष्ठ होगी जो पूजीबादी व्यवस्था में उत्पादित होती है। साथ ही पूजीबादी व्यवस्था में जो अम व्यवं नष्ट हो जाता है अब उसका प्रयोग उत्पादन के कार्य में होगा जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। चूंकि क्रोपोटकिन को योजना में कोई वेतन पद्धति नहीं होगी और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, अत यह आपत्ति की जा सकती है कि इससे काम करने की प्रेरणा में कभी आएगी जिससे समाज में अभाव की स्थिति उत्पन्न होगी। क्रोपोटकिन का उत्तर है कि यह आपत्ति इस मान्यता पर प्राप्तारित है कि मनुष्य स्वभाव से कामचोर होते हैं वे काम करने से बचना चाहते हैं। यह मान्यता गलत है। कर्म एक शारीरिक आवश्यकता है। यह सर्वथा वाच्छनीय एवं आवश्यक है कि स्वास्थ्य और जीवन के हित में शरीर की सचित शक्ति का व्यय किया जाए। मनुष्य जिस बात से घृणा करता है वह आवश्यकता से अधिक काम। अराजकतावादी आदर्श समाज में इस तरह का 'प्रतिकार्य' नहीं कराया जाएगा। अपने मनपसन्द कार्य को 4-5 घण्टे प्रतिदिन करना आवश्यकता से अधिक या 'प्रतिकार्य' नहीं कहा जा सकता और यदि 4-5 घण्टे में किया जाने वाला कार्य भी प्रतिदिन एकसा न हो बल्कि विभिन्न प्रकार का हो और उसकी मात्रा काफी कम हो तो उपर्युक्त आपनि निराधार सिद्ध होगी। क्रोपोटकिन के अनुसार अपवादस्वरूप यदि कुछ व्यक्ति कामचोर है, तो समाज सरलता से उनको नियन्त्रित कर सकेगा। सहयोग और ऐच्छिक काम पर आधारित समाज में ऐसे निकम्म व्यक्ति को जिस घृणा से देखा जाएगा वह घृणा-दृष्टि और उपेक्षा ही उसे सक्रिय बनाने तथा उसके समान कामचोरों की सम्मति को कम करने के लिए काफी होगी। यदि इससे भी वाच्छित परिणाम न निकले तो निकम्मे व्यक्तियों का सब से निष्कासन भी सम्भव है। किन्तु क्रोपोटकिन का विश्वाप है कि आदर्श समाज में सम्भवत ऐसी स्थिति नहीं आएगी। यह स्थिति आज के उस समाज में विरन्तर विद्यमान रहती है जिसमें व्यक्ति को अपनी रुचि का काम बहुधा नहीं मिलता, सामग्र्य से अधिक काम करना पड़ता है और फिर भी यह परिणाम निकलता है कि यदि वह डॉक्टर बनना चाहता है तो इन्हींनियर बनता है, प्रशासक बनना चाहता है तो अव्यापक बनता है।

आदर्श समाज में विवादी का निराय जनता द्वारा स्वेच्छापूर्वक स्वायित्र पच-पादार्थ करेंगे। चूंकि यह समाज व्यवस्था स्वतन्त्रता और न्याय के सिद्धान्त। पर आधारित होगी, अत इसमें समाज विरोधी कार्यों के लिए उच्चे जनों का अधिकांशत प्रभाव होगा। यदि फिर भी कहीं ऐसे समाज विरोधी कार्य होंगे तो साम्य यत्था नेतृत्व प्रभाव तथा सहानुभूतिपूर्ण हस्तधेष से उसका निराकरण हो सकेगा। वही इसमें सफलता नहीं मिलेगी, वही समुदायों से निष्कासन का भय अधिक व्यक्तियों पर

भ्रमण्डित जन-प्रयत्न द्वारा बलपूर्वक हस्तक्षेप से यावश्यक प्रतिकार हो सकेगा।" लेकिन ऐसी यावश्यकता यदाकदा ही पड़ेगी। क्रोपोटकिन ने इस तरह स्पष्ट किया कि भ्राजकतावाद का भर्य शक्ति का भ्रभाव है, व्यवस्था का भ्रभाव नहीं है। भ्राजकतावादी समाज में सर्वत्र व्यवस्था होयी, शान्ति होयी और मनुष्य सानन्द साय-साध रह सकेंगे।

क्रोपोटकिन का विश्वास यह कि घटनाओं की स्वाभाविक भूहर भ्राजकतावादी उद्देश्य की ओर प्रवाहित हो रही है भ्रथात् वर्तमान समय में विश्व भ्राजकता की ओर ही घपसर हो रहा है। याजकत लाखों की सस्या में कारोबार सरकारी हस्तक्षेप के बिना होते हैं और समझौतों का ईमानदारी से पालन किया जाता है। समझौतों के पालन के पीछे किसी दण्ड का भय निहित नहीं होता बल्कि 'घपने' पढ़ोसी के विश्वास एव सम्मान को बनाए रखने की इच्छा अथवा बचन पालन की स्वाभाविक यादत होती है। याज स्वैच्छिक समझौतों द्वारा विश्वाल रेतपे कम्पनियों और उत्पादन-सघों का सगठन किया जाता है। इसी तरह सांस्कृतिक व परोपकारी कार्य करने के लिए छोटे-बड़े घनेक नघों की स्थापना की जाती है। वस्तुत याज प्राय हर क्षेत्र में नागरिकों की स्वैच्छिक सहकारी प्रवृत्तियों की दुलना में रहकारी कार्य का महत्व घटता जा रहा है। क्रोपोटकिन ने बताया कि जहाँ पर जासन का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो रहा है वहाँ भी साम्यवादी सिद्धान्त का प्रभाव निस्तर बढ़ता जा रहा है। याज सरकारी अजायबघरों, बाचनालयों पुस्तकालयों, उद्यानों तथा सड़कों यादि का हा सार्वजनिक हो गया है। वे सबके लिए सुने रहते हैं। इनके प्रयोग के लिए किसी को कुछ नहीं देना पड़ता। अधिकारी देशों में जिता नि शुल्क दी जाती है। ब्रिटेन एव घन्य देशों में कल्पाणीकारी राज्य का सिद्धान्त (The Conception of Welfare State) और व्यवहार भी यावश्यकतानुसार वितरण के साम्यवादी यादांश की ओर ही एक कदम है। इन सब बातों को देखते हुए क्रोपोटकिन यह मानता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति सरकारी हस्तक्षेप को घटाते-घटाते सर्वथा मूल्य कर देंगे की है।

क्रोपोटकिन का कहना यह कि यद्यपि याज विश्व की प्रवृत्ति भ्राजकतावाद की ओर उन्मुख है तथापि भ्राजकतावादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कार्य शान्तिपूर्ण ढग से ही पूरे नहीं हो जाएंगे अन्त में शान्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा। शक्ति के वर्तमान घन्तों तथा सस्याओं द्वारा प्रस्तुत कोई गई सम्पूर्ण बाधाओं को उस क्रमिक एव शान्तिपूर्ण विकास द्वारा यन्ति स्व से दूर नहीं किया जा सकता जो समार में हो रहा है। इस विकास का प्रवक्ष्यन तो एक घन्तिम शान्ति में होना ही चाहिए। अपनी प्रारम्भिक यावस्था में यह शान्ति हिसात्मक घोर विनाशकारी होयी। वर्तमान जासको को निकालना होगा, बन्दी-गृहों को नष्ट कर देना होगा तथा पारस्परिक सहयोग को फिर से स्थापित करना पड़ेगा। जब दमनकारी सत्ता के प्राधारमूल साधन बलपूर्वक नष्ट कर दिए जाएंगे, तब जनता व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रधिशृण का कार्य करेगी। कुप्रक जमीदारी को नष्ट कर देंगे और श्रमिक मालिकों को हटा देंगे। जिन्हें पास प्रबंध तक रहने के लिए मकान नहीं ये अथवा छोटे और दप्तरित घोषणे थे, वे पूँजीपत्रियों के सुविशाल प्रतिरित भवनों में जा दसेंगे।

इस समस्त कार्य के पश्चात् समाज के रचनात्मक पुनर्निर्माण का कार्य शारम्भ होगा। वह सब ऐच्छिक प्रक्रिया के घनुसार होगा, किसी बाहरी सत्ता के दबाव से नहीं। अपने नवीन समाज के स्वरूप के विषय में कोपोटकिन यद्यपि माझसे से बहुत कुछ सहमत था और उसकी कल्पना के प्रराजकतावादी समाज की रूपरेखा साम्यवादी थी, तथापि माझसे के समान वह किसी सरकार या सक्रमण्यकालीन प्रधिनायकतम्ब की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता था क्योंकि उसका तो भर्त होग कान्ति का विनाश। "यदि राजद का विघ्टन एक बार आरम्भ हो गया, यदि एक बार अत्यावार का यन्त्र खोए होने लगा तो स्वतन्त्र संघ या सभायों का स्वत निर्माण होने लगेगा। जब सहकारिता राज्य की ओर से जनता पर नहीं लादी जाएगी तब स्वाभाविक प्रावश्यकताएँ ऐच्छिक सहकारिता को जन्म देंगी। राज्य का विनाश हो जाने पर उसके अवशेषों से स्वतन्त्र समाज का जन्म होगा।" कोपोटकिन के घनुसार प्रराजकतावादी समाज प्रनेक स्वतन्त्र समुदायों के मिलकर बनेगा किन्तु ऐसे समाज में न ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त सगठन होंगे और न ऐसे वर्ग होंगे और न राज्य ही होगा जो एक सगठन को दूसरे के मूल्य पर सरकारी प्रदान करे। सावंजनिक उद्देश्यों के लिए ऐच्छिक संघ होंगे जिनमें से कुछ लेंबीय माधार और कुछ व्यावसायिक माधार पर संगठित होंगे। ये संघ उन कार्यों को करेंगे जो साज राज्य करता है। प्रश्न यह उठता है कि ऐसे समाज में सामज्जस्य कैसे स्थापित होगा। इसका उत्तर यह है कि जब लोग सभुचित रूप से शिक्षित होंगे, जब धनी और निर्बन्ध का भेद नहीं होगा, तब हितों के बीच मध्यवर्ती भी सायद ही बनी होंगे और तब सामज्जस्य अपने आप ही बना रहेगा। इस तरह प्रराजकतावादी समाज एक वास्तविक स्वतन्त्रता की अवस्था होगी जिसमें सब लोग भली प्रकार से खुले बानावरण में सौमंज्ञि ले सकेंगे।

### आतंकवादी प्रराजकतावाद (Terroristic Anarchism)

बंकुनिन तथा कोपोटकिन के प्रराजकतावादी सिद्धान्तों को उनके कुछ अनुयायियों ने मात्रकवादी रूप दिया। कान्ति में विश्वास रखने वाले इन अनुयायियों में से कुछ के विचार में यह उचित था कि केवल सिद्धान्तों के प्रचार द्वारा नहीं, बहिक व्यावहारिक रूप में प्रराजकतावाद का प्रसार किया जाए। इनका विश्वास कायों और राजनीतिक हत्यायों में था। बंकुनिन और कोपोटकिन के प्रराजकतावादी सिद्धान्तों के प्रचार के लिए यत यातान्दियों में यूरोप और अन्य देशों में प्रनेक सगठन कायम हुए। जॉन मोस्ट (Jobann Most) नामक प्रराजकतावादी ने इस प्रकार के कायों को पहले जर्मनी और बाद में उय्युक्तराज्य अमेरिका में संघठित किया। उसने अपने अनुयायियों को प्रमुख सम्प्रश्न वर्गों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध व नम प्रयोग करने का प्रादेश दिया, परन्तु यह भान्डोलन र्म. घ्र हो कुचल दिया गया। सन् 1886 में जिंगांगो में प्रराजकतावादी नेताओं पर मै-दिनस (May Day) पर विद्रोह करन का दोपारोपण किया गया और उन्हे प्राणदण्ड दिया गया। इस घटना के बाद यह प्रान्दोलन समाप्त हो गया। मोस्ट को डाइनमाइट के प्रयोग का समर्थन भरने के

लिए एक वर्ष के कारबास का दण्ड मिला। मुक्त होने के बाद उसने भ्राजकतावादी विचारों को तिलौजलि दे दी। सन् 1890 के बाद इमा गोल्डमेन के नेतृत्व में भ्राजकतावादी मान्दोलन पुनः शुरू हुआ जिसमें यूरोप के घनेक युवक भी शीघ्र ही सम्मिलित हो गए। इन भ्राजकतावादियों ने बड़ी निर्भकिता से तत्कालीन भाष्यक एवं राजनीतिक व्यवस्था की निन्दा की, किन्तु वे अपने पूर्ववर्ती जॉन मोस्ट एवं धन्य भ्रातकवादी भ्राजकतावादियों की भाँति त्वरित ही कान्तिकारी कायों पर जोर नहीं देते थे। प्रथम महायुद्ध के आरम्भ तक वे सामान्यतः सरकार की दृष्टि से बचे रहे, लेकिन युद्ध शुरू होते ही उनमें से अनेक जेलों में फ़ाल दिए गए और अनेक निर्वासित कर दिए गए। इस तरह कान्तिकारी भ्राजकतावाद एक प्रकार से अमेरिका से विचुप्त हो गया। यद्यपि अमेरिका में भ्राज भी भ्राजकतावादियों के कुछ छोटे समुदाय विद्यमान हैं और वे समुदाय पत्र भी निकालते हैं, लेकिन उनके विचार मान्य एवं काल्पनिक ढंग के हैं।

विद्वसात्मक रूप में भ्राजकतावाद के व्यावहारिक कार्यक्रम को श्रीपोटकिन और बेकुनिन की अपेक्षा रूप के कुछ 'शून्यवादियों या नियेषवादियों' (Nihilists) से अधिक प्रोत्साहन मिला। बास्तव में यह शून्यवादी केवल राजकीय संस्थाओं को ही उखाड़ के करने के पक्ष में नहीं थे, उनका कार्यक्रम तो भ्राजकतावादियों से धर्मिक विस्तृत था। वे स्थापित विचारों, संस्थाओं और मानदण्डों के भी विरोधी थे। 'शून्यवाद' शब्द का प्रयोग सबसे पहले साहित्यिक और कलात्मक भालोचना के क्षेत्र में होता था अर्थात् रूप के सांस्कृतिक जीवन की (विशेषकर 19वीं सदी में) विभिन्न धाराओं में उसके बीज निहित थे। "कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रचलित परम्परावाद के विरोधी लोग इब प्रकार के परम्परागत मापदण्डों (Traditional Standards) को नष्ट करने का प्रयत्न करते थे और कलात्मक प्रभिव्यक्ति के समस्त रूपों में स्वाभाविकता तथा स्वच्छन्दता के समर्थक थे। इन्हीं से सम्बद्ध 'धर्यायंवादी' दार्शनिक थे जिन्होंने तत्कालीन दर्शन की मीमांसा-पद्धति के स्थान पर प्राकृतिक ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया और अनुभव को ही प्रमाण मानने पर जोर दिया। धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में शून्यवादी दृष्टिकोण सत्तावाद, कट्टरवादिता, सर्वातिशयता (Transcendentalism) तथा नियम-निष्ठता (Formalism) की निन्दा तथा धर्म में नास्तिकता और नीति में मुख्यवाद (Hedonism), वरीक्षणवाद (Experimentalism) तथा मानववाद (Humanism) के समर्थन के रूप में प्रकट हुआ। रूप के समाज, राज्य तथा धर्म (चर्च) में निश्छलता, प्रमाद तथा ध्रमानुषिकता का जो राज्य या उसके विरुद्ध शून्यवादियों द्वारा देखा गया एक प्रवृत्तियाँ एक प्रकार से स्वाभाविक प्रक्रिया थी।"<sup>1</sup>

'शून्यवादी विचारों के राजनीतिक रूप का प्रतीक' सर्गी नेटसेव (Sergei Netschajev, 1848–1882) या जो भ्राजकतावादी ध्येय को प्राप्ति के लिए

सभी साधनों अर्थात् सभी प्रकार के तोड़ फोड़ के कार्य और राजनीतिक हत्याओं को उचित मानता था। उसने अपने लेखों में अराजकतावादी कायेक्रम के विच्वसात्मक पहलुओं पर ग्रधिक बल दिया। नेटसेव का सिद्धान्त या कि जब तक कथनी को करनी में परिणत न किया जाता तब तक कथनी का कोई मूल्य नहीं। अराजकतावादियों का कार्य वैवल भाषी समाज के सगठन की योजना का विश्वाकिन नहीं है। अराजकतावादियों के 'कार्य द्वारा प्रचार के सिद्धान्त' (Theory of Propaganda by Deed) को यूरोप के अराजकतावादियों ने अपनाया और वह अराजकतावादी सामरिक नीति का विश्वास्त्र बन गया। सासार के अनेक देशों में जो कार्य प्रकाश में आए उनमें 'शून्यवादी' एवं 'अराजकतावादी' प्रभाव की स्पष्ट झलक मिलती है। भारत में भी विनाजन के पूर्व कई वर्ष तक आतकवादी आनंदोलन चला था। ये आतकवादी विदेशी शासन की उखाड़ फेंकने के लिए सभी प्रकार के हिस्सक कार्यों में विश्वास करते थे—जैसे, दमो और गोलियों द्वारा विरोधियों की हत्याएँ करना, शासकों वर्ग आतकित करना, आदि। परन्तु बैकुन्हिन और क्रोपोटकिन आतकवाद और राजनीतिक हत्याओं के समर्थक नहीं थे। उनके विचार में अराजकतावादी नान्दि के लिए आतक के शासन की आवश्यकता नहीं थी। अराजकतावादियों के लिए सगठित कायवाही और आवश्यक हो तो हिस्सक कार्यवाही द्वारा भी सरकारों को उखाड़ फेंकना उचित नीति है, परन्तु इससे उनका प्रभिप्राय आतकवाद और हत्याओं से नहीं है। उनके अनुसार राज्य, सम्पत्ति तथा चर्च का अन्त होना है, राजनीतिज्ञों, सम्पत्तिवानों तथा धर्म-पुरोहितों का नहीं।

कुछ अराजकतावादियों का पूर्णत शान्तिवादी अराजकतावाद में विश्वास था। टॉलस्टॉय, गांधी, रसल भाद्री की गणना ऐसे ही अराजकतावादियों में की जा सकती है यद्यपि उन्होंने स्वयं को कभी अराजकतावादी नहीं कहा।

### अराजकतावाद का मूल्यांकन

(Estimate of Anarchism)

अपनी ग्रन्थावहारिकता के कारण अराजकतावाद याज एक मृत विचारधारा है। समाज ने इसे मुख्यत निम्नलिखित अंधारी पर ढुकरा दिया है—

1. राज्य ने यदि भूलें भी हैं तो साथ ही मानव जाति की स्मरणीय सेवाएँ भी की हैं। कुल मिलाकर राज्य मन्यता और सम्झौता का पोषक रहा है। राज्य के प्रभाव में ग्राज के जटिल समाज का नियमन हो सकेगा, यह सोचा भी नहीं जा सकता।

2. राज्य दोषपूर्ण नहीं है। यह इसके सगठन और सचालकों पर नियंत्र करता है कि वे इसका प्रयोग विस रूप में करते हैं। मनुष्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता, अत अराजकतावादी समाज में जब राज जैसी नियमनसारी मस्त्या का प्रभाव होगा मनुष्य की अपूर्णता कितनी अव्यवस्था, स्वेच्छाचारिता, लृट-खस्त, हिंसा का ताण्डव भवा देगी, इसे अराजकतावादियों ने दृष्टि से घोफल कर दिया है। मनुष्य म दंवी और पाशविक दोनों ही वृत्तियाँ पाई जाती हैं। पाशविक वृत्ति को सप्त रूपों के लिए राज्य जैसी स्थिता का होना अनियावर्त है।

3 राज्य के भ्रमाव में बहुमत प्रपने आपको संगठित कर प्रस्तुति के बिनारा पर उतार हो जाएगा और फिर बहुमत में भी स्वायों की टकराहट ऐसे शक्ति-केंद्रों को जन्म देगी जिससे समाज युद्ध-भूमि बन जाएगा। आज राज्य की नियन्त्रणकारी शक्ति के कारण ही ऐसा नहीं हो पा रहा है।

4 भराजकतावादी समाज मनुष्यों के लिए न होकर देवताओं के लिए ही सकता है। मनुष्य को प्रारम्भ से ही पूर्ण और आदर्श मानकर एक पूर्ण समाज की स्परेसा बनाना मनोवैज्ञानिक दिवालियापन है।

5 धर्म और पाष्ठण्ड दो घलग चीजें हैं। धर्म तो उदात्त और आध्यात्मिक शक्ति है जो जीवन में नीतिकता का सचार करती है। उसे तिरस्कृत करना स्वयं नीतिकता का तिरस्कार करना है और नीतिकता के भ्रमाव में किसी 'मादर्श' की कल्पना नहीं की जा सकती।

6 भराजकतावादी धूम कर उसी बिन्दु पर पहुँच जाते हैं जहाँ से चले ये। एक और तो वे उत्ता का विरोध करते हैं और दूसरी और समाज की अवस्था का कार्य कुछ ऐसे सधों को सौंपना चाहते हैं जो बतमान राज्य द्वारा किए जाने वाले कायों का सम्पादन करें। ये सब भी प्राचिर उल्लंघनकर्ताओं पर कुछ न कुछ बाध्यात्माएँ या दण्ड तो लादेंगे ही। यह कभी सम्भव नहीं है कि सम्पादों में सब काय एकमत होकर किए जाएं। बहुमत प्रस्तुति पर प्रपना निर्णय धरवश्य थोड़ेगा और इस तरह सत्ता का प्रत्यक्ष परोक्ष उदय होगा। ऐच्छिक सधों में आपस में टकराहट होने पर भी व्यवस्था आवश्यक होगी। भराजकतावादी इन समस्याओं के हल पर मोन हैं। ये समस्याएँ वास्तव में एक नियन्त्रणकारी शक्ति को आवश्यक ठहराती हैं और वह राज्य से अच्छी कोई नहीं हो सकती।

7 यह सही है कि अधिकारी अपराधों का मूल दर्तमान आर्थिक व्यवस्था है, लेकिन महत्वाकांक्षा, ईर्ष्याद्वेष, कामुकता आदि भी बहुसङ्ख्यक अपराधों के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक केन्द्रीय शासन और फौजदारी कानून के बिना ऐसी समस्याओं का हल किस प्रकार हो सकेगा, यह समझ से परे है।

8 भराजकतावादी यह स्पष्ट नहीं करते कि समाज में उन धर्म-मुरोहितों, कबायली परम्पराओं के रक्षकों, संनिक अधिकारियों प्रादि का क्या होगा। जो सरकारों की स्थापना और शासन की उपेड़बुन में लगे रहते हैं। कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या भराजकतावादी उन्हें इसी प्रकार नष्ट कर देंगे जिस प्रकार साम्यवादी पुरातन व्यवस्था के हिमायतियों को नष्ट करना चाहते हैं।

9 भराजकतावादीयों का यह कहना असत्य है कि समाज इन विकास भराजकतावाद की दिशा में हो रहा है। कल्याणकारी राज्य के विभार के साथ साज तो राज्य का कायक्षत्र अधिकाधिक सुविस्तृत होता जा रहा है।

10 भराजकतावादी राज्य की तुलना में अपनी शक्ति प्राप्ति की परवाह नहीं करते और न ही वे अपने साधनों के बारे में एकमत हैं। राज्य की विपुल शक्ति के मुकाबले भराजकतावादी क्रान्ति की सफलता कल्पना-लोक की उडानें हैं। कुछ

विष्वसकारी भराजकतावादियों ने अमेरिका में हिसात्मक विद्रोह की चेष्टा की थी लेकिन राज्य ने एक ही चौट में मामला निपटा दिया। इस एक ही घटना ने क्रान्तिकारी भराजकतावाद की संदान्तिक चर्चा को भी मृतप्राय बना दिया।

11. भ्रष्ट में, समस्त वस्तुओं में स्वतन्त्र भागीदार होने का भराजकतावादी सिद्धान्त भी काल्पनिक है। समाज में ग्रामसियों और निषिकर व्यक्तियों की उपस्थिति इसे भव्यावहारिक बना देगी। पुनश्च, आवश्यक सामग्री के आवश्यकतानुसार वितरण की प्रणाली के लिए कुशल और शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता है जबकि भराजकतावादी समाज में स्वार्थी और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अपने कमज़ोर भाइयों का शोषण करने से रोकने के लिए कोई केन्द्रीय शक्ति नहीं होगी। यद्यः ऐसे समाज में इस प्रणाली के सफल होने की कोई सम्भावना नहीं।

भराजकतावादी दर्शन में सार इतना ही है कि इसने राज्य और समाज सम्बन्धी दुराइयों का पर्दाफाश किया है तथा व्यक्ति को नैतिक रूप से उन्नत प्राणी माना है तथा इस बास्तविकता को प्रकट किया है कि जन्म से मनुष्य दुरुणी नहीं होता बल्कि सामाजिक परिस्थितियाँ उसे दुर्बलताओं का शिकार बना देती हैं। भराजकतावाद का महत्व इस बात में भी है कि इसने राज्य की भ्रति महत्ता का खण्डन कर आत्म-निर्भरता और गहृदोष की भावना को उन्नति का मूलमन्त्र बतलाया है। इसने राजनीतिक जीवन के बढ़ते हुए गन्तव्यकरण का ठीक ही विरोध किया है और पूँजीवाद के दोषों को उजागर किया है। शासन और समाज के कुदिजीवियों को भराजकतावादी दर्शन से रचनात्मक प्रेरणा लेकर प्रशासनिक और सामाजिक वुराइयों के निराकरण में अधिकाधिक सक्रिय होना चाहिए।



# लोकतान्त्रिक समाजवाद

(Democratic Socialism)

हमने फेब्रियनवाद, पुनर्विचारवाद या पुनर्संशोधनवाद और समष्टिवाद के रूप में विकासवादी समाजवाद (Progressive Socialism) का घटयन किया है। हम देख चुके हैं कि विकासवादी समाजवाद राज्य को समाज-परिवर्तन के आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार करते हुए लोकतान्त्रिक व्यवस्था की व्यावहारिकता पर जोर देते हैं। यद्यपि ये लोग मार्क्स से प्रभावित हैं और पूँजीवादी व्यवस्था की कटु प्रालोचना करते हैं, तथापि राज्य की उपादेयता को अस्वीकार नहीं करते और समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करते हैं। लोकतन्त्र ने इन्हे पूरी आस्था नहीं है तथापि ये लोकतन्त्र की भर्तसंना भी नहीं करते—मार्क्सवादियों की भाँति लोकतन्त्र को न तो पूरी तरह छुकराते ही है और न ही राज्य को किसी वर्ग विशेष की वस्तु मानते हैं। विकासवादी समाजवादियों के इसी प्रकार के विचारों से मिलती-जुलती किन्तु पृथक् एक अन्य विचारधारा है जिसे लोकतान्त्रिक समाजवाद (Democratic Socialism) की सज्जा दी जाती है। दोनों में समानता के अनेक बिन्दु हैं तथापि दोनों एक नहीं हैं। मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ विकासवादी समाजवाद लोकतन्त्र और राज्य को समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया में केवल एक भूमिका मानता है और समाजवाद के विकासवादी स्वरूप को स्वीकार करता है, वहाँ लोकतान्त्रिक समाजवाद में लोकतन्त्र और समाजवाद—ये दोनों अवधारणाएँ एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध हो गई हैं। लोकतान्त्रिक समाजवादियों का लोकतान्त्रिक साधनों में पूरा विश्वास है, ये सांविधानिक और शास्त्रिपूर्ण साधनों द्वारा ही प्रायिक विषमताओं और असमानताओं को दूर करना चाहते हैं। निर्धनता और शोषण को मिटाने के लिए वे कानून का उपदेश नहीं देते, बल्कि यह अनुनय और जनजागृति द्वारा कार्य करना चाहते हैं। लोकतान्त्रिक समाजवादी निजी सम्पत्ति का उन्मूलन नहीं चाहते, बल्कि चाहते। यह है कि निजी सम्पत्ति के उन तत्वों को दूर कर दिया जाए जिनसे समाज में शोषण अन्याय और अत्याचार को प्रोत्साहन मिलता है। ये लोग उन उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना चाहते हैं जो

अर्थव्यवस्था को कायम रखने के लिए आवश्यक हो। लोकतान्त्रिक समाजवादियों के लिए व्यक्ति और समाज में कही विरोध नहीं है। व्यक्ति का विकास केवल समाज में ही सम्भव है तबा राज्य समाज का प्रतिनिधि होने के कारण व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योग देता है। सारांशत लोकतान्त्रिक समाजवाद लोकतान्त्रिक तरीके द्वारा समाजवाद लाना चाहता है और मूरी तरह लोकतान्त्रिक साधनों के बल पर ही स्वतन्त्रता और समानता की रक्षा करना चाहता है।

लोकतान्त्रिक समाजवाद जैसी उदार और व्यापक अवधारणा को किसी निश्चित पारिभाषिक शब्दावली में वर्णिता सम्भव नहीं है। पीटर एच मर्कल (Peter H. Merkl) का कथन है कि “इसका एक सुपरिभाषित विचार-समूह (A Well Defined Body of Thought) के रूप में होना तो दूर रहा, यह विभिन्न विचारकों और राजनीतिक शक्तियों के योगदान का गट्ठर सा (Bundle of Contributions) प्रतीत होता है। सम्भवत कोई भी समाजवादी एक ही साथ इन विचारों और विद्वानों का ताकिक अथवा विवेकपूर्ण ढंग से निर्वाह नहीं कर सकता।”<sup>1</sup> लाइमन टावर सार्जेंट (Lyman Tower Sargent) ने इन शब्दों में लोकतान्त्रिक समाजवाद के मूल तत्त्वों को व्यक्त करने का सराहनीय प्रयत्न किया है—

“लोकतान्त्रिक विधि से निर्वाचित सरकार द्वारा अधिकारी सम्पत्ति बड़े उद्योगों, उपयोगिताओं और परिवहन आदि पर सावंजनिक स्वामित्व, निजी सम्पत्ति के सचय पर सीमाएँ तथा समूल अर्थव्यवस्था का सरकारी नियमन।”<sup>2</sup>

सार्जेंट की इस परिभाषा से लोकतान्त्रिक समाजवाद के निम्नलिखित मुख्य संक्षण स्पष्ट होते हैं—

- (1) समाज की अधिकारी सम्पत्ति पर सरकार का नियन्त्रण,
- (2) सरकार का लोकतान्त्रिक विधि से निर्वाचन,
- (3) निजी सम्पत्ति का परिसीमन,
- (4) सार रूप में, समाज की अर्थव्यवस्था का सरकार द्वारा नियमन।

लोकतान्त्रिक समाजवाद किसी वग विशेष के स्थान पर समूचे समाज के चिन्तन पर बल देता है और समाज-परिवर्तन के लिए स्वतन्त्र के वैधानिक तथा अहितक मार्ग का अनुसरण करता है।

### लोकतान्त्रिक समाजवाद-ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में (Democratic Socialism in the Historical Perspective)

लोकतान्त्रिक समाजवाद का कोई निश्चित दशन नहीं है। इसका विकास विभिन्न देश-कालों में विभिन्न परिस्थितियों के सन्दर्भ में हुआ है। कोई भी समाजवादी विचारधारा, जिसमें लोकतन्त्र को साध्य और साथन दोनों ही रूपों में स्वीकार किया जाए, लोकतान्त्रिक समाजवाद है। 19वीं शताब्दी के प्ररम्भ तक

<sup>1</sup> Peter H. Merkl, Political Continuity and Change, p. 139

<sup>2</sup> Lyman Sargent, Contemporary Political Ideologies, p. 98

2 यह विचारधारा साम्यवाद और फासीवाद जैसी सर्वाधिकारवादी विचारधाराओं के बिश्व एक प्रतिक्रिया है। साम्यवाद और फासीवाद में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं है, इसमें व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का एक यन्त्रनाल बन जाता है; सिंडनी हुक के शब्दों में, “भाज जब लोकतन्त्र को सर्वाधिकारवाद और युद्ध की चुनौतियों का सम्मान करना पढ़ रहा है तो समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक देश की आर्थिक सुरक्षा के स्थान पर राजनीतिक सुरक्षा का महत्व प्रधिक है।”

3 साम्यवाद में कान्ति और हिंसा का महत्व है, किन्तु जो विचारक साधन तथा साध्य की एकरूपता में विश्वास करते हैं उनका कहना है कि बुरे साधनों से किसी अच्छे उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। समाजवाद की प्राप्ति के लिए साँविधानिक और लोकतान्त्रिक उपायों का आधय लिया जाना चाहिए। हिंसा और कान्ति का उपदेश देने वाले अमानवीय सिद्धान्तों के पीछे दौड़ना प्रायुचित है।

4 लास्की आदि का मत है कि समाजवाद की प्राप्ति के लिए कान्तिकारी साधनों वी तुलना में लोकतान्त्रिक मार्य इतनिए श्रेयस्कर हैं कि कान्ति के परिणाम निश्चित नहीं होते। हो सकता है कि कान्ति के द्वारा पूँजीवादी व्यवस्था के स्थान पर जो अन्य व्यवस्था कायम हो वह माशानकूल समाजवादी व्यवस्था न हो।

5 कान्ति और हिंसा को प्रोत्साहन देना मानव स्वभाव को गलत दिशा प्रदान करता है। जो अमिक कान्ति और हिंसा द्वारा पूँजीवाद को समाप्त करेंगे वे कान्ति के बाद अपने हिंसात्मक स्वभाव को नहीं छोड़ सकेंगे और फलस्वरूप राज्य में व्यवस्था और शान्ति की स्थापना एक विकट समस्या बन जाएगी प्रत उचित है कि जो परिवर्तन लाया जाए वह लोकतान्त्रिक साधनों द्वारा लाया जाए।

6 लोकतान्त्रिक समाजवाद श्रेयस्कर है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के मूल्यों को सम्मान देता है। ये मूल्य इतने महान् हैं और मानव-जीवन के लिए इतने प्रावस्थक हैं कि इनका रोटी, कपड़ा और मकान की मूल प्रावस्थकताओं से कहीं अधिक महत्व है।

7 लोकतान्त्रिक समाजवाद की प्रक्रिया धीमी प्रवश्य है, तेकिन निश्चित रूप से शुभ परिणामों की जननी है।

लोकतान्त्रिक समाजवाद का विकास उन देशों में हुआ जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था से लोग तग भा चुके थे, किन्तु उसे हटाने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्राध्यय लेना उचित, नहीं समझते थे। इंग्लैण्ड और अमेरिका के उदारवादी चरित्र में कान्तिकारी साधनों का मेल नहीं बैठ सकता था और एशिया महाद्वीप के कुछ देशों में भी वहाँ के अमिक और नैतिक वातावरण के कारण कान्तिकारी समाजवादी विचारधारा नहीं पनप सकी। भारत जौसे एशियाई देश ने लोकतान्त्रिक तरीके से ही समाजवाद की स्थापना के मार्य का प्रनुसरण किया है। इस विचारधारा को इसकी क्षितिप्रय मुख्य विशेषताओं के आधार पर अधिक अच्छी तरह समझा जा सकेगा—

1. लोकतान्त्रिक समाजवाद सर्वाधिकारवादी राज्य का विरोधी है। यह एक दलीय प्रथवा निरकुशतावादी राज्य का अर्थात् साम्यवादी, फासिस्टवादी या अन्य इसी प्रकार के प्रविनायकवादी राज्य का बिलकुल समर्थन नहीं करता। लोकतान्त्रिक समाजवादियों के लिए साम्यवाद 'नवीन साम्भाज्यवाद का अन्व' है। समस्याओं के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रोपश करते हुए भी लोकतान्त्रिक समाजवादी 'रुसी साम्यवाद' के विरोध में एकमत है।

2. लोकतान्त्रिक समाजवाद पूँजीवादी व्यवस्था को प्राण्यायपूर्ण मानता है वयोंकि यह आर्थिक विषमता को बढ़ाने वाली है जिसमें घनी अधिक घनी और घरीब आर्थिक गरीब हो जाते हैं। पूँजीवाद से बेरोजगारों का प्रसार होता है और अमिको की दशा आर्थिकाधिक शोचनीय बनती जाती है। उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के लिए होते हैं, अत उत्पादन, विनियम और वितरण में अनंतिकता उत्पन्न होती है। पूँजीवाद इसलिए भी हेतु है कि यह साम्भाज्यवाद का रूप धारणा कर युद्धों को जन्म देता है।

3. पूँजीवाद का विरोध होते हुए भी यह निजी सम्पत्ति का विरोधी नहीं है। यह सम्पत्ति का नियन्त्रण और नियमन चाहता है। निजी सम्पत्ति का विलोप नहीं। निजी सम्पत्ति निजी बस्तुओं, धरों, स्टोटे-छोटे उद्योगों के रूप में कामय रहेंगी। कठिय वरिस्थितियों में, राष्ट्रीय धावशक्ता के प्रनुसार, बड़े बड़े उद्योग भी निजी क्षेत्र में सम्मिलित किए जा सकते हैं। लोकतान्त्रिक समाजवाद वास्तव में निजी सम्पत्ति को नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी प्रायों को समाप्त करना चाहता है। यह कियाहीन सम्पत्ति की सम्प्रभुता (Sovereignty of Functionless Property) को मिटाने के पक्ष में है ताकि समाज में शोषण और अन्याय को बढ़ावा न दिले। सार रूप में यह सम्पत्ति के ग्रामान्धिक रूप को नष्ट करना चाहता है।

4. लोकतान्त्रिक समाजवाद आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण (Decentralization of Economic Power) के पक्ष में है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि यह उत्पादन के सभी साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व का समर्थन करता है। लोकतान्त्रिक समाजवादी चाहते हैं कि कोयला, लोहा, इस्पात, सीमेट, विद्युत, यातायात, जल, प्रादि उद्योगों और सेवाओं को तथा ऐसे उद्योगों को जिनमें एकाधिकार की प्रवृत्ति व्याप्त हो सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाए। धावशक्तानुसार अन्य उद्योगों का भी नियमन किया जाए। यदि ज़रूरी हो तो किसी एक क्षेत्र में एक या भले ही उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित कर अन्य उद्योगों को स्वतः छोड़ दिया जाए। लोकतान्त्रिक समाजवाद के प्रनुसार उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व की न्यूनाधिकता देश-विदेश के आर्थिक ढांचे पर निर्भर करती है।

5. लोकतान्त्रिक समाजवाद राष्ट्रीयकरण नहीं बल्कि समाजीकरण चाहता है। राष्ट्रीयकरण से न तो अमिको के दृष्टिकोण में रक्तनाल्मक दरिवनं प्राप्ता है और न कुसलता तथा उत्तरदायित्व की समस्याओं का ही समाधान हो पाता है। राष्ट्रीयकरण से तो 'साम्यवाद' (Statism) तथा नौकरशाहीवाद (Bureaucratization) के प्रोत्साहन मिलता है। (1945-50 इंडिश अधिक इन ने भले ही शासन-कानू-

मेरे विभिन्न उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन अब वह भूषिक राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे नहीं है। राष्ट्रीयकरण के अनुभव से लोकतान्त्रिक समाजवादियों मे यह धारणा बल पकड़ने लगी है कि उद्योगों पर प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व के स्थान पर सामाजिक नियन्त्रण और नियमन को प्राथमिकता देना भूषिक उपयुक्त है।

6. लोकतान्त्रिक समाजवाद के लिए प्रत्येक उद्योग एक सेवा है। दूसरे शब्दों मे उद्योग मूलतः लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि किसी सामाजिक सेवा की पूर्ति के लिए होता है। मार. एच टॉनी के शब्दों मे—“उद्योग इससे भूषिक कुछ नहीं है कि यह विभिन्न स्तरों पर प्रतिवृद्धिता और सहयोग के लिए एकत्र ऐसे सौमों का समूह है जो समाज को घावश्यक सेवा प्रदान कर अपने जीविकोपार्जन का साधन प्राप्त करते हैं।”<sup>1</sup>

7. लोकतान्त्रिक समाजवाद उद्योगों मे प्रजातन्त्र (Democracy in Industries) का पोषक है। इसकी मान्यता है कि उत्पादन और उत्तरण मे जब तक लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों को नहीं अपनाया जाएगा तब तक पूरी रह प्रजातन्त्र नहीं था सकता। उद्योगों के प्रबन्ध मे मालिकों, श्रमिकों और जातियों तीनों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। टॉनी का तो यहीं तक कहना है कि श्रमिकों से इस बारे मे भी विचार-विमर्श करना चाहिए कि घटे के उद्योगों को बन्द कर दिया जाए या नहीं, किन नई मशीनों और तकनीकों का प्रयोग किया जाए, आदि। श्रमिकों मे तकनीकी ज्ञान की कमी और उद्योगों के प्रबन्ध मे सहभागिता की योग्यता का प्रमाण जैसे तर्क निरर्थक है।

8. लोकतान्त्रिक समाजवादियों का लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों मे, व्यक्ति की स्वतन्त्रता में तथा समानता के सरकारण मे प्रटूट विश्वास है। ये लोग निर्वाचन, सहद और बहुमत दल की सरकार मे तथा विरोधी दलों का गता घोटने के स्थान खर दलों के साथ समझौता तथा सांविधानिक और जान्तिपूर्ण साधनों द्वारा परिवर्तन साने मे विश्वास करते हैं। इवान एक एम. डर्बिन के अनुसार, “लोकतान्त्रिक प्रणाली समाजवाद का अन्तर्निहित धर्म है, इसे उससे पूर्वक नहीं किया जा सकता।”<sup>2</sup> लोकतान्त्रिक समाजवाद ऐसा बातावरण चाहता है जिसमे व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन-यापन और अपने विचारों को व्यक्त कर सके। अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद के फ्रैक्चुर्ट-सम्मेलन की घोषणा मे घट शब्दों मे कहा गया है—“स्वतन्त्रता के बिना बास्तविक समाजवाद नहीं हो सकता। लोकतन्त्र के माध्यम से ही समाजवाद की प्राप्ति सम्भव है।”<sup>3</sup> स्वतन्त्रता की भाँति ही यह समानता के सिद्धान्त का भी पोषक है, लेकिन पूर्ण धर्यवा निरपेक्ष समानता का नहीं क्योंकि ऐसी समानता न तो सम्भव है, और न हो कृशलता तथा उत्पादन को प्रोत्सङ्ग देने वाली। लोकतान्त्रिक समाजवादी जब समानता की बात करते हैं तो उनका मुख्य धारणा सम्पत्ति की अधीर विप्रवादीओं को समाप्त करना होता है ताकि किसी प्रकार का शोषण न हो।

1. R. H. Tawney : The Acquisitive Society, quoted by Ebenstein : Ibid, p. 592.

2. Evan F. M. Durbin : The Politics of Democratic Socialism, p. 235.

3. Joseph S. Roucek : Contemporary Political Ideologies, p. 116.

सके : लोकतान्त्रिक समाजवाद सामाजिक न्याय पर बल देता है प्रौर भारत भी इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है ।

9 लोकतान्त्रिक समाजवाद प्रथम्यवस्था पर लोकतान्त्रिक नियन्त्रण (Democratic Control over Economy) चाहता है । इसकी मान्यता है कि जब साधारण लोगों मे 'राजनीतिक नियंत्रों' मे भाग लेने की योग्यता है तो उनकी 'आधिक नियंत्रों' मे भाग लेने की योग्यता पर सन्देह करना उपयुक्त नहीं है । घरेलान लोकतान्त्रिक पूँजीवादी व्यवस्था मे साधारण व्यक्ति को 'आधिक नियंत्रों' मे भाग लेने से विचित रखा जाता है प्रौर यह अधिकार इन-गिने पूँजीरात्रियों ने हासिया रखा है । लोकतान्त्रिक समाजवादियों का कहना है कि यह अधिकार मरदातामों (जन-साधारण) को मिलना चाहिए ताकि वे भ्रष्टनी निर्वाचित सरकार द्वारा घपने आधिक भविष्य पर नियन्त्रण रख सके । ससद को ही यह वास्तविक गति होनी चाहिए कि वह आधिक नियंत्रों को नियन्त्रित कर सके । ससद को ही यह निर्णय लेना चाहिए कि किन उद्दोगों को धार्वनिक स्वामित्व के प्रधीन तथा किन्हें सार्वजनिक नियन्त्रण तथा नियन्त्रन के द्वारा रखा जाए । सार्वांगत घरेल्यवस्था का निर्धारण जबता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए ।

10 लोकतान्त्रिक समाजवाद के बल प्रथम्यवस्था पर लोकतान्त्रिक नियन्त्रण ही नहीं चाहता बल्कि आधिक सुरक्षा (Economic Security) का आश्वासन भी देता है । इसकी मान्यता है कि समाजवाद लोकतान्त्र का विकल्प ही नहीं, उसका पूरक भी है । यदि व्यक्ति को आधिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है तो राजनीतिक स्वतन्त्रता का उसके लिए क्या मूल रूप जाता है ? लोकतान्त्रिक सुरक्षा के प्रभाव मे स्वतन्त्रता वृद्धि है । पुनरच, "जिस समाज मे आधिक प्राप्त असमान रूप से वितरित होती है, वहाँ स्वतन्त्रता को उपेक्षा होती है ।" लोकतान्त्रिक समाजवाद चाहता है कि विस्तृत लोक-कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित की जाएँ जिनका उद्देश्य लोगों को आधिक सुरक्षा प्रदान करता हो । ऐसा समाज लोकतान्त्रिक समाजवाद की धारणा के पनुकूल है जहाँ पूर्ण रोजगार प्रौर उच्चतर उत्पादन की व्यवस्था हो, अच्छे वेतन यिलें, उन्नत जीवन स्तर हो, प्राप्त तथा सम्पत्ति का उचित वितरण हो, सामाजिक नुस्खा मुनम्भ हो, शृङ्-निर्माण, बृद्धावस्था वैश्वन जीवन दोषा आदि का समुचित प्रबन्ध हो ।

11 लोकतान्त्रिक समाजवाद नियोजन मे विश्वास करता है क्योंकि नियोजन से प्राकृतिक प्रौर मानवीय साधनों के प्रपञ्च के साथ संकरी है, प्रस्तुत्य स्पद्धों को समाप्त किया जा सकता है प्रौर कार्यों का दोहराव रोका जा सकता है ।

12 यह विचारणा घरेल्य नहीं है । साम्यवाद को भावि इसमे घरेल्य प्रौर नेतृत्व को पूँजीपतियों का दड्यन्त नहीं माना जाता । लोकतान्त्रिक समाजवाद घरेल्य तथा नेतृत्व का प्रेरित होकर ही लालों की पवित्रता मे विस्तार करता है ।

13. सोकरान्त्रिक समाजवाद लोक-कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की व्यापना का पोषक है, सहमति से कान्ति लाना चाहता है और प्रतिदृष्टिके स्थान पर सहयोग पर बल देता है। इसकी मान्यता है कि वास्तविक समस्याओं के प्रति सामाजिक जेतना उत्पन्न कर परिवर्तन लाए जाने चाहिए।

14. इस विचारधारा में पारिश्रमिक का आधार कार्य है पर्यात् यह सम्पत्ति के आधार पर किसी व्यक्ति को साम की उपलब्धि नहीं कराना चाहता बल्कि सेवा घटवा कार्य को ही आय का आधार मानता है। आर एच. टॉनी के ग्रनुसार कियाहीन सम्पत्ति वंश सम्पत्ति की सबसे बड़ी छत्रु है। टॉनी सम्पत्ति को बदल करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि इसका नियमन चाहता है तथा कार्य के आधार पर मुश्खावजा देने के पक्ष में है। टॉनी के ही शब्दों में, "कोई भी व्यक्ति तब तक किसी मुश्खावजे का अधिकारी नहीं हो सकता जब तक वह समाज की सेवा नहीं करता।"

जुलाई, 1951 में जर्मनी में फैकफर्ट नामक स्थान पर समाजवादी प्रतराष्ट्रीय (The Socialist International) का जो प्रथम सम्मेलन हुआ उसमें लोकतान्त्रिक समाजवाद रुद्देश्यों और कार्यों (Aims and Tasks of Democratic Socialism) के बारे में एक घोषणा प्रकाशित की गई। इस घोषणा में, जो कि लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता और समाजवाद का सम्मिलित रूप है, सोकरान्त्रिक समाजवाद के निम्नलिखित उद्देश्यों और कार्यों पर बल दिया गया—

1. लोकतान्त्रिक समाजवाद और सर्वाधिकारवाद में कोई संवति नहीं है।

2. साम्यवाद नवीन साम्भाल्यवाद' का यन्त्र है।

3. स्वतन्त्रता के भवाव में समाजवाद सम्मव नहीं है, पर्यात् लोकतन्त्र के माध्यम से ही समाजवाद की प्राप्ति सम्मव है।

4. समठित मजदूरों में बन्धूत्व जैसे सम्बन्ध विकसित होने चाहिए।

5. सावंजनिक स्वामित्व के साथ-साथ निजी स्वामित्व का प्रस्तित्व काम रखने की पर्यात् मिश्रित प्रयंव्यवस्था की स्थापना की ओर प्रगत्यार होना चाहिए। प्रयंव्यवस्था का नियम और आधिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि सम्पत्ति और आय का उचित वितरण हो।

6. लोक-कल्याणकारी कार्यों का विस्तार होना चाहिए पर्यात् पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने, उच्चतर उत्पादन करने, दूदोरों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने, स्वास्थ्य, विकिसा, शिक्षा आदि सेवाओं का विकास करने की ओर उभयुक्त होना चाहिए।

7. मुख्य धैर्य मानवतावाद का विकास होना चाहिए।

इस प्रकार लोकतान्त्रिक समाजवाद वृस्तुत 'मानवतावाद' (Humanism) है—एक ऐसा वाद जो व्यक्ति के महत्व और कल्याण का पोषक है, जो व्यक्ति को आधिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, जो व्यक्ति की राजनीतिक और सामूहितिक स्वतन्त्रता का पक्षधर है। इसे हम एक ऐसे प्रतराष्ट्रीय ग्रन्दीलन की सज्जा दे सकते हैं जो "मार्ग की एकरूपता की माँग नहीं करता, बल्कि सामाजिक न्याय, कल्याणकारी जीवन, स्वतन्त्रता और विश्व धान्ति की माँग करता है।"

### लोकतान्त्रिक समाजवाद के प्रमुख विचारक (Main Thinkers of Democratic Socialism)

लोकतान्त्रिक समाजवाद के विचारकों में अग्रेड भी है और जर्मन भी, यास्टियन भी है और अमेरिकी भी तथा भारतीय भी।

#### पार. एच टॉनी (R. H. Tawney)

ब्रिटिश विचारक भार. च. टॉनी की पुस्तक 'The Acquisitive Society 1921' ब्रिटिश समाजवादी विचारधारा का 'महान ग्रन्थ' (Great Classic) समझी जाती है जिसमें टॉनी ने क्रियाहीन सम्पत्ति (Functionless Property) के दोषों पर प्रकाश डाला है। टॉनी के मनुसार वह सम्पत्ति क्रियाहीन सम्पत्ति है जो किना किसी क्रिया अथवा सेवा के प्राप्त, लाभ एवं सत्ता उत्पन्न करती है।<sup>1</sup> टॉनी ने इस सम्पत्ति को 'सीमित सम्प्रभुता' (Limited Sovereignty) की सज्जा दी है क्योंकि यह केवल धर्मिकारों को जन्म देती है, कर्तव्यों को नहीं। इसमें उत्तरदायित्व का तत्त्व निहित नहीं है, पर यह आसानी से अत्याचारों अथवा निरकुश बन जाती है। ऐसी क्रियाहीन सम्पत्ति वैब सम्प्रभुता की सुवधे बड़ी भ्रातृ है और ऐसी सम्पत्ति का सरह पूँजीवादी व्यवस्था के कारण होता है।

टॉनी ने क्रियाहीन सम्पत्ति का विरोध किया है, छोटी निजी सम्पत्ति का नहीं। सम्पत्ति जब सीमित या बहुत घोड़ी मात्रा में होती है तो वह उपयोगी और प्राप्त निर्दोष होती है, किन्तु जब वह धर्मिक मात्रा में हो जाती है तो हानिकारक और मनुसारदायी बन जाती है। "एक बड़े निगम (A Large Corporation) के विछुद मुर्ख प्राप्ति पही है कि वह ग्रीष्मोगिक निरकुशवाद को 'स्वयं तथा भ्रनेक परिमितियों में ग्रावश्यक बना देना है।"

टॉनी के मनुसार क्रियाहीन सम्पत्ति इसलिए धर्माद्विनीय है क्योंकि इसके आधार पर घोड़े से लोग समाज तथा सालन पर छा जाते हैं। यह सम्पत्ति न केवल असमानता उत्पन्न करती है वहिं बोटिक और कृगतता के लेव में भी अपना कुप्रभाव डालती है। ऐसी पूँजी ग्रीष्मोगिक कुप्रभावों को कृषित कर देती है क्योंकि वह उद्योग में ग्रावश्यक को बढ़ावा देती है। चाहे उत्पादक हो या प्रबन्धक—सभी वो कुप्रभाव इसका कुप्रभाव पड़ता है। क्रियाहीन सम्पत्ति परजीवी' (Parasite) के समान है जो उम्मीदों से भी समाप्त कर देती है जिसने बखे उत्पन्न किया है।

टॉनी के मनुसार क्रियाहीन सम्पत्ति नवा इसके कुप्रभावों से मुक्त होने के लिए धूमधारक है कि ग्रीष्मोगिक हित सामाजिक हितों के रूप में सुविधित किए जाएं। उद्योगों की निरकुशता पर प्रतिबन्ध लगाया जाए और उनका उद्दश्य लाभ यांत्रित करने वे स्थान पर सामाजिक सेवा हो। उद्योगों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

#### क्लीमेण्ट एटली (Clement Attlee)

क्लीमेण्ट एटली लोकतान्त्रिक समाजवाद के उन विचारकों में दा जिसने

<sup>1</sup> Quoted in Ebenezer Ibid., p. 562.

इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री पद को भी सुशोभित किया था। अपनी पुस्तक 'The Labour Party in Perspective 1937' में कलीमेण्ट एटली ने एक विशेष बात यह कही है कि धर्म ने समाजवादी आन्दोलन के विकास में योग दिया है। एटली के अनुसार इंग्लैण्ड 'बाइबिल' के पाठकों का राष्ट्र रहा है और यह धर्म-व्यक्ति एसे कानूनिकारी विचारों से परिपूर्ण है जो व्यक्ति को धर्मानवीय दशाओं के विरुद्ध बिद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं। एटली का मत है कि समाजवादी आन्दोलनों के सचालन में धर्म के प्रभाव का स्थान सबसे ऊपर है। समाजवादी भूमि से बाइबल के अनक पाठों का प्रचार किया जाता है। एटली की दृष्टि में कहीं असंगति नहीं है। सबसीध व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक प्रीर समाजिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं और इंग्लैण्ड में इसका सफल परीक्षण होगा। एटली ने कहा कि इंग्लैण्ड का चरित्र ही ऐसा है कि वह फासावादी और साम्यवादी विकल्पों को स्वीकार नहीं कर सकता। विटिंग प्रणाली स्वतन्त्रता और सहनशीलता की पोषक है तथा समयानुकूल सामाजिक और आर्थिक दावे में परिवर्तन लाने में सक्षम है। विटिंग पढ़ति की यह विशेषता है कि इसमें पूँजीवाद के घनंतिक तत्वों को शान्तिमय साधनों से दूर करने का प्रयत्न किया जाता है।

**इवात एफ एम डर्बिन (Evan F M Durbin) ,**

अपने प्रामाणिक ग्रन्थ 'The Politics of Democratic Socialism, 1940' में इवान डर्बिन ने लोकतान्त्रिक समाजवाद के मूल मुद्दों को उठाया है। डर्बिन ने मार्क्सवाद के सर्वाधिकारवादी सिद्धान्त को छुकरा कर सोकलतान्त्रिक प्रणाली पर बल दिया है, हर दशा में मतदानाओं के निर्वाचनाधिकार का समर्थन किया है और सरकार को उत्तरदायी बनाए रखने तथा विरोधियों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाने का प्राय ह किया है। डर्बिन का पूर्ण विविच्छास है कि इंग्लैण्ड में यह क्षमता है कि वह लोकतान्त्रिक ढंग से अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझा ले।

**फासिस विलियम (Francis William)**

फासिस विलियम ने अपनी पुस्तक 'The Moral Case for Socialism 1949' में समाजवाद के नीतिक पक्ष की विशद् व्याख्या की है। समाजवाद को प्राय भौतिक पक्ष से ही जोड़ा जाता रहा है, किन्तु विलियम ने इसके नीतिक पक्ष पर बल देते हुए कहा है कि आदर्शों और आवायों से प्रोतप्रोत मानव एक नीतिक प्राणी है। विलियम के अनुसार समाजवाद का उदय ही इस विश्वास में सनिहित है कि व्यक्ति भौतिक नहीं, एक नीतिक प्राणी है। केवल भौतिक विचारों से ही नहीं, बल्कि व्यक्ति आदर्शों और प्राणाश्रों से भी प्रभावित और कियाशीर होता है। पूँजीवादी इस दृष्टि से व्यक्ति की प्रकृति का निराजनवादी दृष्टिकोण अपनाए हुए है कि वह (व्यक्ति) केवल लाभ या दण्ड द्वारा ही कियाशीर होता है। साम्यवाद का दृष्टिकोण भी निराजनवाद है क्योंकि उसका साधन द्वितीय, भय और आतक जैसे धर्मानवीय तत्व हैं। विलियम के अनुसार केवल लोकतान्त्रिक समाजवाद ही व्यक्ति की प्रकृति के

आत्मावादी दृष्टिकोण का प्रतीक है क्योंकि इसमें 'सहयोग' और 'आत्मत्व' के मूल्य निहित हैं।

### हरॉल्ड जे लास्की (Harold J Laski)

यह बहुतावधी विचारक समाजवाद का समर्थक था और अन्यायपूर्ण पूँजीवादी व्यवस्था को मिटाना चाहता था। लास्की का मौलिक विश्वास व्यक्ति की स्वतन्त्रता में था तथा उसकी आम्ना समाज की सधारनक प्रकृति में थी। लास्की ने सदैव राज्य की शक्ति के लोकतन्त्रीकरण पर बल दिया और यह मत प्रस्तुत किया कि समाज में विभिन्न समूह होते हैं। इन समूहों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रता होनी चाहिए और इनको प्रशासन में भाग लेना चाहिए। इनके बिना राज्य दमनकारी बन जाएगा तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जाएगी। लास्की के ही शब्दों में, "जब तक हम यह न मानें कि विकेन्द्रीकरण स्वतन्त्रता का रहस्य है, सरकार 'हम' के स्थान पर 'वे' बन जाएगी तथा पृथकता की भावना व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगी। अत हमें स्मरण रखना चाहिए कि निपोजित लोकतन्त्र व्यक्तिगत नामरिक के विषद् न होकर उसके लिए हितकर है।"

लास्की ने लोकतान्त्रिक समाजवाद में विश्वास व्यक्त करते हुए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का समर्थन किया और साम्यवादी सर्वहारा वग की तानाशाही को ठुकरा दिया। इस दृष्टि से उसकी कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएँ ये हैं—(i) समाज का उद्देश्य राज्य से उच्चर है, (ii) जब सरकार कोई निर्णय ले तो पूछताछ और समझौता बार्ता के लिए राज्य समूहों को उनका उचित स्थान प्रदान करे, (iii) स्वयंसेवी मस्तिष्कों के प्रतिनिधि सामान्य हित के राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर परामर्श देने के लिए सरकार ने साथ रहें, (iv) सरकार के हाथों शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रादेशिक और कार्यालयक सभाओं को सैरेंटो जानी चाहिए (v) राज्य की तानाशाही के स्थान पर आर्थिक समूहों और व्यावसायिक संघों को राष्ट्र-मण्डल का रूप देना चाहिए जो सरकार के साथ-साथ काम कर।

लास्की ने नोर्तान्त्रिक समाजवाद में पूरी आत्मा व्यक्त करते हुए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए राज्य-सत्ता को सीमित करन पर जोर दिया। उनका कहना था कि इस तथ्य के प्रति सदैव सज्ज रहना है कि मोक्षियत संघ की भाँति राज्य की शक्ति कहीं तानाशाही में परिणत न हो जाए।

आर ऋसमैन (R Crossman)

ऋसमैन ने अपनी पुस्तक 'Socialism and the New Despotism, 1956' में लिखा है कि चूंकि अत्याधिकार के दुष्पर्योग को स्वतन्त्र प्रतियोगिता द्वारा रोका नहीं जा सकता, अत स्वतन्त्रता के विस्तार व प्रजातन्त्र की पूर्णता प्राप्त करने का बल एक ही उपाय रह जाता है कि अव्यवस्था को सावजनिक नियन्त्रण में रख दिया जाए।" ऋसमैन सार्वजनिक स्वामित्व के दोषों से अननित नहीं है तथा प्रति वह प्रयत्नवस्था के सार्वजनिक नियन्त्रण को ही सर्वोत्तम उपाय

मानता है। इसे उत्तरदायी बनाने की दृष्टि से उसका मुख्य है कि संसद और जन-प्रतिनिधियों का सार्वजनिक उद्योगों पर प्रभावशाली नियन्त्रण रहे।

### जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru)

भारत में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने लोकतान्त्रिक समाजवाद की विचारधारा को बत प्रदान किया। उन्होंने कहा कि साम्यवाद और फासीवाद दोनों परिचय की हवाएँ हैं और हिंसा तथा असहनशीलता की प्रतीक हैं। अतः अपने जीवन-मूल्यों और आदर्शों के प्रकाश में भारत इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। भारत के सामने दो मार्य हैं—एक लेनिन तथा मुसोलिनी का और दूसरा गौची का। चूंकि लेनिन और मुसोलिनी के तरीकों में मारी हिंसा है, अतः इन्हे नहीं अपनाया जा सकता। जवाहरलाल नेहरू ने यद्यपि स्पष्ट रूप से किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया, तपापि उनके भाषणों और कार्यकलापों से उनके लोकतान्त्रिक समाजवाद में विश्वास की पुष्टि होती है। उन्होंने उपयोगिता और व्यावहारिकता की दृष्टि से देश के लिए जो नीतियों अपनाईं वे मूलतः लोकतान्त्रिक समाजवाद के अनुकूल थीं और उनके उत्तराधिकारी भी इन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। नेहरू की विचारधारा के मुख्य तत्त्व ये—(1) घन का समान वितरण होना चाहिए, किन्तु उससे पूर्व उत्पादन बढ़ना आवश्यक है। जब तक वितरित करने के लिए सम्पत्ति नहीं होगी तब तक समान वितरण के बल दुख और निर्वन्ता का ही किया जा सकेगा। (2) रक्षा-उत्पादन तथा मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इन पर राज्य का स्वामित्व और नियन्त्रण रहना चाहिए। (3) जिन क्षेत्रों में निजी उद्यम नहीं पहुंच पाते वहाँ भी राज्य को प्रबन्ध करना चाहिए। (4) मिथित प्रयोग्यवस्था भारत के लिए उचित है जिसमें निजी उद्यम और सरकारी उद्यम साथ-साथ चल सकते हैं। (5) देश का उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिए समान भवसर देना सुगम होगा और राष्ट्रीय सम्पत्ति का न्यायपूर्ण वितरण सम्भव होगा। (6) सभी परिवर्तन सरकार द्वारा किए जाने चाहिए और जनता को तंसद के माध्यम से विश्वास में लिया जाना चाहिए। नेहरू जीवन-पर्यन्त इन नीतियों को राष्ट्रीय जीवन में चलाने की चेष्टा करते रहे और ए अप्पादोराय के इस कथन में कोई भ्रतिशयोक्ति नहीं है कि “राजनीतिक शब्दावली में नेहरू के लिए यही लोकतान्त्रिक समाजवाद था।” सहोप में, इस लोकतान्त्रिक समाजवाद में तीन बातें सम्मिलित हैं—(1) अधिग्रहण की प्रवृत्ति के स्थान पर सहयोग, (2) प्रत्येक के विकास के लिए समान भवसर, एवं (3) इन सहयोग के प्राप्ति के लिए ज्ञानितपूर्ण तथा वंशानिक उपाय।

### ग्रालोचना और मूल्यांकन (Criticism and Evaluation)

1 लोकतान्त्रिक समाजवाद एक ग्रादसं और जनहितवी विचारधारा है तथापि यह कठिपय गम्भीर ग्रालोचनाओं की शिकार हुई है। कहा जाता है कि यह विचारधारा दो परस्पर विरोधी मान्यताओं को समुक्त करने का प्रसफल प्रयास है।

लोकतान्त्रिक समाजवाद में न तो लोकतन्त्र ही सुरक्षित रह पाता है और न समाजवाद ही पाता है। इस बन्दु के भनुसार लोकतान्त्रिक समाजवाद भपने प्राप्ति में एक विरोधाभास है। यहीं लोकतन्त्र व्यक्ति के लिए स्वतन्त्रता की मौग करता है और इसे साकार बनाने के लिए स्वतन्त्र राजनीतिक सम्भावना की व्यवस्था करता है, वहीं समाजवाद में राज्य के निरकृष्ण बनने की सम्भावना रहती है वयोंकि राज्य को व्यापक शक्तियों प्राप्त हो जाती है। याश्चर्य की बात है कि लोकतान्त्रिक समाजवाद में इन दो एकदम विरोधी तत्त्वों को पर्याप्त लोकतन्त्र विरोधी तथा लोकतन्त्र समर्थक तत्त्वों को संयुक्त करने का प्रयास किया गया है जो कि अवहार में प्रसम्भव है। लोकतन्त्र राज्य की शक्तियों को पर्याप्ति कर व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्रदान करना चाहता है और इसके लिए भी प्रयत्नजील रहता है कि राज्य किसी बहाने अपने दमनकारी शक्ति से बुद्धि न कर से। लोकतन्त्र की भावना यह है कि राज्य की जनवस्तुत्मक शक्तियों का ही विकास हो और इसमें भी नागरिकों की स्वयं की भूमि ज्ञान विशेष महत्व है। दूसरे शब्दों में, लोकतन्त्र की मौग है कि राज्य मुख्यतः उन ही कार्यों को सम्पादित करें जिन्हें व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। राज्य की दमनकारी शक्तियों का लोकतन्त्र में कोई स्थान नहीं है। पर जब हम समाजवाद पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि इस विचारधारा में यह प्रन्तर करना बड़ा कठिन है कि राज्य को किस शक्ति को सूजनात्मक और किस को दमनकारी भावा जाए। दोनों ही शक्तियों एक दूसरे से इतनी घुलमिल आती हैं और राज्य पर इतना अधिक विश्वास किया जाने लगता है कि वही समाज-परिवर्तन, आधिक विकास और चरित्र-निर्माण का साधन बन जाता है। जब राज्य को इतने अधिक अधिकार सौंप दिए जाते हैं तो यह प्राप्ति करना अव्यावहारिक है कि राज्य अपनी शक्तियों का संदुपयोग केवल सूजनात्मक विकास में ही करेगा। यह सम्भव है कि राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग सूजन के नाम पर दमन के लिए बरे। यहीं समाजवाद स्वतन्त्रता का शब्द और लोकतन्त्र का विरोधी बन जाता है। लोकतान्त्रिक समाजवाद में परस्पर धोर विरोधी तत्त्वों को संयुक्त करने के प्रयास पर टिप्पणी करते हुए डबिन ने यहीं तक कह दिया है कि "लोकतन्त्र के शत्रुओं को लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त करने का कोई नितिक आधार नहीं है।"<sup>1</sup>

2 लोकतान्त्रिक समाजवाद के घासोंको का यह तर्क भी है कि इस विचारधारा में प्रतिरोगत्वा लोकतन्त्र की भावना घुमिल और जिपिस पढ़ जाती है तथा समाजवाद अधिनायकवाद का रूप धारणा कर जाता है। इस प्रकार लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ति रूप में राज्य का अधिनायकत्व है, राज्यवाद है और नौकरसाही से इस राज्यवाद को अधिकाधिक शक्ति प्राप्त होती है। लोकतान्त्रिक समाजवाद में नौकरसाही के प्रबल होने की पूरी सम्भावनाएं रहती हैं और इसमें सन्देह नहीं कि नौकरसाही की बड़ती हुई शक्ति लोकतन्त्र के विकास के लिए पातक है। वह एक

1 Quoted by E. M. Burns in 'Ideas Conflict', p. 185.

ऐसी स्थिति है जिसमें केवल राज्याधिकारियों और राज्य-कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को ही प्रोत्साहन नहीं। मलता बल्कि जन-साधारण का भी नैतिक पतन होने लगता है। नागरिकों की राज्य-निर्माण की शक्ति का हास होता है और उदासीनता, अकुशलता तथा कर्तव्यहीनता जैसे दुरुस्तों को प्रोत्साहन मिलता है। नागरिकों की सृजनात्मक शक्तियों के विनाश से बढ़कर और कोई बड़ी हानि नहीं हो सकती।

3 लोकतान्त्रिक समाजवाद के बिल्ड एक गम्भीर आलोचना इसके केंद्रीकृत स्वरूप की है। यह केंद्रीकृत स्वरूप व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर सीधी चोट करता है। समाजवाद के नाम पर सत्ता का केंद्रीकरण अलोकतान्त्रिक है। यह स्वाभाविक है कि ज्यो-ज्यों केंद्रीकरण का विस्तार होगा त्योंत्यों राज्य की दमनकारी शक्ति का विकास होगा, और ज्यो-ज्यों राज्य की दमनकारी शक्ति बढ़ेगी त्यों-त्यों व्यक्ति की स्वतन्त्रता सीमित होगी तथा लोकतान्त्रिक तत्त्व कमजोर पड़ेंगे। यह आलोचना की जाती है कि लोकतान्त्रिक समाजवाद के प्रत्यंगत उत्पादन घटता है तथा उपभोक्ताओं की कठिनाइयों में बढ़ि होती है।

4 चौथी मुख्य आलोचना यह है कि लोकतान्त्रिक समाजवाद द्वारा प्रतिपादित शान्तिपूर्ण साधन व्यवहार में अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं होते। पूँजीपतियों से शान्तिपूर्वक धार्यिक शक्ति का परिस्थान नहीं है। व्यक्ति में शक्ति प्रेम इतना होता है कि कोई भी स्वेच्छा से अपनी शक्ति का परिस्थान नहीं करना चाहता। पूँजीपति वर्ग अपनी सत्ता, विलासिता और ऐश्वर्य में तब तक कमी नहीं करेगा जब तक कि श्रमिकों का संगठित विरोध उसे ऐसा करने को विवश न कर दे।

5 लोकतान्त्रिक समाजवाद के समर्थक नागरिकों को विभिन्न स्वतन्त्रताएँ प्रदान कर आधिक समानता स्थापित करने की कामना करते हैं, किन्तु व्यवहार में इन स्वतन्त्रताओं का प्रयोग पूँजीपति वर्ग ही करता है। गरीब, प्रशिक्षित और कमजोर श्रमिकों में उनका उपभोग करने की क्षमता, अवसर एवं योग्यता नहीं होती। पैसे के बल पर पूँजीपति उनकी सारी स्वतन्त्रताएँ अपने हाथ में केंद्रित कर सकते हैं।

6. प्रजातान्त्रिक तरीके से समाजवाद लाने का माग देखने में सरल है, किन्तु व्यवहार में कटकाकीर्ण है। पूँजीपतियों द्वारा अपने निहित स्वायतों की रक्षा के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे जिससे समाजवाद न आ सके और जनता इस आशा में रहे कि एक दिन समाजवाद प्राप्त हो।

7 प्रजातान्त्रिक समाजवाद द्वारा के माध्यम से ही समाजवाद लाने का स्वरूप देखता है। वह वर्तमान राज्य के हाथ में उत्पादन और वितरण का स्वामित्व एवं प्रबन्ध सौंपना चाहता है, किन्तु इसका परिणाम पूँजीवाद से भिन्न नहीं हो सकता। राज्य मुख्यतः पूँजीपतियों की हितकारी सम्पत्ति है। इसके द्वारा समाजवाद का दोग अवश्य रचा जा सकता है, किन्तु लापा नहीं जा सकता।

8 समाजवादी दर्मान श्रमिकों को पूँजीपतियों के बिल्ड उकसाता है, किन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद भी ये श्रमिक राज्य-कर्मचारियों का विरोध करेंगे। वे कम काम के बदले अधिक सविधाएँ पाने के लिए निरन्तर सघघ करते रहेंगे। इससे श्रोताग्राम अशान्ति फैलेंगी, उत्पादन रुक जाएगा तथा अर्थव्यवस्था में धून लग जाएगा। पुनर्वच, लोकतान्त्रिक समाजवाद में व्यक्तिगत प्रेरणा न रहने से भी उत्पादन घटेगा और 'प्रत्येक का कार्य किसी का नहीं' की स्थिति पैदा हो जाएगी।

9 अन्त में, लोकतान्त्रिक समाजवाद के आलोचकों के अनुसार यह विचारधारा ठोस आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है। पाल रेमेडीज के अनुसार, "इसका कोई दार्शनिक पंक्त नहीं है और सिद्धान्त के भाव में यह अपनी शक्ति से बर्ठता है।"

लोकतान्त्रिक समाजवाद की उपर्युक्त आलोचनाएँ यद्यपि निराधार नहीं हैं, किन्तु मतिरजित अवश्य हैं। कुछ अलोचनाएँ तो केवल आलोचना के लिए हैं। इस तथ्य को भूठलाना कठिन है कि लोकतान्त्रिक समाजवाद आधुनिक विश्व के दो मूल्यों (लोकतन्त्र और समाजवाद) को एक साथ मिलाने का ऐसा प्रयोग है जिसे सफलना मिल रही है। यदि लोकतान्त्रिक उच्छृंखलता और साम्यवादी निरकुशता के बीच कही समझोता है तो वह लोकतान्त्रिक समाजवाद में ही दिखायी देता है। इस विचारधारा ने स्वतन्त्रता और समानता के बीच एक उचित समन्वय स्थापित किया है तथा राज्य की सत्ता को सीमित और नियन्त्रित कर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा की है। इसी प्रकार समर्पित के व्यक्तिगत स्वामित्व को मर्यादित कर आर्थिक समानता का भार्गदर्शन किया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आशकाएँ समाजवाद के प्रति की जाती हैं वे लोकतन्त्र में भी उत्तम हो सकती हैं। लोकतन्त्र और समाजवाद दोनों में ही एक छोटे से वर्ग का वर्धस्व द्याया रहता है। यदि लोकतन्त्र में स्वतन्त्रता के नाम दर एक छोटा सा साधन-सम्पन्न वर्ग वास्तविक शक्तियों और स्वतन्त्रताओं का उपभोग करता है तथा सुख भोगता है तो समाजवाद में भी समाज-परिवर्तन का जिम्मा एक छोटा-सा वर्ग ही भौलता है और व्यापक शक्तियों का उपभोग रहता है। लोकतान्त्रिक समाजवाद की अवधारणा में लोकतन्त्र और समाजवाद दोनों की बुराइयों से बचते हुए और दोनों की अच्छाइयों को प्रहरण करते हुए यथासम्भव एक आदर्श समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की गई है और यह समन्वय ऐसा नहीं है जो व्यावहारिक न हो। विभिन्न देशों में लोकतान्त्रिक समाजवाद का प्रयोग सफलतापूर्वक चल रहा है। हमारा अपना देश भारत इसका एक उदाहरण है। लोकतान्त्रिक समाजवाद याहु है क्योंकि इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। लोकतन्त्र से मुत्त होने पर यह समाजवाद का रूप घारण कर लेता है और साम्यवाद में जीवन के नीतिक और प्राच्यात्मिक मूल्यों से कोई लगाव नहीं होता। साम्यवाद न केवल जीवन के आधारभूत तत्त्वों की उपेक्षा करता है बरन् मानव-व्यवहार को उसके मापदण्डों और मूल्यों से भी बचित कर देता है। आधुनिक विश्व में आज की राष्ट्रीय और ग्रन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों में हम एक ऐसी प्रवधारणा का सहारा लेना ही होगा जो प्रहिसक और सांविधानिक तरीकों से तथा सारे समाज को साध लेकर समाज में परिवर्तन सान की पांच उन्मुख त्वा। ऐसी प्रवधारणा के दर्जने हमें लोकतान्त्रिक समाजवाद में होते हैं। यह मत है कि लोकतान्त्रिक तरीके से समाजवाद लान में समय अधिक लगेगा और कान्ति द्वारा जो कार्य कुछ दिनों में हो सकता है वह लोकतान्त्रिक तरीके से कई बड़े से सकता है, लेकिन यह उक्ति भी ग्रंथंपूर्ण है कि धोमी गति किन्तु दृढ़ कदम दौड़ में ठोस विजय प्राप्त करते हैं।

# तर्कशीलता के विरुद्ध विद्रोह— विलियम मेकडूगल, हेराल्ड लॉसवेल, एमाइल दुखीन, विल्फ्रेडो परेटो

(Revolt against Reason—William McDougall,  
Harold Lasswell, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto)

19वीं शताब्दी के उत्तराह्न में राजनीतिक विचारक मनोविज्ञान की प्रौढ़ प्रगति हुए। तर्कशीलता अथवा बुद्धिवाद के प्रति विद्रोह का उदय हुआ और इस प्रवृत्ति को बुरा समझा जाने लगा कि लोग यह विश्वास करें कि प्राकृतिक शक्तियों पर ईश्वर का कोई नियन्त्रण नहीं होता, वर्कं अथवा बुद्धि के द्वारा प्रहृति के सभी रहस्यों को जाना जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति तर्कशीलता या बुद्धि के आधार पर अधिकतम लाभ के लिए कार्य करता है, राज्य मानव-विवेक की उपज या प्रभिव्यक्ति है, आदि। तर्कवाद की प्रवृत्ति के प्रबल हो जाने के कारण मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव बुधा जिसे जन्म देने का श्रेय प्रतिभाशाली ब्रिटिश अर्थशास्त्री और वेक्षणविदायी वाल्टर बेजहॉट को था। याहूम बैलास, मेकडूगल, विलियम ट्राटर, ग्राहम एम काइवर, एच आर रिव्स, एल टी हॉवहार्ड, समनर, लेस्टर एफ वार्ड, गिर्डिंग्स कूले, एमाइल दुखीन, गंवियल टार्ड, विल्फ्रेडो परेटो आदि ने इस विचारधारा को बत प्रदान किया।

**विलियम मेकडूगल**  
(William McDougall, 1871-1938)

संक्षिप्त जीवन-परिचय एवं रचनाएँ

प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता विलियम मेकडूगल का जन्म 1871 में हुआ था। वह याहूम बैलास का समकालीन था। और उसने बैलास के समान ही राजनीति को प्राप्ती मनोवैज्ञानिक देन द्वारा समृद्ध किया। वह एक उच्च कोटि का विद्वान् या और उसने कॉमिक्स, लम्दन, खांसफोड़, हार्डीं और ड्यूक आदि विभिन्न विश्वविद्यालयों में सेवा की। इस भार्गल-भ्रमेरिकी विद्वान् ने भ्रनेक पुस्तकों की रचना

की जिन्हें राजनीति के विद्यायियों द्वारा सदंच बड़ी हचि से पढ़ा जाएगा प्रौर वे उनसे लाभान्वित होते। मेक्डूगल की महत्वपूर्ण रचनाएँ निम्नलिखित हैं—

1. Introduction to Social Psychology. (1910)
2. The Group Mind. (1920)
3. Social Psychology.
4. Outline of Psychology. (1923)
5. World Chaos (1931)

इस प्रतिभाशालो मनोवैज्ञानिक राजदर्शनशास्त्री का देहान्त 1938 ने हुआ।

### मेक्डूगल का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त

(His Psychological Theory)

मेक्डूगल ने प्रथम 'सामाजिक मनोविज्ञान की मूलमिका' (Introduction to Social Psychology) में स्पष्ट किया है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का सामाजिक विज्ञान है जिसकी सहायता से राजनीति विज्ञान उपयोगी एवं व्यार्थकारी बन सकता है। मनोविज्ञान की खोजों से राजनीति को निश्चय ही लाभान्वित होता चाहिए। मनुष्य भावनाओं का पुँज़ज है प्रौर राजनीति-शास्त्र को उपयोगी बनाने की दृष्टि से मानवीय भावनाओं, कामनाओं प्रौर विचारों का ध्यान रखना चाहिए। मानव-बुद्धि भावनाओं की तृप्ति के लिए तत्पर रहती है। मूल प्रवृत्तियों का मानव-व्यवहार में महत्वपूर्ण हाथ रहता है। इसके महत्व को बतलाते हुए मेक्डूगल ने लिखा है कि "यदि मनुष्य" में इन शब्दों शाली वृत्तियों को निकाल दिया जाए तो किसी प्रकार की किया के लिए समर्यन हो सकेगा। वह उस घटी के समान स्थिर तथा गतिहीन हो जाएगा जिसकी कमियाँ निकाल दी गई हो, अथवा उस भाग के इज्जन के समान होगा जिसकी आग बुझा दी गई हो। ये भावनाएँ तथा मानसिक शक्तियाँ हैं जो मनुष्यों प्रौर समाजों के जीवन को कायद रखती हैं प्रौर उनके रूप का निर्धारण करती हैं। उनमें जीवन, मृत्यु एवं इच्छा का प्रमुख रहस्य निहित रहता है।"

मेक्डूगल ने मूल प्रवृत्तियों (Instincts) को मानव-व्यवहार का संचालिका शक्ति माना है। मूल प्रवृत्तियाँ, जीवन का प्रथम उद्देश्य प्रौर सब कियायों का मूल स्रोत हैं, ये केवल उत्तेजना प्रौर किसी किया के बीच की प्रज्ञात कही मात्र नहीं हैं। प्रथम मनोविज्ञान की रूपरेखा (Outline of Psychology) में मेक्डूगल ने मूल प्रवृत्तियों की सूचना दी है। उसके अनुसार प्रमुख मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जिनमें प्रत्येक एक मनोभाव (Emotion) से सम्बद्ध होती है जो मनुष्यों को विशेष रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस मनोभाव को हम सम्बद्ध सवेग (Emotion) कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि मूल प्रवृत्ति (Instinct) 'पलायन (Escape) की है तो उसके साथ भय (Fear) का सवेग (Emotion) विद्यमान रहता है। मेक्डूगल ने सम्बद्ध-सवेगों सहित मूल प्रवृत्तियों की निम्नलिखित सूची प्रस्तुत की है।

मूल प्रवृत्तियाँ (Instincts)	सम्बद्ध संवेग (Emotions)
1 पलोचन (Escape)	1. भय (Fear)
2 दुयुक्ता (Pugnacity)	2. कोष (Anger)
3 निवृत्ति (Repulsion)	3. वृत्ता (Disgust)
4 पुत्र कामना (Parental Instinct)	4. वाल्स्ट्रिय (Tender emotion)
5 शरणार्थीति (Appeal)	5. कष्टा (Distress)
6 काम (Mating)	6. कामुकता (Lust)
7 विज्ञाना (Curiosity)	7. बहस्य (Wonder)
8 दीनदारा (Submission)	8. आस्महोनिंग (Negative Self feeling)
9 बात्म-प्रकाशन (Self assertion)	9. आत्माभिमान (Positive self feeling)
10 सामृद्धिकता (Gregariousness)	10. एकाकीपन (Loneliness)
11 खोबन की खोज (Food seeking)	11. भूख (Appetite)
12 संग्रह (Acquisition)	12. स्वामित्व (Ownership)
13 ख्यता (Constructiveness)	13. रचनात्मक वानवद (Feeling of creativeness)
14 हास (Laughter)	14. प्रसरण (Amusement)

उपर्युक्त मूल प्रवृत्तियों के प्रतिरिक्त प्रन्य निम्न श्वेणी की प्रवृत्तियाँ भी होती हैं यथा छोड़ना, स्त्रीसना, मलमूत्र-व्यवहार करना आदि। इनका यद्यपि कोई सामाजिक महत्व नहीं है तथापि इनका थाणिक वेग बहुत प्रबल होता है। मेक्डूगल ने उपर्युक्त 14 मूल प्रवृत्तियों के प्रतिरिक्त 4 सामान्य वृत्तियाँ (Natural Tendencies) का भी उल्लेख किया है—

1. संकेत (Suggestion),
2. सहानुभूति (Sympathy),
3. अनुकरण (Imitation), एवं
4. खेल (Play)।

सामान्य वृत्तियों के साथ कोई सम्बद्ध संवेग (Emotion) नहीं होता। मेक्डूगल के अनुसार प्रमुख मूल प्रवृत्तियाँ मानव-व्यवहार की सचालिकाएँ हैं। ये परिवार, सामाजिक वर्ग-व्यवस्था, युद्ध, घर्म तथा अन्य सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक उद्देश्य प्रदान करती हैं। मेक्डूगल का कहना है कि ये प्रवृत्तियाँ व्यक्ति द्वारा स्वयं अर्द्धित नहीं की जाती बल्कि ये जन्मजात होती हैं। ये आदि मानव की प्रथम क्रियाएँ थीं। इनके बिना मानसिक और शारीरिक यन्त्र स्पन्दनहीन हो जाते हैं।

### आचरण पर मेक्डूगल के विचार (McDougall on Behaviour)

मेक्डूगल के अनुसार आचरण सहृज-क्रिया (Reflexes) का परिणाम नहीं है। सामान्य रूप से यांचरण कही जाने वाली क्रियाएँ सहृज क्रियाओं से भिन्न होती हैं। आचरण के स्वयं के कुछ लक्षण होते हैं। आचरण कुछ घब्बों में स्वत वृति-

(Spontaneity) और पर्यावरण से मुक्ति प्रदानित करता है, किन्तु यह एक सीमा तक पर्यावरण से प्रभावित भी होता है। क्षणिक उद्दीपन (Momentary Stimulus) से प्रेरित होने के बाद आचरण को कियाएँ उद्दीपन समाप्त हो जाने पर भी विशेष दिशा में सतत रूप से सञ्चालित रहती हैं। आचरण की क्रियाओं में बासा प्रस्तुत होने पर भी उन वाधाओं को पार करके लक्ष्य तक पहुँच जाता है। विविध प्रकार के प्रदलन इच्छित परिणाम प्राप्त कर लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं। बहुधा आचरण की क्रियाओं का प्रथम चरण उन मानसिक क्रियाओं का समूह होता है जो द्वितीय चरण के आगमन के लिए पृथग्भूमि तैयार करने में सहायक होते हैं और यदि आचरण को उत्पन्न करने वाली विधि की पुनरावृत्ति बार-बार होती है तो विविध प्रकार का आचरण (The Varied Behaviour) एक अधिक निश्चित ग्राहक प्रहृण कर लेता है।

### मानव प्रकृति पर मेक्डूगल के विचार (McDougall on Human Nature)

मेक्डूगल वेन्यम की इस धारणा से असहमत है कि सभी मानव-कार्य स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। उसके मतानुसार, "मानव-स्वभाव कर्तव्य वृत्तियों का समूह है और ये वृत्तियाँ नि स्वार्थ भावना से प्रेरणा प्रहृण करती हैं। इन वृत्तियों में माता का प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण और इसी से उदारता एवं विशाल-दृढ़यता के नाना रूपों का प्रादुर्भाव होता है। न केवल परिवार बल्कि सम्पूर्ण सामाजिक जीवन प्रेम-भावनाओं (Sentiments of Love) पर प्राथित है।" रोको (Rockow) के मनुसार, "दासता की समाप्ति में, मुद्दों के भय कम करने के प्रयत्नों में और वृद्धों तथा भ्रस्तायों के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व के हाल ही में विकसित विचार के भूल में यही (मातृ-प्रेम) क्रियात्मक कारण है।"<sup>1</sup>

मेक्डूगल ने वेन्यम की इस धारणा का खण्डन किया है कि मनुष्य के सभी कार्य सुख की प्राप्ति और दुःख से बचने की भावना से प्रेरित होते हैं। उसका विचार है कि मानव-प्रकृति प्रावस्थक रूप से बहुवादी (Pluralistic) है न कि एकाकी (Monoistic)। मानव कार्य किसी एक ही इच्छा से प्रेरित न होकर घनेक और परस्पर-सम्बन्धित प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होते हैं। जड़ कोई महिला घरने बच्चे को बचाने के लिए स्वयं के जीवन को सतरे में डालती है तो उसका यह कार्य गुहाघाटी साधक एन्ज (Hedonistic Calculator) से निर्यात नहीं होता बल्कि उसके मातृ-प्रेम की प्रोत्तिया होती है। उसके इस कार्य में सुख प्राप्ति की कोई स्वार्थपूर्ण इच्छा निर्हित नहीं होती। इसी तरह जब मनुष्य घरने साधियों का बाह्यव्यं प्राप्त करने की इच्छा करता है तो वह सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं प्रत्युत साइर्वय की भावना से प्रेरित होता है। मेक्डूगल के मनुसार सुख और दुःख स्वप्रयोग कार्यों का मूल-स्रोत नहीं हैं। इनके द्वारा किसी विशिष्ट क्रिया की भविति

<sup>1</sup> Rockow op.cit., p. 15.

निर्धारित होती है : सुख (Pleasure) मानन्द (Happiness) नहीं हाता । सुख तो क्षणिक होता है जबकि भानन्द (Happiness) उन सब भावनाओं की उत्तमता है जिनसे मानव-व्यक्तिलव का निर्माण होता है ।

### सामूहिक मस्तिष्क पर मेक्डूगल के विचार (McDougall on Group Mind)

प्रपने पथ समूह-मस्तिष्क (Group Mind) में मेक्डूगल ने मानव प्राचरण से सम्बन्धित मौलिक सिद्धान्तों के प्राधार पर विभिन्न समूहों के प्राचरण का विवेचन किया है । जनश्रुति है कि मेक्डूगल का समूह-मस्तिष्क (Group Mind) प्लेटो के गणतन्त्र (Republic) का पुनर्जन्म है । उसके मनानुसार भाव एवं भावनाएँ व्यक्ति तथा आचरणों की भाँति सामूहिक प्राचरणों को भी निर्धारित करती हैं । वह सामूहिक चेतना की समीक्षा उमी पद्धति से करता है जिस पद्धति से एक प्राकृतिक दैनांनिक प्राकृतिक जगत् की विवरणा करता है । इस विषय में उने प्राणिशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र से प्रेरणा प्रहरण की है । वह कहता है कि सुव्यवस्थित समाज एक सजीव इकाई है जिसका अपना भस्तिष्क और व्यक्तिष्क है । प्रत्येक समूह की मानसिक व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का मन उस समूह की इकाई होता है । सामूहिक मस्तिष्क सोचता है और सजीव प्राणी को तरह कायं करता है । इसके भस्तिष्क के अपने नियम हैं । अपने नियमों के अनुसार ही वह प्रयत्न करता है । समूह से पृथक् हो जाने पर व्यक्ति के काय समूह के कामों से भिन्न हो जाते हैं । मेक्डूगल का विश्वास था कि "सामाजिक व्यवस्था एवं ढौंचा हर तरह से उतना ही मानसिक और मनोवैज्ञानिक है जितनी व्यक्ति के भस्तिष्क की दबावट और कायं-प्रणाली होती है ।" राष्ट्र के अन्तर्गत अनेक छोटे-छोटे समुदाय होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य सामूहिक मस्तिष्क के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है ।

मेक्डूगल जनसत का बहुत गुणान बरता है और उसे एक बुडिपूर्ण एवं मान्य मानदण्डन समझता है । उसके अनुसार जनसत की सर्वोत्तम व्यास्था समाज के सर्वोत्तम मस्तिष्कों द्वारा ही की जा सकता है । इन्हीं विचारों के कारण मेक्डूगल को रोक्को ने प्लेटोवादी (Platonis.) कहा है, किन्तु जास्तविकता यह है कि मेक्डूगल और प्लेटो में बहुत कम साम्य है ।

### राष्ट्र के विषय में मेक्डूगल के विचार

#### (McDougall on the Idea of the Nation)

मेक्डूगल के मनानुसार, "राष्ट्र एक जाति अथवा सूह है जिसे किन्हीं भूमि या राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है तथा जिसका अपना विशिष्ट राष्ट्रीय मन अथवा चरित्र होता है । इसका मूल तत्व मनोवैज्ञानिक है और इसकी मानसिक व्यवस्था इसे सामूहिक जीवन प्रदान करती है ।" राष्ट्रीय मस्तिष्क (विचारधारा) एक व्यक्ति के मस्तिष्क के नमान है जिसमें वेतन मानसिक चेतना ही नहीं होती बरन् भावना एवं क्रियाशीलता की प्रवृत्ति भी पायी जाती है । राष्ट्रीय मस्तिष्क एक निरिचित विचारधारा है जो किसी एक व्यक्ति अथवा समस्त व्यक्तियों की विचारधाराओं के

नाग से भिन्न होती है। इस प्रकार की राष्ट्रीय भावना ग्रथवा राष्ट्रीय मस्तिष्क का उदय तभी होता है जब राष्ट्र की सम्पूर्ण इकाइयों में एकत्रता (Homogeneity) हो। एकत्रता ग्रथवा एकता की यह भावना निम्नतित्त्वित तत्त्वों से मिलकर निर्मित होती है—

- (1) सामान्य नस्त (A Common Race)
- (2) सदस्यों के बीच विचारों के आदान-प्रदान की स्वतन्त्रता
- (3) योग्य नेता (Eminent Leaders)
- (4) एक स्पष्ट तथा निश्चित सामान्य उद्देश्य, विशेषकर राष्ट्रीय सकट के ग्रवसर पर
- (5) अस्तित्व की सम्मी श्रवणि
- (6) राष्ट्रीय विचारधारा (National Mind)
- (7) राष्ट्रीय आत्म-चेतना (National Self consciousness)
- (8) अन्य राष्ट्रों से स्पर्द्धा (Emulation with other Nations)

मेक्डूगल के प्रनुसार राष्ट्रीयता की भावना वह शक्तिरूपी माला है जो मनुष्यों को एकता के सूत्र में पिरोती है। यह केवल भावना तक ही सीमित नहीं है वरन् वह मनोवृत्ति है जिसके भावनात्मक और प्रभावात्मक दोनों पहलू होते हैं। एक राष्ट्र के व्यक्ति न केवल राष्ट्रहित के लिए सर्वद क्रियाशील रहते हैं बल्कि राष्ट्र के लाभ के लिए अनेक विलान भी करते हैं। मेक्डूगल वा कहना है कि विसी भी राष्ट्र का कोई एक कार्य सुनिश्चित परिपाठों के प्रनुसार सामूहिक रूप से भली प्रकार सोब विचार किया हुआ, सबके हित के लिए सबके द्वारा किया गया कार्य होता है। राष्ट्र का जीवन-काल बहुत सम्भा होता है और इसमें एक दीर्घ भूतकाल तथा दीर्घ भविष्य समाविष्ट रहता है।

मेक्डूगल-दर्शन की आलोचना और महत्त्व

(Criticism and Importance of  
McDougall's Philosophy)

मेक्डूगल के सिद्धान्तों के प्रति यम्भीर आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं जो इस प्रकार हैं—

1. मेक्डूगल का मत है कि भावों का वैयक्तिक और सामाजिक क्षयों में पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु भावों की प्रभिष्यक्ति एक निश्चित सामाजिक स्थिति में होती है और इसी स्थिति के द्वारा उनकी रूपरेखा निश्चित होती है। व कभी शून्य में कार्य नहीं करते। सामाजिक जीवन की रूपरेखा के नियायिक तत्त्व भूत्य और प्यास, काम और प्रेम नहीं हैं, बल्कि वह ठोस और निश्चित क्रियाएँ हैं जिनके द्वारा उनकी तुष्टि होती है तथा मनुष्य के प्रनुभव और विचारों की उत्पत्ति होती है। बार्कर का यह कहना सही है कि “मेक्डूगल भावों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उसने यह स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की कि समाज में भाव किस प्रकार प्रवर्तित होते हैं। इस प्रकार मेक्डूगल एक ऐसे यात्री की भाँति है जो

तेयारियाँ करके ही रह जाता है, वास्तविक यात्रा का आरम्भ कभी नहीं करता। बुद्धियादी चाहे काफी तेयारी न करता हो, लेकिन वह राज्य में यात्रा प्रौढ़ उसकी रोज़ अवश्य करता है।"

2 मेरुदूगल की प्राचोबना में कहा जाता है कि उसकी विवेचना की विविधता और वातावरण में तथा प्रकृति और वृत्तियों में अनावश्यक भेद करती है। सम्पत्ति की भावना पर आधारित परिवार को समठित करना व्यर्थ है। वास्तविक महत्त्व तो इस बात में है कि इस प्रकार की नेतृगिक प्रवृत्तियों (Instincts) का सामाजिक व्यवस्था में क्या स्थान है। उचित पहीं है कि व्यक्ति को वातावरण की पृष्ठभूमि पर रखा जाए।

3 मेरुदूगल ने नेतृगिक प्रवृत्तियों को बहुत अधिक महत्त्व दिया है और नेतृगिक आवेगों और बुद्धिपूर्ण आवेगों (Instinctive Impulses and Intelligent Impulses) के बीच भी कोई स्पष्ट रेखा नहीं खीची है। बंलास और हाँवहाउस के ये शब्द उल्लेखनीय हैं—“हमे अपने माता-पिता से केवल अनुभूति और आवेग ही नहीं अपितु इनसे प्रच्छे बुरे की पहचान, विश्लेषण और सगड़नात्मक बुद्धि भी प्राप्त होती है। हमने बुद्धिमत्ता को व्यक्ति की उपज मानकर विरोध किया है और नेतृगिक वृत्ति को पतृक माना है किन्तु योग्यता के रूप में बुद्धिमत्ता पतृक या वशानुक्रमण है। उत्सुकता तथा खोज, विश्लेषण तथा तुलना की विधियों में वशानुक्रमण ढाँचे का भूल आधार निहित होता है।”

बुद्धि प्रत्येक कार्य में रूढ़िवादिता को कम करती है और विशिष्ट स्थितियों में परिवर्तित करती है। यह (बुद्धि) न तो नेतृगिक वृत्तियों से पृथक् होती है और न उनके प्रधीन। यह तो इनसे सहयोग करती है, इनका परिमार्जन करती है और मन्त्र में हमारी विविध वृत्तियों का एकीकरण कर उनको एक ठोस इकाई बनाती है।

4 एक बग्न या सगठित समूह अलग-अलग व्यक्तियों के समूह से कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है और विशेष व्यक्तियों के परिवर्तन के पश्चात् भी जीवित रह सकता है, परन्तु इसका यह आशय नहीं है कि मानसिक शक्ति से भी ऊँची कोई शक्ति है। समाज व्यक्ति सम्बन्धी दृष्टिकोण से ही सबैदनशील अथवा मनोवैज्ञानिक है। समाज बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है किन्तु उसके समस्त कार्यों का सचालन व्यक्तियों द्वारा ही होता है। इसकी परिपाटियों को व्यक्ति ही पूर्ण कर सकते हैं।

5 मेरुदूगल ने राष्ट्रीय आत्मा और राष्ट्रीय-मन या मन्त्रिक (National Soul or National Mind) का जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, वह मान्य नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसी कोई कसीटी नहीं है जिसके द्वारा राष्ट्र के उद्देश्यों की एकता तथा ठोसता को मालूम किया जा सके। केवल एक कुशल सेना में ही आदर्श एकता विद्यमान हो सकती है।

6. राष्ट्रीय समूह की व्याख्या करते समय मेक्स्डूगल राष्ट्र और राज्य (Nation and State) के प्रन्तर को भूल गया प्रतीत होता है। राष्ट्र एक परिपाठी, सम्यता तथा भावना है, राज्य एक व्यवस्था तथा संगठन है। राज्य इतना पुराना है जितनी सम्यता, परन्तु राष्ट्र का विकास थोड़े समय से ही हुआ है। मेक्स्डूगल के मतानुसार छिटेन के निवासी राष्ट्रीय संगठन का सर्वधेष्ठ उदाहरण हैं, किन्तु यह पारणा सही नहीं है क्योंकि ब्रिटिश जनता तीन विभिन्न राष्ट्रीयताओं-प्रप्रेज़ी (The English), स्कॉच (Scotch) तथा वेल्श (Welsh) का समूह है।

यद्यपि मेक्स्डूगल के दर्जन में अनेक त्रुटियाँ हैं, तथापि इसमें कोई नव्येत्री नहीं है कि उसके दर्जन ने मनोवैज्ञानिक योगदान द्वारा राजनीति-शास्त्र को प्रधिक सम्पन्न बना दिया है। मेक्स्डूगल ने मानव आचरण के कलियत्र अ गो पर, जिनके विषय में पहले ज्ञान नहीं था, पर्याप्त बल दिया है। उसका 'समूह-स्तिष्ठ' (Group Mind) का सिद्धान्त वस्तुत एक अमूल्य देन है, यद्यपि इस सिद्धान्त में समूहों की एकता और संगठन को इतना महत्व दिया गया है कि इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व गोण हो गया है। मेक्स्डूगल के सिद्धान्तों का महत्व इस बात में है कि उनके सदर्म में किसी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रविह मुन्दरता से समझा जा सकता है।

### हेराल्ड लॉसवेल

(Harold Lasswell)

हेराल्ड लॉसवेल 20वीं शताब्दी के उन जीवित लेखकों में प्रमुख हैं जिन्होंने राजनीति-शास्त्र के प्रध्ययन को नई दिशा प्रदान की है और विषय की वास्तविकताओं के निकट तक पहुँचने के लिए नूतन पद्धतियाँ और विश्लेषण के नवीन तथ्यों का उद्घाटन किया है। उसका जन्म सन् 1902 में हुआ और यूरोप तथा अमेरिका के प्रस्ताव शिक्षण-केन्द्रों में उसने शिक्षा प्राप्त की। लॉसवेल की रचनाओं में विषय की मोलिकता और विचारों की स्पष्टता के कारण राजनीतिशास्त्र को दुनिया में उनका भारी प्रभाव है। उनकी डॉक्टरेट की तेजारी में आधुनिक अमेरिकी राजनीति-विज्ञान का मुख्यात विद्वान् चाल से भैरियम न उनका पथ-प्रदर्शन किया था, प्रत स्वभावत उनके दर्जन पर मेनियम का प्रभाव व्यापक रूप से दिखाई देता है। लॉसवेल परं जिन ग्रन्थ विद्वानों का प्रभाव पाया जाता है, वे हैं 20वीं शताब्दी के महान् दार्शनिक ह्वाइट हैंड, विह्यात मनोवैज्ञानिक सिगमन्ड फॉर्ड तथा ग्राहम बेलम और जर्मन सम ज्ञानी वीरकान्त। लॉसवेल को राजनीति में वैज्ञानिक और मनुभववादी गिरान्त वा प्रवक्ता माना जाता है। उन्होंने मनोरोग विज्ञान (Psychopathology) के उन तथ्यों के विश्लेषण की पोर राजनीतिक वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है जिनसे वे नगमन अनुभित थे। लॉसवेल की प्रमुख रचनाओं निम्नलिखित हैं—

- (1) *Psychopathology and Politics*
- (2) *World Politics and Personal Insecurity*
- (3) *Politics Who Gets What, When, How?*
- (4) *Democratic Character*
- (5) *The Analysis of Political Behaviour : An Empirical Approach*
- (6) *Power and Society (Lasswell and Kaplan)*.

## लॉसवेल के दर्शन की पृष्ठभूमि

लॉसवेल के पूर्व राजनीति-विज्ञान परम्परावादी मान्यताओं से ग्रसित था। ग्राहम बैलास ने सन् 1908 में प्रकाशित अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'हामून नेवर इन पॉलिटिक्स' में इस बात पर खेद प्रकट किया कि राजनीति का अध्ययन केवल राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित है, राजनीति के विद्यार्थी मनुष्य के विशेषण से बचते हैं। आधंर बैट्ले ने भी लगभग इसी समय लिखा कि हमारा राजनीति-विज्ञान मृत है क्योंकि यह केवल शासन-संस्थाओं के अध्याधिक बाह्य-तक्षणों का एक औपचारिक अध्ययन मात्र बना हुआ है। राजनीतिक वैज्ञानिकों में इस प्रकार के असन्तोष का परिणाम यह हुआ कि संस्थाओं से हट कर उनकी कार्य पद्धति पर ध्यान बेन्द्रित किया जाने लगा। राजनीति-विज्ञान को व्यवहार-विज्ञान का स्प देने में चाल्स ऐरियम अग्रणी थे। उन्होंने सन् 1921 में 'अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिभ्यू' में प्रकाशित एक लेख में यह विचार व्यक्त किया कि समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, सौलिङ्गकी आदि में विकसित पद्धतियों को राजनीति-शास्त्र के अध्ययन में अपनाया जाना चाहिए। सन् 1925 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'न्यू ग्रासपर्क्स ऑफ पॉलिटिक्स' में उसने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए लगभग बंसे ही लक्षणों, पद्धतियों और तकनीकों को अपनाने पर बल दिया जो व्यवहार-विज्ञान के सितं ग्रावश्यक मानी जाती है। सन् 1925 में 'अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन' के अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने यह आशा व्यरु की कि निकट भविष्य में ऐसा समय आएगा जब हम अन्य विज्ञानों के समान राजनीति-शास्त्र में भी संस्थागत दृष्टिकोण के अतिरिक्त मन्य दृष्टिकोणों को भी अपनाएंगे और राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को अपने अनुसन्धान का एक ग्रावश्यक लक्ष्य मानेंगे। ऐरियम का आशावाद सत्य सिद्ध हुआ। राजनीति-शास्त्र के क्षेत्र में भी अन्तर-अनुशासनीय दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। लॉसवेल, ट्रूमैन, हर्बर्ट साइमन, प्रामण्ड ग्रादि लेखनों ने ऐरियम से प्रेरणा ग्रहण कर राजनीति-विज्ञान को व्यवहार-विज्ञान की दिशा प्रदान करने का बोडा उठाया। इस दिशा में लॉसवेल ने इतना काम किया कि उसे परम्परागत राजनीति-शास्त्र को व्यवहारवादी राजनीति-शास्त्र से समुक्त करने की सबसे शक्तिशाली कड़ी माना जा सकता है। 'साईको-पैथोलॉजी १०८ पॉलिटिक्स' (1935) 'वल्डे पॉलिटिक्स एण्ड पर्सनल इनसिक्यूरिटी' (1935) तथा पॉलिटिक्स हूँगैट्स ह्वाट, हैन, हाउ' (1936) में लॉसवेल ने राजनीतिक अध्ययन में मनोवैज्ञानिक साधन अपनाने तथा सभी सामाजिक विज्ञानों की मूलभूत एकता तथा राजनीति-शास्त्र की शोध-सामग्री को सख्ताबद्द करने की उपयोगिता पर जोर दिया।

## लॉसवेल का दर्शन

1. राजनीति-विज्ञान की अध्ययन-पद्धति और विषय क्षेत्र—लॉसवेल के अनुसार राजनीति-विज्ञान प्रभाव तथा प्रभावी (Influence and Influential) का अध्ययन है। वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन को कुछ संस्थाओं तक ही सीमित

राजनीति, प्रभुत्व राष्ट्रों के संविधानों, सरकारों और समूहों, स्थानीय शासन और स्कॉल प्रशासन, सरकार एवं राजनीतिक धारणाओं, लोक-कल्याण, न्याय आदि सभी का वस्तुपरक (Objective) मध्ययन शामिल है।

2 शक्ति और व्यक्तित्व के पारस्परिक सम्बन्ध और सांस्केत के विषार—  
सांस्केत ने शक्ति को एक प्रन्तर-वैदिकिक (Inter-personal) प्रवस्था माना है। जिन लोगों के पास शक्ति है वह उन्हें प्रदान की जाती है। वे इस प्रदत्त शक्ति पर ही प्राप्तिरहते हैं और तब तक शक्ति का उपभोग करते रहते हैं जब तक कि शक्ति प्रदान करने वाले स्रोत ही निश्चिय नहीं हो जाते। ताँस्केत ने दूसरों पर प्रपने मूल्यों को लागू करके एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को शक्ति माना है। राजनीतिक व्यक्ति वह होता है जिसका प्रभुत्व मूल्य अर्थात् उद्देश्य इस शक्ति को प्राप्त करना है। इस तरह राजनीति का मुख्य सार शक्ति है। समाज में शक्ति-सम्बन्धों की रचना आदान-प्रदान द्वारा होती है और आदान-प्रदान की यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। प्रभाव, सत्ता, धनुनय, दबाव, दमन, बल आदि शक्ति सम्बन्धों के ही विभिन्न स्वरूप हैं। जब मानव-सम्बन्ध शक्ति सम्बन्धों में परिवर्तित हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि सम्बन्धों का राजनीतिकरण ही मर्यादा है। राजनीतिकरण की इस प्रक्रिया वा प्रनिति परिणाम एक सर्वाधिकारवादी राज्य (Totalitarian) की इष्यापना होता है। कानून्तर में यह सर्वाधिकारवादी राज्य 'कारागार राज्य' का रूप धारण कर लेता है।

3 सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शक्ति-प्रवधारणा—सांस्केत ने सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शक्ति की प्रवधारणा की व्याख्या की है। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शक्ति एक 'मूल्य' है जिसकी प्राप्ति वी सभी लोग आकृक्षा करते हैं। निर्णय-प्रक्रिया में भाग लेना एक मूल्य है, घन प्राप्ति भी एक मूल्य है, किन्तु साय ही ये मूल्य 'शक्ति' के द्वारा तक भी हैं। समाज में जो विभिन्न स्थिरां पाई जाती है वे उन मूल्यों को प्राप्त करने का साधन हैं। यद्यपि सभी लोग शक्ति की आकृक्षा करते हैं, तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों में शक्ति-प्राप्ति की इच्छा समान रूप से तीव्र होती है या जन्मजात होती है या सभी इसकी प्राप्ति में सफल होते हैं।

सांस्केत ने मूल्यों को साधेत माना है। विभिन्न समुदायों, व्यक्तियों और इतिहास के विभिन्न युगों में मूल्यों की 'भिन्नता' दिलाई देती है। समाज की स्थिरां मूल्यों का स्वरूप निर्धारित करती हैं। सांस्केत ने मूल्यों और स्थिरां के पारस्परिक सम्बन्धों को एक तात्त्विक द्वारा स्पष्ट किया है—

पूर्व	संस्था
1. शक्ति (Power)	सरकार
2. गम्भीर (Respect)	सामाजिक वर्ग-सेवा
3. अनुदाय (Affection)	परिवार, मित्रता आदि
4. शुद्धता (Rectitude)	चर्चा, पर आदि
5. वल्यान (Wellbeing)	विवित्तानय आदि
6. सम्पत्ति (Wealth)	धनापार
7. ज्ञानोदीति (Enlightenment)	विद्युतधान, विज्ञा आदि
8. दक्षता (Skill)	व्यवसाय

इस तातिका द्वारा लॉटवेल ने यह प्रदर्शित किया है कि समाज किन गुणों को मूल्य मानता है और मूल्यों एवं संस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्ध द्वा र हैं। लॉटवेल ने 'Politics : Who Gets What, When, How' में प्रतिष्ठा, सुरक्षा और आय (Deference, Safety and Income) को मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया है किन्तु अपनी दूसरी पुस्तक 'Democratic Character' में मूल्यों की संस्था तीन से बढ़ाकर भाड़ कर दी है। हमें इन मूल्यों को निश्चित कथन के रूप में नहीं लेना चाहिए। इनके मर्तिरिक और भी मूल्य हो सकते हैं। लॉटवेल ने केवल कुछ चुने हुए मूल्यों की ही सूची दी है और इस सूची में दिए हुए मूल्यों में परिवर्तन भी आ भक्ते हैं। समाज और पर्यावरण के तत्वों में परिवर्तन होता रहता है, व्यक्तियों का वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण बदलता रहता है और इस प्रकार के परिवर्तन व्यक्ति द्वारा प्राप्त मूल्यों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। मूल्य तभी तक स्थायी होते हैं जब तक परिवर्तित परिस्थितियों में इनको प्राप्त करने से वही परिणाम निकलते हैं। सॉसवेल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मूल्य परिस्थितियों के प्रनुसार परिवर्तनशील हैं। न तो ये निश्चित होते हैं और न इनका कोई अपना निश्चित महत्व ही होता है। व्यक्ति को दृष्टि किसी भी वस्तु को मूल्य देना देती है। मूल्यों के प्रतिरूप बदलते रहते हैं।

लॉटवेल के प्रनुसार शक्तियों के उपर्युक्त विश्लेषण के प्राधार पर नीतियों का निर्माण किया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति नीतियों के कार्यान्वयन के पांग में बाधाएँ प्रस्तुत करता है तो उसके लिए दण्ड सपरिहायं हो जाता है। यह वह हित है जिसमें हमें शक्ति-सम्बन्धों का स्पष्ट आभास होता है। अपराधी व्यक्ति को दण्डस्वरूप किसी एक या ग्रधिक ग्रधवा सभी मूल्यों से बचित कियो जा सकता है। उदाहरणार्थ, उसे पदच्युत किया जा सकता है, कटु घालोचना का जिकार बनाकर लोगों की निगाहों में गिराया जा सकता है, शारीरिक या आदिक दण्ड दिया जा सकता है।

समाजिक प्रक्रिया के रूप में शक्ति की ग्रधवारणा की व्याख्या के उपरान्त लॉटवेल ने शक्ति एवं व्यक्तित्व की घन्त किया पर विचार किया है और इस सन्दर्भ में 'राजनीतिक व्यक्ति' (Homo Politicus) की ग्रधवारणा का स्पष्टीकरण किया है ग्रधार्त् इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि वया राजनीतिक व्यक्ति नाम का कोई भौतिक प्रकार (Type) होना है, वया नेता और प्रनुसारणकर्ता जामजात होते हैं?

4. राजनीतिक व्यक्ति की ग्रधवारणा—समाज में एक और तो ऐसे भोग दिखाई देते हैं जिनके पास न चाहने पर भी शक्ति होती है और दूसरी ओर ऐसे लोग भी भोगदूद हैं जो शक्ति की कामना करते हैं किन्तु शक्ति से बचित हैं। दूसरे शब्दों में राजनीति में, भूमिका निभाने वा सभी लोगों के लिए एक जंडा ग्रध नहीं होता। लॉटवेल के प्रनुसार राजनीतिक व्यक्ति की ग्रधवारणा वा आजाय यह है कि समाज में कुछ व्यक्ति शक्ति की प्राप्ति के लिए, शक्ति-संस्थाएं पर ग्रधिकार के लिए प्रयत्नजीत रहते हैं और अपने लक्ष्य को पूर्ति में ग्रध तो जीवन तक होम देने हैं। ऐसे

लोगों में शक्ति को प्राप्त करने की एक ग्रन्तप्रैरणा होती है। राजनीतिक व्यक्ति के लिए राजनीति एक व्यवसाय है और वह प्रत्येक ग्रबसर पर दूसरे मूल्यों की तुलना ने शक्ति को प्राथमिकता देता है। हम उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन इस आधार पर कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने किन-किन मूल्यों को प्राप्त कर लिया है और किन-किन से वह बचित है। शक्ति ग्रन्त मूल्यों को प्राप्त करने की एक आवश्यक पूर्व दशा है, साधन-मूल्य है। सामान्यतया समाज में उन्हीं लोगों को अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है जो राजनीतिक सत्ता के स्थानी होते हैं। मूल्य की यह प्रकृति होती है कि एक मूल्य प्राप्त कर लेने से दूसरे मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, एक पर नियन्त्रण हो जाने से हम दूसरे मूल्यों के भी निकट आने लगते हैं। जो व्यक्ति अपनी राजनीतिक कियामो द्वारा मूल्यों को प्राप्त कर लेता है वह विशिष्ट वर्ग में चला जाता है और जो इन्हे प्राप्त करने में असफल रहते हैं उनकी गणना जन-साधारण की श्रेणी में होती है।

लॉसवेल के ग्रन्तार राजनीतिक मनुष्य (*Homo Politicus*) अपने प्रकार के हो सकते हैं। कुछ तो वे लोग होते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधकर महान् साम्राज्यों की स्थापना करते हैं और कुछ वे लोग होते हैं जो सकटकाल में विद्वनकारी शक्तियों का दमन कर व्यवस्था की स्थापना करते हैं। इनी प्रवार वे नांग भी राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं जो अपने नेतृत्व में विदेशी मुलायमी के विद्वद लोगों को खड़ा कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कुछ राजनीतिक नेता कूटनीतिक क्षेत्र में आनंदोलन करने में दक्ष होते हैं। राजनीतिक मनुष्य की श्रेणी में ही विद्यायकों और न्यायाधीशों की गणना होती है क्योंकि विवादों के समाधान में उनकी एक सकारात्मक भूमिका होती है।

### लॉसवेल का वितरणात्मक विश्लेषण

लॉसवेल ने अपने वैज्ञानिक राजनीतिक चिन्तन को वितरणात्मक अभिगम पद्धति (*Distributive Approach*) की सज्जा दी है। अपनी वितरणात्मक पद्धति में राजनीतिक व्यवहार का वर्णन करते हुए वह उसके द्वारा नियन्त्रण की स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है। लॉसवेल का अध्ययन एक प्रकार से राजनीतिक प्रक्रियाओं में निहित मूल्यों और उन मूल्यों के आवटन तथा वितरण का अध्ययन है। लासवेल की समस्या 'Who Gets What, When and How' से सम्बन्धित है और इसके लिए उसने वितरणात्मक पद्धति को अपनाया है। जैसा कि कहा जा चुका है लासवेल ने दृष्टि में शक्ति पक्षिया और राजनीतिक प्रक्रिया अभिन्न है। समाज में शक्ति का वितरण राजनीतिक प्रक्रियाओं का वितरण है; समाज में नीति-तिर्माण और नाति कायांवयन के लिए नियन्त्रण शक्ति का सर्वोपरि महत्व है। लॉसवेल शक्ति तथा प्रभाव के स्वरूप, रचना, वितरण एवं प्रयोग का सम्बन्धात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लॉसवेल का लक्ष्य एक शक्ति मुक्त प्रजातान्त्रिक समाज की स्थापना है। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वह कुछ तात्कालिक एवं दूरगमी वा उत्तेजक बनता है। उसका तात्कालिक कार्यक्रम यह है 'कि शक्ति को

सम्मान के अधीनस्थ बनाया जाए। उसका दूरगामी कार्यक्रम यह है कि लोगों में मूल्यों के पुनर्निर्माण की भावनाएँ जाग्रत की जाएँ। इन भावनाओं से प्रेरित व्यक्ति-सत्ता के भय के बिना ही मूल्यों को बांछनीय रूप में बदलते रहेंगे। लॉसवेल राजनीति-शास्त्रियों को एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपता है : क्वे समाज के पुनर्निर्माण की दिशा में नज़र नथा तकिय रूप से सचेष्ट हो। इस कार्य में वितरणात्मक विश्लेषण पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस विश्लेषण द्वारा लॉसवेल ने अपने समय की विभिन्न पढ़तियों में नगति, सम्बद्धता और एकता लाने का प्रयास किया है।

लॉसवेल ने अपने वितरणात्मक विश्लेषण में नियन्त्रण और मूल्य-निर्माण से सम्बन्धित जो विवेचन प्रस्तुत किया है वह अब तक कठिपय विचारक ही कर सके हैं। लॉसवेल ने स्पष्टत यह बताया है कि नियन्त्रण के प्रतिमान (Patterns of Control) क्या होते हैं और समाज में मूल्यों के वितरण को शक्ति और प्रभाव द्वारा किम प्रकार प्रभावित किया जाता है। उसने मूल्यों के स्वरूप, विनियम, परिवर्तन, नवीन प्रवृत्तियों आदि का गहन विश्लेषण किया है। मूल्य-परिवर्तन और वितरण में अभिजन वर्ग का उल्लेखनीय योगदान रहता है, अत उसने अभिजन वर्ग का समुचित विश्लेषण किया है। इसी कारण आतोचकों ने उस पर यह भी आरोप लगाया है कि लॉसवेल लोक राजनीति को छोड़कर अभिजन वर्ग के विश्लेषण में उलझा रहा।

### लॉसवेल की अवधारणात्मक सरचनाएँ

लॉसवेल ने वितरणात्मक विश्लेषण के लिए अनेक अवधारणाओं की रचना की है जिन्हें सकेत रूप से ग्रानुसार गिनाया जा सकता है—

1. राजनीतिक कार्यकर्ताओं का स्थान और समय महत्वपूर्ण होता है।

2. विश्लेषण की आधारभूत इकाई व्यक्ति है, सभी राजनीतिक प्रक्रियाएँ व्यक्तियों के अन्त तम्बन्धों से उत्पन्न होती हैं।

3. व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध जिस परिवरण की रचना करते हैं वह मूल्य-प्रतिमान निर्धारित करता है और विभिन्न प्रत्याज्ञाओं को जन्म देता है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने हितों का ममूहीकरण करते हैं।

4. राजनीतिक अन्त त्रियाएँ रणभूमि के समान हैं जिसमें व्यक्ति अपने अल्पवालीन और दीर्घवालीन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए मूल्यों को साध्य अथवा साधन मान कर राजनीतिक प्रविद्याओं में सलग रहते हैं। मूल्यों की प्राप्ति के लिए ही विभिन्न शरार वी देनारिक, दूटनीतिक, मैनिक चूह रचनाएँ की जाती हैं और इनके पारस्पर मूल्यों के वितरण में परिवर्तन होते रहते हैं।

5. प्रतीक (Symbols), सचार-मार्ग (Communication Channel) और प्रधारणे प्रमूल अवधारणाएँ हैं जो राजनीतिक व्यवहार को सम्भालने में सहायता करती हैं।

6. प्रत्येक प्रशार यी हिस्सा को नियन्त्रित करना आवश्यक है। प्रौपचारिक सत्ता और गास्तविक सत्ता भी अन्तर है।

7 प्रभाव और शक्ति के सन्दर्भ में राजनीतिक विश्लेषण का घौचित्य महत्वपूर्ण है।

8 लॉसवेल ने सरकार के प्रकार और राजनीतिक प्रक्रियाओं के दीर्घ मनोवैज्ञानिक घन्त त्रियाओं को स्थान दिया है। उसने व्यक्ति को घट्यन को इकाई मानते हुए भी प्रतीक, राजनीतिक चिह्न, भादर्य, परम्परा प्रादि घन्तवैयक्तिक सम्बन्धों के परिवृत्त्यों पर प्रकाश ढाला है।

9 वह शक्ति और अभिजन वर्ग का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए स्वीकार करता है कि जो व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वे अभिजन (Flite) बन जाते हैं और शेष लोकजन (Mass) बने रह जाते हैं।

10 वह जनमत पर भाषारित प्रजातन्त्र का उल्लेख करता है। उसका भूकाव उदार प्रजातन्त्र (Liberal Democracy) के भादरों के प्रति है।

11 लॉसवेल राजनीति की भाषा के महत्व की दृष्टि से यह स्थापित करता है कि किसी देश की राजनीति को समझने के लिए वहाँ प्रबलिन राजनीतिक भाषा का समुचित ज्ञान प्रतिवार्य है।

12 लॉसवेल ने राजनीति शास्त्र (Political Science) को नीति-शास्त्र (Policy Science) बनाने पर और देते हुए कहा है कि वैज्ञानिक निष्कर्ष ऐसे होने चाहिए जो समाज में लागू किए जा सके और जिनसे समाज को परिवर्तित किया जा सके।

### लॉसवेल का मूल्यांकन

राजदर्शन के मनोवैज्ञानिक विचारकों में लॉसवेल नि सन्देह अग्रणी है। भादर्यवादी लोकतान्त्रिक दर्शन से हट कर लॉसवेल ने एक यथार्थवादी एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना कर भाषुनिक राजनीति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। राजनीतिक सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए मनोविज्ञान की परम्परा को आगे बढ़ाने में लॉसवेल ने टाडे और याहू बैलास की अपेक्षा अधिक काम किया है। उसकी मनोविज्ञानयुक्त राजनीतिक विचारधारा 'निवेदात्मक राजनीति' (Preventive Politics) के सिद्धान्त के रूप में मानी जा सकती है। इसे हम मार्क्स और फॉयड की विचारधाराओं का सम्मिश्रण कह सकते हैं। लॉसवेल ने राज्य विज्ञान की अवधारणाओं की नूतन दृग से रचना पर बल दिया है और उसने जो भी रचनाएँ दी हैं वे ठोस यथार्थवादी अनुसधान पर भाषारित हैं। लॉसवेल द्वी विशेषत उसकी अपनी मौलिकता है, उसने राजनीतिक प्रक्रिया को समझने के लिए सूक्ष्म-वृक्ष, नई दृष्टि प्रदान की है। लॉसवेल राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक और व्यवहार्यवादी दृष्टिकोण का प्रवक्ता माना जाता है। उसे परम्परागत राजनीति शास्त्र को व्यवहार शादी राजनीति शास्त्र से जोड़ने की सबसे सशक्त कड़ी कहा जा सकता है। लासवेल के अधिकांश पूर्ववर्ती विचारक अपने भात्मनिष्ठ मूल्यों से प्रेरित थे जबकि लॉसवेल ने वस्तुनिष्ठता पर बल दिया है।

एक नवीन दृष्टिकोण के प्रतिपादक तथा भाषुनिक राजनीतिक चित्तन की

आवारेशिला रखने वाले विचारक के रूप में यद्यपि लॉसवेल का उल्लेखनीय स्थान है, तथापि उसकी अध्ययन-शैली, उसके दृष्टिकोण और विश्लेषण में अनेक कमियाँ हैं। लॉसवेल ने अनेक प्रवधारणात्मक विचारों की रचनाएँ की हैं, किन्तु वह स्वयं फिसी विचार से बँधा नहीं रह सका है। बनाईं किंक का मत है कि लॉसवेल के प्रवधारणात्मक विचारों की प्रचुरता से राजनीति के विवेचन में कुछ आसानी तो हो सकती है, किन्तु इससे भ्रम अधिक पैदा होता है। लॉसवेल का यह दृष्टिकोण एकपक्षीय अधिक है कि अभिजनवर्ग ही लोकतन्त्र का केन्द्र-बिन्दु है। लॉसवेल ने 'शक्ति' और 'प्रभाव' शब्दों का प्रयोग कुछ इस प्रकार किया है कि वे एक-दूसरे के पर्यायवाची से प्रतीत होते हैं। यही बात 'शक्ति' और 'सत्ता' शब्दों के प्रयोग के बारे में है। लॉसवेल ने राजवैज्ञानिकों को विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तों को कार्यरूप देने का दायित्व मौजा है किन्तु आलोचकों का कहना है कि कोई विज्ञान के बल मार्गदर्शक नहीं सकता है स्वयं प्रकायात्मक नहीं बन सकता।

उसकी दुर्बानप्रो के बाबूजूद लॉसवेल के विचार इतने सशक्त हैं तथा राजनीतिक मिदान और राजनीतिक चिन्तन को उसने इतना नूतन खितिज प्रदान किया है कि याधुनिक जीवित राजनीतिक चिन्तकों में उसका स्थान शीर्षस्थ माना जाना है।

### एमाइल दुर्ल्हैम (Emile Durkheim)

एमाइल दुर्ल्हैम (1858-1917) एक प्रत्यक्षवादी या जिसने सामाजिक ज्यामा न प्रध्ययन में भौतिक विज्ञान की पद्धतियों के प्रयोग में निष्ठा व्यक्त की। उसने घण्टा प्रध्ययन का अंदार प्रयोगात्मक तथ्यों (Empirical Data) को बनाया और भूल्यपरक तिणापो से वह हमेशा दूर रहा। इसके समाजशास्त्रीय योगदान से यह स्पष्ट होता है कि वह नई अक्तिवादी सिद्धान्तों से दूर रहा और सामाजिकता को प्राचार मानकर उसने सिद्धान्तों का निर्माण किया। दुर्ल्हैम की जो भी रचनाएँ उपरबंध हैं वन्ह में से सामाजिक तत्त्वों की प्रधानता है। प्रांगस्ट कॉम्टे के बाद प्रत्यक्षवादी (Positive) परम्परा में प्रमुख नाम दुर्ल्हैम का है। दुर्ल्हैम पर जिस प्रकार के राजनीतिक वातावरण का प्रभाव रहा उससे भी यह स्पष्ट है कि वह समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के माध्यम से एक स्वाभाविक सभाजगादी समाज की स्थापना करना चाहना था। दुर्ल्हैम समाजशास्त्री ही नहीं या बल्कि नैतिकता का दार्शनिक (Moral Philosopher) भी था। उसकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'The Division of Labour in Society' (1893), 'The Rules of Sociological Method' (1895), 'Suicide' (1897), 'The Elementary Forms of Religious Life' (1912) Socialism' आदि। पद्धति की दृष्टि से दुर्ल्हैम न प्रकार्यात्मक पद्धति को प्रधिक महन्व दिया।

### समूह-सिद्धान्त (Theory of Groups)

दुर्ल्हैम को समाजशास्त्रीय रचनाओं से उसके राजनीतिक दर्शन का बोध होता है। परन्तु समाजशास्त्रीय रचनाएँ न बर्नमान राजनीतिक दृष्टि की आनावना भी है।

और उसे आधुनिक जटिल औद्योगिक समाज में मुख्य नियामक तत्व (Principal Regulative Factor) के रूप में अपर्याप्त माना है। उन्होंने यह चाहा है कि आधिक नियन्त्रण का कार्य राज्य से व्यावसायिक समूह (Vocational Group) को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए। ऐमाइल दुर्खीम भी एक ऐसा ही समाजशास्त्री है जिसने इस बात का विशेष आग्रह किया है कि प्राचीन व्यावसायिक संघ (Ancient Occupational Association) को एक सुनिश्चित मान्य सार्वजनिक संस्था के रूप में पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। दुर्खीम का तर्क है कि वर्तमान में हमारे पास ऐसे स्पष्ट साधनों और कानूनों या अदालती अनुमतियों (Civil Principles and Judicial Sanctions) का अभाव है जिनके माध्यम से नियोजकों और कर्मचारियों के बीच प्रतियोगी नियोजकों के बीच और नियोजकों अथवा कर्मचारियों और जनता के बीच, सम्बन्धों का निर्वाचित किया जा सके। राज्य इन सिद्धान्तों और अनुमतियों (Principles and Sanctions) की स्थापना नहीं कर सकता। आधिक जीवन इतना विशिष्टतापूर्ण है कि राज्य की उस तक पूरी पहुँच नहीं हो सकती। किसी भी व्यवसाय की गतिविधियों का नियमन केवल ऐसे समूहों द्वारा ही हो सकता है जो उस व्यवसाय के काफी निकट हो और उसके कार्यों और उसकी आवश्यकताओं से इस रूप से परिचित हो। दुर्खीम का मत है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधारों (Bases for Political Representation) और आधिक नियमन के स्रोतों (Sources of Economic Regulation) दोनों ही रूपों में व्यावसायिक समूहों (Professional Groups) की पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। भौगोलिक विभाजन (प्राचीन और सामाजिक महत्व के चुकाए हुए उच्चका स्थान व्यावसायिक विभाजनों (Vocational Divisions) को लेना चाहिए जो अधिक सही तरीके से सामाजिक हितों के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

दुर्खीम के समूह सिद्धान्त के प्रतिपादन का अर्थ यह नहीं है कि वह राज्य को आधिक कार्यक्षेत्र से सर्वथा मुक्त करना चाहता है। दुर्खीम और अन्य समाजशास्त्रियों का यह कहना है कि आधिक नियन्त्रण के सामान्य सिद्धान्तों के निर्धारण का दायित्व तो राज्य स्वीकार करे लेकिन शेष विशिष्ट नियन्त्रण के सिद्धान्तों का भार वह सम्बन्धित समूहों पर छोड़ दे क्योंकि उनके अपने-अपने विशिष्ट कार्य होते हैं और उनको अपनी-अपनी विभिन्न स्थितियाँ होती हैं।

### सामूहिक प्रतिनिधित्व

दुर्खीम के चिन्तन में सामूहिक प्रतिनिधित्व (Collective Representation) की अवधारणा महत्वपूर्ण है। दुर्खीम की जो भी मौलिक कृतियाँ हैं, उन सबका आधारबिन्दु मुख्यत यही अधारणा है। दुर्खीम के अनुसार मानसिक अन्त किया के फलस्वरूप कुछ प्रतीक उत्पन्न होते हैं जो आपस में समाज के लोगों के अनुभव पर आधारित होते हैं और सामाजिक माने जाते हैं। इन सामूहिक प्रतीकों में ज्ञाति होती है क्योंकि इनका विकास सामूहिकता के द्वारा होता है। एक भण्डा यदि राजनीतिक प्रतीक है, एक पवित्र लेखन यदि धार्मिक प्रतिक्रिया है और इसी प्रकार

यदि नायकों के साथ कुछ दन्त-कथाओं पर आधारित विशेषताएँ जुड़ जाती हैं तो ये सब सामूहिक प्रतिक्रिया के परिणाम होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व वस्तुत उस सामाजिक चेतना का द्वातक है जो व्यक्ति-चेतना के अतिरिक्त समाज में भी मौजूद रहती है। इसके द्वारा समाज में बहुत हुए विभाजन के दुष्परिणाम और सघर्ष कम होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व सामाजिक मूल्यों के कारक है और ये सामाजिक मूल्य अथवा आदर्श समाज के लिए अत्यावश्यक हैं क्योंकि ये समाज के प्रतीक हैं और व्यक्ति उनका पालन करते हैं। चूंकि ये मूल्य सामूहिक क्रियाओं के फलस्वरूप जन्म लेते हैं, यत ये वस्तुपरक (Objective) माने जाते हैं। समाज की भी व्यापक स्थायाएँ हैं, नियम और वानून हैं, वे सब सामूहिकता के तत्त्वों के प्रतीक हैं। इन सबकी सम्पत्ति सामाजिक है और व्यक्तित्व को इनके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है।

### सामाजिक तथ्य (Social Facts)

जिस प्रकार भौतिक जगत् के तथ्य होते हैं उसी प्रकार सामाजिक जगत् के भी तथ्य (Social Facts) होते हैं और दुर्लीम के अनुसार समाज विज्ञान की विषय-वस्तु ये 'सामाजिक तथ्य' होते हैं। दुर्लीम के मतानुसार सामाजिक तथ्य 'सामाजिक' हैं, वैयक्तिक नहीं।<sup>1</sup> यह तथ्यों की एक ऐसी श्रेणी है जिसकी संबंधा भिन्न विशेषताएँ हैं। इन सामाजिक तथ्यों में कार्य वरने, सोचने और अनुभव करने के तरीके निहित हैं जो व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं, किन्तु जो दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियन्त्रित करते हैं। दुर्लीम की सामाजिक तथ्य की धारणा से दो बातों का स्पष्ट संकेत मिलता है—(i) सामाजिकता, एवं (ii) सामाजिक तथ्यों के प्रतिरिक्त ऐसे तथ्य जिनका स्वतन्त्र अस्तित्व है और जो सामूहिकता और सामाजिकता के प्रतीक है। दुर्लीम का कहना है कि यदि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना है तो चाहे जो भी सामाजिक पक्ष हो हमें सामाजिक तथ्यों को खोजना चाहिए दुर्लीम ने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के कुछ नियमों का उल्लेख किया है जिनमें प्रथम और सर्वाधिक मौलिक नियम यह है कि सामाजिक तथ्यों का वस्तुपरक रूप से विचार किया और समझा जाए।

दुर्लीम की सामाजिक तथ्यों की प्रवधारणा प्रत्यक्ष रूप से समाज में मनुष्य के व्यवहारात्मक अध्ययन (Behavioristic Study) की ओर ले जाती है। यह रीतिरिवाजों, कानूनों, रुदियों, लोकाचारों, प्रादि को हमारे अध्ययन की सामग्री बनाती है किन्तु यह हमें भावनाओं, प्रेरणाओं व इच्छाओं के प्रवाह में वह जाने से गोकती है। यद्यपि दुर्लीम का दग नोवैज्ञानिक है लेकिन समाज की व्यास्था में वह आवश्यक रूप से मनोवैज्ञानिक नहीं है। दुर्लीम ने व्यक्ति के मस्तिष्क पर मामूहिक मस्तिष्क (Crowd Mind) के प्रभाव के अध्ययन पर जोर दिया है और इसके फलस्वरूप लो बो प्रादि समूह मनोवैज्ञानिकों (Crowd Psychologists) की ऐसी महत्वपूर्ण

1 Merriam and Barnes A History of Political Theories—Recent Times, pp 91-92

हृतिया प्रकाश में आई हैं जिनसे प्रापुनिक राजनीतिक जीवन और सत्याग्रो के प्रति भीड़ और समूहों के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। उदाहरणार्थ तीपल (Sughele) ने यह बताने की कोशिश की है कि एक समूह मनोवैज्ञानिक राज्य (A Crowd Psychological State) प्रापुनिक व्यवस्थापिकाओं पर द्याया रहता है। वैलास न दलीय सरकार के सम्बन्ध में इसके महत्व की व्याख्या की है।

दुर्खाम की समाजशास्त्रीय रचनाओं में राजनीतिक चिन्तन के महत्व के अनेक बिन्दु उपलब्ध हैं। उसके समाज में अम-विभाजन सम्बन्धी विचार राजनेताओं के लिए पठनीय हैं। समाज में किस प्रकार सधर्ष की उन्नति होती है उसका विश्लेषण दुर्खाम ने अम विभाजन-सिद्धान्त के प्रन्तर्गत किया है। उसे सरचनात्मक प्रकार्यवाद (Structural-Functionalism) के सत्यापकों में माना जाता है। दुर्खाम वस्तुत उन समाजशास्त्रियों में था जिन्होंने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों के एक अग्र के रूप में राजनीतिक विश्लेषण में रुचि ली।

### विलफ्रेडो परेटो (Vilfredo Pareto)

विलफ्रेडो परेटो (1848–1923) का नाम भी राजनीतिक समाजशास्त्रियों (Political Sociologists) में अप्रणीत है। इस इटालियन विद्वान् का नाम राजनीतिक विशिष्टवर्गीय सिद्धान्त (Theory of Political Elite) के साथ विशेष रूप से संयुक्त है। परेटो का विश्वास था कि प्रत्येक समाज उन प्रल्पसूखकों द्वारा शासित होता है जिनमें पूर्ण सामाजिक और राजनीतिक सत्ता की सीदियाँ चढ़ने के लिए आवश्यक गुण होते हैं। जो छोटी पर पहुँच जाते हैं वे सदैव सर्वोत्तम माने जाते हैं। उन्हे विशिष्ट वर्ग (Elite) के नाम से सम्बोधित किया जाना है। विशिष्ट वर्ग में वे सफल अक्ति सम्मिलित हैं जो समाज के प्रत्येक व्यवहार और स्तर की चोटी पर चढ़ते हैं। इस प्रकार यकीलों का विशिष्ट वर्ग होता है, मैकेनिकों का विशिष्ट वर्ग होता है यहाँ तक कि चोरों और वैद्याग्रों का भी अपना विशिष्ट वर्ग होता है। परेटो का यह भी विश्वास था कि समाज के विभिन्न व्यवसायों और स्तरों में जो विशिष्ट वर्ग होते हैं वे प्राय उसी श्रेणी या वर्ग (Class) में आते हैं जो घनी होते हैं। वे चतुर भी होते हैं और उनमें प्राय गणित, समीत, नैतिक चरित्र आदि के प्रति रक्षान होती है। विलफ्रेडो परेटो ने मानव समाज को दो वर्गों में विभक्त किया है—(1) एक उच्चतर श्रेणी अर्थात् विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग (Elite) एवं (2) एक निम्न श्रेणी अर्थात् गैर-विशिष्ट वर्ग (Non-Elite)। विशिष्ट वर्ग (Elite) को उसने पुन दो भागों में बांटा है—शासकीय विशिष्ट-वर्ग (Governing Elite) और गैर शासकीय विशिष्ट वर्ग (Non-Governing Elite)। परेटो ने इस प्रकार का विभाजन मानवीय असमानताओं के आधार पर अर्थात् बुद्धि, समीत, गणित आदि के विषयों में दक्षता एवं अभिभूति, चरित्र तथा सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव आदि के आधार पर किया है। परेटो का मुख्य ध्यान शासकीय विशिष्ट वर्ग (Governing Elite) पर रहा है। उसका विश्वास है कि शासकीय विशिष्ट

वर्ग बल और चालाकी द्वारा शासन करता है, किन्तु बल (Force) ही प्रधिक प्रभावकारी होता है।

परेटो ने 'विशिष्ट वर्ग के परिचालन' (Circulation of Elite) का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। प्रत्येक 'राजनीतिक व्यवस्था' में समय और परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट वर्ग की सरचना में परिवर्तन आना सम्भव है। जो व्यक्ति एक समय विशिष्ट वर्ग में नहीं है वे इन्हीं कारणों से कभी भी किसी समय विशिष्ट वर्ग में प्रविष्ट हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, समय और परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट वर्ग में कुछ नए व्यक्ति सम्मिलित होते रहते हैं और विशिष्ट वर्ग से जनसाधारण की श्रेणी में जाते रहते हैं। यह क्रम सदैव चलना रहता है क्योंकि विशिष्ट या अनियन्त्रित वर्ग में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जिन्हे समाज महत्वपूर्ण मानता है और परिस्थितियों के अनुसार समाज के सदस्यों के दृष्टिकोण में परिवर्तन प्राप्त करता रहता है। एक समय जिस विशेषता को वे महत्वपूर्ण मानते हैं परिस्थितियों के दबाव जाने पर सम्भव है कि वे उसे महत्वपूर्ण न मानें और उसके स्थान पर किसी और विशेषता को महत्वपूर्ण मान लें। जब व्यक्ति के मूल्यों में समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है तो स्वभावत विशिष्ट वर्ग की सरचना भी बदलती है—विशिष्ट वर्ग के परिचालन का सिद्धान्त गनिमान रहता है। यद्यपि मोस्का शादि विद्वानों ने भी विशिष्ट वर्ग की सरचना में परिवर्तन की बात कही है, तेकिन परेटो के विश्लेषण में मुख्य बात यह है कि उसने व्यक्ति के अविदेकपूर्ण व्यवहार के भावार पर राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के सिद्धान्त-परिचालन के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। परेटो का कहना है कि मानव-व्यवहार भावनाओं पर प्राधारित होता है, मनव्य भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है। ये भावनाएँ समाज के विनियन वर्गों में अलग अलग अनुपान में होती हैं। शासकीय विशिष्ट वर्ग (Governing Elite) में समूह की चिरलग्नता (Combination and Persistence of Aggregate) की भावनाएँ प्रधिक प्रबल होती हैं और इन्हीं भावनाओं से वे प्रत्यक्ष प्रेरित होते हैं। शासकीय विशिष्ट वर्ग तभी उक शक्ति में रहता है जब वह उक शक्ति का प्रयोग करता है और जन-भावनाओं को अपन अनुकूल रखने में सफल रहता है। यदि विशिष्ट वर्ग शक्ति-प्रयोग में कोई दबि न दिखाएँ अयवा शक्ति का प्रयोग करना छोड़ दे तो यह स्वाभाविक नहीं होगा कि नए लोग उन्हें अपदस्थ कर उनका स्थान ले लें। यही विशिष्ट वर्ग का परिचालन है और इसी सन्दर्भ में परेटो ने 'इतिहास को दुनीनतन्मो का कब्रिस्तान कहा है' (History is a Grave-yard of Aristocracies)।

बहुलवाद राजनीतिक अग्रदृश में पर्याप्त नवीन सिद्धान्त है जिसका प्रादुर्भाव राज्य की सम्प्रभुता की एकत्रिवादी और आदर्शवादी विचारधाराओं की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। इन दोनों ही विचारधाराओं में सम्प्रभुता को राज्य की सर्वोपरि शक्ति मानते हुए उसे पूर्णत अपरिमित और अविभाज्य माना गया है। एकत्रिवादी सिद्धान्त (Monistic Theory) के अनुसार सम्प्रभुता समस्त राजनीतिक अधिकार विधानिक सत्ता का मूल स्रोत है। एकत्रिवादी सिद्धान्त राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के अन्तर्गत सभी सधों को राज्य द्वारा उत्पन्न मानता है और स्वीकार करता है कि वे अपने प्रस्तित्व के लिए राज्य की इच्छा पर आधित हैं। जिन धर्तियों को ये विभिन्न सभ प्रयोग करते हैं उनकी स्वीकृति राज्य द्वारा प्राप्त होती है। बहुलवाद सम्प्रभुता के इस निरकृश, अतीमित और अविभाज्य सिद्धान्त के विषद् एक विद्वाह है। यह आस्टिन के एकत्रिवाद (Monism) तथा हीगल के आदर्शवाद (Idealism) के विषद् एक जड़वास्त प्रतिक्रिया है जिसका बुश्यत 19वीं शताब्दी में प्रादुर्भाव हुआ। बहुलवादियों के अनुसार सम्प्रभुता अविभाज्य और निरकृश नहीं है। यह उमाज के विभिन्न बगों और समूहों में निहित रहती है। सम्प्रभुता की इस बहुलवादी विचारधारा को ढूँढ़वाद भी कहते हैं। बस्तुत बहुलवादी विचारक भी राज्य की शक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में एकमत नहीं है। इनमें से कुछ राज्य को सर्वोच्च न मानकर यह समूहों और समुदायों के समकक्ष रखना चाहते हैं। इनका भर है कि समठित समुदायों को भी प्रभुसत्ता का भागीदार स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर ऐसे विद्वानों का बहुमत है जो राज्य की एकाधिक प्रभुसत्ता को यद्यपि स्वीकार नहीं करते तथा यह राज्य को सर्वोपरि मानने में उन्हे कोई ग्रापत्ति नहीं है। इन लेखकों में से प्रविहतर ऐसे हैं जो व्यक्ति समूहों और समुदायों के प्रस्तित्व तथा महत्व पर विशेष बल देते हैं। बहुलवाद के प्रमुख विचारकों में जे एन फिलिप, ए डी लिड्स, हेरॉल्ड लॉस्टी, लियोन डूवी, एव केब, पर्नेस्ट बार्कर, मिस फालेट, दुखीम, मंकाइवर आदि उल्लेखनीय हैं।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

बहुतवाद एक राजनीतिक सिद्धान्त के रूप में यद्यपि 19वीं और 20वीं शताब्दी में तो विकसित हुआ है, तथापि इसके विकास की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही उंगार रहती थी थी। यूनानी नगर-राज्यों में यद्यपि राज्य ही सर्वोच्च सामाजिक संघठन था और राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी, तथापि समाज के अन्य समुदायों को भी मानव-प्रस्तित्व के लिए घनिवार्य समझा गया था। रोमन-काल में साम्राज्य का स्वरूप प्रकट हुआ और रोमन राज्य ने साम्राज्य का रूप बारण किया। मध्यकाल में सम्प्रभुता बहुत-सी संस्थाओं में विभक्त मानी जाती थी, राज्य ही एकमात्र सत्ताधारी संस्था नहीं थी। रोमन चर्च, पवित्र रोमन समाज, राजा, सामन्त और सभ सम्प्रभुता के सहयोगी या भागीदार थे। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति में स्थित हो था और इसलिए बाकर ने मध्यकाल को भ्रात्रनीतिक तथा राज्य को चर्च को पुतिस विभाग मात्र माना है। 'दो तलवारों के सिद्धान्त' (Theory of the Double Swords) में दो सम्प्रभुओं का विवार सन्निहित था और इसीलिए राज्य तथा चर्च ने सभवं का रूप बारण किया। पोप और राजा के इस मध्यकालीन सहप्रस्तित्व को हम बहुतवाद का प्रथम लक्षण मान सकते हैं। मेटलेण्ड, गोर्के ग्रादि विचारकों ने मध्यकाल में गिल्ड, सीनेट चर्च प्रादि के भन्तरंगत स्वायत्त संस्थाओं (Autonomous Institutions) द्वारा शासन कार्य सञ्चालन का उल्लेख करते हुए 'निगम सिद्धान्त' (Theory of Corporations) की प्रस्थापना की। 16वीं और 17वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और तब इंटेन, फौस, स्पेन प्रादि यूरोपीय देशों में ऐसे राष्ट्रीय राज्यों (Nation States) का जन्म हुआ जिनमें राजनीतिक सत्ता एक स्थान पर केन्द्रित थी। दूसरे शब्दों में, इन राष्ट्रीय राज्यों में प्रभुत्व का स्वरूप एकत्रवादी था, सधों या समुदायों के प्रभुत्व के लिए कोई स्थान न था। इसमें प्रभुत्व का एकत्रवादी सिद्धान्त विकसित हुआ। बोदी ने राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हुए कहा—“प्रभुत्ता राज्य का एक ऐसा तत्व है जो केवल राज्य में ही निहित रहती है, अन्य स्थानों में उसका महत्व नहीं रहता।” वास्तव में बोदी को वंशानिक सम्प्रभुता (Legal Sovereignty) का संस्थापक कहना प्रनुचित न होगा। हॉम्स ने इसी विचारधारा को विकसित करते हुए पूर्ण, प्रविभाज्य और प्रसीम सम्प्रभुता का विचार प्रारूप किया तथा भ्रात्रकता की अवस्था से तानाशाही को घट्टा समझा। इस्सो ने सम्प्रभुता की व्याख्या हॉम्स की पूर्णता और संसिप्तता के साथ जॉक की विधि के प्राचार पर की। उसने सम्प्रभुता को 'सामान्य इच्छा' में केन्द्रित माना और यह विचार व्यक्त किया कि सधों की प्रनुपस्थिति में ही 'सामान्य इच्छा' सम्भव हो सकती है। सम्प्रभुता को 'सामान्य इच्छा' में निहित कर रखने में भी एक प्रसीम, प्रविभाज्य और अदेय सावंभौमिकता का समर्थन किया। सम्प्रभुता का एकत्रवादी सिद्धान्त जॉन फॉस्टिन के हाथों में पढ़ कर प्रपने चरम उत्कर्ष पर

जा पहुँचा। उसने सम्प्रभु शक्ति को निश्चयात्मक, निरकृश, स्थायी, तर्वय्यापी सीमित और प्रविभाज्य बताया। आदर्शवाद ने इस विचारधारा को घोर दृष्टि प्रदान किया। उपर आदर्शवादियों ने सम्प्रभु-राज्य को यानव-इगति का चरण उत्कृष्ट स्वीकार किया। हीगल जैसे विचारकों ने राज्य को 'पूर्वी पर ईश्वर का प्रबतरण'<sup>1</sup> मानकर इसे न केवल वंधानिक (Legal) धरितु नैतिक स्वीकृति (Moral Sanction) भी प्रदान की। उपर आदर्शवादियों ने राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना है। राज्य की सम्प्रभुता की एकत्रवादी और आदर्शवादी धारणा इतनी अधिक प्रबल बन गई कि राज्य समाज की सर्वोच्च शक्ति बनकर मानव-जीवन के समस्त पहलुओं पर स्था गया।

लेकिन प्रत्येक 'धर्ति' के द्विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है और यही सम्प्रभुता की एकत्रवादी और आदर्शवादी धारणा के सम्बन्ध में हुआ। कुछ मा ववादी दार्शनिकों ने सम्प्रभुता की निरकृशता में व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी नैतिकता और स्वतन्त्रता का हनन देखा। उम्होने इस निरकृशपाद की तीव्र आलोचना कर व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतन्त्रता पर बल दिया तथा सधों को राष्ट्रीय जीवन में उच्च स्थान प्रदान किया। सम्प्रभुता के केन्द्रोकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में बहुलवादी विचारधारा का उदय और विकास हुआ। सम्भवत हैरॉल्ड लॉस्की ही वह प्रयत्न विद्वान् यह बिसने 'बहुलवाद' (Pluralism) शब्द का प्रयोग किया। व्यक्तिवादी तत्त्व, समाजवादी तत्त्व, मध्यकालीन सधवादी तत्त्व, राज्य की कार्य-वृद्धि, विधि-आस्त्रवादी तत्त्व, प्रेत्तराष्ट्रीय तत्त्व आदि बहुलवाद के उदय और विकास में सहायक हुए।

### बहुलवादी विचारधारा

(Pluralism)

बहुलवाद व्यक्ति, उसकी स्वतन्त्रता और मानव सम्याप्तों को समाज में उच्च स्थान प्रदान करता है। बहुलवादी विचारक राज्य की सुत्ता को सर्वोच्च और सम्पूर्ण न मानकर सीमित मानते हैं। बहुत से समुदायों के प्रस्तितव के कारण ही राज्य की शक्ति को सीमित मानने का विचार प्रतिपादित किया गया है। बहुलवाद, राज्य-विद्वानी इसनं नहीं, सम्प्रभुता विद्वानी इसनं है। इसका आदर्श निरकृत राज्य नहीं, समाज-सेवी राज्य है। इस प्रकार बहुलवाद की दृष्टि में राज्य को तभी आदर्श स्थान माना जा सकता है जब वह मानव आदर्शों के लक्ष्य को पूर्ति करे। उद्देश्य और व्यक्ति के बहुमुखी विकास की पूर्ति के लिए ही बहुलवादी विचारकों ने व्यक्तियों की सामाजिक प्रवृत्तियों के अनुसार यठित वार्षिक, सामाजिक, आधिक, व्यावसायिक और राजनीतिक समुदायों के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की। इन्हें राज्य के समकाल स्थान प्रदान कर तथा राज्य को इनके सम्बन्ध (Co-ordination) का कार्य सौंप कर नौस्की ने स्वीकार किया है कि सामाजिक स्वरूप सधीय होना चाहिए।

1. "The state is the march of God on earth."

बहुलवादी विचारक एकत्ववादी निरकृश सम्प्रभुता-सिद्धान्त को आवश्यकता से अधिक सकीर्ण और कानूनी मानते हैं। सर्वेश्वर्त्मान, अविभाज्य प्रदेव और सर्वव्यापक सम्प्रभुता की बात व्यावहारिक रूप में असम्भव है। दाखुनिक बहुलवादियों ने विश्व के विद्यानों के आधार पर ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सम्प्रभुता को वास एक जगह न होकर अनेक जगह है। सम्प्रभुता विभाजनशील व सीमित है, चूंकि वह प्रान्तरिक रूप से राज्य के उत्तराधिकारी संघों में आधिक रूप से निवास करती है और बाह्य रूप से भी उस पर अन्तर्राष्ट्रीयता के बन्धन है। पार्कर ने तो यही तक कहा कि “कोई भी राजनीतिक सिद्धान्त इतना अधिक निस्सार और निष्कल नहीं रहा है जिनना एकत्ववादी सम्प्रभुता का सिद्धान्त।” डु'बी की दृष्टि में सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त को लोक नियमों के साहित्य से निकाल देना ही अधिक उचित है। उसके शब्दों में, “सम्प्रभु राज्य मर चुका है या अपनी मौत की प्रत्यन्तिम घड़ीयाँ पिन रहा है।” ऐव के अनुसार भी सम्प्रभुता के सिद्धान्त को राजनीति-दर्शन से निकाल देना ही उचित है। यैटिल का बहुलवादी दर्शन के पक्ष में कथन है कि बहुसंवादी इस बात से इन्कार करते हैं कि राज्य एक ग्रासाधारण संगठन है। उनके अनुसार अन्य समुदाय भी समान रूप से महत्वपूर्ण और स्वाभाविक हैं। ये समुदाय अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए उसी प्रकार सम्प्रभु हैं जिस प्रकार राज्य अपने उद्देश्य के लिए है। राज्य अपनी सीमाओं में कुछ समूहों के विश्व अपनी इच्छा को सक्रिय रूप नहीं दे सकता। बहुलवादी इस बात दो नहीं मानते कि राज्य केवल-प्रथोग का प्रथिकार उसे (राज्य का) कोई अल्पतर अधिकार प्रदान करता है। बहुत्ववादी उन सभी समूहों के समान अधिकारों पर बल देते हैं जो अपने सदस्यों की वकादारी के पात्र हैं और समाज में बहुमूल्य कार्य सम्पादन करते हैं। अत सम्प्रभुता बहुत से समुदायों में विभाजित होनी चाहिए। यह न सो कोई अविभाज्य इवाई है और न राज्य को सर्वोच्च अथवा असीमित माना जा सकता है। बहुलवादियों का यह तक है कि वर्तमान राज्य बहुत जटिल है और अपने कायमार से दबे जा रहा है। वार्यकुशलता के लिए विकेन्द्रित राज्य आवश्यक हैं। बहुलवाद यो अराजकतावाद का निकटवर्ती समझता भासक है। बहुलवादी राज्य को नष्ट नहीं करना चाहते वे राज्य का अनिन्त्व कायम रखना चाहते हैं, किन्तु राज्य से उसकी सम्प्रभुता छीन लेने के पक्ष म है। इस प्रकार बहुलवाद की स्थिति उस मध्यम मार्ग की है जो एक और तो एकत्ववादी विद्धान पर आक्रमण करता है और दूसरी और राज्य को भी कायम रखना चाहता है। बहुत्वाद द्वारा सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त पर प्राक्रमण का विवेचन निम्नांकित दृष्टिकोणों में करना अधिक उपयुक्त होगा।

(1) विभिन्न संघ और सम्प्रभुता

(2) अन्तर्राष्ट्रीयतावाद और सम्प्रभुता

(3) कानून और सम्प्रभुता

विभिन्न भूद और सम्प्रभुता।

बहुत्वाद अथवा बहुनस्तावाद के प्रारम्भिक विचारक गोकुंत्या मंटलेण्ड के अनुसार समाज में जो विनाश समुदाय पाण जात है व स्वाभाविक हैं। समुदायों का

मपना व्यक्तित्व होता है, विधि-निर्माण में उनका अपना योग होता है, प्रत्येक समुदाय की अपनी एक इच्छा होती है, समुदायों की अपनी सामूहिक चेतना होती है पौर राज्य में होते हुए भी वे राज्य से स्वतन्त्र हैं। योके और मंटलंड ने राज्य की चरम प्रभुता को यद्यपि स्वीकार नहीं किया है फिर भी उसकी उच्चतर वैधानिक स्थिति को स्वीकार किया है पौर समाज में स्थित विभिन्न संघों के बीच पारस्परिक सहयोग के लिए एक संयोजक के रूप में राज्य का महत्व स्वीकार किया है।

सुधो के 'वास्तविक व्यक्तित्व' (Real Personality) के सिद्धान्त का समर्थन किंगिस ने धर्मसंघ (चर्च) के बारे में किया है। किंगिस के मनुसार, धर्मसंघ का अस्तित्व राज्य की दया पर निर्भर नहीं करता। धर्मसंघ में व्यक्ति की ही तरह आत्मविश्वास की शक्ति होती है। "इसका नियमित व्यक्तित्व न तो राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है पौर न राज्य द्वारा द्यीना ही जा सकता है। राज्य तो केवल इस व्यक्तित्व को स्वीकार कर लेता है।" किंगिस का भ्रत है कि 'सम्प्रभुता का परम्परागत सिद्धान्त' एक धन्यविश्वास है। समाज के विभिन्न कार्य-कलाप पौर कार्यज्ञता होते हैं। इनमें विभिन्न संघों को स्वतन्त्र रूप से काम करते रहना चाहिए। राज्य का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। समाज के व्यावसायिक पौर आदिक संघों की प्रोर से किंगिस की ही तरह के दावे पालबोकूर पौर दुर्बीम ने भी किए हैं।

हाल ही में लॉस्की ने एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया है जिसमें "ऐसे संघों को स्वायत्त-धारण के पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे पौर राज्य को एकमात्र धनिवार्य संघ तथा मनुष्य के सावंजनिक हितों का एकमात्र प्रतिनिधि न माना जाए।" लॉस्की का कहना है कि "धर्सीमित पौर धनुतरदायी राज्य का तिदान्त नानवता के हितों से मेल नहीं खाता।" राज्य की सम्प्रभुता का भी इसी तरह लोप हो जाएगा जिस तरह राजाधो के देवी अधिकार का लोप हो गया है। लॉस्की राज्य की चरम सम्प्रभुता को भर्यहीन मानता है। वह यद्यपि राज्य को अमिक संघ स्तर पर तो नहीं उतारता, लेकिन यह भवशय कहता है कि सम्प्रभुता को अनेक संघों में विभक्त कर देना चाहिए। राज्य को विभिन्न संघों में समन्वय स्थापित करने का धार्य करना चाहिए, न कि सर्वाधिकारी बनने का। लॉस्की के मनुसार भक्तियों का समन्वय तथा अधिकार-सत्ता का यथात्मक रूप होना चाहिए।

थ्रेणी-समाजवादी कोल के मनुसार समाज का स्वरूप संघीय है, भ्रत सम्प्रभुता के एकत्र पर आधारित राज्य ऐसे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। साथ ही राज्य सम्पूर्ण समाज की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। प्रस्त केवल उसी को शक्ति-प्रयोग का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसकी कल्पना के समाज का संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें उपभोक्ताओं पौर उत्पादकों के स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर के स्वतन्त्र पौर पृथक् संघ हो। उपभोक्ताओं के संघों का प्रतिनिधित्व प्रादेशिक (Territorial) हो एवं उत्पादकों के संघों का प्रतिनिधित्व व्यावसायिक (Functional) हो। इस प्रकार कोन ने अपनी थ्रेणी-समाजवादी व्यवस्था के मन्तर्गत बहुलवादी सम्प्रभुता का समर्थन किया है।

मैकाइवर ने भी अपनी पुस्तक 'दो मॉडल स्टेट' में बहुसत्तावाद का समर्थन किया है। उसके प्रनुसार समाज के प्रनेक सधों में से राज्य भी एक है यद्यपि उसके कहाँ व्य कुछ विशिष्ट प्रकार के हैं। सध भी राज्य की भाँति समाज के लिए स्वाभाविक है, परं राज्य को उसका निर्माणकर्ता नहीं माना जा सकता। मैकाइवर के ही शब्दों में, 'प्राज विशाल उस्पाएँ न तो राज्य का अग है पौर न उसकी प्रजामात्र। वे अपने स्वय के अधिकार के आधार पर विकसित होती हैं। वे अपने अधिकारों का प्रयोग उसी प्रकार करती हैं जिस प्रकार स्वय राज्य करता है। ध्यावसायिक सधों के सदस्य राज्य की प्रपेक्षा अपन व्यवसायिक सधों के प्रति धन्य-भक्ति प्रदर्शित करते हैं। वित और उद्योग, वाणिज्य और कृषि सम्बन्धी सध स्वय को राज्य के सेवक न समझकर उसके मातिक बनने की ताक मे रहते हैं। परं राज्य को चाहिए कि वह सौस्कृतिक सगठनों मे उनके अधिकारों को कायम रखते हुए गैर-राजनीतिक सगठनों मे ही एक स्थान अपने लिए प्राप्त कर ले।"

लिण्डसे ने तो राज्य के सम्बन्धत्व के विरोध मे यहाँ तक कह दिया है कि "यदि हम तम्ही पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि प्रनुत्त-सम्बन्ध राज्यों के सिद्धान्त का व्यष्टन हो चुका है।" उसने सधों की प्रावश्यकता पर बत देते हुए कहा है कि वे वह कार्य करते हैं जो राज्य नहीं कर सकता। राज्य प्रावश्यक तो है परं उसका स्वरूप सधीय है। उसके प्रनुसार प्रानव-जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान केवल एक ही सत्था द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिए प्रनेक सत्थाओं की प्रावश्यकता है। राज्य का कार्य अधिक से अधिक विभिन्न सधों मे सम्बन्ध स्थापित करना हो सकता है।

बाकर ने यद्यपि समूद्रो के 'वास्तविक व्यक्तित्व' (Real Personality) के विचार को स्वीकार नहीं किया है तथापि उसकी मान्यता है कि समाज मे स्थित विभिन्न समुदाय राज्य से पूर्वकालीन हैं पौर उनम से प्रत्येक राज्य के पृथक् अपने-अपने कार्य हैं। इन समुदायों का सामाजिक जीवन मे राज्य से कम महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, वयोंकि व्यक्ति की विविध प्रावश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न समुदायों के प्रभाव मे पूरी नहीं हो सकती। बाकर ने व्यक्ति के स्थान पर समुदायों को समाज की इकाई मानते हुए कहा है कि यदि प्रश्न 'व्यक्ति इनाम राज्य' का नहीं, बल्कि 'समुदाय इनाम राज्य' का हो गया है। फिर भी बाकर राज्य के महत्व से इनकार नहीं करता बरन् कहता है कि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा पौर उसे समुदाय के प्रत्यावारों से बचाने का कार्य बहुतवादी समाज मे भी राज्य का ही रहेगा। बाकर के ही शब्दों में, "सम्पूर्ण जीवन की योजना का प्रतीक होने के कारण राज्य के लिए यह प्रावश्यक है कि वह अपने अन्य समुदायों के तथा उनके सदस्यों के बीच सामजिकस्य बनाए रखे। अपने सम्बन्ध मे सामजिकस्य बनाए रखना इसलिए प्रावश्यक है कि उसकी योजना सुरक्षित रह पौर दूसरों के साथ सामजिकस्य इसलिए जरूरी है कि कानून के समक्ष सब समुदायों की समानता कायम रह तथा समुदाय के सम्भावित प्रत्यावार से व्यक्तियों की रक्षा हो सके।"

मिस फालेट ने अपनी पुस्तक 'दि न्यू स्टेट' में लिखा है कि "वर्तमान राजनीतिक विचारों में बहुतबाद की विचारधारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और संमुदायों की उपेक्षा करना अपनी राजनीतिक उल्ति को अवश्य करना है।" अत राज्य को समुदायों के कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपने कुछ अधिकारों का त्याग कर देना चाहिए।

### अन्तर्राष्ट्रीयवाद और सम्प्रभुता

कुछ समय से अन्तर्राष्ट्रीय विविशास्त्रियों और विश्व-शान्ति एवं व्यवस्था के समर्थकों द्वारा बाह्य सम्प्रभुता के सिद्धान्त (The Doctrine of External Sovereignty) का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि आन्तरिक रूप से चाहे राज्य सम्प्रभु हो, किन्तु बाह्य मामलों में इसे उन्मुक्त नहीं छोड़ा जा सकता। विश्व के सभी राष्ट्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं, उनके आधिक हिन् एक-दूसरे से संयुक्त हैं, अत राज्यों द्वारा अपनी अपनी सम्प्रभुता के सर्वोच्च मानने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विचाद और विश्व-युद्ध होते हैं। दुनिया में कोई ऐसी सार्वभौम प्रभुत्व-संम्बन्ध नहीं है जो इन अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को सुलझा सके। केवल एक ही उपाय है कि राष्ट्रीय राज्य की सम्प्रभुता का उन्मूलन कर दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा विश्व-शान्ति कायम नहीं हो सकती तथा संयुक्त राष्ट्रसभा की भी वही दुर्योग हो सकती है जो राष्ट्रसभा की हुई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सद्भावना के प्रभुत्व प्रबन्धकों ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि राज्य की बाह्य सम्प्रभुता पर रोक लगाना आवश्यक है। लॉक्ली के प्रनुसार वर्तमान युग अन्तर्राष्ट्रीय एकता, सहयोग और सद्भावना का है, अत एकत्ववाद या मॉर्टिन का सम्प्रभुता-सिद्धान्त उपयोगी नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सर्वोच्च सम्प्रभुता सम्बन्ध राज्य को घारणा मानवता के लिए धातक है। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार व्यवहार करे, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल राज्य को ही नहीं दिया जा सकता। इगलैण्ड को अकेले इस बात का निर्णय नहीं करने दिया जा सकता कि वह किस प्रकार के हृथियार बनाएगा और दूसरे देशों से किन लोगों को अपने प्रदेश में आने देगा। ये विषय ऐसे हैं जिनका प्रभाव सामान्य जनता के जीवन पर पड़ता है और इनकी व्यवस्था के लिए एक सुसगठित एकीकृत विश्व-संगठन की आवश्यकता है। 'यदि मनुष्यों को विश्वाल मानव-समाज में रहना है तो उन्हें परस्पर सहयोगपूर्ण व्यवहार सीखना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून, अन्तर्राष्ट्रीय संघियों और नेतृत्वों की उपेक्षा करने का अधिकार किसी भी राष्ट्र को नहीं हो सकता।'

### कानूनी दृष्टिकोण और सम्प्रभुता

दुर्घटी पौर केन्द्र के बहुतबाद का दृष्टिकोण कानूनी है। तदनुसार कानून बनाने का राज्य को ही एकमात्र अधिकार नहीं होना चाहिए। दुर्घटी की दृष्टि में कानून राज्य से स्वतन्त्र और राज्य की अपेक्षा अधिक व्यापक है। कानूनी सम्प्रभु को बया करना चाहिए और या नहीं, इसका निश्चय वर्तमान समय में बानून द्वारा

किया जाता है और राज्य का कर्तव्य यह है कि वह उन कानूनों को मान्यता प्रदान करे। सच तो यह है कि कानून राज्य को सुगठित करते हैं, न कि राज्य कानून को। कानून सामाजिक स्थायित्व और मनुष्यों की मात्रनिर्भरता की दशा हैं। वे सामाजिक हृत में हैं, अत उनका पालन होता है। कानून राज्य को बाह्य और सीमित करते हैं, न कि राज्य कानून को। राज्य का युए सम्प्रभुता का उपभोग न होकर जनसेवा है, अत राज्य के कर्त्ता द्वारा पर प्राप्त होना चाहिए, न कि प्रधिकारों पर। “सक्षेप में सम्प्रभुता घपने ध्याप में कुछ भी नहीं है। राज्य में कोई प्रमुख नहीं होता क्योंकि राज्य घपने अधिकारों की प्रस्थापना निरकृत रूप से नहीं करता, बल्कि ऐसा करते समय वह भव्य सामाजिक स्थायों के साथ मिलकर घपनी नीति निर्धारित करता है।” दुर्घी के विचारों पर टिप्पणी करते हुए गेटिल ने लिखा है कि “उसकी एची प्राथमिक रूप से सामाजिक समूहों को राज्य में राजनीतिक भूत्त्व दिलाने में ही नहीं है, बल्कि मूरुदत्त प्रशासनीय कार्यों पर न्यायिक प्रतिबन्ध लगाकर एक उत्तरदायी राज्य के सिद्धान्त के विकास में है।” सामाजिक एकात्मकता और स्थायित्व (Social Solidarity) उसके राजदर्शन का आधार है।

केज़ के भनुसार ही कानून राज्य से स्वतन्त्र, अेष्ठतर और उच्चतर है। कानून व्यवस्थापिका की भाँझा न होकर प्रचलित धारणाओं तथा जनमत से प्रभावित एक आचार-सहिता है। कानून राज्य के निवासियों के विवेक से सफल होता है। शक्ति राज्य का प्रावश्यक युए नहीं है, क्योंकि राज्य तो एक वैधानिक समूदाय है। व्यवहार में राज्य कुछ ही दो को कानूनी महत्व देने के प्रतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता।

इस प्रकार के विभिन्न विचारों से स्पष्ट है कि एक के स्थान पर घनेक की प्रतिष्ठा बहुलवाद है। समाज में राजनीतिक सम्प्रभु एकमात्र राज्य ही नहीं, घनेक हैं। बहुलवादियों न घरने घपने क्षेत्र में स्वतन्त्र और राज्य के समक्ष घनेक समूदायों के प्रस्तितत्व का प्रतिपादन किया है। सम्प्रभुता की दृष्टि से वे समाज का समृद्ध एकात्मक के स्थान पर सधात्मक चाहते हैं।

### बहुलवाद की आलोचना

बहुलवादियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से सम्प्रभुता के घट्टत या एकत्रवादी सिद्धान्त पर प्रहार किया है, लेकिन वे इसे व्यथं सिद्ध करने में सफल नहीं हुए हैं। बहुलवादियों की इस बात में काफी सच्चाई है कि समूहों और सम्यामों का प्रावृत्तिक समाज में महत्वपूर्ण स्थान है तथा भन्तरार्थीय कानूनों, नैतिकता आदि का राज्य की प्रभुता पर प्रभाव पड़ता है, परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि राज्य की सम्प्रभुता प्रविभाज्य नहीं है। बहुलवाद को जिन कारणों से उसके आलोचक स्वीकार नहीं करते, वे ये हैं—

१. सम्प्रभुता का विभाजन करना उसको नष्ट करना है। राज्य से प्रमुख शक्ति को छीनकर भी बहुलवादी चाहते हैं कि राज्य समूदाय के बीच हितों और सन्तुलन रखने का कार्य करेगा। यह परस्पर विरोधी दृष्टिकोण है। राज्य क-

सर्वोच्च शक्ति से वित्त कर देने के बाद यह किस प्रकार समझ हो सकेगा कि राज्य विभिन्न समुदायों में सहयोग प्रौढ़ सम्नुभव स्थापित करे। बहुसत्तावादियों के पास इस बात का कोई निश्चित उत्तर नहीं है।

2. बहुलवादी सम्प्रभुता के एकत्रवादी सिद्धान्त का आशय ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए हैं। हीगल और उसके कुछ प्रनुयायियों को प्रतिरिक्ष सम्प्रभुता के परम्परागत सिद्धान्त के समर्थकों में से किंतु ने राज्य को निरकृष्ट नहीं बतलाया है। उदाहरणार्थ, दोदी, हॉब्स, बेन्यम धादि विचारकों ने राज्य की वास्तविक शक्ति को सीमित ही माना है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य की आलोचना या विरोध करना पर्याप्त नहीं है। लेकिन इससे उनका अभिप्राय यह नहीं कि राज्य की सम्प्रभुता सीमित और स्थान्य है। गेटिस ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि राज्य अपना कर्त्तव्य स्वीकार कर सकता है, अपने कार्यों पर स्वयं बन्धन लगा सकता है और विभिन्न दर्शकों को प्रतिनिधित्व भी दे सकता है। वह यह सब कार्य अपनी कानूनी सम्प्रभुता का परिणाम किए बिना ही कर सकता है। प्रदूषतवादियों या एकत्रवादियों का केवल इतना ही कहना है कि जब राज्य किसी निश्चित धोन में कानूनी सत्ता स्थापित करता है तो उस धोन में वह प्रत्य सब सामाजिक समर्थों से अंग और ऊपर होता है। डॉ. आशीर्वादम् ने ठीक ही लिखा है कि “प्रदूषतवादी धर्म, जिस पर बहुलवादी प्रहार करते हैं, बहुत हद तक एक काल्पनिक जीव है।”

3. बहुलवाद के विरोधियों का कहना है कि राज्य की सम्प्रभुता के बिना समाज का कार्य नहीं चल सकता। बिना सार्वभौमिक राज्य के समुदाय, भी समर्थरत हो जाएगे। बहुलवाद का अन्तिम परिणाम प्रारब्धकतावाद होगा। सम्प्रभुता का विभाजन हो जाने से वह नष्ट हो जाएगी और समाज में अशान्ति तथा अव्यवस्था के प्रतिरिक्ष और कुछ खेप नहीं रहेगा। इस स्थिति में समाज के समस्त व्यक्तियों और सरों का जीवन ज्ञानदे में पड़ जाएगा। प्राकृतिक अवस्था पुनः लोट जाएगी। इस तरह सम्यता और विकास के पीछे की ओर लौटने की स्थिति पैदा हो जाएगी। भ्रत यह नितान्त आवश्यक है कि राज्य की सम्प्रभुता अविभाज्य और अस्तित्व रहे। राज्य ही, अपनी सम्प्रभुता के बल पर, विभिन्न समुदायों के पारस्परिक विवादों को शान्ति या शक्ति से नुलझा सकता है तथा उसके प्रनुचित कार्यों पर नियन्त्रण रख सकता है।

4. बहुलवादी सर्वोक्तिमान राज्य का विरोध करते हुए धन्त में स्वयं राज्य की सर्वोपरिता को स्वीकार कर लेते हैं। कोकर का कहना है कि बहुलवादी सभी आवश्यक सधों को पूर्ण समानता की स्थिति प्रदान करने की इच्छा रखते हुए भी परिस्थितियों के कारण राज्य को प्रधान स्थान देने के लिए विवश होते हैं। गियरके और मेटलेंड सधों को वास्तविक व्यक्तित्व प्रदान करते हुए भी यह स्वीकार करते हैं कि राज्य प्रत्य समाजिक सहवाधों से ऊपर तथा सर्वोच्च है। पालवाकर भी सभी सधों और सम्प्रायों को राज्य के अधीनस्थ मानता है। डॉ. हिंगिस ने ‘राज्य को समूदायों का समुदाय माना है। वह राज्य को समाज की असमानताओं को दूर करने

और उनमें सम्बन्ध स्थापित ढंगे का काम सौंपते हैं। बाकर, लॉस्की, कुमारी फालेट प्रादि ने राज्य की सर्वोपरि सम्बन्धकारी शक्ति और श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। इस प्रकार बहुलवादियों ने "सम्प्रभूता को सामने के द्वार से निकाल कर पीछे के द्वार से चापत युता लिया है।"

5. नेतिकृत, रीति-रिवाज प्रादि से सम्बन्धित प्रापत्तियों का राज्य की सम्प्रभूता से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये प्रापत्तियाँ सासन की स्वेच्छाकारिता के दिलद हैं। राज्य और सरकार में मन्त्र सम्बन्धी आनंद के कारण ही ये प्रापत्तियाँ उठाई गई हैं।

6. बहुलवादियों का यह विचार भी भ्रामक है कि समाज के विभिन्न संघ एक समानान्तर रेखा पर चलते हैं, उनके कार्य-क्षेत्र भ्रसग-प्रसग हैं, उनमें एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा वे एक-दूसरे के अधिकारों और कर्तव्यों का अतिक्रमण करते हैं। वास्तविकता यह है कि सामाजिक जीवन का प्रत्येक पहलू एक-दूसरे से सम्बन्धित है। उदाहरणार्थ, सभी धार्थिक पदों का राजनीतिक पहलू होता है और सभी राजनीतिक प्रस्तोतों का धार्थिक पहलू। यही कारण है कि प्राय अनेक समूह एक-स्तर कार्य करते हुए पाए जाते हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि समाज में निष्ठाओं तथा स्वाचों के लिए सघर्ष होता रहता है और जब तक सामाजिक सर्वों में यह सघर्ष जारी रहेगा तब तक एक सावंभोग और मध्यस्थ राज्य की प्रावश्यकता बनी रहेगी।

7. बहुलवादियों का कानूनी दृष्टिकोण भी भ्रामक है। उनका यह कहना काफी ठीक है कि कानून का ग्रोत तथा उसकी वैधानिकता केवल राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, यद्यपि वे यहीं भी घट्टवादी विचारधारा को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। घट्टवादी या एकत्ववादी भी यह स्वीकार करते हैं कि कानून के विभिन्न ग्रोत हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें वैधानिक मान्यता तभी प्राप्त हो सकती है जब वे राज्य द्वारा मान्य हो जाएँ। एकत्ववादी कानून के द्वारा वार्तारिक तत्त्वों पर विशेष ध्यान देते हैं जबकि बहुलवादी उन्हें स्वीकार नहीं करते। एकत्ववादियों के घनुसार कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है जिसे न्यायालय लागू करते हैं जबकि बहुलवादी कानून के लिए इस कानूनी मान्यता को पावरपक नहीं समझते। सच्च है कि बहुलवादियों का कानून सम्बन्ध कोई ठोस प्रापदण्ड नहीं है। यद्यपि दुखी, केवल प्रादि सेवक राज्य पर कानून वा बन्धन लगाना चाहते हैं, यद्यपि ऐसा करने में वे वस्तुतः राज्य पर प्राविधिक न लगाकर राज्य के धर्यों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं।

8. यदि बहुलवादियों के मत को मानकर, समाज में विभिन्न सम्बन्धों में सम्प्रभूता का विभाजन कर दिया जाए, तो वे इतनी शक्तिवाली हो जाएंगे कि राज्य पा भन्य कोई शक्ति उन्हें प्रपने नियन्त्रण में नहीं ला सकेंगी और अनेक गम्भीर समस्याएँ पंडा हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त यदि समाज में विभिन्न सम्बन्धों को प्रार्थिक सम्प्रभूता सौंप दी जाए, तो इससे समाज विषट्टन की ओर प्रवृत्त होगा तथा सम्बन्धों में पारस्परिक विवाद बहुत परिक बढ़ जाएंगे।

9. ग्रन्तर्वाचीयता के आधार पर भी बहुलवादियों द्वारा सम्प्रभुता के सिद्धान्त का विरोध उचित नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि राज्य को ग्रन्तर्वाचीय आचार-व्यवहार और कानूनों का आदर करना चाहिए, लेकिन इन सीमाओं से कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती और राज्य इनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि जनमत ग्रथवा नैतिकता के दबाव से राज्य उनका पालन करता है, तो ऐसा वह ग्रपनी ही इच्छा से करता है और इससे उनकी सम्प्रभुता स्थिर नहीं होती। यदि राज्य ग्रन्तर्वाचीय समझौते या कानूनों, नियमों या सुनिष्ठियों का विरोध करने पर उतारू हो जाए तो कोई सत्ता उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। फिर यह भी स्मरणीय है कि सम्प्रभुता के घनेक समर्थकों ने ग्रन्तर्वाचीय भेत्र में राज्य की सम्प्रभुता के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक राज्य का ग्रन्य राज्यों के प्रति कुछ नैतिक दावित होता है और उस हृद तक राज्य की सम्प्रभुता सीमित हो जाती है। इस प्रकार बहुसत्तावादियों के लिए ग्रन्तर्वाचीयता के दृष्टिकोण से सम्प्रभुता की आलोचना कमज़ोर वड़ जाती है। वास्तविकता यह है कि राज्य की बाधु सम्प्रभुता सिद्धान्त अजून्ही है यद्यपि व्यवहार में उस पर कुछ प्रतिबन्ध हैं।

उपर्युक्त आलोचनाओं के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि राज्य एक सार्वभौम उत्ता है और उसकी सम्प्रभुता सर्वोच्च है। राज्य को ग्रन्य समुदायों के बराबर-वशात्तल पर ला लड़ा करना भ्रुचिन है। समाज में भान्ति और व्यवस्था कामय रखने की विशेष शक्ति राज्य के ही पास है और भासिर इस शक्ति का नाम ही सम्प्रभुता है।

### बहुलवादी विचारधारा का प्रौचित्य और महत्व

इस निष्कर्ष पर पहुँचने पर भी कि राज्य-प्रभुत्व का परम्परावादी सिद्धान्त काफी सही है, बहुलवादी विचारधारा के महत्व को स्वीकार करना पड़ता है। बहुलवादी विचारधारा ने व्यक्ति और समुदाय के महत्व को उजागर कर एक उपकार किया है। राज्य की शक्ति को सीमित करके तथा कानून की शक्ति पर बल देकर उन्होंने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है जो प्रभुत्व की आलोचना मात्र नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था का एक स्वतन्त्र तिदंत है। यद्यपि राज्य के प्रभुत्व पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं हो सकता, पर उसे नैतिक भर्यादायों का पालन भविष्य करना चाहिए। बहुलवादी सिद्धान्त का इस बात में भी पर्याप्त बल है कि राज्य के प्रभुत्व सिद्धान्त का ग्रन्तर्वाचीय सम्बन्धों में बहिष्कार होना चाहिए। इस भेत्र में उसने बुराई और ग्रन्यवस्था के घोतिरिक प्रौर कृद नहीं किया। ग्रन्तर्वाचीय नियमों और विचारधाराओं से मनमानी खिलवाड़ करने के कारण ही मानवता को महाविनाशकारी युद्धों का नुस्ख देखना पड़ा है।

गेटिल के भ्रुत्सार बहुसत्तावाद ने राजनीति शास्त्र को मूल्यवान देन दी है। उसके शब्दों में—“राज्य का कर्तव्य है कि नैतिक बन्धनों को स्वीकार करे।” बहुलवादियों का यह विचार मानवीय है और राज्य के प्रादर्शवादी रूप के विषद्

एक उचित प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया राज्य के सर्वेसर्वां होने और सभी नंतिक वस्थनों से स्वतन्त्र होने के सिद्धान्त के विषद भी है। बहुसत्तावादी प्रौष्टिन के प्रभुत्व-सिद्धान्त की ओर और व्यावहारिक कानूनी स्थिति का भी विरोध करते हैं। वे शोध परिवर्तित होने वाले सामाजिक दृष्टि के राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं के प्रध्ययन पर भी बल देते हैं। इस सम्बन्ध में गैर-राजनीतिक दलों के बढ़ते हुए महत्व की ओर सकेत करते हैं और ऐसे दलों के कार्यों में राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रनुचित हस्तक्षेप से उत्पन्न खतरों की ओर भी ध्यान प्रार्कित करते हैं। वे इस तथ्य पर बल देते हैं कि ऐसे दलों को राजनीतिक क्षेत्र में प्रधिक कानूनी मान्यता दी जाए।

हीतियों ने बहुसत्तावाद के गुणों का वर्णन इस प्रकार किया है—“बहुसत्तावाद का व्यक्ति-स्वातन्त्र्य पर जोर, उसका समुदायों को राजनीतिक क्षेत्र में स्थान देकर प्रभो तक सामाजिक संगठन के लिए अपनाई गई किसी भी प्रणाली की परेक्षा प्रधिक ठोस प्रणाली का सुझाव; उसका उस राजनीतिक प्रतिक्रिया के वास्तविक विशाल शृण्डिकोण पर दृढ़ रहना जिसके अन्तर्गत न केवल सरकार और कानूनों का समावेश है, बल्कि मनुष्य के बहुत से नंतिक पहलुओं के पारस्परिक सम्बन्ध भी सामिल हैं तथा धन्त में विरूसत्तावाद (Patrialism) और राजनीतिक राज्य की निश्चिह्नता के विषद उसकी लाभकारी प्रतिक्रिया तथा किसी प्राचिक सत्या के प्रभुत्व के विषद जेतावनी—ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं जिनको मानने में किसी भी निष्पक्ष विद्वान् को सकोच नहीं होगा।”

---

## फासीवाद

(Fascism)

प्रथम विश्वयुद के बाद इटली की पतनावस्था में ब्रेनिटो मुसोलिनी (1833-1945) की घट्यक्षता में साम्यवाद की बढ़ती हुई लहर का विरोध करने और इटली का पुनर्गढ़ार करने के लिए फासीवाद का जन्म हुआ। मुसोलिनी सर्वप्रथम इटली के भ्रान्त और हताश नागरिकों के समूख एक आर्कर्च एवं रचनात्मक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ जिसने इटली की जनता को दो नारे दिए—पहला, इटली भव्य परम्पराओं वाला महान् देश है; और दूसरा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्प्रान और धान्तरिक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था प्राप्त किए बिना इटली को चंत से नहीं बैठना है। सन् 1926 में सच्चे ग्रंथों में इटली का तानाशाह बन बैठने के बाद मुसोलिनी द्वितीय महायुद्ध तक इटली का एरमात्र भाष्य विवात रहा। इटली के समाज जमीनी में भी सन् 1933 में एडोल्फ़ हिटलर (1889-1945) निरकुश अधिवायक बन बैठा। उसकी पार्टी नाज़ी (राष्ट्रीय समाजवाद) पार्टी कहलाती थी, अत उसकी विचारधारा नाज़ीवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। फासीवाद और नाज़ीवाद में कुछ अन्तर होते हुए भी दोनों का बुनियादी सामाजिक राजनीतिक दर्शन एक ही है और इसीलिए राजनीतिक दर्शन के लेत्र भे प्राय दोनों के लिए फासीवाद शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। दोनों ही विचारधाराएँ व्यक्तिवाद, लोकतन्त्र, समाजवद और सभी उदारवादी एवं प्रगतिशील तत्त्वों की भानु तथा निरकुशवाद, उथ राष्ट्रवाद, पुढ़वाद, सर्वाधिकारवाद और पूँजीवाद की समर्थक हैं। फासीवादी अधिनायकतन्त्र हुई हैं वर्षों में तेज़ी से विकसित हुआ और इटली तथा जमीनी की सीमाएँ लोकहर पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, रूमानिया, बल्गेरिया, हगरी, पाल्स्ट्रिया, यूनान, स्पेन, पुर्वगाल प्रादि देशों में भी प्रवेश कर रहा। इन देशों में भी अधिनायकवादी सरकारें स्थापित हुई। मुसोलिनी और हिटलर ने विश्व को द्वितीय महायुद्ध (1939-1945) की धार में झोक दिया, किन्तु लोकतन्त्र को भस्म करने के प्रयास में वे स्वयं भस्म हो गए। फासीवादी और नाज़ीवादी शक्तियों की घोर भारमधाती पराजय हुई। मुसोलिनी को इटली के ही सोबां ने योली मार दी और हिटलर ने युद्ध के अन्तिम दिनों में धार्मकृत्या कर ली। महायुद्ध में सोकतान्त्रिक शक्तियों की विजय के साथ

ही सेन और पुतंगाल के इतिहासिक यूरोप के सभी देशों में कासीवादी प्रविनायकतन्त्र समाप्त हो गया। फिर भी एक विचारधारा के रूप में कासीवाद का पूरा लोप नहीं हुआ और आज भी दिश्व के अनेक देशों में कासीवादी तत्त्व सक्रिय हैं।

### कासीवादी दर्शन और उसकी विशेषताएँ

(The Philosophy of Fascism and Its Characteristics)

कासीवाद कोई कमबढ़ सुव्यवस्थित राजदर्शन नहीं है। स्वयं मुसोलिनी के शब्दों में “देश, काल और बातावरण की परिस्थितियों के अनुसार हम कुलीनतन्त्रीय धर्मवा जनतन्त्रीय, रुदिवादी धर्मवा प्रगतिशील, प्रतिक्रियावादी धर्मवा क्रांतिकारी, नियमित धर्मवा धनियमित सभी कुछ हो सकते हैं।” इटली के लेखक जैटाड्स के अनुसार “कासीवाद ने स्वर्य को अपने भावी कार्रक्रम के सम्बन्ध में बाधिता स्वीकार नहीं किया। इसने अनेक बार ऐसी घोषणाएँ की जो राजनीतिक दर्शन के अनुकूल थीं, परन्तु जिनको क्रियान्वित करना कासीवाद अपना उत्तरदायित्व नहीं मानता था।” सेवाइन की दृष्टि में “कासीवाद ऐसे विधारों का योग है जो विविध सूत्रों से प्राप्त किए गए हैं और उरिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप संग्रहीत कर दिए गए हैं।” इनमें तीन महत्वपूर्ण सूत्र ये हैं—(1) राज्य का मादर्गीवादी सिद्धान्त विशेषकर हीगल का दर्शन, जिससे ग्रहण किया गया है कि केवल राज्य में ही और उसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है, अन उसे राजाज्ञा का धौत मीन कर पालन करना चाहिए, (2) जर्मन दार्शनिक नीत्से (Nietzsche) की नंतिक तथा सामाजिक विचारधारा, जिससे नेतृत्व एवं तानाशाही की धारणा ग्रहण की गई, और (3) रोम का चरित्र एवं जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण, जिससे अनुशासन और कार्य को महत्व देना सीखा।

वास्तव में, कासीवादी दर्शन के कोई अटल नियम नहीं हैं। यह किसी ग्रादर्श सम्म, महन्त तथा ग्राध्यात्मिकता में विश्वास नहीं करता। कासीवादी दर्शन प्रधानत अवसरवादी और क्रियात्मक है। यह एक लचीली विचारधारा है जो आवश्यकतानुसार यथाइच्छा मोड़ दी जाती है। कासिस्ट लोग कार्य पहले करते हैं और उसे दर्शन का रूप बाद में देते हैं। आचारात्मक सभी विचारों का स्पष्टन करने के कारण इसे ‘सत्तावादी राजनीतिक सिद्धान्त’ (Philosophy of Power Politics) भी कहते हैं।

कासीवाद ने कुछ ही वर्षों में सम्पत्ति और समृद्धि की जड़ें उत्थाह कर शहादियों के मूल्यों, और मान्यताप्रौद्योगिकी मिट्टी में मिला दिया। यह इसकी प्रकृति के सम्बन्ध में अनेक पारणाएँ बनी और नए-नए दृष्टिकोणों से इसकी व्याख्या करने के प्रयत्न किए गए तथा ग्राज भी किए जा रहे हैं। कासीवाद की सबसे लोकप्रिय व्याख्या मानसेवादियों की है जिन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के ग्रावार पर इसका विवेचन किया है। मानसेवादियों की दृष्टि में कासीवाद एकविकारी पूँजीवादी प्रविनायकतन्त्र है, पूँजीवाद को सर्वहारा-कान्ति से बचाने का एक प्रभावशाली तरीका है। प्रथम महायुद्ध के उपरान्त साम्यवाद के ज्वार से इटली और जर्मनी के सत्तावादी

बगों के लिए जब दंस्त सकट पैदा हो गया और यह ग्रनुभव पैदा किया जाने लगा कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था इस तूफान को रोकने में असफल है। भर्त पूँजीपति बगं ने लोकतन्त्र का जामा उतार फेंका और बर्बर भ्रष्टिनायकवाद की स्थापना कर ली। इटली और जर्मनी में पूँजीपतियों ने मुसोलिनी और हिटलर को पूर्ण सहयोग प्रदान किया और सत्ताहृष्ट होने पर इन भ्रष्टिनायकों ने अमिक भान्डोलनो को कुचलने तथा साम्बवादी विचारों का दमन करने में सारी क्षति लगा दी। मार्क्सवादियों से भिन्न दूसरी व्याख्या समाजवादियों की है जिनके ग्रनुसार फासीवाद मध्यम वर्ग का भ्रष्टिनायकतन्त्र है। महायुद के बाद पूँजीपति बगं और अमिक वर्ग के पारस्परिक निधौंने जब मध्यम वर्ग के भ्रष्टिस्त्व को सकट में डाल दिया तो इस वर्ग ने इसने हितों की रक्षा हेतु फासीवाद के रूप में अपना भ्रष्टिनायकत्व स्थापित कर लिया। इटली और जर्मनी दोनों ही देशों में मध्यम वर्ग के लोगों ने भारी सख्त्या में फासीवाद को समर्थन और सहयोग दिया। फासीवाद की तीसरी व्याख्या के ग्रनुसार यह मुसोलिनी और हिटलर का व्यक्तिगत भ्रष्टिनायकत्व था। इटली और जर्मनी की जनता ने अपने भ्रष्टिनायकों की ईश्वर की भूति पूजा की। दोनों देशों के लोग उनके सकेत मात्र पर अपना सद्वंस्व उत्सर्ग करने को तत्पर हो गए। फासीवाद की चौथी व्याख्या का प्रचार विशेष रूप से द्वितीय महायुद काल में हुआ। यह कहा गया कि नाजीवाद जर्मन इविहास और सकृति की ग्रन्तिनिहित विशेषताओं की सामाजिक परिणति है। जर्मन लोगों ने सदैव संनिकवादी परम्पराओं और सत्तावादी ज्ञासन से प्रेम किया है। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादकों ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि जर्मनी में भ्रष्टिनायकवाद को, उसकी संनिक शक्ति को एक बार पूरी तरह विनष्ट कर दिया गया तो किर यह सम्भव हो सकेगा कि जर्मन लोगों को लोकतान्त्रिक और उदारवादी सिद्धान्तों, व्यवस्थाओं तथा परम्पराओं से शिक्षित किया जा सके। फासीवाद की विशेषताएँ या प्रमुख लक्षण

फासीवाद के प्रमुख सिद्धान्तों अथवा इसकी भावारभूत विशेषताओं का विवरण दर्शाया जा सकता है—

1 राष्ट्र की उपासना (Glorifies the Nation)—फासीवाद के ग्रनुसार राष्ट्र साध्य है और व्यक्ति साधन। राष्ट्र रूपी साध्य पर व्यक्ति एव समुदाय रूपी साधन सदैव न्योद्धावर किए जा सकते हैं। “फासीवाद का समाज से भ्रष्टिप्राप्त राष्ट्र से है और राष्ट्र इसके लिए राज्य का ही पर्यावाची है। भर्त राज्य राष्ट्र का मूल स्वर है जिसको वैधानिक एव नीतिक दोनों ही प्रकार की सम्प्रभुता प्राप्त है। समाज अथवा राष्ट्र का पूर्ण जीवन अपने लड्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का साधन बनाने में है। फासीवादियों के ग्रनुसार राष्ट्र के सम्पूर्ण साधन राज्य को गोरक्षपूर्ण बनाने के लिए प्रयुक्त होने चाहिए और व्यक्ति के भ्रष्टिस्त्व में राष्ट्र की भ्रष्टिवृद्धि का ही प्रधान विचार होना चाहिए। राष्ट्र समाज को एक सूत्र में बैध कर समर्थित रखता है और उसका क्षेत्र केवल जीवित व्यक्तियों तक ही सीमित न होकर भावी पीढ़ियों तक विस्तृत होता है।”

**2. राज्य का गुणगान (Glorifies the State)**—फ्रादर्शवादियों की भौति कासीवादी भी राज्य के अनन्य भक्त हैं प्रौर इसे एक दंबी तथा नैतिक सम्बन्ध मानते हैं। मुसोलिनी के शब्दों में, “राज्य स्वयं में एक आध्यात्मिक और नैतिक तत्त्व है।” फासीवाद के प्रनुसार राज्य मानवीय गुणों का स्रोत है, सम्य जीवन का प्रतीक है, मनुष्य में सर्वोत्तम सत्य की अभिव्यक्ति का साथन है, मनुष्यों की आत्मा का सरक्षक और प्रवर्तक है, एक सहकारवादी एवं एकारमक तत्त्व है तथा राष्ट्र का मूल रूप है।

**3 राज्य एक सर्वसत्तात्मक, सर्वध्यापक एवं दोषमुक्त संस्था (State as an Omnipotent, Omnipresent and Infallible Institution)**—उपर्युक्त सिद्धान्त से स्पष्ट है कि फासीवाद मक्षिय एवं सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थन करता है। वह एक भौतिक, अधिकारपूर्ण एवं एकात्मक राज्य का समर्थक है। व्यवस्था, भनुशासन और सत्ता (Order, Discipline & Authority)—इन तीनों की प्राप्ति के लिए फासीवादी राज्य पूर्ण भक्ति के साथ व्यक्तिगत स्वाधीनता को कुचल सकता है। फासीवादियों के लिए राज्य ही सर्वस्व है। मुसोलिनी के शब्दों में, “ससार की कोई भी मानवीय तथा आध्यात्मिक वस्तु उससे बाहर नहीं हो सकती और यदि हो तो उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता।” फासीवादी सर्वाधिकार-सम्पन्न राज्य का चिन्ह इन शब्दों में स्पष्ट हो जाता है—“सब कुछ राज्य के अन्तर्गत होना चाहिए, राज्य के विरुद्ध तथा राज्य के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता।” राज्य मानव-जीवन के समस्त क्षेत्रों का नियन्त्रण करता है।

**4. स्वतन्त्रता अधिकार नहीं बरन् कर्तव्य (Liberty not a Right but a Duty)**—फासीवादियों की स्वाधीनता की परिभाषा अपनी है और साथ ही बहुत कुछ नवीन भी। एक सत्ताधारी राज्य के प्रशसक फासीवादी स्वाधीनता को प्राकृतिक देन न मान कर राज्य द्वारा स्वीकृत एक रियायत (Concession) मानते हैं। इस सम्बन्ध में वे हीगल और नीत्से के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हैं। फासीवादी दर्शन में कानून का वालन ही वास्तविक स्वतन्त्रता है। जेंटाइल (Gentile) के शब्दों में, “कानून और राज्य स्वतन्त्रता के सर्वोत्तम अभिव्यक्तिकर्ता हैं।” फासीवादियों का कहना है कि “राज्य की ज्यों ज्यों उप्रति होगी त्यों-त्यों स्वाधीनता का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाएगा वयोंकि एक फासीवादी राज्य में व्यक्ति की मुरदातथा स्वाधीनता कानून के पूर्से द्वारा रक्षित की जाती है।” स्वतन्त्रता को राज्य से कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में नहीं माँग सकता। व्यक्ति को स्वतन्त्रता राज्य द्वारा सामाजिक हितों को ध्यान में रख कर प्रदान की जाती है।

**5. राज्य में व्यक्ति उपेक्षणीय है (The Individual is Negligible in a Fascist State)**—फासीवाद व्यक्ति की उपेक्षा करते हुए नैतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टियों से राज्य को महस्ता और प्राथमिकता प्रदान करता है। स्वयं मुसोलिनी के शब्दों में, “फासिस्ट राज्य वैयक्तिक मुरदातथा स्वाधीनता भौतिक मुरदातथा प्रदान करने वाला कोई रात्रि-प्रहरी नहीं है, बल्कि एक आत्मिक इकाई है जो राष्ट्र की प्राप्ति राजनीतिक तथा न्यायिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए उद्भूत है।”

**6 प्रजातन्त्र का विरोधी (Opposed to Democracy)**—फासीवाद प्रजातन्त्र एवं उदारतावाद का घोर भ्रम है। यह प्रजातन्त्र को 'भूखंतापूर्ण, भ्रष्ट, धीरी, कालगनिक और अव्यावहारिक प्रणाली' कहकर उसका उपहास करता है। फासीवादियों की मान्यता है कि प्रजातन्त्र एक मरणासम शब्द है जो पूर्णतया सड़ चुका है। ससदों को वे 'दातों की दूकान' कहते हैं। बहुमत के शासन और निर्वाचन को वे धोखा मानते हैं। भ्रातृत्व, समानता और बन्धुत्व के नामों में उनका कोई विश्वास नहीं है। मुसोलिनी के शब्दों में, "प्रजातान्त्रिक शासन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह समय-समय पर सोगों को मिथ्यावादी सम्बन्धों का भाभास देता है जबकि वास्तविक और प्रभावशाली सम्बन्धों प्रदृश्य हैं और वह गुप्त और मनुष्ठरदायी हाथों में रहती है।"

**7 कुलीनतन्त्र में विश्वास (Believes in Aristocracy)**—फासीवाद कुलीनतन्त्र का समर्थक है। इसके समर्थकों का विश्वास है कि साधारण जनता में इतनी योग्यता नहीं होती कि वह शासन कार्य का सचालन कर सके और प्रपने हितों के विषय में विचार सके। शासन कार्य कुछ विशिष्ट लोगों द्वारा सुचालित होना चाहिए जो योग्य, अनुभवी एवं कार्यकुशल हों और जो निश्चित मादर्सों से प्रेरणा लेकर निष्ठापूर्वक समूर्ण राष्ट्र के हितों को भली-भांति पहचान कर उनकी रक्षा कर सकें। जन-साधारण को फासीवादी घटानी मानते हैं और कहते हैं कि उनको शासक वर्ग का अन्धारुकरण करना चाहिए।

**8. हेत्यवाद और साम्राज्यवाद का उपासक (Worshiper of Military Power and Imperialism)**—फासीवाद राष्ट्रीय उन्नति के लिए युद्ध को प्रतिवार्य मानता है। राष्ट्र की सुरक्षा, विस्तार और विकास के लिए युद्ध सदा ही न्यायसंघर दृष्टि है, भले ही उसमें अन्य छोटे समुदायों के हित और राष्ट्र के उत्कृष्ट सदस्यों का जीवन नष्ट हो जाए। मेरियो कार्ली (Mario Carli) के शब्दों में, 'फासीवाद का जन्म युद्ध से दृष्टा है और युद्ध में ही उसको अपना विकास स्वीकरा है।' फासीवाद का जन्मदाता मुसोलिनी स्वयं कहा करता था—"युद्ध मानवीय शक्तियों को चरम बिन्दु तक उन्नत कर साहसी वीरों के मस्तिष्क पर कुलीनता आ दीका लगा देता है।" फासीवादी विगत रोमन साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देखते थे। अबीसीनिया को इसीलिए विषय किया गया था। संघवाद का उपासक फासीवाद चाहता है कि नारियों अधिक से धर्मिक सन्तान पैदा करें जिससे सेना में वृद्धि की जा सके। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करते हुए मुसोलिनी ने घोषणा की थी—"मातों इटली को अपना विस्तार करना चाहिए या मिट जाना चाहिए।" युद्ध की प्रशस्ता के गुण पाते-पाते फासीवाद इस सीमा तक पहुंच गया था कि उसे विश्व-शान्ति 'कायरो का स्वप्न' दिलाई देता था। हिटलर के ये शब्द कि "विश्व में घनवरत युद्धों से मानवता महान् बन सकती है और विश्व-शान्ति से उसका विनाश हो जाएगा" फासीवाद और नारीवाद की युद्धश्रियता को प्रकट करते हैं।

**9. अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोध (Rejects Internationalism)**—जहाँ प्राच

हम राष्ट्रवाद के स्थान पर मन्तराष्ट्रीयतावाद की बात करते नहीं यकते, वही मुसोलिनी कहा करता था कि मन्तराष्ट्रीय शान्ति मध्यव व्यवस्था की चर्चा केवल वे राष्ट्र करते हैं जो भ्रष्ट राष्ट्रों के साथ सघर्ष और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने की भाशा नहीं रखते।

**10. तक और बुद्धिवाद का विरोधी (Does not Believe in Intellect and Criticism)**—फासीवादी तक और बुद्धिवाद में कोई विश्वास नहीं रखते। इनकी मान्यता है कि मनुष्य किसी कार्य को भावना तथा कल्पना द्वारा प्रेरित होकर करता है। वह केवल अपने जीवन को किसी प्रकार सुखभय बनाना चाहता है। मुसोलिनी कहा करता था—“हमने प्रत्येक विरोधी का नाश कर दिया है। हमे किसी प्रकार के नियम में विश्वास नहीं है, और न स्वर्ग और मुक्ति में ही। हम मनुष्य मात्र की स्वतन्त्रता, जीवन और सुख की कामना करते हैं।” फासीवाद के समर्थकों को विचार-विमर्श और समझौते पर भावारित सरकार में कोई आस्था नहीं थी। उनके अनुसार—“मनुष्य अपने फेफड़ों और हाथ पेरों का अवश्य प्रयोग कर सकता है, परन्तु बुद्धि का नहीं। अविवेकवादी होने के कारण ही वे ऐसे नारों ने विश्वास करने लगे ये जैसे “मुसोलिनी सुर्वशा सत्य है, उस पर विश्वास रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो और युद्ध करो।” फासीवाद तक की अपेक्षा प्रेरक शक्ति और आडम्बरों में अधिक विश्वास करता था। विवेक का विकास अधिनायकों की मृत्यु का निमन्त्रण होता है, इसलिए फासीवादी विवेक और कल्पना से सदैव कठराते हैं। वे बुद्धिवादी दर्शन को कुछ बुद्धिवादी भ्रमीरों की विलासिता मात्र मानते हैं।

**11. एक नेता, एक दल और एक शासन में विश्वास (Faith in One Leader, One Party and One Government)**—फासीवाद एक नेता, एक दल और एक शासन में विश्वास करता है और इसलिए यह किसी विरोधी व्यक्ति, समुदाय या सम्पत्ति को सहन नहीं करता। फासीवाद की शिक्षा है कि नेता के समस्त ग्रादेशों के बिना किसी सकोच तथा वाद विवाद के पालन करना चाहिए। इसमें दल की भी स्थिति नेता के हाथों की कठपुतली के समान रहती है।

**12. ग्राम्यक ज्ञेन में फासीवाद राष्ट्रीय उपयोगिता के दृष्टिकोण को उच्च महत्व देता है—**फासीवाद पूँजी और श्रम दोनों का नियमन करता है और दोनों पर नियन्त्रण रखता है। यह पूँजी एवं समाजवाद दानों का विरोधी है। पूँजीवाद का यह खण्डन भी करता है, लेकिन साथ ही उससे ग्रातकित भी रहता है। यह उसका योग्य प्रन्त न कर राष्ट्रीय हित में उस पर बहुत से प्रतिबन्ध लगाना हितकर समझता है।

**13. फासिस्ट राज्य एक निगमाधिक राज्य (Corporate State) होता है—**फासीवादी राज्य में श्रमिक संघों के स्थान पर फासीवादी संघों वी स्थापना की जाती है जिनके अधिकारी कटूर फासीवादी होते हैं। फासीवादी ही इसके सदस्य हो सकते हैं और इन संघों की शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। संघों को मिलाकर राज्य द्वारा स्वीकृत कोरपोरेशन (नि...)

ये ही कॉर्पोरेशन निर्वाचन के लिए निर्वाचक-मण्डलों का रूप बारण कर लेते हैं। राज्य का एक व्यक्ति के साथ सम्बन्ध कॉर्पोरेशन के द्वारा होता है। प्रत्येक उद्योग और सेवा का सचालन करने के लिए एक कॉर्पोरेशन होता है। फासीवादी इटली में ऐसे स्थानों या कॉर्पोरेशनों का जाल विद्या हुआ था। प्रोफेसर जोड (Joad) के शब्दों में, “ये स्थान ही राज्य की आत्मा को विनिय बारामो में बाटकर विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसकी सम्मुर्खी को सुदृढ़ बनाते थे।”

14 चर्च और धर्म में विश्वास करता है—सन् 1921 तक फासीवादियों का चर्च और धर्म में कोई विश्वास नहीं था। ये धर्म और चर्च को समूल नष्ट कर देने के पक्ष में थे, लेकिन शीघ्र ही मुसोलिनी ने घनुभव किया कि इटली की जनता में उसके कैथोलिक चर्च के प्रभाव को कुचला नहीं जा सकता। अब अपने हित में चर्च से सन् 1929 में सन्धि करली जिसके घनुसार पोप ने फासिस्ट सरकार को इटली की सरकार के रूप में मान्यता प्रदान की और मुसोलिनी ने वेटीकन प्रदेश पर पोप की सत्ता को स्वीकार किया। कैथोलिक धर्म को राज्यधर्म पोषित कर दिया गया। धर्म को माक्सिस्टादियों की भाँति जनता की अफीम न मानकर राज्य और जनता का सहयोगी स्वीकार किया गया।

### फासीवाद की ग्रालोचना (Criticism of Fascism)

फासीवाद में देश प्रेम, न्यायोचित धार्यादिक व्यवस्था एवं नागरिकों के कर्तव्य पर बल आदि व्येष्ठ गुण होते हुए भी इनकी अपनी घटनुमत मान्यतामो के कारण बतमान प्रालोचकों ने इसका बड़ी कठोरता से खण्डन किया। इटली में तानाशाह मुसोलिनी के उदय के साथ ही फासीवाद का उदय हुआ और मुसोलिनी के अन्त के साथ ही यह भी सदा के लिए अपनी कब्र में दफना दिया गया है। व्यावहारिक दृष्टि से इसने इटली में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की, लेकिन संदानिक दृष्टि से यह हमेशा एक दुर्बल और अवसरवादी दर्शन रहा। इसके परामर्श ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति राजनीति का सिद्धान्त वास्तविक राजनीतिक सफलता प्रदान नहीं कर सकता।

फासीवाद की कटु ग्रालोचनाएँ प्राय निम्नलिखित प्राचार पर की जाती हैं—

1 फासीवाद अधिनायकनन्त्र को जन्म देना है। यह एक ऐसी तानाशाही है जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विवाद कर अपने अस्तित्व की कायम रखने में विश्वास करती है। अधिनायकनन्त्र की कमियाँ स्वयं स्पष्ट हैं। इसमें शान्ति के समय तनाव तो बना ही रहता है वास्तविक सकट के समय भी तनाव बढ़ता जाता है जिसका राष्ट्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तनाव बनाए रखने के लिए और अपने प्रचार के लिए अधिनायक जनता को नाना प्रतिभन देते हैं और इस प्रकार की नीति का अनिम परिणाम युद्ध होता है जिससे अधिनायकों की शक्ति का अन्त और देश का अन्त होता है।

2 फासीवाद राज्य को साध्य और वर्ति को साधन मानता है। यह सिद्धान्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता के लिए हातिकारक है। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने का स्पष्ट प्रयत्न है कि व्यक्ति की स्थिति राज्य में उस मशीन की तरह है जिसको इच्छानुसार प्रयोग में लाया जा सकता है। उसकी स्थिति दास तुल्य हो जाती है। हमें यह नहीं भूना जाहिए कि राज्य व्यक्ति के लिए होता है न कि व्यक्ति राज्य के

तिए। राज्य एक कल्याणकारी सम्भवा है जिसका मुख्य कर्तव्य उन समस्त साधनों को एकत्र करना है जिनके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके।

3 फासीबादी विचार बबंद और भ्रष्टम्य हैं जो प्रगतिशील विचारों की कब्ज़ा लोटते हैं। प्रत्येक प्रगतिशील समाज प्रजातन्त्र, विचार-स्वातन्त्र्य, शान्ति, एकता और भ्रातृत्व में अद्वा रखता है। आधुनिक विश्व इन विचारों को विरस्थापी बनाने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन फासीबाद इन सबके विपरीत प्रादिमयुगीन विचार प्रस्तुत करता है जो किसी भी सम्भव एवं प्रगतिशील राष्ट्र के लिए ज्ञानभनीय नहीं हो सकते।

4 फासीबादी विचारधारा राष्ट्रीयता पर आवश्यकता से ग्राहिक बल देती है। राष्ट्र को महत्व देना उचित है, लेकिन राष्ट्र को एक रहस्यात्मक देवता मानकर उस पर जन-साधारण को बलि बढ़ाना और जन-साधारण से उसकी दूजा करवाना सर्वयोग्यन्याय है। इस प्रकार के दर्जन से मानव-समाज का कल्याण नहीं हो सकता।

5 फासीबाद में विकेन्द्रीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। कोकर के घनुसार, "किसी राष्ट्र के प्रत्यक्षिक केन्द्रित व्यवस्था और सरकारी निदेशन में साहित्य, कला तथा विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। केवल अस्थायी रूप से इस प्रकार की स्थिति लाभदायक हो सकती है, परन्तु सदा के लिए नहीं।" एलबर्ट प्राइसटीन के भन्दे में, "तानाशाही का अर्थ है चारों ओर बहुकों तथा मशीनगन और इनके कारण एकदम धोटू बातावरण। विज्ञान का विकास केवल विचार-स्वातन्त्र्य के बातावरण में ही सम्भव है।"

6. फासीबादियों के पास कोई दार्शनिक सिद्धान्त नहीं है अपितु एक अवस्थाद्वादी और सामूहिक विचारधारा है जो परस्पर विरोधी तत्त्वों से प्रोत्त-प्रोत्त है। मुसोलिनी का यह कथन भी बहुत हास्यात्मक है कि "किसी भी दर्जन के आधार भूत सिद्धान्त लोहे और टीन की हथकड़ियों हैं।" सेवाइन के घनुसार, फासीबाद हीवलवादी राष्ट्रबाद, प्लेटो के कुलीनतन्त्रबाद तथा बर्गसन के अविवेकबाद को समृक्ष कर इनको व्यावहारिक रूप में परिणत करने में समर्य रहा है।" फासीबादी दर्जन पूर्णपट है। यह विभिन्न श्रेष्ठों से एकत्रित विचारों का ऐसा समूह है जो समर्य-समर्य पर विरिट की तरह अपना रूप बदलता रहता है और बहुपिय की तरह अपने स्वरूप को बनाता-बिगाड़ता रहता है।

7 फासीबाद पूँजीबाद का प्रत्यक्ष उपर रूप है। यह तभी स्थापित होता है जब पूँजीबाद पतन की ओर उत्तमत होता है। जब पूँजीबाद विकास कर रहा होता है तो उसकी यह प्रवृत्ति होती है कि अभिक्षों को प्रधिक बनने और प्रन्थ मुविधाएं प्रदान कर उन्हें सम्पुष्ट रखने का प्रयत्न करता है। लेकिन बाद में एक ऐसा समय पाता है जब पूँजीबाद पतने विकास की चरम सीमा पर पहुँच जाता है और उंगार माल की स्फुल नहीं हो पाती। इस कारण उसकी कीमत गिरन लगती है और पूँजीपतियों के मुनाफे में कमी पाने लगती है। उस स्थिति में वे अभिक्षा का प्रधिक मुविधाएं देने से हाथ सीच लेते हैं और अभिक्ष आन्दोलन बरन के तिर तेंगार हा जाते हैं। पूँजीबाद द्वारा यह रूप घारगु कर लने पर फासीबाद का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार फासीबाद पूँजीबाद का उपर एवं पतनामूल रूप है।

8 फासीबाद साम्राज्यबाद को उचित मानता है जिसका स्वानामिक विद्युत मुद होता है। मुद को राष्ट्रीय गोरव और उत्कर्ष का समूचित साधन मानना प्रादुर्भाव

विनाशकारी घारणा है। यह विचार विश्व-शान्ति की कब्र खोदने वाला है। साम्राज्यवाद के द्वारा सह-प्रस्तुति की भावना कभी पनप नहीं सकती। साम्राज्यवाद का पोषक होने के नाते ही फासीवाद की दृष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय नियमों और सन्धियों का भूल्य नहीं है। इसे कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।

9 फासीवादी विचारधारा धर्मिक का पिटारा है जिसमें मनुष्य को अपने बृद्धि का पूर्ण लाभ उठाने का अवसर नहीं दिया जाता। फासीवाद का शक्ति में विश्वास करना उचित है, लेकिन शक्ति को ही सब कुछ मान लेना पतन की पोर ले जाने वाला पार्ग है। सर्व शक्ति के भद्र में दूबा रहने वाला राष्ट्र विश्व जनमत का सहयोग और सम्मान कभी नहीं कर पाया है, इतिहास इस बात का साक्षी है। वास्तव में फासीवाद राजनीतिक दासता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फासीवादी आतक के उपायों को अपनाकर लोकमत का दमन करने व विचार-स्वातन्त्र्य का अपहरण करने में जरा भी सकोच नहीं करते। वे भूल जाते हैं कि वही राज्य उभ्रति कर सकता है जिसे नागरिकों का स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्राप्त होता है।

10 फासिस्ट शासक यह प्रयत्न करते हैं कि शिक्षा का ढम ऐसा हो जिससे जनता एक दिशेप दृष्टिकोण और विचारधारा का अनुसरण करने लगे। वे यह नहीं मानते कि शिक्षा का प्रयोजन मनुष्य की शमता और स्वास्थ्य का निर्बाध विकास करना है।

11 फासीवाद घर्मं और राजनीति को समुक्त कर मनुष्य की राजनीतिक चेतना को कुचल देता है। घर्मं और राजनीति को मिलाना एक रुद्धिवादी विचारधारा है। घर्मं के नाम पर राज्य किसी भी प्रकार का आतक फैला सकता है। आज के सभी सभ्य एवं प्रगतिशील राज्यों में घर्मं राजनीति से पृथक् रखा जाता है।

यह कथन सही है कि “फासीवाद आत्मा का हनन करता है और मस्तिष्क की प्रचेतन विविधताओं को एकरूप एवं सार्वजनिक जीवन को निश्चिय बना देता है। यह मानव-प्रकृति के आदिम तत्त्वों को भाक्षित करता है तथा नव-विकसित प्रवृत्तियों के प्रयोग से घबराता है। यह प्रत्येक प्रकार की स्वतन्त्रता का दमन करता है। इसके पार्वतिक अत्याचारों की कहानी सुनकर हमारी सभ्य भावनाओं को भ्राष्टाच पहुँचता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फासीवाद युद्ध को जन्म देता है। अधिनायकतन्त्र फासीवाद का प्रमुख तत्त्व है और प्रत्येक अधिनायकतन्त्र प्रसाध्य रोग के कडवे उपचार के समान है जिसका प्रयोग दंतिक भोजन के लिए नहीं किया जा सकता।” वर्तमान में इस सिद्धान्त का प्रतीत के पायलपन के सिद्धान्त के अतिरिक्त और कोई महत्त्व नहीं है।

फासीवाद के इतिहास से हमें यह शिक्षा सेनी चाहिए कि जनता सबेगो और भावावेशों में भ्राष्टानी से बह जाती है और प्रतिक्रियावादी शक्तियों इस कमज़ोरी का लाभ उठाकर जनता को विनाश के यत्न में घेकेल देती है। जनता की प्रवृत्तियों को उभार कर धर्थवा उसके भावेशों को प्रज्वलित कर उसे घञ्चे से घञ्चे और नीच से नीच काम में लगाया जा सकता है। हिटलर और भुसीलिनी ने जनता के भावेशों को गतत रूप में उभार कर धर्मपकास में ही लगायग समूचे राष्ट्र को ‘राजसी’ रूप दे दिया और उसका अन्तिम परिणाम विश्व के किसी भी देश की जनता जो सद्बृद्धि देने के लिए पर्याप्त है।

(Graham Wallas, 1858-1932)

## सक्षिप्त जीवन-परिचय और रचनाएं

याहूम वैलास का जन्म सन् 1858 में एक अध्येता पादरी परिवार में हुआ था। उसकी विकास 'श्रीबहो स्कूल' और 'कॉर्ट्स काइस्ट कॉन्सिल, प्राइवेटोड' में हुई थी। प्रारम्भ में वह एक सामान्य छहवार करता था, जिन्हे कानान्डर में वह महान् विद्यालृके स्वयं में उत्तम बहुमात्र हुआ। उसने 'लन्दन स्कूल प्राइवेट इकार्नानिस्ट' को स्पासना में सहभोग दिया और बाद में इसी स्पासना में उसने समझग 30 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। वह लगभग 20 वर्ष तक लन्दन विश्वविद्यालय की सोनेट (Senate) का सदस्य रहा। इस हैविटन से उसने लन्दन स्कूल बोर्ड, लन्दन काउन्सील कॉविल रया रांपत कनोवन धोने लिविल उचित के उपर्युक्त के लिए इन वैज्ञानिक सहायों की नीति के निर्माण के भी पर्याप्त दोष दिया।

याहूम वैलास फैब्रियन सासाइटी का एक प्रभावशाली सक्रिय सदस्य भी रहा था। उसने इस विषय में एक प्रविद्ध लेख 'Essays on Fabian Socialism' (1889) भी लिखा। वैलास की लक्षन-धर्मिक बड़ी प्रबल थी। उसने प्रबल महत्वपूर्ण घटयों की रचना की, जिनमें प्रमुख है —

1. Life of France Place (1898)
2. Human Nature in Politics (1903)
3. The Great Society (1914)
4. Our Social Heritage (1921)
5. Law of Thought (1926)

## वैलास की पद्धति (His Method)

याहूम वैलास का दृष्टिहास निश्चित ही न बुद्धि-विगोदी (Anti-Intellectual) है। राजनीतिक घटनाएँ भी उनके मानववादिक भावद्वा छो है। उसके मननुसार भावना, धारण नहीं एवं धनुकरण का दर्शन लियाएँ ही राजनीति को निर्धारित करती है, बुद्धि नहीं। उसने विवरण एवं इच्छाओं के समझ को विवेचना करके राजनीतिक जनाविज्ञान का बोलिक तंत्र एवं इस द्वारा उपर्युक्तान्वयन करने (Inclusive Method) का प्रयोग किया है। उसकी गुआमह गंभीरी भी धरती उनके विचारक गंभीरों का धनुषधरा दिया था। उक्त विचारक उनके विचार पर धरोविज्ञान का धन्दा भी बनाता है। यह उक्त विचारक उनके

प्रशासनिक दृष्टि राजनीतिक मनुभवों पर प्राधारित हैं। प्राहम के सम्मुख मुख्य समस्त्या यह यही कि “प्राधुनिक मनोविज्ञान द्वारा सचिक ज्ञान को एक व्यवसायी विद्वान् के विवारों की प्रक्रिया के परिमार्जन में किस प्रकार प्रयोग में लाया जाए।”

प्राहम बैलास ने लोगों को दर्शनिक जीवन की कठिनाइयों और निराकाशों से सुरक्षित रखने के लिए राजनीति में मात्रात्मक पद्धति (The Quantitative Method) अपनाने की प्रावश्यकता पर बत दिया। इसके मनुसार तथ्यों का व्यक्तिगत तथा उनका विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। वह सांख्यिकीय प्रध्ययन (Statistical Study) पर जोर देता है। उसका कहना या कि राजनीति के छात्र को काल्पनिक व्यक्ति (An Abstract Man) का प्रध्ययन करने के बजाय ऐसे पूर्ण मनुष्य का प्रध्ययन करना चाहिए जो भावनाओं (Emotions), उत्तोषनाओं (Impulses) और जन्मजात प्रवृत्तियों (Instincts) तथा प्राकृतिक इच्छाओं से परिपूर्ण हो। उसका प्राप्त ह इस बात पर या कि लोगों को मनुष्य की बोहिकता को प्रमाणाद्यक महत्व देने का प्रम्यस्त नहीं बनना चाहिए और ऐसी प्रादत को स्थान देना चाहिए।

रोक्को (Rockow) ने लीक कहा है कि “यदि प्रो मेक्डूगल प्लेटोवादी है तो प्रो प्राहम स्पष्टतया प्रारस्तूवादी है। उसका दृष्टिकोण सरलेपणात्मक और मनुष्यमनारमक (Synthetic and Inductive) दोनों है।”<sup>1</sup> एक भच्छे डॉक्टर की भाँति बैलास ऐसा चतुर निदानकर्ता या जो एक निश्चित मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी राजनीतिक बीमारी का निदान कर सकता या। उसने मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर इसकी पद्धतियों को राजनीतिक सिद्धान्त एवं सासान दोनों पर ही लागू किया। उसने अपने निष्कर्षों को उन तथ्यों पर प्राधारित किया जो बतमान में हैं, न कि उन पर जो होने चाहिए। पर उसे प्रारस्तूवादी (Aristotelian) कहना ही उचित है।

### मानव क्रियाओं के आधार प्रथवा प्रेरणा-स्रोत (Basis of Human Action)

बैलास ने अपने तीनों पन्थों ‘हुमन नेचर एण्ड पॉलिटिक्स’, ‘दि प्रेट सोशाइटी’ तथा ‘प्रावर सोसायल हेरिटेज’ में राजनीतिक पठनाचक की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है और मानव-कार्य के आधार प्रथवा प्रेरणा-स्रोतों पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत किए हैं। बैलास ने अपने ग्रन्थ ‘हुमन नेचर एण्ड पॉलिटिक्स’ का प्रारम्भ इन शब्दों से किया या, “राजनीति का प्रध्ययन भी प्राप्तिवर्यजनक रूप से प्रसन्नतोषजनक प्रवस्था भें है।” प्रसन्नतोष का कारण उसकी दृष्टि में यह या कि विचारकों की लोकतन्त्र में आशाएँ निष्कल हो चुकी थीं और वे यह मानते थे कि इस निष्फलता का कारण राजनीतिक स्थायों के दोष, सीमित भत्ताविकार की प्रथा और भज्ञानता में निहित हैं, लेकिन उसका विचार सा कि वास्तविक कारण कुछ और

<sup>1</sup> Rockow : Contemporary Political Thought in England, Typed Script, p. 31.

ही है। उसके विचार में विद्वानों ने मानव-स्वभाव की उपेक्षा करके राजनीति की प्रणाली को दृष्टिगोलीय बना दिया था। वह यह मानता था कि राजनीतिज्ञ को भावना, भावों तथा दुष्टि से संबंधित प्रारुदी की विवेचना करती चाहिए, ममूर भी नहीं।

बंतास के पूर्व के राजनीतिज्ञ मानव को पूर्णरूपमा विवेकशील मानते थे जबकि बंतास का विश्वास था कि यदि मानवीय कार्यों का लेखा रंगार किया जाए तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि बहुत कम मानव-कार्य दुष्टि से प्रद्वावित तथा सचालित होते हैं। मनुष्य के कार्य प्रविक्षितः या तो धारद के रूप में होते या वे नावनारमक होते। जहाँ बेत्यम के भनुतार मनुष्य के कार्य-परिणामों का दुक्तिकुल परिकल्पन (Rational Calculation of the Consequences) से प्रवावित होते हैं और मेक्ट्रियल के भनुतार 'मानव-जीवन' की दिनचर्या को उसकी नेतृत्विक वृत्तिया' (Instinctive Impulses) सचालित करती हैं तथा जीवन में विवेक (Reason) का महत्व गौण है, वहाँ बंतास ने इन सोनों विद्वानों में से किसी का नी भनुसरण न कर मात्रम नार्य भवनामा।

बंतास के भनुतार मानव-प्रकृति उसको बहानुवृत्त योग्यताओं को चित्त-वृत्तियों (Inherited Dispositions) का चोप है। बहानुकृतवृत्त चित्त-वृत्तियों को दो जायों में विभक्त किया जा सकता है—जन्मजात प्रवृत्तियाँ (Instincts) और बृद्धिमत्ता (Intelligence)। इन दोनों को पृष्ठ करने वाली कोई स्वप्न रखा नहीं है। विज्ञासा (Curiosity), प्रयत्न और भूल (Trial and Error), विचार और जाया (Thought and Language), प्रमुख रूप से दुष्टिगोली चित्तवृत्तियाँ हैं और मनुष्य के लिए उसी तरह स्वानामिक हैं जैसे उसको प्रविक्षिक शक्तिशाली नेतृत्विक चित्तवृत्तियाँ। मनुष्य उपुचित दितामों में भय की वृत्ति की जांति ही सोचने की प्रवृत्ति प्राप्त करता है। सोचना मनुष्य के लिए स्वानामिक है। बंतास के भनुतार सम्बन्ध का दायित्व है कि वह मनुष्य के स्वानाम और उसके पर्यावरण में ऐन घर्षान् सामर्ज्यस्य (Harmony) उत्पन्न करे। ऐन और धूरा दोनों प्राकृतिक चित्तप्रवृत्तियाँ (Natural Dispositions) हैं किन्तु यह सामाजिक आवश्यकता है कि ऐन प्रविक्षिक और धूरा करने हो। एक राजनीतिज्ञ के लिए मानव की प्रविक्षिक यहत्वगूर्ह भावनाएँ ही भावनाम हैं, समूर्ह भावनाओं से राजनीतिज्ञ को कोई प्रोत्सव नहीं होना चाहिए। नहत्वगूर्ह भावों ने ऐन का प्रयत्न, भय का द्वितीय तथा समति की इच्छा का तृतीय स्थान है। इसके प्रतिरिक्त उहक-रिता, सन्देह, कौतूहल या विज्ञासा तथा यस-निष्पाक के जाव नी नहत्वगूर्ह हैं। राजनीतिक सिद्धान्तों तथा सद्धनों को पुनर्जना के लिए दुष्टि और मुख को कामना पर विजेय घ्यान देना चाहिए क्योंकि मानव-जीवन के निर्माण में ये नौजिक शक्तियाँ यहत्वगूर्ह योग देती हैं।

यह स्मरणीय है कि बंतास ने विवेक को राजनीतिक लेंड से पूर्णतः दृष्टि नहीं किया है बल्कि इस बात पर बत दिया है कि राजनीतिक जीवन में उपचेतन चित्तवृत्तियों (Sub-conscious) का महत्वगूर्ह योग है। व्यावहारिक सच्चन्दा तको

प्राप्त हो सकती है जब इन उप वित्तवृत्तियों एवं बुद्धिहीन भावनाओं को जाग्रत कर लोकमत का निर्माण किया जाए। अपने बाद के लेखों में, जबकि वह विचार और इच्छा के समठन की विवेचना करता है, वैलास मनोवैज्ञानिक राजनीति में बुद्धि प्रथया विवेक तत्त्व पर अधिक ध्यान देता है। मनुष्य का विवेकहीन स्वभाव अस्थिर होता है जो सामाजिक उन्नति के लिए उपयोगी नहीं है। मानव-समाज के लिए मानव-विवेक की विजय ही एकमात्र प्राप्ति है। विचार-पूर्णता को उपयुक्त प्रोत्साहन और उसकी प्रगति को प्रयत्नपूर्वक पूर्ण सहायता देने के परिणामस्वरूप ही सभ्य समाज का निर्माण सम्भव हो सका है। “विचारपूर्णता की कला की उन्नति होने पर ही हमारे उलझनपूर्ण समाज की बुराइयाँ दूर करने में मनुष्य की मानविकारक बुद्धि को प्रोत्साहन मिलता है।”

वैलास की मान्यता है कि राजनीतिक व्यवहार में मनोवैज्ञानिक तत्वों के प्रतिरिक्त परिस्थितियों एवं पर्यावरण का भी काफी प्रभाव पड़ता है। यह पर्यावरण (Environment) परिवर्तनशील होता है और प्रत्येक नया पर्यावरण मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। नवीन राजनीतिक व्यवस्थाएँ, भादरों और भावनाएँ परिवर्तनशील राजनीतिक वातावरण की ओटक होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राजनीतिक दल के प्रमुख राजनीतिक उपादान हैं जो विवारों और भावनाओं के विवास में सहयोग देती हैं। इसका मूलस्पृष्ठ बौद्धिक होता है, किन्तु जनसाधारण के लिए ये भावनात्मक होते हैं और इन भावनाओं को अपील करके ही राजनीतिज्ञ चाह उठा सकते हैं। राजनीतिज्ञ की कला इसी बात में है कि वह सर्वसाधारण की भावनाओं को उत्तेजित कर उनसे लाभ उठाए। निर्वाचन के समय सभी राजनीतिक दल प्रभावशाली नारे लगाते हैं और जनता की भावना को अपने पक्ष में उत्तेजित करने का प्रयत्न करते हैं। निर्वाचन एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक घटिरेक (Psychological Orgies) और वशीकरण (Spell Binding) करने का प्रयास बन जाता है। बाकंर के सब्दों में, “दल के नाम तथा प्रतीक, दल की ध्वजाएँ, नारे तथा गाने निर्वाचक-मण्डल की सकेत-ग्राह्यता को प्रभावित करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं।”

स्पष्ट है कि उपर्युक्त विचारों द्वारा वैलास राजनीतिक जीवन की इस प्रचलित धारणा का खण्डन करता है कि मनुष्यों की प्रवृत्ति अपने पूर्व निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए श्रेष्ठतम साधनों को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। वैलास की धारणा तो यह है कि मनुष्य में प्रेम और भावना की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं जिनके कारण वह अधिकतर सचेतन पर्यंवेक्षण तथा विश्लेषण द्वारा जानने योग्य तथ्यों से भिन्न राजनीतिक प्रतीकों की ओर उन्मुख होते हैं।<sup>1</sup> मनुष्य द्वारा अपने काथों के परिणामों से सम्बन्धित धारणाएँ किसी बोद्धिक प्रक्रिया का फल नहीं होती बल्कि उनका यह कार्य तो एक बुद्धिशूल्य प्रक्रिया होती है।

<sup>1</sup> Graham Wallas : Human Nature in Politics, p 98

स्वयं वैलास के शब्दों में, "उनके मस्तिष्क एक बीणा की भाँति कार्य करते हैं जिसके समस्त तार एक ही साथ झनझनाते हैं, अत भावना, अन्त प्रेरणा आदि प्राय साध-साध चलती है और एक ही बीदिक अनुभव के एक-दूसरे से समुक्त पहलू होते हैं।"<sup>1</sup> कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसेइना आदि के वशीभूत होकर व्यक्ति भीड़ के घम के रूप में कार्य करता है तो उसकी मानसिक प्रक्रिया का बुद्धिहीन आचरण स्पष्ट हो जाता है। मानसिक और बीदिक जीवन के लेवर में मनुष्य अधिकांशतः एक भीड़ की स्थिति में रहते हैं और 'बीदिक' के स्थान पर 'निष्कर्ष' की प्रस्थापना करते हैं (Substitute non rational inference for rational)। नगरीकरण (Urbanisation) द्वारा यह प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ गई। अब यह आवश्यक नहीं है कि सुझेत (Suggestion) का प्रभाव यहाँ करने के लिए एक स्थान पर एकत्र हुआ जाए। प्रेस, रेडियो, सिनेमाओं आदि के होते हुए भावनाओं के सचालन के लिए किसी एक स्थान पर एकत्र होना आवश्यक नहीं है।

### प्रजातन्त्र पर वैलास के विचार (Wallas on Democracy)

वैलास के भतानुसार, "18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रजातन्त्रवादी दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित प्रजातन्त्र और वास्तविक प्रजातन्त्र में बड़ा अन्तर है।" जनसाधारण को अस्त्यरता आश्वर्यजनक है और दार्शनिक प्रजातन्त्रवादियों में जिस प्रजातन्त्र की चर्चा की है वह केवल प्रचार द्वारा भवनाओं पर विजय प्राप्त करता मात्र है। मतदाताओं की उपचेतन मन स्थिति (Sub-conscious Mental Life) से अनुचित लाभ उठाकर बहुमत प्राप्त कर लिया जाता है। मतदाताओं को बिना समझे बूझे किसी विशेष समृद्धा पर मतदान करने के लिए उकसाया जाता है। यदि व्यक्ति किसी दल को मत देता है तो इसका आवश्यक यह नहीं है कि उसने बड़े सोच-विचार के बाद ऐसा किया है, बल्कि वास्तविकता यह है कि दल विशेष चालाकी और धोखे से उस व्यक्ति की भावना को अपने पक्ष में कर लेता है। मतदाताओं को समाचार-पत्रों व विज्ञापनों द्वारा सम्मोहित करके और व्यावसायिक प्रत्याशियों को खड़ा करके बहरा बना दिया जाता है। मतदाताओं को जनमत पर नियन्त्रण करने वाले सभी साधनों के माध्यम से प्रभावित किया जाता है। उन्हे धूसा तथा उत्तेजना को प्रोत्साहन देने के लिए विवश कर दिया जाता है। शक्तिशाली पूँजीपतियों के गुट जनमत पर अपने जक्ति-सम्बन्ध साधनों द्वारा अनुचित प्रभाव ढालते हैं। राजनीतिज्ञ जनता के मर्दों को प्राप्त करने के लिए नामों, चित्रों, चिह्नों, प्रादि का प्रयोग करते हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ अधिकांश जनता अग्निशित है, चिह्नों का बहुत अनुचित लाभ उठाया जाता है। जब किसी विशेष दल को मत दिया जाता है तो बहुधा प्रामीण विवेक अथवा निष्पक्ष तथ्य पर आधारित न होकर इस बात पर आधारित होता है कि उस दल का नाम कितना भावात्मक है। अपवा कोई उत्तेजक विच उसे कितना भावुक बना देता है। भारत में केवल भावना के वशीभूत ही अधिकांश व्यक्ति

<sup>1</sup> Graham Wallas : Human Nature in Politics, p. 98.

किसी इल के लिए प्रपना मत प्रदान करते हैं। जो इल जितने अधिक मनोवैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करता है, उसनी ही अधिक मात्रा में उसे सफलता प्राप्त होती है।

वैलास के प्रनुसार इन सब दुराइयों का एक ही उपचार है और वह यह है कि विवेक के प्रयोग के दायरे को बढ़ाया जाए तथा सावंजनिक सेत्र में विवेक का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। हमारा मादर्य यह होना चाहिए कि मतदान का कार्य न्यायालय के पदों के द्वारा नि स्वार्थ और तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण की भाँति हो। गिरजा प्रसार द्वारा यह सम्भव है कि नामिकता के कर्तव्यों के प्रति राजनीतिक दलों को बागडोर व्यक्तियों के हाथों में रहे। वैलास की मान्यता है कि हमें मनोवैज्ञानिक राजनीति में परिवर्तन करना चाहिए, मानव-प्रकृति की जटिलता को समझना चाहिए और समस्त मनुष्य को एक समान समझने के बात भूल जाना चाहिए। हमें व्यक्ति और वर्ग-भेदों को ध्यान में रखना चाहिए। तत्त्वों के मात्रात्मक वर्गीकरण (Quantitative Classification) द्वारा ही हम किसी निश्चित परिणाम पर पहुँच सकते हैं। हमारी विवेक-बुद्धि का माधार सांख्यिकी तथा प्रामाणिक तथ्य होने चाहिए।

#### शासन यन्त्र और सरकारी अधिकारियों के बारे में वैलास के विचार (Wallas on Governmental Machinery and Public Officials)

वैलास के भतानुसार शासन यन्त्र और शासन के कर्तव्यों में बड़ा अन्तर है। मानव बुद्धि सहकारी विचारधारा की प्रगति को माध्यनिक सामाजिक जीवन की जटिलताओं के प्रनुसार ढालने में असमर्थ रही है। विचार-संगठन (Thought Organisation) के बहुमान रूप एक अधिक सरल समाज के घटकेष्य है। हमारी समितियाँ, नगरपालिकाएँ सहस्र भादि संस्थाएँ सामूहिक विचार-विमर्श के उद्देश्य के प्रति सही आचरण नहीं करती। वे मितजुल कर विचार करने के उद्देश्य में प्रसफल रही हैं। यदि विचार विमर्श होते भी हैं तो दलीय नेतायों के छोटे-छोटे बैठों, व्यक्तिगत सदस्यों और पदाधिकारियों की मेटों में हाते हैं प्रथमा पत्र-व्यवहार द्वारा होते हैं। वैलास की मान्यता है कि प्रभावशाली विचार-विमर्श अभी तक केवल केबिनेट के अन्तर्गत ही सम्भव हो सका है। ऐसा इसलिए है कि केबिनेट में चुने हुए व्यक्ति होते हैं और दलीय अनुज्ञासन अपदा दृढ़ता (Solidity) उसकी एक विशेषता होती है। उपर्युक्त संस्थायों में प्रभावशाली सम्पर्क के सम्बन्ध में कोई सुधार करते समय विधानसभा को जटिलताओं, निष्पक्ष विचार विमर्श की आवश्यकताओं तथा व्यक्तिगत और वर्गीय मनोवैज्ञानिक भेदों को ध्यान में रखना चाहिए। समाज के प्राज के जटिल ढाँचे में सामूहिक विचार की प्रावश्यकता है। नगरपालिका या केन्द्रीय समद में यदि सही तरीके से काम होना है तो समूह विचार विमर्श पर बन देना पड़ा। वैलास यह मांग करता है कि सहस्र के प्रयम सदन (House of Commons) की सदस्य सभ्या कम कर दी जानी चाहिए। उसे धरपारी समितियों (Committees) का अधिक उपयोग करना चाहिए और सम्पूर्ण सदन की समिति (The Committees of the Whole House) का अन्त कर देना चाहिए। यह

सर्वथा उपमुक्त है कि मन्त्रिमण्डल समितियों की राय से ही कार्य करे और स्थानीय समितियों एवं सत्या के प्राकार को छोटा कर दिया जाए। वैलास के मनुसार लॉड सभा (The House of Lords) को, जिसका कार्य केवल पुनरावृत्ति (Revisory) है, एक शाही प्रायोग (Royal Commission) का उत्तरदायित्व सम्भाल लेना चाहिए।

वैलास के मनुसार प्रशासनिक सेवा में इम दृष्टि से परिवर्तन अपेक्षित है कि प्रशासनिक पदाधिकारी रचनात्मक विवारधारा एवं कार्यों की ओर उन्मुख हो। उन्हे प्रपने पदों की सकीएंता में लिप्त रहने से बचना चाहिए और प्रपने किसीद्वे में मौलिकता लानी चाहिए। वर्तमान बातावरण पदाधिकारियों में मौलिकता की उपलब्धि में बाधक है और इसमें सकीएंता की भावना प्रधान है। यही कारण है कि सामान्य बातों के प्रबन्ध में तो प्रबन्ध दक्षता दिखाई पड़ जाती है, लेकिन शासन के मौलिक सिद्धान्तों के आधिकार में शून्यता ही परिलक्षित होती है। प्रशासन नवीन सिद्धान्तों के आधिकार से बचित रहता है।

अन्त में, वैलास का यह विचार भी उल्लेखनीय है जिसमें वह राज्य को इच्छा को सुगठित करने की विधि बतलाता है। उसके मनुसार राज्य की इच्छा का निर्माण व्यक्तिवादी, समाजवादी और श्रम सघवादी सिद्धान्तों के सश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। केवल एक दो सिद्धान्तों की स्वीकृति से ही काम पूरा नहीं होगा, उपर्युक्त लोगों के कल्याण को ध्यान में रख कर ही कार्य करना होगा। वैलास का मत यह कि लॉड सभा में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

### वैलास की आलोचना और उसका मूल्यांकन (Criticism and Estimate of Wallas)

वैलास राजनीतिक जीवन का अत्यधिक अबुद्धिकरण कर देता है। समाज के निर्माण चेनन अथवा अचेतन रूप में मानव-बुद्धि प्रबन्ध योग देती है। अचेतन रूप से कार्य करने का यह अर्थ मान लेना एक भूल है कि बुद्धि कोई कार्य ही नहीं करती। मानव का प्रस्तित्व मनुभूति के निरर्थक प्रभावों पर ही प्राधारित नहीं है और न ही जीवन केवल प्रावेषों का पुङ्ज है। हर मनुभूति प्रथंपूर्ण होती है। मनुष्य का सुसार ग्रस्तप्त उद्देश्यों की माला नहीं है बल्कि स्पष्ट उद्देश्यों की तुलना है। विवेक अथवा बुद्धि द्वारा ही वह प्रत्यक्ष में मौलिक तत्त्वों का चयन करता है और उन्हें पहचानता है। विवेक के प्रभाव में व्यवस्थित सामाजिक जीवन की कल्पना करना ही कठिन है। यद्यपि व्यक्ति मिथ्या प्रचार से पथ-भ्रष्ट हो सकता है, तथापि उस समय भी उसमें यह धारणा मोजूद रहती है कि वह ठीक कार्य कर रहा है।

अन्य मनोवैज्ञानिक विचारों की भौति वैलास भी निम्नतर से उच्चतर की तरफ ऐतिहासिक कान सम्म जीवन की विवेचना करता है। वह मनुष्य और सृष्टि के अन्य प्राणियों में कोइ पन्तर नहीं देखता। वह यह मानता है कि मनुष्य और पनु एक ही श्रेणी के जीवनारी हैं। इस तरह वैलास भी वही गतनी करता है जो

उसके पूर्वती मनोवैज्ञानिक दार्शनिकों ने की थी। आलोचकों की दृष्टि में बैलास की शैली भी त्रुटिपूर्ण है। बैलास का विश्वास है कि प्रत्येक समस्या में कुछ बुराई और कुछ अच्छाई होती है, किन्तु इस प्रकार की विचारधारा को अधिक लोग स्वीकार नहीं करते। बैलास का कहना है कि "हतोत्साहित मनोवृत्ति से भस्त्रकृत मनोवृत्ति के तनाव की उत्पत्ति होती है।" यह धारणा गलत विचार पर भाषारित है। यदि मनुष्य ने चिरकाल से कुछ इच्छाओं को उत्तराधिकार में प्राप्त किया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह इन इच्छाओं की पूर्ति बत्तमान समाज में ही करे। कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ वित्तवृत्तियों का दमन किया जाए। "यदि हमे आधुनिक जटिल समाज में जीना है तो हमे अपनी इच्छाओं का परित्याग करना होगा। हमारी आदिमानवीय इच्छाओं की पूर्ति को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता। इन इच्छाओं की हमे शिष्ट रूप से पूर्ति करनी होगी। श्रेष्ठ वृत्तियों के लिए नीच वृत्तियों का बलिदान करना होगा।"

अनेक त्रुटियों के होते हुए भी बैलास के दर्शन का काफी महत्व है। उसने राजनीतिक दर्शन को एक नया मोड़ देकर प्रगतिशील बनाया है। रोक्को (Rockow) के अनुसार, "ग्राहम बैलास ने मानव-प्रकृति और मानव-कार्य में उपचेतना का महत्व प्रदर्शित कर राजनीति-विज्ञान की बहुत सेवा की है। बैलास का महत्व इस बात में भी है कि वह अपने समकालीन मनोवैज्ञानिक ज्ञान को प्रजातन्त्र-प्रणाली पर प्रयोग करने के क्षेत्र में अप्रणीती था। बैलास ने राजनीति के अध्ययन में अनुमानात्मक शैली का प्रजातन्त्र में विशाल सामाजिक प्रनुभव और विशुद्ध मनोविज्ञान का समावेश बेन्यम के अनुयायियों से कहीं अधिक किया। बास्तविक परिणामों पर अपने वैज्ञानिक विश्लेषण को क्रियान्वित करने में उसने यह ज्ञात किया कि बास्तविक राजनीति और शिक्षणात्मकों में पदार्थ जाने वाली राजनीति में बहुत अन्तर है और हमारे राजनीतिज्ञ बेन्यमवादी नहीं हैं क्योंकि हमारे भूतकालीन दार्शनिकों की प्रयोग के मानव प्रकृति के अधिक श्रेष्ठ अध्येता हैं। बैलास ने सिद्धान्त और तथ्य के भेद पर पर्याप्त बतल दिया है और यह चाहा है कि अन्य लोग भी इस भेद को ध्यान में रखें। बैलास की तीनों पुस्तकों ने राजनीति-साहित्य में उसके नाम को अमर बना दिया है। उसकी मनोवैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि एक ऐसे आकर्षक क्षेत्र को अनावरित करती है जिसमें निश्चित रूप से नवीन स्रोतें होगी। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उसने मात्रात्मक दृष्टिकोण (Quaantitative Approach) से भविष्य में अवश्य ही उत्तम परिणाम निकलेंगे।"

इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजदर्शन के क्षेत्र में बैलास का स्थान अनुपेक्षणीय है। राजनीति के बहुत कम ऐसे प्रन्य होंगे जिनमें बैलास की चर्चा न की गई हो। उसकी प्रतिपादित साँस्कृतिकी-प्रणाली का भाजकल सारे सकार में प्रयोग किया जा रहा है।

# हेरॉल्ड लॉस्की

(Harold Laski)

पूँजीवाद और साम्यवाद की सभीणता से बाहर निकल कर तोकतान्त्रिक समाजवाद की उद्धार कल्पना करने वाले और यूरोप के समाजवादियों में प्रमुख (Doyen among Socialists) प्राध्यापक लॉस्की का जन्म मैनचेस्टर के सम्पन्न यहूदी परिवार में 30 जून, 1893 को हुआ था। लॉस्की के पिता प्रपने पुत्र को मादर्झ बनाना चाहते थे, लेकिन स्वभाव से ही विद्वानी पुत्र ने प्राचीन यहूदी कर्म-काण्डों की प्रयेक्षा आधुनिक विज्ञान, इतिहास और राजनीति में भविक फैल ली। उसने सन् 1911 में प्रपनी उम्र से 8 वर्ष बढ़ी एक ईसाई लड़के फ्रीडा केरी (Frida Kerr) से गुप्त रूप से विवाह कर सामाजिक कटृता का परित्याग किया। इस विवाह की भूचना से लॉस्की के पिता ने शोचित होकर हेरॉल्ड पर कठोर प्रार्थिक नियन्त्रण लगा दिए। उसे प्रांकिशफोर्ड में शिक्षा-समाप्ति तक 200 पौंड राजि इस शतं 92 दी जानी रय हुई कि हेरॉल्ड प्रपने विवाह के समाचारों को गुप्त रखेगा। यह पारिवारिक तनाव तब तक चलता रहा जब तक कि सन् 1920 में फ्रीडा ने लॉस्की के न चाहते हुए भी यहूदी धर्म स्वीकार कर प्रपने सास-इवसुर को सन्तुष्ट न कर दिया।

सन् 1914 में लॉस्की ने प्रॉफेसरशीड से इतिहास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण प्राप्त की। तत्प्रचार उसकी कनादा के मैकिनिल विश्वविद्यालय में इतिहास के व्याख्याता पद पर नियुक्त हुई। इस वर्ष बाद ही वह प्रमेरिका के हावड़े विश्वविद्यालय में प्रध्यापन कार्य करने लगा। सन् 1920 में वह इर्लंड वापर लौटा और लन्दन स्कूल पांक इकोनॉमिक्स के व्याख्याता तथा ग्राहम बेलास के बाद राजनीतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त हुआ। सन् 1950 में प्रपनी मृत्यु-प्रयन्त्र वह लन्दन विश्वविद्यालय की ही सेवा में उल्लङ्घन रहा।

एक गिरजक के रूप में लॉस्की ने सर्वं गहरी द्याप ढाली और द्याओं वा द्योष ऐम अर्जित किया। एक प्रभावनाली व्याख्याता तथा प्रस्त्रात राजनीतिक विचारक के रूप में भी उसने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। वह विट्जे सेबर पार्टी की कार्यकारिणी समिति का बांधौं तक सदस्य रहा। सन् 1945 में जब लेबर पार्टी सत्ताशुद्ध हुई तो वह इसका अध्यक्ष था। उस समय विदेशों में वही भावनि थी कि

धर्मिक दल का वास्तविक नेता लॉस्की ही है, जिसकि वह अपने गम्भीर ज्ञान और दौदिक प्रतिभा के कारण धर्मिक नेतायो—एटली, मारीसन, बेविन धादि का पय-प्रदर्शन किया करता था। राजनीतिक मामलों में परामर्शदाता के रूप में उसका बहुत ही सम्मान था। महत्वपूर्ण सामरिक विषयों पर वह राष्ट्रपति रूज़वेल्ट, प नेहरू और सर विस्टन चर्चिल जैसे विश्वविद्यात् राजनीतिज्ञों को परामर्श देता था।

लॉस्की प्रारम्भ से ही एक विद्रोही मुख्य था जिसमें विचार-स्वातन्त्र्य की भावना कूट-कूट कर भरी थी। वास्तव में बाल्यावस्था से मृत्यु-पर्यावरण उसका जीवन सघर्ष तथा सक्रियता से पूर्ण रहा। प्रॉक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्ति के समय के बिभिन्न भाजनीतिक आनंदोलनों ने उसकी विद्रोही प्रवृत्तियों को सबल प्रदान किया। नारी मताधिकार आनंदोलन, धर्मिक सधों के बढ़ते हुए क्रान्तिकारी, श्रेणी-समाजवाद के प्रभाव धादि ने उसके फेब्रियनवाद के परित्याग का मार्ग प्रशस्त कर दिया। लॉस्की बामपक्षी समाजवाद की ओर उन्मुख हुआ। इग्लैंड में व्याप्त वर्ग भेद की तीव्रता ने उसके क्रान्तिकारी विचारों को आगे बढ़ाया। अमेरिका के हावड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाते समय सन् 1919 में बोस्टन पुलिस की हड्डताल के प्रति सरकार, पूँजीपतियों और विश्वविद्यालय ने जो अनुचित रूप से माक्रामक नीति अपनाई, उसका लॉस्की ने विरोध किया। उसे अनुभव हो गया कि अमेरिकी विद्यालय-प्रणाली पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। बाद में लन्दन के मनुभवों ने लॉस्की में उगते हुए समाजवादी पौष्टि को सीधा। भयानक धार्यिक मन्दी, अमेरिकी न्यू डील, फासीवाद के उदय, हिटलर के प्रादुर्भाव धादि से लॉस्की को यह विश्वास हो गया कि प्रजातन्त्र की सफलता के लिए समानता प्रनिवार्य है और सच्ची समानता तब तक नहीं आ सकती जब तक उत्पादन के साधनों का समाजीकरण न हो जाए। सामाजिक व्यवस्था के अन्याय के विरुद्ध उसकी प्रतिक्रिया ने उसे माक्सवादी बना दिया यद्यपि वह मार्क्स की तरह हिस्त क्रान्ति का समर्थक नहीं था बल्कि 'सहमति क साथ क्रान्ति' का अनुमोदक था। उसका विश्वास था कि इग्लैंड ने धर्मिक सरकार बिना गृह-गुद के ही क्रान्ति ला सकती थी। मार्क्सवाद की वैज्ञानिक पद्धति में विश्वास रखते हुए और पूर्ण समाजवादी होते हुए भी ब्रिटेन की उदारपर्याप्त परम्परा ने उसे कटूर बनाने के बजाय मार्क्सवादी बनाया। लॉस्की ने अधिनायकवादी अध्यवा सवसत्तावादी दूष्टिकोण का तथा हिसावादी साम्यवादी मार्ग का सदा विरोध किया। मार्क्सवादी होने पर भी उस पर व्यक्तिवाद की छाप थी। क्रान्ति का समर्थक होते हुए भी वह क्रान्तिकारी नहीं था प्रत्युत् वैधानिक तथा संसदात्मक जनतन्त्र में विश्वास - करता था यद्यपि समाजवादी सरकार से वह यह प्राशा करता था कि पुरानी रुद्धियों को तोड़ कर वह नया मार्ग खोजे। ब्रिटेन की परम्परा के अनुकूल लॉस्की ने जीवन भर प्रगतिशील विचारों का अन्वेषण किया और यह सिद्ध कर दिया कि वैधानिक व न्यायपूर्ण मार्ग का अनुसरण करने पर ही वर्ग विहीन, शोषण-विहीन, विकेन्द्रित तथा स्वातन्त्र्ययुक्त सच्चा समाजवाद स्थापित किया जा सकता है। जॉर्ज कंटलिन के शब्दों में उसे 'मध्यमवर्गीय शिक्षिनों के बीच मार्क्सवाद का दलाल' (A broker of

Marxism to the Middle Class Intelligentsia} कहा जाता था। वह सच्चे लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए राज्य की शक्ति पर अमिक-वर्ग के अधिकार को आवश्यक मानता था। लॉस्की पर भर्ते-भर्ते साम्यवादी भातक का भय इतना व्याप्त हो गया कि जहाँ सन् 1937 में वह साम्यवादियों को अमिक दन में सामिल करने का समर्थक था वहाँ सन् 1946 में उसने साम्यवादियों का कड़ा दिरोध किया और उन्हें अमिक दल में प्रवेश नहीं करने दिया।

वैब द्वारा सम्पादित 'लन्दन स्कूल ग्रोफ इकोनामिस्ट' में राजनीति शास्त्र के अध्यक्ष पद पर लगभग 30 वर्ष तक काम करने के पश्चात् 56 वर्ष की प्रस्तावु में सन् 1950 में लॉस्की की मृत्यु हो गई। लॉस्की द्वै प्रपते ऊपर इतना कार्यभार ले रखा था कि उससे कोई भी मनुष्य यक कर चूर हो सकता था। लॉस्की ने प्रपते प्रकाशण वौदित्य और गम्भीर विचारों से सुसार भर में सम्मान प्राप्त किया। उसके अनेकों ध्यान भाज बोटिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में विद्यात हैं।

### रचना एवं प्रभाव-स्रोत

लॉस्की एक महान् लेखक था। उसने अनेकों लेख लिखे जिनसे अनेक ग्रन्थ तैयार किए जा सकते हैं। उसके निम्नलिखित ग्रन्थ विशेष लोकप्रिय हैं—

- (1) A Grammar of Politics (1925)
- (2) Studies in the Problem of Sovereignty (1917)
- (3) Authority in the Modern State (1918)
- (4) Karl Marx (1921).
- (5) Socialism and Freedom
- (6) Communism (1927)
- (7) Liberty in the Modern State (1930)
- (8) The Dangers of Obedience (1930)
- (9) Where Socialism Stands Today ? (1933)
- (10) Recovery Through Revolution (1933)
- (11) Democracy in Crisis (1933)
- (12) Parliamentary Government in England (1938)
- (13) The State in Theory and Practice (1934)
- (14) The Rise of European Liberalism (1936)
- (15) An Introduction to Politics
- (16) Studies in Law and Politics
- (17) The Socialist Tradition in French Revolution
- (18) Political Thought in England from Locke to Bentham
- (19) The Foundations of Sovereignty
- (20) The American Presidency
- (21) The American Democracy.
- (22) What I Believe ? (1940)
- (23) The Dilemma of Our Times

तर्वरयन सन् 1917 से 1921 तक 'Authority in the Modern State', 'Foundations of Sovereignty' और 'Studies in the Problem of Sovereignty' नामक प्रन्थों में लॉस्की ने बहुलवाद (Pluralism) के समर्थन में तथा राज्य की सम्प्रभुता के सम्बन्ध में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। अद्वैतवादी या एकलवादी (Monistic) सम्प्रभुता का खण्डन करते हुए उसने राज्य को मानव समुदायों में से एक माना जो सामाजिक उद्देश्यों में उतना ही स्थान रखता है जितना चर्च या श्रमिक-संघ या मुक्त-संघ (Free Mason's Lodge)। राज्य, और समाज का विभेद भी स्पष्ट किया गया। व्यक्तिवाद की भलक भी इन शब्दों में दिखाई दी कि "कानूनी सिद्धान्तों का तकाजा कुछ भी क्यों न हो, बास्तव में राज्य के सामने अपने समूलं व्यक्तित्व का समर्पण कोई नहीं करता। राज्य व्यक्ति के लिए उसी हृद तक सम्प्रभु है जहाँ तक उसकी अन्तरात्मा विद्राह नहीं करती।" यह कहना उपयुक्त होगा कि उपर्युक्त तीन प्रारम्भिक प्रन्थों में लॉस्की ने यह साधारणिता रखी जिस पर उसने राज्य के उस दर्जन के भवन का निर्माण किया जो उसकी 'Grammar of Politics' तथा 'The State in Theory and Practice' में पाया जाता है। लॉस्की के विचारों का स्पष्टीकरण विशद रूप में 'Grammar of Politics' में ही हुआ। इस प्रन्थ में राज्य की विवादात्मक समस्या पर तकंपूर्ण विचार उपलब्ध होते हैं। इस प्रन्थ में सामाजिक सम्बन्ध, सम्प्रभुता, अधिकार, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सम्बन्ध, सधारात्मक जन्मिति, राष्ट्रीयता, प्रार्थिक सवास, न्याय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध प्रादि पर प्रचलित विचारों का तीव्र खण्डन किया गया है। इसमें कोई सशय नहीं कि नवीन बौद्धिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली विषय 40 वर्षों में प्रकाशित नम्भवत किसी भी अन्य पुस्तक से स्पष्टता, व्याख्या और उपादेयता में यह कम नहीं है। इसका स्थान विश्व की प्रमुखतम सम्माननीय पुस्तकों में है। अपनी इस महान् पुस्तक को लॉस्की ने सुपरिचित बैंब दम्पत्ति (Sidney and Beatrice Webb) नया उनके द्वारा सम्पादित लन्दन की अध्यासास्त्र व राजनीति शास्त्र की सर्वोच्च मस्या को समर्पित किया। अपने विचारों में परिमाजन-परिवर्तन करने के बाद लॉस्की ने यथार्थवाद के गुण ग्रहण करते हुए राज्य को व्यक्ति का हितचिन्तक बताया है और उसके विधायक पक्ष पर प्रकाश ढाला है। प्रारम्भ में ही उसने यह स्वीकार दिया है कि "राज्य के सम्बन्ध में चिन्तन करने समय मनुष्य अपने देश-काल और अनुभव की परिधि का ध्यान रखता है।" रूसो, हीगल, ग्रीन प्रादि सभी न अपनी समझानीय मानसिक पृष्ठभूमि तथा परिस्थिति (Mental Climate) को सर्वान्य सावधनित सत्य के रूप में उपस्थित करने वा प्रयास किया था। लॉस्की ने यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य अपनी विचारधारा के ग्रोवित्य और उसकी थेट्जना निष्ठ करने के लिए भीपण सधर्य करता है। बास्तव में दुनिया को नया राजदण्ड (A new political philosophy to a new world) देने का प्रयत्न लॉस्की ने अपने इस एडिट्रीय प्रन्थ में किया।

सन् 1927 में लॉस्की ने जो 'Communism' प्रन्थ लिखा, वह सम्भवत

ग्रान्डोलन ने लॉस्की के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित किया। उसका मुकाबला थेरेणी-समाजवाद से मार्क्सवाद और जनतान्त्रिक समाजवाद की ओर होता था। उसके दर्शन में विज्ञियम जेम्स के परिणामवाद (Pragmatism) का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। लॉस्की ने पूँजीवाद, फारिस्टवाद तथा उपनिवेशवाद की हड्डी आलोचना की और भारतीय स्वतंत्रता ग्रान्डोलन का समर्थन कर भारत में लोकप्रियता प्राप्त की। लॉस्की ग्रन्तराष्ट्रीय एकता का प्रबल समर्थक था और इसीलिए उसने हमेसा विश्व-बन्धुत्व का समर्थन किया। यद्यपि उसके विचारों में विरोधाभास और अस्थायी एवं क्षणिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, तथापि ये उसकी सदाशयता और सद्भावना से प्रेरित बोटिक-मानसिक बातावरण की कमज़ोरी के परिणाम हैं।

### लॉस्की के राजनीतिक विचार (The Political Philosophy of Laski)

लॉस्की के राजनीतिक विचार राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में सदानितक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं और समकालीन विचारों पर उनका व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। सर्वाधिक उत्तेजनीय बात यह है कि ये विचार सर्वद प्राणवान रहे और यूरोप, अमेरिका तथा अन्य देशों में परिस्थितियों के अनुस्य जो भी परिवर्तन हुए उनके ग्रनुसार ये भी ग्रावश्यकतानुसार परिवर्तित होते गए। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक लॉस्की का चिन्तन विशेषणात्मक और रचनात्मक था, किन्तु तत्पश्चात् उसकी रचनाओं में प्रचारदांद प्रधान हो गया और उनमें युद्ध से उत्पन्न समस्याओं पर एक क्रमहीन ढंग से विचार किया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद लॉस्की के पास इदना न समय था और न शक्ति ही कि वह घण्टी भौतिक घारणाओं पर पुनर्विचार कर सकता। डॉ. हैर्बर्ट डीन का मत है कि “उसकी युद्धोत्तरकालीन समस्याओं की विवेचना का तत्कालीन तथ्यों से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था। उसकी रचनाएँ मूलतः परस्पर विरोधी घारणाओं से युक्त और समय से बहुत पीछे दिखाई देती हैं।”

### राज्य की प्रकृति और सम्प्रभुता सम्बन्धी विचार

#### (Laski on the Nature of the State and Sovereignty)

लॉस्कीने राज्य के मुकाबले सामाजिक सत्ता को सर्वोच्च माना है और इस घारणा को अस्वीकार किया है कि राज्य और समाज एक हैं, इनमें विभेदात्मक रेखा नहीं हीची जा सकती। विभिन्न भानव समस्याओं या समुदायों (Human Assemblies)<sup>1</sup> की सत्ता भानवों हुए उसने राज्य को नहीं उन्हें नहीं सम्पादिता है। उसका विचार है कि समाज में समुदायों की स्थिति स्वाभाविक है और जीवन, दार्शन तथा ज्ञान-व्यवस्था पर उनका पूरा प्रभाव होता है। समुदायों का प्रभावशाली प्रस्तित्व इसी से सिद्ध होता है कि उस पर ग्राधात करके हिटलर और मुसोलिनी ने मर्क्झापी निगमात्मक राज्य (Corporate State) स्थापित किए, किन्तु उनका अधिनित्व अधिक समय तक नहीं रह पाया। राजनीतिक दल, स्वयंसेवी सम्पादित

शिक्षण-प्रणाली, मन्दूर मान्दोलन, धर्मिक जागृति, नवीन विचारधाराओं के प्रचार प्रसार आदि द्वारा समाज में निरन्तर सुधार या परिवर्तन होते रहते हैं। माज के बहुमुखी, विशाल, जटिल एवं अनेकतापूर्ण समाज में सबसो का सर्वाधिक महसूस है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 20वीं शताब्दी में श्रमिकों के मन्तराष्ट्रीय भयठनों ने नह काम किया है जो राज्य करना नहीं चाहता या अथवा करनही सकता या। भारत में विदेशी शासन का भ्रष्ट करने में राष्ट्रीय कायेट और उसकी विभिन्न शास्त्राओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिथ्र के शासन-परिवर्तन, फारस के तेल सम्बन्धी विवाद, पर्जेन्टाइना में पेह के शासन की समाप्ति, हस में श्रमिक जनतन, प्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में नवीन प्रयोग, प्रमेरिका में उच्च जीवन-स्तर, भूमि सुधार ने भूदान मान्दोलन का प्रभाव आदि सशक्त उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि राज्य और शासन के बाहर भी कुछ ऐसी प्रभावशाली शक्तियाँ होती हैं जिनकी उपका भारी विनाश का कारण बन सकती है। ये शक्तियाँ राज्य को एक बटी सीमा तक प्रभावित करती हैं और इनकी पूरी उपेक्षा करना किसी भी राज्य के लिए सम्भव नहो है। तब यह स्वाभाविक परिणाम निकलता है कि राज्य एक सामाजिक समाज से ग्राहिक उपयोगी और ज़कियाली नहीं है। प्रत्येक सामाजिक समाज अपने अपने ढंग से उपयोगी और प्राप्त है।<sup>1</sup> लेकिन राज्य पर एक ऐतिहासिक दायित्व है और इस दायित्व के कारण वह 'बराबरी वालों में प्रमुख' (Primus inter pares-equal among equals) बना हुआ है। राज्य का यह दायित्व सन्तुलन तथा सामन्दर्श्य स्थापित करने का (Co-ordinating Power of the State) है। लॉन्की के कथनानुसार राज्य समाज को भहत्वपूर्ण स्थिति है न कि सामाजिक ढांचे का सर्वोच्च शिक्षक। अन्य सामाजिक उपयोगी सत्याग्रो की तरह वह भी एक सम्भ्या है। समाज बोस्टव में सघात्मक (Federal) है और बहुलवादी (Pluralist) भी। कानून निर्माण में भी समुदाय तथा सत्याग्रो के हित को ध्यान ने रखना पड़ता है। दमनकारी अथवा हानिकारक कानून सुशोधित-या निरस्त करने होते हैं। राज्य को उच्च स्थान देने का अभिप्राय यह नहीं माना जा सकता कि वह अधिक ज़कियाली या भनन्त है।

अपने शब्द 'Grammar of Politics' तथा 'The State in Theory and Practice' में लॉस्की ने निरकुश शासन के स्थान पर बहुलवादी सिद्धान्त का समर्थन किया है। उसने बोदी, हॉम्स, प्रॉस्टिन आदि विद्वानों के राज्य के एकलवादी सिद्धान्त (Monistic Theory) पर प्रहार करते हुए इस विचार को अस्वीकार किया है कि राज्य सभी ज़कियों का स्रोत है, वह कानून और नीतिकता से परे है। लाक्षी के राज्य की सम्प्रमुता की ध्याना पर अपने प्राकृमण्य को कन्द्रित करते हुए प्रॉस्टिन (Austin) की सम्प्रमुता की ध्याना के तीन घर्यं दर्शाए हैं। प्रथम राज्य एक वंच व्यवस्था (Legal Order) है जिसमें एक निपित्त सत्ता का वास होता है और जो ज़क्ति के अन्तिम स्रोत के रूप में कार्य करती है। द्वितीय, इसकी शक्ति को सीमा

1. Laski : Grammar of Politics, p. 105.

नहीं होती। यह बुद्धिहीन या दोषपूर्ण तरीके से कार्य कर सकती है, किन्तु वैष्णविकास दृष्टिकोण से उस कार्य का स्वभाव अकिञ्चित नहीं किया जा सकता। यदि राज्य-सम्प्रभुता है, तो उसका पालन करना प्रतिवाय है। तृतीय, आदेश ही विधि का सार है। इसका अर्थ है 'आपको ऐसा करना चाहिए', या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा न मानने पर दण्ड दिया जाएगा।

सम्प्रभुता के सिद्धान्त पर प्रपने बहुपक्षीय आकर्षण का समारम्भ करते हुए सर्वप्रथम लॉस्टी राज्य सम्प्रभुता के प्रसीमित स्वभाव की निष्ठा करते हुए कहता है कि—

"किसी भी स्थान पर किसी राज्य-सम्प्रभु ने ऐसी प्रपरिमित शक्ति धारणा नहीं की और ऐसा प्रयोग करने के प्रयोजन के फलस्वरूप सर्वदा सुखाम्रो की स्थापना हुई। तुर्मुँ का मुल्तान तक प्रपनी सत्ता के युवाकाल में स्वयं ऐसे परम्परागत व्यवहार के नियमों से वाचित या जिनका पालन उसके लिए व्यावहारिक रूप से प्रतिवाय है। कानून के खेत में सामाजिक तथ्य का ऐसा कोई तत्व नहीं या जिसे वह सशोधित न कर सकता हो, किन्तु व्यवहार में वह इसलिए जीवित रहा क्योंकि उसने उन सशोधनों को लागू करने की इच्छा नहीं की जिनसे वह प्रॉस्टिन के विधिप्रास्त्र के प्रनुमार सम्प्रभु सिद्ध हो जाता।"

लॉस्टी का विचार है कि राज्य और नागरिकों के सम्बन्धों में ऐसी कोई बात नहीं होती जो प्रॉस्टिन के सिद्धान्त को सिद्ध करती हो या उसके समान भी हो। कोई भी राज्य प्रपने नागरिकों पर प्रसीमित एवं निरकुश शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनमें यह प्रमाणित होता है कि राज्य को प्रपने भ्रान्तिरिक भूमोहर्णों के सकल्पदद्ध प्रतिरोध के सामने भुकना पड़ा है। द्वितीय सप्तद, जिसकी शक्तियों पर कानून की कोई सीमाएँ नहीं हैं, वेल्म सनिहो के विरोध के कारण 'मूर्खियन एक्ट' की हृड़नाल विरोधी बारा को लागू नहीं कर सकी। इसी प्रकार प्रमेरिकी का प्रेत को प्रपनी इच्छा के विरुद्ध भी रेहदे कर्मचारिया के दबाव के बारण एक कानून बनाना पड़ा। लॉस्टी ने प्रमेरिका में प्रपरिमित सत्ताधारी की स्थिति को घट्टीकार करने हुए लिखा है वहाँ न तो कोप्रेस वा और न प्रेसीडेंट को ही प्रपरिमित शक्तियाँ प्राप्त हैं, अतः भैंडान्टिक रूप में, वही (सयुक्तराज्य प्रमेरिका में) कोई सम्प्रभु नहीं है क्योंकि सबोच्च न्यायालय के न्यायाधीश—यद्यपि सौविधानिक सशोधन से उनकी शक्ति कम की जा सकती है—विधियों का पुनरावलोकन कर सकते हैं। सम्प्रभुता को खोज व्यावहारिक दृष्टि से समात्मक राज्य में ही नहीं अपितु भव्यता भी कठिन है। चूंकि प्रॉस्टिन के प्रनुसार सम्प्रभुता निश्चित होनी चाहिए, अतः लॉस्टी का कहना है कि निर्बाचक-प्रणित में सम्प्रभुता का बास नहीं हो सकता क्योंकि वह एक निश्चित समूह नहीं है। इस स्थिति में लॉस्टी यह मत प्रस्तुत करता है कि हेनरी मैन (Henry Main) का यह विचार उचित है कि "ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रॉस्टिन का सिद्धान्त भूर्जता की सीमा तक काल्पनिक है।" लॉस्टी के प्रनुसार राज्य को प्रपरिमित शक्ति से विभूषित करने का परिणाम यह है कि हमें "भ्रान्तिनिहित रूप से उस निश्चित भवावह

हीगलबाद को स्वीकार करना पड़ता है जिसने निस्सकोच हमारे सामने एक ऐसे महान् सम्मूर्ण को प्रस्तुत कर दिया है जो स्वयं हमसे अधिक है।<sup>1</sup>

सम्बन्धित-सम्बन्ध राज्य के सिद्धान्त को लॉस्की नेतृत्व से भी प्रमाण ठहराता है। उसका कहना है कि किसी व्यक्तिसे, उसे किसी बात का नेतृत्व औचित्य समझाए विना ही आख मीचकर आज्ञापालन की मीठ करना नेतृत्व रूप से गत है। वह उसके नेतृत्व व्यक्तित्व के विकास को कुण्ठित कर देता है। यहाँ लॉस्की व्यक्तिगत प्रन्तरात्मा तथा विविध सामुदायिक भक्तियों के दावों पर जोर देता है। राज्य को व्यक्ति की भक्ति प्राप्त करने का केवल वहाँ तक अधिकार है जहाँ तक उसकी प्रन्तरात्मा सहृदय है, “मुझ पर सत्ता का दावा उसकी नेतृत्व अपील की मात्रा के प्रनुपात में ही उचित है।” आशंकादी की भाँति यह कहना कि राज्य की आज्ञा का पालन करना इसलिए उचित है कि उसका लक्ष्य वह सामान्य हित है जिसमें हमारा स्वयं का हित भी सम्मिलित है, पर्याप्त नहीं है। कौई भी सरकार ऐसी नहीं होती जो यह दावा न करती हो कि उसका उद्देश्य लोक कल्याण की स्थिति उत्पन्न करना है। भारत में विदेश शासन भारत की जनता को सभ्य बनाने का उद्देश्य घोषित करता था, तो साम्यवादी श्रमिकों के नाम पर शासन करने का दावा करने हैं। हिटलर और मुसोलिनी भी इसी प्रकार के दावे किया करते थे। किन्तु वास्तविक प्रवृत्ति यह है कि जिव व्यक्तियों को राज्य की आज्ञा का पालन करना है, वहाँ वे भी ऐसा ही सोचते हैं? वास्तव में व्यक्ति से सरकार की आज्ञा पालन की प्रयोग्यता को जानी चाहिए जब वह यह प्रनुभव करे कि सरकार सामान्य हितों का पोषण कर रही है। इसका स्वाभाविक अभिप्राय यह है कि व्यक्ति पहले सरकार के कार्यों के औचित्य का निराय कर ले। व्यक्ति की भक्ति राज्य सम्मान के प्रति न होकर उसके उद्देश्यों के प्रति होती है। लास्की की भक्ति कवल एक ऐसे राज्य के प्रति ही थी जिसमें वह प्रपत्ना नेतृत्व व्येष्य खाज पाए। व्यक्ति वही तक राज्य भक्ति प्रदानित कर सकता है जहाँ तक उसकी नेतृत्व उन्नति होती हो। प्रत्यक्ष व्यक्ति को प्रखण्ड सामाजिक निषिद्धि में प्रपत्ना योगदान देकर उस समृद्ध बनाना चाहिए और इसके लिए राज्य का प्रपत्ने प्रतिनिवित, प्रदेश, भविभाज्य अधिकार का दिवा स्वप्न दूर करना होगा।<sup>2</sup>

इस प्रकार हम देखते हैं कि नेतृत्व और व्यावहारिक दृष्टि से लास्की एकलवादी या भद्रत्वादी (Monist) सम्बन्धित का कटूर विराखी है और उसका स्वप्न धारणा है कि इस प्रकार की परीचिका छोड़ देने पर ही राज्य तथा समाज का कल्याण हो सकता है। राज्य की बात अन्तिम आदेश (Final Prescription) नहीं हो सकती। वह तो केवल दिशा-निर्देश का काम करता है तथा उन लक्षणों का स्वप्न करना है जिस और व्यक्ति समाज, उम्मीद बढ़ाना चाहते हैं। समाज प्रनेत्रनावादी है। राज्य उसका प्रतिनिषिद्धि है, इसलिए राज्य भी प्रवक्तवादी है और

1 Studies in the Problem of Sovereignty p. 208

2 Laski's Grammar of Politics, pp. 240-289

सम्प्रभुता की कल्पना त्यज्य है। अनुत्तरदायी और निरकुश राज्य घबिक दिन तक अस्तित्व में नहीं रह सकता। सम्प्रभुता का यह भर्यं लगाना कि राज्य किसी आन्तरिक या बाह्य शक्ति से नियन्त्रित नहीं है, सर्वया भ्रामक है। भाज के अन्तर्राष्ट्रीय युग में कोई भी देश इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह दूसरों से बिलकुल अद्वृता या अप्रभावित है। आन्तरिक दृष्टि से विभिन्न विश्वास, सिद्धान्त, तर्क-पक्ष आदि राज्य का रूपान्तर करते रहते हैं। शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का भर्यं ही राज्य-शक्ति की अविभाज्यता का खण्डन करना है। परिणामवाद अथवा व्यवहारिक उपयोगितावाद (Pragmatism) के मनुसार भी यही स्पष्ट होता है कि राज्य सीमित है, भ्रनेक बन्धन उसे शिथिल बनाते हैं। सम्प्रभुता इस प्रकार बहुलवादी है, और दुकड़ों में विभाजित है और यह उचित है।

लॉस्की के तर्कों में यद्यपि पर्याप्त बल है, तथापि यह कहा जा सकता है कि असीमित सम्प्रभुता पर भ्राक्षमण करते समय लॉस्की प्रयत्न तो एक ऐसी बात की आलोचना करता है जो सम्प्रभुता सिद्धान्त के समर्थक कहते ही नहीं। सम्प्रभुता के कानूनी सिद्धान्त के मनुसार राज्य कानूनी रूप से सर्वोपरि है, किन्तु इसका अभिप्राय यह कहापि नहीं है कि उस पर नंतिक अथवा भौतिक सीमाएँ नहीं होतीं। “संदान्तिक रूप से यह सिद्धान्त उतना ही अकाट्य है जितना कि यह एक वृत्त की समस्त त्रिज्याएँ (Radius) समान होती हैं। इस धारणा का खण्डन इस भ्राष्टार पर कभी नहीं किया गया कि एक विद्यार्थी के द्वारा खीचे हुए वृत्त की त्रिज्याएँ (Radius) समान नहीं होती, इसी प्रकार हम अॉस्टिन के सिद्धान्त का भी इस भ्राष्टार पर तिरस्कार नहीं कर सकते कि इतिहास में किसी भी शासक ने वास्तविक रूप से उन शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं किया जो सम्प्रभुता सिद्धान्त के मनुसार उसे प्राप्त हैं।” दूसरी बात यह है कि मन्य बहुलवादियों के समान यहीं भी राज्य और सरकार को एक समझों की मूल की गई है। अॉस्टिन और उसके साथी विश्वेषणवादी न्यायविदों ने सरकार की सम्प्रभुता का नहीं, प्रत्युत् राज्य की सम्प्रभुता का प्रतिपादन किया है। इतिहास में कभी भी सरकार ने राज्य में निहित समस्त शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया। बहुलवादी राज्य और सरकार तथा शक्ति पर घधिकार और इसके प्रयोग के घन्तर को स्वीकार करते हुए यह दावा करते हैं कि वास्तविक व्यवहार में व्यक्ति को प्रभावित करने वाले राज्य के कार्य सरकार के ही कार्य होते हैं और राज्य केवल सरकार के माध्यम से ही कार्य कर सकता है। राज्य की ऐसी शक्तियों को गिराने से कोई लाभ नहीं जिनका वह कभी प्रयोग ही नहीं कर सकता, चाहे सामान्य व्यक्ति के लिए यह भेद निर्यक हो। किन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक राजनीतिक दार्शनिक के लिए राज्य और सरकार का भेद महत्वपूर्ण है। एक राजनीतिक दार्शनिक सरकार को वह शक्तियाँ नहीं दे सकता जिन्हें वह धोरणार्थी रूप से राज्य को देता है। वास्तव में सरकार राज्य की सम्प्रभुता का दावा नहीं कर सकती। राज्य तो स्वभाव से ही व्यक्ति की अपरिमित भक्ति का पात्र है, किन्तु सरकार पर यह बात लागू नहीं होती।

सारीं मह है कि यदि हम राज्य और सरकार में कानूनी और राजनीतिक सम्प्रभुता में, सम्भावित तथा वास्तविक शक्तियों में विभेद करते हैं तो हम राज्य की कानूनी सम्प्रभुता के सिद्धान्त को स्वीकार कर सकते हैं यद्यपि जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर लॉस्की ने असीमित सम्प्रभुता के सिद्धान्त पर आक्रमण किया है, वह अवश्य ही प्रशंसनीय है। लॉस्की का उद्देश्य यह प्रकट करता है कि एक ग्राति केन्द्रीभूत राज्य में व्यक्ति और समुदाय की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है। उसके आक्रमण का लक्ष्य हीगल की धारणा का सर्वशक्तिमान राज्य है। वह आदर्शवादियों की कल्पना के उस ग्राति केन्द्रीभूत राज्य का खण्डन करता है जो व्यक्तियों का सामन्जस्य कुछ निश्चित सम्प्राप्ति के साथ करना चाहता है। लॉस्की की दृष्टि में सब तरह की सम्प्राप्ति की प्रतियोगिता की कमीटी यह है कि वे नागरिकों के कल्पाणा में कहाँ तक योग देती हैं और इसीलिए वह व्यक्तियों को राज्य के मामले में सक्रिय भाग लेने और वह निर्णय करने का अधिकार देता है कि वह अपने घोषित उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा कर रहा है। लॉस्की ने जिन तर्धों पर बल दिया है वे सत्य हैं, परन्तु उनमें दोष यह है कि वे केवल अप्रासाधिक हैं। ग्रास्टिन और राज्य की सम्प्रभुता के समर्यंक यह कभी नहीं कहते कि राज्य की आलोचना या अवज्ञा करना ग्रन्तिक है और न ही वे हीवनवादियों के समान राज्य को नैतिक रूप से सर्वोपरि समझते हैं। उन्होंने तो राज्य के कानूनी आदेशों के नैतिक योगित्य के प्रश्न से स्वयं को बिल्कुल पृथक् रखा है। उन्होंने अपने ग्रन्ति करणे की ग्रवहेलना करने तथा सरकार के कामों को ग्रदाई-बुराई का निर्णय करने के विवेक का परित्याग करने को नहीं कहा है।

लॉस्की ने सम्प्रभुता-सिद्धान्त की आलोचना ग्रन्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी की है। ग्रास्टिन के मतानुसार कानून सम्प्रभु का आदेश है, परन्तु लॉस्की ना मत है कि कानून सम्प्रभु की अज्ञा मात्र नहीं है बरन् वह परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों द्वारा भी निर्मित होता है और उसका पातन स्वयं के ग्रौचित्य के कारण होता है। बाह्य रूप से एक सर्वोच्च और स्वार्थीन सम्प्रभुता-सम्पन्न राज्य का विचार मानवता के हितों के प्रतिकूल है। निष्ठा की सच्ची इकाई सदार है क्योंकि आज्ञा-शालन की वास्तविक निष्ठा हमारे सहयोगियों के समझ हितों में निहित है जो केवल किसी राज्य विशेष में नहीं, बरन् विश्व के विभिन्न भागों में रहते हैं। लॉस्की वा विचार है कि मानवता की मानों के आधार पर सम्प्रभुता के सिद्धान्त को राजनीति से निकाल दिया जाए क्योंकि ग्रन्तराष्ट्रीयता का विरोधी होने के कारण यह राष्ट्रों में मुड़ एवं ग्रनावश्यक प्रतियोगिता को जन्म देता है।

लॉस्की द्वारा राज्य की सम्प्रभुता सम्बन्धी व्यक्ति और समूह के दृष्टिकोण से आलोचना के बाद हम राज्य के सुगठन के लिए उसकी रचनात्मक प्रस्थापनाओं पर विचार करते हैं। इस विषय में लॉस्की की धारणाएँ अधिक मात्य हैं। वह राज्य का सुगठन इस प्रकार चाहता है कि व्यक्ति और समूहों को अधिकतम स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके। वह व्यक्ति को केन्द्रीय स्थान देता है और व्यक्ति की इच्छाओं पर राज्य की इच्छा को प्रधानता केवल उसी सीमा तक देता है जहाँ तक "उस

इच्छा का निर्माण ऐसी बुद्धिमत्ता के साथ किया जाए जिससे उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो जाए।"

लॉस्टी की रचनात्मक प्रस्तावनाएँ उसके विस्थात मन्य 'Grammar of Politics' में उपलब्ध हैं। राज्य के प्रति अपने दृष्टिकोण में लॉस्टी ने इस मन्य में कुछ परिवर्तन प्रदर्शित किया है। सम्बन्धित पर अपने भीषण प्राक्रमण को शिखित करते हुए वह स्वीकार करता है कि कानूनी सम्बन्धित का सिद्धान्त प्रकाट्य है यद्यपि उसकी कोई अपनी शक्ति नहीं है। वह गतिहीन और केवल मात्र औपचारिक है। यहाँ लॉस्टी का बहुलवाद भी पूर्विका कम कठोर रह जाता है और उसने यह स्वीकार किया है कि राज्य एवं अन्य ऐच्छिक समुदायों के स्वरूप में आधारभूत प्रन्तर है। प्रमुख प्रन्तर यह है कि राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति होती है जबकि अन्य समुदायों के पास यह नहीं होती। वह यह मानता है कि ऐच्छिक समुदायों को अधिकाधिक स्वतन्त्रता होते हुए भी राज्य को अन्य समुदायों से उच्चतर होना चाहिए ताकि वह उनकी अवृद्धिनीय कियाओं पर नियन्त्रण रख सके। लॉस्टी ने राज्य की शक्ति अधिकत्य के विषय में यह स्वीकार किया है कि उसको यह शक्ति उपभोक्ताओं का प्रतिनिधि होन के नाते एवं नागरिकों के सामान्य कल्याण में अधिकृतम यो देने की सामग्र्य प्रदान करने वाले संगठन के नाते प्राप्त होती है। राज्य के पास इनकी बाध्यकारी शक्ति होनी ही चाहिए जिससे वह नागरिकों एवं समूहों को नियन्त्रण में रखत हुए अपने सामान्य हितों की पूर्ति कर सके। स्पष्ट है कि विभिन्न समुदायों को अधिक विक स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए उत्सुक होने पर भी लॉस्टी राज्य को उनसे गोण नहीं अपितु उच्चतर स्थान देना चाहता है।

लॉस्टी राज्य और ऐच्छिक समुदायों के बीच एक अन्तर और करता है। वह यह है कि व्यक्ति ऐच्छिक समुदाय की सदस्यता को त्याग सकता है, परन्तु वह राज्य की सदस्यता से पृथक् नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति राज्य के निरंयों से भरभेद रखता है तो व्यक्ति को इसके लिए दण्ड दिया जा सकता है। इसका स्वानिविक अर्थ यह है कि व्यक्ति के लिए राज्य की इच्छा का महत्व अन्य किसी भी समुदाय की इच्छा से अधिक है। लॉस्टी के विचारों में इस प्रकार का परिवर्तन प्रमुखत दो कारणों से हुआ प्रतीत होता है—प्रथम तो यह है कि उस पर अमेरिका से इन्हनेंड लौट आने पर वंद दम्पत्ति का गम्भीर प्रभाव पड़ा वा और दूसरा यह कि वह इन्हनेंड के मजदूर दल (Labour Party) का सदस्य बन गया था। यह दल इन्हनेंड के स्वानिविक शक्तिशाली दलों में से एक था और सन् 1920 के बाद कुछ समय के लिए सत्तारूढ़ भी रहा।

सन् 1931 म प्रकाशित लॉस्टी के अन्य अन्य 'Introduction to Politics' के प्रध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक वह (लॉस्टी) अपने प्रारम्भिक बहुलवाद से और भी अधिक दूर हो गया था। इस प्रथम में लास्टी यह विस्वास पूछत करता है कि राज्य का मूल तत्व इस बात म निहित है कि राज्य अपनी सीमाओं के प्रन्तगत रहने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों पर अपनी इच्छा लाद सकता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि राज्य की इच्छा अन्य सभी समुदायों

की इच्छा से उच्चतर है क्योंकि राज्य की इच्छा को बानूनी प्रभुता प्राप्त है जबकि अन्य समुदायों की इच्छा को नहीं।

यद्यपि लॉस्की राज्य की वाध्यकारी शक्ति को स्वीकार करता है तथापि वह राज्य की शक्ति की ओर से बहुत सशक्ति बना रहता है। कहीं शासक की शक्ति बढ़न जाए, इस भय से वह सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बना देने का समर्थन करता है। उसका मत है कि शासक एक सम्बोधन तक अपने उच्च नीतिक स्तर को कायम नहीं रख सकता। एक न एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब दूसरों के जीवन के समुचित और न्यायपूर्ण सचालन के उत्तरदायित्व से विमुख होकर शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। एक जनतन्त्रीय शासन शक्ति के दुरुपयोग की इस प्रकार की सम्भावनाओं को अन्य शासन-प्रणालियों की अपेक्षा कम कर देता है। जनतन्त्रात्मक शासन-पद्धति में सरकार के भ्रष्ट होने और जनहित की विप्रतीर्ति पर अपनी स्वार्थपूर्ति के अवसर न्यूनतम रह जाते हैं। जनतन्त्रात्मक शासन में नागरिकों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने का एक परम्परागत साधन शक्ति-पृथक्करण (Separation of Powers) और नियन्त्रण तथा संतुलन (Checks and Balances) की प्रणाली होती है। लॉस्की इस प्रणाली में कोई विश्वास नहीं रखता क्योंकि उसकी भारतीय के अनुसार इस तरह के साधन सरकार को शासितों की इच्छा और का सम्मान करने के लिए विवश करने में असमर्थ हैं। लॉस्की ने न केवल इन परम्परागत साधनों में अविश्वास व्यक्त किया है, बल्कि इनके वैकल्पिक साधन भी सुझाए हैं। उसका कहना है कि सत्ता केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर देनी चाहिए और ऐसा करने के लिए स्वारीद नवीन विधायिक संस्थाओं को शक्ति प्रदान करनी चाहिए।

स्थानीय स्वशासन का विस्तार होने से अधिकाधिक जनता अपने अधिकारों और प्रशासन के प्रति जागरूक हो और सचेष्ट बन सकेंगी। लॉस्की व्यक्तियों के सामने के लिए राज्य की शक्ति के विकेन्द्रीकरण को अधिक से अधिक प्रनुकूल समझता है। लॉस्की यह सुझाव देता है कि ऐच्छिक समुदायों को सरकार तथा उसके अधिकारियों (Agents) के प्रत्यक्ष सुरक्षा में लाना चाहिए। ये ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा सरकार को नागरिकों की वास्तविक इच्छाओं को जानने और अपने निर्णयों में उनकी इच्छाओं को अधिकतम स्थान देने के लिए विवश किया जा सकता है। लॉस्की के इस वाक्य का कि 'सारी शक्ति संघात्मक है' (All Authority is Federal) यही अर्थ है। व्यक्ति अपनी प्राधिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग सुस्थान देने के भाग लेता है और प्रत्येक सुस्थान उसके व्यक्तित्व के विकास में भाग योग देती है। चूंकि हमारे जीवन में राज्य का केवल आधिक योगदान है, अतः राज्य के प्रति आज्ञापालन भी प्रानुगतिक रूप से ग्रांटिए होना चाहिए। यह राजनीति का प्रचम सिद्धान्त है कि अधिकार और शक्तियाँ कायों से सम्बन्धित होते हैं, अतः यह कोई अजीब बात नहीं है कि राज्य हमसे विस निष्ठा की अपेक्षा बरता है वह निष्ठा आधिक ही होनी चाहिए।

‘सत्ता सचावटमक होनी चाहिए’—इसके द्वारा लॉस्टी का यह आग्रह है कि “यदि राज्य को मानव आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के प्रपने कर्त्तव्य का समुचित रूप से पालन करना हे तो उसे प्रपने निर्णय में उन समृदायों की इच्छा को सम्मलित करना चाहिए जो राज्य तथा व्यक्ति के बीच स्थित हैं।” इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लॉस्टी विभिन्न उपयोगी सुझाव देता है—

(क) ऐच्छिक समृदायों के प्रतिनिधियों को प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों से मिलना चाहिए और उन्हें आवश्यक परामर्श देना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक सरकारी विभाग के साथ उससे प्रभावित होने वाले हितों के प्रतिनिधियों के परामर्शदाता निकायों को सम्बद्ध कर दिया जाए।

(ख) सरकार निर्णय करने से पहले इन निकायों से परामर्श करे। इन निकायों को यह अधिकार हो कि वे प्रस्थापित व्यवस्थापन की मालोचना कर सकें और नए व्यवस्थापन के सुझाव दे सकें।

(ग) राज्य के विभिन्न प्रशासनिक विभायों को सलाह देने के लिए संसद के सदस्यों की समितियाँ बनाई जाएँ। प्रत्येक समिति सम्बन्धित मन्त्री से निरन्तर सम्पर्क स्थापित कर निशाह रखे।

(घ) स्थानीय स्वायत्त-शासन का पुनर्गठन इस भाँति किया जाए कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो जाए। स्थानीय शासन के क्षेत्रों का इस प्रकार पुनर्विभाजन हो कि वे प्रपने द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कायदों के अनुरूप हो जाएँ। यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय को प्रपने कायदों पर अधिकारिक प्रशासनीय अधिकार प्राप्त हो।

(इ) प्रत्येक व्यक्तिगत उद्योग पर नियन्त्रण की दृष्टि से एक प्रतिनिधि निकाय हो। इस प्रकार की औद्योगिक परिषदों में मालिकों, उपभोक्ताओं और सरकार के प्रतिनिधि होने चाहिए। इस परिषद् को ऐसे नियमों के निर्माण का अधिकार भी मिलना चाहिए जो सम्पूर्ण उद्योग के लिए स्वीकार्य हो बशर्ते कि उत्पादन का केन्द्रीय मन्त्रालय अन्तिम रूप से उन पर अपनी स्वीकृति दे दे।

सारांशत यह कहा जा सकता है कि प्रपने प्रन्थ ‘Grammar of Politics’ में लॉस्टी ने राज्य-सत्ता और व्यक्ति की स्वतन्त्रता में सामन्जस्य इधापित करने का प्रशसनीय प्रयास किया है। “वह सामाजिक नियन्त्रण और सामन्जस्यकारी स्थिता के रूप में राज्य को कायद रखता है और बहुलवादियों की मालोचना का समाधान अधिकतम सम्भव विकेन्द्रीकरण द्वारा करने का प्रयास करता है।”

लॉस्टी प्रपने विचारों पर स्थिर नहीं रहता। वह प्रपना दिमाग खुला रखता है और वह आवश्यकनानुसार तथा प्रपने अनुभवों के आधार पर प्रपने विचारों में परिवर्द्धन-परिमार्जन करने में सकोच नहीं करता। ‘Grammar of Politics’ के सन् 1938 के परिवर्द्धित संस्करण का नवीन परिचयात्मक अध्याय यह प्रकट करता है कि लॉस्टी ने प्रथम संस्करण में निरूपित संशोधित बहुलवाद का भी परिवार कर दिया और राज्य के विषय में बहुत कुछ मार्क्सवादी धारणा को

प्रपना तिया : राज्य के स्वरूप के विषय में मासंसे<sup>1</sup> के विचारों का 'भ्रनुकरण' करते हुए लॉस्की ने यह विश्वास प्रफट किया कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य समाज के वर्ग-सम्बन्धों को सुरक्षा प्रदान करना है। वह राज्य को सामाजिक नियन्त्रण और सामाजिक स्थिति का एक साधन नहीं समझता। वह उसकी शक्ति इसलिए सीमित करना चाहता है ताकि वह व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का प्रपहरण न कर सके। इसके विपरीत भ्रब लॉस्की उसे समाज के उत्पादन-साधनों के स्वामी-वर्गों के हाथ में एक 'कार्यपालिका यन्त्र' समझने लगा और उसकी दृष्टि में राज्य का उद्देश्य सामान्य हित अथवा मानव कल्याण न होकर समाज के वर्ग-सम्बन्धों को स्थिर रखना हो या। वर्ग-सम्बन्धों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य की पूर्वि के लिए यह भी भ्रनिवायं है कि सरकार भ्रविकारिक शक्तिशाली बने अर्थात् राज्य भ्रविभाज्य एवं भ्रनुत्तरदायी सम्प्रभुता का दावा करे। मासंसंवाद के प्रभाव में आकर बाट में वह जनतन्त्र को पूँजीवादी जनतन्त्र कहने लगा व्योकि उसका प्रमुख उद्देश्य उस सामाजिक एवं भ्रायिक प्रणाली को कायम रखना या जो पूँजीपत्रियों ने अपनी शक्ति और विशेषाविकारों को सुरक्षित रखने के लिए खड़ी की थी। लॉस्की ने यह विश्वास व्यक्त किया कि पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना सामान्यत ऋन्ति के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं की जा सकती। मासंसंवादी भावना के भ्रनुकूल उसने यह भी घोषित किया कि पूँजीवादी जनतन्त्र अन्तिम रूप से ऋन्ति को जन्म देगा। उसकी पुस्तकों 'Democracy in Crisis' एवं 'Parliamentary Government in England' का मुख्य सार यही है। लॉस्की ने भोटे रूप में साम्प्रवादियों की इस धारणा को भी स्वीकार किया है कि कासीवाद पतनोम्युख पूँजीवाद की अन्तिम घटस्था है।

यह स्मरणीय है कि यद्यपि लॉस्की मासंसं की इस धारणा से सहमत था कि सरकार सर्वेक समाज के उस वर्ग के हाथों में रहती है जो उत्पादनों का स्वामी होता है और इसलिए उत्पादनों के सम्बन्धों को सुरक्षा के लिए वह बाध्यकारी शक्ति पर अपना भ्रविकार रखना भ्रावश्यक समझती है, तथापि लॉस्की ने अमजीबी तानाशाही का समर्थन नहीं किया और न ही ऋन्ति के नेतृत्व के लिए एक छोटे से भ्रनुशासित दल को भ्रावश्यक समझा। लॉस्की ऋन्ति का समर्थक या, किन्तु वह हिस्तक ऋन्ति के स्थान पर सहमतिपूर्ण ऋन्ति का वक्ष्यर था। वैज्ञानिक और संसदात्मक जनतन्त्र पर उसका विश्वास था किन्तु समाजवादी सरकार से वह यह भ्राशा करता था कि पुरानी फृदियों को तीड़कर नया मार्ग प्रशस्त करे। किंग्सले मार्टिन (Kingsley Martin) के ये लब्द सही हैं कि—

'वह (लॉस्की) इस बात को तो मानते के लिए तंयार था कि ऋन्तिकारी दुर्ग दे नागरिक भ्रविकारों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना भ्रावश्यक हो सकता है, परन्तु वह मावर्तवाद से पूर्णत सहमत नहीं था, व्योकि वह मूलत व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में विश्वास रखता था। क्योकि उसे भ्राशा थी कि भ्रविकार भ्रपत्रिवानों को नवीन अवस्था स्वीकार करने के लिए तंयार किया जा सकता है व्योकि वह यह विश्वास करता था कि ऐतिहासिक प्रवृत्तियां हिसात्मक ऋन्ति की ओर हैं, तथापि वह उन्हें प्रवर्तित्वायं नहीं समझता था।'<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kingsley Martin op. cit., p. 88

## कानून पालन की समस्या

(Problem of Obedience to Law)

लॉस्ट्की के मतानुसार नियम-पालन की समस्या से सम्बन्धित तीन प्रश्न उठ सकते हैं—(1) राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन क्यों करना चाहिए ? (2) वास्तव में इन कानूनों का पालन क्यों किया जाता है ? (3) क्या कानून-पालन की कोई सीमाएँ हैं ?

लॉस्ट्की बहुलवादी दृष्टिकोण रखने के कारण यह मानता था कि राज्य को अपनी आज्ञायों के पालन कराने का अधिकार अन्य समुदायों से उच्चतर नहीं है। राज्य के लिए यह उचित है कि वह आज्ञा-पालन कराने सम्बन्धी अपने अधिकार के लिए अन्य समुदायों से प्रतिद्वंद्विता करे। यहाँ व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह स्वयं इस बात का निर्णय करने के लिए सचेष्ट हो कि राज्य का कोई कार्य विशेष उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है अथवा नहीं। यदि उसका अन्त करण यह स्वीकार करे कि राज्य के कार्य से उसके किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है तो व्यक्ति वो राजाज्ञा मान लेनी चाहिए अन्यथा उसे राज्य की आज्ञा का पालन करने से इकार कर देना चाहिए। बिना सोचे विचारे राज्य की आज्ञायों का पालन करना अपनी आत्मा की आवाज का अनादर करना है।

लॉस्ट्की का कहना है कि कानून का स्रोत न तो राज्य है और न कोई द्वेष समुदाय। कानून का स्रोत तो व्यक्ति है जो अपनी अन्तरात्मा के अनुसार वार्य करता है। नागरिक ही वे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में राज्य कार्यों के परिणामों का अनुभव करते हैं, और इसीलिए वे ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उसके सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं। वे अपनी अनुमति देकर कानून को मान्यता प्रदान करते हैं, वे उसका अनुमोदन करते हैं वयोंकि उससे उनकी इच्छायों की तुष्टि होती है। इसलिए व्येष्ट कानून वह है जिससे व्यक्तियों की इच्छा वी अधिकतम तुष्टि होती है, और औपचारिक अर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अर्थ अनुगालन योग्य नहीं है। लॉस्ट्की ने अपने सिद्धान्त के विषय में कहा है कि यह मिद्दान्त ऐसे बानून वो जो प्रजा द्वारा पालन किए जाने का दावा करता है, एक मात्र स्रोत के रूप में व्यक्ति का जन करण (Conscience) द्वारा मान्य करने का प्रयत्न है। यह सिद्धान्त कानून का यात को वही पहुंचा देता है जहाँ उसे वास्तव में होना चाहिए अर्थात् व्यक्ति का अनुमादन करने वाले मन में।

लॉस्ट्की के उय व्यक्तिवाद का मूल कारण यह है कि उह व्यक्ति ही स्वतन्त्रता और स्वतं श्रिया-शक्ति को सर्वाधिक मूल्यवान समझता था और व्यक्ति के विचार और कार्य वी स्वतन्त्रता वो राज्य के आक्रमण से सुरक्षित रहना चाहता था। परन्तु लॉस्ट्की के इम विचार में दो भूम्य दोष हैं—प्रथम तो यह कि इसे एक बड़े पैमाने पर प्रयोग में जाने से प्राप्ति या अराजकता फैलने की भभावना रहती है ऐसे विचारों से कानून के प्रति निष्ठा नहीं हो पाती और इस कारण एकता तथा समृद्धि

सामाजिक जीवन असम्भव हो जाता है। दूसरा दोष यह है कि इस तरह की धारणा व्यक्ति को अनुचित बोहिक प्राणी बना देती है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति में यह योग्यता नहीं होती कि वह भले और तुरे कानूनों में ग्रन्त कर सके। यह असम्भव नहीं है कि एक व्यक्ति का अन्त करण एक गवे का अन्त करण हो। राज्य की आजाग्री का उल्लंघन तभी किया जाना चाहिए जबकि परिस्थितियों उसके जीवन के मूल्यों और मानविक के विपरीत हो।

अपने प्रसिद्ध मन्त्र 'Grammar of Politics' में लॉस्की उपर्युक्त धारणा से तनिक हटते हुए यह प्रतिपादित करता है कि राजसत्ता एक उद्देश्य की दूरति के लिए है। यह उद्देश्य 'समाज के सामान्य हितों की सिद्धि' तथा 'प्रत्येक मानव के अपने आत्म-विकास के हेतु आवश्यक अधिकारों की सुरक्षा' है। राज्य के कानूनों के कर्तव्य पालन का आधार यह है कि ऐसा करना सामाजिक एवं सभ्य जीवन के लिए आवश्यक है।

लॉस्की के प्रनुसार व्यक्ति को दो परिस्थितियों में राज्य की आवश्यकता करने का अधिकार है—प्रथम, जबकि व्यक्ति समठित रूप से यह अनुभव करे कि राज्य सामान्य हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, द्वितीय, जब ऐसा प्रतीत हो कि राज्य आत्म-विकास के आवश्यक अधिकारों वा प्रपत्तिरण कर रहा है। स्पष्ट है कि लॉस्की के मन्तव्यानुसार राज्य नेतृत्वापूर्ण नियमों से ही व्यक्तियों के हृदय में भक्ति उत्पन्न कर सकता है।

सन् 1931 तक लॉस्की के विचारों में एक और परिवर्तन हो जाता है। वह 'Grammar of Politics' में उन अधिकारों का विवेचन करता है जो उसके मन्तव्यानुसार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। प्रमुख अधिकार ये बताए गए हैं—(1) सम्पत्ति का अधिकार, (2) भाषण एवं सब बनाने का अधिकार, (3) पर्याप्त वेतन प्राप्त करने का अधिकार, (4) शिक्षा का अधिकार, (5) जीविको-पाज़ीन का अधिकार, (6) कार्य करने के उचित घटों का अधिकार, (7) राजनीतिक प्राप्ति म भाग लेने का अधिकार, एवं (8) व्यायिक सरकारण का अधिकार।

उसकी पुस्तक 'Introduction to Politics' (1931) में लॉस्की ने राज्य सम्बन्धी विचार उपर्युक्त विचारों से भिन्न हैं। इसमें उसने राज्य की भवित के आधार को बदल दिया है और व्यक्ति के नेतृत्व विकास की अपेक्षा आर्थिक और सामाजिक सुलभ को अधिक महत्व दिया है। नेतृत्व जीवन की वह निन्दा नहीं करता प्रतितु उत्तरवाद आवश्यक भौतिक जीवन पर अधिक है। यहाँ राजनीतिक की कसीटी यह है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम भौतिक सुलभ किस सीमा तक प्रदान करता है। दूसरी स्पष्ट हो लास्की साक्षर्वाद से प्रभावित है। आजापालन के व्यविनवादी दिदान्त वी प्रारंभ से उदासीन होकर वह अब व्यक्ति के स्पान पर बर्ग पर बल देता है। छीन निलंघा है कि—

"लॉस्की की इन अब उस मर्ल्यमत में नहीं है जो अन्त करण के नाम पर आजापालन करने से इच्छा करता है, प्रत्युत् उन स्थितियों में है जिनके अन्तर्गत

भारी बहुसंख्यक श्रमिक-वर्ग उस राज्य के प्रति धर्मनी भक्ति का परिवर्त्याग कर देया जिसके द्वारा उसके सोषको के हितों का सरक्षण होता है।"

इन विचारों से यही प्रकट होता है कि लॉस्की यही आकर उदारवाद से मानवंवाद की ओर उम्मेल्ह हो गया है।

### लॉस्की की अधिकारों विषयक धारणा

#### (Laski on Rights)

हम यह देख सकते हैं कि लॉस्की के विचार से राज-भक्ति का कर्तव्य इस बात पर प्राप्तिर्दित है कि राज्य व्यक्ति के गुभ-जीवन की व्यवस्था करता है। गुभ-जीवन की प्राप्ति के लिए, जिसका वर्ध लॉस्की ने स्पष्ट नहीं किया है, राज्य के पास उपयुक्त साधन यह है कि वह ऐसी बाहु परिस्थितियों को कायम रखे जो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वाधिक मनुकूल हो। गुभ-जीवन के लिए व्यक्तियों की शक्तियों के विकास हेतु जो आवश्यक शर्तें हैं उन्हीं को अधिकार की सज्जा दी गई है।

अधिकारों के विषय में लॉस्की के विचार बहुत गम्भीर और भावपूर्ण हैं। व्यक्ति की नैतिक सत्ता (Ethical Contents) का वास्तविकरण अधिकारों के गम्भीर ऐसमें है। लोक-कल्याण की व्यापक दृष्टि से अधिकार प्रतिवार्य है। राज्य अधिकारों का सरक्षक है, अधिकारों का हनन या विरोध करके वह ग्राम्यधारा ही कर सकता है। एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह व्यवस्था करता है। राज्य जितनी ही अधिक धर्मने नागरिकों को मुक्ती और प्रतन्न रखता है, वह उतना ही अधिक उच्च स्तर का माना जाता है।

राज्य व्यक्ति के हितों का भौतिक साधन है और व्यक्ति-हित सामान्य एवं विशिष्ट अधिकारों में निहित है। व्यक्ति के हितों का भौतिक साधन होते हुए भी राज्य अधिकारों का निर्माणकर्ता नहीं है बल्कि वह केवल उन्हें मान्यता प्रदान करता है। अधिकारों का अस्तित्व राज्य से पूर्वं अध्यवा राज्य के साथ है। लॉस्की के कथनानुसार—

"अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियाँ हैं जिनके बिना सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति धर्मना सर्वोन्नत विकास नहीं कर सकता। अधिकार राज्य से पूर्वं भी होते हैं। राज्य उनको स्वीकार करे अध्यवा न करे, इस बात का अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।"

राज्य के अमान्य कर देने पर भी अधिकार रहेगे और उनकी प्राप्ति के लिए सोग सघर्ष करेगे। सारा ऐतिहास अधिकार-दर्शन (Philosophy of Rights) ने उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्हे हम इस घर्ये में ऐतिहासिक नहीं कह सकते कि किसी निर्विचित अवधि या सीमा के घन्टांत मनुष्य ने सघर्ष द्वारा इन्हे प्राप्त किया बल्कि वे ऐतिहासिक इसलिए हैं कि विशेष काल, समाज, सम्यता, सहकृति और आवश्यकताओं के घनुकूल इनकी मायि की जाती रही है और अविद्य में भी की जाती रहेगी। अधिकार इस घर्ये में शाहूतिक नहीं है कि उनकी एक स्थायी और

अपरिवर्तनशील सूची तंयार नहीं की जा सकती। वे प्राकृतिक इस प्रथम में हैं कि कुछ सीमाओं के अधीन तथ्य उनकी माँग करते हैं। अधिकारों में अवश्य ही एक सार होता है जो समय व स्थान के साथ परिवर्तित होता रहता है।

प्रविकारों का ग्रथं उस शक्ति से नहीं लिया जाना चाहिए जिससे इच्छा की तुष्टि होती है। मनुष्य में स्वयं को या किसी दूसरे की हत्या करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, किन्तु उसे कोई सम्य समाज कदापि मान्यता नहीं दे सकता। यदि इस प्रकार कोई इच्छाप्रो को स्वीकार कर लिया जाए तो समाज का ग्रस्तित्व ही दुष्कर हो जाएगा। अधिकार तो बस्तुत सामाजिक जीवन को ऐसी स्थितियों हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का श्रेष्ठांशु व्यक्त नहीं कर सकता। अधिकार इस प्रथं में अधिकार है कि राज्य के नागरिकों के लिए उनकी उपयोगिता होती है। वे देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था के बिरोधी हो सकते हैं, किन्तु उनकी मान्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि वे सम्बन्धित जनों की उपलति के लिए अनिवार्य हैं।

लॉस्की व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्रविकार (Right of Individual against State) देने का समर्थक है। उसके अनुसार—

“यह राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों के लिए उन बाह्य स्थितियों की व्यवस्था करे जो उनके चरित्र के विकास के लिए आवश्यक हैं। राज्य पर नागरिक अपने दावे रखता है, इसलिए राज्य को उसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य को उसके लिए ऐसी शर्तों की गारंटी करनी चाहिए जिसके बिना वह अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता।”

अधिकारों का ग्रस्तित्व उपयोगिता में है प्रीर उपयोगिता कामों में है, इसलिए अधिकार कर्तव्यों की सापेक्षता (Correlative of Function) में है। दूसरे शब्दों में अधिकारों का कामों से भी सम्बन्ध है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति साधारणतः राज्य के प्रति दो तरह के अधिकार प्राप्त करता है—एक तो सुरक्षण-पोषण का अधिकार जिसके लिए राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, दूसरे, लाभनों का अधिकार जिसके द्वारा राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के नीतिक तथा मन्य साधन प्रदान करे। इन अधिकारों के साथ ही कर्तव्य-पूर्णि के लिए व्यक्ति को बाध्य करना भी राज्य का कार्य माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपना विकास करते समय वह दूसरों के मार्ग में बाधक न बन। माय ही सामाजिक प्रगति तथा जन कल्याण (Social Progress and Human Welfare) में उसे योगदान देना चाहिए। लॉस्की का भत है कि “एक व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों की सूची उसके समाज के प्रति व्यक्तिगत योगदान के मनुरूप हाना चाहिए। जिन अधिकारों का मैं राबा करता हूँ, वे मेरे योगदान के मनुरूप दान चाहिए। योगदान दंपत्तिक होना चाहिए अन्यथा वह कोई योगदान ही नहा।”

लॉस्की का बहना है कि न्यूनतम अधिकार समस्त व्यक्तियों के मान दोने हैं प्रीर राज्य का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के न्यूनतम अधिकारों की मारटी

करे बिनके बिना कोई भी व्यक्ति रचनात्मक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। न्यूनतम अधिकारों की प्राप्ति के बाद ही विशिष्ट अधिकारों का प्रश्न उठता है।

लॉस्की के मत से जिस प्रकार मुझे अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य करने का अधिकार नहीं है, उसी तरह राज्य भी मेरे लिए ऐसा स्थान नियत नहीं कर सकता जो मुझे राज्य में प्राप्त करना चाहिए। मानव-विकास मे कोई स्थिति स्थायी रूप से निश्चित नहीं की जा सकती। व्यक्तित्व तो वही स्थान प्राप्त करता है या उसे वही स्थान प्राप्त करना चाहिए जिसमे उसकी सुरक्षेष्ठ अभिव्यक्ति हो सके और केवल प्रयोग द्वारा ही वर्तमान वातावरण मे सर्वोच्च स्थिति ज्ञात की जा सकती है। राज्य प्रत्येक व्यक्ति के व्यवसाय का निष्परिक नहीं बन सकता।

जहाँ तक अधिकारों की रक्षा का प्रश्न है, लॉस्की सांविधानिक सरकार की व्यवस्था को महत्व नहीं देता। उसके शब्दों मे, 'नि.सन्देह सड़े-गले काबज़ो से उन्हे प्रधिक पवित्रता मिलेगी, किन्तु वे उनकी सिद्धि की गारण्टी नहीं करेंगे।' लॉस्की के प्रनुसार "अधिकारों की सुरक्षा अधिनियमों की ग्रोपचारिकता की अपेक्षा स्वभाव और परम्परा का विषय अधिक है।"

अधिकारों की रक्षा के लिए लॉस्की शक्तियों के पृथक्करण-सिद्धान्त को भी विशेष महत्व नहीं देता। इस सिद्धान्त मे अच्छाई केवल यही है कि व्यावाधीन कार्यपालिका से स्वतन्त्र होकर कार्य कर सकते हैं, अतः नागरिकों की स्वतन्त्रता अधिक सुरक्षित रहने की सम्भावना रहती है।

लॉस्की के प्रनुसार अधिकारों की दृष्टि से निम्नलिखित तीन शर्तों की पूर्ति आवश्यक है—

1 राज्य विकेन्द्रित हो ताकि अनता राजकीय भागों में अधिकाधिक रुचि ले और अपने स्थानीय अधिकारों पर अधिक नियन्त्रण रख सके।

2 देन्द्रीय सरकार के गिरं पर्याप्त परामर्शदात्री सम्पादकों का परामर्श प्राप्त हो सके। विशेषज्ञों का एक-एक समूह प्रत्येक विभाग के साथ सम्बद्ध हो।

3 राज्य अन्य सभों के आनंदिक जीवन मे तब तक कोई हस्तक्षेप न कर जब तक कोई समूदाय राज्य को ही बलपूर्वक नष्ट करने की घमकी न दे।

लॉस्की के मतानुसार अधिकारों के स्वस्थ वातावरण मे ही व्यक्ति की रचनात्मक शक्तियों का प्रमुद्दय होता है और चारित्रिक विशेषताएं विकसित होती हैं। किन्तु अधिकारों के जोश म व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह किसी सामाजिक समीकरण (Social Equalism) का मूल है, अन्यथा उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। कानून, संस्था, राज्य—ये सब अधिकारों की पूर्व शर्त हैं और उनका काम है अधिकारों की पूर्ति करना। लॉस्की ने व्यक्तित्व के विकास के लिए जीवन, सुरक्षा, सम्भाति, वेतन, परिधम, सेवा, शिक्षा, उत्पादन, वितरण, न्याय-प्राप्ति, ग्राम्यान्वय एवं दीदिक विकास, जीवनोपयोगी आवश्यकताओं

की पूर्ति, प्रतिनिवित्त, सामाजिक व राजनीतिक समानता एवं स्वतन्त्रता धार्दि अधिकारों को आवश्यक माना है।

### लॉस्की के स्वतन्त्रता और समानता सम्बन्धी विचार (Laski on Liberty and Equality)

लॉस्की के स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों में भी समय-समय पर परिवर्तन हुए हैं। अपनी पुस्तक 'Authority in the Modern State' में उसने इस मत से प्रसंगमति प्रकट की है कि स्वतन्त्रता बन्धनों का अभाव है। वह उसे 'आत्मानुभूति के घनात्मक तथा समान अवसर' की सज्जा देता है। ग्रीन से सहमत होते हुए उसकी मान्यता है कि स्वतन्त्रता एक ऐसी गवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है। सन् 1929 में प्रकाशित 'Grammar of Politics' के द्वितीय संस्करण की भूमिका में लॉस्की ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि स्वतन्त्रता का सार बन्धनों के अभाव में निहित है। सन् 1930 में प्रकाशित 'Liberty in the Modern State' में उसने प्रतिपादित किया कि "स्वतन्त्रता उन सामाजिक आवस्थाओं की सत्ता पर बन्धनों का अभाव है जो आधुनिक सम्यता में व्यक्ति के मुख की आवश्यक परिस्थितियों को निश्चित करते हैं।" लॉस्की राज्य दी शक्ति दो वैयक्तिक स्वतन्त्रता का विरोधी मानता है। यदि नागरिकों वी स्वतन्त्रता मुराखित रखनी है तो यह आवश्यक है कि राज्य व्यक्ति के प्रति अपनी मौलों की सीमाएँ निश्चित करे।

लॉस्की के विचार में, सम्भवता मार्क्सवाद के प्रभाव के फलस्वरूप, पुनर परिवर्तन दिखाई दिया। सन् 1943 में प्रकाशित अपनी उत्तरकालीन कृतियों में उसने लिखा कि स्वतन्त्रता केवल समाज के सर्वोच्च उद्देश्य दो निश्चित करने वासी परिस्थितियों के प्रत्यंगत प्राप्त हो सकती है। समाज के कुछ सामान्य हित होते हैं जिनके विशद किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

वे नागरिक जो एक ऐसे महान् उद्देश्य में भाग लेते हैं जिस पर उन सब की सहमति है, उसकी साधना में ही स्वतन्त्रता प्राप्त करते हैं।" लॉस्की ने कहा था कि समाज-हित के लिए वैयक्तिक हितों का बलिदान स्वतन्त्रता का निषेध नहीं है।

लॉस्की के स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों में कुछ भी परिवर्तन हुए हो, उसने अपने इस पूर्ववर्ती विचार का पूर्ण परित्याग कभी नहीं किया कि "स्वतन्त्रता बन्धनों का अभाव है।" इसका आज्ञय यह है कि वह राज्य और वैयक्तिक स्वतन्त्रता दो दो विरोधी तत्त्व मानता था। लॉस्की ने स्वतन्त्रता के तीन पहलुओं की ओर मंकेत किया है—(i) व्यक्तिगत, (ii) राजनीतिक, (iii) धार्दि। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उसे कहते हैं जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जीवन के उन छेत्रों में उसका प्रयोग करता है जहाँ उसके (व्यक्ति के) प्रयत्नों का कल उसी को प्रभावित करता हो। अप्प ही इस प्रकार का क्षेत्र घर्म है और राज्य को इसमें कोई हस्तांतरण नहीं करना चाहिए। यदि कानून गरीबों को वंचानिक आवश्यक नहीं देता तो यह भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन है। धार्दिक जमानत की मालिकता भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आधार है। राज्य को चाहिए कि वह व्यक्ति को जीवन के निजी सम्बन्धों में

पूर्ण विकास के लिए गवाह दे। राजनीतिक स्वतन्त्रता से लॉस्की का ग्राम्य है कि व्यक्ति को राज्य के कायों में भाग लेने, निर्वाचित होने, विचार व्यक्त करने राज्य की ग्रामोचना करने, प्रतिनिधि चुनने ग्रामीण की स्वतन्त्रता प्राप्त हो; शिक्षा और प्रेम की स्वतन्त्रता श्रेष्ठ राजनीतिक स्वतन्त्रता की ग्रामशक्ति शर्त है। ग्राम्यक स्वतन्त्रता का ग्राम्य है कि हर व्यक्ति को प्रपत्ती योग्यतानुसार रोजी कमाने का गवाह प्राप्त हो और नागरिक बेकारी से मुक्त रह। ग्राम्यक स्वतन्त्रता में लॉस्की उद्घोग सुरक्षा, ग्रामसर, काम करने और बेतन प्राप्त करने। ग्रामीण की स्वतन्त्रताओं का समर्थन करता है। उसकी दृष्टि में ग्राम्यक स्वतन्त्रता का विशेष महत्व है। 'राजनीतिक समानता तब तक व्यावहारिक नहीं हो सकती जब तक नागरिकों को वास्तव में ग्राम्यक समानता और राजनीतिक महत्ता के अधिकार प्रदान न किए जाएं।' ग्राम्यक स्वतन्त्रता राष्ट्रीय जीवन का प्राण है।

स्वतन्त्रता का अधिकारों से अनिष्ट सम्बन्ध है। अधिकारों के द्वारा स्वतन्त्रता सम्भव नहीं है क्योंकि उनका सम्बन्ध व्यक्तित्व की ग्रामशक्तिमध्ये से है। स्वतन्त्रता स्वस्य सक्षम वातावरण की सक्रिय स्थापना है जिसकी छत्र-छाया में ही उच्चतम मानवीय विकास सम्भव है। इस प्रकार ग्राम-हृत्या पर रोक स्वतन्त्रता का प्रपहरण नहीं है क्योंकि ग्राम-हृत्या तो स्वतन्त्रता का भीषण दुष्प्रयोग है। इसी तरह यदि कानून बच्चों को उचित शिक्षा देने का निर्देश देता है तो स्वतन्त्रता पर कोई ग्रामीण नहीं करता। सुविधापूर्ण, सुसदायक तथा उचित जीवनयापन में सहायक नियमों को मानने से स्वतन्त्रता का हनन नहीं होता। जिन नियन्त्रणों से समाज का लाभ होता है, वे स्वागत योग्य हैं। स्वतन्त्रता का पतन तब होता है जब व्यक्तियों में उद्धम और साहस का लोप होने लगता है।

लॉस्की के ग्रामोचन स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए कुछ शर्तें ग्रामशक्ति हैं—प्रथम, समाज में कोई विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग न हो। द्वितीय, कुछ व्यक्तियों के अधिकार दूसरे व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर न हो, सामान्य नियम जास्ती के अनुसार दोनों के लिए मान्य हो। तृतीय, शक्ति पर सबकी समान पहुँच हो प्रथम् राजनीतिक शक्ति पर किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार न हो। चतुर्थ, राज्य पक्षपातरहित ग्रामरण करे। पचम, शिक्षा और ग्राम्यक मुख्यांश की समुचित व्यवस्था हो।

लॉस्की ने स्वतन्त्रता के साथ समानता को ग्रामशक्ति माना है क्योंकि समानता के द्वारा स्वतन्त्रता एकाग्री और ग्राम्य है। लॉस्की की दृष्टि में समानता का अर्थ है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को ऐसा स्थान नहीं दिया जाएगा जिससे वह 'प्रपत्त पड़ोसी पर इस प्रकार आ जाए कि उस पड़ोसी की नागरिकता का घन्त हो जाए। नागरिकता के लाभों में सबको पर्याप्त भाग मिलना चाहिए। राज्यों प्रश्नों के निर्णयों में सबको बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेषाधिकारों का प्रन्त समानता की महत्वपूर्ण भाग है। जन्म और सम्पत्ति के कारण विशेषाधिकारों के अस्तित्व के लिए काई नेतृत्व भौतिक्य नहीं हो सकता। उप्रति और विकास के लिए

सबको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। लॉक्सी का मानव्य यह नहीं है कि सर्वथा एक रूपता विद्यमान हो। वह सबके लिए पर्याप्त अवसरों की मौज़ करता है पर्याप्त व्यक्तियों को वे सब अवसर दिना भेदभाव के प्रदान किए जाने चाहिए औ उनके विकास के लिए प्रनिवायं हो।” पूर्ण समानता तो अव्यावहारिक है क्योंकि जब तक मानवीय मानवशक्तियों, इच्छाओं और क्षमताओं में भिन्नता रहेगी तब तक अव्यावहार और पुरस्कार में एकदम एक रूपता नहीं आ सकती। समानता का अर्थ तो समानता लाने वाली प्रक्रिया से है। यह मानवशक्ति है कि न्यूनतम स्तर पर समानता हो। समानता अधिकार में अनुपातों की समस्या है। हर व्यक्ति को वे सभी वस्तुएं मिलनी चाहिए जिनके अभाव में जीवन सारहीन है।

लॉक्सी का अधिकी की गरिमा और सामाजिक उपयोगिता में पूर्ण विश्वास पा। सामाजिक और आर्थिक विधियों में भेदभाव तभी स्वीकार किए जा सकते हैं जब सम्पूर्ण समाज के लिए समानता का न्यूनतम स्तर प्राप्त हो जाए। पहले हर व्यक्ति को एक कमरा मिल जाए तभी कुछ व्यक्तियों का बंधवाली भवनों में निवास स्वीकार किया जा सकता है। पहले मबको साधारण भोजन उपलब्ध हो जाए तभी कुछ व्यक्तियों के लिए बड़िया दावतों का मायोजन उचित माना जा सकता है। सबको ग्राम्य-विकास के लिए समुचित अवसर प्राप्त हो, इसके लिए कुछ लोगों की स्वतन्त्रता को सीमित करना आवश्यक है। घन के अधिक न्यायपूर्ण और समान वितरण के लिए ही राज्य को नियोजन और आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण करना पड़ता है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब लॉक्सी यह मान सेता है कि अधिकाधिक समानता लाने के लिए कुछ व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को नियन्त्रित करना मानवशक्ति है तो उसका यह कथन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है कि स्वतन्त्रता और समानता एक ही मादर्श के दो पहलू हैं। इसके विपरीत ये दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध सिद्ध होते हैं। जब किसी ऐसे समाज में जिसमें सम्पूर्ण आर्थिक नियोजन द्वारा समानता लाने का प्रयास किया जाना है, तो अनेक व्यक्तियों की पहल करने की शक्ति और उनकी स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ता है, पर्याप्त उनकी स्वतन्त्रता का क्षेत्र बहुत सदृचित हो जाना है। अर्थव्यवस्था दर कठोर नियन्त्रण व्यक्ति की प्रेरणा एवं स्वतन्त्र नियंत्रण-शक्ति को समाप्त कर देता है। यह लॉक्सी के इस विचार से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि “समानताएँ और वडना स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए ही प्रयास है।” अस्तोगत्वा स्वतन्त्रता और समानता परस्पर विरोधी सिद्ध हानी है। एक को लोकर ही दूसरों को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। समाज इस दाने वाले ध्यान में रखने के कारण ही लॉक्सी ने यह मायह किया कि स्वतन्त्रता और समानता दोनों का अव्यावहारिक प्रयोग होना चाहिए और इनसा अव्यावहारिक प्रयोग होने पर ही विश्व-सहयोग सम्भव है।

सम्पत्ति के विषय में लॉक्सी के विचार (Laski's Views on Property) - सम्पत्ति के विषय में लॉक्सी के विचार प्राय नियन्त्रित है। सर्वप्रथम वह वर्तमान युग की सम्पत्ति-प्रथा का विनाशक करता है। उत्तरा विचार है कि प्रत्यक्ष समाज म

प्रधिक सम्पत्तिशासी व्यक्तियों की सह्या कम होती है। यह भावश्यक नहीं कि ऐसे स्वामित्व का कर्तव्यों के सम्पादन या गुणों के मर्जन से सम्बन्ध हो। सम्पत्ति का स्वामित्व किसी घनी व्यक्ति की सन्तान मात्र होने या उसका उत्तराधिकारी होने से प्राप्त हो जाता है। सम्पत्ति के स्वामित्व का मर्य है पूँजी पर नियन्त्रण और इसका भ्रात्राय है कि अभिको के जीवन को निर्धारित करने का प्रधिकार, क्योंकि अभिक प्रपनी भावीविका के लिए अधिकशत उत्पादन की पूँजीवादी व्यवस्था पर निर्भर होते हैं। आधुनिक युग में उद्योग-घरेलों का अत्यधिक विकास हुआ है और इसलिए पहले की अपेक्षा पूँजी की शक्ति में पर्याप्त अभिवृद्धि हुई है। लॉस्टी का विचार है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रसार राज्य को बहुत कुछ 'ऐसी सह्या' में परिणत कर देता है जिस पर व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामियों का नियन्त्रण हो जाता है और सम्पत्तिहीन लोगों के कोई प्रधिकार नहीं होते। किन्तु आधुनिक युग में अभिको की 'सहयोग और एकता' की शक्ति ने पूँजीपतियों को भ्रात्रय ही इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे अभिको को कुछ सुविधाएं प्रदान करें। मानवीय भावनाओं ने भी इस कार्य में अपना योगदान किया है।

उपर्युक्त स्थिति का ही यह परिणाम है कि वर्तमान सम्पत्ति प्रधा में उत्पादन किसी निश्चित योजना के अनुसार नहीं होता और उसमें विनाश के लक्षण विद्यमान रहते हैं। सामाजिक जीवन के लिए भ्रात्रयक वस्तुओं और सेवाओं का इस तरह वितरण नहीं हो पाता जिनसे लोगों की भ्रात्रयकताओं से सम्बन्ध स्थापित हो सके। जब भ्रात्रयकता भ्रातासी मकानों की होती है तो सिनमा स्थापित किए जाने हैं। धन का व्यय नकानों के लिए करना भ्रात्रयक है, लेकिन व्यय किया जाता है पुढ़पोत बनाने पर। वस्तुएं भ्रात्रयकता के लिए तंयार न की जाकर केवल लाभ के लिए तंयार की जाती है। धनेक गलत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उनका गलत ढंग से वितरण कर दिया जाता है। प्राकृतिक साधनों को भी मितावट द्वारा इसलिए दूषित कर दिया जाता है कि उनसे व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हो सकें। व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से ही व्यवस्थापकों (Legislators) और ज्ञान-स्रोतों को भी अच्छ एवं विहृत कर दिया जाता है।

वर्तमान सम्पत्ति प्रधा नितनी अपर्याप्त है, इसे लॉस्टी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है—

"यह मनोवैज्ञानिक रूप से प्रपर्याप्त है क्योंकि यह मुस्ख्यत भय उत्पन्न कर ऐसे गुणों के सचार को घबराह करती हैं जो उन्हें पूर्ण जीवन-निर्वाह के योग्य बनाने हैं। यह नैतिक दृष्टि से इरनिए अपर्याप्त है क्योंकि यह उन व्यक्तियों को प्रधिकार देती है जिन्होंने उसके उपायें हेतु कुछ भी नहीं किया है, जब इसका उपायें किया यथा तो सामाजिक हित को व्यान में नहीं रखा गया। वर्तमान सम्पत्ति-प्रधा समाज के एक भाग को दूसरों का रक्तपिण्डमु बनाती है तथा दूसरों को साधारण जीवन-यापन करने के भ्रात्रसर तुक से विचित कर देती है। यह प्रधा धार्यक दृष्टि से भी अपर्याप्त है क्योंकि यह भ्रजित धन को इस तरह वितरित नहीं कर पाती जिससे वे लोग स्वस्थ और मुराखित हो सकें जो इसकी प्रक्रियाओं पर जीवित रहते हैं। इन

सब बातों के परिणामस्वरूप ही इस प्रथा ने जनता के विशाल भाग की मास्था स्थो दी है। कुछ लोग घृणा करते हैं, बहुमत इसके प्रति उदासीन है। यह राज्य में उद्देश्य के उत्त विचार का सचार नहीं करती जिसके द्वारा राज्य समृद्धिशाली होता है।"

वर्तमान सम्पत्ति प्रथा पर लौहकी की आलोचना का जवाब देते हुए मनेक लोगों द्वारा इस प्रथा का समर्थन किया गया है। उनके तर्क सधेष में इस प्रकार है—

1 यह आवश्यक है कि मनुष्य को समान्यता कायं करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती रहे। अक्तिगत सम्पत्ति का धर्मिकार इस प्रेरणा की पूर्ति करता है, लोगों में कायं करने का उत्साह उत्पन्न करता है और इस तरह प्रन्त में समाज को लाभान्वित करता है। इस तर्क में बल है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता तथापि इसके समर्थक यह भूल जाते हैं कि समाज का लाभ तभी सम्भव है जब समाज के लिए आवश्यक वस्तुप्रयो का उत्पादन किया जाए और साथ ही जनता में उनका ठीक प्रकार से वितरण हो। केवल अक्तिगत लाभ के उद्देश्य से हानिकारक वस्तुप्रयो का उत्पादन समाज को बौद्धित लाभ नहीं पहुँचा सकता। \*

2 नेतिक दृष्टि से सम्पत्ति -याप्रद है। सम्पत्ति की प्राप्ति व्यक्ति के प्रयत्नों का परिणाम है। यद्यन्ते अम का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य अम करता है और इसमें कोई प्रनुवित या प्रन्यायपूर्ण बात नहीं है। यह उचित है कि एक व्यक्ति प्रपनी आविष्कृत वस्तु से लाभान्वित हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह वस्तु समाज के लिए लाभकारी हो।

3 सम्पत्ति उन गुणों की जन्मदाता है जो समाज के लिए आवश्यक हैं। सम्पत्ति पारिवारिक प्रेम, दया, उदाहरता, आविष्कार, दृढ़ता, शक्ति आदि गुणों को बढ़ावा देती है। समर्थकों का यह तर्क इस दृष्टि से विशेष ढोस नहीं है कि सम्पत्ति-विहीन व्यक्ति भी इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह सम्पत्ति प्रोटर गुणों में आवश्यक सम्बन्ध नहीं होता।

4 सम्पत्ति के समर्थकों का विचार है कि सम्पत्ति केवल प्रभावशाली मांगों की पूर्ति का कान है किन्तु ये समर्थक भूल जाते हैं कि यह भी सर्वया सम्भव है कि जिस प्रभावशाली मांग के लिए उपभोक्ता मूल्य चुका सकता है, वह समाज के लिए हानिकारक भी हो सकती है। उदाहरणार्थ, पश्चलीव साक्षित्व के लिए प्रथमा वाजाह स्त्रियों के लिए प्रभावशाली मांग हो सकती है, इनका उपभोक्ता परिधिक भूगतान कर सकता है, परन्तु वह कोई वृद्धिमान व्यक्ति इन वस्तुप्रयों को समाज के लिए उपयोगी मान सकता है।

5 प्रन्त में, ऐतिहासिक भाषार पर सम्पत्ति-प्रथा का धीरित्य तिद्र किया जाता है। यह कहा जाता है कि प्रपतिशील समाज वही है जो अक्तिगत सम्पत्ति के भाषार पर निर्मित है। पिछवे हुए समाज सम्पत्तिवादी भाषार पर स्थित है। यह ठीक है कि इस विचार में सत्य का पर्याप्त प्रमाण है, किन्तु गुणात्मक दृष्टि से यह लोकता है। ऐतिहासिक दलील एक भानि है। अक्तिगत सम्पत्ति का इतिहास उन विनाशीवाम से परिपूर्ण है जो इसमें निहित शक्तियों के प्रयोग पर नहीं २३।

## लॉस्की मार्क्सिंगवादी के रूप में (Laski as a Marxist)

‘मार्क्स के सिद्धान्तों को वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण करने वालों में लॉस्की का नाम प्रमुख है। मार्क्स के हृदय में सामाजिक न्याय के लिए एक तड़प और दलित बर्ग के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसलिए यदि वह मार्क्सिंगवाद की प्रोटेराइट दृष्टि तो इसमें कोई प्राश्नचर्य की बात नहीं थी। मार्क्स की प्रोटेराइट दृष्टि विशेष महत्वपूर्ण इसलिए प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में वह मार्क्स के मूलभूत सिद्धान्तों को ठुकराता रहा था। उसने मार्क्सिंग द्वारा प्रतिपादित इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और मूल्य के श्रम-सिद्धान्त से प्रसहमति प्रकट की थी। ‘Karl Marx’ नामक अपने निबन्ध में लॉस्की ने मार्क्सिंग की इस धारणा को कि समस्त राजनीतिक घटनाचक्र आधिक स्थितियों में निर्वारित होता है, गलत समझकर ठुकरा दिया था। उसने मार्क्सिंग के इस विश्वास में भी अनास्था प्रकट की कि पूँजीवाद से समाजवाद पर भावतंत हिंसा द्वारा ही हो सकता है। लॉस्की का विचार या कि हिंसा का समाजवादी लक्ष्य से मेल नहीं बैठता, क्योंकि समाजवादी लक्ष्य तो एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें मानवीय सहयोग एवं सामन्जस्य की प्रवृत्तियाँ पूर्णतः मुखरित हो सकें। साथ ही लॉस्की की यह मान्यता भी थी कि आधुनिक सरकारें सेनिक दृष्टि से इतनी सबल हैं कि उनके विरुद्ध हिंसात्मक क्रान्ति की सफलता की आशा करना व्यर्थ है।

लेकिन ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, लॉस्की के विचारों में परिवर्तन आता गया। लॉस्की का दृष्टिकोण अधिक सन्तुलित प्रोटेराइट समीक्षात्मक होता गया। लॉस्की इस व्यावहारिक परिणाम पर पहुँचा कि किसी भी बर्ग द्वारा स्वेच्छा से शक्ति के परित्याग की आशा नहीं की जा सकती। सम्पत्तिशाली लोग केवल इन तर्कसंगत युक्तियों से आश्रित नहीं किए जा सकते कि समानता और न्याय के लिए उत्पादन के साधनों पर समूलं समाज का स्वामित्व बांधनीय है। इस धारणा पर पहुँचने पर लॉस्की मार्क्सिंगवादी बन गया। सन् 1931 में उसने यह स्वीकार किया कि मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्याख्या मोटे रूप में सही है, हालांकि उसका प्रत्येक विवरण सही नहीं कहा जा सकता।

लॉस्की के हिंसा-विरोधी विचारों में भी बहुत परिवर्तन हुआ। सन् 1931 से पूर्व तक वह विकासवादी प्रोटेराइट लोकतन्त्रीय समाजवाद में पूर्ण विश्वास करता था, किन्तु तत्पश्चात् उसकी प्रवृत्ति क्रान्तिकारी समाजवाद की प्रोटेराइट लोगों। सन् 1933 में प्रकाशित अपने प्रन्थ ‘Democracy in Crisis’ में लॉस्की ने शान्तिपूर्ण उपायों से समाजवाद की स्थापना के बारे में गम्भीर सन्देह प्रकट किया। उसने बताया कि इतिहास ऐसा कोई प्रभाण प्रस्तुत नहीं करता कि शासक-बर्ग ने कभी उदारतापूर्वक शक्ति का परित्याग किया हो। यह विश्वास करना मानव स्वभाव के प्रतिकूल होगा कि पूँजीपति-बर्ग स्वयं अपने विशेषाधिकार का परित्याग कर अपनी शक्ति के विनाश को निमन्त्रित करेगा। भर्तीतकाल में क्रान्ति द्वारा ही बर्ग-व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं। भर्त: भविष्य में इसके भिन्न भनुभव किए जाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। दूसरे लब्दों में, लॉस्की को यह मान्यता बन गई कि

वर्ण-संघर्ष का सिद्धान्त एक सजीव सिद्धान्त है और कान्ति ही सामाजिक परिवर्तन की जननी है।

यह स्मरणीय है कि कान्ति का संघर्षक होते हुए भी लॉस्की कान्तिकारी नहीं था। उसने रूस की साम्यवादी कान्ति और समाजवादी व्यवस्था को मान्यता प्रदान दी और उसे उपयोगी भी समझा, तथापि साम्यवाद के भ्रष्टराष्ट्रीय रूप प्रथवा ग्राकामक-विस्तारवादी (Expansionist) स्वरूप की ओर निर्दा की। वह वहीं तक माक्सिंवादी था जहाँ तक समाज की अर्थ-व्यवस्था बदल कर जनतन्त्र लाने का प्रश्न था। दूसरे शब्दों में, उसने माक्सिंवादी पद्धति (Methodology) को बौद्धिक रूप में प्रहरण किया था। उसकी मानसिक हचि तो ऐतिहासिक व्याख्या, आधिक-विश्लेषण, अतिरिक्त मूल्य, वर्ण-संघर्ष आदि सिद्धान्तों के प्रति अधिक थी। लॉस्की माक्सिंवाद को स्थ (Orthodox) अर्थ में प्रहरण नहीं करना चाहता था। देशकाल की उपेक्षा तथा साध्य-साधन का विभ्रम पेंदा करके माक्सिंवाद प्रसफल ही होता है। इसलिए लॉस्की के अनुसार सच्चा माक्सिंवादी जनतन्त्रात्मक समाजवाद का सुस्थिर रूप ही प्रहरण करेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि लॉस्की प्रथम तो किसी दल विशेष की तानाशाही का घोर विरोधी था व्योकि तानाशाही मानव-सम्मता और सकृदित के लिए अभिशाय होती है, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी ब्योर न हो। दूसरे, लॉस्की नौकरशाही का कटु धातोचक था। उसका विश्वास था कि नौकरशाही अपनी शक्ति कायम रखने के लिए सरकार को पगु, जनता को असहाय और परिवर्तन को अवश्य बनाए रखती है। सारौश में, माक्सिंवाद के हिसाप्रयोग को स्वीकार करते हुए भी लॉस्की का आपह इस बात पर था कि समाजवादी कान्ति लाने के लिए लोकतन्त्रीय समाजवादियों को सांविधानिक साधनों का प्रयोग करते रहना चाहिए। वर्ण-संघर्ष में विश्वास करते हुए भी लॉस्की ने साम्यवादियों के इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं किया कि समाजवादियों को हिसात्मक कान्ति की तंदारी करनी चाहिए और कान्ति-विरोधी शक्तियों के विहद कान्ति को रक्षा करने के लिए अमज्जीवी वर्ण की तानाशाही स्थापित करनी चाहिए। सम्भवत लेवर पार्टी का सदस्य होने के कारण लॉस्की का सांविधानिक साधनों की उपयोगिता में विश्वास हो गया था, इसीलिए उसने यह प्रतिपादित किया कि साम्यवादी आतक का निराकरण प्रजातान्त्रिक विकास से ही सम्भव है।

लॉस्की ने भारतरक्षा के लिए ही हिसा का समर्थन किया और कहा कि हिसा का प्रयोग केवल तभी अनिवार्य होगा जब पूँजीपति सांविधानिक साधनों द्वारा समाजवादी कांग्रेस को पूरा करने के मार्ग में बांधाएं प्रस्तुत करें।

उत्सेष्णीय है कि प्रजातान्त्रिक विकास में अपनी प्राप्ति के बावजूद लॉस्की के मन में रूसी प्रयोगों के प्रति हमेशा सद्भावना रही। रूसी कान्ति के पक्ष में लॉस्की ने भौतिक तरफ प्रस्तुत किए और कहा कि इस कान्ति ने जनता और नेतृत्व के मध्य नवीन प्रतिभा का जोत प्रवाहित किया। इसने जनवादी शिक्षा का ध्यापक प्रचार किया, महिलाओं का उद्धार किया तथा जातियों प्रति वर्गों की मूलभूत समस्याओं का स्थायी निराकरण प्रस्तुत किया। योजनाबद्ध उत्पादन के लिए इस

प्रान्ति ने समाज के मार्गिक व राजनीतिक ढाँचे में प्रत्याशित परिवर्तन किए। विज्ञान की नई सौजों प्रौर्धव्ययन की नई दिशाओं को प्रकाश में लाने के लिए इसका अनुदान घट्टिनीय था। भ्रौद्योगिक प्रगति में इसने मानवीत सफलता प्राप्त की तथा न्याय प्रौर्धव्ययन के लिए नवीन व्यवस्था का सूत्रपात किया। एक वाक्य में यह उहा जा सकता है कि इस जनश्रिय प्रयोग ने सदियों से पिछड़ी हुई जनता को प्रेरणा, नवीन सूक्ष्म प्रौर्धव्ययन की। लॉस्की के इस प्रतिपादन से यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि उसने रुसी व्यवस्था के केवल प्रशस्तमक गीत ही गाए। वास्तविकता यह है कि उसने इस बारे में एक सन्तुष्टिपूर्ण प्रौर्धव्ययन को दृष्टिकोण अपनाया। उसने रुसी क्रान्ति प्रौर्धव्ययन के उन तथ्यों की प्रालोचना की जिनसे प्रतिक्रियावाद को समर्थन मिलता है प्रौर्धव्ययन का बातावरण तैयार होता है।

अन्त में, लॉस्की के मावसंवादी विचारों पर प्रकाश ढालते हुए किंग्स्ले मार्टिन के शब्दों में कहा जा सकता है कि—“उसकी युक्तियाँ मार्क्स से भले ही तो यद्य हो, किन्तु अन्तिम परीक्षण तक वह लेतिन की अपेक्षा विलियम भौरिस (William Morris) का समर्थक प्रतीत होता है। यदि वह मावसंवादी या तो उसका कारण यह था, जैसा कि उसके मित्र लुईस लेवी (Louis Levy) ने बताया, कि ‘कालं भास्कं का समाजवाद मनिवायं रूप से मानवतावादी था’, तथा जेरेस न्यूम प्रौर्धवर्ल्ड लॉस्की सभी समाजवादी ये जिन्होंने ‘भास्कंवाद के उस मानवीय पक्ष’ पर बल दिया और ‘वैज्ञानिक समाजवाद के माविज्ञानिक को फौट के वान्तिकारी विन्तन की मुख्य पाराम्परों से समुक्त किया।’ इसी बात को दूसरे लुध्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि उसने विलियम भौरिस की भाँति यह स्वीकार किया कि समाजवाद और भागूत्व एक ही बात है प्रौर्धव्ययन समाजवादियों में बहुत कम सामान्य है। वास्तव में उसका व्यवहार ऐसा था कि कह एक समानतापूर्ण समाजवादी समाज में सदैव प्रसन्न रहता यदि उसे लगातार बोनते रहने प्रौर्धव्ययन करने की स्वतन्त्रता प्राप्त होती।”

### प्रजातन्त्र और अन्तर्राष्ट्रीयता

लॉस्की ने प्रजातन्त्र को मानवता के लिए आदर्शतन्त्र स्वीकार किया। उसका विश्वास था कि व्यक्तित्व का समय विकास एक धराधर प्रजातन्त्र में ही सम्भव है। सुसदात्मक प्रजातन्त्र समाज की सामूहिक बुद्धि का व्यवस्थित विकास है जिसमें जनता की जागृति प्रौर्धव्ययन के परिवर्तन-विकल्प एकनूसरे के पूरक हैं। किन्तु प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा शब्द पूँजीवाद है। प्रजातन्त्र प्रौर्धव्ययन कभी एक साध नहीं बन सकते। पूँजीवाद स्वरूप प्रजातन्त्र को धारणा करता है, लेकिन उसकी प्रात्मा निकृष्टतम् यथिनायकत्व की सूचक होती है। पूँजीवाद से प्रजातन्त्र पर भीषण सकट तब प्राप्त है जब सम्पत्तिशाली वर्ग प्रपने स्वायों प्रौर्धव्ययन के लिए सहने पर कठिन दृष्टि हो जाता है। प्रजातन्त्र से लॉस्की का आशय है कि समाज के सभी सदस्य मुख की प्राप्ति में समान रूप से यथिनायकता है। समाज में विषयता की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए।

लॉस्की ने बत्तमान निर्वाचन-शृंखा को भी अपनी सालोचना का शिकार बनाया। उसने कहा कि “यह बात प्रजातन्त्रें के विरुद्ध है कि प्रति पाँच वर्ष में एक बार मतपेटियों के पास जाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली जाए। इसका प्रथम तो यह हुमा कि सरकार, पाँच साल में केवल एक दिन अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करती है और शेष दिनों स्वेच्छाचारी रहती है।” लॉस्की के अनुसार, “धौयण-पञ्च, कार्यक्रम, निर्वाचन-प्लॉटफॉर्म (Platform), नुगाडों के समय के बायडे, ये सब व्यावहारिक दृष्टि से निरर्थक सिद्ध होते हैं क्योंकि शासक-दल इनका उपयोग अपने क्षणिक साम्राज्य के लिए करते हैं। आदर्श प्रजातन्त्र वह है जिसमें समाज द्वारा निश्चित मतों के कार्यरूप में परिणत किया जाए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय में जनता की राय अनिवार्य रूप से सी जाए। ऐसा प्रजातन्त्र पूँजीवाद पर स्थित न होकर समाज की पाधारीशिला पर निभित होगा। प्रतिक्रियावादी पूँजीवाद की जगह पुरोगामी प्रजातन्त्र मानवता के लिए बरदान मिल होगा।”

विश्व-एकता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में लॉस्की के विचार स्पष्ट एवं प्रात्यक्षिकासपूर्ण हैं। वह समस्त विश्व का एक ही धर्म स्वीकार करता है जो मानवता है। इस मानवता की रक्षा करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। ‘एक विश्व’ (One World) का स्वर्ण जिस दिन साकार होगा उस दिन मानवता के नए मूल्यों की प्राण-प्रतिष्ठा होगी। लॉस्की का विश्वास या कि राज्य की सम्प्रभुता अन्तर्राष्ट्रीयता विरोधी है और राज्यों में जो क्षेत्रीय तथा प्राथिक विषयमता विद्यमान है उसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। विश्व-संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव की वृद्धि के लिए वह सधबाद की बातेंगों को सुदृढ़ बनाने का समर्थक था। उसका मत या कि अनुकूल राष्ट्रसंघ विश्व के लिए नवीन धारा है, लेकिन उसे रचनात्मक कार्यों द्वारा ससार के पिछङ्गे दृष्टि देशों की समृद्धि में वृद्धि करनी चाहिए। वस्तुतः एक शान्ति-प्रचारक एवं युद्ध-विरोधी विचारक के रूप में लॉस्की का सर्वत्र उल्लेख किया जाता है। वह कहा करता या कि अपना शासन करते समय लोगों को भ्रातृत्व के नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि विना भ्रातृत्व के स्वतन्त्रता तम्भव नहीं। मानवता की मुक्ति के लिए उसने विश्व-शान्ति की समस्या को स्थायी रूप से सुलभाने का समर्थन किया।

### लॉस्की के दर्शन का मूल्यांकन

#### (An Estimate of Laski's Philosophy)

लॉस्की ने राजनीति पर इतना लिखा है कि इस युग में उसकी टक्कर के सेतुक बहुत कम हुए हैं। उसके गम्भीर विचारों की छाप सन् 1930 के काल के इस दृष्टि पर स्पष्ट है। सन् 1930-40 के बीच के समय को ‘लॉस्की युग’ के नाम से सम्बोधित किया जाता है। ससार के विभिन्न देशों में लॉस्की के गम्भीर और लेखों को विसेप रूप से सम्मान से पढ़ा जाता है और उनके महत्व को अनुभव किया जाता है। लॉस्की के अनेक मुयोग्य शिख्यों ने उच्च राजनीतिक पदों को मुग्जित किया है। किंसले मार्टिन लॉस्की की तुलना मॉन्टेस्क्यू और टॉकविल से करते हुए

कहता है कि 12वीं सतावंदी के बाद लोकतन्त्राय विचारमौर समाजो का वितना गहन तथा मौलिक ज्ञान लाँस्की और यात्रना यूरोप और अमेरिका में सम्भवतः प्रन्य किसी को नहीं था। इसके विषये उसके दो दोनों दृष्टिकोणों से आलोचको का विचार है कि एक राजनीतिवेत्ता प्रौर संदानिक विचारक के रूप में लाँस्की उस उक्तप्रता प्रौर विशिष्टता का भी प्रदर्शन नहीं कर सका जिसकी उसके प्रारम्भिक लेखों को देखते हुए आशा थी। लाँस्की के मूल्य प्रौर महत्व के विषय में आलोचकों में वस्तुत बड़ा मतभेद है। दोनों सुरीवे आलोचको ने तो लाँस्की में सन् 1930 के उपरान्त बोटिक हास के दर्शन किए हैं। मिशिगन स्टेट कॉलेज के प्रो कॉरोल हॉकिस के मनुसार सन् 1931 के बाद लाँस्की एक विद्वान् की घणेशा प्रचारक ग्रन्थिक बन गया।

इसमें कोई सदृश नहीं कि महान् शिक्षाशास्त्री लाँस्की ने अपनी प्रदम्भुत प्रतिभा द्वारा विद्यार्थियों की विचार-शक्ति को प्रस्फुटित किया प्रौर उनकी कल्पना को सजीव व जायत बनाया, कलम के धनी के रूप में उसने ड्रिटिंश जनमत को युद्ध के कान्तिकारी परिणामों से परिचित कराया; एक बहुमूल्की विचारक के रूप में उसने स्वतन्त्रता प्रौर सत्ता के पारस्परिक सम्बन्ध की चिरकालीन समस्या को बीसवीं सतावंदी के विशेष प्रसंग में प्रस्तुत किया; तथापि इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि डॉ हब्बेंट ढीन जैसे आलोचको के निष्कर्ष में काफी सत्यता है। लाँस्की के प्रारम्भिक लेख जितने गहन थे, उनके अनुरूप वह अपनी प्रतिभा का प्रस्फुटन नहीं कर पाया प्रौर प्रथम श्रेणी का विचारक नहीं बन सका। स्वयं ढीन के शब्दों में—“लाँस्की की रचनाओं से पाठको को प्राय ऐसा आभास नहीं मिलता कि लेखक किसी विचार से जूझ रहा है। उसमें कोई सधर्व की भावना नहीं है। ऐसी किसी भावना की पनुभूति नहीं होनी कि हम एक जटिल विषय प्रौर एक ऐसे नक्तिगती मस्तिष्क में कोई ऐसा सधर्व देख पाते हो जो उसके विश्लेषण की शक्ति को अपनी सीमाओं तक प्रौर सम्भवत। उससे भी एक कदम प्राप्ति ले जाने के लिए सकल्पवद्ध हो।”

लाँस्की की प्रन्य दृष्टि से भी आलोचना की गई है। उसके चिन्तन में दो परस्पर विरोधी तत्व मिलते हैं। एक तरफ तो वह वैद्यकिक स्वतन्त्रता का प्रोपक है प्रौर दूसरी तरफ वह समानता के सिद्धान्त का उपासक है। राज्य-सत्ता से व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए उसने सम्प्रभुता-सिद्धान्त पर प्रहार किया है। लाँस्की के प्रारम्भिक विचार बहुलवादी थे, लेकिन जब उसने देखा कि एक विषमतापूर्ण समाज में स्वतन्त्रता सच्चे भयों में कायम नहीं रह सकती, तो वह मावसंवादी बन गया प्रौर उसने समाज की ग्राहिक व्यवस्था पर राजकीय नियन्त्रण की मांग प्रस्तुत की। लाँस्की के इन्हीं विचारों के कारण आलोचको ने उसे रुसो प्रचारक तक कह डाला है प्रौर अमेरिका तथा यूरोप के प्रतिक्रियावादी दोनों में उम्हे विचारों तो भयानक माना गया है। दूसरी प्रौर साम्यवादियों ने उसे परभृष्ट विभेदक तत्व की सज्जा दी। इन्तु सच्चाई यह है कि उसने पूँजीवाद प्रौर साम्यवाद के बीच जनतन्त्रीय समाजवाद की प्रबल विचारधारा का प्रतिपादन कर एक नया मायदांगन किया है। मंडस-सन्नेर एवं एबस्टीन जैसे समीक्षको की धारणा है कि

लॉस्की घपने प्रारम्भिक उदारवाद से कृम्भे मूक नहीं हो सका और उसने उदारवाद तथा मास्सेवाद को मिथित करने का कठिन, काय पूर्ण करने का प्रयत्न किया। हम इसको लॉस्की के चिन्तन का गुण भी माल उत्तुर्ण है और दोष भी। लॉस्की विश्व को एक समन्वय और गहन राजनीतिक दर्शन क्यों नहीं दे सका, इसका एक कारण ढो ढोन के अनुसार यह है कि वह प्रार्थ एक ऐसा सख्त सूत्र खोजने को संचेष्ट रहता था जिससे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। पहले लॉस्की बहुतवादी सिद्धान्त मे आस्था रखते हुए यह कहता था कि राज्य के भवेक कार्यों को स्थानीय समूह तथा औद्योगिक प्रबन्ध की विशिष्ट एवं विकेन्द्रित सत्याप्रो को हस्तान्तरित कर देना चाहिए। लेकिन बाद मे वह समाज की आर्थिक व्यवस्था पर सरकार के नियन्त्रण को उत्तिर ठहराने लगा और अन्त मे समाज की सभी समस्याओं का समाधान उसे मास्सेवाद मे दिखाई दिया। पर यह स्मरणीय है कि समय-समय पर लॉस्की के साथी मे उन्हे किनने ही परिवर्तन करने न आए हो, उसका साध्य सदैव प्रतिवर्तित ही रहा। वह साध्य था—स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व की प्राप्ति।

लॉस्की ने राजापालन के जिम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया वह भी दोषपूर्ण है। उसकी यह मान्यता कि प्रत्येक व्यक्ति को उसी कानून का पालन करना चाहिए जो उसके अन्त करणे के अनुसार हो, भराजकता का कारण बन उठती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्त करणे के विशद होने के कारण कानूनो की प्रवृहेना करने लगे तो लोगो मे आज्ञापालन का भाव ही सुधा हो जाएगा। साथ ही यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति मे राज्य के कानूनो का अधिकार परखन की अमता भी नहीं होती। राजाज्ञापालन के विषय मे लॉस्की के विचारो की तुलना मे ग्रीन के विचार प्रधिक उचित तथा मान्य हैं। ग्रीन का विचार है कि व्यक्ति राजाज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि राजाज्ञा सामान्य हित को अभिवृद्धक होनी है।

लॉस्की के विचार म हम जो असरनियों देखते हैं वास्तव मे व समय-समय पर उसके बदलत हुए दृष्टिकोण का परिणाम है। इन्हु इन मसनगनियो के प्राचार पर ही यह बान अवश्य नहीं हो जाती कि वह 20वीं शताब्दी का एक महान् विचारक था। उसन घपना जीवन समाज की सेवा के लिए प्राप्ति किया और प्राधुनिक समस्याओं की सुलभता का प्रजसनीय प्रयोग किया। वह अत्यधिक मानववादी था और वर्ग हित के लिए ही नहीं प्रत्युत सम्मुख समाज के हित के लिए चिन्तित था। अध्यापक होकर सक्रिय राजनीति मे अभियुक्त ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष योगदान करना, लॉस्की की भौतिकता और विशेषता थी। उसन बहुतवाद, प्रजातन्त्र, अन्तर्द्दूषिता प्रति की व्यापक उपर्युक्त और जोड़िक यूग्मता उन्होंने 'इन-पिपल' पर उसके विचार समझन सर्वमान्य हैं। लॉस्की का अनित्व विविधता से पूर्ण था। एक विद्वान्, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, लेखक, प्रकार, समाजसेवी, निष्कर और मिश के रूप मे उसने पर्याप्त स्थान प्रतित की। उसके अनित्व मे वे उभी पञ्च पून-नितकर उसकी भौतिकता की पुष्टि करते हैं।

गांधीवादी राजनीतिक दर्शन को किसी निश्चित सिद्धान्त ग्रंथवा सूत्र की परिवर्ति में बांधने का प्रयास नहीं करना चाहिए किंतु इसके प्रणेता गांधीजी स्वयं किसी एक विचार ग्रंथवा मत के पोषक नहीं थे। प्रत्येक बात को उसके गुणों की व्यष्टता के आधार पर स्वीकार करने के कारण गांधीवादी दर्शन में अनुदारवाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्बवाद, भ्रातृज्ञानवाद, राष्ट्रवाद आदि विनित्र विचारधाराएँ सम्मिलित दिखाई देती हैं। गांधीवादी दर्शन सरल होते हुए भी व्यापक है, स्पष्ट होते हुए भी बहुमुखी और विभिन्नतापूर्ण है। इसे किसी भी राजनीतिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करना कठिन है। फिर भी महात्मा गांधी के राजनीतिक, सामाजिक, धार्यांक और नैतिक आदशों को सामूहिक रूप से हम गांधीवाद ग्रंथवा गांधीवादी दर्शन की सज्जा दे सकते हैं। डॉ पट्टाभिम सीतारमेण्या के शब्दों में, “वस्तुत गांधी-दर्शन उन सिद्धान्तों और नीतियों से मिलकर ही बना है जिनका वे पक्ष पोषण करते हैं और गांधीवाद से अभिश्राय उस दर्शन से है जिसने उनके जीवन और चरित्र, उनके कार्य और चिदियों, उनके उपदेशों और शिक्षाओं को नया रूप प्रदान किया।” गांधीवादी दर्शन इतना विशाल और भवान् है कि इसमें विश्व के सभी बोने के सन्तों की विकाएँ आकर सम्मिलित हैं। गांधीवादी राजनीतिक दर्शन को भली-भाली समझने के लिए उचित यही है कि हम महात्मा गांधी के प्रमुख राजनीतिक विचारों की संखेप में एक-एक करके विवेचना करें।

महात्मा गांधी

(Mahatma Gandhi, 1869-1948)

जीवन-परिचय

महात्मा गांधी, जिनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचन्द गांधी था, प्राचीनिक युग के भारतीय राजनीति के ऐसे सन्त विचारक थे जिन्होंने राजनीति का प्राच्यात्मीकरण किया और भारतीय स्वाधोनता-संघर्ष को सत्य तर्फा अर्हस्ता के दल पर संचालित करन के बाल देश के राजनीतिक जीवन को नई गति और नूतन दिशा प्रदान की बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए अमूल्य धरोहर ढोड़ी।

महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को काठियावाड में पोरबन्दर नामक स्थान पर एक धार्मिक परिवार में हुआ। मैट्रिक पास करने के बाद कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे सन् 1888 में इंस्टीट्यूट गए। सन् 1891 में भारत लौटने पर उन्होंने बकालन मुरू हो। सन् 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले

में वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ गए थे केवल एक वर्ष [के लिए, किन्तु रहे वहाँ 20 वर्ष से भी अधिक। अफ्रीका में उन्होंने उस अस्थाज्ञार व अन्याय के विशद् अहिंसात्मक सघर्ष किया जो वहाँ की गोरी सरकार प्रवासी भारतीयों पर जाति और रंग के नाम पर कर रही थी। अफ्रीका में ही उन्होंने अपने महान् अस्त्र 'सत्याग्रह' का सफल प्रयोग किया। 'अहिंसा की तलबार' से लड़े गए सफल सघर्ष ने महात्मा गांधी को भारत के भावी नेता के रूप में अपनी भूमिका अदा करने की योग्यता प्रदान की। अफ्रीका में अहिंसात्मक सघर्ष को जो तकनीक उन्होंने विकसित की, उसका भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम में सफल प्रयोग किया गया।

सन् 1914 में भारत लौटने पर बम्बई की जनता ने मोहनदास करमचन्द गांधी को 'महात्मा' की उपाधि दी। भारत लौटने के तुरन्त बाद महात्मा गांधी देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। सन् 1915 से 1948 तक उन्होंने टेंशन की स्वतन्त्रता के लिए अरथक् परिश्रम किया। अगस्त, 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद कौरेस में उनका सर्वोपरि नेतृत्व कायम हो गया। भारत के स्वाधीन होने तक उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से विदेशी हुक्मत के विशद् सफल सघर्ष किया। 'अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन' और 'सत्याग्रह आन्दोलन' उनके ही नेतृत्व में हुए जिनसे सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय जागरण की लहर फैल गई। अहिंसात्मक आन्दोलन के दौरान जब कभी हिंसात्मक बातावरण बना, तभी उन्होंने आन्दोलन को स्थिरित कर दिया, चाहे वे सफलता के निकट ही क्यों न पहुंच गए हों। महात्मा गांधी ने अपने आचरण और कार्य से स्पष्ट कर दिया कि उनके जीवन में सत्य और अहिंसा का सर्वोपरि स्थान था। और वे राजनीतिक समस्या का समाधान आधारितिक तथा नीतिक बल द्वारा करना चाहते थे। गांधीजी की प्रेरणा से ही अगस्त, 1942 में विस्तार 'भारत छोड़ो' आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जिसने सम्पूर्ण शासनतन्त्र को हिसा दिया। गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने 21 दिन का ऐतिहासिक उपचास किया। सन् 1944 में उन्हें कारावास से मुक्त किया गया। इस समय जिन्होंने 'पाकिस्तान आन्दोलन' का जोर दया। गांधीजी ने जिन्होंने पाकिस्तान सम्बन्धी समस्या सुलझाने के लिए वार्ता चलाई जो विफल रही। बाद में केबिनेट मिशन के निर्णयों के अनुरूप सविधान सभा के चुनावों में गांधीजी के नाम पर ही कैपिस्ट को चुनाव जीतने में प्रभूतपूर्व सफलता मिली। केबिनेट मिशन की घोषणा के अनुसार सन् 1946 में प्रन्तरिम सरकार की स्वापना हुई और फिर माउण्टबेटन की भारत-विभाजन योजना के अनुसार सन् 1947 का भारतीय स्वाधीनता विधेयक पारित हुआ जिसने भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्यों को जन्म दिया। प्रारम्भ में गांधीजी ने विभाजन की योजना का विरोध करते हुए 'घोषणा' की थी कि भारत का विभाजन भेरी लाश पर होगा, परन्तु उन्हें परिस्तियों के प्रागे विवश होना पड़ा। गांधीजी ने देश के इस विभाजन को प्राधारितिक विनाश का नाम दिया।

स्वाधीनता के दूसरों देशों में साम्प्रदायिकता की जगता भड़क उठी।

गांधीजी ने अपना शेष जीवन साम्राज्यिकता की इस भयकर मांग को शान्त करने में होम दिया। 30 जनवरी, 1948 को एक प्रायंत-सभा में होठों पर ईश्वर का नाम लेते हुए वे धर्मान्वय नाथूराम गोडसे की गोलियों से शहीद हुए।

गांधीजी की मृत्यु भी उनके जीवन की तरह अकारण नहीं गई। उनके बलिदान से वे विचार और सिद्धान्त और भी धर्मिक सजीव द्वारा प्रभावकारी हो उठे जिनके लिए उन्होंने जीवन-भर सधर्व किया था। जीवन-भर वे सुकरात और बुद्ध की तरह सत्य और अहिंसा पर ढटे रहे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण राजनीतिक और सामाजिक युद्ध इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर लड़ा था। मृत्यु के बाद वे अपनी जीवितावस्था की अपेक्षा धर्मिक प्रभावी हो उठे। सार में करोड़ों व्यक्ति याज उनके विचारों और सिद्धान्तों से अनुप्राणित हैं।

### आध्यात्मिक आदर्शवाद (Spiritual Idealism)

महात्मा गांधी ने ईश्वर, सत्य, नेतृत्विक भावि पर जो विचार प्रकट किए वे एक ही ताने-जाने में बुने हैं, उन्हें एक दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। उनकी ईश्वर की प्रबधारणा सत्य की प्रबधारणा से पृथक् नहीं थी और नेतृत्विक अनुभूति ईश्वर के प्रस्तित्व की सर्वथेष्ठ कस्ती थी। इस प्रकार ईश्वर नेतृत्व नियम का ही दूसरा नाम हो जाता है।

### ईश्वर (God)

महात्मा गांधी को विश्वास था कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य से इकार करना ईश्वर के प्रस्तित्व से इकार करना है। ईश्वर करुणा का सागर है जो अपनी सत्ता मनवाने का इच्छुक नहीं है पर जिसका प्रभाव ही ऐसा है कि हम उसके आगे न तमस्तक होने में गोरव और सन्तोष का अनुभव करते हैं। ईश्वर के प्रस्तित्व को सीमित प्रभालित करना असम्भव है। जगत् में सबंत्र एक ही व्यवस्था के दर्जन होते हैं, प्रत्येक पदार्थ और प्राणी एक घटक नियम से बंधा हुआ है। यह नियम अन्धा नहीं है क्योंकि हमारा आचरण किसी अन्धे नियम के अनुसार निर्विगित नहीं हो सकता। चारों ओर परिवर्तन का नियमित चक्र चल रहा है। इन बातों के पीछे कोई चेतना-ज्ञाति अवश्य है जो बदलती नहीं। यह चेतना ज्ञाति निर्माण और सहार की स्वामिनी है। यह सत्ता ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं हो सकती।

गांधी का भगवान् बूढ़ि से नहीं, वरन् थदा से जाना जा सकता है। थदा की प्रकाश किरण से ही ईश्वर का साक्षात्कार सम्भव है। ईश्वर सबंध्यापी है और हर मनुष्यके<sup>५</sup>दृदय में उसका निवास है। यदि हृदय को थदापूर्वक टटोली, निष्पाप रहो, सर्व नेतृत्व अनुभूति में तल्लीन रहो तो ईश्वर का प्रवश्य ही आभास मिलेगा।

ईश्वर सुभ-अगुभ का स्वामी है, पर स्वयं प्रसुभ नहीं है। उसने दुराई पैदा की है पर युद्ध उससे अद्यता है। दुराई से युद्ध करना ईश्वर-ज्ञान प्राप्त करने का एक सबल मार्ग है। ईश्वर हमारे लिए प्रस्पष्ट इसलिए है कि हम उसके 'बरीनातीत'<sup>६</sup> हूप का बक्षान नहीं कर पाते। सब उसका अपने-अपने उग से दर्जन करते हैं पर

इसमें दोष कुछ भी नहीं है। यह तो एक बरदान है क्योंकि, “इससे प्रत्येक मनुष्य उसे अपने ढग से देख सकता है, ईश्वर सबके लिए सब कुछ बन सकता है।” गांधीजी ने अपनी इस धारणा से धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय तुदि का परिचय दिया। यदि हम इस समन्वयकारी मार्ग का अनुमरण करें तो आज की साम्राज्यिक समस्या का निदान दूर नहीं होगा।

गांधीवादी चिन्तन में ईश्वर वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक दोनों हैं। वैसे गांधीजी के मस्तिष्क और हृदय की पृष्ठभूमि वैयक्तिक ईश्वर को स्वीकार करने के लिए ही प्रेरित होती थी। उनका विश्वास था कि ईश्वर हमारी भक्ति और प्रार्थना का प्रधिकारी है, उसकी शक्ति और अच्छाई जीवन में मूर्तरूप में प्रतिविमित होनी चाहिए। ईश्वर को वैयक्तिक रूप में देखने पर ही वह हमारे लिए सत्य होता है। किन्तु गांधीजी के विचारों में एक और प्रवृत्ति भी है जो उन्हें वैयक्तिक ईश्वर की प्रवधारणा से दूर ले जाती है। इस सम्बन्ध में उनका एक स्पष्ट कथन इस प्रकार है—“मैं ईश्वर की व्यक्ति नहीं मानता।” “ईश्वर का नियम और ईश्वर दो पृथक् पदार्थ या सत्य नहीं हैं जैसे कि लोकिक राजा और उसके नियम पृथक् होते हैं। ईश्वर तो प्रत्यय है, स्वयं नियम है, अत ईश्वर द्वारा नियम भग किए जाने की कल्पना असम्भव है।” और भी, “समस्त जीवन का सचालन करने वाला नियम ही ईश्वर है नियम और नियम का सूष्टा एक ही है।” गांधीजी का यह विचार हमें अनिवार्य रूप से ‘सत्य’ के निष्ठा ले आंता है क्योंकि उन्होंने प्राय सत्य के रूप में नियम की चर्चा की है। सर्वोच्च सत्ता को जब सत्य स्वरूप माना गया है तो उसका स्वाभाविक ग्रंथ है वैयक्तिक के स्थान पर निर्वैयक्तिक दृष्टिकोण की स्वीकृति।

गांधीजी ने ईश्वर को मानवता से कभी पृथक् नहीं माना। उन्होंने ‘ईश्वर’ शब्द का ग्रंथ-विस्तार किया और उसे ‘दरिद्रनारायण’ की सज्जा दी जिसका ग्राहक है ‘गरीबों का ईश्वर’। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की—“मैं उस ईश्वर के अलावा जो लालों मूरु जनों के हृदय में नियास करता है और किसी ईश्वर को नहीं मानता।” इस तरह गांधीजी ने स्वर्ग के भगवान दो घरती पर उतार दिया, उमे अलोकिक से लोकिक बना दिया, मनुष्यों में समुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रदृश्य है, इससिए यदि हम अदृश्य की सेवा करें तो पर्याप्त है। दृश्य ईश्वर की सेवा का ग्रंथ है गरीब की सेवा और यही हमारे सावेजनिक जीवन का ग्रंथ भी है। यदि हमें अनता की सेवा करनी है, तो हमें भगवान का नाम लेकर गरीबों के बीच जाकर उनके दुख दर्द दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि भगवान् गांधी ने इस प्रकार ईश्वर का नामाजीकरण भी किया और मानवीकरण भी।

गांधीजी ने ईश्वर को महान् लोकतन्त्रवादी की सज्जा भी दी थी। उनका कहना था कि ईश्वर सबसे बड़ा लोकतन्त्रवादी इनलिए है कि उसने हमें दुराई और पच्छाई के बीच अपना बुनाव सुद कर सेने की खुली घट दे रखी है। यहाँ “म चाहते हैं कि हमारा प्रस्तित्व कायम रहे तो हमें मदा ईश्वर की इचाहिए।” “हम उसी दशी की तान पर नाचते रह ना कल्पयाएँ ही . . .”

प्रार्थना में महात्मा गांधी का भ्रूट विश्वास था। प्रार्थना आत्मा की इच्छा की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना उस सर्वोच्च सत्ता अर्थात् ईश्वर के प्रति दंविक अद्वैति है। जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखते हैं उनके लिए प्रार्थना जीवन का वह तत्त्व है जो उन्हें सन्मार्ग की ओर मप्रसर करता है।

गांधीजी ने ईश्वर को सत्य तथा प्रेम और अन्तःकरण की सज्जा भी दी। अपने विवारो के विकास की घटस्था में उन्होंने 'ईश्वर सत्य है' इस कथन को बदल कर 'सत्य ईश्वर है' कर दिया। अन्तिम विश्लेषण में उनके अनुसार, 'सत्य ही ईश्वर है।' वास्तव में 'ईश्वर सत्य है' की जगह 'सत्य ही ईश्वर है' की, अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। 'ईश्वर सत्य है' उक्ति से ऐसा लम्बा है कि ईश्वर की सत्ता के विषय में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिए। ईश्वर विषयक इस परम्परागत विवार से नास्तिक लोग संहमत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 'ईश्वर सत्य है' कहने में एक अन्य कठिनाई यह है कि ईश्वर का नाम करोड़ों लोगों ने लिया है और उसके नाम पर अवरणित अत्याचार किए गए हैं, अतः यदि 'सत्य' मान्द को ईश्वर के बाद न लगाकर ईश्वर से पहले लगा दिया जाए अर्थात् यदि 'सत्य' को ईश्वर समझा जाए तो इस पर नास्तिकों को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती वयोंकि वे भी सत्य की स्रोत करता चाहते हैं। 'सत्य ईश्वर है', इस उक्ति का आशय यह है कि ईश्वर यदि सत्य से भिन्न है तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। इस धारणा को सारी मानव-जाति अपना सकती है। इसमें सन्देह नहीं कि सत्य सम्बन्धी विवाद भी उतने ही अधिक रहे हैं जितने ईश्वर-विषयक विवाद, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से गांधीजी का यह विचार ठीक है कि भिन्न-भिन्न मान्यताओं वाले व्यक्ति भी सत्य के मध्य पर एकत्रित हो सकते हैं। इस तरह सत्य जीवन में एकता लाने वाला तत्त्व बन जाता है और उसे ईश्वर से भी पहले स्थान देना उचित ही है। एन के बोस ने इस तथ्य को बहुत ही स्पष्ट रूप से इन शब्दों में प्रकट किया है—“अपनी बदलती हुई मान्यता के कारण गांधीजी भी ऐसे व्यक्तियों को भी सहखोजियों के रूप में साथ ले सकते थे जो मानवता या अन्य किसी व्यक्ति को अपना ईश्वर मानते हैं और जिसके लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हैं। सत्य को सर्वोच्च स्थान देने से गांधीजी सचमुच उदार हो गए और उन्होंने अपने से भिन्न किसी भी ईश्वर की पूजा करने वाले प्रत्येक अन्य ईमानदार व्यक्ति के हृदय से गृहकर्ता के सभी चिह्न मिटा दिए।”

वास्तव में 'सत्य ही ईश्वर है' कहकर गांधीजी उन लोगों को अपना अनुयायी बना सके जो मानवता को अपना उपास्य देव समझते थे। अन्त में, इसका अर्थ यह भी है कि सत्य से तनिक-सा भी डिग्नाना अपने को दंविक तत्त्व से भलग कर लेना है जिसके परिणामस्वरूप आधात्मिक पतन निश्चित है। जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं उन्हें दूसरों के साथ माचरण करने में पूर्ण सत्य का पालन करना चाहिए। इसका स्वाभाविक अर्थ यह हूँगा कि जो लोग सत्य को विशेष महत्व नहीं देते वे सच्चे सत्यायही बनने के योग्य नहीं हैं।

## सत्य (Truth) .

गौडीजी ने सत्य के तत्त्व को स्पष्ट करते हुए उसके सद्गुणितक प्रौर व्यावहारिक दोनों ही पक्षों पर बल दिया। सत्य को ग्रवधारणा में वे इतने लीन हुए कि उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ही सत्य की ओर में पथित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि सत्य के सिवाय धन्य किसी वस्तु का प्रस्तित्व नहीं है। ईश्वर का सच्चा नाम सद् या सत्य है, इसनिए 'ईश्वर सत्य है' ऐसा कहने की अपेक्षा 'सत्य ही ईश्वर है', ऐसा कहना अधिक उचित है। सत्य गौडीजी के तद्द-ज्ञान का केन्द्र है। उसके प्रनुसार हमारा प्रत्येक व्यवहार प्रौर कायं सत्य के लिए होना चाहिए। सत्य के प्रभाव में किसी भी नियम का सही तरह पालन नहीं किया जा सकता। बाणों, विचार प्रौर आचार में सत्य का होना ही सत्य है। सत्य की प्रवृत्ता ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है।

गौडीजी ने सम्पूर्ण जीवन को सत्य में देखना चाहा। उन्होंने चताया कि जैसे एक रेखा में प्रत्येक स्थान पर बिन्दु होते हैं वैसे ही जीवन या विश्व में प्रत्येक स्थान पर सत्य है। परन्तु जैसे रेखा में साकारणत दर्शक बिन्दु को नहीं देख पाते, वैसे ही इस जीवन ने सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाते। मात्र की सिद्धि तो तभी सम्भव है जब दृम अपनी दृष्टि को सदैव निर्देश और निर्मल रखें।

गौडीजी का सत्य कल्पित सत्य नहीं है, प्रविदु स्वतन्त्र प्रौर विरस्थायों सत्य है। उन्होंने विकुण्ठ वंशानिक की भाति सत्य को प्रत्यक्ष माना। गौडी-चिन्तन में सत्य यही है जो ध्रूव है, प्रटल है, प्रपरिवर्तनीय है। सत्य की ओर करने का ढग भी एक वंशानिक के समान प्रयोगात्मक है। सत्यान्वेषण के लिए भारत-गुदि धावश्यक है प्रौर भारत शुद्धि के लिए कुछ उपकरण प्रावधयक हैं जैसे सत्य (Truth), प्रहिमा (Non-violence), प्रस्तेय (Non-stealing), प्रपरिप्रह (Non-possession), बहुवर्य (Celibacy) आदि। गौडीजी के प्रनुसार सत्य पन्तरात्मा की प्रावाज है, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति की पन्तरात्मा सदैव सत्य का दर्शन नहीं कराती। यह सम्कार-भेद धारणा शुद्ध-प्रशुद्ध होती है।

दैनिक जीवन में सत्य सापेक्ष (Relative) है, लोकन इस सापेक्ष सत्य के माध्यम से एक निरपेक्ष (Absolute) सत्य पर पहुँचा जा सकता है प्रौर यह निरपेक्ष सत्य ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति ही मनुष्य का परम धर्म है। यह तथ्य के बीत भावात्मक सत्य (Abstract Truth) नहीं है। इसकी प्राप्ति साकारण जीवन में की जा सकती है। उदाहरणार्थ, सभी मनुष्यों का साध-साध एवं सह-सहायता व्यर्थात् सर्वोत्तम परम लक्ष्य है। यह एक निरपेक्ष सत्य है। इसे हम चरम वास्तविकता (Absolute Reality) भी कह सकते हैं। गौडीजी के प्रनुसार 'प्रधिकतम व्यक्तियों के प्रधिकतम मुख' का विद्यान्त एक हृदयहीन विद्यान्त है जिससे मानवता को बहुत हानि हुई है। वास्तव में सम्प्र प्रौर मानवीय विद्यान्त तो 'सभी व्यक्तियों को प्रधिकतम मुख' है जिसे पूर्ण भावोत्तम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय जीवन का प्रत्यक्ष सत्य है जिस तक पहुँचने के लिए पतेक पहाड़ प्राप्त हैं। सर्वोदय के लिए

भावश्यक है कि गौधीजो और दलितों का शोषण बन्द हो, सभी देश स्वतन्त्र हों, समाज में भाविक और सामाजिक समानता हो। ये पड़ाव सापेख सत्य हैं जिनके माध्यम से निरपेक्ष सत्य अर्थात् चरम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। कहने का सार यह है कि नगे को वस्त्र-दान, भूखे को प्रश्न-दान और बेपर को आश्रय-दान करना सत्य है। यही ईश्वर है और इसे ही प्राप्त करना चाहिए।

गौधीजो के सत्य के क्षेत्र में केवल व्यक्ति का ही नहीं, बरन् समूह और समाज का भी समावेश है। गौधीजी के मनुसार सम्पूर्ण (मन, वचन, कर्म) सत्य का पालन धर्म, राजनीति, अर्थनीति, परिवार सब में होना चाहिए। व्यक्ति और समाज का कोई पक्ष सत्य से विरक्त नहीं होना चाहिए। राजनीति में सत्य के पूर्ण पालन का उनका नवीन प्रयोग विश्व-इतिहास के लिए एक अविस्मरणीय घटना है।

### नेतिक पवित्रता पर बल और साधन की श्रेष्ठता में विश्वास

महात्मा गौधी नेतिक पवित्रता पर कितना बल देते थे, यह उनके धर्म, ईश्वर और सत्य की प्रवधारणा से स्पष्ट है। उन्होंने सामाजिक, भाविक, राजनीतिक सभी विचारों में और अपने सम्पूर्ण जीवन में आध्यात्मिकता तथा नेतृत्व को प्रधानता दी थी। बस्तुत गौधी चिन्तन राजनीतिक विचार-दर्शन की अपेक्षा एक नेतिक जीवन-दर्शन अधिक है। गौधीजो का विश्वास यह कि मनुष्य की सम्पूर्ण राजनीतिक, भाविक और सामाजिक समस्याएँ अपने मूल रूप में नेतिक समस्याएँ हैं। इन समस्याओं का निराकरण तभी सम्भव है जब मनुष्य पवित्र आचरण और दूदय की शुद्धि पर अधिक बल दे। गौधीजी नेतिक नियमों के प्राधार पर सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान और सम्पूर्ण मानव-जाति की एकता बाहते थे।

नेतिक पवित्रता पर बल देने का यह स्वाभाविक परिणाम था कि गौधीजी माधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। वे कहा करते थे कि साधन और साध्य एक-दूसरे से जोली-दामन की तरह सम्बद्ध हैं और एक की अपवित्रता दूसरे को भी भ्रष्ट कर देती है। यह यदि साध्य उत्तम हैं तो उसे प्राप्त करने के साधन भी उतने ही उत्तम होने चाहिए। पवित्र साध्य के लिए यदि उतना ही पवित्र साधन न मिले तो उस साध्य को भी छोड़ देना चाहिए। गौधीवाद का 'मानवों की पवित्रता' का विचार ही उन्हें गांधीवाद से भिन्न करता है। मावसंवाद एक बर्गहीन समाज के धारणों की प्राप्ति के लिए सूनी कान्ति का उपदेश देता है जबकि गौधीजी की मान्यता यों कि सून की बूँद गिरते ही जिस कीपत पर बर्गहीन समाज मिलता है वह कीपत महेंगी है। गौधीजी तो सून की एक बूँद गिराए बिना ही बर्गहीन समाज की स्थापना में विश्वास रखते थे।

साधनों की पवित्रता के विचार द्वारा गौधीजी ने राजनीति में एक आन्तिकारी परिवर्तन कर दिया। राजनीति की कला को उनकी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है। गौधीजो के मनुसार साधन बोज के तुमान हैं और साध्य दृक्ष के समान। यहीं 'बोया येड बून का तो माम बहौ ते खाया' की सोकोक्ति प्रतिष्ठित होती है। महात्मा गौधी को यह खारणा ईसाई सम्यता पर प्रहार करती है।

## ग्रहिंसा का दर्शन (Philosophy of Non-violence)

प्राच्यात्मक ग्रादशवादी महात्मा गांधी का स्वभावत् ग्रहिंसा में प्रदृढ़ विश्वास था। यदि ग्रहिंसा को निकाल दें तो गांधी-दर्शन निर्जीव जगत् मात्र रह जाता है। महात्मा गांधी की ग्रहिंसा कोई निषेधात्मक धारणा नहीं थी बरन् बुराई से अच्छाई को जीतने का सिद्धान्त था, प्राणी मात्र के प्रति मनसा, वाचा, कर्मणा सद्भावना रखने का विचार था, सर्वोच्च प्रेम और ग्रात्म-बलिदान की धारणा थी जिसमें धूणा के लिए कोई स्थान नहीं था। ग्रहिंसा विरोधी से भी प्यार का सन्देश देती है पर इसका ग्राशय यह नहीं है कि गांधी विपक्षी घण्डा जिसेन्ट का ग्रहिंसा या बुराई के गामुल खुणे का उपदेश देता थे। उनका तो कहना था कि विपक्षी की बुराई को प्रेम द्वारा दूर करने में ग्रहिंसा निहित है। जो व्यक्ति ग्रहिंसा का उत्तर प्रेम से देते हैं तो निश्चित है कि उन्हे प्रेम ही प्राप्त होगा, जाहे वह जल्दी मिले या देर से।

गांधीवादी दर्शन के ग्रनुसार ग्रहिंसा तीन प्रकार की हो सकती है—जाग्रत् ग्रहिंसा (Enlightened Non-violence), ग्रोचित्पूर्ण ग्रहिंसा (Reasonable Non-violence), एवं भीरुओं की ग्रहिंसा (Non-violence of the cowards)। जाग्रत् ग्रहिंसा वह है जो व्यक्ति में अन्तरात्मा की पुकार के ग्रनुसार स्वभावत् उत्पन्न होती है और व्यक्ति ग्रहिंसा को आन्तरिक विचारों की नीतिकता के कारण स्वीकार करता है। यह ग्रहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप है जिसमें घसम्भव को सम्मद बना देने की शक्ति है। ग्रोचित्पूर्ण ग्रहिंसा वह है जो जीवन के अंत्र विजेष में प्रावस्थकता पड़ने पर ग्रोचित्य के ग्रनुसार एक नीति के रूप में अपनाई जाए। ग्रहिंसा का यह रूप दुर्बल व्यक्तियों के लिए है पर ईमानदारी और दुर्दता से पालन करने पर यह ग्रहिंसा काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। भीरुओं की ग्रहिंसा तो निकृष्ट ग्रहिंसा है। 'क्षयरता और ग्रहिंसा ग्राग तथा पानी की भौति एक साथ नहीं रह सकते।' अपनी नपु सकृता को छिपान के लिए ग्रहिंसा का आवरण धारण करने से तो हिसक हा॥ अधिक अच्छा है व्योकि हिसक में साहस होता है तथा उससे यह ग्राग की जा सकती है। इन्हीं न-किसी दिन वह ग्रहितक बन जाएगा। कायर से इस प्रकार की ग्राग नहीं की जा सकती।

महात्मा गांधी ने जीवन के व्यावहारिक प्रयोग से यह सिद्ध किया कि ग्रहिंसा ग्रात्म बन की प्रतीक है और यह ऐसा अमोघ शस्त्र है जो कभी लासी नहीं जा सकता। ग्रहिंसा को वंयवितक ग्राचरण तक ही सीमित न रहकर मानव-जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में लागू किया जाना चाहिए। गांधी की ग्रहिंसा मोक्ष-द्वापति का ही साधन नहीं है बरन् सामाजिक जानिति राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक समन्वय और पारिवारिक निर्माण का भी साधन है।

महात्मा गांधी ने समस्त मानवीय समस्याओं और व्यधियों के निराकरण के लिए बहुमुखी ग्रहिंसा का उपदेश दिया जिसे उन्होंने कभी-कभी प्रेम, मानव-सहयोग धार्मि की सज्जा दी। उनकी एक मूलभूत मान्यता यह थी कि ग्रहिंसा जन-साधारण

के लिए तो भावशयक ही है, नेताओं को विशेष रूप से इसका पालन कर जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। प्रहिंसावादी नेताओं को प्रहिंसा के अनुपासन के लिए सत्यमी बनना चाहिए पर्याति सत्य, प्रहिंसा, बहुचर्चण, प्रस्तैय तथा प्रपरिदृष्ट 'पचक्षील' का पालन करना चाहिए। गौधीजी के इस विचार को प्रायः 'काल्पनिक साधुवाद' कहा जाता है, लेकिन यह उपहास नासमझी और सकुचितता का दोतक है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में इस सत्यम का पालन करके यह सिद्ध कर दिया था कि किसी भी प्रयासोन्मुख व्यक्ति के लिए यह असम्भव नहीं है। गौधीजी का विशेष भाष्यह इस बात पर था कि सत्याग्रही नेताओं का प्रहिंसा और सत्यम के आदर्श से हटना समाज के लिए घातक होगा। इन नामों परिस्थितियों में इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि नेताओं का सत्यमित और निःस्वार्थी होना किंतु। अभ्यन्तर में तो गौधीजी की सत्यम-व्यवस्था वास्तव में 'जाग्रत सामाजिक अपेक्षा और भावशयकता' पर केन्द्रित है। उनके बहुचर्चण व्रत (जिसमें काम-वासना पर नियन्त्रण और चरित्र की शुद्धि की भावना निहित है) का उपहास किया जाता है लेकिन यह विचित्र सयोग है कि भाजन के बहुचर्चण व्रत के प्रविक्षाश देश परिवर्तित काम-वासना और चरित्र-प्रत्यय के दुष्परिणामों से चिन्तित हैं। परिवार-नियोजन के कृत्रिम साधनों द्वारा उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयत्न किए जा रहे हैं जिनकी और महात्मा गौधी का सकेत था। इस महात्मा ने बहुचर्चण द्वारा नेतृत्व और सामाजिक उत्पादन की कामना की थी जिसने द्वन्द्वशयक सन्तानोत्पत्ति पर प्रतिबन्ध की भावना भी निहित मानी जानी चाहिए।

भाज गौधीवादी प्रहिंसा की धारणा का उपहास किया जाता है जबकि 'वास्तविकता' यह है कि राष्ट्रीय और प्रन्तराष्ट्रीय राजनीति में तथा सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के सन्दर्भ में गौधीवादी तकनीक और कार्यक्रम को प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में व्यापक समर्थन मिल रहा है। जब जनता से, विशेषज्ञों पूर्वापतियों से, स्वेच्छापूर्वक भारत-स्थाप की बात कही जाती है तो नदा वह गौधीवादी तकनीक नहीं है? यहाँ से प्रन्तराष्ट्रीय भाज-एन-सहिता के पालने का धार्षण किया जाता है, समुक्त राष्ट्रसंघ हिंसा, नर-सहार, बीमारियों, आर्थिक विषमताओं, मानवीय ग्रस्तानताओं का उन्मूलन चाहता है तो क्या ये बातें गौधीवादी दर्शन में सम्प्रतित नहीं हैं? क्या हम इससे इन्कार कर सकते हैं कि दैनिक जिजी सम्बन्धों से, लेकर जटिल प्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों तक के सभी मानवीय क्रिया-कलाप मूल रूप से प्रेम और सहयोग पर प्राप्तित हैं? वास्तविकता तो यही है कि किसी भी समाज में भाज तक के बहुल बल-प्रयोग से स्थायी जानिं और व्यवस्था काश्म नहीं रखी जा सकी है। हर युग में सम्भव समाज का मूलाधार जानिं और सहयोग की व्यापक भावना ही रही है। यदि हिंसा और प्रसहयोग ही जीवन के नियम होते तो क्या मुट्ठीभर तिपाहियों द्वारा जानिं और व्यवस्था के प्रयत्न सफल होते? पुनर्जन, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मुद्ररत पक्षों के विदाओं का पन्त्रिम निपटारा शस्त्रों की टकार से नहीं बहिक मुद्रोत्तर जानिं-आर्थियों द्वारा हुआ है।

स्पष्ट है कि महात्मा गांधी ने जिस प्रहिंसा, शान्ति और संयम का सन्देश दिया वह मध्मीर चिन्तन और कियान्वयन की प्रद्वितीय सामग्री है जिसे ढुकराने में मानव-जाति का कल्याण नहीं है। महात्मा गांधी के विचार ऐसे नहीं हैं जो काल्पनिक हों और जीवन-क्षेत्र में प्रयुक्त न हो सकते हैं। तभी तो राष्ट्रीय और भन्तराष्ट्रीय राजनीति में तथा सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के सन्दर्भ में गांधीवादी तकनीक और कार्यक्रम की न केवल नारतीय प्रहिंसावादियों ने बल्कि प्रमुख पारचाल्य दार्शनिकों वैज्ञानिकों और राजनेताओं ने भी पुष्टि की है। इनमें बटौड़ रसेल, सोरोकिन, पर्नोल्ड टांपनबी, ममफर्ड, आइसटाइन, लांडं पैथिक लारेंस आदि उल्लेखनीय हैं। महात्मा गांधी की प्रहिंसात्मक प्रतिरोध की तकनीक तथा आर्थिक एवं धौत्योगिक विकेन्द्रीकरण की योजना परिचय में भी विशेष दिलचस्पी का विषय बन गई है।

इस सन्दर्भ में प्रश्न उठता है कि क्या मनसा, वाचा, कर्मणा पूर्ण प्रहिंसा का आदर्श व्यावहारिक है। महात्मा गांधी ने एक व्यवहारवादी के रूप में स्वीकार किया कि पूर्ण प्रहिंसा को सिद्धि मनुष्य नहीं कर सकता, वह तो केवल ईश्वर का गुण है। उन्होंने उन परिस्थितियों की ओर सकेत किया जिनमें मनुष्य के लिए हिंसा से बचना कठिन है—

(क) जीवन के भरण-पोषण के लिए जितनी हिंसा भविनार्थ हो, वह क्षम्य है। सरीर ईश्वर की धरोहर है, अत उसके पोषण और सरक्षण के लिए यदि अनजाने हिंसा हो जाए तो यह मनुष्य की विवशता है। “मानव-जीवन और सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वाले जीव-जन्मुप्रो को समाप्त किया जा सकता है। जगत में प्रचानक जगती पशु भाक्षण्य कर दे तो उसका वध ‘सकटकानीन कर्तव्य’ (Duty in distress) है।” कहने का आशय यह है कि “सरीर की मर्यादाओं को अच्छी तरह समझ कर हमें प्रपत्ने भीतर जो भी शक्ति है उसके सहारे प्रहिंसा के आदर्श की ओर बढ़ते रहने का प्रयत्न करना चाहिए, परन्तु हम बाह्य हिंसा से संवेदा मुक्त नहीं रह सकते।”

(ख) आश्रितों को रक्षा के लिए की गई हिंसा भी भविन्दनीय है।

(ग) जब रोग घसाव्य हो, सभी उसके जीवन ते निराज हो जाएं, हर प्रकार की सेवा और सहायता बेकार हो जाए तो आलीं को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए जरीरान्त क्षम्य है। महात्मा गांधी ने कहा था—“यदि मेरा पुत्र भी तड़प रहा हो और उसका कोई इलाज न हो तो मुझे उसके जीवन को समाप्त करना भापना कर्तव्य समझना चाहिए।”

यद्यपि आश्रित उठाई जाती है कि एक ऐसे आदर्श की नज़ारे उपरोक्तता है जिसे हम पूर्णत व्यवहार में न ला सकें, पर महात्मा गांधी का कहना था कि वह आदर्श जो पूर्ण रूप से व्यवहार में परिणत किया जा सके, एक तुच्छ आदर्श होगा। जीवन का आनन्द सद्दय को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसके लिए सर्वद प्रयत्न करते रहने में है। हम उसके तिकट पहुंच सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह कभी प्राप्त नहीं कर सकते। प्रहिंसा का आदर्श गणित-गान्ध के उस विन्द के समान है जिसकी पूर्ण

उपलब्धि तो सम्भव नहीं है, लेकिन यथार्थ जीवन में जिसके निकट हम अवश्य पहुँच सकते हैं। जिन्हें हम अहिंसा का अपवाद कहकर पुकारते हैं, वे वास्तव में ऐसे अपवाद नहीं हैं जो इस किंदान्त को गलत सिद्ध करते हो। वे तो मनुष्य को अपूर्णताम्रों से उत्पन्न होने वाली स्थितियाँ हैं जो अहिंसा के पुजारी को अहिंसा को कला में और अधिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं।

### गांधीजी और उनका धर्म (Gandhi and his Religion)

गांधीजी ने मानव-इतिहास में धर्म की सृजनात्मक शक्ति को स्वीकार किया। धर्म उनके लिए ससार के नेतृत्व अनुशासन की व्यवस्था थी, प्रतः उन्होंने बोल्शेविक-वाद (Bolshevism) में निहित हिंसा और नास्तिकता की निन्दा की। उन्होंने तत्कालीन इतिहास और समाज में धर्म के विकृत रूप को देखा, प्रतः घरने प्रयोगों और निष्कर्षों के आधार पर धर्म की पुनः एक व्यापक व्यास्था प्रस्तुत की।

गांधीजी ने धर्म को जीवन और समाज का आधारभूत तत्व माना। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में सप्तार के प्रत्येक कार्य, व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष और समाज के प्रत्येक प्रयोग को सम्मिलित किया। उन्होंने कहा कि धर्म से उनका अभिप्राय किसी भौतिकारिक और रूढिगत धर्म से नहीं, बरन् विश्व के व्यवस्थित नेतृत्व अनुशासन से है। उनके धर्म का धर्य सम्प्रदायवाद नहीं है। उनका धर्म मानव-समाज का शाश्वत तत्त्व है जो हिन्दुत्व, इस्लाम और ईसाइयत से परे है।

गांधीजी की हिन्दू धर्म में आस्था किसी वर्गवाद या सम्प्रदायवाद के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि यह धर्म अन्य सब धर्मों के साथ शान्तिरूपक रहने में विश्वास करता है और यह दावा नहीं करता कि सत्य एकमात्र उचित में है। गांधीजी के ही शब्दों में, “हिन्दू धर्म शारीरिक वासनाम्रों के परित्याग का धर्म है ताकि यात्मा निर्मल हो सके और इसीलिए यह आत्मसंयम की उच्चतम सीमा पर पहुँच गया है। हिन्दू धर्म कोई नियंत्रात्मक धर्म नहीं है और इसीलिए यह धर्म निषेध करने वाला ... मिशनरी धर्म भी नहीं है। हूर एक यादमी के लिए घरना निज का धर्म रहे और सब धर्म एक दूसरे के साथ शान्ति से रहें, यही हिन्दू धर्म है।”

गांधीजी ने मानवतावादी धर्म का पोषण किया जिसका चरम लक्ष्य सेवा है। गांधी-धर्म के प्रमुख तत्त्व हैं—सत्य, प्रेम और अहिंसा। उन्होंने कहा कि “यदि मनुष्य कहलाना है तो दैहिक, मानसिक और सौस्कृतिक गुणों का विकास इन्हीं तत्त्वों पर आधारित होना चाहिए। गांधीजी का धर्म दैहिक तत्त्व की उपेक्षा नहीं करता। वे व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में ही मोक्ष की स्थिति मानते थे। उनका कहना था कि मोक्ष का धर्य हर प्रकार की पवित्रता है।..... घमरत्व तो यात्मा का गुण है। उसके लिए सब शरीर को निर्मल बनाने का प्रयत्न करें।” घरनी इस व्यास्था द्वारा गांधीजी ने व्यक्तित्व के दैहिक तत्त्व को भी धर्म के अन्तिम लक्ष्य पर्यावा घमरत्व से सम्बन्धित कर दिया। उन्होंने व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और याचारात्मक पक्षों को धर्म से संयुक्त किया।

किसले डेविस, इबर ग्रादि समाज-शक्तियों का मत है कि धर्म प्रधानत मृत्यु और सबेगात्मक प्रशान्ति की समस्या के प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है, मोक्ष का मोहक लक्ष्य सामने रखता है और अपनी सत्याघो को कल्याणकारी तथा उपयोगी कार्य के लिए प्रेरित करता है। धर्म के ये तीनों प्रकार के कार्य व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं और गांधी-धर्म में तीनों कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। गांधीजी के धर्म की प्रवचारणा ने मृत्यु का भय दूर करने का व्यावहारिक प्रयत्न किया है। गांधी-दर्शन आत्मा की प्रमरता के सिद्धान्त को स्वीकार कर यह मानता है कि जन्म-मरण ईश्वर की इच्छा से होता है प्रौर इन अटल नियमों को बदलना मानव-शक्ति से परे है। अतः जब मृत्यु निश्चित है, तो उससे भय खाना मूख्यंता है।

गांधीजी ने 'निष्काम कर्म' का उपदेश दिया। उन्होंने कहा—“जो मनुष्य परिणाम ५८ ही ध्यान केन्द्रित करता रहता है, वह बृहस्पति कर्त्तव्य-भ्रष्ट हो जाता है। उसे अधीरता घेरती है जिससे वह श्रोघ के वशीभूत हो जाता है और फिर वह धक्करणीय कर्म भी करने लग जाता है।” ध्यायत यह है कि गांधी-धर्म परिणाम के प्रति प्राप्तिको उचित नहीं समझता। श्रेष्ठ कर्म वही है जो बन्धनमुक्त होकर किया जाता है। कर्म का त्याग पतन और मध्यम है। मानव हृदय में प्रच्छाई और बुराई की शक्तियों का निरन्तर युद्ध चलता रहता है प्रौर कर्म-योग बुराई की शक्तियों के उन्मूलन तथा सत्य और सदगुण की विजय का सन्देश देता है। धर्म का अभिप्राय है कि मनुष्य अपनी वाज्ञाविक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर स्वयं को ईश्वर से तथा अपने ही साथी अन्य मनुष्यों से सम्बद्ध कर ले। धर्म केवल व्यक्तिगत सिद्धि का ही नहीं, बरन् सक्तिभासी सामाजिक बन्धन का भी साधन है। सहिष्णुता, न्याय, भावृत्त्व, सान्ति और सबके प्रति प्रेम पर भावारित धर्म ही इस विश्व के प्रस्तुति का भावार बन सकता है।

गांधीजी का धर्म जाति और लूटियों से मुक्त है। उसमें वैज्ञानिकता है। गांधी धर्म का मुख्य भावार नीति की शुद्धना है जिससे ध्याय, तपस्या और मानव-सेवा को महत्व प्राप्त होता है। विश्व के विभिन्न धर्म लूटियों और अन्यविश्वासी की मोटी परत से दबे हुए क्रन्दन कर रहे हैं। लूटि और अन्यविश्वासी जब धर्म पर अपना प्रधिकार लेते हैं तो समाज टुकड़े-टुकड़े हो जाता है और विद्वस तथा विनाश का ताँडव होने लगता है। ऐसा धर्म उही अर्थों में धर्म नहीं होता। यह तो प्राविदेक और अन्यविश्वास है। धर्म विवेकीन और हृदयहीन लूटियों के बन्धन को स्वीकार नहीं करता। वह धर्म धर्म नहीं हो सकता जिससे सत्य का हनन होता हो, नंतिकता का हास होता हो और आत्मा का पतन होता हो। गांधी-धर्म ज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति में तटस्थता, धर्म, अध्यवसाय, जिज्ञासा और रचनात्मक कल्पना—ये प्रमुख पौन गुण होते हैं और गांधीजी की धार्मिक अवधारणा में ये पांचों गुण विद्यमान हैं।

गांधीजी ने घर्मं प्रीत सस्तुति को भी सम्मुक्त किया है। उन्होंने प्रादर्श सौम्यताक प्रभालो ही जो स्परेका प्रस्तुत की है, उसकी मूल भावना धार्मिक है। सत्य, प्रहिसा या प्रेष, वहाँवर्य, पर्स्तेव प्रीत परिप्रह—इन सबका मानव-जीवन के लिए साकंभीमिक मूल्य है। सस्तुति के विभिन्न कार्य इन्होंने मूल्यों पर प्राप्तारित होने चाहिए। इस तरह गांधीजी की सस्तुति प्रात्म-केन्द्रित पा स्वाधंवदादी नहीं है बल्कि परमार्थवादी है। वह निरकुश प्रीत विनाशकारी नहीं है, बल्कि सहयोगी, रक्षात्मक प्रीत और कल्पाणकारी है।

गांधी-घर्मं महाप्रभिन्नत्व दृष्टा महिष्युता का घर्मं है जो सभी घर्मों में विश्वास करता है। यद्यपि तिद्वान्त रूप में ईश्वर एक है प्रीत सभी लोगों का घर्मं एक होना चाहिए लेकिन मनुष्यों और उनकी प्रकृति की विभिन्नता के कारण उनके प्रलग-प्रस्तुत रूप हैं प्रीत और रहेंगे। पर विभिन्न घर्मों का पर्स्तित्व होते हुए भी प्रावश्यकता इस बात की है कि उनमें परस्पर संघर्ष न हो, एक दूसरे के प्रति घोषणा का भाव पैदा न हो प्रीत एक दूसरे के प्रति सहिष्युता, सद्भावना और समादर की वृत्ति का विकास हो। गांधीजी को पारिभाविक मन्दावली में 'सर्वं घर्मं समभाव' का स्वभाव बनाना चाहिए। पर्याप्त "सर्वं यह मानना चाहिए कि दूसरे घर्मं भी प्राप्ते बड़े प्रीत मेरा घर्मं भी, दूसरे घर्मं भी पन्थे बने प्रीत मेरा घर्मं भी, दूसरे घर्मं भी नष्ट न हों प्रीत मेरा घर्मं भी।"

### गांधीजी का राजनीतिक दर्शन

(Gandhi's Political Philosophy)

गांधीजी को इस बात से बड़ा स्पेशल पहुँचता था कि विश्व-राजनीति में मंकियावली प्रवृत्ति की ही प्रथानता हो पर्याप्त पर्मरहित राजनीति का साम्राज्य हो, खलधृष्ट-पूर्त राजनीति की प्रमुखता हो, नीति-निरपेक्ष राजनीति का बोलबासा हो। गांधीजी ने, जिनका घर्मं मानवतावादी था, राजनीति के प्रचलित स्वरूप को देखकर यह प्रनुभव किया कि कुटिल राजनीति मानवता के लिए किसी भी दशा में उचित नहीं है। राज्य और राजनीति मानव-कल्याण के साधन हैं। अपनी इसी प्रनुभूति के प्राप्तार पर उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन का महत सङ्ग किया।

### राजनीति का माध्यात्मीकरण (Spiritualisation of Politics)

गांधीजी का यह दृढ़ विश्वास था कि 'जैसे साधन होंगे वैसे ही साध्य होंगे।' अतः उन्होंने राजनीति के प्रचलित मूल्यों को प्रस्तीकार किया। प्रीत राजनीति में शुद्ध धार्मिक तथा पारम्पारिक मूल्यों को प्रतिष्ठा के लिए पूर्ण प्रयत्न किया। उन्होंने घोषणा की कि पर्मरहित राजनीति पाप है। उन्होंने नोक्से की भाँति ही राजनीति का प्राप्तार धार्मीकरण करना चाहा। गांधीजी ने कहा कि घर्मं समाज का प्रभिन्न प्रभ है प्रीत राजनीति को घर्मं से पुरुषक् नहीं किया जा सकता। उन्होंने घोषणा की— 'मेरे लिए घर्मं विहीन राजनीति कोई चीज नहीं है। नीति-कून्य राजनीति सर्वपार्याप्त है।' उन्होंने यही तक कह दाता—“राजनीति घर्मं की प्रनुभाविनी है। घर्मं से शून्य राजनीति मृत्यु का एक जात है वयोंकि उससे प्रात्मा का हनन होता है।”

धर्म गौशीजी के जीवन का प्राण या पौर उन्होंने राजनीति में प्रवेश ही यह देखकर किया कि राजनीति धर्म-हीन होती जा रही है तथा एक भावस्थक दुराई बन गई है। उन्होंने के लब्दों में, “यदि मैं राजनीति में साम लेता हूँ तो केवल इटलेए कि राजनीति हमें एक सौप की जीति चारों ओर से घेरे हुए हैं। मैं सौप से लड़ना चाहता हूँ”…… मैं राजनीति में धर्म का प्रवेश चाहता हूँ।” गौशीजी एक महान् कर्मपोती थे जो राजनीति में धर्म का समावेश कर नैतिकता के उस दाहरे मापदण्ड को मिटाना चाहते थे जो ऐसे लब्दों में अंतक होता कि ‘राजनीति राजनीति है’ और ‘व्यापार व्यापार है।’ गौशीजी का विश्वास था कि सभ्वा धर्म कर्तव्य-प्रेरक होता है और राजनीतिक कियाजीलता इसमें सम्मिलित है। राजनीति देश-धर्म है जिससे पृथक् होकर अवित्त भास्तवात् करता है। निष्प्राण मूर्ति-नूजा के स्वातं पर वे मानव-नूजा में विश्वास करते थे। राजनीति उनकी पूष्टि में धर्म और नैतिकता की एक शाखा थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि राजनीति शक्ति धर्म और सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए सबसे नहीं है, बल्कि वह साक्षी पद-दर्जियों को सुन्दर जीवन-न्याय करने योग्य बनाने, मानवीय मुण्डों का विकास करने, उन्हें स्वतन्त्र और दन्वृत तथा आध्यात्मिक गहराइयों व सामाजिक समानता के बारे में प्रशिलित करने का निरन्तर प्रयास है। राजनीति में धर्म का समावेश सत्य और न्याय की प्राप्ति की दिशा में अप्रसर होता है। “दर्द से पृथक् राजनीति एक मृत देह के समान है जिसको जला देना ही चाहिए है।”

राजनीति को धर्मानुमोदित मानने से गौशीजी का यह अभिप्राय नहीं था कि राजसत्ता धर्माधिकारियों के हाथों में सोधी जानी चाहिए प्रबन्ध राज्य को किसी धर्म विभेद, दाता सम्प्रदाय विवेष का प्रचारक बनाना चाहिए। उनका शादर्म तो भवोदय समाज लेखस्था का था जिसमें राज्य धर्म-निरपेक्ष हो, राजनीति धर्म के सार्वभौमिक नियमो—सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा भावि का मनुषीयता करे। गौशीजी ने कहा कि राजनीतिको को सब धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में नीति-धर्म के सार्वभौमिक मूल्यों पर प्रत्यन रहना चाहिए।

गौशीजी ने धर्म और राजनीति के एक होने का प्रयाण घपने काव्यों से दिया। उन्होंने देश के स्वातन्त्र्य धार्मदोलन का एक सत्त की तरह सचातन किया। उन्होंने निरेकुश विदेशी सासुन का सामना ऐसे वे अहिंसा पर आधारित भास्तवा की नैतिक शक्ति से किया और अन्त में घपने अहिंसात्मक विशेष के सामने ब्रिटिश सरकार को इनका असहाय बना दिया कि वह जनता के प्रतिनिधियों को सासुन सत्ता सौप कर हृष्ट नहीं।

गौशीजी ने राजनीति को धर्म के रूप में रूप कर नैतिक मूल्यों पर आधारित किया। उन्होंने राजनीति से विद्रह, विपटन, लिंगोह और विनाश की प्रवृत्तियों के उम्मूलन पर जोर दिया तथा राजनीति में भावना, सहयोग, समन्वय और सशठनात्मक तत्त्वों का पर्याकृतम् समावेश करना चाहा।

गौशीजी ने पारबात्य प्रवातनीय राजनीति को इसलिए पसन्द नहीं किया क्योंकि उसमें पूजीवादी प्रथाओं और शोषण की सुनी छूट है। पारबात्य प्रजातात्त्विक

राजनीति पूँजीवाद के ग्रसीम प्रौर निर्बाध विस्तार में विश्वास करती है। महात्मा गांधी की दृष्टि में यह प्रवृत्ति एक तरह की नाजीवादी और फासीवादी प्रवृत्ति है। गांधीजी ने पाश्चात्य राजनीति की गन्दी प्रवृत्तियों पर प्रहार करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि “ब्रिटेन ने अप्रजातान्त्रिक तरीकों से भारत को जीता है प्रौर दभिणी ग्रकीका तथा समुन्नराज्य अमेरिका के दक्षिणी भागों में रगभेद प्रौर जातिवाद की नीतियाँ प्रजातन्त्र के प्रति धोर प्रपराध हैं। गांधीजी का यह दृढ़ विश्वास था कि केवल अर्हिसा द्वारा ही सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना हो सकती है दण्डोंकि हिंसा के प्रयोग का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि विरोधियों का दमन कर उनका सफाया करके सारा विरोध समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे बातावरण में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विकसित नहीं हो सकती। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विशुद्ध अर्हिसा के बातावरण में ही पूरी तरह क्रियाशील हो सकती है।”

गांधीजी ने भारत में ‘सच्चे प्रजातन्त्र’ की कामना की। किन्तु वे एक यथार्थवादी थे ग्रन्त इस कल्पना में नहीं बहे कि भविष्य का भारत संभ्य विहीन होगा प्रौर पूर्ण अर्हिसा का पालन करेगा। फिर भी उन्होंने यह कामना की कि उनका भारत अधिकारिक अर्हिसा के प्राधार पर सच्चा प्रजातन्त्र स्थापित करने की दिशा में अग्रसर होगा।

गांधीजी का राजनीति के ग्राम्यात्मीकरण का विचार कोरा विचार ही नहीं पा प्रयितु उन्होंने अपने जीवनकाल में उसे कार्यान्वित भी किया। उन्होंने सत्य, प्रहिसा आदि धार्मिक-नैतिक सिद्धान्तों का राजनीतिक प्रौर सामाजिक क्षेत्र में जो सफलतापूर्वक प्रयोग किया उसे सम्मूर्ण विश्व के राजनीतिज्ञों ने उसकी ग्राम्यर्थ प्रौर शदा से सराहना की। एक सन्त राजनीतिज्ञ के हृष में उन्होंने विश्वव्यापी रूपाति प्रजित की। ‘राजनीति में धर्म का समन्वय’ ग्राम्यनिक पीडित मानवता की उनकी सबसे महान् देन है।

### सत्याग्रह (Satyagrah)

सत्याग्रह का गौधी-दर्शन गौधीवादी सत्य की ग्रवधारणा का स्वाभाविक परिणाम है। गौधीजी का राजनीतिक दर्शन उनकी ग्राम्यात्मिक पृष्ठभूमि में ही विकसित होता है। राजनीति के युद्ध-क्षेत्र में उन्होंने जिस सत्याग्रह रूपी हृषियार की घनोखी खोज की, वह भी ग्राम्यात्मिकता के ग्राम्यार पर ही प्रतिपादित है। सत्याग्रह ने न केवल युद्ध-क्ला को प्रभावित किया है बल्कि प्राए दिन होने वाली त्रान्तियों को भी दिशा प्रदान की। इसने मानवीय गुण प्रौर विचारधारा को निकट से प्रभावित किया। गौधीजी का सत्याग्रह एक भावन्ह है, कन्योगे का एक व्याप्तात्मिक दर्शन है तथा एक सक्रिय ग्रवधारणा है जिसकी परीक्षा ग्राम्यम में मर्यादित क्षेत्रों म की जा चुकी है प्रौर जो सफल सिद्ध हुई है। यद्य विस्तृत क्षेत्र में प्रौर विशेषकर सुसार की विस्तोक स्थिति में सत्याग्रह रूपी ग्रस्त की परीक्षा होनी चैप है। सत्याग्रह का शान्तिक प्रयत्न है—‘सत्य पर ग्राम्यह’। सत्याग्रह के सम्मूर्ण दर्शन का ग्राम्यार मह है कि सत्य की ही जीत होती है। सत्य का सिद्धान्त जीवन के सभी

क्षेत्रों में लागू हो सकता है और इसका महत्त्वपूर्ण आधार सत्य एवं प्रहिसा है। गांधीवाद का मूल तत्त्व सत्याग्रह वह केन्द्र बिन्दु है जिसके बारों प्रोर उनकी अन्य अवधारणाएँ—जैसे राजनीति का आध्यात्मिकरण, साधनों तथा साध्य की एकता, विश्व की नैतिक प्रकृति और अपने सिद्धान्तों के लिए भर-मिट्टे तक का सकल्प आदि नक्कर काटती हैं।

सत्याग्रह के सिद्धान्त का अर्थ है—अपने विरोधी को पीड़ा पहुँचाने के बजाय स्वयं को पीड़ा पहुँचाकर सत्य की रक्षा करना। सत्याग्रह का अभिप्राय है—सभा प्रकार के अन्याय, दबाव और झोपण के विरुद्ध विशुद्धतम् आत्मशक्ति का प्रयोग। कष्ट और आस्था आत्म-शक्ति के विशेष मुण्ड हैं। सत्याग्रह एक आध्यात्मिक पद्धति है जिसमें अपने सत्याचारियों के विरुद्ध कोई द्वेष-भाव न रखते हुए अपनी अन्तरात्मा की आवाज का अनुसरण किया जाता है और किसी भी परिस्थिति में सत्य के प्रतिपादन से पीछे नहीं हटा जाता। इस अर्थ में डेनियल, सुकरात, प्रह्लाद और मीराबाई आदर्श सत्याग्रही थे। एक सत्याग्रही अपने विरोधी की कष्ट देने की शक्ति का मुकाबला अपने कष्ट सहने की शक्ति से करता है। गांधीजी ने इसे आत्मबल की सज्जा दी है। आत्मा के अस्तित्व और उसकी वास्तविकता में विश्वास सत्याग्रह के नैतिक शस्त्र के प्रयोग की पहचान रहते हैं। यदि सर्वर्थ में सत्याग्रही की मृत्यु भी हो जाए तो भी उसका अन्त नहीं होता, बल्कि विरोधी को सत्य देखने की सामर्थ्य देने के लिए कभी-कभी बलिदान आवश्यक हो जाता है।

गांधीजी का कहना था कि सत्याग्रह का सिद्धान्त वोई नवीन सिद्धान्त नहीं है अपितु यह तो 'पारिवारिक जीवन का राष्ट्रीय जीवन में विस्तार मात्र' है। पारिवारिक विचारों और मतभेदों को साधारणत भ्रम के नियम द्वारा मुलझाया जाना है और सत्याग्रह में भी भ्रम और सत्य के बल पर तथा प्रहिसा के अमोग अस्त्र द्वारा विरोधों का मुकाबला किया जाता है।

सत्याग्रही विचार और व्यवहार के विभेद से बचते हुए आत्मानुशासन और लोकानुशासन से बंधा रहता है। जनता-जनाईन की सेवा का आजोबन बत लेना सत्याग्रही का थेष्ट सकल्प है। सत्याग्रह का उद्देश्य है विरोध का अन्त करना, न कि विरोधी का। सत्याग्रही के सामने 'वसुर्वैव कुरुम्बकम्' का आदर्श रहता है। किन्तु इस आदर्श की पूर्ति तभी सम्भव है जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रहिसा का पालन करे। जो अपने व्यक्तिगत जीवन में सत्याग्रही और प्रहिसावादी नहीं है, वह सावंतव्यिक विषयों में प्रहिसावादी नहीं बन सकता। सत्याग्रह के सावंतव्यिक प्रयोग से पूर्व यह गवायक है कि व्यक्ति अपने हृदय को टटोल कर देख ले और स्वयं पर नियन्त्रण कर ले। आनंदरिक चरित्र के प्रभाव में सत्याग्रही प्रभावहीन रहेगा। एक सत्याग्रही का प्रहिसात्मक युद्ध में भाग लेने से पूर्व इन्द्रिय-नियह, सरल जीवन, सत्य के प्रति निष्ठा और नियम पालन का भत्ती-भौति प्रतिक्षण ले लेना आवश्यक है।

सत्याग्रह स्वाधित है। इसके प्रयोग करने से पूर्व विरोधी की अनुमति आवश्यक नहीं होती। वस्तुत जब विरोधी प्रतिरोध करता है तो वह बहुत भयिक प्रकाशमान होता है। “सत्याग्रही अपने विरोधी के सम्मुख अपना आच्छात्मक व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है और उसके हृदय में यह भावना उत्पन्न कर देता है कि अपने व्यक्तित्व को हानि पहुँचाए बिना उसे हानि न पहुँच सके।” इस प्रकार सत्याग्रह का अन्तिम विलेवण ‘आत्मानुभूति और सम्योग’ की कला द्वारा आगे बढ़ना है।

गौधीजी का सत्याग्रह सामाजिक और राजनीतिक विषयटन का कामुला नहीं है। एक सत्याग्रही को राज्य के नायिक और नेतृत्व कानूनों का पालन करना चाहिए और यदि यह राज्य के किन्हीं नेतृत्व कानूनों का विरोध करता है तो ऐसा करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसके कायों से सामाजिक सरचना अव्यवस्थित न हो। गौधीजी ने सत्याग्रही के लिए नेतृत्व अनुशासन के कठोर नियम भी प्रतिपादित किए थे। सन् 1921 में उन्होंने सत्याग्रही कायकर्त्ताओं के लिए एक अनुशासन सम्बन्धी प्रतिज्ञा निकाली थी तथा सन् 1930 में उनके लिए 19 नियम निर्धारित किए थे, किन्तु 26 मार्च, 1939 के अपने एक सेस्म में उन्होंने सत्याग्रह के लिए कम से कम निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक मानी थीं—ईश्वर पर भट्टल विश्वास, सत्य और अहिंसा में अद्वा, मानवीय अच्छाई में विश्वास, शुद्ध जीवन-यापन, लक्ष्य पर मर मिटने की भावना, स्वभावत खद्दर धारण और सूत काषणा, निर्धन्यसन, अनुशासनप्रियता और जेल के नियमों का पालन, केवल उन नियमों को छोड़कर जो उसकी मान-हानि के लिए विशेष तौर पर बनाए गए हों। गौधीजी ने कहा कि सत्याग्रही कायकर्त्ताओं को रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति गम्भीर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नेताओं, कायकर्त्ताओं तथा अहिंसात्मक संगठनों को जनता में सत्याग्रह का प्रचार करना चाहिए।

सत्याग्रह की तकनीक—सत्याग्रह की कोई एक प्रविष्टि अपवांशकनीक (Technique) नहीं है। सत्याग्रह की तकनीक (1) असहयोग (Non-co-operation), (2) सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience), (3) हिजरत (Hijrat), (4) उपवास (Fasting), और (5) हड्डाल (Strike) के रूपों में प्रकट होती है।

1 सत्याग्रही असहयोग आन्दोलन के विस्तार में हड्डाल, सामाजिक बहिकार और घरना—ये अहिंसात्मक उपाय बड़े सहायक हैं। हड्डाल का उद्देश्य कार्य को बन्द कर जनता, सरकार और सम्बन्धित सम्भावना के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किन्तु हड्डाल के द्विषय में यह अत्यधिक है कि प्रथम तो हड्डालें जल्दी-जल्दी न हो अन्यथा उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और द्वितीय, वे पूर्णत स्वेच्छापूर्वक स्लेहपूर्ण व्यवहार और अहिंसात्मक प्रचार का परिणाम हों। सामाजिक बहिकार (Social boycott) का अभिप्राय उन समाज कट्टों का बहिकार करना है जो जनमत की अवहेलना करते हैं और उससे सहयोग नहीं करते। पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों को आवश्यक समाजसेवा से बचित

कर दिया जाए या अनादर और गालियों से उनके जीवन को असह्य बना दिया जाए। घरना (Picketing) भी दबावरहित अर्थात् समझाने-बुझाने वाला होना चाहिए। बैठकर घरना देना तो अत्याचार, जगलीपन और हिंसा का एक रूप होगा।

भारत में सन् 1920-22 में गांधीजी के नेतृत्व में असह्योग आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था जिसके कार्यक्रम इस प्रकार थे—(i) सरकारी उपाधियों और पदों वा त्याग तथा स्थानीय स्थायों को सदस्यता से त्याग-पत्र देना, (ii) सरकारी उत्सवों और दरबारों में भाग न लेना, (iii) सरकारी या सरकारी सहायता-शाप्त पा सरकार के प्रधीन स्कूलों और विद्यालयों का बहिकार तथा विभिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को स्थापना करना, (iv) सरकारी अदालतों का बकोलो और मुकद्दमेबाजों द्वारा बहिकार किया जाना तथा आपसी विवादों के निपटारे वे लिए पचास्ती अदालतों की स्थापना करना, (v) संनिको एवं कर्मचारियों द्वारा विदेश में नौकरी का बहिकार, एवं (vi) स्वदेशी माल का प्रचार तथा विदेशी माल का बहिकार।

महात्मा गांधी ने असह्योग आन्दोलन को चरम शिखर पर पहुँचा दिया, लेकिन जनता द्वारा हिंसात्मक वातावरण देवा होते ही उन्होंने फरवरी, 1922 में आन्दोलन स्थगित कर दिया और इस बात की कोई परवाह नहीं की कि आन्दोलन के उद्देश्यों द्वारा सफलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

2 सदिनय अवज्ञा (Civil Disobedience) को गांधीजी ने सबसे अधिक प्रभावशाली और कान्ति का रक्खीन रूप बताया जिसका उद्देश्य 'मनेत्रिक नियमों' को तोड़ना था। इसके द्वारा 'प्रतिरोधी का विरोध प्रहिंसात्मक ढम से प्रकट किया जाता है।' गांधीजी ने कहा कि "सदिनय अवज्ञा हृदय से आदरपूर्ण और सयुत तथा कुछ पच्छें विदान्तों पर आधारित होनी चाहिए और इसके पीछे चला भारत और भाषुता को कोई भावना नहीं होनी चाहिए।"

3. हिजरत (Hijrat) सत्याग्रह की तीसरी तकनीक है जिसका प्रयोग है स्थायी निवास-स्थान से अन्य स्थान को छोड़े जाना। गांधीजी ने इस तकनीक को सत्ताह उन लोगों को दी "जो भवयन्त दुख अनुभव करते हैं और एक स्थान पर धात्म-सम्मान के साथ नहीं रह सकते तब जो भ्रह्मापूर्ण ढग से अपनी रक्षा नहीं कर सकते।"

4 उपवास (Fasting) सत्याग्रह का एक महत्वन्त शक्तिशाली रूप है। गांधीजी ने इस धार्मिक दृति को विज्ञान के क्षेत्र से प्रतिशाल कर दिया। इन्होंने उपवास को धैर्यक्तिक साधन से सामाजिक सुधान बना दिया। उनकी मान्यता थी कि सार्वजनिक उपवास जनता जी आत्म शक्ति में तृष्णा करता है, विद्वन्मी भूलों के प्रति साक्षात् करता है, अन्याय तो भ्रह्मसत्त्वक प्रतिरोध करने की क्षमता प्रदान करता है और विषयगती लोगों में सद्भावना का व्यवार करता है। इन्हाँस में विषयी को कष्ट न देकर इव्वत् कष्ट महन किया जाता है। यह स्वत्म-प्रेदान त्रिपक्षी के हृदय में न्याय और सत्य को बताता है।

5 हड्डताल (Strike) को भी गांधीजी ने सत्याग्रह का एक अस्त्र बताया रा। उन्होंने कहा कि अपने वैध कष्टों को दूर कराने के लिए यह श्रमिकों का एक ग्रस्त्र है। किन्तु सत्याग्रहियों की हड्डताल भावना और व्यवहार में पूर्णतः अद्वितीय होनी चाहिए। हड्डताल का कारण न्यायपूर्ण होना चाहिए। हड्डताल को अद्वितीय बनाने के लिए गांधीजी ने इस बात पर भी बल दिया कि लोगों को कुछ हस्तकला प्राप्ती चाहिए ताकि लम्बी हड्डतालों के समय उन्हें अपने भरण-पोषण में कोई विशेष कठिनाई न हो।

सत्याग्रह के जिन विभिन्न रूपों की चर्चा यहाँ की गई है, वे ही सत्याग्रह के सम्पूर्ण रूप नहीं हैं। किंशोरीलाल मश्शूरवाला ने लिखा है—“सत्याग्रह जितनी रीतियों से हो सकता है उन सब को गिनाया नहीं जा सकता। अधर्म का स्वरूप उसकी तीव्रता, उसका आचरण करने वाले व्यक्ति या समाज की विशेषताएँ, उसका और अपना सम्बन्ध, हमारा तथा जिसका पक्ष हमने लिया है उसकी जीवन में उस अधर्म को मिटा डालने की प्राप्त आत्म सिद्धि इन सब बातों पर सत्याग्रह की पद्धति, प्रकार और मात्रा निर्भर होती है। इस प्रकार सत्याग्रह में समझाने चुकाने से लेकर उपवास, प्रसहयोग, सविनय अवज्ञा, कुटुम्ब-समाज राज्य का त्याग, अपने न्यायपूर्ण प्रधिकार का शान्तिपूर्वक उपयोग और वह सब करते हुए जो सकट आ जाए उनको सह लेना, आदि सत्याग्रह के अनेक रूप होते हैं।”

सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध—सत्याग्रह से निष्क्रिय प्रतिरोध का भ्रम हो सकता है, पर यह निष्क्रिय प्रतिरोध से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार उत्तरी घूँव दक्षिणी घूँव से। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बल का अस्त्र है जबकि सत्याग्रह बलवानों का। निष्क्रिय प्रतिरोध शीघ्र राजनीतिक परिवर्तन का शस्त्र है जबकि सत्याग्रह आत्मशक्ति के बल पर सचालित किया जाने वाला नेतृत्व का अस्त्र है। निष्क्रिय प्रतिरोध में उद्देश्य-न्यूनति के लिए भौतिक शक्ति या हिंसा का प्रयोग न्यायोचित हो सकता है जबकि सत्याग्रह प्रस्त्रेक रूप में हिंसा के प्रयोग को निपिद्ध ठहराता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में विवशतापूर्वक विरोधी के कायों को सहन किया जाता है और नकारात्मक कायं किए जाते हैं जबकि सत्याग्रह में ग्रस्त्याचारों को हँस कर सहन किया जाता है और सकारात्मक कायं किए जाते हैं। प्रतिरोध में व्यक्ति की प्रान्तरिक सिद्धि जैसी कोई भावना निहित नहीं होती, कि तु सत्याग्रह में आत्म-सिद्धि का होना प्रनिवाय है। इसके प्रतिरिक्त निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग केवल सीमित धेने में हो सकता है जबकि सत्याग्रह का प्रयोग विश्व व्यापी हो सकता है। गांधीजी का सत्याग्रह जीवन और राजनीति का दर्शन है जो एक निरकुश शासन की समूल सरचना को पगु बना देने के लिए सामूहिक प्रतिरोध का सहारा लेता है।

विदेशी आकर्षण और युद्ध के विवर सत्याग्रह—अद्वितीय वी प्रतिरोधात्मक शक्ति में गांधीजी की महान् ग्रास्त्या थी। सत्याग्रह विरोधी के हिंसात्मक युद्ध में काम आने वाले शस्त्रों को किस तरह व्यय और प्रभावहीन बना देता है, यह दक्षिणी ग्राफीका के जनरल स्पैट्स के इन शब्दों से प्रकट है—

"मैं तुम्हारे लोगों को बिलकुल पसन्द नहीं करता और मैं उनकी सहायता करने की रक्ती भर भी परवाह न करता, पर मैं बया करूँ? तुम हम लोगों की जहरत के समय मदद करते हो। हम तुम पर कैसे हाथ उठा सकते हैं? मैं प्रक्षर पह चाहता हूँ कि तुम हिंसा के मार्ग पर चलते और अधेज हड्डियाँ के समान यह चाहता हूँ कि तुम हिंसा के मार्ग पर चलते और अधेज हड्डियाँ के समान हिंसा का आश्रय लेते और तब हम आपको बताते कि आपसे कैसे निपटा जाता है, हिंसा का आश्रय लेते और तब हम आपको बताते कि आपसे निपटा जाता है, परन्तु तुम तो अपने शत्रु को भी झटित नहीं पहुँचते। तुम आत्म-स्वीडन ढारा ही भी उल्लंघन नहीं करते, और यही चीज हमें प्रस्तुत बना देती है।"

भारत में अधेजो के विरुद्ध गौधीजी ने जब अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग किया तो अधेज संनिक प्रविकारी चक्कर में पड़ गए। एक आयरिश संनिक प्रविकारी ने स्टेनले जोस को बताया कि "यदि वे उन शस्त्रों से लड़े जिन्हें हम न-भलते हैं तो हम उन्हें कुछ कर दिखाएँ।" गौधीजी के सत्याग्रह पर टिप्पणी करते हुए स्टेनले जोस ने कहा — "गौधीजी संनिकों के कवच को बिदीएं कर रहे थे और उनके हृदय तथा मन्त करण पर आधात कर रहे थे जबकि एक महान् राष्ट्र उलटकर प्रहार कर रहा था, परन्तु उसकी घन्तरात्मा पर जो चोट पड़ रही थी उससे वह कराह रहा था।"

महात्मा गौधी ने भ्रवीसीनिया के निवासियों, चैको, पोलो तथा आक्रमण से पीड़ित पन्थ पक्षों को परामर्श दिया था कि वे आक्रमणकारियों के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध की नीति अपनाएँ। चैनियों से उन्होंने कहा था — "यदि चीनी लोग उनकी विचारधारा की अहिंसा को अपनात तो जापान के विचारधारी नवीनतम् यन्त्रों का कोई उपयोग न रहता।" चीनी जापानिया से बहत — "अपने समस्त यन्त्रों को ले जाओ, हम आधी जनसंख्या प्रस्तुत बरतें हैं परन्तु हेय 20 करोड़ तुम्हारे साथने पूटने नहीं टेकें। यदि चीनी ऐसा करते तो जापान चीन का दास हो जाता।" गौधीजी की दृढ़ मान्यता थी कि अहिंसात्मक प्रतिरोध अपनी मानसिक शक्तियों के प्रयोग से आक्रमणकारी पर निरन्तर एक ऐसा 'आक्रमण' करता रहता है जिसमें अन्तिम विजय उसी की होती है।

गौधीजी ने आक्रमण-प्रतिरोध की जो तकनीक बतलाई वह मूलत दो चरणों में विभक्त है। प्रथम चरण में, आक्रमण के समय तथा सशाम के बीच, प्रनुशासित इम से ट्रेय-रहित अहिंसात्मक प्रतिरोध करना चाहिए। द्वितीय, महायुद के दौरान जब भारत के पूर्वी सीमान्त पर जापानी आक्रमण हुआ तब गौधीजी ने देशवासियों को सलाह दी कि "इस प्रकार के अहिंसात्मक प्रतिरोध के मूल में यह दृढ़ धारणा है कि यथासमय आक्रीता अहिंसक सेनानियों की हत्या करते-करत मन और शरीर में ऊँचा आएगा, और तब बहुत जल्दी ही वह यह सोचने पर दिवाल हो — प्राप्तिर वह कौनसी विलक्षण शक्ति है जो बार नहीं करती बल्कि है और तब वह स्वयं नर-सहार को रोक देगा।"

महात्मा गांधी ने आक्रमण-प्रतिरोध की जो तकनीक बतलाई वह सत्याग्रह पद्धति का ही विस्तार मात्र है। उन्हें सत्याग्रह के व्यापक प्रयोग की सफलता में कोई संदेह नहीं था। यदि अहिंसात्मक प्रतिरोध के बावजूद आक्रान्ता नर-सहार न रोकते हुए प्रदेश पर आविष्ट जमा लें तो आक्रमण-प्रतिरोध की तकनीक वा दूसरा चरण शुरू कर देना चाहिए। इस स्थिति में धर्मचीनस्थ प्रदेशवासियों का यह कर्तव्य होगा कि वे आक्रान्ता के प्रति पूर्ण प्रसहयोग का रवंया अपनाएँ। जनता के सम्मुख प्रसहयोग के बागे अन्त में हमलावर को विवश होकर चना जाना पड़ेगा।

यद्यपि भाज के हिंसा-प्रतिहिंसा के बातावरण म महात्मा गांधी की व्यापक सत्याग्रह-पद्धति अथवा प्रतिरोध-तकनीक अव्यावहारिक प्रतीत होनी है, यद्यपि इसका परीक्षण करने पर ही इसकी वास्तविक शक्ति सिद्ध होगी। इनिहास बतलाता है कि हिंसा और अत्याचार के बल पर कभी भू-प्रदेश भ्रष्टीन नहीं रखे जा सके हैं। यह बड़ी सारणीभूत बात है कि युद्ध-समर्थक अमेरिकी राजनेता जॉर्ज केन ने कुछ वर्ष पूर्व 'राज्य व्यास्यानमाला' में महात्मा गांधी की हिंसात्मक आक्रमण तकनीक को आधुनिक परिस्थितियों में विसेषकर सम्भावित परमाणु-युद्ध के सन्दर्भ में प्रतिरक्षा की एकमात्र उपयोगी तकनीक घोषित किया था।

अन्त में, यह भी उल्लेखनीय है कि सत्याग्रह में सहयोग का महत्व नहीं होता और सफलता बहुमत के कारण नहीं मिलतु अल्पमत के कारण प्राप्त होती है, भौतिक दृष्टि से बलबान व्यक्तियों के कारण नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्तियों के कारण होती है। सत्याग्रह के मार्यां में ग्राम्या की ग्रामाज सर्वोच्च होती है और यदि किसी भी सरकार के आदेश और कानून ग्राम्या की ग्रामाज के विरुद्ध होते हैं तो ग्राम-बल स उनका प्रतिरोध करना होता है जाहे इसमें बहुमत का समर्थन मिले या न मिले। भारतीय राष्ट्रीय आनंदोलन के इतिहास में अनेक ऐसे अवसर ग्राए जब गांधीजी ने अकेले ही किसी कानून या व्यवस्था का विरोध करने की घोषणा की, क्योंकि मान्यता थी कि "बुराई के साथ प्रसहयोग एक परिव्रक्तव्य है।"

### हिंसक क्रान्ति की तुलना में सत्याग्रह की श्रेष्ठता

मार्क्स-लेनिनवादी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए पूँजीवाद तथा शोषण की समाप्ति व वर्गीजीन और राज्यवीन लोकतन्त्र की स्थापना के लिए हिंसापूर्ण क्रान्ति को प्रनिवार्य समझते हैं जबकि सत्याग्रह के स्वयं में एक ऐसा मानवतावादी प्रहिंसात्मक साधन हमें उपलब्ध है जिसके द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्ति बहुत ही सान्तिपूर्ण ढंग से प्राप्तिद्वारा तत्त्वों के हृदयों पर विजय पाकर की जा सकती है। ग्राज के युग में हिंसापूर्ण क्रान्ति के स्थान पर सत्याग्रह द्वारा लाई गई क्रान्ति ही स्थायी बन सकती है। हिंसक क्रान्ति द्वी तुलना में सत्याग्रह की श्रेष्ठता इन तथ्यों से स्पष्ट है—

1. मार्क्सवादी-लेनिनवादी हिंसक क्रान्ति वर्ष-सर्वर्य की धारणा के ग्राम-पर चलती है जबकि समाज वाल्तव में सहयोग पर स्थिर है। सत्याग्रह इसी सहयोग को प्रोत्साहन देता है।

2. क्रान्ति निरकुशला और हृत्याकाण्ड पर बल देती है जबकि सत्याग्रह प्रान्तरिक सुधार पर । स्पष्ट है कि मन्त्ररात्मा को प्रभावित करने वाला साधन सर्वब थ्रेष्ठ होता है क्योंकि उसके परिणाम स्थायी होते हैं । क्रान्ति-जन्य प्रभाव तभी तक स्थिर रह सकते हैं जब तक पाश्विक शक्ति और हिंसा का आतक रहता है ।

3. हिंसा मानवता के पतन का मार्ग है । एक बार पाश्विक प्रवृत्तियों के उदय हो जाने पर उसे छुटकारा पाना कठिन है । सत्याग्रह का युद्ध आत्मा की तलवार से सड़ा जाता है जिससे न केवल स्वयं की आत्म शुद्धि होती है बल्कि विरोधी का हृदय परिवर्तन भी हो जाता है ।

4 हिंसा अलोकनान्त्रिक है, सत्याग्रह पूर्ण सोकतान्त्रिक, तथा हिंसा अनंतिक है सत्याग्रह पूर्ण नैतिक ।

5 हिंसा वह ग्रस्त है जिसका प्रयोग समर्थ और शक्तिवान हो कर सकते हैं । सत्याग्रह में प्रेम तत्त्व की प्रधानता होती है, भले उसका प्रयोग मालाल-बूद्धनारी कर सकत है । हिंसा शारीरिक बल पर आधारित है तथा सत्याग्रह आत्मिक बल पर ।

6 हिंसा से याज्ञ तक किन्हीं समस्यायों का समाधान नहीं हुपा । समस्यायों का हूल तो पारस्परिक वार्ता और सहयोग द्वारा होता है । सत्याग्रह विरोधी के मन का भैल धाता है, तथा उसके हृदय में सहयोग और गुणों का सचार करता है । अत सत्याग्रह द्वारा प्रश्नों का स्वायी निणय हो सकता है ।

7 हिंसा से अन्याय और प्रत्याचार की विजय होती है जबकि सत्याग्रह से सत्य और न्याय की विजय होती है ।

8 ग्राधुनिक शक्तिशाली राज्यों में हिंसक क्रान्तियों का सफल होना प्रति सदिग्द है । इसके विपरीत सत्याग्रह की सफलता की यम्भावनाएँ बहुत प्रबल हैं क्योंकि इसके द्वारा राज्य के विश्व ग्रस्त-बल प्रशुल्त नहीं होता बल्कि शासनतन्त्र वो आत्मबल के आधार पर अनुकूल परिवर्तन के लिए तंत्यार किया जाता है । क्या पश्चिमी पाकिस्तान और प्रत्याचार और निर्मम नर-सहार द्वारा बगला देशवासियों को यदा के लिए प्रपने अधीन बनाए रख सका ? स्पष्ट है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता । यह तो तभी सम्भव है जब प्यार और सहयोग की आधारभूमि स्वादित की जाए । राधीवाद के घनुसार, बगलादेश के 7 करोड़ से भी प्रधिक नागरिक पश्चिमी पाकिस्तान के विश्व सत्याग्रह कर बैठे और सुनिश्चित रूप में प्रतिप्रत्यकाल्य में ही प्रपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया ।

इस सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि सत्याग्रह के साधन का ध्याविकार महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी देन है । सत्याग्रह का विचार पहले परिवारिक भेद तक ही सीमित था । हमारे खण्डि-मुनियों न सत्याग्रह और प्रहिंसा का प्रशांत वैयक्तिक और पारिवारिक हेतु तक ही किया था । लेकिन गांधीजी ने इस सामूहिक और भ्रातृक सुन प्रबाव किया तथा सम्पूर्ण सामाजिक और राजनीतिक भेद में इसका

सफल प्रयोग कर दिखाया। स्वतन्त्रता-संघर्ष के समय सत्य और अहिंसा के माध्यम पर ही महात्मा गांधी ने देशवासियों में चेतना, प्रात्म-विश्वास और स्फूर्ति का कुछ ही वर्षों में इतना सचार कर दिया था जो सम्भवत हूँसरे उपायों से कई पीढ़ियों में भी न हो पाता। अहिंसात्मक असहयोग और सदिनय अवज्ञा आनंदोलन यद्यपि देश के लिए स्वतन्त्रता अविलम्ब प्रजित नहीं कर सके, तथापि इनसे राष्ट्रीय जीवन में इतना प्रबल जागरण आया कि जहाँ सन् 1920-22 में लगभग एक लाख लोग हूँसते-हूँसते जेलों में चले गए थे वहाँ सन् 1930-33 में यह सभ्या बढ़कर लगभग 5 लाख हो गई और विदेशी शासन एक बारगी डगमगा गया। बम्बई के गवर्नर सर जॉर्ज लॉयड ने स्वीकार किया कि सन् 1920-21 का आनंदोलन सासार के इतिहास में ऐसा महान् परीक्षण या जिसकी सफलता में केवल एक इच्छा की ही कसर रह गई थी।

इसमें सन्देह नहीं कि सत्याग्रह बहुत ही उत्कृष्ट साधन है जिसके बल पर हम अपनी सार्वजनिक और राजनीतिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं, तथापि इसका अनुचित प्रयोग अवौधारिय है। गलत उद्देश्यों के लिए, राष्ट्रीय हित की कीमत पर स्थानीय हितों की पूर्ति के लिए, बड़े हितों को बलिदान कर छोटे हितों के सुरक्षण के लिए कलुषित हृदय से सत्याग्रह करना तो इसे बदनाम करना है। स्वाधीन भारत में समय-न-समय पर जो सत्याग्रह और अहिंसात्मक आनंदोलन हुए हैं, उनमें से प्रधिकांश में इसी प्रकार की मनोभावना प्रबल रही है। अत हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम 'साध्य और साधन' दोनों की उत्कृष्टता में विश्वास रखते हुए चलें तथा सत्याग्रह के साधन का उच्च घैरु की पूर्ति के लिए सच्चे हृदय से प्रयोग करना सीखें। गांधीजी के इस शास्त्र को उपहास का पात्र न बनाएं।

### राज्य और समाज के बारे में गांधीजी के विचार

गांधीजी के राज्य-सम्बन्धी विचार दार्शनिक अराजकतावादी जैसे थे। उनका मत था कि राज्य एक आवश्यक दुरुरुण है जो मानव-जीवन के नेतृत्व मूल्यों पर आधात करता है। राज्य के विशद् गांधीजी का पहला तर्क यह था कि राज्य का मूल हिंसा है। राज्य एक ऐसी सम्भ्य है जो मनुष्य नित्यप्रति के जीवन में उस पर बल-प्रयोग द्वारा दबाव ढालती है। इसकी जड़ें हिंसा में गड़ी हुई हैं। गांधीजी का कहना था कि राज्य द्वारा पुनिस्, व्यायासय और संनिक शक्ति के माध्यम से व्यक्तियों पर प्रपनी इच्छा थोपी जाती है। राज्य के विशद् गांधीजी का दूसरा तर्क यह था कि राज्य एक बाध्यकारी शक्ति है जो मानव के व्यतिकृति के विकास को कुण्ठित करती है। सन् 1934 में उन्होंने एक घबराय पर कहा था— मैं राज्य की शक्ति में किसी भी प्रकार की दृष्टि को अधिकतम भय की दृष्टि से देखता हूँ।" यद्यपि देखने में ऐसा सगता है कि राज्य कानून द्वारा शोषण का कम कर रहा है, तथापि वास्तविकता यह है कि राज्य मानव व्यक्तित्व का विनाश कर उसको सबसे बड़ी हानि पहुँचाता है। गांधीजी की मान्यता थी कि राज्य आज्ञा देता है और आज्ञा अपने साथ व्यक्ति के कार्यों का नेतृत्व मूल्य कायम नहीं रख सकती। राज्य के विरोध में गांधीजी का

तीसरा तर्क यह था कि अहिंसा पर आधारित किसी भी आदर्श समाज में राज्य सर्वथा घनावशयक है। पद्धति बंकुनिन, क्रोपोट्किन और अन्य प्रराजकतावादी भी राज्य को घनावशयक और व्यर्थ समझते थे, किन्तु उनकी मुक्तियों के विपरीत गांधीजी की युक्ति पूर्णत नैतिकता पर आधारित थी।

उनके प्रनुसार राज्य का प्रथम कार्य सामाजिक प्राचरण को घनुशासित करना है। 2 जुलाई, 1931 के 'यम इण्डिया' में उन्होंने लिखा था—

"मेरे लिए राजनीतिक ज्ञाति कोई व्येष्य नहीं है, बल्कि जनता के लिए एक ऐसा शाश्वत है जिसके द्वारा वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रपनी दशा सुधार सके। राजनीतिक शक्ति का अर्थ राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवन को नियमित करने की क्षमता है। यदि राष्ट्रीय जीवन इतना पूर्ण हो जाए कि वह स्वयं नियमित अर्थात् प्रात्मानुशासित हो सके तो किसी प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तब वह एक प्रबुद्ध प्रराजकता (Enlightened Anarchy) की स्थिति होगी। ऐसी प्रवस्था में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं प्रपना शासक होगा जो स्वयं पर इस प्रकार शासन करेगा कि वह प्रपने पड़ोसी के लिए किसी भी रूप में अधिक नहीं बनेगा। प्रत् आदर्श प्रवस्था में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होगी क्योंकि उसमें कोई राज्य नहीं होगा।"

गांधीजी राज्य को एक आवश्यक बुराई समझकर उसको तिरस्कृत करते थे क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि मनुष्य मूलत एक आध्यात्मिक प्राणी है जिसका वास्तविक स्वभाव स्वतन्त्रता है। ग्रीन की भाँति उनका भी विश्वास था कि मानव प्रात्मा की स्वतन्त्रता चाहता है। लेकिन जहाँ ग्रीन का विश्वास था कि स्वतन्त्रता के लिए प्रविकार आवश्यक है और प्रविकारों के लिए राज्य आवश्यक है, वहाँ गांधीजी के प्रनुसार सच्ची स्वतन्त्रता का अर्थ या पूर्ण प्रात्मानुशासन और प्रात्म-सम्पर्म धर्यवा प्रान्तरिक स्वराज्य जो केवल प्रबुद्ध प्रराजकता की स्थिति में ही सम्भव है।

इस तरह स्पष्ट है कि राज्य के प्रति गांधीजी का दृष्टिकोण प्रराजकतावादी था। समाज के विषय में गांधीजी का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उन्होंने अहिंसात्मक राज्यहीन आदर्श समाज की कल्पना की थी। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति प्रपना शासक स्वयं होगा जो प्रपना शासन इस प्रकार करेगा कि वह प्रपने पड़ोसी के मार्ग में बाधक सिद्ध न हो। इस प्रहिसक आदर्श समाज में प्रत्येक गाँव एक प्रजातन्त्र या एक पंचायत होगा जिसे पूर्ण सना प्राप्त होगी तथा प्रत्येक गाँव स्वावलम्बी और स्वापत्तिशासी होगा। बायू प्राक्षमण से प्रपनी रक्षा के लिए उसे पर्हिसा वो जिक्षा द्वारा तंत्यार किया जाएगा। इस स्वाधीन समाज में पड़ोसियों या ससार के जिसी देश से स्वेच्छापूर्वक सहायता लेने या उन पर निम्र रक्त का बहिकार नहीं होगा। ऐसा समाज उत्तम सहकृति और सम्भवा बाला या जिसमें प्रत्येक स्त्री-मुल्य को इसका ज्ञान होगा कि उसे क्या चाहिए और इससे भी प्रविक गह ज्ञान होगा कि किसी वो ऐसी चीज की इच्छा नहीं करती जो उम दूसरों

के समान धर्म से न मिल सकती हो। आदर्श समाज में ग्राम एक लचीले सध में सुगठित होगे और सध का आधार शक्ति न होकर नैतिकता होगी। सध के पास पुलिस या सेना शक्ति नहीं होगी। यह समाज विकेन्द्रित होगा जिसमें जीवन सरल और सभ्यता ग्रामीण होगी। इस अहिंसात्मक समाज का जो सामाजिक-आर्थिक ढाँचा होगा वह आज के ढाँचे से बहुत भिन्न होगा। उसमें बड़े-बड़े नगरों, पुलिस, कानूनी न्यायालय, जेल, भारी उद्योग और सवादवाहन के निए कोई स्थान नहीं होगा। यह अहिंसात्मक समाज सरकार से मुक्त होगा क्योंकि अहिंसा के सिद्धान्त का पूर्णत पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं होगा और स्वत प्रपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करेगा।

गांधीजी ने यद्यपि पूर्ण अहिंसात्मक और राज्यहीन समाज की कल्पना की थी, किन्तु वे स्वप्नलोकीय विचारक न होकर एक यथार्थवादी विचारक थे। वे यह जानते थे कि वास्तविक मानव जीवन में पूर्ण अराजकता की अवस्था स्थापित होना सम्भव नहीं है। वे समझते थे कि आधुनिक समय में समाज के सभी सदस्यों से पूर्ण आदर्श नैतिकता की आशा करना अव्यावहारिक है। अत उन्होंने, प्लेटो के समान मानव दुर्बलताघोषों को व्यान में रखते हुए सर्वोत्तम राज्य का प्रतिपादन किया अर्थात् यह स्वीकार किया कि सम्पूर्ण सासार में एक प्रधान रूप से अहिंसात्मक राज्य तो सम्भव है किन्तु पूर्णत अहिंसात्मक राज्यहीन समाज नहीं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि समाज में मानव के सामाजिक आचरण को विनियमित करने के लिए एक प्रकार की सरकार अर्थवा राजनीतिक सत्ता अवश्य होनी चाहिए वशतें कि वह कम से कम शासन करे। थोरै (Thoreau) की भाँति उनका दृढ़ विश्वास था कि “वही सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करती है।” गांधीजी मनुष्य के स्वावलम्बी जीवन के समर्थक थे और चाहते थे कि राज्य अपने कार्यों को कम धैत्री तक सीमित कर दे। राज्य के अनुचित और अनावश्यक हस्तक्षेप को वे अप्रजातन्त्रिक मानते थे। उनका कथन था कि एक राष्ट्र जो राजकीय हस्तक्षेप के द्विना अपना कार्य सुगमता और प्रभावशाली ढग से करता है, वह वास्तव में सच्चे रूप में प्रजातन्त्रात्मक है। जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ शासन-प्रणाली के बल नाम भाव के लिए ही प्रजातन्त्रीय होती है। गांधीजी राज्य को एक साध्य न मान कर साधन मानते थे, अपने अहिंसात्मक लोकतन्त्र में, जो उनके राज्यहीन समाज के आदर्शों के सबसे निकट है, गांधीजी जिस सरकार की सत्ता का समर्थन करते थे, वह विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अहिंसात्मक ढग से निराकरण करने वाली थी। इसमें सशस्त्र पुलिस हो सकती है, किन्तु इसका स्वरूप और आचरण अहिंसात्मक होगा, शस्त्रों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाएगा। वास्तव में पुलिस दण्डनायक न होकर सुधारक होगे। इस अहिंसा प्रधान राज्य के जेलखाने भी सुधारगृह होंगे।

गांधीजी का विश्वास था कि प्रजातन्त्र को अहिंसात्मक साधन द्वारा मूर्तिमान हिता जा सकता है। परन्तु वे लोकतन्त्र की बहुमत सम्बन्धी समस्या के प्रति जागरूक

ये। उनका विचार या कि सोकर्तन्त्रात्मक शासन के सुचाह सचालन के लिए बहुसंस्थकों की भाँति अल्पसंस्थकों का सश्योग भी आवश्यक है, क्योंकि "बहुमत द्वारा एक जीवित अद्वा का निर्भाण नहीं हो सकता, बहुमत द्वारा निर्मित सरकारों का एक दुष्प्रभाव व्यभिचार है।" गौधीजी ने कहा कि बहुमत को अल्पसंस्थकों के विचारों का स्वागत करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि बहुमत सदैव सत्य हो। सांवर्जनिक हित, जो प्रत्येक लोकरत्नात्मक शासन का मौलिक गुण है, एक वर्ग अथवा व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कहना असत्य है कि बहुमत सदैव अक्षिण्णाती होता है। एक प्रतिभाजाती व्यक्ति एक हजार मूँहों से निश्चय ही प्रच्छा है। गौधीजी ने बतलाया कि सच्चे लोकरत्न के अन्तर्यंत बहुमत में आलोचना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और अल्पसंस्थक वर्ग को भी बहुमत की उचित बातें स्वीकार करनी चाहिए।

### प्रतिनिधि प्रणाली, संसदीय व्यवस्था आदि पर विचार

महाराम गौधी ने प्रजारत्न के चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में भी विचार व्यक्त किए थे। चुनावों के प्रति उनका कुछ अनुच्छा विचार नहीं था। उनका कहना था कि चुनाव के सम्बन्ध में लोग प्रसन्नतापूर्वक विश्वास करते हैं कि ऐसा करके वे स्वशासन की स्थापना करते हैं। किन्तु उनका यह विश्वास कभी पूर्ण नहीं हो पाता। इसके विपरीत चुनावों द्वारा एक शोषणकारी वर्ग जन्म लेता है जिसके द्वारा व्यक्ति का नैतिक पतन कर दिया जाता है। उन्होंने 'हिन्द स्वराज्य' में एक बार लिखा था—“सदस्यगण अपने राजनीतिक दस को बिना विचारे ही पत प्रदान करते हैं। तथा कपित अनुशासन उनको ऐसा करने को बाध्य करता है। यदि दपवाद के रूप में कोई व्यक्ति अपना स्वतन्त्र मत प्रदान कर दे तो उसको गद्दार समझा जाता है।” इसके अतिरिक्त चुनावों में अत्यधिक व्यय किया जाता है और इसमें जो प्रचार होता है वह व्यक्ति को घनेक झूठी बातें कहने को प्रेरित करता है। इसके द्वारा हरामखोरों और स्वाधियों को पर्याप्त लाभ मिलता है। किर भी गौधीजी जानते थे कि आवाहारिक रूप में चुनावों से बचना सुमित्र नहीं है। पन वे चाहते थे कि निर्वाचन में जो प्रत्याशी लड़े हो, उन्होंने प्रहंताएँ विशेष रूप से कठोर हों। देश के प्रशासन में भाग लेने वाले प्रत्याशी नि स्वार्थी हों, योग्य हों, ईमानदार हों, पद-लोनुप न हो, अपनी प्रशंसा के भूषे न हो, अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति अहिंसक हों और मतदाताओं को भ्रष्ट करने का प्रयत्न करन वाले न हों। गौधीजी तो यह भी नहीं चाहते थे कि कोई प्रत्याशी मतों के लिए प्रारंभन करे। “प्रत्याशी के बतल भतदाताओं की लेका करके उनके मत प्र पन करें।” गौधीजी सभी नागरिकों (स्थि-पुरुष) को मतदान का प्रधिकार देना चाहते थे और मताधिकार के लिए एक प्रहंता को प्रनिवार्य मानते थे कि वह कुछ थम करता हो।

उनका कहना था कि सम्पत्ति मताधिकार का आधार नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ताय से थम करके जीविकोपात्रन करता है या नहीं, यह मताधिकार वो कष्टोटी होनी चाहिए।

गांधीजी ने सन् 1931 मोर 1942 मे पचायतो के लिए भ्रप्रत्यक्ष चुनावों का समर्थन किया था। वे सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पक्ष मे थे और इस दृष्टि से उन्हे गांधी के लिए प्रत्यक्ष चुनाव-पद्धति भ्रविक उपयुक्त व लाभदायक प्रतीत हुई। गांधीजी चाहते थे कि ग्राम पचायते ग्रामों का शासन सबालन करें, याम पचायतो से जिले के प्रशासन भ्रविकारी चुने जाएं, जिलों के प्रशासन प्रान्तीय प्रशासन के लिए प्रतिनिधि चुनें और प्रान्तीय प्रशासन देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन करें।

उल्लेखनीय है कि गांधीजी का मूलतः ससदीय पद्धति के सम्बन्ध मे कोई भ्रच्छा मत नहीं था। उन्होने 'हिन्द स्वराज्य में विटिंग ससद की तुलना एक पतित भ्रात एवं वेश्या से की थी जिसके द्वारा कोई भी भ्रच्छा कार्य अपनी इच्छा से नहीं किया जाता। यह हमेशा याचिकार्धों और प्रथ्य दबाव के माध्यम से कार्य करती है। इसे वेश्या इस दृष्टि से कहा गया वयोंकि इसका कोई वास्तविक स्वामी नहीं होता। यह बदलते हुए प्रधान मन्त्रियों के नियन्त्रण मे रहती है जो कल्याण की भ्रपेक्षा सदैव सत्ता का स्थाल रखते हैं। व्यवस्थापन मे भी गांधीजी का भ्रविक विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि यदि हम यह मानते हैं कि केवल कानून पारित करने से बुद्धियों को दूर किया जा सकता है तो यह एक प्रकार से अपने व्यापकों धोखा देना है। मूल बात यह है कि हृदय-परिवर्तन हो। हृदय-परिवर्तन बिना व्यवस्थापन प्रभावहीन रहेगा। गांधीजी के कवनानुसार, "एक लोकप्रिय राज्य लोकमत जाने विना कभी कार्य नहीं कर सकता। यदि वह उसके विषद हो जाता तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा।" महात्मा गांधी ने सुसदीय कार्यों की गणना राष्ट्रीय क्रियायों के सबसे कम महत्वपूर्ण भाय के रूप में की थी। उनके घनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कार्य तो उसके बाहर ही फिरे जाते हैं। इसी दृष्टि से उन्होने भ्रविकार-पद की उपयोगिता पर भी भ्रविक जोर नहीं दिया। यदि इन भ्रविकारों को भ्रच्छी तरह से प्रकाशित नहीं किया जाता तो इसका बहुत कम महत्व होगा। उन्होने कहा कि जब तक व्यक्ति मे मानवता और निर्भकता नहीं भाती, तब तक हमारे कोई भी भ्रविकार हमारी स्वतन्त्रता को रक्षा नहीं कर सकते।

गांधीजी का मत था कि कानून हमेशा भ्रात्म-क्षमा के लिए होने चाहिए। यदि वे उन्नति और विकास को भ्रवरुद्ध करते हैं तो देकार हैं और उनको एक तरफ रख देना चाहिए। कोई भी मानव कानून स्वायी रूप से व्यक्ति के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकते।

### राष्ट्रवाद एवं अन्तर्राष्ट्रीयवाद

महात्मा गांधी भारत के व्यापक क्षेत्र मे राजनीति को सेकर प्रविष्ट हुए। भ्रत भारतीय उन्नता ने भ्रविकांशित उन्हे राजनीतिक नेता और देशभक्त राष्ट्रवादी के रूप मे ही पहचाना। पर राष्ट्रवाद को सोमा मे ग्राजकल व्यावहारिक रूप से जिन बातों का समावेश होता है गांधीजी का राष्ट्रवाद, उनका देश-प्रेम और उनकी राजनीति स्पष्ट है। उन बातों से भिन्न थी। जो राष्ट्रवाद भाज दुनिया के लिए धातक सिद्ध हो रहा है, जिसने मानव हृदय के सत्य और मुन्दर स्वरूप का गता धोट

दिया है और जो ससार की मान्ति के लिए एक महान् खतरा बन गया है, गांधीजी उस राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे। यदि बुराई से देखा जाए तो दो बातें विद्युत् प्रकाश की तरह स्पष्ट चमकती हैं देती हैं—एक तो यह है कि उनका राष्ट्रवाद जीवन की साधना का एक भाग था, वह घ्येय न होकर साधन था, और दूसरी बात यह कि उनका राष्ट्रवाद राजनीति की प्रपेक्षा नेतृत्व की प्रधिक था। गांधीजी के राष्ट्रवाद की नींव भौतिक पाकौशामो पर प्राप्ति न होकर, जीवन की श्रेष्ठता और प्राध्यात्मिक सिद्धान्तों पर प्राप्ति थी।

महात्मा गांधी ने राष्ट्रवाद को हमारे सामने प्रत्यन्त शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जहाँ भारत एक राष्ट्र है, वहाँ वह विश्व का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। सारील में गांधीजी का राष्ट्रवाद उनके विश्व-प्रेम का ही एक रूप था। उनका कथन था कि “मेरा लक्ष्य विश्व-मंत्री है। हम विश्व-ध्यातृत्व के लिए जीवा और मरना चाहते हैं।” गांधीजी ने जीवन भर भारत-राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए धर्यक् परिश्रम किया। उन्होंने राष्ट्र भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया और यह सब कुछ इसलिए किया व्योकि उनके शब्दों में—“मैं प्रपने देश की स्वतन्त्रता इसलिए चाहता हूँ कि प्रन्य राष्ट्र मेरे राष्ट्र से कुछ सीख सकें। मेरी राष्ट्रीयता उम्म प्रन्तराष्ट्रीयता है।” उन्होंने एक बार कहा था—“मानवता जीवित रहने के लिए यदि प्रावश्यकता हो तो भव देखो की बलि दी जा सकती है।” स्पष्ट है कि गांधीजी की दृष्टि में विशुद्ध राष्ट्रीयता प्रन्तराष्ट्रीयता की किसेही नहीं है, बल्कि उसके विकास में सहायक है, व्योकि “एक व्यक्ति के राष्ट्रीयतावादी हुए बिना प्रन्तराष्ट्रीयतावादी होना प्रसन्नभव है।” राष्ट्रवाद कोई बुराई नहीं है, बुराई तो सकीएंता, स्वार्थ और एकाकीपन की भावनाएँ हैं जिनसे आज के राष्ट्र प्रसिद्ध दिखाई देते हैं।

गांधीजी के राष्ट्रवाद में प्रहकार, प्रन्य जातियों के पद-दलित करने व्यवसा प्रपने राष्ट्र के स्वार्थ के लिए प्रन्य दुखेल देशों का मनमानी उपयोग करने का भाव नहीं है। उनके राष्ट्रवाद में जाति और जमीं का नेदभाव नहीं है। वह तो विश्व-प्रेम का, विश्ववाद का तथा मानव-जाति की सेवा का एक साधन है।

### गांधीजी और विकेन्द्रीकरण (Gandbjji & Decentralisation)

विकेन्द्रीकरण पर गांधीजी के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक एवं धार्यिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण उनके प्रहिस्त प्रधान राज्य का एक प्रमुख लक्षण था। गांधीजी के प्रनुसार विकेन्द्रीकरण की प्रावश्यकता इसलिए है कि केन्द्रीकृत व्यवस्था शक्ति एवं दृष्टि पर प्राप्ति होती है। एक व्यवस्था के रूप में केन्द्रीकरण का परिणाम होता है ऊपर के कुछ व्यक्तियों के हाथों में सत्ता का एकत्रित होना जो सामाजिक समानता तथा व्यक्तित्व के सिद्धान्तों के विपरीत है। गांधीवादी सामाजिक दर्शन में विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त की व्याख्या प्रसिद्ध प्रवतरण में बही मुन्द्र रीति से की गई है—

'विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त का समर्थन गांधीवाद में इस अनुभूति के प्राधार पर किया जाता है कि केन्द्रीकृत उत्पादन की वर्तमान व्यवस्था तथा राजनीतिक सत्ता का एकत्रीकरण ये दोनों ही बातें व्यक्ति के विश्वास के लिए आवश्यक बातावरण के प्रतिकूल होती हैं। गांधीजी का विश्वास था कि मानव सुख का लक्ष्य, जो व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की पूर्ण सुविधा पर निर्भर है, उत्पादन और सत्ता की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में ही प्राप्त हो सकता। राजनीतिक तथा आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण से व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा स्वत कार्य करने की सामर्थ्य पर प्राधारित जनतन्त्र कारण होता है और इसके द्वारा व्यक्ति अपने देश के शासन में भाग ले सकता है। इससे मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था अपने आप ही हो जाती है। उत्पादन और उपभोग दोनों एक ही स्थान पर होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उत्पादन किसी एक ही विशिष्ट स्थान पर केन्द्रित हो जिससे उपज तथा सम्पत्ति के वितरण के लिए नियमों के निर्माण की आवश्यकता पड़े। विकेन्द्रीकरण से मशीनों का नियमन भी हो सकेगा। - स्वार्थ सिद्धि के लिए मशीनों के वर्तमान भ्रन्तियन्त्रित प्रयोग से अस्तर्य लोगों का जीवन नीरस तथा भार रूप हो गया है।"

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का अर्थ यह है कि ग्रामों को अपने कार्यों की व्यवस्था करने में अधिक से अधिक स्वतन्त्रता और अपनी ओर से कार्य करने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। उनके ऊपर राष्ट्रीय अर्थवा संघीय सरकार का नियन्त्रण भ्युनतम होना चाहिए। यदि नियन्त्रण स्वरूप में दमनकारी न होकर केवल नैतिक हो तो वह आदर्श व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय निकायों के लिए चुनावों को अप्रत्यक्ष बना देने से विकेन्द्रीकरण में बहुत सहायता मिलेगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्मित राष्ट्रीय संसद अपने हाथों में अत्यधिक सत्ता हस्तगत कर व्यक्ति के विकास के लिए भयावह सिद्ध होगी। अपने 'हिन्द स्वराज्य' में गांधीजी ने ब्रिटिश संसद की कटु आलोचना की थी।

राजनीतिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण का जो विचार महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया, उसकी आवश्यकता को प्राइवेट संसार आज अनुभव कर रहा है। आज जिस प्रकार बहुलवाद (Pluralism) राजसत्ता की निरकुशता के विहद्ध आवाज उठा कर उसे अनेक मध्यों में विभाजित भरना चाहता है, वह गांधीवादी दर्शन की इस मान्यता के अनुरूप है कि राजा सर्वेसर्वा नहीं होना चाहिए और राजसत्ता सीमित, मर्यादित तथा नियन्त्रित होनी चाहिए। प्रो जोड़ का मत है कि यदि सामाजिक कार्यवाही में मानव विश्वास को पुनर्जीवित करना है तो "शासन के टुकड़े करके उसके कार्यों को बौट देना चाहिए।" शासन की मशीन का आकार ढोटा कर देना चाहिए और इसे अस्तर्यायी रूप देकर ऐसा बना देना चाहिए कि इसका प्रबन्ध सरलतापूर्वक किया जा सके ताकि अपने राजनीतिक परिश्रम का प्रतिफल सम्मुख देखकर वे यह अनुभव कर सकें कि जहाँ स्वशासन एक तथ्य है वहाँ समाज इनकी इच्छाओं के सम्मुख छिप जाता है क्योंकि वे स्वयं ही समाज हैं।"

ग्राम्यिक विकेन्द्रीकरण का घ्येय विश्वाल पैमाने पर कार्य करने वाले उद्योगों और कारखानों को बन्द कर उनके स्थान पर कुटीर उद्योगों को स्थापित करना है। गांधीजी स्वदेश व कुटीर व्यवस्था (Cottage Industries) के समर्थक थे और पूरोप के ग्रीष्मोगिक इतिहास का ग्रध्ययन कर इस निणय पर पहुँचे थे कि भारत में से देश में जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है वहें बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना डेरोजगारी व वेकारी को बढ़ाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेगी। बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन दरिद्र कारीगरों का विनाश कर देगा और मजदूर तथा मालिकों के भगड़ों से समाज में भीपण अशान्ति व्याप्त हो जाएगी। देश की कृषि अवनत ही जाएगी और कच्चे माल के बिना अन्त में वे बड़े उद्योग भी विनष्ट हो जाएंगे। गांधीजी का यह दृढ़ विश्वास था कि अपने चारों ओर के सासार म आज हिसा का जैसा नर्तन दिखाई देता है उसका एक बहुत बड़ा अश कन्द्रीकृत ग्रीष्मोगिक व्यवस्था का ही परिणाम है। भौतिक पाइचात्य सम्भवता की अधिकांश बुराइयाँ इसी की देन हैं। साम्राज्यवाद, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिफूटिता, सघप्रादि एक बड़ी सीमा तक इसी की उत्पत्ति है। अत अहिसा प्रधान राज्य म प्रत्यक्षिक केन्द्रीकृत ग्रीष्मोगिक व्यवस्था के स्थान पर कुटीर-उद्योग व्यवस्था ही उपयुक्त होगी जिसम उत्पादन के यन्त्रों और उत्पादित वस्तु का स्वभावी स्वयं श्रमिक होगा। गांधीजी का यह स्पष्ट मत यह कि यदि ग्राम्यिक ध्येय में सत्य और अहिसा के सिद्धान्तों का प्रस्थानित करना ह तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोपण को समाप्त करना है तो इसका सर्वोत्तम साधन कुटीर उद्योग ही है। कुटीर-उद्योग व्यवस्था में राष्ट्रीय सम्पत्ति के वितरण म प्रधिक विप्रमता नहीं आ सकती।

शारीरिक श्रम की महान् उपयोगिता में आस्था रखन वाले गांधीजी के निए यह स्वाभाविक था कि उन्होंने आधुनिक ग्रीष्मोगिता मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर केन्द्रीभूत उत्पादन आदि की मनुष्य जाति के लिए एक प्रभिशाप नमझा इन्हें यह नहीं समझा जाना चाहिए कि गांधीजी मशीनों और मशीनों द्वारा सचान्ति बड़े बड़े उद्योगों के सर्वया विश्व थे। गांधीवाद चर्चा भक्ति या लगोटी लगान की सीख दन वाली ग्राम्यिक व्यवस्था (Loin Cloth Economy) नहीं है। गांधीवाद ग्रोवारीकरण का विरोधी होते हुए भी उस सीमा तक मशीनों के प्रयोग की अनुमति इतना है जहाँ तक वह सम्पूर्ण समाज के हित में बाधक नहीं है। गांधीजी ऐसी मशीनों का प्रयोग नहीं चाहते थे जो या तो विनाशकारी हो या शोपण को प्रोत्तमाहन देन वाली हा। उदाहरणात्मक, तोप, बन्दूक, मशीनगन व वर्म आदि विनाशकारी हैं यह इनका निर्माण सद्या त्याज्य है। इसी प्रकार बड़े-बड़े कारखानों में प्रदुरुक्त होने वाली व मशीनों जो अभिको का शोपण करने में पूँजीपतियों की सहायता करती हैं त्याज्य हैं। पर ऐसे, जहाज, सिलाई मशीन, हल, चर्चा, फावड़ा आदि मशीनों का प्रयोग विहित है क्योंकि वे मनुष्य के लिए ग्राम्यकर्ता की वस्तुओं के उत्पादन म सहायक हानी हैं। व यूद्ध-उद्योगों में काम आने वाली मशीनों के प्रयोग और उनके सुधार के समर्थक थे, यद्यपि वह कहते थे कि "यान्त्रिक शक्ति से चलने वाली मशीनों का व्यवहार कर

लालो लोगो को बेकार कर देना मेरी दृष्टि मे अपराध है।" वास्तव मे 'समय और दूरी को नष्ट करने, पाश्विक इच्छामों की वृद्धि करने तथा उनको पूर्ण करने के लिए जमीन भासमान एक कर देने की 'उन्मादपूर्ण इच्छा' से उन्हें हार्दिक धूएगा थी। उनके ग्रहिंसा प्रधान राज्य मे जीवन बहुत सादा होगा और जनता की आवश्यकताएँ भी कम होगी जिनकी पूर्ति सरलता से हो सकेगी। ऐसे बातावरण मे उत्पन्न होने वाली सम्भता प्रामीण सम्भता होगी। इसका एक बहुत बड़ा साभ यह होगा कि इससे भन्तराष्ट्रीय सघों और तनाव का घन्त हो जाएगा। जब समाज खोटी-खोटी इका इयो मे विभक्त होगा, दैनिक आवश्यकता की सारी चीजें स्थानीय कुटीर-व्यवसायों से प्राप्त हो जाएंगी, खोटे घन्ये गौदों मे इतनी उम्रत दशा मे होगे कि प्रत्येक कारीगर व देश के सशक्त नवयुवक को काम मिल सकेगा तो निश्चित रूप से गौदोगिक पूँजीवाद की प्रतियोगिता समाप्त होकर भन्तराष्ट्रीय शान्ति की स्थापना हो सकेगी। ग्रहिंसा और विकेन्द्रीकरण के प्राधार पर स्थित समाज से दूसरे समाजों की स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा को कोई भय नहीं होगा और न उस समाज को ही उनसे कोई भय रहेगा। किन्तु यही यह शका होती है कि क्या आर्थिक क्षेत्र मे विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को इस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है कि बड़े-बड़े कारखानों को पूर्णतया बन्द कर दिया जाए? यही गौधीजी का आदर्शवाद पुन यथार्थ से सन्धि करता है। एक व्यावहारिक व्यक्ति होने के नाते गौधीजी ने मनुष्य की दुर्बलताओं को ध्यान मे रखते हुए यह मनुभव किया कि चूँकि राज्यहीन समाज 'एक सुदूर दैविक घटना' है, अत. शीघ्रता मे तुरन्त ही भारी यातायात एव यानिक उद्योगों को बन्द कर देना सम्भव नहीं है। ग्रहिंसात्मक राज्य मे भाप और बिजली के प्रयोग तथा न्यूनतम केन्द्रीकृत उद्योगों को रहने देने मे उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, बरते कि नागरिक उद्योगवाद के दोषों से बचे रहे। सिद्धान्त यह है कि बड़े वैमाने के उद्योगों को कुटीर उद्योगों का प्रतिद्वन्द्वी न होकर उनका सहायक होना चाहिए। वस्तुतः गौधीवादी भर्वाचीन व्यवस्था केन्द्रित एव गौदोगिक व्यवस्था के दुगुँए के विरुद्ध चेतावनी देकर एक ऐसी विकेन्द्रित व्यवस्था चाहती है जिससे कुटीर व प्रामीण उद्योगों का विकास हो और पूँजीपति नैतिकता का पालन करते हुए स्वयं को पूँजी का द्रस्टी मात्र समझें, स्वामी नहीं।

प्राय. यह कहा जाता है कि "गौधीजी का राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का विचार भवश्य ही उचित है, लेकिन कुटीर-उद्योग के पुनरुत्थान करने का उनका प्रयास एक प्रतिगामी कदम है, घड़ी की सुइयों को पीछे की ओर धुमाना है।" गौधीजी के आर्थिक विकेन्द्रीकरण की इस प्रालाचना को पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह एक तथ्य है कि जितने दोषों से भाज हम प्रस्त हैं उनमे से अधिकांश आधुनिक उद्योगवाद और उससे उत्पन्न निर्देश घोषण का परिणाम है। साम्यवाद उद्योगवाद को कायम रख कर उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के सामाजीकरण द्वारा उसके दोषों को दूर करने को प्रयास करता है। किन्तु साम्यवाद का प्रयोग उद्योगवाद के दोषों से मानव जाति को मुक्त नहीं कर सकता। ये दोष तभी मिट सकते हैं जब इनके स्रोत को ही नष्ट कर दिया जाए। इसमे सशय की कोई गु जाइक

नहीं है यदि मनुष्य इन ससार को एक अधिक श्रेष्ठ निवास-स्थल बनाना चाहता है तो राजनीति ही नहीं बल्कि प्रथमनीति भी सत्य और प्रहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। मानवता को बढ़ाते हुए कष्टों से बचाने के लिए औद्योगिकरण की नीति का परित्याग करना एक सफल उपचार सिद्ध हो सकता है। विशाल पंमाने का उद्योगवाद यदि भाज के समान ही पूर्णत यतिशील रहा तो मानव जाति को प्रथम दो महायुद्धों से भी भयानक और विनाशकारी तृतीय महायुद्ध की विभीतिकाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

### गांधीजी का स्वतन्त्रता-दर्शन

(*Gandhiji's Philosophy of Freedom*)

गांधीजी मे नेतृत्व की और आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के प्रति प्रयाप्त लगन के साथ हम राजनीतिक स्वतन्त्रता की उत्कट लालसा के दर्शन करते हैं। गांधीजी के लिए स्वराज सत्य का भग है जिसमे स्वतन्त्रता की भावना समिहित है। राजनीतिक स्वतन्त्रता अथवा स्वराज केवल कष्टों और सघर्षों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा गांधीजी का विश्वास था। गांधीजी ने एक लेख द्वारा घ्यक्त किया था कि भारत मे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रसन्नतोष का प्रसार करना भारतीयों का धर्म था। महान् मनोवैज्ञानिक दूरदर्शिता के साथ गांधीजी ने साम्राज्यवादी देशों को यह पूर्व चेतावनी दे दी थी कि दूसरों पर साम्राज्य स्थापित करने की लालसा महान् शक्तियों का नेतृत्व पतन कर देगी। गांधीजी ने लोकमान्य तिलक के इस विस्थात मन्त्र की सत्यता को हृदय से स्वीकार किया कि स्वराज प्राप्ति भारतीयों का जन्मतिद्ध अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट भन्दो मे कहा था—“जो कोई भी जनमत का निरादर करता है, वह मेरे लिए विद्यो शासक है।” गांधीजी का विश्वास था कि वे भारतीय स्वाधीनता के अधिकारी थे जोकि वे इसके लिए अक्षयनीय कठ भेल चुके थे। गांधीजी राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ आधिक स्वतन्त्रता भी चाहते थे। गांधीजी का स्वराज लालों-करोड़ों पदलितों के लिए था। उनका कहना था कि अमिकों को उनके सम्मूर्छे उचित श्रम का उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, लेकिन वह तक इस भाइंगों को प्राप्ति न हो तब तक प्रत्येक अमिक को इतना प्रबश्य मिलना चाहिए कि वह प्रपना और प्रपने परिवार का भरण-पोषण मुचाह रूप से कर सके। शासन का यह निरिचत कर्तव्य है कि वह इस बात का पूर्ण प्रबन्ध करे। वह सरकार जो इतना भी नहीं कर सकती, सरकार नहीं है। वह तो भराजकता की सत्ता मानी जाएगी। इस प्रकार के राज्य का जानितपूर्ण विरोध किया जाना चाहिए। गांधीजी ने प्रपना सम्मूर्छे जीवन राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए भर्पित कर दिया था। उन्होंने इसे प्रपन जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि वे भारत को साम्राज्यवादी गिरजे से मुक्त करके रहेंगे। गांधीजी ने व्यक्तिगत और जागरिक दोनों ही प्रकार की स्वतन्त्रता का पथ-पोषण दिया। उनके भत मे यह स्वराज की प्राधारनिता थी।

गांधीजी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामाजिक इन्डिपेन्डेंस (Individual Liberty and Social Discipline) के सामजिक सम्बन्ध की मध्यमा का समाधान

चाहते थे। वे एक महान् व्यक्तिवादी थे जिनकी मान्यता थी कि राज्य जन-कल्याण का एक साधन मात्र है जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों का अधिकतम हित प्राप्त करना है। वे राज्य ग्रन्थवा राज्यों के कायों में कोई रहस्यात्मक पवित्रता (Mysterious Sanctity) नहीं दृढ़ते थे, बल्कि उनका विश्वास था कि राज्य मानवीय दुर्बलताओं की उपज है और यदि वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता तो इसका विरोध किया जाना चाहिए। वस्तुतः गांधी-चिन्तन में व्यक्ति सर्वोपरि है, वह सत्ता तथा मूल्य का केन्द्र है जिससे राज्य जीवन और शक्ति प्राप्त करता है। चूंकि व्यक्ति साध्य है और राज्य उसकी आत्मनुभूति; वह साध्य के लिए एक साधन है, अत राज्य में सर्वद सेवा-भावना रहनी चाहिए और उसे स्वयं को व्यक्ति का स्वामी कभी नहीं समझना चाहिए। व्यक्तिवादी चिन्तन को प्रधानता देते हुए भी गांधीजी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने आपको समाज की प्रगति के अनुकूल ढालने के कारण ही उसने बर्तमान विकसित ग्रन्थस्था को प्राप्त किया है। उनके स्वयं के शब्दों में—“मैं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की कीमत समझता हूँ, परन्तु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य मुख्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने व्यक्तिवाद को सामाजिक प्रवति की आवश्यकता के अनुकूल बनाकर ही मौजूदा उच्च स्तर पर पहुँचा है। अनियन्त्रित व्यक्तिवाद जगली जानवरों का काम होता है। हमे व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य और सामाजिक समय के बीच के मार्ग पर चलना सीखना होगा। सारे समाज की भलाई के लिए सामाजिक समय को खुशी से स्वीकार कर व्यक्ति और समाज दोनों को समृद्ध करना होगा।”

गांधीजी की धारणा थी कि व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और सामाजिक कर्तव्य के मध्य सधर्व का मूल कारण यह है कि राज्य अपने स्वरूप से हिसात्मक है। राज्य इस बात का परिणाम है कि कुछ व्यक्ति दूसरों का शोषण करने को कठिन रहते हैं। अहिंसात्मक समाज में इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। अहिंसात्मक लोकतन्त्र में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सामाजिक कर्तव्य-पालन का ही दूसरा नाम होगा। मनुष्य में अहिंसा, सत्य और प्रेम के प्रति ग्रास्ता में जितनी अधिक वृद्धि होगी और सेवा व सहयोग की भावना का जितना अधिक विकास होगा, उसी अनुपात में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामाजिक कर्तव्य के मध्य सामज्जन्य स्थापित होता जाएगा तथा सधर्व की स्थिति समाप्त होती जाएगी।

गांधीजी का विचार था कि व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और सामाजिक समय के बीच सधर्व का एक ग्रन्थ कारण यह है कि व्यक्ति के अधिकारों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। गांधीजी अधिकारों की अनेका कर्तव्य पर अधिक बल देते थे। उनकी मान्यता थी कि यदि सब लोग केवल अधिकारों की बात करें और कर्तव्य पर बल नहीं दें तो चारों तरफ प्रव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन यदि अधिकारों के अग्रह के बजाय प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करे तो मानव-जाति में तुरन्त सुव्यवस्था स्थापित हो जाएगी। गांधीजी कर्तव्यों के पालन को व्यक्ति के जीवन-मरण की समस्या मानते थे। उनका कहना था—“इसमें उसके सभी न्यायपूर्ण

ग्रंथिकारों का समावेश हो जाता है। ग्रंथिकार का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक कि उसके साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ न हो। इनी प्रकार ग्रंथिकार के बिना कर्तव्य की स्थिति है। ग्रंथिकार उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं जो अपने राज्य की मेवा करता है।"

स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वातन्त्र्य और समाज के प्रति कर्तव्य में सघर्ष का कारण ग्रंथीमित व्यक्तिवाद है। हमें अपने ग्रंथिकारों और कर्तव्यों के सामाजिक स्वरूप को पहचानना है और सामान्य जनता को यह ध्यान रखता है कि सरकार का अस्तित्व उसके निरन्तर सहयोग में ही है। गांधीजी का कहना या कि यदि यह विचार घनात्मक (Positive) और नकारात्मक (Negative) दोनों रूपों से जनता का मार्गदर्शन करता है और लोग सभी कल्याणकारों कार्यों में तथा ध्रेष्ठ कानूनों की रक्षा करने में यथा-सम्भव सहयोग देते हैं, तो यह निश्चित है कि मध्यगांगों के अवसर शनै-शनै घटते जाएंगे।

गांधीजी धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और सौकृतिक स्वतन्त्रता के समर्थक थे और इस सम्बन्ध में स्वाधीनता को वे एक मूल ग्रंथिकार मानते थे। यद्यपि गांधीजी ने मानव-ग्रंथिकारों की मूर्चों नहीं गिनाई, किन्तु वे ग्रंथिकारों के स्वरूप और सीमाओं को परिस्थिति के प्रनुसार परिवर्तन के लिए तंयार रहते थे।

### गांधीजी के सामाजिक और आर्थिक विचार (Social & Economic Ideas of Gandhi)

गांधीजी के जिन विचारों की समीक्षा की गई है वे सामाजिक पक्ष और कुछ आर्थिक पक्ष से सम्बन्धित हैं। यहाँ हम गांधीजी के कुछ धन्य प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक विचारों की विवरण करेंगे।

#### सरकारता-सिद्धान्त (Principle of Trusteeship)

समाज में जो आर्थिक विषयताएँ विद्यमान हैं, उनका निराकरण गांधीजी उम साम्यवादी ढंग से नहीं करना चाहते थे जिसके अन्तर्गत धनिकों के धन को उनसे बलपूर्वक छीनकर उस सार्वजनिक हित के लिए प्रयोग करने की बान कही जाती है। गांधीजी व्यक्तिगत सम्पत्ति का मन्त्र चाहते थे लेकिन व्यक्ति द्वारा प्रपनी सम्पत्ति से विचित करने के लिए मार्क्सवादी थ्रेमिक (Proletarian) आन्ति के पक्षपाती नहीं थे। सत्य और ग्रहिता द्वारा हृदय-परिवर्तन उनका प्रमुख धर्म या जिससे पूँजीपति नि शब्द किए जा सकते हैं। गांधीजी को मान्यता थी कि आर्थिक विषयताएँ की समस्या का हूँत सरकारता सिद्धान्त (Principle of Trusteeship) के प्रनुभरण में हो सकता है। बलपूर्वक धनिकों का धन छीनकर उसे सार्वजनिक हित में लगाना दा ट्रूस्टियो से विशेष हानिकारक है और इसनिए त्याज्य है—प्रथम, ऐसा करना हिसापूरण है, द्वितीय, धनिकों को पूर्णतः नष्ट कर देन से सम्बन्ध उनकी सब धों में विचित हो जाता है। गांधीजी का विश्वास था कि, 'ऐसे व्यक्ति तो इन जो धन एकत्रित करना जानता है, समाज प्रपनी ही क्षमि कर लेगा।' इसनिए गांधीजी

चाहते थे कि धनी सम्पत्ति प्रपने पास रखें और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए जितना वह उचित समझें सचं करें, परन्तु शेष सम्पत्ति को समाज को धरोहर (Trust) समझे जिसका उपयोग समाज के लिए ही होना है। समान वितरण का सिद्धान्त यह है कि अमीरों को अपने पड़ोसियों से एक रखना भी अधिक नहीं रखना चाहिए। इस आदर्श को प्रन्यास अर्थात् ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। गांधीजी के शब्दों में, “धनवान् आदमी के पास उसका धन रहने दिया जाएगा, परन्तु वह उसका उतना ही भाग काम में लेगा जितना उसे अपनी जरूरत के लिए उचित रूप में चाहिए। बाकी को वह समाज के उपयोग के लिए धरोहर के रूप में समझेगा। इस तर्क में यह मान लिया गया है कि सुरक्षक विश्वसनीय होगे।” समाज की वर्तमान अवस्था में ही नहीं बल्कि सभी अवस्थाओं में अपरियह के आदर्श के अनुकूल जीवन व्यतीत करने का व्यावहारिक ढम यही है कि हमसे से प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को अपने लिए न रखकर समाज की ओर से ट्रस्टी की तरह सम्भालें। इस सिद्धान्त के अनुसार निजी तथा मन्य सम्पत्ति में कोई भेद नहीं है। सभी सम्पत्ति, वाहे उसका स्वामी कोई हो, निषेप (Trust) समझी जानी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस सिद्धान्त को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए व्यक्ति के उच्चकोटि के नैतिक विकास की आवश्यकता है। यदि राष्ट्र और व्यक्ति इसके अनुसार आचरण करें तो व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा शोषण बन्द हो जाएगा और अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों के कारण कम हो जाएगे।

प्रश्न उठता है कि यदि भरसक प्रयत्न करने पर भी धनी लोग सच्चे पर्याय में समाज के तथा निधनों के सुरक्षक न बनें और गरीबों ना अधिकाधिक शोषण कर उनको भूखो मारते रहे तो क्या किया जाए? इस समस्या वा हल ढूँढ़ने के प्रयत्न में गांधीजी प्रहिसक प्रसहयोग और सविनय अवज्ञा का ‘सही और अनुकूल’ उपाय सुझाते हैं। धनवान् समाज के गरीबों के सहयोग के बिना धन राश्वर नहीं कर सकते। यदि यह ज्ञान गरीबों को हो जाए तो वे प्रहिसा द्वारा उक्त जातक यसमानताओं से मुक्त होना सीख लेंगे, जिन्होंने उन्हें मुलसरी के कगार पर पहुँचा दिया है।<sup>1</sup> गांधीजी ने कहा कि हिंसात्मक साधनों का प्रयोग स्वयं मजदूरों के प्रति विनाशकारी होगा। यदि मजदूरों को अपनी भावनाओं को संयत और नियन्त्रित करना नहीं सिखाया जाएगा और उनके सगड़न का आधार केवल एक सामान्य शब्द के प्रति घृणा-भाव होगा तो इस बात की बहुत अधिक सम्भावना है कि जन्मित प्राप्ति के लिए उनमें आपस में ही सघर्ष का सूत्रपात हो जाएगा। ट्रस्टीशिप-सिद्धान्त पूर्णतः प्रहिसात्मक है जिसमें अमीरों को इस बात का विवास दिलाया जाता है कि जो धन उनके पास है वह जनता के अम का फल है, केवल उन्हीं के प्रयास का नहीं। यह एक सामाजिक याती है, अतः व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समाज के लिए इसका उपयोग करना ही तरह उचित है।

<sup>1</sup> हिंदू, 22-8-40, पृष्ठ 260-61.

यौधीजी के एक निकटतम साथी श्री प्यारेलाल ने, द्रस्टीशिप के उस मन्त्रिम मसोदे को, जो गौड़ीजी ने स्वीकार किया था, इस प्रकार प्रकट किया है—

- (1) सुरक्षता (द्रस्टीशिप) ऐसा साधन प्रदान करती है जिससे समाज के बर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था समतावादी व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसमें पूँजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, बरन् यह बर्तमान पूँजीपति-बर्ग को अपना सुधार करने का प्रबंध देता है। इसका आधार यह भाव्यता है कि मानव-स्वभाव ऐसा नहीं है जिसका कभी सुधार न हो सके।
- (2) यद्यपि वह सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व का कोई प्रधिकार माल्य नहीं करती, तथापि समाज स्वयं अपनी भताई के लिए किसी हद तक इसकी प्रनुभति दे सकता है।
- (3) इसमें धन के स्वामित्व और उपयोग के कानूनी नियमन का निपेघ नहीं है।
- (4) इस प्रकार राज्य द्वारा नियन्त्रित सुरक्षता ने कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए या सामाजिक हित के विश्वद सम्पत्ति पर प्रधिकार रखने या उसका उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र नहीं होगा।
- (5) जिस प्रकार न्यूनतम वेतन स्थिर करने की बात कही गई है ठीक उसी प्रकार यह भी तथ्य कर दिया जाना चाहिए कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की प्रधिक से प्रधिक कितनी आय हो। न्यूनतम और प्रधिकतम आय के बीच का अन्तर उचित, न्यायपूर्ण और समय-समय पर इस प्रकार परिवर्तनशील होना चाहिए कि भुकाव उस मन्त्र को मिटाने की तरफ हो।
- (6) गौड़ीवादी धर्म-व्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप समाज की धावदृष्टकता के अनुसार निश्चित होता, न कि व्यक्ति की इच्छा या प्रलोभन के कारण।

द्रस्टीशिप के सिद्धान्त का बहुत ही मुन्दर विवरण Theosophical Free Tract No. 23 में उपलब्ध है जो विस्तृत होने के बावजूद यही ज्यों का त्वयो उद्भूत करने योग्य है—

“प्राचुरिक सामाजिक दार्जनिकों द्वारा कल्पित सामाजिक कानून की दूसरी मुख्य बात ‘पार्थिक समानता’ है जिसका धर्म है व्यक्ति को चरम उन्नति के लिए समान पदसंगो की सुविधा प्रदान करना। प्रावकल सम्पत्ति के उचित वितरण की समस्या का समाधान समाजवादी धर्मवा लोक-न्यायालंकारी राज्य द्वारा करने की बात की जाती है। यदि हम मान ले कि ये दोनों ही उपाय अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावकारी हो सकते हैं, तो उसमें सामाजिक संगठन विकेन्डीकरण के द्वयम धारारभूत सिद्धान्त के प्रतिकूल होगा। समाजवादी राज्य में उत्पादन के साधनों

तथा वितरण के तरीकों का सामाजीकरण किया जाता है तथा उनका सचालन प्रबन्धकों विशेषज्ञों आदि की एक विशाल नौकरशाही द्वारा किया जाता है। लोक-कल्याणकारी राज्यों में भी गरीबों को मुफ्त सहायता, सामाजिक बीमे तथा राजकीय अस्पताल, नि शृङ्खला वालों आदि के रूप में जनहितकारों कार्यों तथा मन्य प्रकार के सामाजिक कार्यों के लिए बढ़ती हुई दर पर कर बसूल करने के लिए एक विशाल नौकरशाही संगठन की आवश्यकता होती है। सम्पत्ति के समान वितरण का समाजवादी तरीका निवी सम्पत्ति हस्तयत करना है। लोक-कल्याणकारी राज्य यही काम ऊँची घायों पर ऊँचे कर लगाकर करता है।

“गांधीजी का विश्वास था कि सम्पत्ति के समान वितरण की समस्या के समाधान के लिए द्रुस्टीशिप का सिद्धान्त होना चाहिए। घनी लोग अपनी-अपनी प्रतिरिक्त सम्पत्ति के द्रुस्टी हैं अथवा उनको ऐसा होना चाहिए। इस सिद्धान्त के मनुसार अपनी उचित आवश्यकताओं से अधिक कुछ रखना या संग्रह करना चोरी है। यदि ऐसा है तो सम्पत्ति का समान वितरण किस प्रकार हो? यनी की सम्पत्ति उसी के पास रहेगी और वह उसमें से अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए खर्च करेगा, शेष सम्पत्ति को अपने पास समाज की याती समझेगा और उसका उपयोग वह समाज के लिए ही करेगा। किन्तु यदि घनी लोग इस प्रकार गरीबों के सरक्षक न बनें तो क्या किया जाना चाहिए? महात्माजी के पास इसका एक ही उचित एवं भ्रूक उपाय था—‘ग्रहिसात्मक असहयोग’ तथा ‘सविन्य अवज्ञा’।

“घनी सोबों की अपने गरीब भाइयों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बतलाने के लिए गांधीजी कहते थे कि गरीबों के ऐच्छिक अथवा जबरदस्ती प्राप्त किए हुए सहयोग के दिना वे न घन प्राप्त कर सकते हैं और न उसे रख ही सकते हैं। पूँजीपतियों, जमीदारों, मिल-मालिकों, साहूकारों, मुनाफासों आदि से उन गरीबों सोबों के द्रुस्टी बनने का भ्रनुरोध किया जाएगा, जिन पर वे अपनी सम्पत्ति प्राप्त करने, अपने पास बनाए रखने तथा उसकी वृद्धि करने के लिए निर्भर हैं। घनिबो द्वारा इस विचार के प्रहण किए जाने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि घन से शक्ति प्राप्त होती है तो शम से भी शक्ति प्राप्त होती है। दोनों परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर हैं। जब मजदूर अपनी शक्ति को पहचान लेता है तो वह गुलाम बने रहने की अपेक्षा पूँजीपति का सहभागी बनने की स्थिति में पड़ूँच जाता है। मजदूर के असहयोग से पूँजीपति की ग्राहियों खुल जाएंगी और उसे अपनी त्रुटियाँ जात हो जाएंगी। यदि मजदूर लोग प्रायः असफल होते हैं तो इसका कारण यह है कि वे पूँजीपतियों को उनकी जिम्मेदारी का ज्ञान कराने के बजाय अपने लिए सम्पत्ति प्राप्त करना और स्वयं पूँजीपति बन जाना चाहते हैं।

“मजदूरों को आवश्यकता के समय ग्रहिसात्मक असहयोग के प्रयोग की शिक्षा धीरे-धीरे प्राप्त होगी, परन्तु यह दावा किया जा सकता है कि उपाय निरापद और व्यावरित फल देने वाला है। यह नात सरलता से समझ में आ सकती है कि पूँजीपतियों के दिनांश का धर्य मन्त्र में मजदूरों का विनाश होगा। कोई भी सामान्य मनुष्य

इतना बुरा गही होता कि उमका सुपार ही न हो सके प्लौर कोई भी साधारण मनुष्य ससार में इतना पूरां नहीं है जो यह जान सके कि दूसरा पूर्णतया बुरा है या नहीं।

“ट्रस्टीशिप के सिद्धान्तों की बहुत धालोचना हुई प्लौर कुछ लोग इसे केवल एक प्रत्यक्षात्मिक उपाय या धोखे की टट्टी समझते हैं। कुछ लोग, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, समझते हैं कि ट्रस्टी की आवश्यकता केवल कान्ति के बाद के युग में उस समय तक ही है जब तक कि सभाज स्वयं अपनी वसीयत को अपने हाथों में लेकर उसका प्रबन्ध करना आरम्भ नहीं कर देता। यह सर्वंहारा वर्ग के साम्यवादी अधिनायकतन्त्र के समान है जो सभाज के नेतामो द्वारा प्रपनी वसीयत सम्हालने तक के लिए एक प्रकार से एक दल की ट्रस्टीशिप है। किन्तु जब तक हम इस सिद्धान्त के दार्शनिक आधार को ठीक-ठीक न समझ सकें तब तक उसको सही कल्पना हमारे लिए सम्भव नहीं।”

### वर्ण-व्यवस्था

गांधीजी का प्रदृष्टात्मक राज्य वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त पर आधारित होगा। वर्ण के बारे में गांधीजी के विचार मौलिक थे। इनका न तो जातियों से कोई मतलब है प्लौर न रोटी बेटी व्यवहार से ही कोई सरोकार है। ये विचार ऊँचनीच या धन को न्यूट्रिकलता के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक प्लौर प्रार्थिक समानता के सिद्धान्त प्लौर उसके क्रियान्वयन के प्रादर्श पर निश्चित हुए हैं। हो सकता है कि यदि पाठक कल्पनाओं नहीं हैं तो इन विचारों को हवाई किसे समझे, लेकिन आदर्शवादी जनता उन पर भ्रमल करने की कोशिश करेंगी। गांधीजी के नमूने के सभाज में विश्वविद्यालय का विद्वान् प्रोफेसर प्लौर गांव का मुंशी, बड़ा सेनापति प्लौर छोटा-सा सिपाही, होशियार व्यापारी प्लौर उसका गुमाश्ता, मजदूर प्लौर मगी सब एक से खानदानी पाने जाएंगे प्लौर सबकी व्यक्तिगत प्रार्थिक स्थिति समान होगी। इसमें प्रतिष्ठा या धाय दुड़ि के लिए एक धन्या छोड़कर दूसरा धन्या करने का प्रत्योगिता नहीं रहेगा। गांधीजी का विचार या कि कोई धन्या करने की योग्यता चाहे विरासत से चली आती हो प्रथमा शिक्षा प्लौर आसपास के बानावरण से मिली हो लेकिन 100 मे से 90 प्रतिशत बच्चों की योग्यता तो पैरुक धन्या करने की होना सम्भव है प्लौर वह धन्या करने से यदि धाय या प्रतिष्ठा कम न हो तो वे व्यवं ही दूसरा धन्या छूटना नहीं चाहेंगे। जिस तरह चाहे योग्यता हो या न हो तो भी संकड़ों विद्यार्थी युनिवर्सिटी की दिप्पियों के पीछे पड़ते हैं, बंसे दे व्यवं कोशिश नहीं करेंगे। गांव के कुण्डाप्रबुद्धि युवक गांवों को सालों करते नहीं देखे जाएंगे। यह हो सकता है कि इनके द्वारा का भुक्ताव दूसरी तरफ हो। यह भी सम्भव है कि आवश्यकता-नुसार विभिन्न धन्यों के लिए कुछ लोगों को पेरणा दी जाए। गांधीजी की कल्पना में इसकी मनाही नहीं है, न उसमें माये बढ़ने के बजाय एक जगह बढ़े रहने की गुंजाइश है।

सक्षेप में, यह कहा जाना चाहिए कि वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त से गांधीजी का अधिग्राम यह है कि यदासम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति को प्रक्षता परम्परामत प्लौर

वशानुगत उद्यम करना चाहिए वशर्ते कि वे उद्यम प्राधारभूत नेतिक सिद्धान्त के विरुद्ध न हो और यह बात केवल प्राजीविका प्राप्त करने के लिए हो। इस सिद्धान्त के बड़े दूरगामी लाभ हैं। यह सिद्धान्त प्रायिक जीवन में प्रतिस्पर्द्धा और व्यक्तिगत लाभ की भावना दूर करने वाला तथा समाज में स्थिरता लाने वाला है। यह बालकों को अपने जीवन-उद्यम का स्वाभाविक प्रशिक्षण देने वाला और परिणामस्वरूप तकनीकी प्रगति का सूचक है। इसमें समृद्ध उद्योगों की समानता निहित है जिसमें ऊँच-नीच के भेदभाव को स्थान नहीं है।

गौधीजी की वर्णन व्यवस्था के सिद्धान्त पर यह गम्भीर आपत्ति की जाती है कि किसी भी व्यक्ति से यह मौग करना सर्वथा अनुचित है कि वह प्रत्येक स्थिति में अपना वशानुगत उद्यम ही करे। व्यक्तिक प्रतिभा का विकास अधिकतम तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति अपना उद्यम चुनने में स्वतन्त्र हो। इस प्रकार के विचार में नि सन्देह बल है यद्योऽपि हम इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकते कि व्यक्तिगत लाभ की भावना सजोए रखना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। प्राज की स्वतन्त्र प्रतिस्पर्द्धा की प्रणाली में एक व्यक्तिको अपना वशानुगत उद्यम अपनाने के लिए कहना अन्यायपूर्ण होगा। गौधीजी का ग्रादर्श वास्तव में इतना महान् है कि समाज के हर साधारण व्यक्ति द्वारा उसका अनुसरण करना सम्भव नहीं दिखाई देता। स्वयं गौधीजी इस बात के प्रति सचेत ये भी इसलिए यथार्थवादी स्थिति को स्वीकार कर उन्होंने कहा था—“हो सकता है कि समाज कभी भी इस लक्ष्य पर न पहुँच सके, लेकिन यदि भारत को एक सुस्थी देश बनाना है तो हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह अन्य किसी दिशा में अप्रसर न होकर इस लक्ष्य की ओर चले।” उनका विश्वास था कि इस लक्ष्य पर चलने से कोई भी समाज धार्यनिक सासार के अधिकांश दोषों से मुक्त हो सकता है।

### अस्पृश्यता (Untouchability)

अस्पृश्यता हिन्दू समाज का एक अभिशाप है जिसे मिटाने के लिए योतम दुः के समय से ही प्रयत्न होते रहे हैं, किन्तु भग्नात्मा गौधी की भूमिका इस देश में सबसे अधिक सफल हुई है। गौधीजी से पहले अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान को कोई भी उस उच्च भावात्मक स्तर तक न ले जा सका जिस पर उसे गौधीजी ले गए। इस प्रयत्न पर गौधीजी ने हिन्दू जाति के अन्त करण को झकझोर दिया। गौधीजी को अपने प्रयास में महान् सफलता प्राप्त हुई और भारतीय गणराज्य के सविधान में हर रूप में अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित कर दिया है। गौधीजी ने अपने ऐसे अनुयायियों की फौज सही कर दी जो अस्पृश्यता को हिन्दू समाज के लिए उत्तक मानने लगे और हिन्दू समाज से इसे मिटाने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी।

गौधीजी ने अस्पृश्यता निवारण को अपने सार्वजनिक जीवन का प्रमुख ग्रन्थ दाया। उन्होंने सन्देश दिया कि जब तक हम अद्वृतों को अपने गते से नहीं समाएंगे, हम अनुष्य नहीं कहला सकते। उन्होंने अपने भावरण से इस अन्याय का प्रतिकार किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि हिन्दुओं के हृदय से अस्पृश्यता का विष

**पूर्णतः:** निकल जाएगा तो इसका प्रभाव न केवल भारत की समस्त जातियों पर बल्कि सम्पूर्ण विश्व पर पड़ेगा। 17 नवम्बर, 1922 के 'हरिजन' में उन्होंने लिखा—“हिन्दुओं का प्रपने धार्म को ऊंच प्रौढ़ नोब के भेदभाव से मुक्त कर लेना मात्र ही अन्य जातियों के बीच पारस्परिक वंशनस्थिता एवं प्रविश्वास को दूर कर देना है।”

यांत्रिकी ने सरकार के ग्राम्याचारों के विरुद्ध उपचास किए प्रौढ़ यह भौग की कि उन्हें जेल के घट्टर प्रस्तृश्यता विरोधी आन्दोलन चलाने की आज्ञा दी जाए। उनके प्रयत्नों से 'हरिजन सेवक सघ' नामक संघ की स्थापना हुई। यांत्रिकी ने स्वराज्य आन्दोलन से भी भ्रष्टिक महत्व प्रस्तृश्यता की समस्या को दिया प्रौढ़ कहा—“स्वराज्य के कई ग्रंथ हैं। हमें प्रस्तृश्यता को दूर करना होगा। यह एक सामाजिक प्रश्न है जिसे हिन्दुओं को हल करना है। साधारणतया लोगों के दिलों ने स्वराज्य के साधन-साध देश की स्वतन्त्रता को भावना मिली हुई है। यह अच्छोदार प्रौढ़ भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में हार्दिक एकता के बिना सम्भव नहीं है। स्वराज का ग्रंथ निरन्तर ग्रान्तरिक विकास है प्रौढ़ जब तक इस विकास के शुभ पौधे को पक्षपात, मनोविकार प्रौढ़ अन्धविश्वास की दीवारे धेरे हुए हैं, वह उम नहीं सकता।” यांत्रिकी ने स्पष्ट रूप से धोषणा की कि प्रस्तृश्यता-निवारण के बिना स्वराज नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि प्रस्तृश्यता एक कृत्रिम चीज़ है, इसका लोगों के बोटिक विकास या नेतृत्व विकास से कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने लिखा—“प्रस्तृश्यता का ग्रीष्मिक उद्भव धर्म में नहीं है। प्रस्तृश्यता दंडी नहीं, मानवकृत है। अच्छतपन जैसा हम साज मानते हैं, न पूर्व कर्म का फल है, न ईश्वरकृत है, साज का अच्छतपन भनुष्यकृत है, सर्व हिन्दुकृत है।”

यांत्रिकी को हरिजनों से इतना प्रेम था कि उन्हें के बीच से रहते प्रौढ़ साते-पीते थे। दिस्ती में वे प्रायः हरिजन बस्ती में ही ठहरा करते थे। हरिजनों के प्रति किए धन्याय प्रौढ़ कोइला उग्हें-प्रछाल्य थे। एक बार उन्होंने लिखा था—“मैं फिर से जन्म लेना नहीं चाहता। लेकिन यदि मुझे फिर से जन्म लेना हो एड़ तो मैं एक प्राप्ति के घर में जन्म लेना चाहूँगा ताकि मैं उनके कट्टो, क्लेशो, धरमानों में भाग से लकूँ प्रौढ़ इस दयनीय परिस्थिति से स्वयं प्रपने को उबार लकूँ। इसीलिए मेरी ग्रामेण्टा है कि यदि मुझे फिर से जन्म चारण करना पड़े तो मुझे चाहूँगा, धनिय, धैश्य प्रपना लूँ के रूप में नहीं बरन् धति गूँ के रूप में जन्म मिलना चाहिए।” यांत्रिकी ने हिन्दुओं को बराबर सुनेत किया कि उन्हें प्रपने धार्म को प्रस्तृश्यता के विनियोग से मुक्त करना होगा। उन्होंने धोषणा की कि “यदि हिन्दु धर्म ने प्रस्तृश्यता को नहीं रखा तो उसका मिट जाना ही बेयस्कर है।” प्रस्तृश्यता यांत्रिकी को इतनी विवेकीन प्रौढ़ धर्मानुष्ठिक प्रतीत होती थी कि यदि उसे धर्म द्वारा भी मान्यता प्राप्त होती तो भी वे उसे सहन न करते। प्रस्तृश्यता का विरोध करने के मूल में उनका कोई राजनीतिक भावावार न होकर नेतृत्व प्राप्त होया था। इस कृप्रथा के विरुद्ध उनका विद्रोह तभी से शुरू हो गया था जब एक दिन उनकी माता ने उनसे एक लड़के को न पूरे के लिए कहा था क्योंकि वह प्राप्त था।

गांधीजी ने प्रस्पृशयना के निवारण के लिए समय-समय पर घनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने हरिजनों के मन्दिर प्रवेश का सबसे दृष्टिक महत्व दिया इयोकि उनका विश्वास था कि प्रश्नों में प्रात्म-सम्मान का भाव उत्पन्न करने और सबर्ण हिन्दुओं के दृष्टिकोण को बदलन का इससे मरम्भा और कोई उपाय नहीं हो सकता। उन्होंने हिन्दुओं को यह भी सलाह दी कि वे हरिजन बालकों को घपने परिवार में स्थान दें और उनका अपनी सन्तान की भौति पालन पोषण करें। उन्होंने स्वयं भी एक हरिजन लड़के को योद लिया था और उसका विवाह एक सबर्ण हिन्दू के साथ किया था। गांधीजी ने हरिजनों को यह उपदेश दिया कि वे मौस-भक्षण तथा मद्यपान न करें, जुझा न खेलें और दूसरे की छोड़ी हुई भूठन स्वीकार न करें। उन्होंने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि हरिजन लोग घपने रहन सहन के दण में सुधार करें।

महात्मा गांधी के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही हरिजनोदार के लिए भारतीय सविधान में कुछ सांविधानिक सरकारों का प्रावधान किया गया और उनकी निर्योग्यताओं के निवारणार्थे कुछ नियम निर्धारित किए गए। सविधान द्वारा प्रस्पृशयता का अन्त किया गया और उसका किसी भी रूप में प्राचरण निषिद्ध ठहराया गया।

### पश्चिमी सम्यता के दोष

महात्मा गांधी पाश्चात्य सम्यता के आलोचक थे। उनका आरोप था कि इस सम्यता ने ईश्वर और घमे के प्रति व्यक्ति की निष्ठा को समाप्त कर दिया है और नेतृत्व के महत्व को बहुत कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य सम्यता में भौतिक सुखों को ही जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। इसके प्रनुभार आवश्यकताओं वो बढ़ाते जाना तथा प्रकृति की शक्तियों पर अधिकार कर उनको पूरा करने की शमता प्राप्त कर लेना ही प्रयत्नि समझी जाती है। पाश्चात्य सम्यता मूलतः और प्रधानतः भौतिकवादी है। इस सम्यता में ऐसे व्यक्तियों को, जो कोट, पतलून, टाई व टोप पहनते हैं, बगलो में निवास करते हैं, कार, रेडियो, टेलीविजन आदि रखते हैं उन व्यक्तियों की प्रेक्षा कही अधिक सम्म माना जाता है जो सरल जीवनयापन करते हैं और जिनकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं। गांधीजी ने स्पष्ट किया कि भौतिक उन्नति प्रयत्ना समृद्धि को हम वास्तविक प्रगति नहीं कह सकते। वास्तविक प्रगति तो नेतृत्व प्रणति, सत्य एवं प्रहिमा की प्रगति में निहित है। पाश्चात्य भौतिकवादी सम्यता मानव जोगन को नेतृत्व विनाश की ओर ले जाने याती है। यह मनुष्य के प्रान्तरिक और मानवीय गुणों को नष्ट करती है। यह सम्यता मनुष्य को पापाणि युग की ओर ले जाने वाली है।

गांधीजी ने घपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि मानव जाति वर्तमान सम्यता से उत्पन्न त्रिन विनिमय दायों से चमित है उनका समाधान केवल तभी सम्भव है जब हम जीवन को सत्य और अहिंसा पर प्राधारित करें, प्रवान् भौतिकवादी सद्य की व्येक्षा आध्यात्मिक प्राचरण का प्रधानता दें। गांधीजी ने विस तरह राजनीति

को गुद करने के लिए उसमें घर्म के समावय की कामना की थी, उसी सरह बर्तमान भर्यं-व्यवस्था को भी उन्होंने एक नंतिह अपवा प्राधारिक प्राधार पर प्राप्ति करना चाहा। बास्तव में यह उनका एक अनिकारी प्रयास था। राजनीतिक और प्रायिक दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने अर्हिम-तरफ नौकरुन्न के लिए एक पनुकूल मानसिक और नंतिक बातावरण तंशार रखने की वेष्टा की। बस्तुत प्रपने उदात्त विचारों द्वारा प्रपने व्यावहारिक बीबन में इन विचारों के सकृद प्रयोग द्वारा उन्होंने महात्मा दुर्द और ईसा मसीह की भाँति एक नवीन सम्पत्ति का सन्देश दिया। मसार इस सन्देश को प्रहरण कर जीवन का मार्यं निर्धारित करेगा परवा इसकी उपेक्षा कर विनाश को प्राप्तिकर करेगा—यह मानव बुद्धि पर निर्भर है और इसी पर उसका भविष्य निर्भर है।

### भर्यंशास्त्र के प्रति नंतिक दृष्टिकोण

महात्मा गांधी ने प्रपने प्रायिक विचारों को भी नंतिक प्राधारजिला प्रदान की। उन्होंने यह प्राधारभूत विद्वान्त प्रस्तुत किया कि सच्चा भर्यंशास्त्र कभी भी उच्चतम नंतिक प्रापदण्ड के विरुद्ध नहीं जा सकता। प्रयंशास्त्र को न्याय-भावना से पूर्ण होना चाहिए। यदि वह न्याय-भावना से जूँच है तो उसे हम एक थ्रेप्ट भर्यंशास्त्र कभी नहीं कह सकते। उन्होंने स्पष्ट क्षब्दों में बोला कि “मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं प्रयंशास्त्र और प्राचार-जात्य के बीच कोई भेद नहीं करता। वह प्रयंशास्त्र जो व्यक्ति परवा राष्ट्र के नंतिक कल्पणा पर प्राप्ति करता है, प्रनेतिक है, इस्तिए कलुपित है।”

भर्यंशास्त्र के प्रति गांधीजी ने जो नंतिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया, वह ‘प्रायिक मनुष्य’ (Economic Man) को उस धारणा के विरुद्ध है जिसक समस्त कायों का एकमात्र उद्देश्य घन कमाना होता है। गांधीजी का विचार था कि यह सोबना भूल रूप से गमत है कि मनुष्य प्रपने लिए भौतिक लाभ की आवश्या से ही कायं करने को प्रेरित होता है। उन्होंने कहा कि “मनुष्य एक इजिन है जिसको सचानक जक्ति यात्मा है। यह वित्तज्ञ इजिन घन के प्रतोदन परवा दबाव मधार प्रविरुद्ध कायं नहीं कर सकता। प्रविरुद्ध कायं तो उनी किया जाएगा जब सचालन जक्ति पर्याप्ति मनोवृत्त या प्रात्मा का प्रेम रूपी ई धन इकर पृथग जक्तिजाती बना दिया जाएगा।” गांधीजी ने मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्धों का प्राधार घन नहीं, बरन् प्रेम का बनाना चाहा। उन्होंने प्रपनी यह मान्यता प्रकट की कि मानिक प्रपने नौकर से जितना काम प्रेमपूर्वक और उदार व्यवहार द्वारा न सकता है, उनना धार्दिक प्रतोभन परवा दबाव से नहीं न सकता। प्रति ज्ञान उद्देश्य एक ऐनी न्यायरूप सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होना नाहि। जिसम प्रत्येक व्यक्ति प्रपन स्वायों के विषय में हो न सोचे बरन् इनमा न प्रति प्राप्त कमंध के विषय में नी मोचे। गांधीजी ने उनामा कि जब इस पृष्ठ, २ वा ३ दरमान विचार उत्थेतर बनान हो जाएंगे तो सम्पूर्ण समाज सुलों और मनुष्य ही जाएगा। उन्होंने इनन्द्र प्रतिस्पद्धों के विद्वान्त जो कुछ दागचना वा चर्चा है,

प्राधारित ग्राहिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि उनी लोग निषंन वर्ग के शोषण द्वारा अपार धन प्रजित करते हैं और मालिक तथा नौकर के सम्बन्ध दिन प्रनिदिन बिगड़ते जाते हैं। इस प्रकार के समाज में प्रत्येक पक्ष के बीच अपने सुकुचित स्वाधीन के बारे में ही सोचता है। पूँजीपति अधवा मालिक बेईमान हो जाते हैं, श्रमिक विभूष्म रहने लगते हैं और उपभोक्ता भी अपने नैतिक मापदण्ड को भूलने लगते हैं। एक अन्याय दूसरे अन्याय को जन्म देता है। इस तरह अन्याय की शृँखला सी बन जाती है जिससे समूर्ण समाज को कष्ट भोगना पड़ती है। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि अर्यंशास्त्र को नैतिक ग्राहार पर प्रतिष्ठित कर दिया जाए और लाभ की दृष्टि के स्थान पर न्याय-भावना को प्रोत्साहन दिया जाए तो ग्राहुनिक ग्राहिक युग के अनेकों दोष दूर हो जाएंगे। सार्वांशतः गांधीजी ने अर्यंशास्त्र को सत्य और ग्रहिता की भावना से घोतप्रोत करने का जबरदस्त प्रयास किया।

### स्त्रियों को स्थिति

गांधीजी एक महान् समाज-सुधारक थे जिन्होंने महिला अधिकार, पर्दा-प्रथा, ग्राहित पर अपने कान्तिकारी विचार प्रस्तुत किए और इस क्षेत्र में बहुत काम किया देस्त्रियों को पूर्ण स्वाधीनता देने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि स्त्री पुरुष की सहचरी है जिसकी मानसिक शक्ति पुरुष से कम नहीं है। उसे स्वतन्त्रता का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को। अपने क्षेत्र में नारी की सर्वोच्चता उसी प्रकार स्वीकार को जानी चाहिए जिस प्रकार पुरुष की उसके क्षेत्र में की जाती है। स्त्री-पुरुष का दर्जा समान है, पर वे एक नहीं हैं। दोनों को एक ऐसी अनुपम जोड़ी है जिसमें प्रत्येक एक दूसरे का पूरक है।

गांधीजी ने नारी को चरित्र की दृष्टि से बहुत उच्च माना था और उसे प्रेम मूकन्तपस्या, श्रद्धा और ज्ञान की मूर्ति बताया। उन्होंने नारी को ग्रबला सम्बोधित करना ग्रपमानजनक माना और लिखा—“स्त्री को ग्रबला कहना उसका निरादर करना है। यह पुरुष का स्त्री के प्रति अन्याय है। यदि बल का भर्य पशुबल है तो वेशक स्त्री पुरुष से निर्वल है, क्योंकि उसमें पशुता कम है। किन्तु अगर बल का भर्य नैतिक बन है तो स्त्री पुरुष से वेहद ऊँची है। अगर ग्रहिता हमारे जीवन का धर्म है तो भविष्य स्त्री के हाथ में है।”

महात्मा गांधी ने नारी को ग्रहिता का साकार रूप माना था। उन्होंने कहा कि ग्रहिता के नैतिक शस्त्र का प्रयोग वह पुरुष की अपेक्षा अधिक क्षमता के साथ कर सकती है क्योंकि उसमें प्रेम और बलिदान करने की शक्ति अधिक है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि नारी जो प्रेम अपने शिशु को देती है, यदि वह उस प्रेम को समस्त मनुष्य जाति को देदे तो वह (नारी) इस युद्धप्रस्त सासार को शान्ति की कला सिखा सकती है और एक माता, एक सगिनी तथा एक मौन नेता के रूप में वह पुरुष के साथ सम्माननीय स्थान पहण्य कर सकती है। गांधीजी ने पर्दा-प्रथा पर चोट करते हुए कहा कि पर्दे से कोई चरित्र की पवित्रता नहीं प्राप्ति। घर की चाहरदीवारी के भीतर बन्द स्त्रियों को जीवन की यथार्थ बातों का कोई ज्ञान

नहीं हो पाता और उन्हे स्वतन्त्रता की स्वच्छ स्वास नहीं मिलती। गांधीजी ने लिखा था—“विश्व की पवित्रता पर्दा रखने से नहीं माती और न वह ऊपर से लादी जा सकती है। पर्दे की दोबार स्थित देने से इसकी रक्षा नहीं हो सकती। इसका विकास अन्तरात्मा से ही होना चाहिए। माज हम भारत की नारी-जाति के स्वतन्त्र विकास में हस्तक्षेप कर स्वाधीन और स्वतन्त्र पुरुषों की तरक्की में बाधा डाल रहे हैं। हमारी कमजोरी, अनिश्चय, तग दिली और लोकाचारिता का एक कारण यह भी है, इसलिए हमें जबरदस्त बार करके पर्दे को फाड डालना चाहिए।”

गांधीजी ने बाल-विवाह को एक अत्यन्त अनेतिक कार्य और शारीरिक बुराई बताया तथा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने कम उम्र की बाल-विवाहों की शादी का समर्थन किया। वैसे उन्होंने सच्ची हिन्दू विवाह को एक रत्न माना था। इस सम्बन्ध में उनका विचार था—“स्वेच्छापूर्वक विवाह रहना हिन्दू धर्म की एक भ्रमूल्य देन है। जबरन विवाह रहना पाप है और उन्हे लगता है कि उसे जबरदस्ती रोके जाने के पीछे हिन्दू लोकमत की निन्दा का डर है। यदि ऐसा है तो वे कहें कि बहुत-सी हिन्दू विवाहों निःसकोच पुन विवाह कर लें।”

महात्मा गांधी ने स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता का ही समर्थन नहीं किया, बरन् राजनीतिक स्वतन्त्रता की भी बकालत की। उन्होंने स्त्रियों को मतदान का प्रधिकार देने की पुष्टि की और कहा—“स्वराज्य की विजय पर भारत की स्त्रियों का उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना पुरुषों का। शान्ति, शालीनता पूर्ण तपस्या नारी जाति का स्वभाविक लक्षण है।” उन्होंने यहाँ तक कहा—“स्त्रियों को मताधिकार मिल जाना भी काफी नहीं है। सवाल इतने से ही समाप्त नहीं हो जाता। जहाँ स्त्रियाँ राष्ट्र की राजनीतिक चर्चा को प्रभावित करना शुरू करती हैं, वहाँ से तो वह प्रारम्भ होता है।”

महात्मा गांधी ने विवाह की व्यवस्था को एक व्यावहारिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि विवाह का उद्देश्य विप्रभोग न होकर प्रबन्धन है। यह एक पवित्र मस्कार है। यह आत्मानुशासन की व्यवस्था है। पति और पत्नी जीवन-साधी हैं जिन्हे समान स्तर पर रहना चाहिए। यह एक भयानक भूल है कि पति पत्नी को घरनी सम्पत्ति समझे। दोनों में प्रेम, बासना से मुक्त होना चाहिए। महात्मा गांधी ने विवाह पद्धति में भी प्रनेक सुधारों का मुम्भाव दिया। बाल-विवाह तथा बूढ़ पुरुष और युवा स्त्री के बीच विवाह का भी उन्होंने विरोध किया। विवाह के घवसर पर वंसा पानी की तरह बहाना उन्हे पतन्द नहीं था। उन्होंने यह अनुरोध किया कि धनी व्यक्ति विवाह-स्वास्तर को सरल बनाएं और एक विवाह पर 10 रुपये से घण्यक व्यय न करें, निधन व्यक्तियों के समय एक उदाहरण प्रस्तुत करें। उन्होंने अन्तर्जातीय (Inter-caste) और अन्तर्संघशायी (Inter-communal) विवाह का भी काफी समर्थन किया। प्रस्तृपता-निवारण के उद्देश्य से उन्होंने सबगुं हिन्दुओं को हरिजन-कन्यायों के साथ विवाह करने की सनाह दी। वेश्यावृत्ति को गांधीजी एक प्रभित विवाह मानते थे।

वास्तव में महात्मा गांधी नारी जाति के उत्थान के प्रबल प्रवक्ता थे। उनके मत पा कि जब तक राष्ट्र की जननी स्वरूप हमारी स्त्रियाँ ज्ञानदान नहीं होगी, उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होगी और जब तक उनसे सम्बन्धित कानूनों, रीति-रिवाजों तथा पुरानी रुदियों में ग्रावश्यक परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, तब तक राष्ट्र घागे नहीं बढ़ सकेगा। उन्होंने यहाँ तक विश्वास व्यक्त किया कि यदि हम अपने देश में भ्रहस्पति समाज का निर्माण और दुनिया में शान्ति स्थापित करना चाहते हैं तो नेतृत्व स्त्रियों का सौंपना चाहिए।

### राष्ट्रीयकरण और हड़ताल

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण ग्राम्यकां सामाजीकरण और हड़तालों के प्रति गांधीजी का दृष्टिकोण रुदिवादियों से सर्वथा भिन्न था। बड़े पंमाने पर राष्ट्रीयकरण का समर्थन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि इससे राज्य भ्रत्यन्त मत्किशाली हो जाएगा। राज्य और बड़े पंमाने के उद्योगों के विरोधी होते हुए भी वे जनता के लिए उपयोगी उद्योगों के विरुद्ध नहीं थे। वे रेलवे, जहाज, सिलाई मशीनों, घासियों का समर्थन करते थे। ऐसे बड़े उद्योग राज्य द्वारा चलाए 'जाने चाहिए या नहीं, इस सम्बन्ध में उनका कहना या कि—'मैं इतना समाजवादी हूँ कि मैं कहता हूँ' कि ऐसे उद्योगों पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए। उन्हें केवल भ्रत्यन्त भ्राकर्षक और ग्राम्य स्थितियों में चलाया जाना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए न चलाकर मानवता के लाभ के लिए चलाना चाहिए जिसमें लोभ का स्थान प्रेम ले ले। धन के लिए यह दीवाना दौर बन्द होना चाहिए और अधिक को न केवल समुचित बेतन वरन् ऐसे दैनिक कार्य का प्राप्तवासन दिनाया जाना चाहिए जो कोरा नीरस धर्म न हो।"

धर्म को स्वयं सगठित करने और हड़ताल करने के सम्बन्ध में गांधीजी का विचार या कि धर्म को अपना सघठन पूँजी के प्रति शत्रु-भाव से नहीं, प्रत्युत उसके साथ समानता का पद प्राप्त करने के उद्देश से करना चाहिए। हड़तालों का निरन्तर सिलसिला तो धर्मन्त्रोष का सकेत है। उन्होंने कहा कि हड़तालों केवल पूर्णत उचित उद्देश के लिए और सर्वथा भ्रहस्पति दम से की जानी चाहिए। स्वार्यपूर्ण उद्देश्यों और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए हड़ताल का आश्रय लेना एक धर्मकर भूल है। ऐसी हड़ताल को भ्रहस्पति धर्महेतु की ओरना में स्थान नहीं दिया जा सकता। हड़तालें शुद्ध रूप से न्यायपूर्ण और भ्रहस्पति होनी चाहिए तथा हड़तालियों में व्यावहारिक मत्तैक्य होना चाहिए। हड़ताल किसी वास्तविक शिकायत के दिना नहीं होनी चाहिए तथा हड़ताल छेड़ने से पहले हड़तालियों को एक अपरिवर्तनीय न्यूनतम तिश्चय की घोषणा कर देनी चाहिए।

महात्मा गांधी ने पूँजीपतियों व मिस-मालिकों से कहा कि अमिको द्वारा हड़ताल कर देने पर उन्हें दमन का तरीका न अपना कर उचित और सम्मानपूर्ण तरीका काम में लेना चाहिए। उन्हें हड़ताल के गुण-दोषों पर विचार करके मजबूर को उनका हक दे देना चाहिए। यह हक वह नहीं है जिसे वे खुद हक समझें वहिंक वह है जिसे मजबूर स्वयं अपना हक समझें, और प्रबूद्ध लोकमत जिसे उचित माने।

मिल-मालिकों को यह भी घपना कर्तव्य समझना चाहिए कि वे मजदूरों को प्रचल्यो तरह शिखा दें ताकि उनके भीतर छिपी हुई बुद्धि प्रकाश में आए। मजदूरों को एकता से जो शक्ति प्राप्त होती है, उसका मालिकों को स्वायत करना चाहिए।

### मूल्यांकन (Evaluation)

महात्मा गांधी के व्यावहारिक जीवन और उनके विचारों से नि सदिग्य रूप से यह स्पष्ट है कि वे एक महान् राजनीतज्ञ, सगठनकर्ता, लोकनेता और नेतृत्व मुखारज थे, लेकिन मानव के रूप में वे उन सदसे ऊँचे थे। ममेटिकी पादरी डॉ जॉन हेस ने तो यहाँ तक कहा है कि इसा पक्षीह के बाद गौधीजी सप्तार के महानतम् मानव थे। वे इसीलिए इतने महान नहीं थे कि उन्होंने घपने देश के स्वाधीनता संग्राम का सफलतापूर्वक सचालन किया, बल्कि इसीलिए कि हिसा, स्वार्थ, शर्ति की तृष्णा और नेतृत्व पतन के बतंभान बातावरण में उन्होंने सत्य, प्रहिता और साधनों की शुद्धता का कठिन पाठ घपने व्यावहारिक जीवन द्वारा लोगों के गले उतारा। गौधीजी की महानता इस बात में है कि उन्होंने पुराने सिद्धान्तों के प्राधार पर नई समस्याओं को सुलझाने का भागीरथ प्रयत्न किया। मौलिकता सदंच भवीनता में ही नहीं हुआ करती। यदि पुरानी बात को भी नवीा ढग से कहा जाए तो तो वह मौलिक है।

बहुधा यह प्रश्न उठता है कि महात्मा गांधी को समाजवादी कहना उचित है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर बस्तुत इस बात पर निर्भर है कि हम समाजवाद का वया घर्थ लेते हैं। यदि समाजवादी वह व्यक्ति है जो सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय के प्रादातों और राष्ट्रीय धन के न्यायपूर्ण वितरण में विश्वास बरता है भूमि तथा पूँजी पर स्वामित्व को प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध समझता है और धनिकों द्वारा गरीबों के हर प्रकार के शोषण का घन्त करने के लिए सतत् प्रयास करता है, तो निश्चय ही महात्मा गांधी सवधेष्ठ समाजवादी थे। वे सच्चे समाजवादी इसीलिए थे यद्योऽकि वे व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज के हित को अधिक महत्व देते थे। वे याकृषित समाजवादियों से कहीं ऊँचे दर्जे के और सच्चे समाजवादी थे यद्योऽकि उनका आचरण उनके सिद्धान्तों के अनुरूप था। पूँजीवाद का घन्त करने की उनकी उतनी ही इच्छा थी जिनमा किसी बड़े से बड़े समाजवादी या साम्यवादी की हो सकती है। वे सामाजिक समानता के प्रवर्तक थे और चाहते थे कि सभी व्यक्तियों और व्यवसायों की समान प्रतिष्ठा होनी चाहिए।

परन्तु यह सब होते हुए भी गौधीजी ने सपाइ का जो स्वरूप सामने रखा वह काले मावसुं के समाजवाद प्रथवा पश्चिम में विस्तित इसके प्रन्य रूपा ये बहुत भिन्न है। समाजवाद गौधीजी के समाजवाद का एक धरण था, जिस्तु उम्मा प्रेरणास्रोत वे पुस्तकों नहीं थी जो पूँजीवाद की प्रालोचना से परिपूर्ण है। गौधीजी एक प्रहितात्मक समाजवाद के प्रवर्तक थे जिनमा नारा था —' हमारा समाज पर्याप्ता पर माध्यास्ति-ज्ञोवा-जाह्न्वा-प्रोह-जै-व-अम-प्र्या—जमीदाम-व-कृपक-म-मानन्दम्'

सम्बन्ध होने चाहिए।" गांधीजी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि केवल अर्हिसवादी प्रौर शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति ही एक सच्चे समाजवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं जिसका आधार यह सिद्धान्त होगा कि—"प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए।" महात्मा गांधी ने वर्ग-संघर्ष, वर्ग-धूणा, शक्ति-पूजा, धर्मजीवी अधिनायकवाद आदि के विचारों को अपने चिन्तन में लेशमान भी स्थान नहीं दिया। गांधीजी को, सच्चा समाजवादी न मानने वाले वही व्यक्ति हो सकते हैं जो विशुद्ध मार्क्सवाद अथवा साम्यवाद के पोषक हैं तथा समाजवाद को वर्ग-न्युद और पूँजी व अम में शाश्वत विरोध का प्रतिरूप मानते हैं, हिसक कान्तियों में विश्वास करते हैं और वर्ग-संघर्ष एवं आन्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन को अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए सम्भव नहीं समझते।

गांधीवाद को सनकियों का विचार-दर्शन, कायरो की अर्हिसा का पोषक, बालू पर बना हुआ महल, असम्भव और अव्यावहारिक आदि कहने का मुग छीत गया है क्योंकि स्वयं विरोधियों ने अपनी आन्ति स्वीकार कर ली है। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज की विशिष्ट परम्परा में गांधीवाद ही भव तक सफल हुआ है और उसका स्वाई प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है। गांधी और उनके विचारों की महानता एकदेशीय और एककालिक न होकर सर्वदेशीय और सर्वकालिक है।

---

# 11

न्नाहकेल ऑक्सोट, हुन्ना आरेन्ट, सात्रे आर निस्वेत; आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त : राजनीति शास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र-बदले के हुए हृष्टिकोण लॉस्केल और ईस्टन के विशेष सन्दर्भ में; व्यवहारवादी क्रान्ति-चाल्स मेरियम, आथेर बेन्टले, डेविड ईस्टन, आमण्ड लथा लॉस्केल; सन्प्रेषण, सिद्धान्त और नियंत्रण प्रतिभान (काल भायच प्रव स्नाइडर); उत्तर-व्यवहारवाद (Michael Oakeshott, Hanna Arendt, Sartre and Nisbet, Modern Political Theory . Nature and Scope of Political Science—Changing Perspectives with Special Reference to Lasswell and Easton, the Behavioural Revolution—Charles Merriam, Arthur Bentley David Easton, Almond and Lasswell, The Communication Theory and Decision Making (Karl Deutsch and Snyder), Post-Behaviouralism)

प्रौद्योगिक और तकनीकी वार्ति ने यद्यपि मानव के सामाजिक, धार्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला है लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि अक्षित अपने जीवन भूल्य कोता जा रहा है और यह सम्मुर्द्द वैज्ञानिक प्रगति कुछ प्रधिक धाराप्रद सिद्ध नहीं हो रही है। मानव समस्याएँ प्रधिक जटिल और गहरो हो गई हैं तथा नंतिकदा, विवेक और सकृति के क्षेत्रों में पराजकता और निराशा व्याप्त होती जा रही है। राजनीतिशास्त्रियों और दार्शनिकों ने अपने अपने दृग से इस व्यापक निराशा के कारण खोजे हैं। मीहान (Meehan) ने पात्र के समाज के मनुष्य का जो चित्र खीचा है वह इस प्रकार है—

1. वह अकेना और असहाय है तथा हताश होकर अपने भीतर एक मूल्य व्यवस्था (A Value System) खो रहा है,

2. पात्र व्यक्ति स्वयं प्रपने से और समाज से घलगाव और विलगाव भनुभव कर रहा है,

3 व्यक्ति का दमन कर दिया गया है (Repressed) और वह घुटन अनुभव कर रहा है (Suffocating) ऐसे

4 मनुष्य सत्य और स्वाय के दैर्घ्य (Path of Truth and Right) से विमुख हो गया है।<sup>1</sup>

रॉबर्ट ए. निस्बेट ने भी इसे एक भारी विडम्बना माना है कि जहाँ एक और पर्यावरण (Environment) पर मनुष्य का नियन्त्रण बहुत अधिक बढ़ा है वहाँ स्वयं में उसका विश्वास (Belief in himself) प्रत्याधिक घट गया है। प्रस्तित्ववादी विचारक 'दैवतिक मानवीय प्रस्तित्व' पर बल देते हुए अपने दर्शन का महत्व बढ़ा करते हैं। प्रवाचीन राजनीतिक विचारक जिन मुख्य धाराओं में क्योंकि वहाँ है, उनमें दो उल्लेखनीय धाराएँ हैं—प्रस्तित्ववादियों (Existentialists) की और परम्परावादियों (Traditionalists) की। प्रस्तित्ववादियों में ज्यादा पात्र सार्ट्र (Jean Paul Sartre), अल्बर्ट काम्य (Albert Camus), एरिक फ्रॉम (Eric Fromm), रॉबर्ट निस्बेट (Robert Nisbet) तथा हर्बर्ट मॉर्क्यूज (Herbert Marcuse) का नाम विसेपत्र उल्लेखनीय है। परम्परावादी धारा के मुख्य विचारक हैं—माइकेल ओकशॉट (Michael Oakshott), हन्ना आरेन्ट (Hanna Arendt), बेर्ट्रांड-डी जौवेनेल (Bertrand de Jouvenel), लियो स्ट्रॉस (Leo Strauss) तथा वोगेलिन (Vogelin) आदि। इन विचारकों ने आधुनिक राजनीतिक चिन्तन को जो कुछ दिया उसका संक्षिप्त परिचय प्रवाचीन राजनीति विज्ञान के स्वरूप को समझने की दृष्टि से उपयोगी है।

### प्रस्तित्ववादी (Existentialists)

प्रस्तित्ववाद उस दार्शनिक प्रवृत्ति प्रथवा दृष्टिकोण का नाम है जो प्रथम महायुद्ध के कुछ वर्ष बाद जर्मनी में विकसित हुआ और प्रामें चलकर द्वितीय महायुद्ध के बाद मुस्यत कौस और इटली में भी फैल गया। एक आन्दोलन के रूप में प्रस्तित्ववाद का इतिहास डेनिश विचारक सोरेन किर्कगार्ड (Soren Kierkegaard, 1813 to 1855) से माना जाता है। उसकी रचनाओं का प्रस्तित्ववादियों पर काफी प्रभाव पड़ा।

प्रस्तित्ववादी दृष्टिकोण राजनीतिक चिन्तन के रूप में मानक प्रत्यो और विचार-विभास से लोकप्रिय नहीं बना चर्न् इसके समर्थकों ने इसकी विभिन्न मान्यताओं को रोचक उपन्यासों और नाटकों के माध्यम से जन-सामाज्य तक पहुँचाने की सफल चेष्टा की। प्रस्तित्ववादियों में 'स्वयं मानव की बर्तमान दशाओं में मानव-मूल्यों के लिए एक प्राधार' (A basis for human values within the human conditions itself) दृढ़न की कोशिश की, लेकिन इसके लिए उन्होंने धार्मिक सत्ता (Religious Authority) प्रथवा इतिहासवाद (Historicism)

<sup>1</sup> S. P. Verma, Modern Political Theory, page 357.

का सहारा नहीं लिया। उनका भाष्य ह मानव-भावनाओं, सबैदनामों और सबैदिक अनुभवों (Emotion, Feeling and Sensory Experience) पर था। भीहान के पनुसार, "प्रस्तित्ववाद एक अर्थ में वैज्ञानिक विवेकवाद, निव्यंत्किरण, सर्वाधिकारवाद, व्यवस्था, सिद्धान्तवादिता भावि के विश्व एक प्रतिक्रिया (A reaction against scientific rationalism, depersonalization, totalitarianism, system and dogma) था।" बन्स के शब्दों में, "प्रस्तित्ववादी इस बात से बहुत अधिक लुब्ज हैं कि मनुष्य का निव्यंत्किरण बढ़ता जा रहा है।" इसके लिए प्रस्तित्ववादी न केवल विज्ञान और प्रविधि को बरन् भाषुनिक उच्चोगवाद की सम्पूर्ण जटिलता को उत्तरदायी मानते हैं।

प्रस्तित्ववाद के अनेक स्वरूप हैं, अठ यह कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जिसे सफलतापूर्वक या निश्चित शब्दों में परिभाषित किया जा सके। स्वयं प्रस्तित्ववादी भी एक-दूसरे से सहमत नहीं हैं, तथापि समझ सभी में एक समान तत्त्व यह है कि वे वैयक्तिक मानवीय प्रस्तित्व पर बल देते हैं। उनके लिए व्यक्ति का प्रस्तित्व प्रमुख है। उनकी मान्यता है कि हम विचारों से व्यक्ति को नहीं समझ सकते व्योक्ति व्यक्ति को विचारों में बौद्धा नहीं जा सकता। कर्म और चयन का महत्व उसके कर्ता की दृष्टि से भाँका जाना चाहिए, पर्यवेक्षक की दृष्टि से नहीं। प्रस्तित्ववाद में व्यक्ति के घपने अनुभवों को प्रधानना दी गई है। वेन्टेनो ने व्यक्ति को सबसे प्रत्यक्ष-थरय करके उसके विस्वासो, भावनाओं, सकल्पो भावि पर विचार किया है। प्रस्तित्ववादियों का दृढ़ भ्रत है कि विज्ञान प्रपनी सीमाओं के कारण मानव प्रकृति और दर्शन की वास्तविकताओं को नहीं समझ सकता। स्वतन्त्रता और चयन (Freedom and Choice) प्रस्तित्ववाद के केन्द्रीय तत्त्व हैं। मानव प्रहृति में चयन की 'स्वतन्त्रता' एक मुहूर्य तत्त्व है और मनुष्यों की ऐसी कोई निश्चित प्रकृति नहीं होती जो उनके चयनों को सीमित प्रयवा प्रतिबन्धित करे। व्यक्ति घपने चयन में समर्पनु' हाना है। वह घपने थोना या पाठक या यहसम्बन्धों के दृष्टिकोण से परिचालित नहीं होता।

वस्तुतः प्रस्तित्ववाद मनुष्य को भाष्य के हाथों में खिलोना दनने से बचाना चाहता है। वह उसे नियतिवादी विचारों से छुटकारा दिला कर स्वतन्त्र और उत्तरदायी मानव प्राणी बनाना चाहता है। मनुष्य कोई धास-फूज या साग-सँझी नहीं है जिसे दूसरों के द्वारा दोया और उगाया जाता है। वह घपना निर्माण घपने चयनों द्वारा करता है। वह चयन कर सकता है और वह घपने को जैसा बनाना चाहता है बना सकता है। वह मनुष्य को मुख्ती बनाने का दावा नहीं करता किन्तु प्रतिष्ठापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तंयार कर सकता है। इस स्वतन्त्रता को तंयारी भी कहा जा सकता है, किन्तु इस स्वतन्त्रता का दृढ़ है घड़ेलापन और मनोभ्यवा। सारं सरीके प्रस्तित्ववादी प्राय ईश्वर के प्रस्तित्व में विस्वास नहीं करते। कालं पास्पसं और नेहियल ईश्वर के प्रस्तित्व में विस्वास करते हैं, इन्तु उनका ईश्वर भाष्य निर्माण या हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। व्यक्ति को न तो

ईश्वर ने पैदा किया है और न ईश्वर ने हो कोई नेतिक शिखाएँ दी हैं। यह अपने चयन तथा अपनी असफलताओं और पापों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। उसकी मनोध्युषा इस कारण भी है कि उसे मकेला होते हुए भी दूसरों की दृष्टि में रहते हुए निरांग सेने पड़ते हैं। यही उसका वास्तविक अस्तित्व है। उसे पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। मनुष्य न सो प्रकृतिवादियों की मान्यता के बनुसार मशीनी गा प्राकृतिक नियमों से परिवर्णित होता है और न वह सर्वज्ञ होकर सोच समझ कर कार्य करता है। अस्तित्ववाद वास्तविक मानवीय अस्तित्व का असत्यीकरण करने के विरुद्ध है।<sup>1</sup> अस्तित्ववादियों का घ्येय स्वतन्त्रता को एक लक्ष्य की भाँति प्रतिष्ठित करना और मनुष्य को कर्म की ओर प्रवृत्त करना है। अनेक प्रमुख अस्तित्ववादियों ने स्वतन्त्रता के लिए उसी प्रकार राजनीतिक सघर्वं किए हैं जिस प्रकार घर्म-युद्ध लड़े जाते हैं। मात्र-सम्मान की रक्षा के लिए वे कटिबद्ध रहे हैं। परमाणु शस्त्रों, परमाणु परीक्षणों, वियतनाम पर बमबर्या और युद्धों का उन्होंने सगठनात्मक विरोध करके अपने दृढ़ सकल्प का परिचय दिया। रुद्धिवादी समाजों और आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाओं के विरुद्ध उन्होंने मावाज बुलन्द की। इस तरह अस्तित्ववाद को हमें एक प्रभावशाली शक्ति और राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखना चाहिए, दूसरा राजनीतिक बुद्धिवादियों के शौकिया भान्दोलन के रूप में नहीं।

### अस्तित्ववादी विचारक : सार्व एवं निस्बेत (Existentialists : Sartre and Nisbet)

अस्तित्ववादी भान्दोलन के साथ प्रथम स्रोत के रूप में सोरेन किर्कगार्ड का नाम जुड़ा है जिसने 19वीं शताब्दी की बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति की अधेष्ठाता को भानने से इन्कार कर दिया और भावनाओं तथा बौद्धिक निराशा से उत्पन्न भ्राघारों पर ईसाई धर्म को पुन अस्तित्वित करने का प्रयास किया। उसने प्लेटो की भाँति अस्तित्व को वास्तविकता बताया। उसने कहा कि सकट में केवल अस्तित्व ही वास्तविकता के रूप में विद्यमान रहता है। किर्कगार्ड का दृढ़ विश्वास या कि हम सच्ची ईसाइयत की व्याख्या बुद्धि और विवेक से नहीं कर सकते, इसके लिए विश्वास, भावना और अद्वा आवश्यक है। किर्कगार्ड ने हीन्दू की मालोचना की और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विश्व एक तकनीक या विवेकपूरण (Rational) व्यवस्था नहीं है। किर्कगार्ड के विचारों का कालं यास्पर्स, मार्टिन हीडेंगर भावि ने आगे बढ़ाया और ज्यौ पाल सार्व ने लोकप्रिय बनाया। कालं यास्पर्स (1883) ने ग्रादर्शवादी ग्राम्यात्मशास्त्र का खण्डन करते हुए अस्तित्व के तीन प्रकार या रूप स्वीकार किए—प्रथम रूप वस्तुपरक जगत्, दूसरा उच्चतर रूप भावना, औह अस्ति या मात्र अस्तित्व एवं तीसरा रूप परा-अस्तित्व। कालं यास्पर्स ने अपने दार्शनिक अध्ययन में मनुष्य को केन्द्रीय स्थान दिया और इसलिए उसकी 'विचारधारा' को मानववादी अस्तित्ववाद का नाम दिया गया है। कालं यास्पर्स को

<sup>1</sup> इदाम लात वर्मा - समकालीन राजनीतिक चिन्तन एवं विश्वेषण, पृष्ठ 133.

सार्वनक प्रस्तित्ववाद का सम्मापक माना जाता है। हीडेगर यास्पर्स की अपेक्षा प्रधिक प्राध्यात्मिक है और व्यक्ति को स्वतन्त्र सकृत्प से कायं करने को कहता है। राजनीतिक विन्तन की दृष्टि से यहाँ पाल सार्व के विचार ही पूर्ववर्ती प्रस्तित्ववादियों के विचारों से प्रधिक महत्वपूर्ण हैं।

### सार्व के विचार (Ideas of Sartre)

सार्व की रचना (L'Etat et le néant, 1943) प्रस्तित्ववाद का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। अनेक उपन्यासों तथा नाटकों की विषय-वस्तु का चयन इसके प्रभाव पर हूँगा है। सार्व के कई कथन पर्याप्त लोकप्रिय हुए हैं, जैसे—Man is condemned to be free, Hell is other people, प्रादि। सार्व ने मानवाद की भालोचनाएँ प्रस्तुत की हैं। मानव के मतानुसार व्यक्ति का भौतिक वातावरण मुख्य होता है और उसी से प्रभावित होकर व्यक्ति के विचार, व्यास्थाएँ, मूल्य और विश्वास ढलते हैं। व्यक्ति का प्रस्तित्व वातावरण को नहीं बनाता बरन् वातावरण प्रतिष्ठक को बनाता है। मानवों की इस चिन्तनधारा की भालोचना में सार्व एवं प्रन्य प्रस्तित्ववादियों का कहनुपर्याप्त है कि व्यक्ति वातावरण से प्रभावित होकर प्रपत्त जीवन नहीं ढालता बरन् उनके जैसे विचार होते हैं जैसा ही उसका जीवन और वातावरण बन जाता है। सार्व की मान्यता है कि स्वतन्त्रता व्यक्ति का स्वभाव है। यह समाज द्वारा नहीं दी जा सकती बरन् यदि व्यक्ति स्वयं चाहे तो इसे प्राप्त कर सकता है। यह कहना गलत है कि व्यक्ति पर जब अत्यधिक होगा तो वह खामोश रहेगा। वह निश्चय ही इसका विरोध करेगा। सापेक्षता (Relativity) का समर्थन करते हुए सार्व ने यह माना कि समाज के सभी व्यक्ति एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए समाज एक इकाई के रूप में कायं कर पाता है।

सार्व 'स्वतन्त्रता प्राप्ति' के लिए संघठित विरोध का समर्थन करता है। वह अपने जीवन के प्रधिकांश समय में साम्यवादी दल का सक्रिय सदस्य रहा। वह किंगमार्ड की भौति हीगल की भालोचना करता है और व्यक्ति के प्रस्तित्व एवं व्यक्तित्व को महत्व देते हुए उसे किसी विशेष विचारधारा से ज़कड़ना नहीं चाहता। मानवों के प्रति सार्व की मुख्य भावति यह है कि उमन मानव व्यक्तित्व को मुना दिया। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साथ स्वयं को मात्रसात् करने की प्रपत्ता अपन व्यक्तित्व को पूर्ण करने में प्रधिक रुचि लेता है। भावसंबंधी विचारधारा प्रधिक गलत नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि इसका विकास हु क गया है। मानवसंबंध मानववाद (Humanism) की उपक्रमा कर दी गई है। सार्व न प्रस्तित्ववादी मान्दोलन का लक्ष्य मानवसंबंध में पुनः मानववाद वी स्थापना बताया। साधियत हम में मानवसंबंधी विचारधारा सही प्रयोग में अपनाई नहीं जा सकी थी इसाहि चारों पार से पूजीवादी देशों में घिरा होने के बारण सोवित संघ मानवाद की प्रपत्ता राष्ट्रीय गुरुका की ओर प्रधिक झुक गया था। सार्व का कहना था कि प्रस्तित्ववाद तभी ही मानवसंबंधी चिन्तनधारा का प्रागे बढ़ान वा प्रयास है।

सात्रं प्रपने चिन्तन से माक्सैंवाद को मानवतावादी बनाना चाहता है। वह माक्सैंवाद के प्रचलित रूप का विरोध करता है जिसमें भजदूरों की तानाशाही के नाम पर व्यक्ति को पूर्णतः मुला दिया गया है। वह मानव-व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा की स्थापना करके माक्सैंवाद को आगे बढ़ाकर दोष-मुक्त करना चाहता है। इस प्रकार प्रस्तुत्ववाद माक्सैंवाद का ग्रन्थालय कदम नहीं है बरन् उसमें सशोधन करने का पथपाती है।

### रॉबर्ट निस्बेत के विचार (Ideas of Robert Nisbet)

निस्बेत एक ऐसा प्रस्तुत्ववादी विचारक है जो राज्य की अकित का विरोध तो करता है, किन्तु व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर इतना बत नहीं देता। उसकी मान्यता है कि राज्य ने व्यक्ति की धार्मिक, पारिवारिक प्रादि निष्ठाओं को झोड़ दिया है। उसके प्रायमिक सभूह समाज हो चुके हैं। इन्हें राज्य ने आत्मसात कर दिया है। मध्ययुग भी जो स्वतन्त्र प्रायमिक सभूह वर्तमान थे उनकी प्रशंसा निस्बेत ने की है, किन्तु उनकी पुनर्स्थापना का कोई निश्चित मार्ग नहीं बताया है।

### अस्तित्ववाद की आलोचना

#### (The Criticism of Existentialism)

आलोचकों द्वारा प्रस्तुत्ववाद के विरुद्ध प्राय ये घावतियाँ उठाई गई हैं—

(i) यह एक बुद्धि-विरोधी सिद्धान्त है।

(ii) इस विचारधारा की यह मान्यता उपर्युक्त नहीं है कि मानव-समाज का कोई ऐसा व्यवास्थित दृष्टिकोण नहीं बनाया जा सकता है, जिसके प्राचार पर भावी समाज की रूपरेखा के सम्बन्ध में भविष्यवाणी की जा सके।

(iii) प्रस्तुत्ववादियों की यह मान्यता भी भ्रामक ही कि नैतिक नियमों द्वारा व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों के कर्तव्यों का निर्देश नहीं दिया जा सकता। नैतिक प्राचरण में ग्रन्थितता की मान्यता एक भ्रिक्षयोक्ति है जिसकि ग्रधिकार लोगों के लिए उनका कर्तव्य प्रायः स्पष्ट रहता है।

(iv) विज्ञान तथा धर्म के प्रति प्रस्तुत्ववादियों का बुद्धिपूर्ण भर भी आलोचना का विषय है।

(v) माक्सैंवादी आलोचकों की मान्यता है कि प्रस्तुत्ववाद सकट तथा गुद रोकने में प्रसमर्यां पूँजीवाद की विचारधारागत गमिष्यव्यक्ति है।

(vi) यह विचारधारा समाज तथा राज्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। सात्रं तथा कामू के अतिरिक्त प्राय सभी प्रस्तुत्ववादी व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देकर उसे एक मौर-प्रिमेदार स्थिति में ला पटकते हैं।

### हन्ना आरेन्ट (Hanna Arendt)

परम्परावादी दार्शनिक विचारधारा में हन्ना आरेन्ट का महत्व मूलत इसलिए है कि उसने मानव दशा का विवरण करते हुए सर्वाधिकारवाद के कारकों और स्रोतों का गहन विश्लेषण किया है। इस महिला विद्वान् की मुख्य कृतियाँ ये हैं—

1. *Origins of Totalitarianism, 1951, 1964*

2. *The Human Condition, 1958*

**3 Between Past and Future : Six Exercises in Political Thought, 1961**

**4 On Revolution, 1963**

हमारा प्रारंभ एक साहित्यकार हैं जिसने व्यक्ति के मानसिक प्रौढ़ और वैयक्तिक पक्षों को प्रमुखता प्रदान की है और यह मान्यता प्रकट है कि मानव की वैयक्तिक एवं ग्रान्टरिक समस्याओं को समझने के लिए एक विशेष परिणीत्य की आवश्यकता है। हमारी मूल समस्या यह है कि 'ऐसी समस्याओं का निर्माण किया जाए जो सार्वजनिक कामों में सलमन व्यक्तियों में एकता के साथ-साथ उनके व्यक्तिगत जीवन को ग्रांडवर्ता भी प्रदान करे।' दूसरे शब्दों में समस्या है—'सार्वजनिक घटिकरणों को वैयक्तिक विभिन्नताओं का उपयोगी उपकरण बनाया जाए।' हमारा प्रारंभ के अनुसार राज की सार्वजनिक स्वतन्त्रता तब तक ग्रांडहीन है जब तक कि हम उससे अपने वैयक्तिक अस्तित्व को प्रतिलिपापूर्ण नहीं बनाते। जब तक हमारे निजी अस्तित्व को जन-समर्थन नहीं भिलता तब तक हमारी निराकार का भन्त नहीं हो सकता।

प्रारंभ ने सर्वाधिकारवाद के ऐतिहासिक दाशनिक और संदानिक वारको का विश्लेषण किया है और यह मत प्रस्तुत किया है कि सर्वाधिकारवाद परम्परागत नीतिक मूल्यों के प्रति तद्देश्य तो होता ही है, साथ ही एक नई और विकृत नीतिकता स्थापित करने का भी प्रयास करता है। हन्ना की सहानुभूति शास्त्रीय राजनीतिदग्नि और उसम प्रतिपादित समस्याओं के प्रति है।

**परम्परावादी माइकेल ओक्षबॉट**

(Traditionalists : Michael Oakeshott)

राजनीतिशास्त्र के स्वरूप क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में दो विचारधाराओं में छन्द है—परम्परागत (Traditional) विचारधारा और सर्वाच्चीन वा समकालीन (Contemporary) विचारधारा। परम्परावादी सम्प्रदाय के अनुसार राजनीतिशास्त्र में उन सभी विषयों का सम्मिलिन किया जाता है जिनके सम्बन्ध में ज्येष्ठो ग्रास्तू हाँस, लांक रुसो, वे-वर्म मिल, ग्रीन हीमल, मावस आदि प्रमुख राजनीतिशास्त्रियों ने लिखा है। सेवाइन ने जो परम्परागत धर्यवा एंतहासिक विचारधारा का सही प्रतिनिधित्व करत है यह मान्यता प्रबंध की है कि एक और तो हमें इन महान् राजनीतिशास्त्रियों की रचनाओं में उन प्रश्नों को खाड़ना चाहिए जिनकी उन्हान विशेष रूप से चर्चा की है और दूसरी ओर यह भी दखना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रमुख प्रश्न हैं जिन पर इन विचारकों ने पर्याप्त प्रकाश नहीं डाना है धर्यवा जो कुछशर्कराले रह रहा है। परम्परागतिशास्त्रियों के अनुसार राजनीति का अंत मुख्यतः तीन बातों से सम्बद्ध है—(1) राजनीतिक दग्नि (2) राजनीतिक समस्याओं का विवरण, तथा (3) सीमित रूप में तथ्यों की लात्र। राजनीतिक मूल्यों और विचारण पर परम्परावादी सम्प्रदाय का विशेष धार्यह रहा है। राजनीतिक विश्लेषण का जो परम्परागत विश्लेषण पद्धतियां हैं वह हैं एन्टिहासिक दानिक वर्ता, तरंग और वारिक वैयक्तिक और सम्भागत।

परम्परावादी दृष्टिकोण और विश्लेषण पद्धतियों के परिणामों से 20वीं शताब्दी के प्रमुख राजनीतिक विचारकों ने अपने को असन्तुष्ट अनुभव किया और फलस्वरूप राजनीतिशास्त्र में विश्लेषण की नई पद्धतियों को खोज निकालने का कार्य आरम्भ हुआ और राजनीतिशास्त्र के नए आयामों को ढूँढ़ा जाने लगा। बत्तमान शताब्दी के तीसरे दशक में यह विचार बल पकड़ने लगा कि राजनीतिशास्त्र को एक अन्तर शास्त्रीय विज्ञान बनाना चाहिए, उसे व्यवहारवादी चर्चे से देखा जाना चाहिए। विश्लेषण की नई पद्धतियों को खोज निकालने का कार्य आरम्भ किया गया। मुख्य उद्देश्य एक ऐसी अध्ययन-पद्धति को खोजना था जिसके द्वारा राजनीतिक घटनाओं का प्रतिपादन किया जा सके। सारभूत रूप में, राजनीतिक व्यवहारवाद का जन्म हुआ जिसने द्वितीय महायुद्ध के बाद तेजी से लोकप्रियता प्राप्त की और आज के अधिकांश राजनीतिक विचारक राजनीतिशास्त्र के 'व्यवहारात्मक' स्वरूप पर ही बल देते हैं। अध्ययन के सरचनात्मक-प्रकार्यात्मक (स्ट्रक्चरल-फॉर्मल), व्यवहूरात्मक निराय निर्माण, राजनीतिक सम्प्रेषण आदि नए-नए दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। सरकार और राजनीति सम्बन्धी सभी घटनाओं को प्रेक्षित (Observed) और प्रेक्षण योग्य मानव-व्यवहार के रूप में व्यक्त करना आज के व्यवहारवादियों का मुख्य उद्देश्य है। व्यवहारवाद राजनीतिशास्त्र को विज्ञान का स्तर दिलाने में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

लेकिन राजनीतिशास्त्र के इस अर्वाचीन दृष्टिकोण की लोकप्रियता का यह अभिप्राय नहीं है कि परम्परावादी सम्प्रदाय मूलप्राय हो चुका है। विद्वानों का एक ऐसा अक्षिशाली समुदाय भी है जो राजनीतिशास्त्र के स्वरूप और क्षेत्र के सम्बन्ध में परम्परावादी दृष्टिकोण को ही सही मानता है। इन विद्वानों ने न केवल परम्परावादी शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धान्त का रक्षण और पोषण किया है बल्कि अनुभवात्मक-विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (Empirical Analytical Approach) की कटु प्रालोचना भी की है। परम्परावाद के समर्थक इन महारथियों में प्रमुख हैं—माइकेल आँकशॉट, हन्ना, मलफॉर्ड सिवली ऑर्टन, बट्टेंड जोकेनेल, लियो स्ट्रॉस तथा एरिक वोगेलिन। माइकेल आँकशॉट को, जिसने हैराल्ड लॉस्की की मृत्यु के बाद सन् 1951 में लन्दन स्कूल आँफ इकॉनोमिक्स एण्ड पालिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान की अध्यक्षता सम्भाली, एक पक्का रुद्धिवादी राजनीतिक विचारक माना जाता है। इसलैण्ड में रुद्धिवादी चिन्तन के पुनरुज्जीवन के साथ उसका नाम मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। माइकेल आँकशॉट ने पाइचात्य सम्भता के बुद्धिवाद (Rationalism) के विरुद्ध आवाज बुलन्द की है और इस बात का उपहास किया है कि नियन्त्रित बुद्धि (Controlled Reason) द्वारा ही सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक सम्बन्धों को समझा जा सकता है।<sup>1</sup> आँकशॉट की मान्यता है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण ही हमारी

<sup>1</sup> David Easton The Political System—An Enquiry into the State of Political System p 21

मनेक प्रसफलताओं का एक मूल कारण है। ग्रॉक्शॉट के अनुसार इतिहास के माध्यम से जाने गए पूर्वायिह, परम्परा तथा सम्बोधीत ज्ञान बुद्धि से कही अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि डेविड ईस्टन ने लिखा है, ग्रॉक्शॉट का विश्वास है कि राजनीतिक जीवन का ज्ञान कोई पुस्तकों पढ़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता बल्कि यह राजनीति के कार्यकलापों के माध्यम से (Through the Act of Politics) प्राप्त होता है, अन्य सामाजिक विज्ञानों से नहीं बल्कि कार्यों के इतिहास से (From the History of Acts) प्राप्त होता है।<sup>1</sup> माइकेल ग्रॉक्शॉट ने अपने विश्लेषण को अनुभव (Experience) पर आधारित किया है और उन बहु आयामों (Multi-dimensionality) की पुनर्जोड़ पर बल दिया है जिसका कि नियेष प्राय सिद्धान्तवादी और स्वीकारवादी लेखक (Ideological and Positivist Writers) करते हैं। ग्रॉक्शॉट का राजनीतिक दर्शन उसके द्वारा रचित निम्न ग्रन्थों में प्रतिपादित है—Rationalism in Politics, Experience and Its Modes, Introduction to Thomas Hobbes' Leviathan, and Political Education

अपने ग्रन्थ 'एक्सपीरियेन्स एण्ड इट्स मोड्स' में ग्रॉक्शॉट ने यह विचार व्यक्त किया है कि दर्शन और विज्ञान आधारभूत रूप में दो भिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं और ऐसे प्रबन्धों में कोई तुक नहीं है कि एक की पद्धतियों को दूसरे में ले जाया जाए। परवाए एक के विषयों को दूसरे में स्थानान्तरित किया जाए। इस प्रकार का विचार ही आमक है कि दर्शन वैज्ञानिक चिन्तन की पद्धतियों से कुछ सीख सकता है।<sup>2</sup> ग्रॉक्शॉट व्यवहारवादियों के इस मत से सहमत नहीं है कि राजनीतिक दर्शन एक ऐसा 'प्रगतिशील (Progressive) विज्ञान है जो ठोस परिणामों का संचय करता है और ऐसे नतीजों पर पहुंचता हो जिन पर कि आगामी शोध आधारित किए जा सकें। उसका तो विश्वास है कि राजनीतिक दर्शन इतिहास से निकटता के साथ एकीकृत है—सिद्धान्तों का इतिहास नहीं बल्कि उन समस्याओं का इतिहास जिन्हे दार्शनिकों ने खोजा है और समाजान के उन तरीकों का इतिहास जो उन्होंने प्रस्तावित किए हैं।<sup>3</sup> डेविड ईस्टन जैसे व्यावहारकादियों ने ग्रॉक्शॉट और उसके परम्परावाद के पोषण पर कठोर प्रहार किया है। ईस्टन के अनुसार परम्परावाद एक प्रकार के सामाजिक अन्यथन का सज्जान रक्त (Deliberately Defends a Kind of Social Blindness) है। यह सामाजिक वैज्ञानिकों की सज्जन कार्यवाहियों के विरुद्ध (Against the Conscious Deliberation of the Social Scientist) राजनीतिज्ञों की प्रत्यारम्भ की कला के सदगुणों (In the Virtues of the Initiative Art of the Statesman) में विश्वास करता है।<sup>4</sup>

1 David Easton The Political System—An Enquiry into the State of Political Science, p 21

2 Michael Oakeshott Experience and Its Modes, p. 354

3 Michael Oakeshott Political Education, p. 26.

4 David Easton Ibid, p 21.

## राजनीतिशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र

(Nature and Scope of Political Science)

'राजनीति' का पर्यायवाची शब्द 'पोलिटिक्स' (Politics) है जो यूनानी भाषा के 'पोलिस' (Polis) शब्द से बना है। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व यूनानी लोग नगर राज्यों में रहते थे, जिन्हे 'पोलिस' कहा जाता था। ये नगर निम्नरंग प्रौढ़ स्वतंत्रता से राजनीतिक इकाई थे। यूनानी दार्शनिकों ने इन नगर-राज्यों की स्थिति, घटनाओं और शासन-विधा को पोलिटिक्स कहा है। इतिहास के कालबक में राज्य का 'स्वरूप बदला' प्रौढ़ नगर-राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों (Nation States) ने ले लिया। प्रबल राजनीति राज्य के विस्तृत स्वरूप से सम्बन्धित विद्या हो गई, सामाज्य ज्ञान से एक विज्ञान बन गई। प्राचुर्णिक युग में, जब हर क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रौढ़ व्यवस्थित अध्ययन की लहर है, राजनीति से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन को राजनीतिशास्त्र (Political Science) की सज्जा दी जाती है। राजनीति की परिभाषा समयानुसार दी जाती रही है और प्राज्ञ भी इसमें मतैक्य नहीं है। प्राचुर्णिक युग में राजनीतिशास्त्र की प्रकृति एवं विस्तार के सम्बन्ध में काफी परिवर्तन हुए हैं, तथा परम्परागत परिभाषाएँ काफी बदल चुकी हैं।

### राजनीतिशास्त्र की प्रकृति परम्परागत और अर्वाचीन दृष्टिकोण

राजनीतिशास्त्र की परम्परावादी परिभाषाएँ अनश्वली, गेरिस, गान्डी, पाल जेनिट, सीले, नेटेल लोकांक प्रादि की हैं। परम्परागत व्यवहा ऐतिहासिक विचारधारा का सही प्रतिनिधित्व जांजे एवं सेवाइन ने किया है। अनश्वली के अनुसार "राजनीतिशास्त्र वह विज्ञान है जिसका राज्य से सम्बन्ध है और जो राज्य की आधारमूल स्थितियों, उसकी प्रकृति और विविध स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयत्न करता है।" गेरिस ने लिखा है कि "राजनीतिशास्त्र में, शक्ति की सत्या के रूप में, राज्य के सभी सम्बन्धों, उसकी उत्पत्ति, उसके मूर्त रूप (भूमि तथा निवासी), उसके प्रयोजन एवं नीतिक महत्त्व, उसकी आर्थिक सुस्थिरणों, उसके अस्तित्व की अवस्थाओं, उसके वित्तीय पहलू, उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है।" गान्डी की, दृष्टि में, "राजनीतिशास्त्र का प्रारम्भ तथा अन्त राज्य के साथ होता है।" सीले के मत में "राजनीतिशास्त्र शासन सम्बन्धी बातों पर ठीक उसी प्रकार विचार करता है, जिस प्रकार अर्थशास्त्र सम्भिति जीवशास्त्र जीवन, बीजगणित अकंठ तथा रेखांगणित स्थान प्रौढ़ परिमाण के सम्बन्ध में विचार करते हैं।" नेटेल के अनुसार, "राजनीतिशास्त्र राज्य के मूरकालीन, वर्तमान या भवी स्वरूप का, राजनीतिक सम्बन्ध एवं राजनीतिक कायेक्रम का, राजनीतिक सम्प्रयोग का, राजनीतिक सम्बन्ध का, राजनीतिक कायेक्रम का, राजनीतिक सम्प्रयोग का, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करता है।" लीकाक के मतानुसार, "राजनीतिशास्त्र सरकार से सम्बन्धित विद्या है।" लॉक्सी का उल्लेख है कि, "राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का सम्बन्ध मानव सम्बन्धित समिति राज्य से है।" इन विभिन्न परम्परावादी परिभाषाओं से यही स्पष्ट होता है कि राजनीतिशास्त्र राज्य, समाज, सरकार और व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों का एक क्रमबद्ध प्रौढ़

सशिवष्ट भव्ययन है। सभी परिभाषाएँ लुटरतः राज्य पर केन्द्रीभूत हैं और वही राजनीतिशास्त्र के भव्ययन का विषय है। इस दृष्टिकोण के पीछे प्लेटो और परस्तू के समय से चली आ रही है यह मान्यता है कि राज्य कुछ वित्त लक्षणों की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में है। ब्रेबाइन ने लिखा है कि इस शास्त्र में हम उन सभी विषयों को सम्मिलित करते हैं जिनके सम्बन्ध में प्लेटो, परस्तू, हॉम्स, लॉक, ईसो, बेन्यम, मिल, गीन, हीगल, मारबर्ड आदि ने विस्तार से लिखा है। जिन प्रश्नों भव्यया समस्याओं की उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की है, वे हैं—राज्य के माध्यम से किन योद्धाओं की प्राप्ति सम्भव और वाईच्छनीय है, स्वतन्त्रता का बया प्रभिश्राय है, सरकार के कार्यक्षेत्र की सीमाएँ राज्य या सरकार को राजनीतिशास्त्र के भव्ययन का मुख्य विषय मानती हैं।

राजनीतिशास्त्र की जो परम्पराएँ हैं उनकी प्रमुख विषेषताओं को इस प्रकार गिनाया जा सकता है—

1. स्थानिक पहलू पर ध्विक जोर दिया गया है। उदाहरणार्थ राज्य, सरकार आदि सम्पादों को राजनीतिशास्त्र के भव्ययन का प्रमुख धाराधार माना गया है।

2. सम्बन्धित सम्याको सरचना का वरणन किया जाता है, जैसे राज्य के तत्वों पर प्रकाश ढाला जाता है, सम्प्रमुता, सरकार के रूप, सरकार के प्रग, शक्ति-पृथक्करण आदि का वरणन किया जाता है।

3. राज्य के कार्यों पर ध्विक जोर नहीं दिया जाता, उन्हें थोड़े विषय माना जाता है।

4. ये परिभाषाएँ राज्य के लक्षण पर विशेष प्रकाश नहीं ढालती और न ही सम्पादों तथा उनके कार्यों का मूल्यांकन करती हैं।

5. मूल्यों और लक्षणों में इन परिभाषाओं का सम्बन्ध भौतिक रूप में है, प्रमुख व के धाराधार पर इन्हें सिद्ध करने का प्रयास नहीं है।

6. राजनीतिक प्रक्रिया के धौपचारिक तथा कानूनी दृष्टिकोणों पर ध्विक जोर दिया गया है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक मत्तियों के बीच क्या पारस्परिक सम्बन्ध रहता है, ये एक दूसरे पर स्वयं प्रभाव ढालती हैं, आदि में इसकी कोई दर्शि नहीं है।

7. राजनीतिशास्त्र का भव्ययन एक व्यापक प्रणाली के रूप में किया गया है, उसका भुकाव धार की भाँति वैज्ञानिकरण की ओर नहीं है।

राजनीतिशास्त्र की परिभाषा का परम्परावादी रूप भव बदलता जा रहा है, नवीन रूप के प्रतिपादकों द्वारा यह विवाद सदा किया गया है कि राजनीतिशास्त्र क्या व्यक्ति के केवल उन्हीं कार्यकलापों का भव्ययन करता है जिनका सम्बन्ध उसके जीवन के केवल राजनीतिक पहलू से न होकर सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक आदि पर्यावरणों से होता है। राजनीतिशास्त्र के नवीन रूप के प्रतिपादकों को व्यवहारवादी राजनीतिशास्त्री कहा गया है जिनकी मान्यता है कि राजनीतिशास्त्र

की गवेषणा का भ्राघार शक्ति के केवल राज्य सम्बन्धी व्यवहार और क्रियाकलाप ही नहीं हैं बल्कि बहुपक्षीय व्यवहार और क्रियाकलाप हैं। अर्वाचीन सम्प्रदाय में भी विद्वानों में भ्राघार नहीं है। कैटलिन का विचार है कि राजनीतिशास्त्र का सम्बन्ध उन सभी क्रियाकलापों से लिया जाना चाहिए जो समाज के तत्वावधान में होते हैं। राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र का क्षेत्र एक ही है, केवल दृष्टिकोण प्रलग-प्रलग हैं। राजनीति के प्रध्ययन को हम केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित नहीं रख सकते जिनका सम्बन्ध राज्य से है। जहाँ वही भी शक्ति-संघर्ष है वहीं राजनीति है। यदि यह शक्ति-संघर्ष, धार्मिक सगठन, पारिवारिक सम्बन्धों, शाश्वत संघों आदि में भीड़ दिखाई देता है तो उन सब का अध्ययन भी राजनीतिशास्त्र का विषय है।

हरमन हीलर का मत है कि भ्राघार का राजनीतिशास्त्र मुख्यतः राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति, रक्षा एवं वितरण की समस्या पर विचार करता है। ऐसा विचार करते समय किसी मूर्त राज्य को अध्ययन का विषय बनाया जा सकता है अथवा मूर्त राज्यों में प्राप्त तत्त्वों के भ्राघार पर प्रमूर्त राज्य की कल्पना की जा सकती है। इसके प्रतिरक्ष प्राचुनिक राजनीतिशास्त्र जिन विभिन्न तत्त्वों का प्रध्ययन करता है वे हैं—प्रक्रियाओं का वह पारस्परिक सम्बन्ध जिसके द्वारा शक्ति को भौतिक एवं जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों के मनुष्य स्थानगत बनाया जा सकता है। जातीय विशेषताओं तथा भूत्य का प्रभाव, सगठन के नियन्त्रण के प्रभुत्व प्रकारों, का वर्णन तथा विश्लेषण, राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थायों का विशेषत दलों का सगठन एवं कार्य, राजनीतिक स्थायों के भूत्य तथा विकास में राजनीतिक विचारों का योगदान, समठित राजनीतिक शक्तियों के प्रभुत्व सामाजिक शक्तियों के साथ सम्बन्ध का विश्लेषण, चर्च, लोकसत्, प्रेय तथा प्रमुख धार्मिक शक्तियों का प्रभाव, प्रत्यरूपीय शक्तियों एवं भूत्य राज्यों के सन्दर्भ में, एक राज्य की शक्तियों को पुनरीक्षा आदि। लॉसवैल ने शक्ति-सिद्धान्त का विश्लेषण करते हुए उसे राजनीतिशास्त्र का मूल माना है। उनका कहना है ‘एक प्रमुख व्यवस्था के रूप में राजनीतिशास्त्र शक्ति की रूप रचना एवं उपभोग का अध्ययन है।’ डेविड ईस्टन ने राजनीतिशास्त्र को ‘सामाजिक मूल्यों के प्राचिकारिक निर्धारण’ का अध्ययन माना है। लॉसवैल और ईस्टन प्राचुनिक राजनीतिशास्त्रियों में दो महारथी हैं जिनके विचारों का प्रगते शीर्षक के प्रनत्यर्गत विस्तार से विवेचन किया गया है।

राजनीतिशास्त्र की परम्परागत और अर्वाचीन परिभाषाएँ विषय-वस्तु, प्राप्तिक्रिया तथा मूल्योंका दृष्टि से प्रगते गुण-दोष और प्रदनी भिन्नताएँ रखती हैं, परम्परागत मान्यता में प्रत्यधिक प्रौढ़ारिकता पर बन दिया गया है। इसके द्वारा यथार्थता की गहराई तक नहीं पहुँचा जा सकता है। परम्परागत परिभाषाएँ राजनीतिशास्त्र की हड्डि के पनेक विषयों को मछूरा छोड़ देती हैं जैसे राज्य के कार्य, सरकार की प्रक्रियाएँ, राज्य तथा समाज के बीच पाई जाने वाली घन्तक्रियाएँ, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नीति रचना का कार्य, नीति-निर्धारण के कारण तथा परिलाम प्रादि। इन परिभाषाओं में राज्य और सरकार को ही सब कुछ माना गया

है, भन्य तत्त्वों की उपेक्षा की गई है, प्रराजनीतिक तत्त्वों तथा सस्थाप्तों का राजनीतिक क्रियापोर पर जो प्रभाव पड़ता है उसके अध्ययन को स्थान नहीं दिया गया है। अर्द्धचीन परिभ्रान्ति भी आलाचना से ददे नहीं हैं। बतंमान विचारकों ने राजनीतिक अवध्ययन के किसी एक पहलू पर बहुत अधिक बल दिया है तो दूसरे पहलुओं को अवहेलना की है। लॉसवेल ने शक्ति को महत्वपूर्ण माना है तो इस्टन ने मूल्यों के वितरण पर जोर दिया है। राजनीतिशास्त्र को समय रूप में नहीं देखा गया है बल्कि टुकड़े में बाँट दिया है। दूष्टिकोण विषयगत अत्यधिक है और परिभाषाएँ मसन्तुलन के दोष से प्रसित हैं। राजनीतिशास्त्र की सन्तुलित परिभाषा एक ऐसे विज्ञान के रूप में की जानी चाहिए जिसमें व्यक्ति के उन कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है जिनका सम्बन्ध उसके जीवन के राजनीतिक पहलू से अर्थात् राज्य, सरकार, राजनीतिक सस्थाप्तों, राजनीतिक प्रक्रियाओं आदि से सम्बन्धित पक्षों से होता है और इस अध्ययन में व्यक्ति के जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्यिक आदि भन्य पहलुओं के पारस्परिक प्रभावों का मूल्यांकित भी किया जाता है और यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के राजनीतिक पहलू तथा भन्य पहलू किस तरह एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

### राजनीतिशास्त्र का ध्येय . परम्परागत और अर्द्धचीन दृष्टिकोण

राजनीतिशास्त्र के ध्येय पर विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं—परम्परागत दृष्टिकोण तो है ही, नवोन दृष्टिकोण भी प्रतिपादित किए गए हैं। यदि मोटे रूप में लें तो राजनीतिशास्त्र राज्य और सरकार के सर्वांगीण अध्ययन के साथ मानव-तत्त्व और आधुनिक वातावरण का भी अध्ययन नहरता है। हरमन हेलर के मनुसार, आज राजनीतिशास्त्र प्रधानतः राजनीतिक शक्ति की पूति, उसके दृढ़ीकरण और वितरण की समस्या पर केंद्रीय मूल्य है। इसके अन्तर्गत उन प्रक्रियाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा भौगोलिक, जलवायु सम्बन्धी, जातीय, प्राकृतिक, आर्थिक, संतिक, नैतिक, धार्यिक तथा राष्ट्रीय वातावरण और कानून के मनुसार जनशक्ति राज्य-सत्य का स्वरूप घारण करती है। इस महत्वपूर्ण राजनीतिक समुदायों-विमेषकर राजनीतिक दलों के सम्बन्ध और कायों का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है। हम यह भी देखते हैं कि राजनीतिक समुदायों की उत्पत्ति एवं विकास में राजनीतिक विचारों के प्रभाव का क्या महत्व है। साथ ही इसमें समर्थित राजनीतिक शक्ति तथा सघीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णवेशण भी किया जाता है।

राज्य का सर्वांगीण और सर्वकातीन अध्ययन—राजनीतिशास्त्र के मन्त्रगत राज्य के भ्रतीत, बतंमान और भविष्य तीनों का अध्ययन किया जाता है। सभी राजनीतिक सम्पादनों विभिन्न विकास का परिणाम हैं। राज्य का बतंमान स्वरूप ऐतिहासिक विकास की उपज है। राजनीतिशास्त्र राज्य की उत्पत्ति, राज्य के बतंमान स्थिति तक पहुंचाने की विभिन्न प्रबन्धाया, विभिन्न युगों और देशों के राज्य तथा जात्यान के स्वरूपों के विकास आदि का अध्ययन करता है। राजनीतिक

विचारधारा (Political Thought) के विकास, राजनीतिक विकास (Political Development) के सिद्धान्त और नियम भी राजनीतिशास्त्र की विषय-सामग्री हैं। राज्य का बहुमान स्वरूप, सगठन, प्रौचित्य, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र आदि भी राजनीतिशास्त्र की अध्ययन सामग्री हैं। यह शास्त्र राज्य के भावी स्वरूप का भी अध्ययन और विश्लेषण करता है। राज्य के तात्कालिक स्वरूप और सगठन से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। अत प्रारम्भ से ही वह आदर्श राज्य का स्वरूप लेता रहा है। प्लेटो, घरस्तू, मूर आदि ने आदर्श राज्य का चित्र खींचा और बहुमान विचारक भी राज्य के स्वरूप, उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में अनेक नवीन विचार हमारे सभुख प्रस्तुत करते रहे हैं।

**सरकार का अध्ययन—** सरकार वह उपकरण है जो राज्य के स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति करता है। राजनीतिशास्त्र में सरकार के विभिन्न अग्रो, उनके सगठन, कार्यक्षेत्र, उन अग्रो में पारस्परिक सम्बन्ध, राजनीतिक दल, जनमत, स्थानीय शासन आदि का विशेष अध्ययन किया जाता है।

**मनुष्य, अन्तर्राष्ट्रीय विधि आदि का अध्ययन—** राजनीतिशास्त्र राज्य और सरकार के सर्वांगीण अध्ययन के सथ मानव तत्त्व और आधुनिक वातावरण का भी अध्ययन करता है। यह मानव अधिकारो, राज्य के प्रति उसके कर्तव्यो, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धो पर प्रकाश ढालता है। व्यक्ति के वे क्रियाकलाप जिनका सम्बन्ध राज्य और शासन से है, इस शास्त्र की अध्ययन-सामग्री हैं। इसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सम्बन्धो, अन्तर्राष्ट्रीय सगठन, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा आदि का अध्ययन भी सम्मिलित है।

राज्य के विषय-क्षेत्र के बारे में उपरोक्त विचार परम्परागत रूप में चले था रहे हैं। इन्हे सुगठित रूप में व्यक्त करते हुए प्रो फेयरली ने लिखा है—“राजनीतिशास्त्र राज्य के अन्तर्गत शासन और कानून की धर्मीनता में सगठित मानव-जीवन से सम्बन्धित है। इसमें राज्यों के सगठन, उनके क्रियाकलापों, राजनीतिक सगठनों और क्रियाओं से सम्बन्धित सिद्धान्तों तथा विचारों का अध्ययन किया जाता है। यह राजनीतिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के सम्बन्धस्य की समस्या पर विचार करता है। राज्य द्वारा नियन्त्रित मनुष्यों के प्राप्ती सम्बन्धो और मनुष्य तथा राज्य के सम्बन्धो पर यह प्रकाश ढालता है। जिन अभिकरणों द्वारा राज्य के कायों का निर्धारण, अभिव्यजन और क्रियान्वयन होता है उनके दीर्घ शासन सत्ता का विभाजन होता है उनका भी और राष्ट्रीय जीवन की समस्या का भी इसमें अध्ययन होता है।” सन् 1948 में यूनेस्को के एक सम्मेलन में राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र पर विचार किया गया था। तदनुसार राजनीतिशास्त्र का विषय क्षेत्र मोटे रूप में चार शास्त्रांगों में विभाजनीय है—

(क) राजनीतिक सिद्धान्त (Political Theory)—इसमें राजनीतिक विचारों का इतिहास तथा राजनीतिक सिद्धान्त या विचारधारा सम्मिलित है।

(ख) राजनीतिक सम्याएं (Political Institutions)—इसमें सविधान,

राष्ट्रीय सरकार, लोक शासन, सरकार के सामाजिक एवं ग्राहिक कार्य, राजनीतिक सत्याएँ आदि शामिल हैं।

(ग) राजनीतिक दल (Political Parties)—इसमें राजनीतिक दलों, समुदाय, जनमत, सरकार एवं प्रशासन में जनता के बोगदान आदि का अध्ययन निहित है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (International Relations)—इसमें अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्मिलित हैं।

राजनीतिशास्त्र के स्वरूप और क्षेत्र पर कुछ प्रमुख घर्वाचीन दृष्टिकोण—राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का उपरोक्त विषय-क्षेत्र पारस्परिक है। तदनुसार इस शास्त्र का अध्ययन राज्य और राजनीतिक सत्याओं तक सीमित नाना जाता रहा है। किन्तु भूति आवृत्ति का लाल ऐ—मुख्यत द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त—राजनीतिशास्त्र के अध्ययन में नवीन प्रवृत्तियों दृष्टिकोचर हुई हैं, नए दृष्टिकोण प्रतिपादित किए गए हैं। नवीन प्रवृत्ति के अनुसार राज्य तथा राजनीतिक सत्याओं की परिवर्ति के परे भी कुछ प्रक्रियाएँ और परिवेश हैं जिनका अध्ययन राजनीतिशास्त्र के प्रन्तर्गत किया जाना आवश्यक है। इस अध्ययन की उपेक्षा करना राजनीतिशास्त्र की उपयोगिता को खोना या कम करना है। सभी समाज विज्ञानों का प्रेरणा-स्रोत और अध्ययन-केन्द्र विन्दु मानव-व्यवहार के प्रबन्धन की यह उपेक्षा नहीं कर सकता। मानव-व्यवहार के केवल राजनीतिक पहलू का अध्ययन प्रपर्याप्ति है, कुछ उन प्रक्रियाओं का अध्ययन भी आवश्यक है जो गंदर-राजनीतिक चरित्र की हैं। इन प्रक्रियाओं का मानव-व्यवहार के राजनीतिक पहलू पर प्रभाव पड़ता है। राज्य और राजनीतिक सत्याओं का अध्ययन ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि राजनीतिक व्यवहार और उस पर पड़ने वाले मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों के प्रभावों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का यह नवीन दृष्टिकोण व्यवहारवादी आन्दोलन के नाम से विलयात हुआ है। इस आन्दोलन के विरुद्ध भी एक प्रतिक्रिया चल पड़ी है जिसे उत्तर-व्यवहारवाद की सज्जा दी गई है। वस्तुत राजनीतिशास्त्र क विषय-क्षेत्र पर यही तक विद्वानों में कोई मतभिन्नता नहीं हो सका है, अनेक दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों में यदि अनेक समानताएँ देखने को मिलती हैं तो पारिभाषिक स्तर पर विभिन्नताएँ भी कम नहीं हैं। राजनीतिशास्त्र के स्वरूप और क्षेत्र पर मत-भिन्नताओं के सम्बन्ध में युलाऊ (Eulau) की मह टिप्पणी ठीक ही है कि “राजनीतिशास्त्री विभिन्न दिजानों में स्पष्ट रूप से यह मानकर यात्रा कर रहे हैं कि यदि विस्तीर्ण को मजिल का पता नहीं भी है तो भी कोई न कोई रास्ता दसे मजिल तक पहुँचा ही देता है।”<sup>1</sup> स्टीफेन वास्टी ने भी लिखा है—“राजनीतिशास्त्री मुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो कुछ करते हैं वही राजनीतिशास्त्र है।”<sup>2</sup>

राजनीतिशास्त्र के स्वरूप और क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख नए या घर्वाचीन दृष्टिकोण घटात्वित शौकियों में स्पष्ट किए जा रहे हैं—

1 Heinz Eulau : ‘Political Science’ in Barr F. Hosilitz, ‘A Reader’s Guide to the Social Sciences’ p 91

2 Stephen Wasby Political Science The Discipline and Its Dimensions, p 3

(क) राजनीतिशास्त्र शक्ति का अध्ययन है (कंटलिन तथा लॉसवेल)—कंटलिन और लॉसवेल ने राजनीतिशास्त्र को शक्ति का अध्ययन माना है। दोनों के विचारों का मुख्य आधार मनोविज्ञान है। कंटलिन ने राज्य के स्थान पर व्यक्ति के राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन पर बल दिया है और राजनीति को प्रमुख तथा नियन्त्रण (Dominance and Control) के लिए किया जाने वाला सुधर्ण माना है। सधर्ण का मूल कारण मानव की यह इच्छा है कि दूसरे लोग उसके अस्तित्व को स्वीकार करें। सन् 1962में 'सिस्टेमेटिक पॉलिटिक्स' शीर्षक से कंटलिन की पुरानी पुस्तक का जो सशोधित सस्करण निकला उसमें कंटलिन के विचार अधिक स्पष्ट और परिष्कृत हैं।

कंटलिन न 'शक्ति' (Power) को इच्छाप्रो के सधर्ण और नियन्त्रण-प्रक्रिया का आलम्बन मानते हुए सभी राजनीतिक कार्यों की कुञ्जी बताया है। अपने विचार को स्पष्ट करते हुए उसने लिखा है—"समाज में नियन्त्रण जो कुछ करना है, नियन्त्रण-भावना के कारण जो भी कार्य किए जाते हैं, नियन्त्रण-भावना पर आधारित सम्बन्धों की इच्छाप्रो के कारण समाज में जिस ढंगे और जिन इच्छाप्रो का निर्माण होता है, उन सबसे राजनीतिशास्त्र का सम्बन्ध है।"<sup>1</sup>

लॉसवेल 'शक्ति' की अवधारणा का दूसरा प्रमुख प्रणेता है। उसने शक्ति-सिद्धान्त का विश्लेषण करते हुए इसे राजनीतिशास्त्र का मूल माना है और कहा है—"एक अनुभववादी व्यवस्या के रूप में राजनीतिशास्त्र शक्ति की रू-रचना तथा उपभोग का अध्ययन है।" समाज में करिपय मूल्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभाव डालने की चेष्टा करता है और इस प्रभाव-चेष्टा में 'शक्ति' का भाव निहित रहता है। इस प्रकार राजनीतिशास्त्र प्रभाव तथा प्रभावी (Influence and Influencial) का अध्ययन है। राजनीतिशास्त्र भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की भाँति एक नीति विज्ञान है और सामाजिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा परिस्थितियाँ बनाई जा सकें जिनमें कि समाज के मूल्यों को शक्ति के साथ समायोजित किया जा सके। शक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया से भिन्न न होकर सम्पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया या राजनीतिक पहलू में त्र है। राजनीतिशास्त्र अमूर्त सम्पाद्यों या सगठनों का अध्ययन नहीं करता, यह व्यक्ति को उसके पूर्ण रूप में देखता है तथा अन्तर्वेयक्तिक सम्बन्धों का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं हितों के पक्ष मात्र को नहीं देखा जाता बरन् उसके समस्त पहलुओं के साथ पूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। यह उन सभी तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका मूल्यांकन करता है जो नीति सम्बन्धी लक्ष्यों के पूर्ण होने में अवरोध का कार्य करते हैं।

लॉसवेल ने बताया कि शक्ति का वितरण असमान होने से मूल्यों की प्राप्ति सब लोगों को एक जैसी, एक समय पर और एक तरह से नहीं होती है। इसीलिए

राजनीतिशास्त्र उस राजनीति को सौजता है जो यह बतलाए कि 'कौन, क्या, कब और कंसे प्राप्त करता है?' इसी विचार के आधार पर उसने सन् 1936 में प्रकाशित अपनी एक पुस्तक का नाम ही "राजनीति—कौन, क्या, कब और कंसे प्राप्त करता है?" रखा है। लॉसवेल के अनुसार 'शक्ति' राजनीति का मूल्य सार है। राजनीति ह व्यक्ति वह है जिसका प्रमुख मूल्य (उद्देश्य) शक्ति प्राप्त करना है। शक्ति का अभिप्राय महत्वपूर्ण निर्णय लेने से है और निर्णयों का महत्व इस बात से नापा जाता है कि मूल्यों के वितरण पर उनका कितना प्रभाव है। लॉसवेल शक्ति को मूल्यों के वितरण को प्रभावित करने वाला साधन मानता है। मूल्यों के सम्बन्ध में निर्णय शक्तिशास्त्री व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं और ये निर्णय मूल्यों के वितरण को प्रभावित करते हैं। कौन, क्या, कब और कंसे पाता है—ये प्रश्न हमें उन व्यक्तियों के कार्य-भाग के अध्ययन की ओर ले जाते हैं जो इन्हे प्राप्त करते हैं। व्यक्ति मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी प्राप्ति से उन्हें वंभव, पद और प्रतिष्ठा की उपलब्धि होती है। मूल्यों को प्राप्त कर लेने के कारण समाज द्वारा ये सब चीजें व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं। मूल्यों का समाज में वितरण किस तरह होता है, राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी के अध्ययन का यह प्रमुख विषय है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को हम तभी समझ सकते हैं जब मूल्यों के वितरण का अध्ययन करें। उल्लेखनीय है कि लॉसवेल की प्रारम्भिक रचनाओं से यह व्यनित होता है कि वह मूल्यों से अधिक 'शक्ति' को राजनीतिशास्त्र का केन्द्र बिन्दु मानता है, किन्तु बाद की रचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि उसने शक्ति की महत्ता का प्रतिपादन इसलिए किया है क्योंकि विभिन्न आदर्शों और मूल्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति आवश्यक है। लॉसवेल ही के ज्ञानों में, "राजनीतिक क्रियाकलापों का आरम्भ उस परिस्थिति में होता है जिसमें कर्ता विभिन्न मूल्यों की प्राप्ति की चेष्टा करता है और शक्ति जिसकी आवश्यक (और सम्भवतः पर्याप्त भी) शर्त होती है।" इस तरह लॉसवेल के सशोधित विचार के अनुसार शक्ति और मूल्य दोनों का अध्ययन राजनीति में महत्वपूर्ण है। लॉसवेल का अभिमत है कि राजनीतिशास्त्र के रूप में जो परिवर्तन आया है वह बैज्ञानिक और तकनीकी विकासों के प्रभाव का परिणाम है। विज्ञान ने विश्व के स्वरूप को इतना बदल दिया है कि राजनीतिशास्त्र उससे प्रभावित नहीं रह सकता। राजनीतिशास्त्र का सही अध्ययन तभी किया जा सकता है जबकि उस पर प्रभाव ढालने वाली विभिन्न शक्तियों को भी अध्ययन का विषय बनाया जाए।

कंटलिन और लॉसवेल के विचार महत्वपूर्ण हैं, किन्तु इस मान्यता में सशय है कि व्यक्ति के वे सभी कार्य राजनीतिशास्त्र के अध्ययन-क्षेत्र भी सीमा में ग्रा बैठे हैं जिनका आधार शक्ति है। राजनीतिक और गंग-राजनीतिक क्रियाकलापों के बीच सीमा-रेखा ठो है ही। किर, राजनीति को केवल शक्ति का सघर्ष ही नहीं माना जा सकता, उसमें सहयोग और सहमति का भी स्थान है। पुनर्श्व, लॉसवेल ने "कौन, क्या, कब और वंसे प्राप्त करता है" जैसे प्रश्न उठा कर राजनीति पर शक्तिशास्त्री

भ्रमिजात्य वर्ग के क्रियाकलापों के ग्रध्ययन तक ही सीमित कर दिया है। जबकि जन-साधारण के क्रियाकलाप भी राजनीतिशास्त्र के ग्रध्ययन का महत्वपूर्ण भाग है।

(स) राजनीतिशास्त्र सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण का ग्रध्ययन है (डेविड ईस्टन के विचार) — शक्ति गवाहारण की कमियों को दूर करने के प्रयास में डेविड ईस्टन ने प्रपना घलग ही विचार प्रस्तुत किया है। प्रपनी पुस्तक 'दी पॉलिटिकल सिस्टम' में एक स्थल पर उसने लिखा है कि राजनीतिशास्त्र सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक आवटन या निर्धारण (Authoritative allocation of the values of society) का ग्रध्ययन है।<sup>1</sup> इसी पुस्तक में एक अन्य स्थल पर उसका कथन है—“राजनीतिशास्त्र मूल्यों के आधिकारिक आवटन का ग्रध्ययन है, जैसा कि यह शक्ति के वितरण एवं प्रयोग के द्वारा प्रभावित किया जाता है।”<sup>2</sup> ईस्टन ने राजनीति के संदानिक ग्रध्ययन को दो भागों में बांटा है—प्रथम भाग के अन्तर्गत वह राजनीतिक व्यवस्थाओं (Political System) के जीवित रहने (Survival) के ग्रध्ययन को सम्मिलित करता है और दूसरे भाग में शक्ति के वितरण और इस वितरण के प्राधार पर मूल्यों के निर्धारण के ग्रध्ययन को जामिल करता है। ईस्टन का विचार है कि आधिकारिक आवटन या निर्धारण तथा प्राप्त होने वाले मूल्यों और शक्ति के प्रयोग तथा वितरण के बीच एक घनिष्ठ प्रतिक्रिया है जो एक-दूसरे को जोड़ती है। ईस्टन ने राजनीतिशास्त्र के ग्रध्ययन-सेक्टर में तीन बातों पर प्रमुख रूप से बल दिया है—नीति, ग्रधिसत्ता और समाज (Policy, Authority and Society)। उसने इन तीनों बातों की व्याख्या की है। नीति का सार (The Essence of Policy) इस तथ्य में है कि इसके माध्यम से कुछ बातें कुछ व्यक्तियों को नियिद्ध की जाती हैं और कुछ बातें दूसरों को प्राप्त करने योग्य बनाई जाती हैं। दूसरे सब्दों में, नीति का माशय समाज द्वारा ग्रथवा किसी संघिया या समुदाय द्वारा ग्रथवा समूह द्वारा किए गए उन निर्णयों और मानव-क्रियाकलापों के ताने-बाने (A web of decisions and actions) से है जिनके द्वारा सामाजिक मूल्यों का आवटन होता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि मूल्यों का निर्धारण की प्रक्रिया का अभिप्राय यह निश्चित करना होता है कि सामाजिक सम्पदता ग्रथवा विपद्धता में कौन किस सीमा तक भागीदार बने। इस प्रक्रिया में किए गए निर्णयों की सफलता और असफलता दोनों राजनीतिशास्त्र के ग्रध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रधिसत्ता (Authority) सम्बन्धी ग्रध्ययन राजनीतिशास्त्र के लिए आवश्यक है क्योंकि नीति सम्बन्धी निर्णयों को मनवाने के लिए ग्रधिसत्ता का ग्रस्तित्व जरूरी है। मूल्यों का आवटन आधिकारिक होता है। कोई भी चीज आधिकारिक तभी मानी जाती है जब इससे प्रभावित होने वाले या इससे सम्बन्ध रखने वाले लोग यह मान लें कि इसका पालन करना गनिवार्य है। ग्रधिसत्ता की मान्यता के पीछे ग्रनेक कारण हो सकते हैं, यथा, फ्रान्स के अनुसार ग्राचरण करने की भावना, दवाव का भय आदि। समाज (Society) का ग्रध्ययन राजनीतिशास्त्र

मेरे इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति इस समाज का अग है उसका व्यवहार एकाकी न होकर समाज के सदस्यों के प्रति होता है और राजनीतिशास्त्र मे लोगों के उन्हीं क्रियाकलापों और नीतियों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक एवं सार्वजनिक रूप लिए हों अर्थात् जिनसे समाज किसी न किसी रूप मे प्रभावित होता है। यदि एक धर्मिक संगठन के बल ऐसे नियमों का निर्माण करे जो संगठन की सीमाओं मे ही प्रभावी हों तो राजनीतिशास्त्र मे उसका अध्ययन आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि धर्मिक संगठन एक ऐसी हड्डताल का निर्णय करे जिसका सारे समाज पर प्रभाव पड़ता हो तो उसका अध्ययन राजनीतिशास्त्र के लिए आवश्यक है।

उत्सेखनीय है कि ईस्टन को ही यह प्रमुख श्रेय जाता है कि उसने राजनीतिक व्यवस्था (Political System) की सकल्पना (Concept) का प्रतिपादन किया है। राजनीतिशास्त्र के विषय-क्षेत्र के सम्बन्ध मे जो विभिन्न विठ्ठाइयाँ उपस्थित होती हैं उन्हें ध्यान मे रखते हुए ही ईस्टन ने अपनी यह सकल्पना या आधारणा प्रस्तुत की है। राजनीतिक व्यवस्था से आशय 'किसी भी समाज मे घटित होने वाले उन पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्था से है' जिनके माध्यम से ऐसे उत्तरदायित्वों का वितरण हो जो बन्धनकारी अधबा अधिकारपूर्ण हो तथा जिन पर अमल किया जाता हो।" जब ईस्टन की इस परिभाषा को लेते हैं तो राजनीति को हम सर्वर्य की राजनीति तक ही सीमित नहीं रखते, उसमे सहयोग और सहमति को भी स्थान देते हैं। इस दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि इसके आधार पर राजनीति का अध्ययन राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय और स्थानीय—अर्थात् विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत क्रियाशील प्रक्रियाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता बरन् इन सब शातों वी भी ध्यास्या की जा सकती है—यथा बाह्य, सामाजिक, आर्थिक और सौम्यकृतिक वातावरण से राजनीतिक व्यवस्था पर वया दबाव पड़ते हैं इन दबावों के परिणामस्वरूप किन नियंत्रों तक पहुंचा जाता है जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उनके द्वारा परिणाम अधबा प्रभाव हमारे सामाजिक आर्थिक और सौम्यकृतिक जीवन पर परिनियंत्रित होते हैं आदि।

'राजनीतिक व्यवस्था' (Political System) शब्दावली आज अधिकाधिक सामान्य होती जा रही है। आज जिसे हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, उसे पुरानी पाठ्य-पुस्तकों मे 'सरकार', 'राष्ट्र', 'राज्य' आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता था तथापि यह नवीन शब्दावली कुछ अधिक व्यापक है जो राजनीतिक विषय-सामग्री पर एक नए तरीके से प्रकाश ढालती है। इसमे पुरानी बातों के लिए कुछ नए नाम निहित हैं और कुछ नए शब्द उन गतिविधियों तथा प्रक्रियाओं को प्रबन्ध करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं जिन्हे राजनीति के प्रगति अधबा पहलुओं के रूप मे पहले मान्यता प्राप्त नहीं थी।

ईस्टन का मत है कि राजनीतिशास्त्र का पहला काय उन सामान्य समस्याओं का विश्लेषण करना है जो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं मे लगभग सम्मुन रूप से

पाई जाती हैं। राजनीतिशास्त्र के समक्ष मूल्य समस्याएँ दो प्रकार की हैं—उद्धार्तम् क समस्याएँ (Concrete Problems), तथा संदान्तिक समस्याएँ (Theoretical Problems)। दोनों प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ईस्टन ने व्यवस्था-विश्लेषण पद्धति का सुझाव दिया है। ईस्टन के विचार प्रादर्शपरक न होकर व्यापारिक हैं, अनुभवजन्य हैं।

ईस्टन ने राजनीतिशास्त्र के अध्ययन को यद्यपि एक नया दृष्टिकोण दिया है तथापि यह दृष्टिकोण भी अनेक कमियों का शिकार है। उदाहरणार्थ, ईस्टन इस समस्या का समाधान करने में सफल नहीं हुआ कि 'राजनीतिक' को 'प्रराजनीतिक' से कैसे भलय किया जाए। इस बात के निर्धारण में भी भ्रम होता है कि किसी नीति के आधिकारिक ग्रावटन से केवल कोई समूह-विशेष ही प्रभावित हो रहा है अथवा समूर्ण समाज। यह निश्चित करना भी कई बार बड़ा कठिन है; जाता है कि एक नीति-विशेष का उद्गम कोई वैध अधिसत्ता है अथवा नहीं।

(ग) राजनीतिशास्त्र नीति-निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन है—अनेक आधुनिक लेखकों का ग्राहण है कि राजनीतिशास्त्र में अध्ययन का केन्द्र-बिमु नीति-निर्माण प्रक्रिया होनी चाहिए। राजनीतिशास्त्र का एक प्रमुख भाग स्पष्टतः नीति-निर्माण कार्य से सम्बन्धित है। इसमें उन अनेक अभिकरणों और साधनों का अध्ययन किया जाता है जो कि नीति स्थापित करते हैं। इस दृष्टि से राजनीतिशास्त्र व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सभी प्रशासकीय कार्यों तथा मतदाताओं का अध्ययन करता है। इसमें राजनीतिक दलों के सुगठन, प्रक्रिया, सरकारी क्रियाओं के विभिन्न परिणामों आदि पर विचार किया जाता है। राज्य की विविध संस्थाएँ वया नीति अपनाएँ और उन नीतियों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए, इस सम्बन्ध में राजनीतिशास्त्र विस्तार से विवेचन करता है। नीति-निर्माण-प्रक्रिया के अध्ययन पर ग्राहक का विचार नि.सन्देह उपयोगी है, तथापि इस दृष्टिकोण में एक बड़ी कमी यह रह जाती है कि इस बात का पता लगाने का प्रयत्न नहीं किया जाता कि जिस समस्या के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा रहा है, समाज के सन्दर्भ में उसका महत्व वया है और समाज पर वया प्रतिक्रिया होगी। कुल मिलाकर नीति-निर्माण की प्रक्रिया राजनीति का एक सीमित रूप है और केवल उसी के अध्ययन से हम महत्वपूर्ण राजनीति का अध्ययन नहीं कर सकते।

(घ) समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन—कुछ विद्वानों के मतानुसार राजनीतिशास्त्र समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन है। समाज में मूल्य और साधन सीमित हैं, प्रतः उनके वितरण के प्रश्न पर विवाद और सघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं, मत-विभिन्नता चलता रहता है। जहाँ कहीं समस्या उत्पन्न होती है वहीं तनाव की राजनीति शुरू हो जाती है। तनाव की यह राजनीति न केवल राजनीतिक दलों विहित विभिन्न व्यक्तियों और समूहों तक फैलते जाती है। समाज में जो कुछ उपलब्ध और प्राप्य है उसके वितरण की समस्या को लेकर व्यक्तियों, समूहों, दलों, शासन सभी क्षेत्रों में अभिनेता राजनीतिक मत पर उदय और वित्तीन होते रहते हैं।

वितरण सम्बन्धी सधर्य की राजनीति चलती ही रहती है और इसी धाधार पर प्रो. दायक ने सार्वजनिक समस्याओं पर परस्पर विरोधी मतों और इच्छाओं वाले पात्रों के सधर्य को राजनीति कहा है। पीटर ग्रोडीगार्ड का मत कुछ भिन्न है। तदनुसार सभी सधर्य तब तक राजनीतिक नहीं माने जा सकते जब तक कि उनका उद्देश्य यह न हो कि सधर्य के बाह्य तत्त्वों पर नियन्त्रण किया जाए।

सारांशतः, राजनीतिक विज्ञान राज्य, समाज, सरकार और व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों का एक अवद्ध और सशिलष्ट प्रध्ययन है। इसमें राज्य और सरकार के साथ ही एक राजनीतिक इकाई के रूप में मानव जाति का प्रध्ययन किया जाता है। समकालीन राजनीतिक विचारकों (Contemporary Political Thinkers) के घनुसार राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीति का व्यवहार, सामूदायिक जीवन के विविध राजनीतिक पक्ष प्रादि राजनीतिक विज्ञान की विषय सामग्री हैं। कैटलिन के मतानुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय समठित मानव समाज से सम्बन्धित है, किन्तु मुख्यतः वह सामूदायिक जीवन के राजनीतिक घटनाओं का प्रध्ययन करता है। लॉसवेल, मेरियम, पैक्स, वेबर, बाटकिन्स, मार्टिनो ग्रादि विद्वान व्यक्ति को राजनीति में केन्द्रीय व्यवहारणा अथवा सकल्पना मानते हैं। रॉम्सन के घनुसार यहि एक ऐसी धाधारभूत सकल्पना है जो राजनीतिक विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र पे धिरो देती है। कुछ समकालीन विचारक अब राजनीति विज्ञान में नीति सम्बन्धी पक्ष पर प्रधिक बल देने लगे हैं और इसलिए विगत कुछ काल से नीति-निर्धारण की प्रक्रिया विशेष का प्रध्ययन होने लगा है। प्राचीन और प्रवाचीन परिभाषाओं एवं व्याख्याओं के प्रकाश में व्यापक रूप में राजनीति विज्ञान को हम राज्य, ज्ञासन और राजनीतिक प्रक्रियाओं का प्रध्ययन कह सकते हैं।

### व्यवहारवादी कानूनि (The Behavioural Revolution)

पिछले कुछ दशकों में—विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद— सरकार तथा 'राजनीति' के प्रध्ययन में व्यवहारवादी प्रध्ययन-पद्धति को प्रधिक महत्व दिया गया है। यह प्रध्ययन-पद्धति वर्तमान शातान्दी की एक महत्वपूर्ण देन है जिसे विकसित करते का थेय अमेरिकी राजनीति-वेज़ानिकों को है। व्यवहारवाद परम्परागत राजनीतिशास्त्र की उपलब्धियों के प्रति असन्तोष वा कल है। व्यवहारवादी ग्रान्डोलन राज्य और राजनीतिक समस्याओं की परिधि से बाहर मानव-व्यवहार को राजनीतिशास्त्र का प्रध्ययन केन्द्र-विन्दु बनाए जाने पर बल देना है। व्यवहारवादियों के घनुसार जो भी समाज विज्ञान है उनका प्रेरणा-स्रोत और उनके प्रध्ययन का केन्द्र-विन्दु मानव-व्यवहार है और राजनीतिशास्त्र सामान्यतः मानव व्यवहार के राजनीतिक घटना का प्रध्ययन है। राजनीतिक विश्लेषकों की परम्परागत विश्लेषण पद्धतियों ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक, ग्रीष्मकारिक, वंधानिक एवं सम्पादन हैं उनकि इन पद्धतियों वे परिणामों से निराग व्यवहारवादी राजनीतिशास्त्री विश्लेषण की ऐसी नवीन पद्धतियों पर बल देते हैं जिनके द्वारा राजनीतिक पटाखों का प्रेक्षण

और परीक्षण कर राजनीतिशास्त्र के अन्तर्गत अनुभवजन्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जा सके। इस कार्य को पूरा करने के लिए वे अन्य समाज-विज्ञानों से सहायता लेने के पक्ष में हैं। व्यवहारवादी ग्रान्टोचर के फलस्वरूप राजनीतिशास्त्र के सिद्धान्त इसकी अध्ययन पढ़तियाँ, प्राप्तियाँ और दृष्टिकोण अन्य समाज-विज्ञानों (मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि) के बहुत निकट था गए हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण 'अनुभवात्मक और प्रकायत्मक' (Empirical and Functional) है, यह राजनीति विज्ञान को सत्यागत, कानून और दार्शनिक सीमा में नहीं मानता। व्यवहार पक्ष पर ध्यान सकेन्द्रित करने के कारण यह एक अन्तर-सांस्कृतिक दृष्टिकोण है अथवा ऐसा उपागम है जो दूसरी अनुशासनात्मक व्यवधारणाएँ, सिद्धान्तों और दृष्टिकाणों को अपनाकर अन्तर-अनुशासनात्मक शोध को आगे बढ़ाना चाहता है। परन्तु राजनीतिशास्त्र के विपरीत यह राज्य-विज्ञान को भाँति के वैज्ञानिक और व्यवहारिक बनाने का मार्गांकी है। अनुभवात्मक और प्रकायत्मक होने के फलस्वरूप इनमें व्यक्ति-विष्ट भूल्यों, मानकीय विवरण, कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। वैज्ञानिक परिशुद्धता, प्रेक्षण या अवलोकन, सत्यापन, परीक्षण, परिमाणन तथा प्राक्कल्पना व्यवहारवाद के मुख्य आधार हैं जिनकी सहायता से व्यवहारवादी राजनीति के महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या करना चाहते हैं। व्यवहारवादी राजनीतिशास्त्री ऐसे सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिपादन के पक्ष में हैं जो जीवन की वास्तविकताओं पर प्राप्तिरित हैं और जिनका उपयोग वर्तमान और भावी राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन में किया जा सके।

व्यवहारवाद के अधंके बारे में कोई समान दृष्टिकोण नहीं पाया जाता। कुछ व्यवहारवादियों के अनुसार यह केवल एक मनोदशा (Mood) अथवा मनोवृत्ति (Attitude) है तो कुछ अन्य विद्वानों की दृष्टि में इसके अपने कुछ निश्चित विचार और सिद्धान्त हैं तथा कुछ निश्चित कार्य-विधियाँ हैं। डेविड ईस्टन ने इस दृष्टिकोण को 'वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिविष्ट' कहा है। उन्होंने इसे बौद्धिक प्रवृत्ति एवं 'तथ्यात्मक शंक्षणिक आदोलन' (Concrete Academic Movement) घोषित किया है तथापि किंकर पैट्रिक का यह मत वर्तमान परिस्थितियों में स्वीकार्य है कि अब यह पद (व्यवहारवाद) ऐसा नहीं रह गया है जिसका मनचाहा अर्थ लगा लिया जाए। अब यह शब्द बहुत कुछ निश्चित हो चला है और राजनीतिक जीवन के अध्ययन हेतु इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत आने वाली पूर्व धारणाओं, क्रिया-विधियों, तकनीकों और लक्षणों को पहचानना सम्भव है।

सारभूत रूप में, व्यवहारवाद एक समग्र कान्ति है जो कि राजनीतिशास्त्र अथवा इसकी अन्य शाखाओं की दुनिया को व्यवहारवादी चश्मे से देखती है। उदाहरणार्थ, 'लोक-प्रशासन' को ही लें तो इसके अध्ययन में व्यवहारवादियों के अनुसार विशेष बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि प्रशासनिक संगठन में मानवीय व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है और विभिन्न प्रकार के संगठन किस प्रकार अपनी गतिविधियों संचालित करते हैं। व्यवहारवादियों का दावा है कि

विभिन्न प्रकार के सगठनों में मानवीय व्यवहार और आचरण का निष्पक्ष परीक्षण तथा प्रध्ययन सम्भव है। व्यवहारवादियों का यह तक है कि प्रशासनिक सगठनों की व्यावहारिक गतिविधियों का सावधानीपूर्वक प्रध्ययन करके प्रशासन और मण्डन के बारे में निश्चित रूप से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

### व्यवहारवाद की मूल मान्यताएँ

वास्तव में व्यवहारवादी दृष्टि को मूल मान्यताएँ चार हैं जिनका ईस्टन, डहल, केंटलिन प्रादि राज्यशास्त्रियों ने विस्तार से विवेचन किया है—

(1) व्यवहारवादी यह मानते हैं कि प्रध्ययन की इकाई (Unit of Conceptualisation) जब तक यह बहुत बड़ी (Macro) है तब तक प्रध्ययन गहन नहीं बन सकते। अत इस विश्लेषण की विशेषीकरण की दृष्टि से तोड़कर 'लघुता' (Micro) की इकाईयों में परिवर्तित किया जाए। उदाहरणार्थ किसी भी भौमकाय प्रशासकीय या राजनीतिक सगठन का दर्णन करने के साथ-साथ यदि यह भी पढ़ा जाए कि इस सगठन में परिवेशण प्रक्रिया किन-किन तर्फ से बाधित होती है तो प्रध्ययन प्रधिक सार्थक और उपयोगी होगा। व्यवहारवादी दृष्टि ने छाटे-छोटे विषयों पर गम्भीर प्रध्ययन और विश्लेषण को प्राथमिकता दी है।

(2) व्यवहारवादी दृष्टि प्रध्ययनों वाले वैज्ञानिकता की बहुत बड़ी पक्षधर है। राजनीति में एक वैज्ञानिक बौद्धिक उद्यम है जिसकी प्रध्ययन-विधियों में यह आवश्यक है कि अवधारणाएँ एवं निष्कर्ष स्थायी, निश्चित तथा सांवेदीक बन सकें। व्यवहारवादियों के मनुसार वैज्ञानिक प्रध्ययन विधि को बड़ी कठोरता से अपनाया जाना चाहिए, चूंकि यह ज्ञान को गहराई, सच्चाई और निष्पक्षता से परीक्षित कर विश्वसनीय बनाती है। इस दृष्टि से व्यवहारवादी निरीक्षणवादी, मनुभववादी और प्रयोगवादी शोषकता है।

(3) व्यवहारवाद चाहता है कि ज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से सचित एवं सुरक्षित यह ज्ञान भण्डार एक सन्दर्भ विशेष को ध्यान में रखकर भागे बढ़ाया जाए। दूसरे शब्दों में इस ज्ञान की समग्रता और सच्चाई इस पर निर्भर करेगी कि वह ज्ञान के मन्य पहलुओं से कितना सम्बन्धित है। उदाहरण के निए राजनीतिशास्त्र के विषय में या गण-विज्ञान के बारे में कोई भी निष्कर्ष इस सन्दर्भ में परीक्षित किया जाना चाहिए कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र प्रादि मन्य प्रध्ययन क्षेत्रों में बहुत रहे मनुसन्धान उसे कितना स्वीकार्य मानेंगे। स्पष्ट शब्दों में, व्यवहारवादी दृष्टि प्राथम निर्भरता और पन्तर-प्रध्ययन ज्ञानों की एक सम्बन्धित दृष्टि है। यह राजनीति, विज्ञान की बहु-दृष्टि प्रयोग पन्तर-प्रनुकाशनीय (Inter disciplinary) प्रध्ययन मानती है, पर साथ ही एक स्वतन्त्र और स्वशालित विज्ञान भी।

(4) व्यवहारवाद एक मनुभव मूलक मिदान वा प्रणयन बरना चाहता है। मनुभव, निरीक्षण प्रयोग, सन्दर्भ ज्ञान, परिस्थिति, विवेचन प्रादि के प्राप्तार पर सम्पूर्णता वा गहनता से विश्लेषण करने वाल व्यवहारवादी यह मानव बलत

है कि राजनीतिशास्त्र एक स्वतन्त्र अध्ययन विज्ञान के रूप में मपनी स्वतन्त्र विचारधाराएँ विकसित या प्राविष्ट कर सकता है।

### व्यवहारवाद का उदय और विकास

राजनीतिक वित्तन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताधो के यत्न-तत्र प्रत्यग प्लेटो और प्रस्तुत के समय से ही मिलते हैं, लेकिन एक सिद्धान्त के रूप में व्यवहारवाद वर्तमान शास्त्री की उपज है। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त व्यवहारवादी चिंतन का तेजी से विकास हुआ और आज, जैसा कि व्यवहारवादियों का दावा है, व्यवहारवाद एक पूर्ण विकसित अध्ययन-पद्धति है। आधुनिक रूप में व्यवहारवाद के उदय के मूल में प्रनेक कारण उत्तरदायी रहे हैं जिनमें कुछ प्रमुख ये हैं—

(1) प्रनेक राजनीतिशास्त्रियों को परम्परागत राजनीतिशास्त्र की अध्ययन-पद्धतियों के परिणामों से निराशा हुई। परिणाम निराशापूर्ण इस प्रथे में समझे गए कि वे जीवन की वास्तविकताओं का स्पष्ट और न्याय संगत चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। परम्परागत राजनीतिशास्त्र की अध्ययन-पद्धति दैज्ञानिक भ नहोने से परिणामों को निश्चित रूप में व्यक्त न करके सम्भावनाओं के रूप में व्यक्त किए जाने की प्रवृत्ति अधिक रही।

(2) अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग की प्रवृत्ति से राजनीतिशास्त्र का अवृत्ता रहना सम्भव न था। राजनीति शास्त्री इन नवीन अध्ययन पद्धतियों की ओर आकर्षित हुए। चाल्स मेरियम ने सन् 1925 में 'मेरियम पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन' की बैठक में प्रपने पद्धतिशीय भाषण में स्पष्ट रूप से कहा—“अन्य विज्ञानों की भाँति किसी दिन हम ओपचारिक दूषिकोण के स्थान पर नवीन दूषिकोण अपना सकते हैं और राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक सोबतीन या ग्रन्डेषण का आवश्यक विषय बन सकता है।” चाल्स मेरियम के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय अनुभववादी प्रान्दोलन का केन्द्र बन गया।

(3) सन् 1930 के लगभग मेरिका में यनेक यूरोपीय द्वाव आए और वे प्रपने साथ समाजशास्त्रीय मूल्मिका लाए। जब इन द्वावों ने समाजशास्त्रीय विधिये द्वारा राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन प्रारम्भ किया तो व्यवहारवाद की लोकप्रियता बढ़ने लगी। मैक्स वेबर आदि समाजशास्त्री पहले से ही व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग कर रहे थे और भव इन द्वावों—विशेषकर जर्मन द्वावों के कारण व्यवहारवादी अध्ययन-पद्धति को बहु मिला।

(4) मेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में राजनीतिशास्त्र और समाज शास्त्र के अध्यक्ष पद पर कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे जिन्होने राजनीतिक समस्याओं के समझने के लिए समाजशास्त्रीय एव मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर विशेष बल दिया कालं मार्क्स, दुर्लभ, फायड, परेटो, मोस्का, वेबर आदि के विचारों की ओर राज विज्ञान के द्वावों का ध्यान आकर्षित किया जाने लगा। फेंज न्यूमैन, सिगम न्यूमैन, पाल लेजसफेल्ड, हेन्स स्पीयर, हेस गर्यं, रिनहूं बेनडिक्स आदि ने राजनीति शोष को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया।

(5) द्वितीय महायुद्ध ने व्यवहारवाद को यति प्रदान की। महायुद्ध की इच्छाओं के फलस्वरूप अमेरिका में राजनीतिशास्त्रियों का ध्यान परम्परागत सिद्धान्तों प्रीत और मूल्यों से हटकर दैनिक राजनीतिक एवं प्रसासकीय परिवर्तनों को प्रीत भाक्षित होने लगा। कल्पना प्रीत विन्तन की दुनिया में विचरणे के स्थान पर जीवन की वास्तविकताओं का समझे पर बल दिया जाने लगा। सकटकाल में राज्यमति, फौजें, उद्योग व्यापार आदि का किस तरह का व्यवहार रहा, इस्तेवरूप राज्य को ऐसा उपलब्धियाँ हासिल हुई आदि वातें प्रध्ययन का मुख्य विषय नहीं। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीतिशास्त्रियों के मन में यह बात बैठा दी कि अदि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को समझना है तो सस्याओं प्रीत उनकी सरकारों के प्रध्ययन की सीमा से भागे बढ़कर उन सस्याओं के व्यवहार का, सस्याओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का प्रध्ययन करना होगा।

(6) द्वितीय महायुद्ध के बाद के दशकों में राजनीतिशास्त्र के दोनों द्विकाविक दिस्तार-के साथ विद्वानों के मन में यह बात घर करती गई कि राजनीतिशास्त्र में नवीन प्रध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। यह मान लिया गया कि राजनीतिशास्त्र का प्रध्ययन केवल राज्य प्रीत सरकार वी सरकारों पर उनके कामों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके प्रन्तर्गत उन घोषचारिक तथा घनीरचारिक मण्डलों, सरकारों भूमिकाओं, दृष्ट-प्रदृश्य क्रियाओं, प्रेरकों, उद्दीपकों, मूल्यों, समूहों आदि का प्रध्ययन भी सम्मिलित है जिन्हें परम्परावादी राजनीतिशास्त्री महत्व नहीं देते, प्रीत राजनीतिशास्त्र के विषय-दोष से भलग मानते हैं। राजनीतिशास्त्र में नवीन प्रध्ययन पद्धतियों के अपनाएं जाने का दूसरा घर्य यही है कि व्यवहारवाद का पोषण किया जाए।

(7) वर्तमान शान्तिकी में राजनीतिशास्त्र में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को व्यापक बोने का प्राथमिक घर्य प्रार्थन एक बैन्टले प्रीत याहूम बैलास को जारा है। इस दिशा में प्रगति की रफतार तब तेज हुई जब चाल्स मेरियम ने सन् 1925 में, 'द्यु प्रासेक्ट्स आंफ पॉलिटिक्स' पुस्तक लिखकर शिक्षागो स्कूल का उद्याटन किया। तिकागो स्कूल प्रन्तर विषय प्रध्ययन-पद्धति प्रीत स्कूल पनुभववन्य प्रध्ययन का समदक है। शिक्षागो स्कूल व्यवहारवाद वा प्रमुख गढ़ बन नया प्रीत इसके बाद प्रनेन तिजो सस्याओं ने करोड़ो डॉलर मामारिक विज्ञानों के विकास पर व्यय करके व्यवहारवादी दृष्टिकोण को भारी लोकरियता प्रदान की। सॉलिवेल, गोसेनेल, देहनटन, हेरिंग प्रादि ने व्यवहारवादी पद्धति के साहित्य में उल्लेखनीय दृष्टि की। डेपिट ईस्टन का योगदान महत्वपूर्ण रहा प्रीत वालकर व्यवहारवाद में प्रमिनव अन्नि—उत्तर व्यवहारवाद—का भी उद्घोषक वही बना। व्यवहारवादियों में ही तार ही के बापों म एक नए गुट का उदय हुआ जिनका तर्फ है कि व्यवहारवाद के प्रन्तर ज्ञान-परिणाम प्राप्त बहुत दिनमें से प्राप्त होते हैं प्रीत जब तक प्राप्त होते हैं तब तक उनका महत्व बहुत कुछ समाप्त हो जाता है, पर इस स्थिति न परिवर्तन साया जाना चाहिए। उत्तर-व्यवहारवाद के नाम ये विर-

मान्दोलन व्यवहारवादी कटूरवाद पर एक सीधा प्रहार है। इस पर पृथक् मे 'उत्तर-व्यवहारवाद' नामक शीर्षक में प्रकाश आता गया है।

**व्यवहारवाद के बाद कुछ प्रमुख लेखक**

व्यवहारवादियों की सूची तो काफी लम्ही है किन्तु इसके प्रमुख प्रतिपादकों में आंदर बैन्टले, चाल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, सॉसबेल आदि हैं।

**आंदर बैन्टले—**व्यवहारवादी राजनीतिशास्त्र की आधारशिलाएँ रखने में जिन व्यक्तियों का योगदान रहा उनमें आंदर बैन्टले और चाल्स मेरियम सबसे महत्वपूर्ण हैं। सन् 1908 में बैन्टले की 'दी प्रारंभ अॉफ गवर्नमेंट' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें उसने विभिन्न प्रकार की पढ़तियों में मानव व्यवहार के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करने पर बल दिया। उसने लिखा कि राजनीतिशास्त्र का केन्द्र-विद्यु व्यक्तियों तथा समूहों का पारस्परिक सम्बन्ध और उससे उत्पन्न प्रक्रियाओं को भाना जाना चाहिए। बैन्टले ने कहा कि राजनीतिक प्रक्रियाओं की विशेषताओं को जानने और समझने का सबसे मजब्दा साधन समूहों का अध्ययन और अवलोकन है, हम लिखिन सविधानों और विधियों के अध्ययन मात्र से राजनीति का वास्तविक अध्ययन सही जान प्राप्त नहीं कर सकते। राजनीति को सभी अध्यों में समझने के लिए आवश्यक है कि हम इस बात का भी अध्ययन करें कि उन सविधानों अध्ययन के प्रति आवाहिक जीवन में उन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ हैं जिनके लिए कि उनका निर्माण किया गया है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि निर्वाचन नियम बढ़े जाएँ अथवा निर्वाचन नियमों के अनुसार निर्वाचन कराए जाएँ जितनी कि यह जामकारी कि निर्वाचित निकाय किस प्रकार कार्य करते हैं, और निर्वाचन में जनता का व्यवहार कैसा रहा है।

**चाल्स मेरियम—**राजनीतिशास्त्र के शिकायों स्कूल के जनक चाल्स मेरियम को व्यवहारवादी राजनीतिशास्त्र के बोडिक धर्म पिता (Intellectual God-Father) की सज्जा दी जाती है। मई, 1921 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में चाल्स मेरियम का एक निबन्ध 'दी प्रेजेन्ट स्टेट अॉफ दी स्टेटी अॉफ पॉलिटिक्स' प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, भूगमंशास्त्र, सौस्थियकी आदि में विकसित पढ़तियों को राजनीतिशास्त्र में अपनाने पर जोर देने की वकालत की। सन् 1925 में मेरियम की राजनीति के नए सन्दर्भ (New Aspects of Politics) नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए लगभग बैसे ही लक्ष्यों, पढ़तियों और तकनीकों को अपनाने पर बल दिया जो व्यवहार-विज्ञान के लिए आवश्यक मानी जाती है। इसी दर्शन मेरियकन पॉलिटिकल साइंस एसोसियेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में मेरियम ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रवश्यम्भावी विकास की पार सकेत किया। उन्होंने पूरी मात्रा प्रकट की कि निरुट भविष्य में ही राजनीतिशास्त्री अन्य विज्ञानों के समान राजनीतिशास्त्र में भी स्थान देये और राजनीतिक व्यवहार को अपने अनुसन्धान का एक आवश्यक तथ्य स्वीकार करें।

‘प्रपत्नी’ राजनीति के नए सम्बद्ध मुस्तक के प्रथम घटाय में ही राजनीति के ग्रन्थयन की तत्कालीन स्थिति पर गहरा घसन्दोष व्यक्त करते हुए चाल्स मेरियम ने लिखा—“प्रमुखतः राजनीतिक कार्यविधि अभी भी बुरी तरह बुटिपूण है। सर्वाधिक सुसज्ज विद्या स्थान के सर्वाधिक सुसज्ज शोधकर्ता को ऐसी यन्त्रावली मुश्किल से उपतङ्ग है जो सर्वश्रेष्ठ वकील को अपने दफतर में, या सर्वश्रेष्ठ प्रभियन्ता को, या वडे निगम के विशेषज्ञ को, या आलिंगन-मण्डल के सचिव को, या अमलगमेटेड क्लोदियज के शोभ-दिभाग को, उपलब्ध यन्त्रावली के समकक्ष हो। सच तो यह है कि उसके दास प्रयोगशाला के उपकरण हैं ही नहीं, प्रौर यह आशय की बात है कि व्यापक समठन के इस युग में, वह जब हमारी सम्यता के इस विशेष लक्षण की भी विवेचना करता है, तब भी उपकरणों से रहित अकेला ही धर्म करता रहता है। इस दृष्टि से तथाकृति ‘पाकुतिक’ विज्ञानों ने—जिनका विशेषण ‘प्राकृतिक’ अब बहुधा हटा दिया जाता है—जिन्हे शोष कार्य की सुविधाएं तथा कार्यकर्ता कही ग्राहिक सुलभ हैं, राजनीतिक एव सामाजिक विज्ञानों को सामान्यत बहुत पीछे छोड़ रखा है।” मेरियम ने इस बात पर शोभ प्रकट किया कि “राजनीतिक सम्बन्धों की व्यावहारिक कार्य-विधि से सम्बन्धित सामग्री का यथोचित रूप से पूरण तथा तात्कालिक सकलन अधिकृत्या अगठित और वैज्ञानिक स्थानों के स्थान पर बहुधा प्रचार के ग्राहिकरणों द्वारा, केवल अनियमित रूप से ही संयोजित हुआ। राजनीति के ग्रन्थयन को एक गम्भीर मोड़ देने का आमन्त्रण देते हुए मेरियम ने राजनीति के ग्रन्थयनाओं के लिए शोष-माध्यनों की सुलभता पर बल दिया। उन्होंने लिखा—

“गदि इन ग्रन्थयनाओं को, समय-समय पर उठने वाले विषयों पर विशेषज्ञ-आयोगों द्वारा सम्पादित सर्वांगीण शोष कार्य के लिए आवश्यक साधनों से सजित कर दिया जाए, तो उन पर आधारित प्रमाणसिद्ध गवेषणाएं और सुचिन्तित निष्कर्ष बहुत उपयोगी लिद्द हो सकते हैं। व्यावहारिक प्रनुभव और प्रेक्षण इस निष्कर्ष की प्रौर नहीं ले जाते हैं कि जाता, या समीक्षा स्थाएं, या प्रशासकीय ग्रन्थिकरण, व्ययना के साथ राज-विज्ञान के स्थानों की घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किन्तु दूसरी ओर यही प्रनुभव और प्रेक्षण यह अवश्य इनित करते हैं कि यनके ग्रन्थसरों पर ये स्थानों उसी सूचना, विशेषण और राजनीतिक विज्ञान के प्रयोगात्मक निष्कर्षों का स्वामत करेंगे जो वरन् इमी प्रचार के गम्भीर वृत्तिक सबठन प्रदान कर सकते हैं।”

“सामान्य रूप में सामाजिक विज्ञान की पढ़नियों की ही भाँति, राजनीति की पढ़नियों को भी मवीकरण और मजापन की निरन्तर आवश्यक रहती है ताकि वह ऐसी होटि के मन्तरेन धाने से बच सकें, जो न नो वैज्ञानिक शास्त्र है और न ही व्यावहारिक राजनीति।”

मेरियम ने प्रश्न किया कि—“वह हम राजनीतिक पनुष्य, राजनीतिक व्यक्तित्व, उसकी उत्पत्ति, पर्यावरण, प्रतिक्रिया, प्रनुकूलन प्रौर प्रतिक्षण की

विद्याप्रो, उन समूहों जिनका वह थग है, तथा जटिल राजनीतिक प्रक्रिया सम्बन्धी अपने अध्ययन को इस सीमा तक नहीं बढ़ा सकते कि राजनीति सम्बन्धी पूर्व धारणाप्रो को कहीं अधिक सुनिश्चित तथ्यपूर्ण आधार दिया जा सके, और व्यावहारिक विज्ञता को राज्य की समस्याओं से बरतने में कहीं अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सके?"

पुस्तक में चाल्स भेरियम ने राजनीतिशास्त्र के नए सन्दर्भों, नए आयामों की ओर सकेत किया और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण सुभव प्रस्तुत किए। नवराजनीति के मूल आधारों, 'राजनीतिक विन्तन' के अभिनव इतिहास, राजनीति और मनोविज्ञान तथा राजनीति तथा सौम्यिकी के सम्बन्ध पर उन्होंने अलग-अलग अध्याय लिखे। पुस्तक के अन्तिम अध्याय में राजनीतिक शोध कार्य की आवश्यकता पर बल देते हुए भेरियम ने लिखा—

"जिस नवराजनीतिक जगत में हम तीजी से प्रवेश कर रहे हैं उसके लिए माध्यमिक राजनीतिक शिक्षा और वद्यस्क राजनीतिक दिवेक का गठन, दोनों ही मौलिक महत्व के हैं। परन्तु इन दोनों के लिए अधिक प्रभावकारी राजनीतिक शोध-कार्य के सूचन की दिशा में आनंदोलन ही वास्तव में मौलिक है।" ऐसे विज्ञान के क्षेत्र और प्रविधि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव पहले व्यक्त किए जा चुके हैं, फिर भी इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में जो कदम सम्भव लगते हैं उनमें से कुछ को यहाँ इंगित करना कदाचित उपयोगी होगा। इन्हे 'संक्षेप में निम्नलिखित ढंग से दुहराया जा सकता है—

- (1) राजनीतिक सूचना का अधिक पूर्णता के साथ गठन।
- (2) राजनीतिक प्रेक्षण का अधिक पूर्णता के साथ गठन।
- (3) जनगणना, सौम्यिकी और मनोविज्ञान द्वारा विकसित किए गए सामाजिक प्रेक्षण के उपकरणों का व्यापकतर प्रयोग।
- (4) सम्बन्धित विज्ञानों के तत्त्वों का नवराजनीति में समावेश।
- (5) नियन्त्रित राजनीतिक समूहों द्वारा प्रयोग का विकास।
- (6) शासनों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों और सम्भवत राज-विज्ञान की स्थापनों द्वारा गहन राजनीतिक शोध-कार्य का गठन।

भेरियम ने यह विश्वास प्रबंध किया कि नवराजनीति में सौम्यिकी और मनोविज्ञान का पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक प्रयोग हाना। पुस्तक के इसी अध्याय में उन्होंने आगे लिखा—"राज-विज्ञान को विज्ञता या सूचनाओं अधिक सम्भवों के प्रादान-प्रदान के आधार की अपेक्षा अधिक मौलिक माधार पर सड़ा करना होगा। उसकी नीव राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन पर होता मानवशक है जिससे सम्पादों का निर्माण तथा उनके बाह्याकारी गत उनकी कार्य-विधि का बहुंन होता है। राजनीति में मूलभूत मादनों, विशेषकों, वित्तवृत्तियों, प्रवृत्तियों का जिन पंर राजनीतिक कर्म माधारित हैं, गहन मध्यवन सम्मिति है। उसमें इन प्रवृत्तियों की क्षियाओं तथा अन्यान्य क्रियाओं, प्रेरणाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का,

उनकी सक्ति, स्थापित्व, सीमाओं प्रीर विविधताओं उनके सम्भव, उनकी अनुकूलनीयता तथा उनकी गिरणीयता का अध्ययन समाविष्ट है। इसके लिए केवल व्यक्ति का अध्ययन ही नहीं बरन् उस समूह या उन समूहों का भी अध्ययन आवश्यक है जिसका वह भग है। राजनीतिक जगत की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का अधिक गहन ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से हमें या तो व्यक्तियों के आचरण एवं विशेषकों का या किर व्यक्तियों के समूहों के आचरण एवं विशेषकों का परीक्षण करना होगा।” मेरियम ने यह आशा प्रकट की कि निकट भविष्य में ही “आदेश एवं आज्ञानालन की आदत का, तथा अनुपानन के नेतृत्व के बिंद्रोह के या अपालन के विशेषक, वा अध्ययन करना सम्भव हो सकेगा। गजनीनिक धूएं प्रीर पूर्वांगन, भक्तियों प्रीर अनुरक्तियों का अध्ययन सम्भव हो सकता है। राजनीतिक मनोवैज्ञानिक देव तत्त्वों का अध्ययन महत्वपूर्ण फल प्रदान कर सकता है।” मनोवैज्ञानिक के अध्ययन के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए मेरियम ने लिखा है कि “कुछ दृष्टियों से राजनीति को मनोवैज्ञानिक विज्ञान या उसकी कला माना जा सकता है, वरन् सामजिक की तथा राजनीतिक जगत में रहने वाले व्यक्तियों प्रीर समूहों में सद्भावनाओं के उद्दीपन की इम प्रक्रिया या कोई विशिष्ट अध्ययन वैज्ञानिक ढंग पर कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभी तक राजनीतिक अन्वेषकों ने इसकी सम्भान्दिताओं को स्पष्ट तक नहीं किया है, जबकि यह प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। संन्य मनोवैज्ञानिक के रोचक अध्ययन किए गए हैं और वस्तुत प्रत्येक संभ्य शिक्षा संस्था के पाठ्यक्रम का यह भग है। राज्य कर्मचारियों के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी ये विषयाएँ करना सम्भव हो सकेगा प्रीर निश्चय ही यह आशनर्यं वी बान है कि वह कार्य पहले ही क्यों नहीं किया गया। यहाँ हमें मनोचिकित्सक और मनोविज्ञानी दोनों ही की सहायता लेनी चाहिए।”

चाल्स मेरियम के विचारों का भारी प्रभाव पड़ा। उन् 1925-31 के दीन शिक्षाविद्यालय का राजनीतिशास्त्र विभाग व्यवहारदादी अध्ययन का बड़ा केन्द्र बन गया। लॉसवेल, वी. प्रो. की, ट्रूमैन, हवर्ट संगठन आमण्ड प्रादि विद्वानों ने मेरियम से प्रेरणा प्रहरण की और राजनीति शास्त्र को व्यवहार विज्ञान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मूलिका प्रदा की। शिक्षाया के बाटूर मी इस नए दृष्टिकोण का तंत्री से विस्तार हुआ।

**ईविड ईस्टन**—प्राधुनिक राजनीतिशास्त्रिया में निःइ ईस्टन ना स्थान प्राप्तगयी है। ईस्टन का इस शास्त्र को आवाज दिशिष्ट प्राप्तान है। ईस्टन के कुछ प्रमुख विचारों का ही यहाँ हम उल्लेख करेंगे।

(क) ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद को विसेषताएँ ईविड ईस्टन ने चाल्समर्यं द्वारा सम्पादित पुस्तक Contemporary Political Analysis में दरने एक निःन्यत ‘The Current Meaning of Behaviouralism’ में व्यवहारदादी आवार्दी विशेषताओं प्रादि से इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

1 David Eason, “The Current Meaning of Behaviouralism in Charlesworth’s Contemporary Political Analysis”, p. 16.

**1 नियमितताएँ (Regularities)**—राजनीतिक व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण प्रौर घन्बेषण योग्य समानताएँ पाई जाती हैं जिन्हें व्याख्यात्मक और पूर्व-कथनीयता के लिए हम सामान्यीकरणों परवा सिद्धान्तों के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं।

**2 सत्यापन (Verification)**—मानव-व्यवहार के सन्दर्भ में इस प्रकार के सामान्यीकरणों की प्रामाणिकता का परीक्षणीय होना आवश्यक है।

**3 प्रविधिया (Techniques)**—आधार सामग्री (Data) को प्राप्त करने और उनको व्याख्या करने के साथनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता। आधार सामग्री समस्या मूलक होती है परिशुद्ध नहीं होती, यह यह निरान्त आवश्यक है कि उसे सावधानीपूर्वक शुद्ध और परीक्षित किया जाए तथा प्रामाणिक बनाया जाए। एक परिशुद्ध प्रविधि या तकनीक ही समुचित परवेशण, सदृश तथा विशेषण का आधार बन सकती है।

**4 परिमाणीकरण (Quantification)**—जहा कही तस्यो वी स्पष्ट बना आवश्यक हो वहाँ आंकड़ों के सब्रह, शोष-परिणामों और कथनों वी अभिव्यक्ति के लिए मापन तथा परिमाणीकरण की प्रक्रियाओं का सहारा निया जाना चाहिए।

**5 मूल्य (Values)**—स्पष्टता के लिए यद्यपि नैतिक मूल्यांकन और प्रनुभवबादी स्पष्टीकरण को ग्रलग रखा जाना उचित है तथापि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में उहे ग्रलग रखना अनिवाय नहीं है। इह ग्रलग भी रखा जा सकता है और भिलाया भी जा सकता है किन्तु इन्हे समझ मानन से अवश्य बचना चाहिए और इस सम्बंध में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अध्येता को निजी मूल्यों को भी स्पष्ट तथा अध्ययन से दूर रखना चाहिए।

**6 क्रमबद्धीकरण (Systematization)**—यह आवश्यक है कि शोष क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो। सिद्धान्त और शोष व्यवस्थित ज्ञान से ही सम्बन्धित हैं। मिदानहीन शोष और तथ्यहीन सिद्धान्त दोनों निस्सार हैं।

**7 विशुद्ध विज्ञान (Pure Science)**—संदर्भान्तिक स्पष्टीकरण और वैज्ञानिक उद्यम के लिए ज्ञान का उपयोग आवश्यक है। यदि हम राजनीतिक ज्ञान का उपयोग राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि राजनीतिक व्यवहार को उसका आधार बनाया जाए।

**8 एकाकरण (Integration)**—चूंकि सभी सामाजिक विज्ञान समग्र मानवीय स्थिति से सम्बन्धित हैं, यह कोई भी राजनीतिक शोष दूसरे प्रनुजातों अथवा शास्त्रों के गोबों या उनकी सौजों-बीं उपेक्षा नहीं कर सकता, अन्यथा वह अपन स्वयं के परिणामों की प्रामाणिकता (Validity) और सामान्यता (Generality) को कम करते अथवा दूसर बनान का खतरा मोल लेगा। यदि विनियन सामाजिक विज्ञानों वी इस अन्तसम्बन्धता को ध्यान में रखा जाए तो राजनीति-शास्त्र को प्रारम्भिक शतान्दियों वाला स्तर दिताने में और उसे सामाजिक विज्ञानों

के मुख्य समृद्धिय ने पुनः लौटाने ने सहायता मिलगी। आशय यह है कि राज्य विज्ञान और राजनीतिक ग्रनुभवान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के शोषो के विरुद्ध नइस्य या उनमें पृथक् नहीं रहना चाहिए।

डेविड ईंस्टन द्वारा बताई गई इन विशेषताओं में व्यवहारवादी विश्लेषण की पूर्व-धारणाएँ, उसके लक्ष्य एवं बोल्डिक भावार सम्बन्धित हैं। साथ ही ये विशेषताएँ व्यवहारवादी और परम्परावादी दृष्टिकोणों में पाए जाने वाले मुश्वर मन्त्रों को भी स्पष्ट करती हैं। राजनीति में व्यवहारवाद के बल विज्ञान की परिखुद्र प्रविधियों मात्र के प्रयोग से कुछ ग्राहिक है। यह केवल सुधार ही नहीं है, प्रतिनु पुनर्निर्माण का प्रयत्न भी है। राजनीतिक व्यवहारवाद न राज्य विज्ञान को नए मूल्य, नई नाया, नई पढ़नियों, नई दिक्षाएँ और ग्रनुभवात्मक विज्ञानिकता प्रदान की है। व्यवहारवाद को ही यह श्रेय भी जाता है कि उसने राजनीति दो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, नृवजागास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रादि सामाजिक शास्त्रों के समीप ला दिया है और इन सामाजिक शास्त्रों को पढ़नियों, उपलब्धिवाद और दृष्टिकोणों की राजनीति के भेद में प्रयत्नाने तथा उनसे लाभ उठाने की प्रेरणा दी है।

व्यवहारवादी क्रान्ति के पूर्ण होने से पहले ही इस चुनौती दी जाने लगी है और इस प्रभिनव क्रान्ति अवश्य उत्तर-व्यवहारवादी क्रान्ति के उद्घोषण होने का श्रेय भी डेविड ईंस्टन जा ही गया है। उत्तर-व्यवहारवाद का जो विश्लेषण और स्पष्टीकरण ईंस्टन ने किया है उसे याने एक पृथक् शीर्षक के प्रन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(च) विश्लेषण पद्धति—ईंस्टन ने राजनीतिक विश्लेषण के शेष में एक सामान्य मिदान का प्रतिपादन किया है। ईंस्टन से पूर्व राजनीतिक सिद्धान्त के प्रन्तर्गत कोई एक ऐसा मिदान अवश्य नहीं या जिसके द्वारा प्रदृष्ट-विश्लेषित विज्ञानोंमें व्यवहारवादी राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की समस्याओं और स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण किया जा सके। पहले राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के विश्लेषण के तिन ग्राम अन्तर्गत मिदानों का प्रयोग किया जाता या किन्तु ईंस्टन ने एक सामान्य मिदान का प्रतिपादन करके राजनीतिक विश्लेषण के इतिहास में एक बड़े अभाव वी पूर्ति दी है। ईंस्टन जा दावा है कि इसके व्यवस्था-मिदान द्वारा सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं और सभी लगों वी समस्याओं का विश्लेषण और व्यवस्थार अन्वयी वास्तविकताओं की महीनगत्या करना नमूद है। जिस ग्रनुभवव्यवस्था मिदान का प्रतिपादन ईंस्टन ने किया है उन उन सामान्य मिदान' (General Theory) कहा है। परम्परावादी व्यवहारवादी विभाजन में विश्लेषण न रखने क्षुण्ड ईंस्टन न राजनीति के एक एकीकृत मिदान का प्रतिपादन पर बन दिया है। ईंस्टन का यह भी विचार है कि राजनीति शास्त्र का पहला शाय उन सामान्य समस्याओं का विश्लेषण रखा है जो लगभग सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में गमान न्य न पाई जानी है।

ईंस्टन का विचार तर्मवर्त, प्राप्तिक शादि त किया है। वह इन प्रकार ही

मान्यताओं से सहभवत नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं के तत्त्वों के बीच पा जाने वाले शक्ति-सम्बन्धों, एक कर्ता की शक्ति की मात्रा आदि बातों का विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण है। ईस्टन ने 'आवंटन' (Allocation) की समस्या को प्रमुख माना है। कोई भी राजनीतिक कार्य तभी है जब उसका सम्बन्ध मूल्यों के आधिकारिक प्रावंटन से होता है। ईस्टन के आवटन-विश्लेषण में यह मान्यता निहित है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समय तक बने रहने की क्षमता पाई जाती है और हमें उन दशाओं का विश्लेषण करना चाहिए जो कि राजनीतिक व्यवस्था को जीवित रखती है और जिसे समाज द्वारा बंध माना जाता है। ईस्टन ने संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक अध्ययन-पद्धति में सबसे बड़ा दोष यह माना है कि जिस संकल्पनाओं को यह पद्धति प्रस्तुत करती है वे न तो पर्याप्त हैं और न व्यापक। उनके द्वारा सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन सम्भव नहीं है। संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक अध्ययन-पद्धति की मुख्य मकल्पना 'कार्य' है जिसे कि हम एक सिद्धान्त का आधार नहीं बना सकते क्योंकि 'कार्य' तो किसी भी व्यवस्था-सिद्धान्त का पूर्व-आपेक्षण है। काय-सम्पादन व्यवस्था के व्यवहार की न्यूनतम आवश्यकता है पर्याप्त किसी भी व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ कार्य तो स्वतः अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त 'कार्य' शब्द में परिशुद्धता का अभाव होने से इसे हम अनुभवजन्य अध्ययन के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। ईस्टन ने सन्तुलन-सिद्धान्त की भी आलोचना की है क्योंकि यह वास्तविकता का सही-सही चित्रण नहीं कर पाता। यह विद्वान्त बस्तुतः घटनाओं का वर्णन न करके केवल कुछ घटनाओं के व्यवहार अध्यवा अस्तित्व की विवेचना भर रखता है। लॉसवेल का विचार भी ईस्टन की दृष्टि में उचित नहीं है क्योंकि उसने और उसके समर्थकों ने राजनीतिशास्त्र के संदान्तिक पक्ष की उपेक्षा करके, व्यावहारिक पहलू पर प्रचिक ध्यान दिया है। इन सभी विचारकों के विपरीत ईस्टन ने, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, राजनीति के संदान्तिक अध्ययन को दो भागों में बटा है—प्रथम भाग में उसने राजनीतिक व्यवस्थाओं के जीवित रहने के अध्ययन को और दूसरे भाग में शक्ति के विनाशण तथा इस विनाशण के प्राधार पर मूल्यों के आवटन के अध्ययन को सामिल किया है। ईस्टन की दृष्टि में, "राजनीतिशास्त्र मूल्यों के प्रायिकारिक आवटन का अध्ययन है—जैसा कि यह शक्ति के विनाशण प्रोट्र प्रयोग द्वारा प्रभावित किया जाता है।" राजनीतिशास्त्र के प्रयं, विश्व-समझी आदि पर ईस्टन के जो विचार हैं उनका विवेचन पहले ही किया जा चुका है।

**लॉसवेल**—लॉसवेल को परम्परागत राजनीतिशास्त्र को व्यवहारवादी राजनीतिशास्त्र से जोड़ने की सबसे मशक्त कही जाना गया है। 'साईको-पैरोलॉन्जी एण्ड पॉलिटिक्स,' 'बल्ड पॉलिटिक्स एण्ड पर्सनल इन्सिक्युरिटी' और 'पॉलिटिक्स इन गेट्स, व्हेन, दूर' नामक अपनी सभी पुस्तकों में लॉसवेल ने राजनीतिक अध्ययन में मनोवैज्ञानिक साधनों को अपनाये और समाज-विज्ञानों को मूरदूत एकत्र तथा राजनीति-विज्ञान की जोध-नामधी को उत्थापद्ध करने की उपयोगिता एवं सम्भावना पर बत दिया है। लॉसवेल का विचार है कि भानव-व्यवहार संदर्भ उन चीजों से

प्रेरित होता है जिन्हें कि वह प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक उस वस्तु को, जो कि व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, नोस्वेत ने 'मूल्य' (Value) को सजा दी है।

तोस्वेत ने जक्ति-सिदान्त का विश्लेषण करते हुए उसे राजनीतिशास्त्र का भूत माना है। उनका बहना है—“एक प्रभुभववादी व्यवस्था के रूप में राजनीति-शास्त्र जन्मिती स्पृ-रचना एवं उपचोय का प्रध्ययन है।” राजनीतिशास्त्र प्रभ्य सामाजिक विज्ञानों की भाँति एक नीति विज्ञान है जो जक्ति और प्रभाव (Power and Influence) का प्रध्ययन करता है। सामाजिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिनके द्वारा वे परिस्थितियाँ बनाई जाएं सुके जिनमें कि उनाओं के भून्डों को जक्ति के साथ समायोजित किया जा सके। तकि सुम्बन्धी प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया से भिन्न नीई भाग नहीं है बरन् यह समूहों सामाजिक प्रक्रिया का राजनीतिक दहन मात्र है। यह मत है कि राजनीतिशास्त्र एक स्वायत्त गास्त्र है और इसको प्रयं-जास्त या मनोविज्ञान का व्यापहारिक स्पृ पात्र नहीं कहा जा सकता, किन्तु इसकी स्वतन्त्रता का पर्यं यह नहीं है कि इसे पन्थ तभी सामाजिक विज्ञानों से पूर्णत पृदक् भाग निया जाए। इसकी स्वायत्तता का पर्यं केवल यही है कि यह पन्थ सामाजिक विज्ञान। न से इसी का भी एक भाग नहीं है।

नोस्वेत का यह स्पष्ट मत है कि राजनीतिशास्त्र चमूर्तं स्पस्यामो या सगठनो ना प्रध्ययन नहीं करता, यह व्यक्ति को उनके पूर्ण रूप में देखता है तथा प्रबन्धेदन्तिक सम्बन्धों का प्रध्ययन करता है। इसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं एवं हितों के रभ भाव को नहीं देखा जाता, बरन् उसके समस्त पहलुओं के साथ पूर्ण व्यक्तित्व का प्रध्ययन किया जाता है। राजनीतिशास्त्र में प्रभाव एवं प्रभावी (Influence and Influential) का प्रध्ययन किया जाता है। यह उन सभी तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका मूल्यांकन करता है जो नीति सुम्बन्धी लक्ष्यों के पूर्ण होने में प्रवरोध का काम करते हैं।

राजनीति में 'कौन पाता है, क्या, दब कैसे' इन प्रश्नों का विश्लेषण करना नोस्वेत का मुख्य उद्देश्य है। ये सा कि एक विद्वान् ने निला है—‘कौन, क्या, क्या और कैसे पाता है’—ये प्रश्न उसे उन व्यक्तियों के कार्य भाग के प्रध्ययन की ओर तेजाने हैं, जो इन्हें प्राप्त करते हैं। वह सामाजिक व्यवस्था की महत्वनाप्रमाणों, काय-भाग सम्पादन (Role-fulfilment), तथा राजनीति की पन्त सक्षिय प्रक्रियाओं (Inter-active Processes) की विवेचना न करके इस बात की विवेचना करता है कि व्यक्ति को प्रेरणा कहीं से प्राप्त होती है या प्रेरक तत्व कौन-कौन है, छिपके निए वे प्रदाता करते हैं तथा राजनीतिक किया से वे क्या प्राप्त करने की सामा रखते हैं। इस प्रकार नोस्वेत का मुख्य उद्देश्य इस बात की विवेचना करता है कि व्यक्ति बग प्राप्त करना चाहता है।

प्रामण्ड—व्यवहारवादी लेखकों ने राजनीतिक विश्लेषण की नई-नई पढ़तियों विकसित की है जिनमें प्रामण्ड का सरचनात्मक-कार्यान्वय विश्लेषण प्रत्यावरण रखता है। सरचनात्मक-कार्यान्वय विश्लेषण पढ़ति का सर्वद्रष्टव्य विकास

जैविक तथा यान्त्रिक विज्ञानों में हुपा और तत्त्वचार् सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम इसे मानव-विज्ञान के अध्ययन में अपनाया गया। बाद में टॉलकट पारसन्स तथा मेरियन लेवी ने इसे विकसित और परिष्कृत कर समाजशास्त्रीय विश्लेषण की एक पढ़ति के रूप में प्रदूषण किया।

सरचनात्मक-कार्यात्मक विश्लेषण वह है जो अध्ययन की विधियों में ढाँचे अथवा सरचना के गठन और उसके कार्यों की प्रतिवाप्ति के बीच तात्त्वमेल के कारण तथा परिणामों को पहचानने का प्रयत्न करता है। स्थल रूप से इसे हम एक व्यवस्था-विश्लेषण का तरीका भी कह सकते हैं। व्यवस्था विश्लेषण (System-analysis) से अभिप्राय यह है कि राजनीति की दुनिया में जिसे व्यवस्था कहा जाता है, उसका एक ढाँचा (Structure) होता है और यह ढाँचा या सरचना अपने आप में एक गतिशील मशीन की भाँति कुछ कार्य करता है। इस समूर्ण ढाँचे अथवा सरचना के कुछ कार्य हैं और इसके अलग-अलग अग-प्रत्यगों के भी अपने-अपने कार्य हैं। उदाहरण के लिए शरीर को एक व्यवस्था (System) के रूप में लिया जा सकता है और जिन हाथ, पैर, आँख, कान आदि से मिलकर शरीर का सगठन बनता है, उनमें से प्रत्येक का अपना-अपना विशिष्ट कार्य है और उन सब को आत्म-निर्भरता एव सगठनात्मकता, कार्य (Structural Function) है। व्यवस्था, विश्लेषकों का मानना है कि सभी व्यवस्थाएँ गत्यात्मकता, अन्तर्निर्भरता, चेतना, केन्द्र एव कार्य-क्षमता आदि विशेषताएँ लेकर चलती हैं। एक मशीन की भाँति उनमें कुछ ढाला जाता है जिन्हे व्यवस्था-विशेषकों ने 'इन-पुट' (In-put) की सज्जा दी है। ये 'इन-पुट' (In-put) एव प्रक्रिया विशेष से निकल कर कुछ 'आउट-पुट' (Out-put) में बदलती हैं। इस तरह सभ्यात्मक अथवा व्यवस्थाओं की कार्य-प्रणाली में सगठन का कार्य अपने अवयवों से अलग-अलग कार्यों के 'इन-पुट' पैदा कर उन्हें कुछ विशेष प्रकार के 'आउट-पुट' में बदलता है। याज के राजनीतिक वैज्ञानिक इन्हीं 'इन-पुट' और 'आउट-पुट' के सम्बन्ध और प्रक्रियाओं को पहचानना चाहते हैं तथा इसके लिए जो विधि वे - अपना रहे हैं उनमें से एक विधि को 'सरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण' का नाम दिया गया है।

आमण्ड के अनुसार 'न-पुट कार्य' (In-put Functions) चार हैं—

- (1) राजनीतिक सामाजिक रण और भर्ती,
  - (2) हितों का जोड़-तोड़,
  - (3) हितों का समूहीकरण, एवं
  - (4) राजनीतिक सवाद आउटपुट कार्य (Out-put Functions)
- तीन हैं—(1) नियम-निर्माण, (2) नियम-कार्यान्वयन, एवं (3)\* नियम-निर्णय। आमण्ड ने आपे चलते 'इन-पुट' और 'आउट-पुट' कार्यों के कुछ उप-कार्यों पर भाने हैं तथा यह मान्यता प्रकट की है कि ये सभी उप-कार्य मिलकर समूर्ण व्यवस्था में एक कनवर्शन फ़र्मॅर (Conversion Function) पूरा करते हैं। आमण्ड ने गैर-सरकारी कार्यों को इन पुट कार्य और सरकारी कार्यों को आउट-पुट माना है। इन-पुट कार्य गैर-सरकारी उप-व्यवस्थाओं जैसे हित-समूह, शिक्षण संस्था, राजनीतिक दल, स्वतंत्र मनाचार पत्र यादि डारा किए जाते हैं। आउट-पुट सरकारी कार्य हैं—सरकार

और उसकी नोकरशाही कानून बताती है, कानून लागू वरती है और कानून तथा नियमों के प्राधार पर व्यक्तियों एव समूहों के बीच अधिनिषण का कार्य करती है। राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट-आउटपुट कायों का यह विश्लेषण प्रस्तुत करने में आमण्ड के मुख्यत तीन उद्देश्य हैं—

प्रथम, आमण्ड सम्पाद्यों के दर्जन के स्थान पर उन सम्पाद्यों द्वारा किए जाने वाले कायों का बरुँन करना चाहता है, अपने विश्लेषण को सम्भागत न बनाकर कार्यात्मक बनाना चाहता है। उसने सम्भागत सकल्पनाओं के स्थान पर कार्यात्मक सकल्पनों का प्रयोग किया है।

द्वितीय, इनपुट सकल्पना द्वारा आमण्ड यह स्पष्ट करना चाहता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है जो समाज में होने वाली क्रियाओं से प्रभावित होती रहती है। यही नहीं, राज्य की सीमा के बाहर की हृत्याली से भी राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती है।

तृतीय, इनपुट कार्य के अन्तर्गत राजनीतिक सामाजीकरण और राजनीतिक सचार या सम्ब्रेषण को शामिल कर आमण्ड राजनीतिक मूल्यों के विश्लेषण पर भी चल देता है। राजनीतिक सम्ब्रेषण और सामाजीकरण में दोनों ही कार्य राजनीतिक मूल्यों का निर्माण करके राजनीतिक सकृति को जन्म देते हैं।

सरचनात्मक विशेषीकरण की मात्रा के आधार पर आमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने की चेष्टा की है। विशेषीकरण की मात्रा से उसका मास्त्र इस बात से है कि एक विशिष्ट सरचना द्वारा कितने कार्य किए जा रहे हैं अथवा कौन कौन से कार्य नहीं किए जा रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकास के अध्ययन से हमें यह जानने में सहायता मिलती है कि राजनीतिक व्यवस्था में किस मात्रा तक मिथित सकृति पाई जाती है।

आमण्ड के सम्मूल्य विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि राजनीतिक व्यवस्था जितनी विकसित होगी उसकी सरचनाएं (Structures) उतनी ही विशेषीकृत तथा सीमा की दृष्टि से व्यापक और विस्तृत होती है। इसी प्रकार वरम्बरावादी धर्मवा विकसित समाजों में सीमाएं सकीर्ण होगी और मिथित स्थित अधिक होने के साथ-साथ हितों का जोड़-तोड़ एव समूहीकरण विशिष्ट ढंग से नहीं होगा। आमण्ड अपने सरचनात्मक-कार्यात्मक विश्लेषण द्वारा वास्तव में राजनीतिक परिवर्तन के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। उसका यह सगठन और कायों के विभिन्न स्तरों को पहचानने तथा उन्हें स्पष्ट करने की क्षमता रखता है। आमण्ड ने कायों के विभिन्न स्तर भी बताए हैं, जो ये हैं—क्षमता कार्य, परिवर्तन कार्य, सरकार तथा समाजों बन कार्य एव सचालन कार्य। इन चरों स्तरों के कायों में सम्बन्धों का स्थापित करना ही परिवर्तन और विकास का सिद्धान्त है।

### व्यवहारवाद की समीक्षा

इस सम्मूल्य विवेचन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारवादी राजनीतिज्ञान का अधिक वैज्ञानिक बनाने के इच्छुक हैं ताकि परिणाम म निश्चिन्तना पा सक।

व्यवहारवाद के अध्ययन-धोन में व्यापक वहलू समाविष्ट है जिन्हें ही जूलाउ ने इन इकाई दिनुपो में रखा है—(1) व्यक्ति सौर व्यक्ति के सम्बन्ध, (2) समूहों, समुदायों और समाजों के माइको तथा मैको रूप प्रौर उनका पारस्परिक सम्बन्ध, (3) राजनीतिक व्यवस्थाओं प्रौर उप व्यवस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्ध—उदाहरणार्थ राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक दलों, हित समूहों, कार्यपालिका ग्रामीण के ग्रामीण सम्बन्ध, (4) राजनीतिक व्यवस्था का ग्रपने से ग्रविक व्यापक व्यवस्थाओं में सम्बन्ध, (5) विभिन्न सकलनामों का अध्ययन जैसे निर्णय-समूह, सरकनाएं, कार्य, गति, नियन्त्रण ग्रामीण का अध्ययन, (6) नीतियों, नीति-निर्माण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया ग्रामीण का अध्ययन, (7) राजनीतिक सिद्धान्तों, उपागमों ग्रामीण का अध्ययन, (8) तुलनात्मक राजनीति, (9) प्रक्रियाएं, क्रिया-विधियों, नवीन उपकरण नवीन गतिविधियों ग्रामीण। सक्षेप में कहा जा सकता है कि ही जूलाउ के मनुसार राजनीतिक व्यवहार का ग्रामीण केवल प्रत्यक्ष भ्रपवा ग्रपत्यक्ष रूप से पर्यावेक्षणीय राजनीतिक क्रियाओं से नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध व्यवहार के उन बोधात्मक प्रभिन्नरणात्मक प्रौर अभिवृत्तात्मक (Perceptual, Motivational and Attitudinal) घटकों से भी है जिनसे हमारी राजनीतिक मौजों, ग्रामीणों, विश्वासों, मूल्यों एवं लक्ष्यों की व्यवस्था ग्रामीण का तानावाना बुना जाता है। व्यवहारवाद का सम्बन्ध मनुष्य के केवल बाह्य कारणों से ही नहीं है बल्कि वह उसकी भावनात्मक, ज्ञानात्मक प्रौर मूल्यांकनात्मक प्रक्रियाओं से भी घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। मनुष्य के राजनीतिक ज्ञान, उसकी राजनीतिक मौजों, प्रभिलापामो प्रौर लक्ष्यों, मूल्यों तथा राजनीतिक विश्वासों की व्यवस्थाओं ग्रामीण का निर्माण करने वाली ओं भी व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं हैं, वे सभी राजनीतिक व्यवहारवाद की अध्ययन तात्परी हैं।

व्यवहारवादी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, उसका धेत्र व्यापक है और उसने राजनीति के क्षेत्र प्रौर प्रकृति म कान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है तथा डोइन की वास्तविकताओं के अध्ययन की ओर ध्यान ग्राक्षित कर जान के नवीन ग्रामीणों को जगाया है। सत्यागत राजनीतिक अध्ययन की दुर्बलताओं को उजागर करके इसने हमारा ध्यान उत्तम रूप तर्बेत्किक सम्बन्धों के अध्ययन की प्रौर ग्राक्षित दिया है जिनके समूह या पुङ्ज को हम सत्य के नाम से सम्बोधित करते हैं। इस प्रकार व्यवहारवादी दृष्टि बताती है कि सत्य सत्य में कुछ नहीं है, यह वस्तुत अन्तर्वैतिक सम्बन्धों वा नाम है। सत्य की सफलता उसमें कार्य कर रहे लोगों पर निर्भर है, इसीलिए व्यवहार का अध्ययन राजनीति को समझने की 'बुज्जी' है।

व्यवहारवादी दृष्टिकोण नि सन्देह ग्राक्षित करने की है, किन्तु यह भी प्रानेक सीमाओं प्रौर दुर्बलताओं का शिकार है। ही जूलाउ, मनकोड़ सिवलो ग्रामीण राजनीतिशास्त्रियों ने व्यवहारवाद की सीमाओं का ग्रच्छा स्पष्टीकरण किया है—

1: व्यवहारवादी पढति को राजनीतिशास्त्र के अध्ययन की अधित्य पढति स्वीकार करना राजनीतिशास्त्र के समूर्ण साहित्य को सन्देह की दृष्टि से देखना है।

० व्यवहारवाद की अपूरुता इसी बात से स्पष्ट है कि व्यवहारवादी मान्यताओं का स्वयं व्यवहारवादी ही स्थगन कर रहे हैं और उत्तर व्यवहारवादी प्रान्दोलन उठ खड़ा हुआ है।

2 व्यवहारवादी स्वयं को मूँ-य नियेक मानते हैं किन्तु वे जीवित प्राणी हैं और अनुसंधान धार्दि के समय मूल्यों से सबवा प्रभ्रभावित नहीं रह सकते। समस्या के चयन में जिन मूल्यों का महत्व है वे ज्ञोषकता के लम्हों और जीवन मनुभव से प्रभ्रभित रहते हैं।

3 अनुसंधान और प्रयोग आरम्भ कर देने के उपरान्त भी अनुसंधानकर्ता की उपलब्धियाँ सीमित रहती हैं उमकी ग्राशाएँ ग्राकाँभाएँ पूरण नहीं होतीं। नीतिक विज्ञान में जिन सुघटकों का विश्वरण लिया जाता है उन पर विश्लेषक का पूरण नियांत्रण होता है किन्तु राजनीनिज्ञास्त्र की प्रयोगशाला में राजनीतिक प्रक्रिया के जिन सन्दर्भों का अध्ययन किया जाता है उन पर विश्लेषक का कोई वास्तविक नियांत्रण नहीं होता। विश्लेषक अपनी इच्छानुसार अपने प्रयोग पूरे नहीं कर सकता। उदाहरणाव भारत म लाल्लतान्त्रिक व्यवस्था है जो इतनी जड़ जमा चुकी है कि यहाँ अब राजतन्त्र का प्रयोग नहीं हो सकता।

4 व्यवहारवादी अव्यवन शाषकता को सम-सामयिक राजनीतिक सामग्री से प्राय विलग कर देता है और इसका सम्बन्ध यदि जुड़ता भी है तो प्राय ऐसे साधनों से जिह्व व्यवहारवादी कहना मुश्किल है।

5 नीति निर्माण के क्षत्र म व्यवहारवाद का उपयोग सीमित है। व्यवहारवाद से प्राप्त निष्कर्षों के अलावा नीति निर्माण म दूसरे कारणों का भी काफी महत्व है।

6 कोई भा व्यवहारवादा अध्ययन सभी परिस्थितियों के लिए अन्तिम मूल्य प्रस्तुत नहीं कर सकता।

7 व्यवहारवादी राजनीनिज्ञास्त्र का विनान बनान के प्रयास म विषय के राजनीतिक पहलुओं की उपेक्षा कर बैठत हैं।

8 व्यवहारवाद के बतल क्या है? का ग्रन्थन करता है क्या होना चाहिए? का उत्तर नहीं देता। इस प्रकार यह अपूरुत विश्लेषण पद्धति है। वास्तविकता को चित्रित कर देना ही काफा नहीं है निराकरण के लिए उत्तर देना भी अपेक्षित है। व्यवहारवादी रोग का पता तो लगात है पर उसक निरान के बारे म कुछ नहीं कहत। राजनीतिक प्रक्रिया के दाश्मूल स्वानों की पार ध्यान ग्राकर्पन करना किन्तु उनक निवारण के सम्बन्ध म भी उन गहना एक भद्रान्तिक बृटि है।

9 व्यवहारवादा साहित्य राजनीतिक प्रक्रियाओं की ममुचिन व्याहगा नहीं करता और राजनीतिक महसूनाओं का बहुत ग्रापक और साथ ही ग्रस्तां ग्राहगा करता है।

व्यवहारवाद स उत्तम निराना के फनस्वरूप ना ॥ ३३ ॥  
क्रान्ति पाइ है जिस उत्तर व्यवहारवाद की  
उत्तम ॥ विद ईस्टन क जनो म ही

“भ्रमेटिको राजनीति विज्ञान में एक ‘सम्बन्ध कान्ति’ का शीरणगण हो चुका है। व्यवहारवादी पूर्व कान्ति अभी सम्बन्ध भी नहीं हुई थी कि हमारे युग के गहराते सामाजिक और आर्थिक सकटों ने इसे पूर्ण छोड़ दिया है। इन सकटों का गुह भार एक नए विरोध के रूप में हमारे अध्ययन विषय पर अनभव होने लगा है। चूंकि यह मूल विरोध हमें चारों प्रौद्योगिक से घेरे हुए है। यह नवीनतम् चुनौती व्यवहारवादी कठूरवाद पर एक सीधा प्रहार है और मैं इसे उत्तर-व्यवहारवादी कान्ति की सज्जा देना चाहूँगा।”

### सम्प्रेषण सिद्धान्त (कार्ल डायच)

[The Communication Theory (Karl Deutsch)]

कार्ल डायच वह राजनीतिशास्त्री है जिसने राजनीतिक विश्लेषण के अन्तर्गत सचार विज्ञान (Cybernetics) को अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया है और राजनीति के बारे में यथार्थवादी विचार प्रस्तुत किए हैं। ‘सचार’ भ्रष्टवा ‘सम्प्रेषण’ (Communication) शब्द के अन्तर्गत यहाँ अधिकतर मानव-व्यवहार सम्मिलित हैं क्योंकि मानव-सम्बन्धों में सर्वाधिक महस्त्वपूर्ण व्यक्ति सदैश भेजने और प्राप्त करने की क्षमता है। यदि हम इस क्षमता को स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ यह स्वीकार करना होगा कि सम्पूर्ण सामाजिक वातावरण पर सचार या सम्प्रेषण खाया रहता है, सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू में यह विद्यमान है। इस प्रकार सम्प्रेषण-प्रक्रियाओं का विश्लेषण सामाजिक जीवन के अध्ययन की एक विधि है। वैसे सचार शब्द का प्रयोग विशेष सत्याग्रहों और उद्योगों, प्रेस, रेडियो, पत्रकारिता, आदि के लिए किया जाता है। वस्तुत मानव जीवन में सम्प्रेषण अत्यधिक व्यापक है, प्रत्येक राजनीतिक गतिविधि में उसका अस्तित्व है। राजनीतिक जीवन में सम्प्रेषण के महत्व को इग्निट करते हुए ही । डायच ने अपनी पुस्तक (The Nerves of Government) में सुझाव दिया है कि सम्पूर्ण राजनीतिशास्त्र का मुख्यालय सम्प्रेषण के दृष्टिकोण से होना चाहिए, हमें उसना अध्ययन उन तत्त्वों पर माध्यरित करना चाहिए जो सन्देशों को उत्पन्न करते हैं और उनका प्रभाव निश्चित करते हैं। राजनीतिक सम्प्रेषण, कार्य का विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का परीक्षण करने का वस्तुत एक बहुत ही शक्तिकर और लाभदायक साधन है।

सम्प्रेषण कार्य का महत्व चिरकाल से स्वीकार किया जा रहा है और भरस्तू ने पश्चिम से मानव की इसी अर्थ में भिन्न किया था कि उसके पास ‘वाली की प्रतिभा’ (Gift of Speech) है। ग्राज का सामान्य व्यक्ति भी इस बात से भ्रनभ्रज नहीं है कि व्यवस्थित सम्प्रेषण प्रक्रिया सभी सामाजिक प्राणियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। हम मानव समाज को ही ले तो प्रत्येक नागरिक और पदाधिकारी एक और तो उस सूचना पर निर्भर करता है जो उसे प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर उन सन्देशों या सूचनाओं की प्रभावशीलता पर भी निर्भर करता है जिनका कि वह प्रसारण करता है। राजनीतिक प्रक्रिया और सम्प्रेषण प्रक्रिया के द्वीप स्वाभाविक

रूप से घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक क्षेत्र के अन्वर्णन सम्प्रेषण प्रक्रियाओं द्वारा महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किए जाते हैं। यदि किसी विषय पर हमें कोई राजनीतिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हम सम्प्रेषण-प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। सम्प्रेषण प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप में संगठित करके उनके माध्यम से सम्पूर्ण समाज में एक व्यवस्था कायम की जाती है और जनता द्वारा गति प्राप्त करने के प्रयत्नों को भली प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से समाज में राजनीतिक व्यवस्था यथवा राजनीतिकत्व का निर्माण होता है। सम्प्रेषण के महत्व को समझते हुए ही लोकनान्त्रिक चिन्तन में 'प्रकाशन' और 'धर्मव्यक्ति' की स्वतन्त्रता पर सर्वेव बल दिया गया है ताकि जनता शासक-बर्ग के कामों पर वाञ्छित नियन्त्रण रख सके। यदि निरकृत शासन को लें तो सर्वाधिकारवादी नेता सम्प्रेषण या सचार साधनों पर अपना नियन्त्रण बनाए रखते हैं, नागरिकों द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और इस प्रकार प्रपने सर्वाधिकारवादी गाभन को बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। इस तथ्य से इकार करना कठिन है कि सम्प्रेषण का राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है, सम्प्रेषण का प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है और यदि सम्प्रेषण-प्रक्रिया का समुचित गठन हो तो समाज का नवीन वायाकल्प हो सकता है। किसी भी समाज में या राजनीतिक व्यवस्था में सम्प्रेषण-प्रक्रिया ग्रन्थ सरचनाओं से जुड़ी रहती है और इस तरह सम्पूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करती है। सम्प्रेषण प्रक्रिया को भली प्रकार समझ लेने से हमें उस समाज या राजनीतिक व्यवस्था का सम्बन्ध ज्ञान हो सकता है। उल्लेखनीय है कि सम्प्रेषण की परिभाषा देते हुए इसे व्यक्तियों के बीच प्रयंपूर्ण सूचनाएं प्रसारित करने की प्रक्रिया (The process of transmitting meaningful information) माना गया है।<sup>1</sup> इस प्रक्रिया द्वारा इच्छाओं, आवश्यकताओं, अभिप्रायों और ज्ञान का प्रादान-प्रदान किया जाता है। किसी प्रशासनिक संगठन का लें तो, जैसा कि हब्टं साइमन ने लिखा है, "सम्प्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन के एक सदस्य के विचार दूसरे सदस्य तक पहुंच जाते हैं और वे निर्णय पर प्रभाव ढालते हैं।" सम्प्रेषण निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है, राजनीतिक व्यवहार और प्रशासनिक संगठन दोनों की दृष्टि से प्रभावशाली तर्दा है।

सामान्यतया यह माना जाता है कि जीवित वस्तुओं और तामाजिक संगठनों (राजनीतिक संगठन सहित) का विश्लेषण एक ही विश्लेषण पद्धति द्वारा नहीं किया जा सकता, किन्तु डायच का विचार है कि सचार विज्ञानों (Communication Sciences) के विकास के कारण यह यह सम्भव हो गया है कि दोनों का विश्लेषण एक ही पद्धति द्वारा किया जा सके। डायच ने नियन्त्रण और सुचार-विज्ञानों की प्रध्ययन पद्धतियों तथा सकल्पनाओं द्वारा राजनीतिक संगठनों के व्यवहार का

<sup>1</sup> Norbert H. Hainer : Cybernetics in Sidney Weintraub, ed. Introductory Readings in Political Behaviour, p. 297

ध्ययन किया है और राजनीतिक व्यवस्था के विकास के साथ-साथ इस ध्ययन पद्धति द्वारा यह भविष्यवाणी भी करने का दावा किया है कि राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के बाया परिणाम हो सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को, जो कि सम्पूर्ण समाज के लिए निर्णय लेती है, 'सम्प्रेषण-मानवों का जाल' (Net-work of Communication Channels) मानते हुए कालं डायच ने इस धारणा को ठुकरा दिया है कि शक्ति (Power) राजनीतिक जीवन का मुख्य आधार है, राजनीति का सार है। डायच का कहना है कि जिस तरह मुद्रा भाष्यक जीवन का चलायं है उसी तरह शक्ति राजनीति का चलायं है किन्तु राजनीति को 'शक्ति का विज्ञान' कहना आमक है। डायच ने शक्ति (Power) और भौतिक बल (Physical Force) में अन्तर किया है। घनुपालन, घनुसरण प्रादि के असफल हो जाने पर शक्ति का सहारा लिया जाता है और जब शक्ति भी असफल हो जाती है तब बल का सहारा लिया जाता है और जब बल द्वारा भी किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी प्रादेश को सागू करवाने में असफलता हाथ लगती है तो उस वस्तु को प्राप्त करने का विचार छोड़ दिया जाता है घटना उस प्रादेश को वापिस ले लिया जाता है।<sup>1</sup> डायच की मान्यता है कि शक्ति और बल की धारणा मात्र के ध्ययन से किसी राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण नहीं किया जा सकता।

डायच के घनुसार राजनीति का उद्देश्य है—सामाजिक घेयों को प्राप्त करना। राजनीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज के लिए निर्णय लिए जाते हैं और ये निर्णय प्रवर्तनीय (Enforceable) होते हैं। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज इस बात का निर्णय करता है कि कौनसे कार्य किन कार्यों से श्रेष्ठतर है जिन्हे कि करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजनीति की प्रक्रिया के माध्यम से कार्यों को वरीयता के आधार पर चुना जा सकता है। निर्णयों प्रथवा कानूनों का समाज के सदस्यों द्वारा घनुपालन होता है। इस घनुपालन के पीछे मात्र शक्ति का भय नहीं होता अर्थात् यह मानवा आमक है कि शक्ति ही समाज में निर्णयों को लागू करने का एकमात्र साधन या प्रापार है। इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि जनता कानूनों का पालन करने को आदी हो जाती है। यदि शक्ति का प्रयोग ही सब कुछ हो तो अमेरिका में मद-निषेध कानून को जनता के विरोध के कारण लागू करना असम्भव नहीं होता। अमेरिकी जनता मदापान की इतनी अधिक आदी या अस्पस्त हो चुकी है कि मद-निषेध के कानून को सागू करना वही असम्भव है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार के उदाहरण सरलता से ढूढ़े जा सकते हैं।

अतः हमें यह स्वीकार करना होगा कि निर्णयों प्रथवा कानूनों के प्रवर्तन में जनता की प्रादत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहना होगा कि भय और प्रादर इन दोनों ही कारणों से जनता निर्णयों का पालन करती है। डायच की मान्यता है कि किसी भी समाज और राजनीतिक व्यवस्था का जीवन और विकास इसी बात पर निर्भर है कि उसके अन्तर्गत ऐसे समय सदूच कियाशील रहते हैं जो प्रादत के निर्माण

<sup>1</sup> Deutsch : The Analysis of International Relations, pp. 40-47

का कार्य किया करते हैं प्रथात् जनता को इस बात के लिए अभ्यस्त बनाते रहते हैं कि वह निर्णयों प्रधाना कानूनों को मानती रहे, स्वीकार करती रहे। ये सबव शूचनाओं को प्राप्त करने में, उनके चयन और सप्रह में, प्राप्त सूचनाओं के प्रयोग से सम्बन्धित मानकों के चयन आदि में सहायता करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। भपन इस विस्तेपण द्वारा ढायच ने हमारे सामने 'राजनीतिक शक्तियों के भान्तरिक स्रोत' का विचार प्रस्तुत किया है। यादें, आदर्शों और मूल्यों की स्थायी सरचना—ये सब मिल कर राजनीतिक शक्तियों का भान्तरिक स्रोत बनती है। भान्तरिक स्रोत के ये सभी भाषार या निर्माणक तत्त्व 'सामाजिक सम्प्रेषण' (Social Communication) की सुविधा पर निर्भर करते हैं। सम्प्रेषण के साथनों के माध्यम से ही कोई भी समाज प्रधाना राजनीतिक उन्नत भवीत, वर्तमान और समकालीन स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करता है।<sup>1</sup> भवीत की जानकारी वर्तमान की आदत का निर्माण करती है प्रथात् पिछली बातों का ज्ञान लोगों में आदत या भान्त्यास को उत्पन्न और विकसित करता है। जब लोग जानते हैं कि उनके पुरखा सरकारी आदेशों का पालन करते रहे तो वे भी स्वत ही सरकारी आदेशों का पालन करने लगते हैं। समकालीन परिस्थितियों का ज्ञान भी जनता में राजनीतिक निर्णयों को स्वीकार करने की भावना विकसित करता है। प्रभिप्राप्य यह हृषा कि सम्प्रेषणों प्रधाना सूचनाओं का किसी भी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के विकास में, उसकी प्रभिवृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहला स्थान सूचनाओं का है और उत्पन्न वाद्यकारी शक्ति का। सूचनाएं लोगों ने यादतों का निर्माण करती हैं और फनस्वरूप वे निर्णयों प्रधाना कानूनों का भविकांशत पालन करते हैं। सूचनाओं के बाद बाध्यकारी शक्ति का स्थान है,<sup>2</sup> जो लोग कानूनों का प्रतिरोध करते हैं उन्हें बाध्यकारी शक्ति द्वारा कानूनों के घनुपालन के लिए विवर कर दिया जाता है। ढायच का निष्कर्ष है कि जब किसी समाज या राजनीतिक व्यवस्था के प्रसिद्धत और विकास के लिए सूचनाओं की मात्रा और विस्तार सूचनाओं के सचार के लिए सदनों और सरचनाओं की शक्ति का इतना प्रधिक महत्व है तो यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्था वस्तुतः 'सचार मार्गों का जातु' (Net work of Communications Chancel) है। विभिन्न राजनीतिक प्रश्नों और समस्याओं को सम्प्रेषण के प्रध्ययन में एही रूप में और सरल परिप्रेक्ष्य में समझ जा सकता है।

किसी भी समाज और राजनीतिक व्यवस्था में सम्प्रेषण के मूलन दो प्रकार हैं—प्रौपचारिक एवं प्रनौपचारिक। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में प्रौपचारिक सम्प्रेषण के लिए कुछ सत्यापत व्यवस्थाएँ की जाती हैं। इनको समझायें एवं प्रभावों को दूर करने के लिए क्यक्ष घनौपचारिक सचार व्यवस्था का भी विकाय होने लगता है। प्रौपचारिक सम्प्रेषण के पांच मुख्य माध्यम हैं—

1 Deutsch Nationalism and Social Communication, p. 75

2 Deutsch The Nerves of Government, p. 151

- . (क) मौखिक सम्प्रेषण (Oral Communication)
- (ख) स्मृति-पत्र (Memorandum)
- (ग) कामबींकायंवाही (The Paper-flow)
- (घ) प्रतिवेदनों का प्रभिलेस (The Record of Reports)
- (ङ) संक्षिप्त पुस्तिका (Manuals)

प्रनोपचारिक सम्प्रेषण के तरीके औपचारिक साधनों के दूरक है। प्रपनोपचारिक सम्प्रेषण व्यवस्था सगठनों के सदस्यों के सामाजिक सम्बन्धों पर आधारित है। जब दो व्यक्तियों के बीच मित्रता होती है तो उनके बीच निकट सम्पर्क और सुसी बातचीत के प्रनेक अवसर प्राप्त है। प्रनोपचारिक सम्प्रेषण व्यवस्था कभी-कभी व्यवस्था के सदस्यों की घटेका व्यक्तिगत लक्ष्यों की ओर भी उन्मुख हो जाती है। प्रनोपचारिक सम्प्रेषण का प्रधिकारी भाग गवर्णों के रूप में होता है। कालं डायच के प्रनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था के प्रनतर्गत इसके समटक जैसे व्यक्ति का समूह, राष्ट्र और राज्य, प्राप्त एव सश्वर्त सूचनाओं के द्वाधार पर इस प्राप्ति के प्रनुसार क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं कि दूसरे कंसी क्रिया-प्रतिक्रिया करें। दूसरे शब्दों, राजनीतिक व्यवस्था के प्रनतर्गत क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं का स्रोत वे सूचनाएँ हैं जो अतीत और वर्तमान से प्राप्त की जाती हैं और जिनका समूह भी है। डायच भी मान्यता है कि राजनीतिक व्यवस्था बड़ी सीमा तक समन्वित भाजाओं के ढाँचे (Fabric of Co-ordinate Expectations) पर निर्भर करती है। राजनीतिक व्यवस्था में सचार-तन्त्रों के समान ही सूचनाओं को प्राप्त, एकत्र, प्रसारित, व्यवहार एव समूह वरने की यत्र रचनाएँ और प्रक्रियाएँ पाई जाती हैं तथा इन्हीं के कारण राजनीतिक व्यवस्था स्व-विनियमित (Self Regulating) व्यवहार स्व-नियन्त्रक (Self Controlling) व्यवस्था होती है। राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य सदेश-प्रमारण और सचार मार्गों के नियन्त्रण तथा समन्वय के लिए इन्हीं समयों प्रथा यत्र रचनाओं को प्राप्त करते हैं। इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण हम इस प्राधार पर कर सकते हैं कि समन्वय और नियन्त्रण के यत्र उद्देश्यों के सम्बन्ध में विस्त्रिता में काम कर रहे हैं।

विनी सम्प्रेषण या सचार व्यवस्था को प्रभावित तभी बनाया जा सकता है जबकि उनका रूप एव विषय-वस्तु ग्रहणकर्ताओं की इच्छा, मूल्य, प्रायमिकता और मन स्थिति के घनकूल होते हैं। इसके परिवर्तक कुछ मन्य बातों का भी सचार की ग्रहणशीलता पर प्रभाव पड़ता है उदाहरण के लिए मूचनादाता को प्रभावशीलता, मूच्छा का रूप, उम्बा मौखिक या लिखित होना, उसकी औपचारिक या प्रनोपचारिक भाषा और सचार व्यवस्था के स्रोत। बालं डायच ने निखारा है कि यदि किसी सचार दे लिए प्रनेक विकल्पात्मक स्रोत हैं तो अनियंत्रित की स्थिति के कारण सम्प्रेषण व्यवस्था नक बानी है। दूसरी ओर यदि कुछ स्रोतों में ही प्रनेक समाचार मिल रहे हैं तो सम्प्रेषण व्यवस्था में भ्रम उत्पन्न हो जाता है।

सम्प्रेषण व्यवस्था एवं निर्णय प्रक्रिया दोनों के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। यदि ये दोनों समरूप नहीं हैं तो कम से कम परस्पर निर्भर अवश्य हैं। व्यवहार में इन्हे एक दूसरे से प्रलग नहीं किया जा सकता।

डायच के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था के आसननन्त्र अथवा सरकार को चलाना एक जहाज चलाने के समान है। सरकार को हम सचार मार्गों के प्रशासन का एक रूप मान सकते हैं। शक्ति नहीं बल्कि चालन (Steering) सरकार की मुख्य समस्या है। सरकार के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग उतना अधिक नहीं होता जितना सूचनाओं का। राजनीतिक व्यवस्था में इच्छाओं को बल की धमकी द्वारा नहीं बदला जाता वरन् सूचनाओं के चालन से इच्छाएँ स्वयं बदलती रहती हैं। जिस तरह सचार विज्ञान के उपकरण सूचनाओं के अनुसार कार्य करते रहते हैं इसी तरह राजनीतिक व्यवस्था के सघटक (व्यक्ति, समूह, राज्य आदि) सूचनाओं के ही आधार पर कार्यरत रहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में उपमचार तन्त्र भी होते हैं। डायच ने हित समूह, राजनीतिक दल आदि को इसी प्रकार के तन्त्र माना है। ये तन्त्र न केवल एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं बल्कि अपने में चालन क्षमता भी रखते हैं और अपनी व्यवहार-सूचनाओं को सुधारते रहते हैं।

डायच ने वे कस्टोटियाँ भी प्रस्तुत की हैं जिनके द्वारा हम यह पता लगा सकें कि एक राजनीतिक व्यवस्था का विकास हो रहा है या नहीं। इसके लिए हमें ज्ञात करना होगा कि—(1) सचार या सम्प्रेषण मार्गों को परिष्कृत करने की क्षमता राजनीतिक व्यवस्था में कितनी है प्रथात् प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था उन मार्गों को, जिनमें वि सूचनाएँ मिल रही हैं, परिष्कृत कर रही है प्रथवा नहीं? (2) सूचनाओं से पर्यावरण को प्रभावी उत्तर देने की क्षमता अवश्य है, घटी है या बढ़ी है? एवं (3) जो ध्येय हैं उनके क्षेत्र में और उनकी विविधता में विस्तार हुआ है प्रथवा नहीं?

डायच ने राजनीतिक व्यवस्था को एक ऐतिहासिक व्यवस्था भी माना है वयोंकि वह अपने अनीन में भी सूचनाएँ प्राप्त करती है इस पकार राजनीतिक व्यवस्था की अपनी एक स्मृति (Memory) भी होती है। सूचनाओं के मुख्य स्रोत होते हैं—प्रतीत (Post) बाह्य पर्यावरण (External Environment) और प्रान्तरिक पर्यावरण (Internal Environment)। चूंकि बाह्य पर्यावरण भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए सूचनाओं का प्रमुख स्रोत है, अतः राजनीतिक व्यवस्था एक खुली व्यवस्था होनी है न यि बन्द।

डायच की विश्लेषण पद्धति मनुष्यन सिद्धान्त से भिन्न है और प्रतिसम्बरण' या प्रदाय (Feed-back) वह प्रमुख विचार है जो डायच के विश्लेषण को सतुरन विश्लेषण से पृथक् करता है। 'फोडबैक' एक प्रवार की गूचना है। यह सचार या सम्प्रेषणों का एक जाल प्रथवा दौड़ा है जो सूचनाओं के इनपुट के प्रत्युत्र न रायों द्वा जन्म देना है। साथ ही इसके अन्तर्गत प्रपने हीं रायों के परिमाप नी प्राप्त हैं जो हि इसके व्यवहार को बदलते हैं। डायच के अनुसार प्रवार व्यवस्था में प्रत्यक्ष

संगठन में 'फीडबैक' संयन्त्र होते हैं जो सूचनाओं के आधार पर व्यवस्था या संगठन को अपनी दिशा बदलने को प्रेरित करते हैं। फीडबैक का विचार गतिशीलता के विचार का जनक है, इसके कारण ही राजनीतिक व्यवस्था में सुदूर गतिशीलता बनी रहती है। डायच ने फीडबैक संकल्पना के अन्तर्गत 'भार' (Load), 'पश्चायन' (Lag), 'ग्रजन' (Gain) और 'प्रग्रायण' (Lead) सम्बद्धावलियाँ प्रयुक्त की हैं, उसने इन्हें उप-संकल्पनाएँ माना है और नकारात्मक फीडबैक (Negative Feedback) के विचार का प्रतिपादन किया है। नकारात्मक फीडबैक, डायच के अनुसार वह संयन्त्र ग्रथवा यन्त्र रखना है जो व्यवस्था को अपने निर्णयों और कार्यों के परिणामों के बारे में सूचित करता है और इस सूचना के माध्यार पर ही राजनीतिक व्यवस्था अपने ध्येयों को प्राप्त करने से सम्बन्धित व्यवहार को मावश्यकतानुसार बदलती रहती है। 'भार' (Load) से डायच का आशय सूचनाओं की पूरी मात्रा से है जो एक राजनीतिक व्यवस्था किसी समय विशेष को अपने पास रखती है। 'पश्चायन' (Lag) से आशय उस समय से है जो एक राजनीतिक व्यवस्था सूचनाओं को प्रत्युत्तर देती है। 'प्रग्रायण' (Lead) का भी अपना विशेष अर्थ है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था कुछ निर्णय लेती है और कार्य करती है तथा इन निर्णयों और कार्यों के परिणामों के बारे में अनेक पूर्व घोषणाएँ की जाती हैं। इन पूर्व घोषणाओं के सम्बन्ध में राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिक्रिया-क्षमता क्या है, इस विचार को ग्रायण प्रस्तुत करता है। ये सभी उप-संकल्पनाएँ एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और उद्देश्य-प्राप्ति की सफलता इनकी मात्रा पर विशेषकर 'भार' और 'पश्चायन' की मात्रा पर निभर करती है।

डायच का सम्प्रेषण-सिद्धान्त महत्वपूर्ण और उपयोगी है जिसकी सहायता से राजनीतिक विश्लेषण में यथार्थता, विनुद्दता और गहराई यथिक घा गई है। सम्प्रेषण व्यवस्था के ग्रध्ययन में निर्णय-निर्माण यन्त्र को ग्रधिक सार्थक, उपयोगी और प्रभावशाली बनाने में सहायता दी है। तथापि इस सिद्धान्त की अनेक कमज़ोरियाँ हैं और आलोचकों ने मुख्यतः ये ग्रापतियाँ प्रस्तुत की हैं—(1) यह सिद्धान्त सूचना के प्रवाहों पर ग्रधिक ध्यान देता है, सूचना के परिणामों पर नहीं। (2) डायच न इस सिद्धान्त के विवेचन में जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, वह पर्याल दुर्लभ है, (3) यह उपागम जटिक एवं नियन्त्रण को गहराई से समझने में कोई सहायता नहीं कर पाता, (4) डायच उपागम के लक्ष्यों के सम्बन्ध में उद्देश्यपूर्ण तरीके से सोचता है। यह प्रवृत्ति गर्वज्ञानिक है, (5) डायच के प्रति सम्भरण प्रतिरूप में ग्रवोडिक, ग्राक्सिमिक और दंबीय व्यवहार के लिए कोई स्पान नहीं है, (6) डायच का चिन्तन ग्रति ग्रोवडारिक एवं ग्रति ग्रोडिकता के कुछ पूर्वापहो से प्रस्तु है, (7) यह सिद्धान्त मनुष्यों एवं जानवरों में मन्त्र नहीं करता जबकि यह मन्त्र मूलभूत है और हमेशा बना रहेगा।

## निर्णय-निर्माण (स्नाइडर)

[Decision-Making (Snyder)]

राजनीतिकोश की दुनिया में निर्णय अथवा विनियोग निर्माण उपायम का प्रबंधन हूँट स्नाइडर ने प्रशासनिक व्यवहार के क्षेत्र में किया है और स्नाइडर, ब्रूक एवं सेपिन ने इसे मन्तरालीय सम्बन्धों के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान दिलाने का श्रेय प्रजित किया है। इन विद्वानों की मान्यता है कि एक व्यवस्था की विशेषताएँ निर्णय निर्माताओं के व्यवहार को पर्याप्त प्रभावित करती हैं। सेखको ने सगठनात्मक सन्दर्भ के लक्षणों को स्पष्ट किया है और इस पर बत दिया है कि जब तक हम लक्षणों का पूरा अध्यान न रखें तब तक एक समाज-व्यवस्था में निर्णय-निर्माण के कार्य को सही रूप में नहीं प्रभावित किया जा सकते। इन्होंने सगठनात्मक सरचना के जिन लक्षणों का उल्लेख किया है वे इस प्रकार हैं—(1) ग्रौपचारिक सघठनों के कम्बंचारी सगठन के सदस्य होने के नाते जीविका प्राप्त करते हैं जिनका सीमित कार्यकाल होता है, (2) सघठन द्वारा प्रदत्त अधिकार निर्णित विशेष तथा सीमित पदसोपानीय लक्ष्य होते हैं, (3) मान्त्रिक विशेषीकरण अथवा श्रम-विभाजन, (4) सत्ता और नियन्त्रण, (5) भभिप्रेरणा, (6) सचार, (7) ग्रौपचारिक एवं नैतिक सम्बन्ध, (8) पद स्थिति एवं जीविका का व्यवसायीकरण। उगठनात्मक सन्दर्भ के ये सभी लक्षण निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जो लोग निर्णय-निर्माण में भाग लेते हैं वे किसी निश्चित सामाजिक सरचना (सगठन) के सदस्य होते हैं। उनकी क्षमता का आधार मान्त्रिक विशेषीकरण और उनकी भभिप्रेरणा का स्रोत भर्ती एवं प्रशिक्षित होता है।

स्नाइडर, ब्रूक एवं सेपिन ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि राजनीतिक साहित्य में निर्णय-निर्माण प्रक्रिया के विवेचन की घबहेलना की गई है। इसे निराशाजनक स्थिति ही कहा जाएगा कि नीति-निर्माण में राजनीतिक वैज्ञानिकों की दीर्घकालीन रुचि होते हुए भी निर्णय-निर्माण की घबधारणा को अधिक विकसित या परिभावित नहीं किया गया है।<sup>1</sup> निर्णय-निर्माण के सिद्धान्तों और सन्दर्भों का विवेचन करने की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया है—यहाँ तक कि यह प्रश्न भी अभी तक एक पहेली बना हुआ है कि निर्णय विधा होता है और किस तरह लिया जाता है। इन विद्वानों ने अपनी परिभाषा प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि—‘निर्णय-निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक परियोजना के सामाजिक रूप से परिभावित समस्या-जनक वैकल्पिक परियोजनाओं में से चयन के रूप में प्रतिफलित होती है। यह परियोजना निर्णय निर्माता द्वारा कल्पित, विशेष भावी वस्तु स्थिति को लाने को अभिलक्षित होती है।’

रिचर्ड स्नाइडर ने निर्णय निर्माण उपायम के दब-मूलीय विकास की ओर सकेत किया है—

<sup>1</sup> *Snyder, Bruck and Sapir . The Decision Making Approach in Political Behaviour, p 253*

प्रथम, पर्यावरण सम्बन्धी तत्त्वों का निर्णय-निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण निर्णय-कार्य को आशा से अधिक सरल भी बना सकता है और निर्णय-कार्य के सभी अनुमानों को निराशा में भी बदल सकता है। पर्यावरण का भनोवेज्ञानिक एवं परिषासन सम्बन्धी पहलू का निर्णय-सीमांग्रे के निर्धारण में महत्वपूर्ण हाथ होता है।

द्वितीय, व्यक्तित्व सम्बन्धी तत्त्व भी निर्णय-निर्माण को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ राजनीतिक कियाएँ राजनेताओं के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहतीं। यदि व्यक्तित्व सम्बन्धी तत्त्वों का सही मूल्यांकन किया जाए तो राजनेताओं द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को समझने और उनके आधार पर सिद्धान्त-निर्माण करने में काफी सफलता मिल सकती है। राजनीतिक तथ्यों की प्राप्ति के लिए भनो-विश्लेषण सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग बड़े अच्छे परिणाम दे सकता है।

तृतीय, नीति प्रक्रिया अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। घन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में निर्णय-निर्माण पर राजकीय और अराजकीय अभिहत्तियों का प्रभाव पड़ता है। हम विदेश नीति के निर्माण को लें तो स्पष्ट जात होगा कि सामान्य जनभत, दबाव समूहों, व्यापक जन-सम्पर्क साधनों, कार्यपालिका विभाग के विशिष्ट प्रभिकर्ताओं, विजिष्ट व्यवस्थापिका समितियों प्रादि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और कुछ मामलों में तो एक बड़ी सीमा तक निर्णयात्मक भी।

चतुर्थ, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अन्योन्याधित किया का भी निर्णय-निर्माण पर काफी प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक निर्णय लेने का भार सरकार पर होता है और कायपालिका तथा व्यवस्थापिका इन दो महत्वपूर्ण सरकारी अगों का पारस्परिक प्रभाव इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इन तीनों अगों में भेल जोल और सद्भावना है तो निर्णय-निर्माण प्रभावी त्वरित और अधिक फलदायक सिद्ध होता है। और यदि दोनों अगों में परस्पर तनाव अवधार सधर्व है तो निर्णय-निर्माण प्रक्रिया विपरीत रूप में प्रभावित होती है।

पचम, निर्णय-निर्माण घन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन का एक आवश्यक उपागम है। विचित भी व्यानपूर्वक देखने से हमें स्पष्ट होगा कि किसी भी राज्य का निर्णय उसके अभिकर्ता द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होता है। किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय होता है यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि निर्णयकर्ता कौन और कैसा है। इसी प्रकार सगठन की प्रकृति, सम्प्रेषण, प्रयोजन प्रादि निर्णय-व्यवहार को उत्प्रेरित करते हैं।

बस्तुत निर्णय-सिद्धान्त के घन्तर्गत निर्णय-निर्माण एक वह प्रक्रिया है जिसमें अनेक क्रियाएँ घन्तरित होती हैं। समस्या का अभिज्ञान, सूचना-सम्प्रेषण, विकल्प-निश्चय, कर्ता द्वारा किन्हीं दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक का चयन प्रादि निर्णय-निर्माण के आवश्यक प्रग हैं। यदि किसी क्षेत्र विजेता को निर्णय-निर्माण विजेता को लें तो उसमें विभिन्न इकाइयों निर्णायिक इकाइयों जैसी भूमिका पदा

करती हैं। स्नाइडर, ब्रूक एवं सेपिन ने अमेरिकी विदेशी नीति की रचना में भाग लेने वाले लगभग साठ अभिकरणों की बात कही है। ये सभी निरांयिक इकाइयें हैं, किन्तु इनका और इनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों का नियम-निर्माण की दृष्टि से एक जैसा महत्व नहीं होता। इसके प्रतिरिक्त एक इकाई प्रत्येक निराय में एक जैसी भूमिका नहीं निभाती। इन इकाइयों का महत्व बराबर का नहीं है। इनका प्राप्तसी सम्बन्ध कभी समानता और कभी असमानता का होता है। प्रत्येक निरांय-निर्माण में इनके ग्रलग-ग्रलग सदस्य कार्य करते हैं। इन सब बातों को व्यान में रखते हुए सम्पूर्ण व्यवस्था में से निरांयिक इकाइयों को पृथक् करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इन विचारकों की मान्यता है कि सभी निरांयिक इकाइयाँ समगठनात्मक व्यवस्थाएँ होती हैं। समगठन का ग्रार्थ कार्यक्रमों की व्यवस्था और सम्बन्धों की सरचना से है। निरांयिक इकाइयों के विभिन्न रूपों में आकार, सरचना, स्थायत और में स्थिति, ग्रन्थ समगठनात्मक इकाइयों से सम्बन्ध, इकाई का कार्यकाल, उद्देश्य का प्रकार आदि भाषारों पर भन्तर पाए जाते हैं। स्नाइडर ब्रूक एवं सेपिन ने निरांयिक इकाई की स्थापना की दो प्रणालियों का उल्लेख किया है—Automatic Assignment एवं Negotiation। इन दोनों प्रणालियों द्वारा सकल निरांय निर्माणी सरचना में निरांयिक इकाइयों स्पष्टित की जाती है। निरांय-निर्माणीयों का चयन प्रायः समस्याओं अथवा निरांय के वर्गीकरण पर प्रावारित होता है। विभिन्न अभिनेताओं का औपचारिक कार्य यह निर्धारित करता है कि वे निरांयिक इकाई के भूग्र होंगे या नहीं। जहाँ कहीं तैत्तिक प्रक्रिया नहीं होती अथवा नई परिस्थितियों के कारण विशेष प्रक्रिया प्रयोगनार्थी पड़ती है वहाँ चयन का नियम तरीका ग्राहीत Negotiation अपनाया जाता है। विदेशी नीति निर्माणी की सरचना में हुए महान् सधर्व प्राय इस प्रश्न पर निम्नर रहे हैं कि निरांय कौन लेगा। निरांयकर्ता प्राय ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो सार्वजनिक अथवा वैधिक उत्तरदायित्व के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक विनियशय (निरांय) करते हैं अथवा व व्यक्ति होते हैं जो निरांय-निर्माण में हाथ बटाते हैं। निरांय निर्माण में सलमनकर्ताओं को सूचना देने वाले लोग भी निरांय कर्ताओं की ओरी में आ जाते हैं और इसी प्रकार उन प्रभिज्ञों को भी प्रयोग कर्ताओं की ओरी में सधर्व जाता है। जो निरायों का विकल्प दूँड़ने में सक्षम होते हैं। दबाव समूह के नेता निरायों को प्रभावित करने वाले प्रश्नासक, निरायों को विशेषाधिकार द्वारा करने वाले व्यक्ति आदि भी निरांय कर्ताओं में गिने जाते हैं। इस तरह स्थानीय, राज्य-स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय आदि स्तरों पर निरांयकर्ताओं का निर्धारण किया जाता है। निराय ब्रितने महत्वपूर्ण सेने होते हैं अथवा निरांयकर्ताओं की सह्या उतनी ही कम होती है। दूसरे शब्दों में ही प्राय या रोटी के निरायकर्ता सह्या में कुछ ही होते हैं—और प्रधिनायकवादी व्यवस्था में प्राय एक ही।

निरांय सिद्धान्त का एक यह दृष्टि है कि निराय निर्माण जड़ता का बोध नहीं देता ग्राहीत् यह एक ग्राहात्मक काय है जिसमें सम्बन्ध-सिद्धान्त के समान

निरंयकतामो द्वारा प्रतिस्पर्द्धा, परिवर्तन, सहयोगपूर्ण समाजान, भारतक, भय, सम्बलन आदि प्रक्रियामो का उपयोग किया जाता है।

निरंय-निर्माण उपायम को स्पष्ट करते हुए स्नाइडर, डूक एवं सेपिन ने विदेश नीति के निरंयों की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख किया है। यद्यपि विदेश नीति के निरंय मन्य निरंयों से भिन्न नहीं होते, तथापि इन निरंयों की कुछ अपनी विशिष्टताएँ होती हैं जो इस प्रकार है—(1) विदेश नीति में सम्बद्ध उद्देश्यों एवं परियोजनामो का एक व्यापक क्षेत्र होता है जिसकी अनेक व्याख्याएँ की जा सकती हैं, (2) यहाँ सेवित व्यक्ति बहुरूपी होते हैं, भलः निरंयों के प्रति विरोधी या असन्तोषजनक प्रतिक्रिया और मीण की सम्भावना रहती है, (3) सहमति प्राप्त करने से पूर्व अनेक सम्भावनामो को एकीकृत किया जाता है, (4) यहाँ निरंयों की परिस्थिति और वातावरण अधिक जटिल, कम निश्चित तथा कम स्थाई होता है, इसलिए कायों के परिणाम की भविष्यवाणी और नियन्त्रण कठिन है, (5) सूचना के खोत व्यापक तथा कम विश्वसनीय होते हैं। इनके बर्गोंकरण की आवश्यकता एक विशेष समस्या उत्पन्न करती है, (6) यहाँ प्रयोग के घबराहो का अपेक्षाकृत अभाव—रहता है और परिस्थितियों के पुनः पुंदा होने की सम्भावना नहीं रहती, (7) यहाँ संगठनात्मक प्रभावशीलता और नीति सम्बन्धी परिणामों को मापने में कठिनाई होती है, (8) यहाँ विकल्पों पर इस रूप में विचार करने की आवश्यकता होती है कि उन्हें प्रभास्तीकरण की जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, (9) यहाँ समस्याजनक परिस्थिति उत्पन्न होने तथा उसके परिणाम सामने आने में पर्याप्त दूरी रहती है, (10) यहाँ मूलभूत मूल्य सम्बन्धी सधयों की अधिक सम्भावना रहती है और इसलिए अधिक व्यापक समझौते जरूरी बन जाते हैं।

निरंय निर्माण प्रक्रिया में अनेक परिस्थितियों द्वारा वैकल्पिक उद्देश्यों, तकनीकों, परियोजनामो की राजनीतियों और निरंय-निर्माण के साधन खोतों पर सीमाएँ स्थापित की जाती हैं। इन सीमाओं पर निरंय-निर्माणा की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। ये सीमाएँ अपने खोतों के आधार पर तीन भागों में बर्गीकृत की जा सकती हैं—निरंय-निर्माणा व्यवस्था से बाहर के तत्त्व, निरंय-निर्माणा व्यवस्था की प्रकृति एवं कायों से उत्पन्न तत्त्व और इन दोनों के मध्ये से उत्पन्न तत्त्व। बाहरी सीमाओं की दृष्टि से राज्य को ऐसे उद्देश्यों का व्ययन नहीं करना चाहिए जिन्हे प्राप्त करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन न हो। उसे ऐसी तकनीकें नहीं चाहिए जो लक्ष्य-प्राप्ति के लिए अन्य तकनीकों की अपेक्षा कम प्रभावशील हों। इन बाहरी सीमाओं की मनुभूति निरंय निर्माणामों की व्यक्तिगत प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती। आन्तरिक सीमाएँ वे हैं जो स्वयं व्यवस्था में अन्तर्निहित रहती हैं। ऐसी आन्तरिक सीमाओं के रूप में सूचना के भ्रमक या यत्तत सूचना, सचार-व्यवस्था की सफलता, परम्पराएँ, निरंय-निर्माणामों की मनुभूति और सीमित साधन खोत आदि हैं।

निरंय-निर्माण के प्रतिपादकों का यह दावा नहीं है कि उनका प्रतिरूप सभी

राजनीतिक क्रिया-कलापों की व्याख्या करने में प्रसमर्य है, परितु उनका कहना यह है कि निर्णय-निर्माण एक राजनीतिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें सन्देह नहीं कि निर्णय-निर्माण विश्लेषण ने अध्ययन के नए आयामों का उद्घाटन किया है, तथापि यह विश्लेषण कई दृष्टियों से तीव्र आलोचना का पात्र बना है। यह विश्लेषण सिद्धान्त-स्थापना में सफल नहीं हो पाया है क्योंकि अत्यन्त बहुत है। इसके अतिरिक्त निर्णय-निर्माण उपागम के अन्तर्गत जब तक अन्तर-शास्त्रीय अध्ययन की विशिष्ट सरचना प्राप्त नहीं होगी तब तक मनोवैज्ञानिकों समाजशास्त्रियों अर्थ साहित्यों आदि के ज्ञान का राजनीतिक अध्ययन को दृष्टि से प्रयोग सम्भव नहीं है। यह भी एक गम्भीर दोष है कि निर्णय-निर्माण द्वारा प्रक्रिया पर अधिक जबर्नि प्रक्रिया के परिणाम पर बहुत कम जोर दिया गया है। फलस्वरूप कई बारं निर्णय-प्रक्रियाओं की भक्ति निर्णय के उदगम को समझ में दूर कर देनी है। निर्णय सिद्धान्त की सफलता तब तक सदिगढ़ है जब तक कि हम यह जान पाएं कि निर्णय किस प्रकार किए जाते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। रोजनाऊ जैसे विद्वानों ने निर्णय-निर्माण विश्लेषण की ग्रनेक कमियों और दुर्बलताओं की ओर सकेत किया है। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा विदेश नीति को समझाने के लिए निर्णय-निर्माण विश्लेषण अपर्याप्त है। एक तो इन धोनों में कर्ता द्वारा लिए गए निर्णय किसी निश्चित मार्ग का अनुगमन करने का दावा नहीं करते और दूसरे निर्णय निर्माण में कर्ता अपने पूर्वाधिकों से भी मुक्त नहीं रह पाते। हम इन तथ्यों को भी नहीं भुला सकते कि निर्णय निर्माण नौकरशाही पर पलता और कन्ता-फूलता है विधान मण्डलों पर द्याया रहता है, कायपालिका को उनकाए रखता है और न्यायिक संस्थाओं को भी बोकिल बनाता है। रोजनाऊ स्नाइडर के निर्णय निर्माण सिद्धान्त को सिद्धान्त मानने के पक्ष में नहीं है। उसका कहना है कि स्नाइडर न संगठनात्मक परिवृत्तों का विवेचन ता कासी विस्तार से किया है जबकि आन्तरिक एवं बाह्य कारणों पर बहुत कम प्रकाश डाला है। स्नाइडर न निर्णय निर्माण प्रक्रिया को विदेश नीति के निर्णय से संयुक्त करने के प्रयास में प्रान्तरिक और वैदेशिक प्रभावों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है इन प्रभावों को सरसरी नियाह से न देखकर एक प्रकाशक की नियाह से देखता है। निर्णय निर्माण में बाह्य दबाव महत्वपूर्ण और अधिक परिवर्तनशील हैं जिन पर स्नाइडर न कम ध्यान दिया है। उसने आन्तरिक और बाह्य तत्त्वों को जो विवेचन प्रस्तुत किया है उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि विभिन्न परिस्थितियों में कर्ता द्वारा क्या विकल्प लिए जा सकते हैं। निर्णय निर्माण सिद्धान्त को सम्पूर्ण राजनीतिक निर्माण, का निदृष्ट दृष्टि, जबकि आज यह उपागम के बहुत विदेश नीति तक ही सीमित रह गया है यह आवश्यक है कि निर्णय निर्माण उपायमांकों वास्तविकताएँ दें और अधिक सत्रिक नामा जाए।

### उत्तर-व्यवहारवाद (Post-Behaviouralism)

व्यवहारवादी दृष्टिकोण जब धरनों सुनना की चरम सीमा पर या तभी पुग

के बढ़ते हुए सामाजिक और राजनीतिक संकटों ने इसे या ऐरा और उत्तर-व्यवहारवादी कान्ति (Post-Behavioural Revolution) का आरम्भ हो गया जिसे हम व्यवहारवाद के विश्व कोरी प्रतिक्रिया मात्र नहीं कह सकते अपितु जो प्रतिक्रिया से कुछ भविक है। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर-व्यवहारवादी कान्ति अनीन-अभिमुख न होकर भविष्योन्मुख है, यह एक प्रान्दोलन भी है और बोल्डिक प्रवृत्ति भी, जिसका नारा है संगति एवं कार्य (Relevance and Action), प्रथांतु राजनीतिक विज्ञान की सीधे और प्रधापन को वर्तमान समस्याओं के साथ अपनी संगति बैठाना और उनके प्रति कायंशील होना चाहिए। डेविड ईस्टन को इस उत्तर-व्यवहारवादी कान्ति का उद्घोषण कहा जाता है। ईस्टन ने लिखा है कि—

“उत्तर-व्यवहारवादी कान्ति न तो राजनीतिक जीव के किसी स्वरूप युग की और सौटने का प्रयास है और न ही इसका मन्तव्य किसी पद्धतीय दृष्टिकोण विशेष का विनाश करना है। इसे ऐसे समर्थकों की आवश्यकता नहीं है जो मानव आचरण के सम्बन्ध में परीक्षण योग्य सामान्यनाएँ खोजने की सम्भादनाप्रो को नकार सके। यह राजनीति विज्ञान को नई दिशाप्रो की ओर उत्प्रेरित करती है। जिस प्रकार सन् 1950 के दशक में व्यवहारवाद ने अपनी नई तकनीक से हमारो विरासत में मे कुछ भी घटाने के स्थान पर बहुत कुछ जोड़ा था, वैसे ही यह भी एक सकारात्मक आनंदोलन है। मत यह कहा जा सकता है कि यह नया विकास एक प्रतिक्रिया न होकर एक वास्तविक कान्ति है, जो आरक्षण की अपेक्षा भवितव्य पर बल देती हुई प्रतिमुदारात्मक न होकर सुधारात्मक प्रधिक है।”

“उत्तर-व्यवहारवाद एक दुहरा आनंदोलन है जो व्यक्ति समूह और बोल्डिक प्रवृत्ति दाना का प्रतिनिधित्व करता है। एक आनंदोलन के रूप में इसमें विख्यात हुए प्रस्तिर एवं ऐसे वितन ही प्रखर मुला हैं, जो स्वयं व्यवहारवादी कान्ति में उसके योवनकाल में रहे हैं। इस व्यापक और प्रस्त व्यस्त आनंदोलन को व्यवसाय के अन्दर अथवा बाहर के समृद्धि समूहों के साथ मिलाकर देखना एक भारी भूल ही नहीं अपितु नयकर मन्याय नी होगा। इसी प्रकार सभी उत्तर-व्यवहारवादियों को कुल मिलाकर किसी विशेष प्रकार का राजनीतिक रण देना भी अनुचित होगा। ये लोग अनुदारों से लेकर सक्रिय वामपन्थियों तक में पाए जाते हैं। इस आनंदोलन की किसी पद्धति विशय में भी कोई विशेष निष्ठा नहीं है। इसमें बठोर विज्ञानवादियों से लेकर समर्पित परम्परावादी तक भाग ले रहे हैं। न ही किसी उच्च विशेष के वर्ण की इसमें विशिष्ट प्राप्त्या है। इसके समर्थन में पाज नई पीड़ी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी तथा व्यवसाय के दुरुगं नेना सभी एक रूप में भाग ले रहे हैं। यह असम्भाव्य विविधना, जो राजनीतिक, पद्धतीय एवं पीड़ी विरोध के बावजूद भी आज एक भावना से संयुक्त होकर प्रस्तुत हुई है, उसके जड़ में केवल एक ही तथ्य है और वह है ‘समकालीन राजनीतिक अनुग्रहान की दिशा में गहरा अमन्तोप’।”

उत्तर-व्यवहारवाद चाह इतना ही नया हो इसके मूल सिद्धान्त इन्हें प्रबन्ध उभर चुके हैं कि उन्हें पहुचना जा सकता है। डेविड ईस्टन ने इसके प्रमुख सिद्धान्तों का परिचय इस से बहुंन दिया है—

1. तकनीक से तथ्य पहले आने चाहिए। यदि एक के लिए दूसरे का परित्याग करना ही है (और यह सदेव आवश्यक नहीं है) तो यह ग्रंथिक महत्वपूर्ण है कि समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं के साथ एक संप्रयोज्य संगति स्वापित की जाए, अपेक्षाकृत इसके कि अनुसन्धान के यन्त्रों को पैना बनाने में शक्ति व्यय की जाए। विज्ञान जगत् की यह लोकोक्ति कि "ग्रस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है" उत्तर-व्यवहारवादियों द्वारा इस नए सिद्धान्त से बदल दी गई है कि "ग्रस्पष्ट रूप से निश्चित होने वी अपेक्षा ग्रस्पष्ट होना कही श्रेयस्कर है।"

2 व्यवहारवादी विज्ञान एक निरीक्षणात्मक अनुदारवाद द्युगा कर चलती है। तथ्यों के केवल वर्णन और विश्लेषण मात्र की लेकर चलना उन्हीं तथ्यों को उनके व्यापक सम्बन्ध में समझने से इकार करना है। अतः प्रयोगात्मक राजनीति विज्ञान को चाहिए कि वह उन तथ्यात्मक स्थितियों को मुरखित रखे, जिन्हें वह स्वयं खोजना चाहती है। जाने अनजाने यह उस सामाजिक अनुदारवाद को लेकर चलता है, जिसमें साधारण सा विकासवादी परिवर्तन भी सम्मिलित है।

3 व्यवहारवादी शोध का यथावैताओं से बच कर चलना चाहिए। व्यवहारवादी प्रन्वेषण की मूल बात यह है कि वह अमूर्तता और विश्लेषण के प्रपञ्च में राजनीति की पाराविक यथावैताओं का द्युगा लेती है। उत्तर-व्यवहारवाद मौन के इन्हीं अवरोधों को ढहाना चाहता है, जो व्यवहारवादी शब्दावली ने प्रपने चारों ओर खड़े कर लिए हैं। इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को वह महायता प्रदान करना है, जिससे वह सकट के क्षणों में मानव-मात्र की वास्तविक आवश्यकताओं तक पहुँच सके।

4. मूल्यों का मृजनशील विकास एवं उनके विषय में शाश्वत ज्ञोष राजनीति अध्ययन का एक ज्वलन्त पहलू है। विरोधी प्रतिक्रियाओं के बावजूद भी विज्ञान मूल्यात्मक दृष्टि से न कभी तटस्व रहा है और न ही रह सकता है। अतः प्रपने ज्ञान की सीमाएँ पहिचानने के लिए हमें उन मूल्य-आधारों को जानना होगा जिन पर वह ज्ञान टिका है और उन विकल्पों को भी ढूँढ़ना होगा, जिनके लिए इस ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है।

5. किसी भी विषय के विद्वान् लोग बुद्धिमीवियों का उत्तरदायित्व वहन करते हैं। एक बुद्धिमीवी की ऐतिहासिक भूमिका यही है और यह हीनी भी चाहिए कि वह सम्यना के मानवीय मूल्यों की रक्खा करे। यह उसका विजिष्ट कार्य और दायित्व भी है। इसके प्रभाव में बुद्धिमीवी केवल ऐसे नक्तीकी और ममीनी व्यक्ति बन कर रह जाएंगे, जो समय के साथ व्यर्थ की द्वेद्याड करते हैं। ऐसा करने से वे उन सभी विशेष मुविचाओं को गंवा बंडेंगे, जो उन्ह विचार जगत् के सदस्य होने के नाते मिली हैं, जैसे प्रन्वेषण की स्वतन्त्रता तथा समाज के प्रायानों में मुरभित रहने के लिए घद्द गंर-सरकारी सुरक्षा पार्द।

6. ज्ञान का घर्यं क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व को बहुन करना है, और क्रियाशीलता का दूसरा घर्यं है—समाज को बदलना। एक वंजानिक के रूप में बुद्धिमीवी का यह विशेष दायित्व है कि वह प्रपने ज्ञान वी क्रियाशीलता वी घर्य

करे। चिन्तात्मक-विज्ञान उस उम्मीदवी शताब्दी की देन या, जब नैतिक प्रश्नों पर एक ग्राम राय थी। आवश्यकता का किंवशील विज्ञान समाज के समकालीन सघयों को प्रतिविवित करता है और आदर्शों के इस युद्ध को चाहिए कि वह हमारे शोष प्रयास में नए रग भर सके।

7 यदि एक बुद्धिजीवी का दायित्व अपने ज्ञान को कियान्वित करना है, तो बुद्धिजीवियों के मणिनो, विशेषकर विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने समय के सघयों से तटस्थ न रहे। व्यवसायों का राजनीतिकरण आज केवल वाञ्छनीय ही नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति है जिससे बचा भी नहीं जा सकता।

यद्यपि कोई भी उत्तर-व्यवहारवादी उपरोक्त सभी सिद्धान्तों से एक साथ सहमत नहीं है, तथापि डेविड ईस्टन का दावा है कि उन्होंने 'उनकी अधिकतम प्रतिभा को सूखे रूप में' प्रस्तुत किया है। ईस्टन ने आगे लिखा है कि आज की दुनियाँ तीव्र गति से बदल रही है और राजनीति-विज्ञान यह दावा नहीं कर सकता कि उसका विकास सम्पूर्ण हो चुका है। यह मानना आमतः होगा कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के खेत्र में अपने अन्तिम शब्द कह चुका है। यद्यपि काफी लम्बे समय से राजनीति विज्ञान ऐसे मॉडल बनाता रहा है जो एक अच्छे शास्त्र और समुचित शोष के लिए आवश्यक हैं तथा व्यवहारवादी मॉडल इस शताब्दी की लम्बी शृंखला का अन्तिम मॉडल है, तथापि आधुनिक विश्व की नई परिस्थितियाँ हम विवश करती हैं कि हम अपनी भावी और वाञ्छनीय प्रतिभा पर पुनर्विचार करें। अनेक ऐसी स्थितियाँ घटित हुई हैं जिनकी व्यवहारवादी या गैर-व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। वस्तुत राजनीति विज्ञानियों ने सन् 1960 की दुनियाँ को पहचानने में जो प्रभावहीनता प्रदर्शित की, उसने उत्तर-व्यवहारवादी कान्ति को जन्म दिया जो अब कलती-कूननी जा रही है। समय की माँग है कि हम परिवर्तनशील परिस्थितियों को पहचानने, व्यवहारवादी या गैर-व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के प्रति शाश्वत रूप से निष्ठावान बने रहने के म्यान पर अपनी पुरानी प्रतिमाया को आवश्यकतानुसार बदलने को उद्यत रहे। इस बात में बोई तुक नहीं कि राजनीति विज्ञान वही सब कुछ करता रहे जो वह विगत कुछ दशकों से कर रहा है। इसके विपरीत आशा यह करनी चाहिए कि एक ऐसा युग किसी दिन आएगा जिस दिन समय के प्रनुसार राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने का एक ग्राफिक विश्वसनीय मॉडल प्रस्तुत हो सकेगा। हम इस तथ्य को नजर धन्दाज नहीं करता चाहिए कि मनुष्य की भौतिक मृजनशीलता, प्राविधिक विकास और समृद्धि ने राजनीतिक उथा सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने का एक नया क्षितिज दिया है। यह एक उत्साहजनक स्थिति है कि राजनीति विज्ञान और अन्य मनी सामाजिक विज्ञानों का उत्तर-व्यवहारवादी धान्दोलन हमारे विषय की एक नई प्रतिभा प्रस्तुत कर रहा है जिसके कलस्वरूप राजनीतिशास्त्रियों पर नए उत्तराधित्व आए हैं। उत्तर-व्यवहारवादी कान्ति की मान्यता है कि शोष-कार्य में मगत होनी चाहिए। उत्तर-व्यवहारवादी कान्ति की मान्यता है कि सकार इम-

इस प्रकार से रचा जाना चाहिए कि राजनीति वैज्ञानिक अपने व्यवसाय की दृष्टि से इतने सक्षम हो कि ऐन उपचार बतला सके प्रीर कर सके, जिसस मानवता की कसौटी पर राजनीतिक जीवन उश्तुत बन सके।

उत्तर-व्यवहारवाद शोध तत्त्वोंको की अति का ग्रालाचक है तथापि, जैसा कि ईस्टन न लिखा है—“इस तथ्य को अस्वीकारा नहीं जा सकता कि शोध की तकनीकी यथेष्टता भी अनिवायता है। यदि ऐसा न होता तो ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में परीक्षणात्मक विज्ञान का गत दा हजार वर्षों वा सारा विकास निरवक हो गया होता।”

उत्तर-व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादी शोध व्याख्याता से इतना विलग है कि हमारे धर्मग्रन्थ ज्ञानको की मांगों को पूरा नहीं कर सकता। व्यवहारवादी का विज्ञानवाद एक दोनों बन नया है। इस सम्बन्ध में उत्तर-व्यवहारवादी भी दो दोनों में विभाजित हैं—विद्वानों के एक पक्ष ने विज्ञान को तिळाजिलि दी दी है तो दूसरा पक्ष व्यवहारवादी विज्ञान में कुछ न कुछ आम्झा रखे हुए समुचित अपनी शोध को अधिक सगत बनाने के पक्ष में है। दोनों पक्षों की चिन्तनधारा को डेविड ईस्टन ने इस प्रकार स्पष्ट दिया है—

एनेक उत्तर-व्यवहारवादियों ने तो आज अपने मौतिक एवं राजनीतिक आनंदमात्र के भव से विज्ञान को ही पूरी तरह तिळाजिलि दी दी है। वे मानने लगे हैं कि विज्ञान आज की सम-सामयिक आवश्यकताओं वो मानन म सबथा अक्षम है। कुछ अन्य लोग जो विज्ञान में अन्तिमिहित दोप ढूँढ़ते हैं यव अपनी मान्यताओं का उचित मानने लगे हैं। किन्तु उन उत्तर-व्यवहारवादियों के निए जो आज भी अधिनिक व्यवहारवादी विज्ञान म अपनी आम्झा रखते हैं आज वा सकट यह प्रश्न उपस्थित करता है कि वैज्ञानिक शोध की सामान्य तरनीकों में निठा रखना उचित भी है अथवा नहीं। य उत्तर-व्यवहारवादी यह निष्क्रिय निकालन पर विवश हुए हैं कि हमार पास हमारी अपनी शोध की अधिक सगत बनान के अतिरिक्त घन्य बोई विकल्प नहीं है। इसक अनुसार ऐसा करन के निए हम चाहिए कि हम अपनी व्यावसायिक जक्तियों का आज की समस्याओं पर शोध, उनक प्रति कर्मध्यता के नाव एवं निदान की दिशाप्राप्ति पर उपय करें। सक्षेप म हमस यह कहा जा रहा है कि हम अपनी स्वयं की प्रतिभा को बदल घोर एमा करन क लिए मन्दगति से गढ़न वाली मौलिक शोध जी माँगों का निलम्बित वर उपकरण के तात्कारित्व प्रवाग के लिए अपनी व्यवसायिक क्षमता स ऊपर बरें।

हम अपन मौलिक विज्ञान के एतिहासिक उद्देश्य के परिवर्णन दी राई आवश्यकता नहीं है। एमो तकनीकों हैं, जिनस हम प्राज के भ्राताभारत रूप न तात्कार सक्तों का सामना करत दृष्ट अपनी इन परम्पराओं वा नी मुरझित रख मन्द है। इस मान वो अपनान बाला उत्तर-व्यवहारवाद, व्यवहारवादी आज के लिए राई भय न माना जाकर उमो वा एक ऐसा विस्तार मात्र माना जाना चाहिए, जिसक द्वारा प्राज के युग का भ्राताधारण समस्याओं म निपटा जा सके।”

उत्तर-व्यवहारवादी क्रान्ति, ईस्टन के अनुसार, हमारे प्रमुख ज्ञानशास्त्र की आदर्श प्रतिमा को जैसा कि उस व्यवहारस्थादियूस-स्क्रिप्ट की है, बदलना चाहती है। उत्तर-व्यवहारवाद का आग्रह है कि हमारे योग्य स्तर पर वितरण की दृष्टि से मौलिक शोध पर अनुपात से अधिक बल दिया जाना चाहिए। यद्यपि इस प्रकार की शोध के सामाजिक दृष्टि से उपयोगी परिणाम बहुत दूरगमी होते हैं तथापि अन्ततोगत्वा वे अधिक विश्वसनीय रहते हैं। आज के सकटों के दबाव के सामने हमें अपनी प्राचीनिकता बदलनी होगी। हमें यह मान लेना होगा कि हमारे अध्ययन-उपकरण और हमारी सामाज्यिकता भी अपराप्त हो, किन्तु उनके द्वारा आज की प्रत्यक्ष समस्याओं का सरल और शीघ्रतम् समाधान ढूँढ़ना होगा।

"हम आदर्शवादी विज्ञान का व्यवहारवादी तर्क लेकर आज यह नहीं कह सकते कि हमारी समझदारी की भीमाओं के कारण हमारे प्रयोग अपरिपक्व हैं और हमें भावों मौलिक शोधों को प्रतीक्षा करनी चाहिए।" पुनर्श्व, "आज हमें अपनी व्यवहारवादी प्रतिमा को इतना ताड़ना तो आवश्यक है कि सकट के इस नाजुक दौर में हमारा अध्ययन-शास्त्र हमसे आज की राजनीति की केवल दृश्य जगत् की मूल सच्चाइयों को ढूँढ़ने भाव पर ही हमारे सारे प्रयास अपव्यय करने के लिए न कह। हमें अपना सन्तोष तात्कालिक समस्याओं के तात्कालिक उत्तरों को आवश्यकता से ढूँढ़ना होगा।" उत्तर-व्यवहारवाद की धारणा को, व्यवहारवाद के प्रति उसके असन्तोष को स्पष्ट करते हुए ईस्टन ने आगे लिखा है—

"उत्तर-व्यवहारवाद की सबसे बड़ी शिकायत यही रही कि हमारी शोध का कोई औचित्य नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि तकनीकों और तथ्यात्मक वर्णनों में ही आवश्यकता से अधिक उलझे रहने के कारण हम महत्वपूर्ण प्रश्नों से दूर चले गए हैं और वह बात अमेरिकी जनतन्त्रात्मक व्यवस्था के व्यवहार पर अधिक लागू होती है। हमने इस व्यवस्था के विषय में गत बर्षों में बहुत कुछ सीखा है किन्तु ऐसा करते समय हम मूल्यों के उस धेरे में घिरे रहे हैं, जो या तो हमारे आचरण को सन्तोषजनक मानता है या उसी में योड़ी बहुत वृद्धि की बातें करता है। एक अध्ययन-शास्त्र के रूप में हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा के भाव से अपने को बचान में प्रसमर्थ रहे हैं। उत्तर-व्यवहारवादियों का कहना है कि शोध की इसी मन्द दृष्टि से सत्तारमक निर्णयों के पीछे जो सक्रिय मूल तत्त्व होते हैं, उन्हें पहचानने के लिए जिन सही प्रश्नों को पूछने की आवश्यकता है उनसे हम निरस्ताहित किया है। यहाँ हमें उत्तर-व्यवहारवादी एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं जो कुछ-कुछ बंसी ही है जैसे कि मात्रम् बेवर, मानहार्द्दिम् ग्रादि समय-समय पर देते आए हैं। इनका कहना है कि शोध चाहे विनुद हो अथवा प्राविधिक, वह आवश्यक रूप से कुछ मूल्यों की आधारभूमि में गड़ी होती है। किन्तु फिर भी यह 'मिथ' की शोध तटस्थ और मूल्य मुक्त हो सकती है अनी मरी नहीं है। हम अपने अध्ययन-शास्त्र का विकास यह समझ कर करते रहे हैं कि हमारे द्वारा चयनित विषय, अनुसन्धानित तथ्य सब्रहित मामग्री और प्रस्तुत व्याख्याएं ऐसी हैं, जो असाधारण रूप से मौलिक हैं और उन्हें हमारे चेतन प्रथवा अचेतन के मूल्य-प्रावारो

ने विकृत नहीं किया है। हम ज्ञान के समाजशास्त्र से सम्बन्धित यह कन्द्रीय प्रश्न अपने धारप में निर्वतरता में नहीं पूछते कि हमारी भूमि, प्रनाव और व्यास्थाएँ किमीमा तक हमारी अज्ञानता तकनीकी अपदाप्तता तथा अन्तर्दृष्टि एवं समुचित सामग्री के अभाव के कारण हैं अथवा हमारे प्रपत्त मूल्यात्मक पूर्वाग्रहों के कारण जिस उत्साह से हम अपनी प्राचिनिक आविष्कारों की दुनिया में प्रपत्ति किंगड़ी भूमियों को पहचानने और परीक्षित करने में ब्रह्म रह हैं, वैसा उत्साह व्यवहारवादियों की पीढ़ी नहीं दिखा सकी है।

ईस्टन के अनुसार हमने उन महत्वपूर्ण नमस्याओं से जो हमारे घट्ययन शास्त्र को आङ्गोडित करनी चाहिए, प्रपत्ती और सामूहिक रूप से बन्द कर रखी हैं। उदाहरणात्मक हम यह केन सिद्ध करेंगे कि जनतन्त्र की वत्तमान वृत्तवादी व्यास्थाएँ जो सन् 1960 से उत्पन्न हानि वाली राजनीतिक शावधकताओं को अभिव्यक्ति को पहचानने समझने और भविष्यवाणी करने में सक्षम थी, क्या प्रमाणित हो गईं। हमारे पास इसका क्या उत्तर है कि हमने राजनीतिक व्यवस्था में जक्ति वितरण के प्रश्न को उत्तो गोण माना। जबकि यह प्रश्न उन वृक्ति से उपायों में सम्बन्धित है जो माँग की अनिव्यक्ति में हिमा का गोक सकत है। इस कठिनाई का ग्राज हमारे पास कोई समावाह नहीं है कि एक घट्ययन शास्त्र के रूप में राजनीतिक विज्ञान घर और वाहर दोनों ही दिशाओं में राष्ट्रीय नीति की मूल मानवताओं में निष्ठा के प्रश्न में क्या वत्तराता रहा? ईस्टन ने याग प्रश्न किया है कि इसका क्या कारण है कि 'राजनीतिक समाजीकरण' जैसे जाग के नवीनतम क्षेत्र में भी राजनीतिक परिवर्तन को लाने में सामाजीकरण के यागदान की उपेक्षा कर हमारे निष्प्रयोज्य अनुसन्धान व्यवस्थाओं की व्यिरता मम्बन्धी वचनान निष्पत्ति स याग नहीं बढ़ सके हैं। उत्तर-व्यवहारवादियों का यापह है कि हम भूजनात्मक विन्तन का विकास करना होगा। हम व परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए जिनके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के व्यावहारिक व्यष्टि से सम्बन्धित मौतिक प्रश्नों का पूछने में महायता मिलती है। यदि हम ऐसा कर सकेंगे तो वे भजानक व्यवधारणाएँ स्वत ही सामन आएंगी जिनके विषय में रावण लिड हम एक बार पहन भी प्रताडित कर चुके हैं। अपनी मूल्य निष्ठा के प्रति एक न्या जगत्तरण और न माजिक प्रभावा द्वारा मासिन की जान वाली मौतिक जीव की सीमाओं को पहिचानन पर ही गह सम्भव है कि हम अपने काय करन के तरीकों में मौतिक मुखार ला सके। किन्तु यह मौतिक निरोक्षण प्रपत्त याय में पवाल नहीं होगा। यदि हम अपनी मौतिक योर पद्धतीय दुभावनाओं में याता निर्भावना है तो इस प्रकार भी प्रात्मनेतना हम याय माय तक ता ल जा ही सकती है। हम अधिक कठार उपायों की यावधिकता हा सकती है और ऐसा करन में पुरानी परम्पराओं राजनीतिक जाय हम यापुनिव द्वंग में एक प्रतिरक्त महायना प्रदान कर सकती है।'

ईस्टन का धनियत है कि हम याय समत नृत्यनात्मक विवाह की यावधिकता है और इसके लिए समझातीन व्यवहारवादी विज्ञान के निष्ठाओं का न करान की घपधा नया कुद्द बनाना है। यह नया कुद्द ऐसा हाना चाहिए कि वह

राजनीतिक जीवन की ओर और उनके निहितार्थों को वैकल्पिक एवं जाटल मूल्यों के सन्दर्भ में गणितिन्त कर लक। इस प्रचार + सृजनात्मक चिन्तन का राजनीतिक विज्ञान में अत्यंत महत्व है जो जाग यह जानना चाहत है कि राजनीतिक व्यवस्था का कैमे चरकी है उर इस प्रकार का चिन्तन ऐसे वैकल्पिक इष्टकोण देता है जिसमें वे अपनी गाव तथा विश्वासा की सुमस्याओं के चयन का निवारण कर सकते हैं। यदि हम जान के समाजात्मक्या के निष्कर्षों को गमनीरता से देखें तो हन विदित हाया कि हमारो विज्ञानिर्म उपलब्धियों हमार नीतक इष्टकोणों से निर्मित होनी हैं। इस व्यक्ति से अपने अध्ययन शास्त्र म सृजनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहित न करने का क्य कर हम अपने गो ऐस बड़ी की स्थिति मे डाल रहे हैं जो बदलते हए मूल्यों के नौव का मीमांसा मे वयकर रह गया है। जतन से इस मूल्य व्यवस्था मे सामाजिक समझ और का आचित्य घटता है वैसे वस ही इस व्यवस्था को जीवित रखने की निष्ठा है उन प्रश्नों के प्रति ग्रन्थ बना रही है, जो निकट भविष्य की परिस्थिति स उद्गामित होग।

ईस्टन के अनुसार हमारा अध्ययन शास्त्र ही नहीं बल्कि हमारा व्यवसाय भी आज पुनर्व्यवस्थापन चाहता है। यह पुनर्व्यवस्थापन आज के समाज विज्ञान की वदनती अवधारणाओं के सन्दर्भ म और भी प्रधिक आवश्यक बन गया है। अध्ययन शास्त्र के बार हमार बीड़िक उच्चत तक भी नीमित है जबकि व्यवसाय म हम उन प्रतिक्रिया एवं विजेषज विद्वान् का लने हैं गो बतमन मे इस अध्ययन शास्त्र के विकास मे जगे हैं। उत्तर व्यवहारवाद यह चाहता है कि व्यवहारवादी निष्ठा द्वारा हम अपने अध्ययन-शास्त्र (Discipline) को व्यवसाय के स्तर पर ल आए और आज के विश्व की राजनीतिक धारायताओं के साथ उसका आचित्य स्थापित कर।

अनेक उत्तर व्यवहारवादी ने गत कुछ वर्षों से हमारे बुद्धिजीवियों की गतिविधियों का परीक्षण कर यह निष्कष निकाला है कि हमार राजनीति विज्ञानिक भी प्रतिमा का उपयोग सरकार व्यापार सेना और स्वत न संगठनों के समाज के कुछ मध्यभाग (Elite) समूहों के हित साधन के लिए हुआ है। आज के व्यवसायवादी का उन लोगों से मन्त्रव एवं सम्पक नहीं के बराबर है जिन्ह याधुनिक प्रौद्योगिको समाज के सबस कम लाभ मिल हैं। अमरिकी समाज म य समूह जातीय एवं आधिक अल्पसमूहों के रूप म देखे जा सकत हैं जिन्ह व्यवसाय स प्रतिनिधित्व नही मिल सकता है। अतराजीय थेर म उपनिवारो का एक बड़ा बन-समूह इसी थेरों मे प्राप्ता है। इन नमुदाया क उम विजेषीकृत क याजो को सबस कम लाभ मिलत है, जिनकी जानकारी आज के राजनीति विज्ञान के पास है। अत आज के राजनीति विज्ञान का यह सामाजिक द वित्व है कि इस प्रस तुन को ठीक करे।

उत्तर व्यवहारवादी इस इष्टकाण की यह मान है कि सामाजिक सुधारो के लिए विष्ट ज्ञान का प्रयोग और जान के लिए ज्ञान प्राप्ति के विचारो म एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा हानी चाहिए। सुधार ज्ञान का एक परिभाज्य भए है और एपा ही माना भी जाना चाहिए।